सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

३६

(फरवरी-जून १९२८)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

भूमिका

इस खण्डमें जिन पाँच महीनों (१ फरवरी, १९२८से ३० जून, १९२८) तक की सामग्री है, उनमें गाधीजी को, 'सफर और दुर्वह सार्वजनिक कामोसे' अपेक्षाकृत 'फुर्सत (पृ० ३०) रही और वे ज्यादातर आश्रममें ही रहे। उन्होने इसके थोड़े ही पहले खादीके प्रचारके लिए दक्षिण भारतका जबर्दस्त दौरा पूरा किया था। तबतक विदेशीवस्त्र बहिष्कारका शक्तिशाली अस्त्र बन जानेके कारण खादीका महत्व काफी बढ़ गया था, खादी कार्यक्रमका उपयोग अब राष्ट्रीय माँगको एक प्रभावशाली आधार देनेकी दृष्टिसे किया जाना था और इसलिए गाधीजी उसे 'यदि हो सके तो मिलोकी मददसे अथवा यदि आवश्यक हो तो उनकी मददके बिना भी (पृ० ८२) पूरा करनेका सकल्प कर चुके थे। वे न केवल यह चाहते थे कि अखिल भारतीय चरखा संघ और उसके अधीन चलनेवाले सगठनोको मजबूत किया जाये, उनका क्षेत्र वढाया जाये, और खादीके काममें बालकों, स्त्रियों और पुरुषो, हिन्दुओ और मुसलमानो सभीका सहयोग लिया जाये (पृ० १८३), बल्कि वे यह भी चाहते थे कि मिले भी अपनी कीमतोंका स्तरीकरण करके, अपने मुनाफोको घटाकर और खादीकी बिक्रीकी जिम्मेदारी लेकर बहिष्कारमें सहायता पहुँचाएँ। इस विषयमें मिलोकी ओरसे कोई बहुत उत्साह-जनक प्रतिक्रिया नही हुई और गांधीजीने शीघ्र ही समझ लिया कि मिल-मालिकोंके 'सलाह-मशविरेसे तत्काल कोई लाभ होनेवाला नही है' (पृ० २३१) फिर भी, 'अहिंसाके सिद्धान्तका दृढ विश्वासी होनेके नाते,' वे मिल-मालिको द्वारा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाये जानेका बराबर प्रयत्न करते रहे; साथ ही उन्होंने ऐसे 'लोगोंको जो कोई युक्ति नही सुनते और हठपूर्वक रास्ता रोकते है (पृ० २३०) सत्याग्रहकी चेतावनी भी दी।

सर जान साइमनके 'स्टेच्यूटरी कमीशन' के आनेपर देश-भरमें विरोधका जो तूफान उठा, इस खण्डमें उसकी तो सिर्फ एक गूज ही मिलेगी, क्योंकि गांधीजी "बहुत सोच-समझकर और बहुत ही आत्म-संयमसे" उसके बहिष्कारमें सक्रिय भाग लेनेसे विरत बने हुए थे। यह बात उनकी समझमें आ गई थी कि मेरे बीचमें पड़ने से जनता आन्दोलनमें जरूर आगे आयेगी और इससे आन्दोलनके उन्नायक शायद परेशानीमें पड़ जायें (पृ० १५)।

इसी तरह उस सर्व-दलीय सम्मेलनके बारेमें, जिसका उद्देश्य सरकार और 'स्टेच्यूटरी कमीशन' का जबर्दस्त विरोध करना था, गांधीजी मनमें दुखी थे और मौन थे। सम्मेलन किसी निष्कर्ष पर पहुँचता नही लगता था। दस दिन बाद ही जवाहरलाल नेहरूके लिए वह बोझ असह्य हो गया था (पृ० ६२)। मोतीलाल नेहरूको एक पत्रमें गांधीजीने लिखा: "सारे राष्ट्रका व्यवस्थित ढंगसे अपमान किया

जा रहा है और फिर भी हम लोग अपने-आपको कितने हीन रूपमें प्रदर्शित कर रहे हैं" (पृ० ७२)।

इस अवधिकी सबसे महत्वपूर्ण घटना बारडोली सत्याग्रह थी। पहला बारडोली सत्याग्रह चौरी-चौरा काण्डके बाद बन्द कर दिया गया था। यह आन्दोलन उसके छः साल बाद शुरू हुआ था। १९२८ का सत्याग्रह भी लगान बहुत अधिक बढ़ा देनेके कारण हुआ। किसानोंने इस प्रश्नकी जाँचके लिए एक निष्पक्ष न्यायाधिकरणकी माँग की। सरकार जब दुराग्रही सिद्ध हुई तो उन्होंने सत्याग्रह कर दिया और इसने बादमें लगानबन्दीका रूप धारण कर लिया। इस आन्दोलनमें सरकारको अपनी सत्ताके प्रति चुनौती दिखाई दी और वह तुरन्त किसानोंके आत्मबलको कुचलनेके लिए पूरी शक्तिसे तत्पर हो गई। अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियाँ होने लगी, पुलिस और पठानों द्वारा आतंक फैलाया जाने लगा तथा मवेशियों और जमीनोंको जब्त करके नीलाम किया जाने लगा। लेकिन किसान, अजेय वल्लभभाई पटेलके नेतृत्वमें, शान्त रहकर सत्याग्रह करते चले गये। गांधीजी इस आन्दोलनका दूरसे पथ-प्रदर्शन कर रहे थे। वल्लभभाई और विट्ठलभाईके लिए उन्होंने पत्रोंके मजमून तक तैयार किये और लोगोंकी माँगके पक्षमें जनमत तैयार किया, क्योंकि वह "अनुशासित और शान्तिपूर्ण प्रतिरोध" होने और "सामूहिक रूपसे यातनाएँ सहने" (पृ० ९८)का शिक्षण देनेके कारण सीमित और स्थानीय सत्याग्रह होते हुए भी स्वराज्यकी दिशामें एक कदम था।

हमें इस खण्डमें गांधीजीके चिन्तनकी एक गहरी और भीतरी झाँकी भी मिलती है। अखबारोंमें छपी अपनी मृत्युकी भविष्यवाणीकी रिपोर्टकी चर्चा करते हुए गांधीजीने राजगोपालाचारीको लिखा: "बहुतसे लोगोंको बड़ा दुःख है कि मैं १७ तारीखको नही मरा . . . शायद मैं भी उनमें से एक हूँ। एक तरहकी मौत तो शायद मैं मर चुका। आगे देखें क्या होता है" (पृ० १२८)। १९२६ के आरम्भमें गांधीजीने स्वेच्छापूर्वक सक्रिय राजनीतिसे अवकाश ले लिया था। लगता है, दो वर्षके चिन्तन और अन्तर्निरीक्षणके फलस्वरूप उनमें एक नई आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि पैदा हुई। इस अवधिमें उन्होंने 'गीता' का गहरा अध्ययन किया और उस पर आश्रमवासियोंको प्रवचन दिये। 'आत्मकथा' की अपनी साप्ताहिक किश्तें लिखते हुए, उन्होंने अपने बीते जीवनका और भी अनासक्ति और विनम्रतासे सिंहावलोकन किया। जैन हॉवर्डको १२ मार्चको पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा: "परन्तु मैंने यह सोचा था कि यदि लोग मुझे शरीफ और शान्तिप्रिय आदमी समझते हैं, तो उन्हें यह भी जानना चाहिए कि एक ऐसा समय था जब मैं सचमुच जानवर था, और फिर भी मैं स्नेहशील पति होनेका दावा करता था। एक बार एक मित्रने मुझे "पवित्र गाय और क्रूर चीतेका" मिश्रण बताया था-वह निराधार नही था (पृ० १०९)। 'यंग इंडिया' के एक लेख ('फिर वही चर्चा," १५-३-१९२८) में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि "जिसने मुझे युद्धमें भाग लेनेके लिए प्रेरित किया, वह एक मिश्रित

उद्देश्य था," इसमें सांसारिक उद्देश्य था," (पृ० ११७) साम्राज्यके राजनीतिज्ञोंका अनुग्रह प्राप्त करके स्वराज्य पानेका सुपात्र बन सकना (पृ० ११८)।

२३ अप्रैल, १९२८को अपने भतीजे मगनलाल गांधीका बिहारमें थोड़े ही दिन की बीमारीके बाद देहान्त हो जानेसे गांधीजीको दारुण व्यक्तिगत क्षतिका अनुभव हुआ। मगनलाल वहाँ पर्दा-विरोधी आन्दोलनमें अपनी लड़कीकी सहायता करने गये हुए थे। गांधीजीका सपना यह था, और उन्होंने इसके लिए पूरा प्रयत्न भी किया था कि वे मगनलालको आश्रमका भार सौंप कर उस ओरसे निश्चिन्त हो जायेंगे। इसलिए उनके शोकका कोई पार नहीं था। २६-४-१९२८को उन्होंने एण्ड्रयूजको लिखा, 'मेरे जीवनकी शायद यह सबसे बड़ी परीक्षा है"। "मेरा सबसे अच्छा सहयोगी चला गया" शीर्षक लेखमें उन्होंने मगनलालको "मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंखें" बताया। उन्होंने आगे कहा: "मुझे यह लेख लिखते हुए भी प्यारे पतिके लिए विलाप करती हुई उसकी विधवाकी सिसकी सुनाई पड़ रही है। मगर वह क्या समझेगी कि उससे अधिक अनाथ मैं हो गया हूँ? अगर ईश्वरमें मेरा जीवन्त विश्वास न होता तो आज मैं उसकी मृत्युके शोकमें बिलकुल पागल हो गया होता। वह मुझे अपने सगे पुत्रोंसे भी अधिक प्रिय था . . . उसका जीवन मेरे लिए प्रेरणादायक है, नैतिक नियमकी अमोघता और उच्चताका ज्वलन्त उदाहरण है (पृ० २८१)। एक गुजराती लेखमें उन्होंने बताया कि मगनलालने किस तरह अपने जीवन द्वारा इस सत्यको स्पष्ट किया कि "देश-सेवा, विश्व-सेवा, आत्मज्ञान और ईश्वर-दर्शन . . . एक ही वस्तुके भिन्न-भिन्न रूप हैं (पृ० २९८)। अपने पुत्र मणिलालको पत्र लिखते हुए, ७ मईको उन्होंने कहा, "मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जीवन कुछ बदल गया है। अदृश्य रीतिसे और अनिच्छापूर्वक भीतर ही-भीतर एक संघर्ष चल रहा है। मगनलालकी आत्मा मुझपर छाई हुई है" (पृ० ३१६)।

फिर भी, जैसा कि गांधीजीने एन मेरी पीटर्सनको एक पत्रमें स्पष्ट किया, ईश्वरमें उनकी आस्थाने उस दु:खको प्रसन्नतामें बदल दिया और उनमें "अधिक सेवा और अधिक लगनके लिए अभिरुचि" पैदा की (पृ० ३२६)। इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान अपनी 'सर्वोत्तम कृति' आश्रमको, (पृ० १, पृ० २६७) सुधारने और 'उसे उसके स्वीकृत आदर्शोंके अनुरूप बनाने, (पृ० ३६२) पर लगाया। गुजरात विद्यापीठकी तरह, यहाँ भी वे गुणवत्तापर सब कुछ निछावर कर देनेके लिए तैयार थे। आश्रमके विधानमें उन्होंने संशोधन किया, ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी नियम अनिवार्य कर दिया और इसपर जोर दिया कि सभी आश्रमवासियोंके लिए एक ही रसोई-घर हो। संशोधित विधान, जो "मुख्य कार्यकर्ताओंके सयुक्त प्रयत्नोंका परिणाम था", 'यंग इंडिया' में प्रकाशित किया गया और उसपर आलोचनाएँ और सुझाव माँगे गये।

यूरोपकी सम्भावित यात्राका यहाँ कई जगह उल्लेख है, पर वह यात्रा अन्ततः हुई नहीं। यात्राका मुख्य उद्देश्य रोमाँ रोलाँ और शान्तिके ध्येयमें लगे अन्य यूरोपीय

कार्यकर्ताओंसे मिलना था। "मैं रोलाँसे मिलनेके लिए उत्सुक हूँ। वह मुझे यूरोपके सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति लगते है। वे मुझमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। यदि उन्हें ऐसा लगे कि किसी एक चीजमें भी मेरी राय गलत है, तो इससे उन्हे बड़ा कष्ट होता है" (पृ० १२७)। परन्तु जैसा कि गांधीजीका हमेशा तरीका रहा, मित्रके सम्मानसे अधिक उन्हें सत्यकी चिन्ता थी और इसलिए उन्होने रोलाँको लिखा: "वास्तवमें मैं आपका ठीक-ठीक साथ देना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे आपकी हार्दिक मैत्री बरकरार रखनी है तो मुझे अपने प्रति भी सच्चा होना ही चाहिए" (पृ० २७)। चाहे आमने-सामने आनेसे एक-दूसरेका भरम टूट जानेकी आशंका या जिस कार्यके लिए वे मानसिक रूपसे तैयार नही थे उसके प्रति बहुत सावधानी ही इसका कारण क्यों न हो, पर किसी निश्चयपर पहुँचना उन्हें बहुत ही कठिन लगा। म्यूरियल लेस्टरको एक पत्रमें उन्होंने लिखा, "मै यूरोप जाने अथवा न जानेका पक्का निश्चय करने योग्य हिम्मत नही जुटा पा रहा हूं (पृ० २४०)।" गांधीजी अनिश्चयकी इस स्थितिसे परेशान भी थे। डा० अन्सारीको ७ अप्रैलको पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा: "प्रस्तावित यूरोपकी यात्रा फिलहाल मेरे लिये बड़ी परेशानी पैदा कर रही है। मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे इस तरह असमंजसमें नहीं पड़े रहना चाहिए। परन्तु अपनी कमजोरी छिपानेसे क्या लाभ? (पृ० २१६)। गांधीजीने निश्चयका भार रोमाँ रोलाँपर ही छोड़ दिया, और जब वे उस जिम्मेदारीको लेनेको राजी नही हुए तो वह विचार ही त्याग दिया गया।

एक लेखमालामें गांधीजीने प्रचलित शिक्षा-पद्धतिका खोखलापन दिखाया और ग्रामाभिमुखी व ग्राम-केन्द्रित शिक्षापर अपने विचार लोगोंके सामने रखे। गांधीजीने इसपर जोर दिया कि बच्चोंको न केवल 'रामायण' और 'महाभारत'की बल्कि उनके आधुनिक आध्यात्मिक अर्थ (पृ० ३६४)की भी जानकारी होनी चाहिए। उन्होने यह भी कहा, "'महाभारत' 'रामायण' आदिमें वर्णित घटनाओंके अक्षरको पकड़े रहनेसे हम असत्यके रास्ते चलेंगे और खाईमें गिरेगे। उनके मर्मको समझकर, उसका पालन करनेसे और उसके अनुभवमें उतरनेसे हम अवश्य ही ऊंचे बढ़ेंगे" (पृ० ४८०)। रामनवमीपर भाषण (पृ० १७६–८) देते हुए उन्होंने प्राचीन आख्यानोंके आध्यात्मिक अर्थपर कुछ विस्तारसे प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये आख्यान राम और कृष्ण आदिमें हमारी भावपूर्ण आस्थाको दृढ़ करके सम्बन्धित पौराणिक नायकोको अन्त:करणके शासकके रूपमें प्रतिष्ठित कर देते हैं। इससे हमें क्षणिक ही क्यों न हो, अतीन्द्रिय आनन्दका अनुभव मिलता है, और इस तरह धर्मका पालन स्वाभाविक तथा सरल हो जाता है। यह बताते हुए कि "ब्रह्मचर्यके विना आत्माका पूर्ण विकास असम्भव है (पृ० ४८०) उन्होंने एकाग्र निष्ठामें ब्रह्मचर्य और अन्य सब सदाचारोंकी कुंजी देखी। हनुमान "रामके अनन्य भक्त थे, उनके दास थे" (पृ० १९५) और उनकी निश्चल दृष्टिका अनुकरण करके बच्चे तक यह सीख सकते हैं कि वैसी लगन कैसे पैदा की जाती है।

हमारी द्विविधापूर्ण स्थितिसे उत्पन्न बहुत-सी बुराइयों और दिक्कतोंका इलाज गाधीजीने "द्विविधारहित, दृढ और स्पष्ट कार्य"को बताया जो उस "दैदीप्यमान सूर्यके समान होता है जो केवल अन्धकारको ही दूर नही करता, वरन् बीमारियोंके सब कीटाणुओको भी नष्ट कर देता है। (पृ० २६२) उनका यह विश्वास था कि सच्ची धार्मिक भावना जीवनकी छोटीसे-छोटी बातो तकमें प्रकट होगी, इसलिए वे स्वच्छताकी तथा सामाजिक और राजनीतिक जीवनकी थोडी-सी भी अनियमितताको आध्यात्मिक दरिद्रताकी निशानी" (पृ० ४७२) मानते थे।

इस खण्डमें दो स्मरणीय सन्देश हैं. एक इन्टरनेशनल फैलोशिपके लिए जिसमें "बन्धुत्वके चुपचाप किये गये कार्य"को "भारी-भरकम उपदेशो" (पृ० २१८)से अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है; और दूसरा सन्देश, जो अमेरिकी वाई० एम० सी० ए० के लिए है, यह है; "ईश्वर सत्य है। सत्यकी प्राप्तिका पथ सभी जीवधारियोकी स्नेहपूर्ण सेवासे होकर जाता है"। (पृ० २९३)

आभार

प्रस्तुत खण्डकी सामग्रीके लिए हम, साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास (साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन ऐंड मेमोरियल ट्रस्ट) और संग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट, गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद, गांधी स्मारक निधि संग्रहालय, नई दिल्ली; श्री आयल्मा मॉड, चेम्सफोर्ड, यू० के०; श्री एफ० एच० ब्राउन, लन्दन, यू० के०, श्री एस० आर० वेंकटारमन, मद्रास, श्री घ० दा० बिडला, कलकत्ता; श्री टी० नगेश राव, पुट्टुर, दक्षिणी कनारा, श्रीमती तहमीना खम्भाता, बम्बई, श्री नारणदास गांधी, राजकोट, श्री नारणदास, बारडोली, श्रीमती मीराबहन, गाडन आस्ट्रिया; श्रीमती प्रेमलीला ठाकरसी, पूना, श्री यू० राजगोपाल कृष्णैया, श्रीमती राधाबहन चौधरी, कलकत्ता; श्री रविशंकर महाराज, श्री लालचन्द जयचन्द वोरा, बगसरा, श्री शान्तिकुमार मोरारजी, बम्बई; श्री श्रीनाथ सिंह, इलाहाबाद, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, अजमेर; पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, बापुना पत्रो – २ मणिबहन पटेलने, बापुना पत्रो; सरदार वल्लभभाईने, बापुनी प्रसादी, बापू, स्टोरी आफ बारडोली, पुस्तकों तथा निम्नलिखित समाचारपत्रों और पत्रिकाओंके आभारी हैं:

नवजीवन, प्रजाबन्धु, बाम्बे क्रॉनिकल, यंग इंडिया

अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुस्तकालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, गांधी स्मारक संग्रहालय, श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली; साबरमती संग्रहालय और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग (रिसर्च ऐंड रिफरेंस डिविजन), नई दिल्ली; हमारे धन्यवादके पात्र हैं। प्रलेखोंकी फोटो-नकल तैयार करनेमें मदद देनेके लिए हम सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभाग, नई दिल्लीके आभारी हैं।

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मिली है उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदि में हिज्जोंकी स्पष्ट भूलें सुधार दी गई है।

अंग्रेजी सामग्रीका अनुवाद करते हुए अनुवादको मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है। छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारनेके बाद अनुवाद किया गया है और मूलमें प्रयुक्त शब्दोंके सक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये है। जिन नामोंके उच्चारणमें संशय था उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने मूल लेखोंमें लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धृत किया है वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है। भाषणों और भेंटकी परोक्ष रिपोर्ट और वे अंश जो गांधीजीके नही है छोटे टाइपमें दिये गये हैं और उनमें जहां आवश्यक समझा गया है, कुछ परिवर्तन किया गया है और कही-कही कुछ छोड़ दिया गया है।

शीर्षककी लेखन तिथि जहाँ उपलब्ध है, वहाँ दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है; परन्तु जहाँ वह उपलब्ध नही है, वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोंमें की गई है और आवश्यक होने पर उसका कारण स्पष्ट कर दिया है। शीर्षकके अन्तमें साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। लेख जहां उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी निश्चित आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नही हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन तिथिके अनुसार दिये गये है।

इस ग्रन्थ-मालाके खण्ड-१ का सन्दर्भ अगस्त १९५४ संस्करणका है। 'आत्मकथा' के सन्दर्भके लिए केवल भाग और अध्याय बताये गये हैं क्योकि विभिन्न संस्करणोंमें पृष्ठ अलग-अलग है।

साधन-सूत्रोंमें एस० एन० संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, जी० एन० गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका और सी० डब्ल्यू० सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी) द्वारा संग्रहीत पत्रोंका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये गये है। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालका तारीखवार जीवन-वृत्तान्त दिया गया है।

विषय-सूची

१. भाषण: गुजरात विद्यापीठके विद्यार्थियोंके समक्ष[1]

[१ फरवरी, १९२८][2]

मै आज यहाँ जो आप लोगोंके बीच में आया हूँ उस सम्बन्धमें एक अभयदान यह देता हूँ कि मै यहाँ सीजरकी तरह "मै आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया" जैसा कुछ करनेके लिए नहीं आया हूँ। 'आप यह करे, वह न करें' ऐसा कहकर मै आप लोगोंका जीवन अव्यवस्थित भी नही करना चाहता। मै तो केवल आपके बीच आया हूँ और आपकी जितनी हो सके उतनी सेवा करना चाहता हूँ। आपके नित्यके कार्यक्रममें अथवा अध्यापकोंके अध्ययन कार्यमें खलल डालनेकी मेरी इच्छा ही नही है। मै यहाँ उपस्थित हूँ, इसलिए यदि कोई विद्यार्थी मेरे पास आना चाहे तो आ सकता है। मुझसे कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। मै यह जानता हूँ कि आजतक विद्यापीठके कुलपतिके नाते मुझे इसकी जितनी सेवा करनी थी उतनी मै नहीं कर पाया हूँ। किन्तु इसका यह कारण नही था कि ऐसा करनेकी मेरी इच्छा नही थी। किन्तु यह मेरा दुर्भाग्य है कि मै जितनी सेवा करना चाहता हूँ उतनी कर नही पाता। मेरे मनमें हमेशा विद्यापीठका ध्यान रहता है और मै यह ईश्वरकी बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ कि इस समय मुझे उसकी सेवाका अवसर मिला है। आज तो मै अपने ऊपर चढ़े हुए कर्जका ब्याज मात्र देने आया हूँ। और वह भी कुलपति न रहनेके बाद। अब यह ब्याज स्वीकार करना न करना आप पर निर्भर है।

आप इस प्रार्थनामें उपस्थित हुए इससे मुझे प्रसन्नता हुई। यदि आप प्रार्थनाका रहस्य समझकर आयेंगे तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। पर इसके लिए मै आग्रह नही करता। आप न आते तो मुझे दुख होता, किन्तु मै आपके आगे इसका दुखड़ा नही रोऊँगा। फिर भी यह तो अवश्य चाहता हूँ कि आप लोग साँझकी प्रार्थनाके समय आश्रममें आयें। मेरी यह भी इच्छा है कि इस तरह आश्रमके साथ आपका सम्बन्ध और भी दृढ़ हो। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका कारण मुझे आपपर जाहिर कर देना चाहिए। मै आश्रमको अपना सर्वस्व मानता हूँ। मै तो चाहता हूँ कि जगत मेरी इसी कृतिसे मेरा मूल्याकन करे, मेरे दूसरे कार्योंसे नही। अपने लिये तो मैंने यही माप रखा है। आश्रमकी अपूर्णताका मुझे पूरी तरह भान है। मै इसकी अनेक त्रुटियाँ गिना सकता हूँ, जिनका आपको खयाल भी नही होगा और जिनको आप जानते होंगे ऐसी सब त्रुटियोको इकट्ठा करें तो वे बहुत ज्यादा हो जायेंगी। फिर भी मै यह कहना चाहता हूँ कि इन त्रुटियोको एक तरफ रखें और दूसरी तरफ

१. महादेव देसाईकी "साप्ताहिक चिट्ठीसे" उद्धृत।

२. साधन-सूत्रके अनुसार गांधीजी ३१ जनवरीकी शामको विद्यापीठ पहुँचे थे और यह भाषण उन्होंने दूसरे दिन सुबह प्रार्थना-सभामें दिया था।

आश्रमके गुण रखकर उनकी तुलना करें तो जमाका पलड़ा भारी होगा, इसमें मुझे कोई शंका नही है। इसलिए आश्रमके साथ आपके सम्बन्धका और भी गहरा होना मुझे प्रिय लगता है।[1]

मैं आपके बीच बोझ बनकर नही मित्र बनकर रहना चाहता हूँ और अगर आप चाहेंगे तो मार्गदर्शककी तरह भी।

अगर आप चाहें तो मैं रोज १५ मिनट या हफ्तेमें आपके दो वर्ग पढ़ा सकूँगा। मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा सो तो निश्चित नही है; किन्तु वह मैं आप पर छोड़ता हूँ।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ५-२-१९२८

२. पत्र: ना० र० मलकानीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१ फरवरी, १९२८

प्रिय मलकानी,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम अपनी झिझक छोड़ सकते तो अच्छा होता। ठक्कर बापाको बार-बार कहते रहो। सर पु०[2] पर मेरे पत्रकी अपेक्षा उनके पत्रसे ज्यादा असर होगा; क्योंकि उनके पत्रके पीछे अनुभवका बल भी रहेगा। लेकिन मुझे स्थितिकी जानकारी देते रहना और जब कभी कुछ ऐसा हो कि मैं 'यंग इंडिया' के जरिये कुछ मदद कर सकूँ, तो मुझे बताना। लेकिन तब तुम मुझे अपने किये कामका संक्षिप्त हवाला लिख भेजना और यह भी लिखना कि और क्या कुछ किये जा सकनेकी आशा है।

तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि क्या तुम अवकाश होने पर अखिल भारतीय अस्पृश्यता सम्बन्धी काम हाथमें लेनेके लिए तैयार हो। तुम उसका परिणाम तो जानते ही हो। सम्भव है तुम्हें लगातार दौरे पर ही रहना पड़े। मैं चाहता हूँ कि तुम खूब सोच-विचारकर और निश्चयके साथ काम करो।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ८८१) की फोटो-नकलसे।

१. यहाँसे आगेके दो अनुच्छेद *यंग इंडिया* २-२-१९२८ से लिये गये हैं।
२. पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास।

३. पुनः मिस मेयोके बारेमें

मिस मेयो चूंकि यह जानती है कि भारतमें हम लोग जो-कुछ लिखते है वह ज्यादासे-ज्यादा सौ दो सौ अमेरिकी लोगो तक पहुँच सकता है और वे जो-कुछ लिखती है वह हजारो अमेरीकियों तक पहुँचता है। इसलिए जाहिर है कि दूसरे लोगोंने उनकी बातका खण्डन करनेके उद्देश्यसे जो लेख लिखे है अथवा भाषण दिये है, उन लेखो और भाषणोमें से वे गलत या अधूरे, जब और जैसा उनको अनुकूल जान पड़े, उद्धरण दे सकती है अथवा उन्हे तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकती है; वे इसीका फायदा उठा रही है। उन्होने 'लिबर्टी'में लिखे अपने एक लेखमें मेरा उल्लेख करके फिर मुझे सम्मान दिया है और मैंने उनके संग्रह 'मदर इंडिया'के सम्बन्धमें जो-कुछ लिखा है,[1] उसका खण्डन करनेका प्रयत्न किया है। मै समझता हूँ कि उन्हे ऐसा करनेकी जरूरत इसलिए जान पड़ी कि सुसंस्कृत अमेरिकी लोगोमें मेरी कुछ साख है; उन्होंने सोचा, कही मेरे लेखसे उनकी राय पर असर न पड़ जाये। किन्तु अपने 'लिबर्टी'में लिखे लेखमें तो उन्होने हद ही कर दी है। उन्होंने मेरे सचिवोका उल्लेख करके असावधान पाठकोको धोखा देनेका चतुराईसे प्रयत्न किया है। उनकी इस बातका कि मेरे दो सचिव हैं, (हमेशा ही दो होते हैं अथवा नहीं इससे कोई प्रयोजन नही) मैंने जो खण्डन किया है, उससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मिस मेयोने यदि जानबूझ कर सत्यको विकृत नही किया है, तो फिर वे कमसे-कम असावधान लेखिका अवश्य हैं। किन्तु उन्होने जिस तरहसे सचिवोंका उल्लेख किया है, उससे पाठकोके मनपर यह छाप पड़ती है कि मेरे पास हमेशा दो सचिव रहते है। इस बात पर उनका जोर देना कि वह सन्देश जिसे उन्होने मेरा सन्देश बताया है मैंने ही उन्हे दिया था, सचको पूरी तरह दबाना है। जान पड़ता है उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि मेरे पास उनकी और मेरी भेंटके संशोधित विवरणकी प्रति नही होगी। उनकी बदकिस्मती कि जिस सन्देशमें चरखेकी गूंजका उल्लेख है, संयोगवश उसकी टीपोकी एक नकल मेरे पास है। समूचा सन्देश इस रूपमें है:

"अमेरिकाको मेरा एकमात्र सन्देश चरखेकी गूंज ही है। मुझे अमेरिकासे जो पत्र और अखबारोंकी कतरनें मिली हैं, उनसे प्रकट होता है कि वहाँ दो तरह के लोग है। एक तरहके लोग वे है जो अहिंसात्मक असहयोगसे निकलनेवाले परिणामों के सम्बन्धमें बहुत बढ़ा-चढ़ा कर सोचते हैं और दूसरे वे लोग हैं जो इन परिणामों के सम्बन्धमें न केवल बहुत घटाकर सोचते हैं, बल्कि इस आन्दोलनसे सम्बन्धित लोगों पर तरह-तरहके इरादे रखनेका आरोप भी लगाते हैं। आप किसी भी दिशामें अति न करें। इसलिए यदि कुछ जिज्ञासु अमेरिकी इस आन्दोलनका

१. देखिए खण्ड ३४ पृष्ठ ५८४-९४।

निष्पक्ष भावसे और धैर्यसे अध्ययन करेंगे तो संयुक्त राज्य, मैं स्वयं प्रवर्तक होनेके बावजूद जिसे एक अनोखा आन्दोलन समझता हूँ, उस आन्दोलनको कुछ हदतक समझ सकेगा। मेरा आशय यही है कि संक्षेपमें हमारे आन्दोलन का सार चरखे और उसके समस्त फलितार्थोंमें आ जाता है। मेरे लेखे यह बारूदकी जगह पर है। यह भारतके करोड़ों लोगोंको स्वावलम्बन और आशाका सन्देश देता है। और सचमुच जागरूक हो जाने पर उन्हें स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए उँगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। असलमें चरखेका सन्देश शोषणकी भावनाकी जगह सेवाकी भावनाको प्रतिष्ठित करना है। पाश्चात्य देशोंमें शोषणका स्वर ही मुख्य है। मैं बिलकुल नहीं चाहता कि हमारा देश उस भावनाका अथवा स्वरका अनुकरण करे।"

मिस मेयोने इस उद्धरणका केवल पहला वाक्य ही उद्धृत किया है और उसकी अत्यन्त महत्वपूर्ण व्याख्या छोड़ दी है। इसमें उनका उद्देश्य मेरा उपहास करना है। किन्तु मैं समझता हूँ कि पूरे अनुच्छेदसे मेरा आशय स्पष्ट हो जाता है और सन्देश स्पष्ट और सुबोध बन जाता है। उनके संग्रहसे सम्बन्धित लेख मैंने अपनी यात्राके दौरान लिखा था। यदि उस समय मेरे पास टीपें होतीं, तो मैं उनको अवश्य उद्धृत करता और उनसे अपने लेखको और भी पुष्ट करता। फिर भी मेरा दावा है कि उद्धृत किये गये पूरे अनुच्छेदमें समाहित सन्देश उससे भिन्न नहीं हैं जो मैंने उस लेखमें कहा है, जिसका खण्डन मिस मेयो करना चाहती हैं।

इसलिए जिस बातका उन्होंने खण्डन किया है, उसे यद्यपि वे एक छोटी-सी बात कहती हैं, और उनका यह कहना ठीक भी है, फिर भी मेरा यह विश्वास है कि वह उस बातका खण्डन करनेमें भी बिलकुल असफल सिद्ध हुई हैं। मेरा दावा है कि मेरी स्मृतिने साथ न भी दिया हो, तो भी मैंने उन्हें जो निश्चयात्मक उत्तर दिया है, उस पर वे कुछ नहीं कह सकी है और उसका जवाब नहीं दे पाई हैं। उनके पास कोई तर्क नहीं है, इसलिए उन्होंने उस छोटे-छोटे मुद्दे उठानेवाले वकील जैसा रास्ता अख्तियार किया है, जो विरोधी किन्तु अडिग गवाहसे उसकी 'याददाश्तके आधार पर ऐसी बातोंका जवाब ले लेता है जो जाँच करनेपर पूरी तरह सही साबित न हो; और उसे इस तरह झूठा साबित करनेका विफल प्रयास करता है। मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि मिस मेयोका 'लिबर्टी' में छपा लेख यह सिद्ध करता है कि वह एक लेखिकाके रूपमें भरोसेके लायक नहीं है, इतना ही नहीं बल्कि वे उचित अनुचितके ज्ञानसे हीन एक अप्रमाणिक व्यक्ति हैं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २-२-१९२८

४. गुजरात विद्यापीठ[1]

२ फरवरी, १९२८

मुझे विश्वास है कि जो गुजरात विद्यापीठ टूटता-सा दीखता है, जिसमें रोज-रोज तादाद घटती जा रही है और जिसकी कुछ लोग उपेक्षा करते है, हिन्दुस्तानके स्वराज्य आन्दोलनके इतिहासमें उस गुजरात विद्यापीठका भाग प्रशंसनीय माना जायेगा। यह नही कहा जा सकता कि यह विद्यापीठ न होता तो बगाल, अलीगढ़, काशी, विहार और पंजाबके विद्यापीठ स्थापित होते या नही। जब गुजरात विद्यापीठ स्थापित हुआ था, तब सबकी नजर इसकी तरफ लगी हुई थी। सब गुजरातके साहसकी होड़ करनेकी इच्छा करते थे।

इसमें जो स्नातक तैयार हुए और जिन अध्यापकोने इसकी सेवा की उनमें से कुछ आज उसमें नही हैं, फिर भी वे असहयोगके झण्डेका गौरव बढा रहे है। अगर यह विद्यापीठ टूट जाये, तो देशको नुकसान पहुँचेगा और हमपर जो आरम्भ-शूर होनेका दोष लगाया जाता है, उसकी एक और दुःखद मिसाल बढ जायेगी। तमाम दुनियामें गिरी हुई जातियोके जीवनको उज्ज्वल करनेवाली संस्थाओंपर हमले होते आये है। इन हमलोंसे उभर सकनेवाली संस्थाओंका जगतकी उन्नतिमें हमेशा बड़ा भाग रहा है। क्योंकि आफतोके सामने झुक जानेके बजाय जो व्यक्ति या संस्था तनकर खडी रह सकती है, वह दुनियाको आत्मविश्वास, स्वावलम्बन, बहादुरी, दृढ़ता आदिका पदार्थपाठ सिखाती है।

इसलिए गुजराती लोग विद्यापीठको एकाएक मरने नही देंगे। आचार्य आनन्दशंकर-भाईकी मददसे एक समिति मुकर्रर करके विद्यापीठने जाँच कराई थी, सो पाठकोंको मालूम ही है। तभी विद्यापीठको पक्की बुनियादपर खड़ा करनेके इरादेसे कितने ही परिवर्तन किये गये थे; इनके सिवा और भी कितनी ही दूसरी तबदीलियोंका विचार किया गया था।

तूफानी समुद्रमें पडे हुए जहाजको मताधिकारके बल पर चुने गये किसी मण्डलके हाथमें नही सौंपा जाता; बल्कि ऐसा मण्डल खुद ही अपने बचावके लिए नौविद्याके जाननेवालोको उसका कब्जा दे देता है; और जरूरत होने पर वे शास्त्रज्ञ उसे पूरी तरह एक ही कर्णधारके हाथ सौंप देते है।

विद्यापीठकी व्यवस्थापक समितिने कुछ इसी तरहसे अपना अधिकार स्वेच्छासे एक ऐसे छोटेसे मण्डलके हाथमें सौंप देनेका साहस किया है; और इसे मतदाताओंका नहीं बल्कि सिर्फ विद्यापीठका ही विचार करना है। समितिने यह समझदारीका काम किया है। चूंकि व्यवस्थापकोंका पिछले महीनेकी २८ तारीखको[2] पास किया हुआ प्रस्ताव महत्वपूर्ण है मै उसे नीचे पूराका पूरा देता हूँ:

१. देखिए यंग इंडिया २-२-१९२९ भी।

२. यंग इंडियाके अनुसार यह तारीख २९ जनवरी, १९२८ ठहरती है।

इस समितिकी यह राय है कि:

१. गुजरातने असहयोगके राष्ट्रीय आन्दोलनके सिलसिलेमें गुजरात विद्यापीठको कायम करके असहयोग आन्दोलनमें उतार-चढाव आनेपर भी उसे बनाये रखा, इससे राष्ट्रकी उपयोगी सेवा हुई है;

२. मगर संख्याके खयालसे देखें तो विद्यापीठमें लगातार कमी ही होती रही है;

३. गुणकी दृष्टिसे भी अगर भीतरी हालत अच्छी होती, तो जितना काम हुआ उससे कहीं ज्यादा हो सकता था;

४. विद्यापीठके जीवनमें अब यह नौबत आ गई है कि अब विद्यापीठके इन्तजामको ज्यादा कारगर बनानेके लिए और उसके साथ जुड़े हुए ध्येयोका ज्यादा एकाग्रतासे पालन करनेके लिए विद्यापीठका तन्त्र एक स्थायी मण्डलको सौप देनेकी जरूरत है इसलिए;

५. और इस समितिने विद्यापीठकी पुनर्रचनाके बारेमें ४-१२-१९२७ को जो प्रस्ताव पास किया था उसके अनुसार;

यह समिति नीचे लिखे सदस्योंमेंसे उनका, जो इसके साथ जुड़े हुए ध्येयोंको मंजूर करने और उनपर अमल करनेकी प्रतिज्ञा करेंगे, गुजरात विद्यापीठ मण्डल मुकर्रर करती है; और उसे विद्यापीठकी तमाम संस्थाएँ और उसकी तमाम जायदाद, जिम्मेदारियाँ और हक सौंपती है; और इस मण्डलको अपनी संख्यामें २५ सदस्य और बढानेकी सत्ता, मौत होनेपर, इस्तीफा मिलनेपर, मण्डलकी प्रतिज्ञा तोड़ने या और किसी प्रबल कारणसे किसी भी सदस्यको मण्डलके ४/५ बहुमतसे अलग करनेपर या और किसी कारणसे जगह खाली होने पर दूसरे सदस्योंको मुकर्रर करने वगैराकी सत्ता और वे सब दूसरे अधिकार, जो इस समितिको हो सकते हैं, देती है।

सदस्योंके नाम

१. श्री वल्लभभाई पटेल
२. श्री नृसिंह प्रसाद भट्ट
३. श्री काका कालेलकर
४. श्री शंकरलाल बैंकर
५. श्री महादेव देसाई
६. श्री अब्दुल कादिर बावजीर
७. श्री मणिलाल कोठारी
८. श्री किशोरलाल मशरूवाला
९. श्री नरहरि परीख
१०. श्री वालजी देसाई
११. श्री हरिप्रसाद व्रजराय देसाई
१२. श्री जुगतराम दवे
१३. श्री गोकुलप्रसाद भट्ट
१४. श्री सुखलालजी पण्डित
१५. श्री परीक्षितलाल मजमूदार
१६. श्री गोपालराव कुलकर्णी
१७. श्री मामा फड़के
१८. . . .[1] मणिबहन वल्लभभाई पटेल

१. मूलमें यहाँ 'श्रीमती' छपा है।

ध्येय

१. विद्यापीठका मुख्य काम स्वराज्य-प्राप्तिके हेतुसे चलनेवाली प्रवृत्तियोंके लिए चरित्रवान्, शक्तिशाली, संस्कारी और कर्त्तव्यपरायण कार्यकर्त्ता तैयार करना है।

२. विद्यापीठकी तरफसे चलनेवाली और उसकी मान्य की हुई हर संस्थाको पूरी तरह असहयोगी होना चाहिए और इसलिए वह सरकारका किसी भी तरहका सहारा नही ले सकती।

३. विद्यापीठ स्वराज्य और स्वराज्य-प्राप्तिके साधन अहिंसात्मक असहयोगके सिलसिलेमें कायम हुआ है। इसलिए शिक्षकों और सचालकोको स्वराज्य लेनेके लिए अहिंसा और सत्यके अविरोधी साधन ही अपनाने और काममें लेनेकी कोशिश करनी चाहिए।

४. विद्यापीठके संचालक और शिक्षक और विद्यापीठकी मान्य की हुई संस्थाएँ अस्पृश्यताको कलंकरूप माननेवाली और उसे मिटानेकी कोशिश करनेवाली होनी चाहिए; किसी भी लडके या लड़कीको उसके अछूत होनेके कारण बाहर न रखा जाये और भरती होनेके बाद उसके साथ दूसरी तरहका बरताव न किया जाये।

५. विद्यापीठकी संस्थाओंमें और उसकी मान्य की हुई संस्थाओंमें काम करनेवाले शिक्षक, संचालक वगैरा चरखेकी प्रवृत्तिमें विश्वास रखनेवाले और अनिवार्य कारणोंके सिवा नियमसे कातनेवाले और आदतन खादी पहननेवाले होने चाहिए।

६. विद्यापीठमें स्वभाषाको प्रधान पद दिया जायेगा और तमाम शिक्षा स्वभाषामें दी जायेगी।

स्पष्टीकरण: दूसरी भाषाएँ सिखाते समय वे ही भाषाएँ काममें लाना अनुचित नही माना जाएगा।

७. विद्यापीठमें राष्ट्रभाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानीका आवश्यक स्थान रहेगा।

टिप्पणी: हिन्दी-हिन्दुस्तानी वह भाषा है जिसे उत्तरके साधारण हिन्दू-मुसलमान बोलते है और जो नागरी या फारसी लिपिमें लिखी जाती है।

८. विद्यापीठमें औद्योगिक शिक्षाको बौद्धिक शिक्षाके बराबर ही महत्व दिया जायेगा और जो-जो उद्योग राष्ट्रके लिए पोषक है, उन्हीको स्थान दिया जायेगा, औरोंको नहीं।

९. भारतवर्षका उत्कर्ष शहरोपर नही बल्कि गाँवोपर निर्भर है, इसलिए विद्यापीठके ज्यादातर धन और शिक्षकोंका उपयोग खास तौरपर गाँवोंमें राष्ट्र-पोषक शिक्षाका प्रचार करनेमें ही किया जायेगा।

१०. शिक्षाका क्रम तैयार करते समय देहातियोकी जरूरतोंको प्रधानता दी जायेगी।

११. विद्यापीठके मातहत चलनेवाली संस्थाओंमें सभी मौजूदा धर्मोंके प्रति पूरा आदर होना चाहिए और विद्यार्थियोंके आत्म-विकासके लिए धर्मका ज्ञान अहिंसा और सत्यको ध्यानमें रखकर दिया जाना चाहिए।

१२. प्रजाके शारीरिक विकासके लिए व्यायाम और शारीरिक मेहनतकी तालीम विद्यापीठमें जरूरी समझी जायेगी।

यह प्रस्ताव पास करके व्यवस्थापक लोग अपनी जिम्मेदारीसे मुक्त नहीं हो जाते। मगर जैसे उन्होंने अपने हाथसे अधिकार छोड़कर जिम्मेदारी दिखाई है, वैसे ही यह उम्मीद रखी जा सकती है कि वे बाहर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी ज्यादा समझेंगे। डूबते हुए जहाजका अधिकार विश्वसनीय खलासियोको सौंपते वक्त मालिक सच्ची जिम्मेदारीसे हाथ नहीं धोते, मगर वे अपने खलासी नौकरोंके मातहत काम करनेमें अपनेको धन्य समझते हैं और अपनी मिल्कियतको बचानेकी बुद्धिमानी करते हैं। यही हालत व्यवस्थापक-समितिके सदस्योंकी होनी चाहिए।

व्यवस्थापकोंकी नैतिक जिम्मेदारी स्थूल जिम्मेदारी छोड़नेमें जितनी बढ़ी है, मण्डलकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढी है। संस्थाके इस संक्रान्तिकालमें ऐसे ही मण्डलको इस संस्थाका अधिकार लेना चाहिए, जिसे विद्यापीठकी मौजूदा हालतको सुधारनेकी आशा हो। मण्डलमें एक भी सदस्य या सदस्याको नामके लिए नही रखा गया, बल्कि सिर्फ काम और कामकी ही आशासे रखा गया है। उन्हें सतत जाग्रत रहना है।

ध्येयोंकी देह और आत्माको मरते दम तक बनाये रखनेमें इस मण्डलकी सेवा और उसका मूल्य निहित है। जो ध्येयोंके बारेमें प्रतिज्ञा लें, वे ही मण्डलमें रहें, ऐसा नियम होनेके कारण सदस्य ध्येयोंको माननेवाले तो होने ही चाहिए। उनके ध्येयोंको बारीकीके साथ पालन करनेमें ही विद्यापीठकी वृद्धि है। उन्हें अपनेपर भरोसा होगा तो उसका संस्पर्श विद्यार्थियोंको भी होगा और विद्यार्थियों तक फैला हुआ संस्पर्श जनतामें फैले बिना रह ही नहीं सकता।

ध्येयोंको ध्यानसे पढनेवाले देखेंगे कि सरकारी और असहयोगी विद्यालयोंके बीच कहीं भी मुकाबला नहीं हो सकता। सरकारी छायामें रहनेवाली पाठशाला जिन पुस्तकोंका एक उपयोग करेगी, उन्ही पुस्तकोका असहयोगी पाठशाला दूसरा करेगी। यह लिखते वक्त भी महाविद्यालयके विद्यार्थी मेरे इस कथनके पदार्थपाठके रूपमें उपस्थित हैं।

मगर असहयोग, अहिंसा और सत्यमें से जो ध्येय निकलते है, उनपर जरा विचार कर लें। अस्पृश्यताका निरपवाद बहिष्कार, चरखा-यज्ञ, स्वभाषाके जरिये ही शिक्षा और हिन्दी-हिन्दुस्तानी तथा उद्योगकी शिक्षाको लाजिमी स्थान — ये सब विशेषताएँ हैं। राष्ट्रीय विद्यापीठके लिए ये चीजें नई नहीं हैं, पर इन्हें इस प्रस्तावमें रखनेके दो अर्थ है। एक तो यह कि उनके पालनमें जो-कुछ ढिलाई रहा करती थी, वह अब बर्दाश्त नही की जायेगी, उसके बारेमें समझौता नहीं होगा। दूसरा अर्थ यह है कि प्रस्तावमें उसे साफ तौर पर रखकर व्यवस्थापकोने उन ध्येयों पर अपना विश्वास स्पष्ट रीतिसे प्रकट कर दिया है। उतने ही महत्वका ध्येय ग्राम-शिक्षाका

है। दूसरी शिक्षासे उसपर ज्यादा खर्च करना है, उसे प्रधानता देनी है। इस चीज पर आज तक नहींके बराबर अमल हुआ है। अब मण्डलको यह हालत जल्दी बदलनी है।

मैं यह मान लेता हूँ कि इस प्रस्तावसे शहरोके राष्ट्रीय विद्यालयोमें पढनेवाले विद्यार्थी भी अपना धर्म समझ जायेंगे। जो आशाएँ सरकारी स्कूलोमें जानेवाले विद्यार्थी रख सकते है, वे आशाएँ राष्ट्रीय विद्यापीठोमें पढनेवालोंके लिए त्याज्य है। सरकारी पाठशालाओमें बढियासे-बढिया तालीम पानेवाले सरकारी नौकरी करनेमें अभिमान समझते है, सरकारके दीवानी या फौजी महकमेमें बडा ओहदा पानेकी उम्मीद रखते है। सरकारी स्कूलोंके मार्फत सरकार हर साल अपनी जरूरतसे बहुत ज्यादा नौकर तैयार कर लेती है। राष्ट्रीय विद्यापीठमें पढ़नेवाले विद्यार्थियोको यदि उसके प्रति गर्व हो, तो उनका पहला लक्ष्य राष्ट्रीय कामोंमें पड़कर गुजर करना होगा। इन कामोकी अनिश्चिततामें ही वे निश्चितता देखेंगे। वे यह मानेंगे कि उनके इन प्रवृत्तियोंमें पड़नेसे वे जरूर निश्चित हो जायेंगी। उन्हें लालच वेतनका न होकर सेवाका होगा। राष्ट्रीय प्रवृत्तिमें उन्हे गुजारे भरको मिल जायेगा, तो उसीमें वे सन्तोष कर लेंगे और दूसरी किसी भी जगह ज्यादा वेतनका प्रलोभन होगा तो उसे छोड़ देंगे। आज यह हालत नही है; इसे सुधारना नये मण्डलके और विद्यार्थियोके हाथमें है। अछूतोकी सेवा, मजदूरोकी सेवा, खादी-सेवा वगैरा व्यापक और रचनात्मक कामोमें राष्ट्रीय विद्यापीठोंके ही विद्यार्थी होने चाहिए। उनमें कितने ही लगे हुए भी है, पर और बहुतोकी जरूरत है। इस कमीको पूरा करनेमें मण्डलकी कार्यदक्षता और कर्त्तव्य-परायणता निहित है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ५-२-१९२८

५. अपील : बम्बईकी जनतासे

मैं आशा करता हूँ कि बहिष्कार[1] शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो जायेगा और राष्ट्रके दृढ संकल्पको व्यक्त करेगा।

गांधी

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ३-२-१९२८

१. साइमन कमीशनका, जिसकी नियुक्ति शासन प्रणालीकी जाँच-पड़ताल करनेके लिए की गई थी देखिए "हड़तालके बाद?", ९-२-१९२८।

६. सन्देश : अहमदाबादकी सार्वजनिक सभाको[1]

३ फरवरी, १९२८

मैं आशा करता हूँ कि यह सभा कोई निश्चित कार्य करनेका निश्चय किये विना नहीं उठेगी। कांग्रेस कमेटीने हमें इस तरह का काम सौंपा है। यदि हम विदेशी कपड़ेका बहिष्कार जैसा निश्चित काम भी नहीं कर पायेंगे तो हमारी हँसी होगी।

[गुजरातीसे]
प्रजाबन्धु, ५-२-१९२८

७. पत्र : रामेश्वरदास पोद्दारको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
महा शुदी १४ [४ फरवरी, १९२८][2]

भाई रामेश्वरजी,

तुमारे पत्र आते हि रहे है और हर लखतमें तुमारे लीये शांतिकी याचना कर लेता हुं।

हकीमजीके स्मरणार्थ पैसे भेजे अच्छा कीया।

धीरे धीरे प्रयत्नसे सत्य और अहिंसाका दर्शन होता जायगा। श्वसुर भंगी है तो उस पर दया रखना और मौका मीलनेसे उनको बूरी आदतोंसे छुड़वानेकी कोशीश करना। आजकलकी परिस्थि[ति] में जब बालविवाह इ०की बूरी चाल चल रही है ऐसे अयोग्य संबंधोंका बनना अनिवार्य है।

वर्धा जानेकी जमनालालजीकी राय बिलकुल ठीक है और बाबुको वर्धा आश्रममें रखनेकी बात भी मुझे प्रिय है।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० १९३ की फोटो-नकलसे।

१. इस सभाका आयोजन साइमन कमीशनके प्रति विरोध व्यक्त करनेके लिए तथा बनारसमें सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा पास किये प्रस्तावका समर्थन करनेके लिए किया गया था। सन्देश वल्लभभाईने पढ़कर सुनाया था।

२. हकीम अजमलखांके स्मारकके उल्लेखसे। हकीम अजमलखांकी मृत्यु दिसम्बर, १९२७में हुई थी।

८. पत्र : रेवाशंकर झवेरीको

अहमदाबाद
सोमवार [६ फरवरी, १९२८][1]

आदरणीय रेवाशंकर भाई,

परसों चि० छगन[2] वगैरा आये थे। मोरबीके ठाकुर साहबसे काफी बातें हुई। उन्होने खादीके लिए काममें आनेवाली कपास परसे चुंगी हटा लेनेका वचन दिया है। गोरक्षाके लिए भी मुझसे कोई कार्यकर्त्ता माँगा है। आपकी बात भी हुई। आप मोरबीमें रहकर ठाकुर साहबकी सहायतासे यह सब काम करें, ऐसा उन्होंने कहा है। मै तो यह मानता हूँ कि आप थोड़े बहुत समय वहाँ रहें तो अच्छा हो। मीरा बहनने जो बताया उस से ऐसा जान पड़ता है कि अब आपकी तबियत ठीक रहती है। धीरूकी[3] क्या खबर है?

मोहनदासके प्रणाम

रेवाशंकर जगजीवन झवेरी
मणी भवन
लैबर्नम रोड
गामदेवी, बम्बई

गुजराती (जी० एन० १२६७) की फोटो-नकलसे।

९. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

आश्रम
७ फरवरी, १९२८

प्रिय घनश्यामदासजी,

आपका पत्र मिलनेसे चिंता तो अवश्य होती है। दवासे तो थकान लगना हि चाहिये। मेरी दीष्टिमें प्रथम उपाय तो संपूर्ण उपवास हि है। मुझको इसका कोई डर नही है। उपवाससे नुकसान हो ही नही सकता है और उपवास एक दो दिनका नही किंतु १०–१५ दिनका होना चाहिये। यदि उपवास करनाहि है तो आपको यहा रहना चाहिये। उपवासका शास्त्र जाननेवाले एक दो सज्जन है उनको बुला सकते

१. डाककी मुहरसे।
२. छगनलाल मेहता; डा० प्राणजीवन मेहताके पुत्र।
३. छगनलाल मेहताका पुत्र; वह क्षय रोगसे पीड़ित था।

हैं। रहनेका प्रबन्ध तो है हि है। आजकल यहांकी आबोहवा अच्छी है। अगर उप-वास-शास्त्रज्ञको पिलानीमें बुलाना चाहते हैं तो भी प्रबंध हो सकता है।

मेरा दृढ विश्वास है कि आपको दिल्ली हरगीज़ जाना नहीं चाहिये। पूज्य मालवीयजी और लालाजीको मैं आज ही लिख भेजता हुं। हकीमजी अजमलखांके बारेमें जो स्मारकके लिये मैंने 'यं० इं०' और 'न० जी० में प्रार्थना' निकाली है उसके लिये मै आपसे और आपके मित्रोंसे द्रव्य चाहता हूँ। यदि आप अधिक न देना न चाहें और आप अगर संमति दे दें तो आपने ७५००० दिया है उसीमें से बड़ी रकम निकाल दूं। आपका नाम देना न देना आपपर छोड दू। यदि उसमें से कुछ देनेका दिल न चाहे तो बगैर संकोच मुझको लिख भेजें।

मेरे स्वास्थ्यके लिये अखबारोंमें कुछ पढनेसे आप न डरें। ऐसी कोई बात चिंताजनक नहीं है। डाक्टर लोग अवश्य डराते हैं, परंतु उसका कुछ प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ता है[1]।

आपका,
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ६१५३ से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

१०. सन्देश : गुजरात विद्यापीठमें हुई सभाको[2]

७ फरवरी, १९२८

डाक्टरोंकी राय मानकर मैं आजकी सभामें नही आ सका हूँ। आचार्य कृपलानी जा रहे है; पर मेरा खयाल है कि वे वास्तवमें विद्यापीठसे जा नही रहे है, क्योंकि उनकी आत्मा तो यही रहेगी। अवसर आने पर वे यहाँ व्याख्यान देने अवश्य आयेंगे। आवश्यकता पड़ने पर वे इस नौकाको सँभालनेका वचन देकर जा रहे हैं। मैं जबसे दक्षिण आफ्रिकासे आया हूँ मेरा उनसे सम्बन्ध बना हुआ है। मै तो यही चाहता हूँ कि सभी उनकी त्यागवृत्ति, सादगी और कर्त्तव्यपरायणताका अनुकरण करें।

[गुजरातीसे]
प्रजाबन्धु, १२-२-१९२८

१. देखिए खण्ड ३५ पृष्ठ ४४९-५० और ४९४-५।
२. गांधीजीकी अनुपस्थितिमें अम्बालाल साराभाईने सभाकी अध्यक्षताकी थी और यह सन्देश पढ़ा था।

११. पत्र : ना० र० मलकानीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
८ फरवरी, १९२८

प्रिय मलकानी,

तुम्हारा पत्र मिला। मै इस बातका खयाल रखूंगा कि 'यंग इंडिया' के अगले अंकमें तुम्हारी टिप्पणियाँ[1] छप जायें। जो अंक आज छप रहा है, उसके खयालसे तो वे काफी देरसे मिली थी।

यदि तुम अस्पृश्यता-निवारण-कार्यके लिए तैयार हो, तो मै भी तुम्हें उसमें लगानेको बिलकुल तैयार हूँ। तुम्हारा वहाँका काम खत्म होते ही हम इस कार्यकी योजनाओं और परिचालन-विधियोंके बारेमें बातचीत करेंगे।

मेरे स्वास्थ्यके बारेमें मिलनेवाली खबरोसे चिन्तित न होना। डाक्टरके परीक्षण-यन्त्र जरूर चिन्ताजनक अनुमान निकालते हैं, और इसीलिए मैं पूरी तरहसे आराम करनेको सहमत हो गया हूँ। इसलिए मुझे जितना पत्र-व्यवहार करनेकी इजाजत मिली है, सो मैं बोलकर लिखा देता हूँ। लेकिन खुद मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्यमें कोई खास खराबी नही है। इसमें सन्देह नही कि मै कमजोर हूँ, लेकिन यह तो पुरानी शिकायत है।

हृदयसे तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ८८२) की फोटो-नकलसे।

१२. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
८ फरवरी, १९२८

प्रिय चार्ली,

आशा है कि मेरे स्वास्थ्यकी खबरोंसे तुम घबरा नही गये होगे। जहाँतक मैं समझ सकता हूँ, उसमें न तब कुछ था और न अब कुछ है। फिर भी चूंकि डाक्टर खुद डरे हुए है, मैं सभी एहतियात बरत रहा हूँ और पूरा-पूरा आराम ले

१. देखिए "सिन्धमें बाढ़ सहायताका काम", १६-२-१९२८।

रहा हूँ। मैं केवल थोड़ा-सा पत्र-व्यवहार करता हूँ; और वह भी बोलकर लिखा देता हूँ।

मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि तुम्हें अभी श्रद्धानन्द लेखमाला[1] पूरी करनी है।

इस पत्रके साथ मैं कनिकराजके पत्रकी नकल भेज रहा हूँ। तुम इसका मतलब मेरी अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरहसे समझ सकोगे।

मैं आशा करता हूँ कि तुम छगनलालके साथ उड़ीसा जाओगे ताकि वह ठीक-ठीक जान समझ ले कि तुम उससे क्या काम चाहते हो।

आश्रममें सबको मेरा प्यार।

अंग्रेजी (एस० एन० १३०६५) की फोटो-नकलसे।

१३. पत्र : श्रीमती एल० सी० उन्नीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
८ फरवरी, १९२८

प्रिय बहन,

आपके दो पत्र मिले हैं और दोनोंको ही जवाब देनेके लिए मैंने अपने पास रख छोड़ा है। कालीकटमें आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई और आपके पत्र पाकर और यह जानकर कि मेरे लेखोंसे आपको कुछ थोड़ी-बहुत मदद मिली है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आप नियमित रूपसे सूत कात रही हैं, यह जानकर आनन्द हुआ। यह देखते हुए कि आप कताईका काम एक धार्मिक भावनासे कर रही हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने सूतकी मजबूती और बारीकीकी जाँच करना भी सीख लें। यदि आप 'यंग इंडिया'की पाठक है, तो आपको पिछले अंकोंमें इस सम्बन्धमें हिदायतें मिल जायेंगी। मैं यह भी चाहूँगा कि आप 'हाथ कताई' पर पुरस्कृत लेख[2] भी पढ़ लें।

यदि आप सुबह-सवेरेका समय कताईके लिए नियत कर सकें, तो मुझे कोई सन्देह नहीं कि उस समय आपको जो शान्ति और आनन्द इस काममें मिलेगा वह किसी और तरीकेसे मिलनेवाला नहीं है, बशर्ते कि निश्चय ही सबसे पहला काम सुबह यह किया जाये कि परमेश्वरकी उपासना द्वारा स्वयंको प्रकृतिस्थ बना लिया जाये। यह पूरे भरोसेके साथ अपने आपको माँकी गोदमें डाल देने जैसा है।

१. इसकी तीन किश्तें पहले ही २२-९-१९२७, २९-१२-१९२७ और ५-१-१९२८के यंग इंडियामें छप चुकी थीं।

२. एस० वी० पुणताम्बेकर और एन० एस० वरदाचारी द्वारा लिखा लेख हाथ कताई और हाथ बुनाई।

मैं आशा करता हूँ कि शाकाहार आपके स्वास्थ्यके अनुकूल पड़ रहा है। यदि न पड़ रहा हो, तो आप मुझे जरूर लिखिए कि आप क्या खा रही हैं। मैं शायद आपको कुछ निर्देश दे सकूँ।

हृदयसे आपका,

श्रीमती एल० सी० उन्नी
लक्ष्मी विलास, कालीकट

अंग्रेजी (एस० एन० १३०६६) की फोटो-नकलसे।

१४. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

८ फरवरी, १९२८

भाई घनश्यामदासजी,

आपका पत्र मिला। हजम होनेवाले कुछ तेलके पदार्थ बन सकते है। परन्तु दूर बैठकर यह प्रयोग नही हो सकता है। आज तो केवल उपवास ही आपके लिये अत्यावश्यक और अति उत्तम उपाय है। इस बारेमें मुझको कुछ संदेह नही है।

आपका,
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ६१५४ से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

१५. हड़तालके बाद ?

मै अब तक अपने आपको 'स्टेच्यूटरी कमीशन'के बहिष्कारके बारेमें प्रायः कुछ भी लिखनेसे बहुत सोच-समझकर और बहुत ही आत्म-संयमसे रोके हुए था। इलाहाबादके पत्र 'लीडर'ने मुझसे अपील की थी कि मै बहिष्कार आन्दोलनमें न पड़ूँ, उस सिलसिलेमें लोगों पर प्रभाव न डालूँ और विभिन्न दलवाले लोगोको आप ही उसे सँभालने दूँ। यह बात मेरी समझमें आ गई कि मेरे बीचमें पड़नेसे जनता आन्दोलनमें जरूर और जोर-शोरसे आगे आयेगी; और आन्दोलनके उन्नायक शायद इससे परेशानीमें पड जायें। मगर अब चूँकि हडतालका भारी प्रदर्शन खत्म हो गया है, मै समझता हूँ, मै कुछ कह सकता हूँ। मैं प्रबन्धकोंको हडतालके दिनकी[1] महान् सफलताके लिए बधाई देता हूँ। उदारदल, इंडिपेंडेंट दल, और कांग्रेसवालोको एक साथ

१. ३ फरवरी, १९२८।

एक ही मंच पर देखकर मेरी आत्माको सन्तोष हुआ। सरकारी कालेजके विद्यार्थियोंने राष्ट्रीय कार्यके लिए कालेजसे गैरहाजिर रहकर जो साहस दिखाया, उसकी सराहना किये बिना मैं नही रह सकता। सारे संसारमें राष्ट्रीय आन्दोलनोंको गढ़ने और आगे बढ़ानेमें विद्यार्थियोंका जबर्दस्त हाथ रहता है। अगर हिन्दुस्तानके विद्यार्थी उस दिशामें कुछ कम करते तो यह बहुत ही बुरी बात होती।

मैं अब इस बातकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर हड़तालके बाद यथेष्ट और अनवरत काम न होता रहे, तो हड़तालकी यही महान सफलता हमारे विरुद्ध दलील देते समय काममें लाई जायेगी। लॉर्ड सिन्हाकी इस भविष्य-वाणीको कि यह हड़ताल तो क्षणिक जोश था, हमें असत्य साबित करना ही पड़ेगा। हम यह भी याद रखें कि हमारे विरोधकी कुछ भी परवाह किये बिना कमीशन अपने ही रास्ते चलता जायेगा, क्योंकि उसके पीछे ब्रिटिश शस्त्र-बल है। जहाँ कहीं इसे सचमुच मान नही मिलेगा, वहाँ कृत्रिम रूपसे इसके लिए मान पैदा किया जायेगा। क्या अछूतोंके एक नाममात्रके मण्डलने कमीशनका अपने उद्धारकके रूपमें स्वागत नही किया था? मेरा दावा है कि अछूतोंके इस प्रतिनिधि मण्डलकी बनिस्बत मैं अछूतोंको अधिक जानता हूँ और मैं दावेके साथ यह कहनेका साहस करता हूँ कि यह मण्डल अछूतोंका प्रतिनिधित्व जापानियोंके किसी दलसे अधिक नही करता है।

इसलिए हमें अगर पूरी तरहसे बहिष्कार कराना है, तो जहाँ-जहाँ कमीशन आये, वहाँ-वहाँ बहिष्कार करानेके लिए और हो सके तो धरना देनेके लिए सभी दलोंका एक संयुक्त संगठन तो होना ही चाहिए; साथ ही वहाँ राष्ट्रकी शक्तिका कुछ और भी प्रदर्शन किया जाना चाहिए। चाहे मेरा कहना अरण्यरोदन हो, चाहे वह लाख बारकी दुहराई गई बात हो, परन्तु मैं कहता हूँ कि विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके सिवाय, देशके सामने और कोई ऐसा कार्यक्रम नही है जिस पर तत्काल और प्रभावशाली ढंगसे अमल कराया जा सकता है। मगर सभी बड़े-बड़े कामोंकी तरह इसके लिए भी योजना बनानेकी और संगठन करनेकी आवश्यकता है। इस दृष्टिसे, योग्य और ईमानदार स्त्री-पुरुषोंको केवल एक इसी काममें लगकर निरन्तर और सावधानीके साथ काम करना चाहिए। यह काम सहज नही है। अगर सहज हो तो इससे जितने बड़े-बड़े परिणामोंकी आशाकी जाती है, वे इससे न मिलें। इस काममें सफलता पानेके लिए, पहले राष्ट्रमें जो-कुछ सर्वश्रेष्ठ है उसे उभारना चाहिए। मगर हम यह भी साफ-साफ समझ लें कि अगर हम इस एक कामका संगठन नही कर सकते तो दूसरे किसी कामका भी नही कर सकते।

मैं अपनी स्थिति साफ कर दूं। मैं अब भी जब-तब कुछ लिखनेके सिवाय इस राष्ट्रीय आन्दोलनके विकासमें और कोई हस्तक्षेप नही करना चाहता। इसलिए यह लेख उन विभिन्न दलोंसे, जो राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षाके लिए मिलकर काम कर रहे है, नम्र अपीलके रूपमें ही लिखा गया है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ९-२-१९२८

१६. टिप्पणियाँ

दक्षिण आफ्रिकी संघ

यद्यपि परम माननीय श्रीनिवास शास्त्रीके साहसपूर्ण प्रयत्नोंसे दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले भारतीयोका सामाजिक दर्जा निःसन्देह ऊँचा उठा है और वहाँ स्वाभिमानी भारतीयोंका जीवन पहलेकी अपेक्षा कम दुर्वह हो गया है, फिर भी कभी-कभी उस उप-महादेशसे ऐसे पत्र आते रहते है जो बताते है कि अभी वहाँ और बहुत काम करना बाकी है, तब जाकर भारतीय प्रवासियोंको सामान्य नागरिक अधिकार मिलेगे और वे अपनी स्थिति सुरक्षित समझेंगे। अभी हालमें दक्षिण आफ्रिकी भारतीय कांग्रेसके नये उपप्रधान श्री अल्बर्ट क्रिस्टोफरका एक ऐसा ही दुःखजनक समुद्री तार मिला है। श्री क्रिस्टोफर बोअर युद्धमें और पिछले महायुद्धमें स्वयसेवकके रूपमें काम कर चुके है। वे दक्षिण आफ्रिकामें पैदा हुए है और इंग्लैंडमें अपनी पढ़ाई खत्म करके अभी लौटे है। उनका समुद्री तार इस प्रकार है:

> **प्रबल विरोधके बावजूद संसदमें मद्य-विधेयकका दूसरा वाचन चालू। विधेयकका उद्देश्य तीन हजार भारतीयों, उनके परिवारों और आश्रितोंको उनकी आजीविकासे वंचित करना और अन्तमें देशसे बाहर निकालना। विधेयक भाषा और भावनामें केपटाउन समझौतेके बिलकुल विरुद्ध। स्पष्ट प्रजातीय विधान। सरकारके रुखसे भारतीय बहुत भयभीत। यदि विधेयक स्वीकृत हुआ तो केपटाउन समझौता रद। आपसे तुरन्त हस्तक्षेप करनेका हार्दिक अनुरोध।**

दक्षिण आफ्रिकाके जाने-माने पत्र भी दक्षिण आफ्रिकी कांग्रेसकी इस रायसे सहमत है कि यह विधेयक गोलमेज परिषदके फलस्वरूप हुए समझौतेको भंग करता है। किन्तु यह बात निर्विवाद है कि यह उन लोगोंके भी विरुद्ध है जो होटलो और शराबखानों से इस समय ईमानदारीसे रोजी कमा रहे है। यदि संघ संसद इस विधेयक पर विचार जारी रखती है तो इसका अर्थ केवल यही होता है कि समझौतेमें अधिक सशक्त पक्ष होनेके बल पर सरकार जब चाहे तब इस समझौतेको बिना कोई जोखिम उठाये तोड़ सकती है। हमें आशा है कि श्री शास्त्रीके नम्रतापूर्ण दौत्यसे यह संकट टल जायेगा, इतना ही नही, बल्कि इससे संघ सरकार, संघ संसद और दक्षिण आफ्रिकाके गोरे लोगोंकी प्रतिष्ठाकी रक्षा, उनके न चाहने पर भी, हो सकेगी। किन्तु उन्हें भारतके समाचारपत्रों और भारतीय जनताके प्रबल समर्थनकी जरूरत है।

चीनका उदाहरण

एक मित्रने 'न्यूयार्क टाइम्स'से एक कतरन मुझे भेजी है जिसमें चीनके एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति श्री कु हुंगमिंगके साथ मुलाकातका ब्यौरा छपा है। उसमें श्री कु चीनी लोगोकी सांस्कृतिक महत्ता और विदेशियों द्वारा उसे घटाकर बतानेका जिक्र करते हुए और विदेशी व्यापारियोंके प्रवेशके बारेमें चर्चा करते हुए कहते हैं:

विदेशोंमें बहुत वर्ष बिताकर पहले-पहल जब मैं देश लौटा तब मैं भी ऐसा ही अनभिज्ञ था। पहले मुझे अपने आपको चीनी कहनेमें लाज लगती थी। किन्तु अब मुझे अपने पूर्वजोंका इतना अभिमान है कि मैं दर्पपूर्वक आप सभीको असभ्य समझता हूँ।

देखिए, हमारी सबसे बड़ी कठिनाई आर्थिक है। जैसे कि आप अमेरीकियोंने सोचा कि अगर बहुत चीनी मजदूर आ जायेंगे तो आपके उद्योग अव्यवस्थित हो जायेंगे और आपके रहन-सहनकी शैलीका स्तर गिर जायेगा। आपने तुरन्त कदम उठाया और चीनियोंका प्रवेश निषिद्ध कर दिया।

मगर चीनियों पर आपके विदेशी कल-कारखानों और उनके बने सस्ते मालका आक्रमण हुआ और उनसे हमारा सर्वनाश हो गया। इससे हमारे उद्योग उसी तरह नष्ट हो गये हैं जैसे कि लाखों चीनी मजदूरोंके अमेरिका जानेसे आपके हो जाते हैं।

जब मैं छोटा था, खुद हमारे घरोंमें भी स्त्रियाँ कातती और बुनती थीं। उस समय पूरी दस करोड़ चीनी स्त्रियाँ कातती और बुनती थीं। उसके बाद सस्ते विदेशी कपड़े आये और ये दस करोड़ औरतें बेकार हो गईं; इन्हें केवल मर्दोंकी ही कमाईपर गुजर करना पड़ रहा है। हम तो आपकी भाँति विदेशी मालका आना बन्द कर नहीं सकते, क्योंकि सन्धियोंके कारण हम मजबूर हैं। हमें तो चुंगी लगानेकी भी स्वतन्त्रता नहीं है।

अगर मैं चित्रकार होता तो मैं व्यंगचित्र बनाकर आपको यह दिखा देता कि मेरी समझमें इन बेमेल सुलहनामोंका रूप कैसा है।

कल्पना कीजिए कि कोई चीनी जमीनपर औंधे मुँह गिरा पड़ा है। कोई विदेशी उसपर खड़ा होकर, पैरोंसे उसे दबाये हुए है। विदेशी कहता है 'उठो, उठ खड़े होओ।' चीनी कहता है 'पहले अपना पैर तो हटाओ' इस-पर वह विदेशी और भी जोरोंसे दबाकर कहता है, 'नहीं, पहले तुम उठकर खड़े होओ।'

अजमल जामिया कोष

इन पृष्ठोंमें की गई अपीलके जवाबमें अब तक सिर्फ निम्नलिखित रकमें प्राप्त हुई हैं:—

सेठ जमनालाल बजाज	रु०	१०००–०–०
श्रीयुत रामेश्वरदास, धूलिया	,,	५१–०–०
,, प्यारे अली, बम्बई	,,	१००–०–०
	कुल:	११५१–०–०

इससे जाहिर होता है कि अभीतक अपीलकी प्रतिक्रिया बहुत कम हुई है। इन पृष्ठोमें की जानेवाली अपीलके फलस्वरूप अक्सर जो प्रतिक्रिया होती है, वह इस बातकी द्योतक होती है कि किसी आन्दोलन विशेषको जनता किस रूपमें स्वीकार करती है। जाहिर है कि दोनो जातियोंके तनावपूर्ण सम्बन्धोके कारण आम तौर पर पाठकों पर इसका असर नही हो पा रहा है। क्या मै आशा करूँ कि जहाँ कही भी ऐसे स्त्री-पुरुष है जो हिन्दू-मुस्लिम एकतामें विश्वास करते है, जो हकीमजीमें एक महान देशभक्तकी हैसियतसे आस्था रखते है और जामियाको समर्थन देनेकी आवश्यकता मानते है, वे न केवल खुद जल्दीसे चन्दा भेजेंगे बल्कि अपने मित्रो और पड़ोसियोसे भी वैसा करनेको कहेंगे? हर छोटी बड़ी चन्देकी रकमकी इन पृष्ठोमें प्राप्ति स्वीकार की जायेगी।

कर्नाटक और आन्ध्र देशके मित्रोंसे

पूछा जा रहा है कि क्या मैंने उक्त प्रान्तोंके प्रस्तावित दौरेका विचार बिलकुल छोड़ दिया है। उत्तरमें मै यह कह सकता हूँ कि यद्यपि मैंने श्रीयुत गंगाधरराव देशपाण्डे और देशभक्त कोडा वैंकटप्पैयाके दबावसे दौरा स्थगित कर दिया है, किन्तु फिर भी उसे सर्वथा छोड़ देनेका मेरा कोई विचार नही है। यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा और ईश्वरकी ऐसी इच्छा हुई तो मै वर्षा समाप्त होनेपर इस दौरेको आरम्भ करना चाहता हूँ। किन्तु ठीक यही होगा कि किसी खास मौसममें दौरा करनेकी आशा न बाँधी जाये। मेरा इतना आश्वासन काफी है कि मैं इन प्रान्तोंमें और शेष प्रान्तोंमें जल्दी ही दौरा करना चाहता हूँ, बशर्ते कि वह सम्भव हो जाये। तबतक जो लोग थैलियोंके लिए रुपया इकट्ठा कर चुके है वे उसे या तो मेरे पास या संगठन करनेवालोंके पास भेज दें।

पंजाबमें १८८५ में खादी

कोयम्बटूर निवासी श्रीयुत बालाजी राव विविध पुस्तकोंसे सामग्री इकट्ठी करके उसे समय-समय पर मेरे पास भेजते है। उनकी सामग्रीमें से मै नीचे दी गई मूल्यवान जानकारी उद्धृत करता हूँ। यह उद्धरण १८८५ में ई० बी० फ्रासिसके सूत और सूती कपड़ेके सम्बन्धमें लिखे गये निबन्धसे लिया गया है:[1]

अच्छे कार्यकर्तागण कत्तिनोको मिलनेवाली कम मजदूरीसे परेशान नही हुए। क्योकि जैसा लेखकने स्वयं कहा है, वे अपने अवकाशके समयमें कातती थीं और इससे उन्हें जो कुछ मिल जाता था वह उनकी अतिरिक्त कमाई होती थी। यदि अवस्थिति बदल गई है तो इसका कारण यह है कि लोगोकी रुचियाँ बिगड़ गई है और विदेशी कपड़ेको दबे-छिपे ढंगसे अप्रत्यक्ष संरक्षण देकर, उसे इस दु:खी देशके सिर पर लाद दिया जाता है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ९-२-१९२८

१. उद्धरण यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं।

१७. पत्र : मु० अ० अन्सारीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
११ फरवरी, १९२८

प्रिय डा० अन्सारी,

आप मेरी सेहतके बारेमें चिन्ता न करें। डॉक्टर तो लोगोंको डरा ही देते हैं। जो रक्तचाप पाया गया है, इस बार उससे मुझ पर कोई असर हुआ नहीं लगता। मैं काफी ठीक चल रहा हूँ। मुझमें चल फिर सकनेकी ताकत है और मैं सिर्फ इसलिए बिस्तर पर लेटा रहता हूँ कि डॉक्टर बाध्य करते हैं और कहते हैं कि रक्तचापके कुछ मामलोंमें एकाध बार बड़ा धोखा हो जाता है; कई बार तो वे खतरनाक सिद्ध होते हैं, खासकर उस समय जब खुद रोगीको ऐसा लगता है कि रक्तचापका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है।

यह पत्र मैं अजमल जामिया कोषके सिलसिलेमें लिखवा रहा हूँ। इस समय आप तमाम बड़े-बड़े लोगोंके बीचमें हैं; मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें किसी-न-किसी तरहसे राजी करें और उनसे [कोषमें] चन्दा, चाहें वह कितना ही क्यों न हो, दिलवायें। मुझे आशंका है कि बहुत कम लोग खुश होकर चन्दा देंगे या फिर प्रख्यात लोगोंके दे चुकने पर देना शुरू करेंगे। यदि मैं बिस्तर पर न पड़ जाता, तो देशके इस हिस्सेके लोगोंको इसके पक्षमें करनेकी काफी कोशिश करता। यों मैंने अभीतक यह काम कर सकनेकी आशा नहीं छोड़ी है। मुझे ऐसा विश्वास नहीं है कि चारों तरफ शिष्टमण्डल भेजे जानेकी आपकी योजना सफल होगी। मैं जानता हूँ, आपका सारा समय डॉक्टरी और कांग्रेसकी सीधी कार्यवाहियोंमें लगा हुआ है; अब आपसे और समय निकालनेको कहना क्रूरता होगी। फिर भी आपको इस कामके लिए समय तो निकालना ही है।

यदि आपने मेरा 'हड़तालके बाद'[1] शीर्षक लेख न पढ़ा हो तो कृपया उसे पढ़ लीजिए। अगर आप इस सार्वत्रिक और सम्भवनीय, विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारके कामको हाथमें नहीं लेते, तो स्टेच्यूटरी कमीशनके बहिष्कारसे जो शक्ति पैदा हुई है, बिलकुल व्यर्थ हो जायेगी। यदि साथ-साथ कोई ठोस कार्य न किया जाये तो हर निषेधात्मक कार्य अन्तमें निष्फल हो जाता है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३०६९) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए पृष्ठ १५।

१८. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
११ फरवरी, १९२८

प्रिय मोतीलालजी,

मैं फिर बिस्तर पर पड़ गया हूँ; और मैं समझता हूँ कि किसी दिन यह उतार-चढ़ाव ही अन्तिम प्रश्नका निर्णय कर देगा। रक्तचापके बारेमें इस बार विचित्र बात यह है कि मुझे खुद कुछ नही महसूस होता है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है, मैं डॉक्टरोंकी बात मान रहा हूँ।

आपका तार मिला। मुझे खेद है कि आपके फिरसे काममें जुटनेसे पहले हम मिल नही सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि यही होना था।

जवाहर मुझे बता रहा था कि आपका स्वास्थ्य भी कुछ बहुत ठीक नही चल रहा है। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि समुद्री यात्राके दौरान आप पूरी तरह स्वस्थ हो गये होंगे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३०७०) की फोटो-नकलसे।

१९. पत्र : ए० फेनर ब्रॉकवेको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
११ फरवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

सह-पत्रों सहित आपका पत्र मिला। मुझे पाल तथा अन्य लोगोंके जरिये आपके स्वास्थ्यकी प्रगतिके बारेमें बराबर खबर मिलती रहती है। लेकिन मुझे खुद आपका पत्र पाकर और यह जानकर बहुत ही खुशी हुई कि आप पूर्णतः स्वस्थ होनेकी दिशामें प्रगति कर रहे हैं और खुद लम्बे पत्र लिख सकते हैं।

हाँ, मद्रासकी हड़तालके दौरान हिंसाका होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। नियन्त्रणमें जरा-सी ढील होते ही हिंसा भड़क उठती है।

श्री रनहम ब्राउनका एक पत्र मुझे मिला था। मैंने जवाबमें यह लिखकर भेज दिया था कि आना सम्भव नही है। मुझे अब भी ऐसा लगता है कि भारतसे बाहरका मेरा काम भी भारतीय मंच परसे ही ज्यादा अच्छी तरह हो जाता है। इसके बारेमें यह कहा जा सकता है कि यह अभी प्रयोगकी स्थितिमें ही है और अभी

इसके सम्बन्धमें दृढ़ताके साथ कोई दावा नहीं किया जा सकता। यदि पूरे भरोसेके साथ निश्चित रूपसे कोई बात इसके बारेमें कही जा सके तो वह खुद शान्तिका एक बहुत ही अद्भुत वस्तुपाठ होगा। लेकिन मैं दोनों ही पत्रोंको विचार करनेके लिए रखे हुए हूँ। मैं यह भी देखूंगा कि रक्तचाप कैसा चलता है; और इस बीच यदि मेरी अन्तरात्माकी आवाजने जानेके पक्षमें कुछ प्रोत्साहित किया तो मैं हाँ कहनेमें संकोच नहीं करूँगा।

यूथ मूवमेंट निश्चय ही एक आकर्षण है।

मुझे श्रीमती ब्रॉकवेका पत्र पाकर खुशी हुई। मैं उन्हें सीधे ही लिख रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री ए० फेनर ब्रॉकवे
जनरल अस्पताल
मद्रास

अंग्रेजी (एस० एन० १४९४३) की फोटो-नकल से।

२०. पत्र : लीला ब्रॉकवेको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
११ फरवरी, १९२८

प्रिय बहन,

यह आपकी कृपा है जो आपने मुझे पत्र लिखा। मद्रासमें रहते हुए यदि मैं आपके पतिके पास जानेका समय न निकाल पाता, तो मैं स्वयं अपनेको कोसता। कांग्रेस अधिवेशनमें उन्हें अपने बीच न पाकर यहाँ हम सबको बड़ी ही निराशा हुई थी, लेकिन यह बड़ी खुशीकी बात हुई कि वे, और गाड़ीमें सफर कर रहे उनके साथी, बाल-बाल बच गये।

श्री ब्रॉकवेकी बहनने जब आपके समुद्री तारकी बात उन्हें बताई तो उनकी आँखें गीली हो गईं। यह देखकर मेरे दिलपर बहुत असर हुआ। मानवीय स्नेहकी ऐसी सहज अभिव्यक्तियाँ हमें ईश्वरके और करीब ले जाती हैं।

आप इन दिनों कभी भारत आनेका प्रयत्न जरूर करें। बोलकर लिखवाये गये इस पत्रके लिए आप क्षमा करेंगी, क्योंकि डाक्टरोंने मुझे लेटे रहनेकी सलाह दे रखी है।

हृदयसे आपका,

श्रीमती लीला ब्रॉकवे

अंग्रेजी (एस० एन० १४२३७) की फोटो-नकलसे।

२१. पत्र : हैरॉल्ड एफ० बिंगको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
११ फरवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

श्री फेनर ब्रॉकवेके जरिये मुझे आपका अत्यन्त प्रेमयुक्त हार्दिक निमन्त्रण मिला। कितना अच्छा होता कि मैं आपसे तुरन्त 'हाँ' कह सकता, लेकिन कुछ मूलभूत कठिनाइयाँ हैं जिनके बारेमें मैंने श्री ब्रॉकवेसे चर्चा की है। फिर भी मैं आपका निमन्त्रण अपने पास रखे ले रहा हूँ और अपने मनपर उसका पूरी तरहसे असर होने दूँगा; यदि मैं उसे स्वीकार करनेका कोई साफ रास्ता देख सका, तो मैं आपको इसके सम्बन्धमें फिर लिखूँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री हैरॉल्ड एफ० बिंग
ब्रिटिश फेडरेशन ऑफ यूथ
४२१, सेंटीनल हाउस
साउथैम्पटन रौं
लन्दन, डब्ल्यू० सी० १

अंग्रेजी (जी० एन० १०१५ और ३७७०) की फोटो-नकल से।

२२. बारडोली ताल्लुकाके प्रतिनिधियोंसे बातचीत[1]

[१२ फरवरी, १९२८से पूर्व]

कल्याणजीने बातचीत शुरू की और गांधीजीको बताया कि हमने लगभग सारे ताल्लुकेमें अपना काम कर लिया है। जहाँ तक संघर्षका सवाल है सारा ताल्लुका एकमत है, लेकिन हम पुराने लगानके ऊपरकी जो अतिरिक्त बढ़ोतरी है, उसको अदायगी करनेसे इनकार करना पसन्द करेंगे।

गांधीजी : मैं इसे ठीक तरहसे नहीं समझ पा रहा हूँ।

१. बारडोली ताल्लुकाके प्रतिनिधि सरदार वल्लभभाई पटेलके, जो बारडोली सत्याग्रहका नेतृत्व करने वाले थे, कहनेपर गांधीजीसे सलाह लेने गये थे।

कल्याणजी: २२ प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू की गई है। लोग कहते हैं कि वे पुराना लगान अदा करना चाहेंगे और इस २२ प्रतिशत बढ़ोतरीको देनेसे इनकार करेंगे।

यह तो बहुत ही जोखिमका काम है। फिर तो सरकार आपके ही पैसेकी मददसे आपसे संघर्ष करेगी और पल-भरमें बढ़ोतरी वसूल कर लेगी। जबतक बढ़ोतरी रद नहीं कर दी जाती, कोई लगान अदा नहीं किया जा सकता; आपको सरकारसे साफ कह देना चाहिए "लगानकी बढ़ोतरी रद घोषित कीजिए और तब फिर पुराना लगान जिसे देनेको हम तैयार हैं," वसूल कीजिए। क्या लोग ऐसा रुख अपनानेको राजी हैं?

मैं बारडोली या वालोड जैसी बड़ी जगहोंके बारेमें काफी निश्चित रूपसे नहीं कह सकता, क्योंकि इन जगहोंके बनिये स्वभावतः डरते हैं कि सरकार उनकी जमीनोंकी बेदखली करके कहीं उन्हें फिरसे उन रानीपरज लोगोंके नामपर न कर दे, जिनके हाथमें वे पहलेसे थीं। लेकिन अन्य गाँव काफी मजबूत हैं।

सो तो ठीक है। लेकिन क्या उनका हेतु न्यायोचित है और उनका मामला अकाट्य है?

निश्चय ही है। नरहरिभाईने अपने लेखोंमें यह बात दिखा दी है।

सो मैं नहीं जानता। मैंने वे लेख ध्यानसे नहीं पढ़े हैं। लेकिन याद रखिये कि आपको सारे देशको अपने साथ रखना है तो पहली शर्त यह है कि आपका हेतु बिलकुल न्यायोचित होना चाहिए। फिर एक चीज और भी है। हो सकता है कि लोग संघर्षके लिए तैयार हों। लेकिन क्या वे सत्याग्रहके परिणामोंको जानते हैं? मान लीजिए कि वल्लभभाई बाकीके आप सब लोगोंसे दूर हटा दिये जाते हैं, तब भी क्या सब लोग एक साथ मिलकर खड़े होंगे?

यह तो मैं जितना कह सकता हूँ, उससे कुछ ज्यादा हो जायेगा।

कुछ भी हो, आपको इसका निश्चय करना होगा। वल्लभभाई क्या कहते हैं?

श्रीयुत वल्लभभाई उसी वक्त पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि मैंने मामलेका अध्ययन किया है और मुझे कोई सन्देह नहीं कि हेतु न्यायोचित है।

गांधीजीने कहा कि ठीक है; फिर तो कुछ और सोचनेको नहीं है। गुजरात की विजय हो।

[अंग्रेजीसे]

द स्टोरी ऑफ बारडोली

२३. पत्र : रिचर्ड बी० ग्रेगको

आश्रम
साबरमती
१२ फरवरी, १९२८

प्रिय गोविन्द,

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला। मुझे खुशी है कि अब तुम्हें बहुत लम्बे समय तक पूना नही रहना होगा। मेरी सेहत सुधरती मालूम दे रही है; डाक्टरोंका ऐसा खयाल है। खुद मुझे तो लगता है कि मेरी सेहत गिरी ही नही है। हाँ मेरा वजन जरूर कम हो गया था, लेकिन वह तो मैंने जान-बूझ कर किया था। यह नही हो सकता था कि मैं फलो और मेवोंके आहार पर लौट जानेका कठिन प्रयोग करता और वजन भी न घटता। लेकिन अब मै वह प्रयोग बेहतर लोगोंके संरक्षणमें कर रहा हूँ और डाक्टर देखभाल कर रहे है। इसलिए यह थोड़ी-सी बीमारी शायद लाभदायक ही है; इसने मेरे लिये आराम करना लाजमी बना दिया है, जिसकी शायद मुझे जरूरत थी।

मैंने सिन्धमें कताईसे सम्बन्धित तारीखके संशोधनको समझ लिया है।

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजी (एस० एन० १३०७१) की फोटो-नकलसे।

२४. पत्र : श्रीमती हारकरको

आश्रम
साबरमती
१२ फरवरी, १९२८

प्रिय बहन,

आपका पत्र मिला। आश्रममें २०-३० रु० से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन यह बात सोच लेना ज्यादा जरूरी है कि आप आश्रमका रहन-सहन बर्दाश्त कर सकेंगी या नहीं। अब तक आप जिन सब चीजोंकी आदी रही है उन सबसे वह इतना अलग है कि आपके आश्रम जीवन अपनानेकी बात सोचकर मुझे घबराहट होती है और अब देशके इस हिस्सेमें सर्दीका मौसम लगभग बीत चुका है। यहाँ दोपहरके बाद तो गर्मी पड़ने ही लगी है और मुझे आशंका है कि आप साबरमतीकी गर्मी बर्दाश्त नही कर सकेंगी। कभी-कभी तापमान ११२, यहाँ तक कि ११५ तक जाता है। साबरमती भारतके सबसे ज्यादा गर्म स्थान जकोबाबादसे बहुत ज्यादा दूर

नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं उन आदर्शोंको क्यों प्रस्तुत नहीं करती, जिनको लेकर आश्रम चल रहा है? तब आश्रम आपको अपनी जाहिरा सीमाओंके बिना सुलभ हो जाता है और आप उन आदर्शोंमें जितना चाहें उतना जोड़ सकती हैं, या उनमें जितना चाहें उतना सुधार कर सकती हैं।

हृदयसे आपका,

श्रीमती ह्वारकर
३, सुनहरी बाग
नई दिल्ली

अंग्रेजी (एस० एन० १३०७२) की फोटो-नकलसे।

२५. पत्र : गिरधारीलालको

आश्रम
साबरमती
१२ फरवरी, १९२८

प्रिय लाला गिरधारीलाल,

आपका पत्र मुझे पढ़कर सुना दिया गया है। मेरे स्वास्थ्यके बारेमें कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। जबतक ईश्वर इस शरीरके जरिये कुछ काम कराना चाहता है तबतक शरीर सभी कठिनाइयों और कसौटियोंको सहकर भी बना रहेगा। मैं डाक्टरोंकी बात पूरी तरहसे मान रहा हूँ और पूरा आराम कर रहा हूँ। हालाँकि खुद मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं महसूस होती है। मैं जानता हूँ कि जब भी मैं चाहूँगा आप, आपके दूसरे कार्यक्रम चाहें कितने ही जरूरी क्यों न हों, आ जायेंगे। इस विचार मात्रसे कितनी राहत मिलती है कि मुझे मदद देनेको तत्पर मित्र मेरे पास मौजूद हैं। अभी फिलहाल तो मेरे पास परिचर्या करनेवाले काफी मित्र हैं। ऐसा लगता है डाक्टरोंका भी ऐसा खयाल है कि मैं बराबर स्वास्थ्य लाभकी दिशामें प्रगति कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३०७३) की फोटो-नकलसे।

२६. पत्र : रोमाँ रोलाँको

आश्रम
साबरमती
१४ फरवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

मीराने आपके अभी हालके पत्रका मेरे लिये अनुवाद कर दिया है।

आपके दु:खमें मेरी पूरी-पूरी हार्दिक संवेदना है, खासकर इसलिए कि वह दु:ख आपको एक पत्रसे पहुँचा है; जिससे आपको सन्देह हुआ है कि मेरा हृदय कठोर है। मैं जो भी कुछ करता और सोचता हूँ, उस सबमें मुझे सही पानेकी आपकी इच्छाकी मैं कद्र करता हूँ। वास्तवमें मैं आपका ठीक-ठीक साथ देना चाहता हूँ; लेकिन अगर मुझे आपकी हार्दिक मैत्री बरकरार रखनी है, तो मुझे अपने प्रति भी सच्चा होना ही चाहिए।

मैं पहले आपको यह बता दूं कि मेरे विचारोंसे साम्य रखते हुए भी मीराके पत्रसे उसके अपने विचार झलकते हैं। जहाँतक मैं मीराको जानता हूँ न उसका और न मेरा ही कोई विचार उन दोनों भले किसानोंके मूल्यांकनका था।[१] उनका कार्य निस्सन्देह एक वीरताका कार्य था। हमारे मनमें एक युद्ध-प्रतिरोधीकी वीरताकी बात थी; और आपने जो लिख भेजा था और मीराने उसकी जिस तरहसे व्याख्या की थी, उसमें मुझे उस विशेष प्रकारकी वीरता दिखाई नहीं पड़ सकी, जिसे एक युद्ध-प्रतिरोधी अपने निजी जीवनमें प्रदर्शित करता है। जोन ऑफ आर्क एक वीर महिला थीं। इसी तरह लियोनिडस और होरेशियस वीर थे। लेकिन इनमें से हर व्यक्तिकी वीरता भिन्न-भिन्न प्रकार की थी, और वह अपने-अपने क्षेत्रमें महान् और सराहनीय थी।

किसानोंके दिये हुए उत्तरोंमें मुझे युद्धके रूपमें युद्धके प्रति कोई निश्चित घृणा और युद्धका प्रतिरोध करते हुए कठिनसे-कठिन कष्ट सहनेका कोई संकल्प दिखलाई नही देता है। यदि मेरी याददाश्त ठीकसे मेरा साथ दे रही है तो ये किसान मित्र सीधे-सादे ग्राम्य-जीवनका प्रतिनिधित्व और संरक्षण करनेवाले वीर पुरुष हैं। ये वीर पुरुष सतत् प्रयत्नशील युद्ध-प्रतिरोधी किस्मके वीरोंसे कम महत्वके नहीं हैं। हम इस सारी वीरताको सँजोकर रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम

१. रोमाँ रोलाँने अपने ७ मार्चके जवाबमें लिखा था: "...सवायके उन दो किसानोंके बारेमें आप जो कुछ कहते हैं, मैं समझता हूँ। आपके तर्कोंको मानता हूँ, लेकिन साथ ही मैं यह मानता हूँ कि कमसे-कम यूरोपमें बहुत कम ऐसे स्त्री-पुरुष हैं जिनके लिए 'युद्ध-प्रतिरोध' की बात विचारोंके अन्य तत्वोंके साथ मिली-जुली न हो, क्योंकि लगभग हर विचार चाहे वह कितना ही तीव्र क्यों न हो, मानव मन में पूर्णतः शुद्ध नहीं होता।"

हर तरहकी वीरताका अलग-अलग प्रतिपादन एवं निरूपण करें तो हम वीरों और सत्यके हितकी अधिक सेवा करेंगे।

आपने जिज्ञासावश विगत युद्धमें मेरे हिस्सा लेनेका प्रश्न उठाया है।[१] यह एक उचित प्रश्न है। आपके प्रश्नकी पहलेसे ही कल्पना करके मैंने 'आत्मकथा' के अन्तिम अध्यायमें उसका जवाब दे दिया था। कृपया उसे ध्यानसे पढ़िए और आपको जब भी फुर्सत हो, मुझे बताइए कि आप उसमें प्रस्तुत तर्कके बारेमें क्या विचार रखते हैं।[२] मैं आपकी रायकी कद्र करूँगा।

आखिरमें यह कहूँगा कि मैं पूर्ण एवं निर्दोष जरूर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी सीमाएँ जानता-पहचानता हूँ और उन्हें दिन-ब-दिन और भी साफ तौरसे समझता जा रहा हूँ। कौन जाने कितनी जगहों पर मुझसे हृदयकी कठोरताका दोष हुआ होगा। यदि आपने मेरे लेखोंमें एकाधिक स्थानोंपर उदारताकी कमी देखी हो, तो इससे मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैं तो आपको केवल यही बता सकता हूँ कि गलतियाँ हुई हैं और मेरे प्रार्थनापूर्वक अन्यथा-प्रयत्नके बावजूद हुई हैं। मैं समझता हूँ कि पहलेके ईसाइयोंने शैतानको केवल एक बुरा तत्व बिना किसी कारणके ही नहीं माना था; बल्कि बुराईका साक्षात् अवतार माना था। वह जीवनके हर क्षेत्रमें हम पर हावी दिखाई देता है; मनुष्यका कर्तव्य है कि वह उसे शक्तिहीन बना दे।

मीराको लिखा गया आपका यह पत्र मेरे मनमें आपको सदेह देखनेकी और भी ज्यादा उत्सुकता जगाता है। यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा और यदि मेरी अन्तरात्माकी आवाजने यूरोप जानेकी प्रेरणा दी तो इस साल ऐसा कर सकनेकी थोड़ी आशा है। मैं दो निमन्त्रणों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा हूँ और आपसे मिलनेकी इच्छा शायद उन निमन्त्रणोंको स्वीकार कर लेनेके पक्षमें जल्दी निर्णय करा दे।

हृदयसे आपका,

रोमाँ रोलाँ

अंग्रेजी (एस० एन० १४९४२) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए 'आत्मकथा', भाग ४, अध्याय ३८।

२. इसके जवाबमें रोमाँ रोलाँने लिखा था, "यदि मैं आपसे यह कहूँ कि आपके विचारोंमें पैठ सकने और उनको सही मान सकनेकी पूरी ख्वाहिशके बावजूद मैं ऐसा कर ही नहीं सकता . . . तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा।"

२७. कसौटीपर

विद्यार्थियोको जैसा रौलट ऐक्टके आन्दोलनके जमानेमें अनुभव हुआ था, वैसा ही फिरसे हो रहा है। उन महत्वपूर्ण दिनोंमें एक विद्यार्थीने मुझे लिखा, चूँकि मुझे सरकारने विद्यालयसे निकाल दिया है, मेरा जी करता है कि मैं आत्माघात कर लूँ। अब दूसरा विद्यार्थी लिखता है:

> अमुक स्थानके विद्यार्थियोंने मातृभूमिकी पुकार सुनी और उसके आह्वानका अनुकूल उत्तर दिया। हमने तीन फरवरीको हड़तालकी थी। हमारे इस साहसिक कामके लिए हम सबपर दो-दो रुपयेका जुर्माना हुआ है। बेचारे गरीब विद्यार्थियोंको फीसकी माफी, आधी माफी और छात्रवृत्तियोंसे हाथ धोना पड़ रहा है। आप कृपा कर हमारे प्रधानाध्यापक श्री . . . को पत्र लिखें या 'यंग इंडिया' की मार्फत उन्हें सलाह दें। उन्हें बताइये कि हम लोग मुजरिम नहीं है। हमने कोई जुर्म नहीं किया है। आप उनसे कहिए कि हमने माताकी पुकार सुनी, उसे माना, यथाशक्ति उसे अपमानित होनेसे बचाया; उनसे कहिए कि हम कायर नहीं हैं। कृपया आप हमारी सहायता करनेको आगे आइए।

मै प्रधानाध्यापकको पत्र लिखनेकी सलाह पर अमल नही कर सकता? अगर उसे अपनी नौकरी नही गँवानी है, तो मै समझता हूँ कि उसे कुछ-न-कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। जब तक शिक्षा-संस्थाएँ सरकारकी छत्रछायामें हैं, सरकारके समर्थनमें उनका उपयोग किया ही जायेगा, किया भी जाना चाहिए; तथा जो विद्यार्थी या शिक्षक सरकार-विरोधी लोकप्रिय कामोका समर्थन करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें उसका मूल्य क्या चुकाना होगा और नौकरीसे अलग कर दिये जानेका खतरा मोल लेना होगा। देशभक्तिकी दृष्टिसे विद्यार्थियोने जनताके आन्दोलनमें शरीक होकर बहुत ही अच्छा और बहादुरीका काम किया। अगर वे देशकी पुकार पर ध्यान न देते तो, उनपर आधिक नही तो कमसे-कम देशप्रेमकी कमीका इल्जाम तो लगाया ही जाता। सरकारकी दृष्टिसे उन्होनें जरूर गलत काम किया और उसके क्रोध-भाजन बने। विद्यार्थी दुरंगी चाल नही चल सकते। अगर जनताके हितोंका समर्थन करना है तो उन्हें अपनी पढ़ाईको उस हितसे कम महत्वका मानना होगा और जब वह देशहितके आड़े आये, तब उसका त्याग करना पड़ेगा। मैंने यह १९२० में स्पष्ट देखा; और बादके अनुभवोने मेरे पहलेके इस विचारको और भी पक्का कर दिया है। विद्यार्थियोंके लिए निस्सन्देह सबसे निरापद और सम्मानजनक रास्ता तो यह है कि कुछ भी क्यों न हो सरकारी स्कूलों और कालेजोको छोड़ दिया जाये। इससे नीचेके दर्जेका रास्ता यह है कि जब कभी सरकार और जनतामें संघर्ष हो, वे अपने विद्यालयोसे निकाल बाहर कर दिये जानेके लिए तैयार रहें। दूसरी जगहोंकी तरह

वे सरकारके विरुद्ध संघर्षमें खुद नेता न बनें तो भी उन्हें कमसे-कम सच्चे और अटल अनुयायी तो जरूर ही बनना चाहिए। जिस बहादुरीसे उन्होंने राष्ट्रकी पुकार सुनी है, उसी बहादुरीसे वे उसके परिणाम भी झेलें। वे अपनेको जलील न बनायें, जिन स्कूलों और कालेजोंसे वे बाहर कर दिये गये हो, उन्हीमें फिर प्रवेश पानेकी कोशिश करके अपने स्वाभिमानको न कुचलें। अगर पहली ही परीक्षामें वे झुक गये तो उनकी यह बहादुरी बहादुरी न कहलाकर शेखी बघारना कहलायेगी।

मैंने सुना है कि हड़तालके कुछ दिनों पहले विद्यार्थियोंने विलायती कपड़े छोड़ दिये थे और बड़े पैमाने पर खादी अपनाना शुरू कर दिया था। उनके बारेमें यह कहनेका मौका नही आना चाहिए कि यह तो एक क्षणिक तमाशा था और बाहरी दबाव या आन्तरिक प्रलोभनके वश होकर उन्होंने खादीको भी उतनी ही जल्दी छोड़ दिया है, जितनी जल्दी विलायती कपड़ा छोड़ दिया था। मेरे निकट तो विदेशी कपड़ा इस देशके लिए विदेशी सरकार जैसा है। अच्छा होता कि इस. बातको सभी लोग स्वतः स्पष्ट मान लेते।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-२-१९२८

२८. मेरा स्वास्थ्य

मेरे स्वास्थ्यके कारण बहुतसे मित्रोंको चिन्तित होना पड़ता है, यह मेरे लिये बड़े ही दुःखकी बात है। अबतक महादेव देसाईको मेरे स्वास्थ्यके बारेमें जो चाहते थे मुझे दिखा लेनेके बाद लिखने दिया जाता था; क्योंकि जब कभी मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा है, चाहे उसमें कुछ खास बात हो या नही सफरके दरम्यान ही बिगड़ा है। उसका कारण अधिक थकानको ही माना जाता रहा है और चूंकि मेरी यात्राओंके दौरान मेरे स्वास्थ्यकी एक जिम्मेवारी मेरी देखभाल करनेवाले लोगोंकी होती थी, उन्हें इसलिए भी लिखने दिया जाता था। मगर परिस्थिति अब बदल गई है। इस समय मुझे सफर और महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कामोंसे फुरसत है। गुजरातकी केवल कुछ गतिविधियों, खासकर राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों, जिनके लिए शायद मैं ही विशेष रूपसे जवाबदेह हूँ, के ही पुनःसंगठनमें मैं भाग ले रहा हूँ और वह भी, जितना चाहता हूँ उतना ही। इसलिए आहार-सम्बन्धी जिन प्रयोगोंका शौक मुझे शुरूसे ही रहा है अब मैंने उन्हें करना जरूरी समझा और उन्हें करने लगा। मेरे लिये तो वे भी उतने ही महत्वके है जितने कि मेरे दूसरे वे बहुत महत्वपूर्ण काम, जिनमें मैं समय-समय पर मशगूल रहा हूँ। इस बार इन्हीं प्रयोगोंके दौरान स्वास्थ्य बिगड़ा है। डाक्टरोंके यन्त्रोंमें जो शंकाजनक बातें दिखलाई दी हैं, मेरे मनमे वैसी कोई बात नही आती। मगर मैंने डाक्टर मित्रोंकी यह बात मान ली है कि बहुधा रक्तचापके रोगीको कोई बुरे प्रभाव दिखाई नही पड़ते और वे शरीरमें छिपे तो

रहते ही है; इसलिए उनकी रोकथाम जरूर करनी चाहिए। मगर खुशीकी बात है कि इन डाक्टरी यन्त्रोने भी गत रविवारको स्वास्थ्यमें काफी प्रगति होनेका संकेत दिया है। सिस्टोलिक न्यूनतम २१८से घटकर १७८ हो गया है। और डायस्टोलिक ११० एम० एम०से बढ़कर ११८ एम० एम० पर पहुँच गया है। डाक्टर हरिभाई देसाई और उनके डाक्टर मित्रोंकी आज्ञानुसार मैं आराम भी ले रहा हूँ। और उनकी देखरेखमें अपने आहार सम्बन्धी प्रयोग भी करता जाता हूँ। डाक्टर मुथु भी, जिन्होने शायद आहारका विशेष अध्ययन किया है, कृपापूर्वक मुझे पत्र द्वारा सलाह देते रहते हैं।

यह सब जानकारी दे चुकनेपर मै अखबारोंके संवाददाताओंसे प्रार्थना करूँगा कि वे अपनी कलम रोकें और कृपया फिलहाल मुझे और मेरे स्वास्थ्यको भूल जायें। चिन्तित मित्रोंसे मै यह कहूँगा कि आप मेरे स्वास्थ्यके बारेमें चिन्ता न करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कि मुझे मर जानेकी कोई जल्दी नही है। इसलिए उन आदर्शोंके अनुकूल जिनपर मेरा शरीर न्यौछावर है, और जिन्हें मै शरीरसे भी अधिक कीमती समझता हूँ, मेरे लिये शरीरकी जो सार-सँभाल सम्भव होगी, रखूँगा। मित्रोंको निश्चित रूपसे यह मानना चाहिए कि यदि राष्ट्रके लिए इस शरीरका कोई उपयोग है तो केवल इसीलिए है कि बहुत वर्षोंसे इसे उन आदर्शोंकी धरोहरके रूपमें रखनेका प्रयत्न गम्भीरतापूर्वक किया गया है। भले ही मुझे कोई भाग्यवादी कहे किन्तु मेरा यह विश्वास है, और मैं मित्रोंको भी ऐसा ही विश्वास करनेको कहूँगा कि परमात्माकी इच्छाके बिना किसीका बाल भी बाँका नहीं हो सकता। जिस दिन उसे हमारे शरीरोंका कोई उपयोग नही बच रहता, उस दिन व्यक्तिका धन, प्रतिष्ठा, देशप्रेम, मित्रता इत्यादिके जरिए सम्भव सभी सार-सँभाल और उपचार आदि सभी एक तरफ धरे रह जाते हैं। इस विश्वासके मानी यह नही हैं कि देशके तमाम डाक्टर मित्र अत्यन्त उदारतापूर्वक मुझे जो सहायता देते है, उसका मै लाभ नही उठाना चाहता। मै प्रसन्नता और विश्वासके साथ वह सहायता स्वीकार करता हूँ। क्योंकि परमात्माने मुझे इस बातका कोई अन्दाज नही दिया है कि उसकी इच्छा क्या है, किन्तु दूसरे आवश्यक कर्त्तव्योंके साथ-साथ — जो कि मेरी समझमें मनुष्य मात्र पर लागू है — उसने मुझे शरीर-रक्षाका भी कर्त्तव्य सौंपा है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-२-१९२८

२९. सिन्धमें बाढ़ सहायताका काम

प्रो० ना० र० मलकानीने सिन्धके संकटके सम्बन्धमें, जो वास्तवमें गुजरातके संकटसे तनिक भी कम गम्भीर नहीं है, अपनी टिप्पणियोंकी जो पहली किस्त[1] भेजी है, उसे मैं यहाँ सहर्ष प्रकाशित कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, गुजरातकी ओर सबसे ज्यादा लोगोंका ध्यान केवल इसी कारण नहीं गया कि वहाँ बहुत बड़ी संख्यामें दानी लोग रहते हैं, बल्कि इसलिए भी गया कि वहाँ सरदार वल्लभभाई पटेलके नेतृत्वमें कार्यकर्त्ताओंकी एक सेना राहत कार्यको हाथमें लेने और व्यवस्थित ढंगसे करनेके लिए तत्पर और कृतसंकल्प थी। सिन्धको उड़ीसासे कम कष्ट नहीं उठाना पड़ा; क्योंकि सिन्धमें भी ऐसा कोई संगठन खड़ा नहीं किया जा सका। किन्तु जो कष्ट दूर किया जा सकता है उसे दूर करनेमें संगठनकी कमीका बहाना नहीं चल सकता। जनताको जानना चाहिए कि प्रो० मलकानी स्वयं केन्द्रीय समितिकी देखरेखमें सहायता पहुँचानेका प्रबन्ध कर रहे हैं। मुझे आशा है कि केन्द्रीय समिति, उन्हें जितनी भी सहायताकी जरूरत होगी, दे रही होगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-२-१९२८

३०. चिट्ठी-पत्री

पूर्वोक्त पत्रको[2] मैं और नहीं तो केवल इसीलिए प्रकाशित किये बिना नहीं रह सकता कि उसमें एक सूक्ष्म वाक्चातुर्य और व्यंग्य है। मेरा दावा है कि मैं एक सनातनी हिन्दू हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे इस दावेका अक्सर खण्डन किया गया है, इसके बावजूद यह मेरे लिए दुर्भाग्यकी बात है कि "हिन्दुत्त्व पर कलंक" शब्द-प्रयोग का दायित्व मेरे ऊपर है। ईसाई धर्मकी शिक्षाकी भावनाके विपरीत होनेके बावजूद भी यदि युद्धकी प्रथा ईसाई समाजके लिए इस कारणसे कलंक कही जा सकती है, क्योंकि ईसाई देशोंमें युद्ध आम चीज है, तो बहुतसे हिन्दुओंके इस तर्कके बावजूद कि सच्चे हिन्दू धर्ममें अस्पृश्यताके लिए कोई स्थान नहीं है, अस्पृश्यता हिन्दुत्वके लिए कलंक मानी जा सकती है। यदि इस 'कलंक' शब्दके प्रयोगसे कुछ हिन्दुओंको दुःख होता है तो यह शुभ लक्षण है। जब इससे अधिकांश हिन्दुओंको दुःख होने

१. यहाँ नहीं दी जा रही है।

२. एस० डी० नादकर्णीका ९ फरवरीका पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखकने 'हिन्दुत्व पर कलंक' शब्दोंपर आपत्तिकी थी जिनका प्रयोग गुजरात विद्यापीठके पुनर्संगठनके एक प्रस्तावमें अस्पृश्यता के सिलसिलेमें हुआ था। उन्होंने सुझाव दिया था कि उसे 'मानवताका कलंक' कहा जा सकता था या बिलकुल हटाया जा सकता था।

लगेगा और वे इस आरोपका खण्डन करने लगेंगे, तब इस शब्द-प्रयोगको दोहरानेका कोई अवसर नही आयेगा। और यदि यह एक कलंक है तो जो मुसलमान हिन्दू धर्मकी सच्चाई और पवित्रतामें विश्वास करता है वह अपने साथी हिन्दू सदस्योकी ही तरह यह क्यो नही मान सकता कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मके लिए कलंक है?

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया १६-२-१९२८

३१. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

आश्रम
साबरमती
१८ फरवरी, १९२८

प्रिय च० रा०,

केलप्पनका पत्र साथ भेज रहा हूँ। मैंने उससे अपनी योजनापर आपसे बातचीत करनेको कहा है। आप जो कुछ भी सम्भव समझते हों वही किया जाये। कोषकी रकम चुक जानेके डरसे कुछ राशि देनेकी स्वीकृति प्रदान करनेसे न झिझकें। मैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ कि जो-कुछ भी किया जाये वह ठोस और सच्चा हो।

आशा है कि मेरे स्वास्थ्यके बारेमें अब आप चिन्ता नही कर रहे होंगे। मैंने अभीतक दूधके सम्बन्धमें कोई व्रत नही लिया है और जबतक मुझे अपने प्रयोगके बिलकुल सफल होनेकी आशा नही बँधती, तबतक मैं कुछ नही करूँगा। केवल मैं ही नही अहमदाबादके डाक्टर भी सावधानीसे मेरी देखरेख कर रहे हैं। वे जिस समय भी चाहें प्रयोगका निषेध कर सकते हैं; मैंने उनके कहनेपर प्रयोगको समाप्त कर देनेका वायदा भी दे रखा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप किसी तरह मुझे विचलित करने और दूध पीनेको राजी करनेकी बात सोचनेके बजाय ऐसे डाक्टर या चिकित्सक खोजनेकी बात सोचें जो मुझे अपने लिये उपयुक्त और शुद्ध एक ऐसे शाकाहारको तय कर लेनेमें मदद दे जो दूधकी केवल कमी ही पूरी न करे बल्कि उससे भी अधिक पौष्टिक हो। मुझे विश्वास है कि ऐसा हो तो अवश्य सकता है। इसलिए कृपया मेरे सुझावपर विचार कीजियेगा।

क्या सिंगापुरके मित्रोने आपको कुछ लिखा है। यदि हमें जाना है, तो मैं अप्रैलके प्रथम सप्ताहमें रवाना होना चाहूँगा, क्योंकि अहमदाबादमें अप्रैलमें गर्मीका मौसम पूरे जोरसे शुरू हो जाता है; उससे बच जाना बेहतर होगा। फिर सिंगापुरसे बर्माके दौरेकी भी बात है। मैं इसके बारेमें बातचीत करना चाहूँगा। अगर वहाँ भी जाना हो, तो बहुत कम समय रह गया है। इसके सिवा यूरोपसे भी दो निमन्त्रण वहाँ जुलाई और अगस्तमें जानेके लिए आये हैं।[1] मै उन्हें स्वीकार करनेकी सोच रहा हूँ। मेरे मनमें इसपर विचार चल रहा है। उनमें से एक निमन्त्रण तो 'वर्ल्ड

१. देखिए "पत्र: ए० फेनर ब्रॉकवेको", ११-२-१९२८।

यूथ पीस' आन्दोलनका है। यह एक अच्छी संस्था द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण आन्दोलन प्रतीत होता है। आप भी इन निमन्त्रणोंके स्वीकार करनेके औचित्यपर विचार कर सकते हैं।

लक्ष्मीको फिरसे बीमार नहीं ही पड़ना चाहिए।

अंग्रेजी (एस० एन० १३०६३) की फोटो-नकलसे।

३२. पत्र: एलमर मॉडको

आश्रम
साबरमती
१८ फरवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। टॉल्स्टॉयकी कृतियोंको भारतमें लोकप्रिय बनानेके लिए जो-कुछ भी मैं कर सकता हूँ, करनेमें सौभाग्य मानूँगा। आशा है कि 'यंग इंडिया'के पृष्ठोंमें शीघ्र ही आपके पत्रपर टिप्पणी दूँगा।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

एम० एलमर मॉड
अवैतनिक संगठन मन्त्री
टॉल्स्टॉय सोसाइटी
चेम्सफोर्ड (इंग्लैंड)

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४५१४) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: एलमर मॉड

३३. पत्र: एस्थर मेननको

आश्रम
साबरमती
१८ फरवरी, १९२८

रानी बिटिया,

तुम्हारे दो पत्र मुझे एक ही लिफाफेमें मिले। मुझे ऐसा लगता तो जरूर था कि तुम मुझे बिलकुल ही भूल गई हो; फिर भी मैं जानता था कि ऐसा नहीं हो

१. देखिए "टॉल्स्टॉय-शताब्दी", १-३-१९२८।

सकता। . . .[1] को जब मैंने मद्रासमें देखा, वह स्वस्थ दिख रही थी और उसने मुझे तुम्हारे बारेमें सब-कुछ बताया।

तुमने मेरा स्वास्थ्य फिरसे बिगड़नेकी बात जरूर सुनी होगी। अब मुझे कड़ी हिदायत है कि कोई ऐसा भारी काम न करूँ, जिससे शरीरपर या मनपर बोझ पड़ता हो। इसलिए चरखा कातनेके अलावा मैं लेटा ही रहता हूँ। यह पत्र मैं कातते हुए बोलकर लिखवा रहा हूँ। लेकिन चिन्ताका कोई कारण नहीं है। मेरा स्वास्थ्य बेहतर होता जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही मुझे घूमने-फिरनेकी इजाजत मिल जायेगी।

हाँ, आश्रम वैसा ही चल रहा है जैसा तुमने उसे चलते देखा है। इसकी आबादी दिन-ब-दिन बढ़ रही है और आश्रममें रहनेवाले सभी लोगोंको रखनेके लिए हमारे पास घर बहुत कम पड़ गये हैं।

मैं 'यंग इंडिया' की एक निःशुल्क प्रति तुम्हारे पतेपर भिजवानेके लिए कह रहा हूँ, और मैं यह भी प्रबन्ध करूँगा कि जितने भी पिछले अंक भेजे जा सकते हों, भेजे जायें।

मुझे इस बातकी बड़ी खुशी है कि तुम सबका स्वास्थ्य खूब अच्छा है। मेनन इंग्लैंडमें क्या कर रहा है? उसे मेरा प्यार कहना। जब . . .[2] जिसके बारेमें तुम जानती हो आजकल वह आश्रममें है। दिल्लीसे वापसीमें वह कुछ दिन यहाँ बिताने आई है। वहाँ वह एक महिला-परिषदमें भाग लेने गई थी। मीराबाई यहाँ है और सचमुच उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रह रहा है।

सस्नेह,

बापू

श्रीमती एस्थर मेनन
१४ एसिल्वी
टारोक, डेन्मार्क

अंग्रेजी (एस० एन० १४२४१) की फोटो-नकलसे।

१ और २. यहाँ मूलमें कुछ कटा-फटा है।

३४. पत्र : वायलेटको

आश्रम
सावरमती
१८ फरवरी, १९२८

प्रिय वायलेट,

आपका पत्र मिला। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इतने खुले मनसे सब बातें विस्तारसे लिखी हैं। यद्यपि इन्दौरके भूतपूर्व महाराजाका यह प्रस्तावित विवाह बुरा है, मैं चाहूँगा कि आप उस विवाहमें और साइमन कमीशनमें जो फर्क है, उसको समझें। साइमन कमीशन एक सार्वजनिक चीज है, जबकि विवाह एक व्यक्तिगत मामला है। एक विवाहका भारतके करोड़ों लोगोंपर असर नहीं पड़ सकता, लेकिन साइमन कमीशनके कामोंका समस्त भारतके भविष्यको बेहतर या बदतर बनानेमें हाथ रहना है। अब आप साइमन कमीशनपर जनताका क्षोभ समझ सकती हैं। किसी अंग्रेज या श्वेत व्यक्तिके बुरे कामोंके बारेमें कोई कुछ नहीं सोचता है। लेकिन जब कोई अंग्रेज अधिकारीकी हैसियतसे कोई गलत काम करता है तो उसपर तत्काल विरोध व्यक्त किया जाता है और वैसा करना बहुत कुछ ठीक भी है।

आपने मुझसे पूछा है कि अगर एक लाख रुपये की खादी लंकाके लोग ले लें, तो क्या आप फिर लंका आयेंगे। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि लंकाके उदार लोग एक लाख रुपयेसे भी ज्यादाकी खादी ले सकते हैं, क्योंकि वह तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन लंका आनेके लिए जो चीज मुझे प्रलोभन दे सकेगी वह खादीके लिए दिया गया अतिरिक्त दान होगा। खादी खरीदना, हालाँकि वह भी महत्वका काम है, तो मात्र पैसा देकर बदलेमें कुछ लेना है और खादीके लिए दान देनेसे मैं खादीके कामका दायरा गरीबसे-गरीब लोगोंमें भी और बढ़ा सकता हूँ।

हृदयसे आपका,

श्रीमती वायलेट
द्वारा श्रीमती लिली मुथुकृष्णा
कासा-डेल-मार, एलेक्जैंड्रया रोड
वेलेवेट

अंग्रेजी (एस० एन० १३०७५) की फोटो-नकलसे।

३५. अजमलखाँ स्मारक

पाठक जानते है कि यह स्मारक दिल्लीके राष्ट्रीय मुस्लिम विद्यापीठके रूपमें है। उक्त विद्यापीठ केवल मुसलमानोंके लिए नही है। हिन्दू भी उसमें जा सकते हैं। उसमें अध्यापक भी केवल मुसलमान नही हैं; हिन्दू और ईसाई भी है। किन्तु जैसे गुजरात विद्यापीठमें मुख्यतः हिन्दू विद्यार्थी ही होते है और कोई मुसलमान शायद ही आता है, वैसे ही दिल्लीके जामिया मिलियामें भी शायद ही कोई हिन्दू विद्यार्थी आता है। यदि गुजरात विद्यापीठमें मुसलमान विद्यार्थियोंके न आनेका दोष उसके संचालकोंका हो तो मुस्लिम विद्यापीठमें भी अधिक हिन्दू विद्यार्थी न जानेका दोष विद्यापीठके संचालकोंको दिया जा सकता है। आजकलके अस्थिर वातावरणमें दोनों संस्थाओंके संचालक और अध्यापक द्वेषभाव रहित और परस्पर उदारचेता हो तो हमें ईश्वरका उपकार मानकर सन्तोष करना चाहिए। मुझे तो विश्वास है कि जैसे भविष्यमें गुजरात विद्यापीठ स्वराज्यकी प्राप्ति और रक्षामें हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य इत्यादि रचनात्मक कार्योंको सम्पन्न करनेमें बड़ा हिस्सा लेगा वैसे ही दिल्लीका यह विद्यापीठ भी इन कार्योमें बड़ा हिस्सा लेगा। मेरी यह भविष्यवाणी सच्ची निकले या न निकले किन्तु यदि हकीम साहबके प्रति हमारा कोई कर्त्तव्य हो और उनके स्मारकको कायम रखनेमें हमारी प्रतिष्ठा हो तो हम सभीको इस कोषमें यथाशक्ति रुपया देना चाहिए। इस कोषमें चीटीसे भी अधिक मंद गतिसे रुपया आ रहा है। इससे मुझे यह लगता है कि गुजरातके लोग दूसरे कोषोकी तरह इस कोषमें दिलचस्पी नहीं ले रहे है। यह भूल है। मै यह कह देना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ। जो लोग हिन्दुओ और मुसलमानोंमें एकता स्थापित कराना चाहते हैं उनको इस कोषमें अवश्य हाथ बँटाना चाहिए। किसी लोकप्रिय कोषके लिए धन इकट्ठा करनेका मन सभीका होता है, किन्तु एक अप्रिय परन्तु श्रेयस्कर कोषमें धन देनेके सम्बन्धमें लोग, यदि कोई उनको जाग्रत न करे तो, उदासीन रहते है। मेरी यह प्रार्थना इसी उदासीन वर्गसे ही है। 'नवजीवन' के पाठक सदा लोकप्रिय कार्योंको ही प्रोत्साहन देते हों, ऐसा नहीं है। उन्होंने अप्रिय किन्तु प्रजाकी शक्ति बढ़ानेवाले और समाजका कल्याण करनेवाले कार्योमें भी अपना हिस्सा धनके रूपमें या अन्य प्रकारसे अच्छी तरह दिया है। यहाँ भी उनको अपनी इस उदार नीति और विवेक-शक्तिका उपयोग करनेकी आवश्यकता है। जामिया मिलिया दो प्रकारकी विरोधी शक्तियोंके बीच पिस नही जाना चाहिए। यह संस्था वर्तमान द्वेषपूर्ण वातावरणकी पोषक नही है, इसलिए सामान्य मुसलमान वर्ग उसके सम्बन्धमें उदासीन दिखाई देता है और हिन्दू भी ऐसा सोचकर कि इसका पोषण मुसलमानोंको ही करना चाहिए उसके विषयमें तटस्थ रहें तो जामिया मिलिया अधूरा ही रह जायेगा और इस तरह हकीमजीका स्मारक भी अधूरा कहलायेगा। इस स्थितिको न आने देना स्वराज्यवादी हिन्दुओं और मुसलमानोका विशेष कर्त्तव्य है। मुझे आशा है कि 'नवजीवन' के पाठक इस धर्मका

पालन करेंगे। चन्दा देनेवाले लोगोंको मैं यह सुझाव देता हूँ कि वे अपनी-अपनी रकम भेजकर ही सन्तोष न मान लें बल्कि अपने अड़ौसी-पड़ौसियोंसे भी जितना धन उगाह सकें उतना उगाह कर भेजें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १९-२-१९२८

३६. बारडोलीके किसानोंसे

हिन्दुस्तानका ऐसा एक भी कोना नहीं है जहाँ स्वराज्यका नाम सुननेमें न आया हो और फिर भी जिसने बारडोलीका नाम तक न सुना हो। इसलिए बारडोली ताल्लुका द्वारा किये गये प्रत्येक काममें हिन्दुस्तानको विशेषता और वीरताकी आशा रखनेका अधिकार है। आप लोगोंने सत्याग्रहका अत्यन्त गम्भीर कदम उठाया है। इस सत्याग्रहको सफल बनानेमें ही आपकी मुक्ति है। यदि आपने यह कदम न उठाया होता तो कोई भी आपको दोष न देता। किन्तु यदि एक बार कदम उठानेके बाद आप पीछे हटेंगे तो सारा हिन्दुस्तान हँसेगा। बारडोलीके मार्फत स्वराज्य लेनेकी जो लड़ाई शुरू की गई थी, वह मुल्तवी कर दी गई; इसमें तो कोई आपको दोष नहीं दे सकता। बारडोली ताल्लुकेसे दूरके स्थानमें लोगोंने अविवेकपूर्ण काम किया और उसके कारण बारडोलीकी लड़ाईको मुल्तवी करनेकी सलाह दी गई, यह तो अच्छा ही हुआ। इसमें मुझे तनिक भी शंका नहीं है। किन्तु आपने उसके बाद खादी-प्रचार, अस्पृश्यता-निवारण इत्यादिके सम्बन्धमें जो प्रतिज्ञा ली थी उसका जितना चाहिए था उतना पालन नहीं किया। इस प्रसंगमें आपको यह स्मरण कराना उचित लगता है। और आपकी इस शिथिलताके कारण मेरे मनमें यह शंका अब भी है कि आप अपनी इस बारकी प्रतिज्ञाके पालनमें कहाँतक दृढ़ रहेंगे। मैं यह आशा करता हूँ कि आप अपने दृढ़ व्यवहारसे मेरी इस शंकाका निवारण करेंगे।

श्री वल्लभभाई पटेलने आपको खूब सजग कर दिया है। आपको लड़ाईमें जिताना वल्लभभाईके हाथमें नहीं है। इसकी जीतकी चाबी तो आपकी जेबमें ही रखी है। वल्लभभाई फाँसीपर चढ़कर भी आपकी प्रतिज्ञाका पालन नहीं कर सकते। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दीखता, इस कहावतके अनुसार आपको अपनी प्रतिज्ञाका पालन स्वयं ही करना होगा। आपकी लड़ाई सच्ची है इस सम्बन्धमें मुझे दो मत दिखाई नहीं देते। किन्तु यदि इसकी सचाईको सिद्ध करनेकी शक्ति आपमें नहीं होगी तो लड़ाई सच्ची होनेपर भी आप इसमें हार जायेंगे। यदि आप यह बात समझ लें तो केवल जमीनका लगान देनेके लिए ही उसे जोतनेकी अपेक्षा यदि लगान लेनेवाले आपकी जमीनको जब्त कर लें तो झगड़ा ही मिट जाये। यदि सरकार आपके साथ न्याय करना नहीं चाहती और आप उसके सम्मुख झुकेंगे नहीं और यदि सरकार आपका नाश ही करना चाहेगी तो वह आपको जेलमें नहीं भेजेगी, बल्कि वह आपकी सम्पत्तिपर हाथ डालेगी। जैसा उसने खेड़ामें किया था वैसा ही वह यहाँ भी

करेगी। वह आपके पशुओंको बेचेगी, आपके बर्तन बेचेगी और आपकी जमीन बेचेगी, किन्तु आपके पास एक ऐसी अमूल्य वस्तु भी है जिसको वह नहीं बेच सकेगी। यह वस्तु है आपकी आत्मा, आपका स्वाभिमान। यदि आप एक पलड़ेमें अपना शरीर और अपनी दूसरी सब सम्पत्ति रखें और दूसरेमें अपना स्वाभिमान, तो स्वाभिमानका पलड़ा हमेशा ही अधिक भारी रहेगा। इस स्वाभिमानकी रक्षाका मन्त्र सत्याग्रहमें छुपा हुआ है। यदि आप इसकी रक्षा करनेमें जो हानि हो उसे सहनेके लिए तैयार होंगे तो जीत आपकी ही होगी। और तब यह माना जायेगा कि आप वल्लभभाई जैसे सरदारको पानेके योग्य हैं। उसी प्रकार आप वीरोंकी पंक्तिमें रखे जायेंगे। आप अपनी प्रतिज्ञाका पालन करके अपना, वल्लभभाईका, गुजरातका और भारतका गौरव बढ़ायेंगे।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १९-२-१९२८

३७. पत्र : डा० सी० मुथुको

आश्रम
साबरमती
२१ फरवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

मेरे एक श्रद्धेय स्वर्णकार मित्रके बेटेकी एक हड्डी क्षय-ग्रस्त है। सोलनके एक सेनीटोरियममें उसका इलाज हो चुका है और वहाँसे अब उसे बम्बई ले आया गया है। अगर आप उसका इलाज अपने हाथमें लें तो पिता अब अपने बेटेको आपके इलाजमें रखना चाहेगा। आप उसे जहाँ कहीं भेजनेकी सलाह दें उसे वहीं भेजा जा सकता है। अगर आपका खयाल हो कि अन्तिम रूपसे कुछ तय कर सकनेसे पहले आपको उसकी डाक्टरी परीक्षा करनी चाहिए, तो पिता यह खर्च भली-भाँति बर्दाश्त कर सकता है। यदि आप इस मामलेमें अपनी सलाह तार द्वारा देंगे और समयकी बचतके लिए तारमें वही बात श्रीयुत रेवाशंकर झवेरीको भी ७, लेबर्नम रोड, गामदेवी, बम्बईके पतेपर लिख देंगे, तो मैं आपका आभारी होऊँगा; उनका तारका पता 'मोरेलिटी' है।

मैं आपको इस समय अपने आहारके सम्बन्धमें नहीं लिखना चाहता; इसपर बादमें लिखूँगा। लगता है कि मैं ठीक चल रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

डा० सी० मुथु
एगमोर
मद्रास

अंग्रेजी (एस० एन० १३०७६ तथा जी० एन० १२७१) की फोटो-नकलसे।

३८. पत्र : एलिस मैंके केलीको

आश्रम
साबरमती
२१ फरवरी, १९२८

प्रिय बहन,

आपने मुझे जो कुछ बताया है और 'मदर इंडिया' के विषैले प्रभावके बारेमें मैं जो कुछ पढ़ता हूँ उससे मुझे दुःख होता है। लेकिन मैं यह सोचकर तसल्ली कर लेता हूँ कि असत्यपर सत्यकी सदैव विजय होती है और वह पुस्तक असत्यसे भरी हुई है।

मैं जानता हूँ कि श्री धनगोपाल मुखर्जी अच्छा काम कर रहे हैं।

मैंने आपका पाँच डालरका चेक 'यंग इंडिया' के प्रबन्धकको भेज दिया है। मैं आशा करता हूँ कि अब आपको अपनी प्रति मिल जाती होगी।

हृदयसे आपका,

श्रीमती एलिस मैंके केली
१३०, ईस्ट ४०वीं स्ट्रीट
न्यूयार्क सिटी

अंग्रेजी (एस० एन० १४२४४) की फोटो-नकलसे।

३९. पत्र : रोहिणी पूवैयाको

आश्रम
साबरमती
२१ फरवरी, १९२८

कुमारी रोहिणी पूवैया,

आपके पत्रसे अप्रत्याशित आनन्द मिला। मुझे हिदायत है कि काम न करूँ और जहाँतक हो सके विस्तरपर ही लेटा रहूँ; इसलिए मुझे सिवाय इसके बोलकर भी अधिक नहीं लिखवाना चाहिए कि मैंने अक्सर आपके बारेमें सोचा है और यह जानना चाहा है कि आप क्या कर रही हैं। मै ऐसी आशा जरूर करता हूँ कि आप निकट भविष्यमें कुछ उपयुक्त काम पा जायेंगी। मुझे अपनी गतिविधियोंकी जानकारी अवश्य देती रहिए; तब मै आपके पिछले सभी अपराध क्षमा कर दूंगा। सीताने

अब समय-समयपर मिलते रहनेका वायदा किया है। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है?

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३०७७) की माइक्रोफिल्मसे।

४०. पत्र : रामेश्वरदास पोद्दारको

मंगलवार, [२१ फरवरी, १९२८][1]

भाई रामेश्वरदास,

आपका पत्र मीला है। लड़कोको अवश्य वर्धा विद्यालयमें छोड़ दो। आश्रममें सुरक्षित रहेंगे। चित्तमें रामनाम अंकित करके शांति रखो।

मेरा स्वास्थ्य ठीक है।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० १९४ की फोटो-नकलसे।

४१. पत्र : नौरा एस० बेलीको[2]

२२ फरवरी, [१९२८][3]

आपका पत्र मिला, तदर्थ धन्यवाद। जवाबमें मैं केवल यही कह सकता हूँ कि हमें ईश्वरने जितना प्रकाश दे रखा है, हमें उसीके सहारे उसकी ओर बढ़ना और उसकी आराधना करनी चाहिए।

मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १४२२२) की फोटो-नकलसे।

१. डाककी मुहरसे।
२. नेटालके भारतीय मिशनके अध्यक्ष रेव० ए० ए० बेलीकी पत्नी; देखिए खण्ड १२, पृष्ठ २७०।
३. यह पत्र श्रीमती बेलीके १२ दिसम्बर, १९२७के पत्रके उत्तरमें लिखा गया था।

४२. पत्र : देवी वेस्टको

आश्रम
साबरमती
२२ फरवरी, १९२८

अपने पत्रमें तुमने जिस कार्डका उल्लेख किया है, वह अब मिल नहीं रहा है। इसलिए तुम्हारे पास जो कार्ड है, उसे जरूर भेज देना। मुझे खुशी है कि अब तुम्हें 'इंडियन ओपिनियन' नियमित रूपसे मिल रहा है। रामदासका अबसे करीब एक महीना पहले विवाह हो गया था। वह और उसकी पत्नी कल राजकोटके लिए रवाना हो रहे हैं। वह वहाँ स्थायी रूपसे रहनेकी सोच रहा है। 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंमें तुमने विवाहका ब्यौरा[1] जरूर पढ़ा होगा। वह बड़ी ही सादगीके साथ सम्पन्न हुआ था। उससे ज्यादा सादगीसे हो ही नहीं सकता था।

मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं बिलकुल ठीक हूँ, लेकिन चूँकि डाक्टर चिन्तित हैं इसलिए उन्होंने मुझे पूरी तरहसे आराम करनेकी हिदायत दे दी है। इसलिए मुझे लम्बा पत्र बोलकर भी नहीं लिखवाना चाहिए। देवदास यहाँ है। वह शीघ्र ही दिल्ली जा रहा है। छगनलाल उड़ीसाके गरीब लोगोंकी सेवा करनेके लिए वहाँ गया है।

हृदयसे तुम्हारा,

कुमारी देवी वेस्ट
२३ जॉर्ज स्ट्रीट
लाउथ लाइन्स
इंग्लैंड

अंग्रेजी (एस० एन० १४२४६) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए खण्ड ३५, पृष्ठ ५१८-१९।

४३. पत्र : हेनरी नीलको

आश्रम
साबरमती
२२ फरवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला।[1]

ब्रिटिश शासनमें लाखों बच्चे पौष्टिक भोजनके अभावमें भूखे रह रहे हैं और पर्याप्त वस्त्रोंके अभावमें ठंडसे काँप रहे हैं। मैं यह भारतके उन नगरोंके बारेमें नही कह रहा हूँ, जिनमें भारतकी जनसंख्याका एक नाममात्रका अंश रहता है। लेकिन यह बात मैं बेखटके कह रहा हूँ १९०० मील लम्बे और १५०० मील चौडे प्रदेशमें बिखरे लगभग सात लाख गाँवोंके बारेमें; मुझे यह अन्देशा नही है कि मेरी बातका खण्डन किया जा सकता है।

मैं समझता हूँ कि आपका 'गैर-ईसाई धर्मोंके अन्तर्गत' वाला पहला प्रश्न दूसरे प्रश्नमें आ जाता है। लेकिन अगर आपके पहले प्रश्नका सम्बन्ध ब्रिटिश शासनसे पहलेके भारतसे है, तो मैं केवल अपना यह अनुमान ही सूचित कर सकता हूँ कि बच्चे आज ब्रिटिश शासनमें जैसी हालतमें हैं, वे पहले उसकी बनिस्बत असंख्य गुना अच्छी हालतमें थे।

आपके तीसरे प्रश्नका जवाब दे सकना कठिन है। आपके मनमें किस ईसामसीहकी बात है? ऐतिहासिक ईसामसीहकी? मैं इतिहासका ऐसा विद्यार्थी नही हूँ, जिसने उसे बारीकीसे पढ़ा हो, इसलिए मैं इतिहासके ईसामसीहको ठीक-ठीक नही जानता। अथवा आपका अभिप्राय उन ईसामसीहसे है जिनका ईसाई इंग्लैंड और ईसाई यूरोप प्रतिनिधित्व करते हैं? यदि आपका अभिप्राय वही हो तो मुझे लगता है कि उसका जवाब तो दिया ही जा चुका है। किन्तु यदि आपका अभिप्राय (सरमन ऑन दि माउन्ट) गिरिप्रवचन वाले उस दिव्य और निगूढ अलौकिक ईसा मसीहसे है

१. ३ जनवरी, १९२८का पत्र जो इस प्रकार था। "...भारतके गरीब बच्चोंकी दशा गैर-ईसाई धर्मोंके अन्तर्गत कैसी थी और ब्रिटिश शासनमें कैसी है कृपया मुझे बताइये और फिर इसकी तुलनामें यह भी बताइये कि यदि ईसामसीहके हाथमें भारतका शासन प्रबन्ध होता तथा लोग उनकी शिक्षापर चलते तो इन बच्चोंकी कैसी दशा होती..." (एस० एन० १४२२४)।

जिसे पाना आज भी शेष है तो मैं समझता हूँ कि जब लोग प्रेमके आदेशका अनुसरण करेंगे भारतके बच्चोंकी दशा तब आजकी अपेक्षा किंचित् अच्छी ही होगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

जज श्री हेनरी नील
द्वारा अमेरिकी एक्सप्रेस कं०
रुई स्क्राइब
पेरिस, फ्रांस

अंग्रेजी (एस० एन० १४२४८) की फोटो-नकलसे।

४४. पत्र : एल० ले मन्सको

आश्रम
साबरमती
[२२ फरवरी, १९२८][1]

प्रिय मित्र,[2]

आपके २ दिसम्बरके उस पत्रके लिए धन्यवाद देता हूँ जो मुझे ११९० रु० के पोस्टल ऑर्डर सहित कुछ दिन हुए मिला था। कृपया चन्दा देनेवालोंको खादीके लिए दिये गये चन्दे तथा इस आश्वासनके लिए कि यह चन्दा वे हर साल देते रहेंगे, मेरी ओरसे धन्यवाद दीजिएगा।

हृदयसे आपका,

मोशिए एल० ले मन्स
बैकल्यू
फ्रेंच कोचीन चीन

अंग्रेजी (एस० एन० १४२४९) की फोटो-नकलसे।

१. यह पत्र गांधीजीने २२ फरवरीको बोलकर अंग्रेजीमें लिखवाया था और फ्रेंचमें अनुवाद करनेके लिए मीराबहनको दिया था। फ्रेंच भाषान्तरपर गांधीजीने २४ फरवरीको हस्ताक्षर किये थे।

४५. पत्र : प्र० च० घोषको

आश्रम
साबरमती
२२ फरवरी, १९२८

प्रिय प्रफुल्ल बाबू,

बिस्तरेपर पड़े-पड़े मैं आपके पत्रको आज ही हाथमें ले पाया हूँ, वैसे सचमुच तो मैं फिलहाल बिस्तरपर नहीं हूँ, वरन् चरखा चला रहा हूँ, केवल कातने और प्रार्थना करनेके लिए मुझे बिस्तर छोड़नेकी इजाजत है। कातते समय या बिस्तरपर लेटे-लेटे मैं थोड़े-से पत्र बोलकर लिखवा देता हूँ। इस तरह मैं बचे हुए पत्रोंके जवाब दे देनेकी कोशिश कर रहा हूँ। इसी क्रममें आपके पत्रकी बारी आ गई।

समझौतेके[1] बारेमें मुझे खुशी है। मैं आशा करता हूँ कि अब और हिंसापूर्ण घटनाएँ नहीं होंगी।

कांग्रेसके सम्बन्धमें आप जो कुछ कहते हैं, वह बहुत हदतक सही है।[2] और जो लोग रचनात्मक कार्यमें और अहिंसामें विश्वास रखते हैं, उनको शान्तिपूर्ण गौरव-युक्त प्रतिशोधरहित कार्यके द्वारा, सिर्फ उसीके द्वारा वाचालता और धोखेबाजियोंका प्रतिकार करना है। मैं कांग्रेसकी मूर्ति-पूजा करनेको नहीं कहता, लेकिन देशके सबसे पुराने राजनीतिक संगठनके बारेमें हमारा उपयुक्त आदर और कोमलतम भावनाओंके साथ विचार व्यक्त करना उचित है। सभी सार्वजनिक संस्थाओंमें उतार-चढाव आते रहते हैं। क्या हाउस ऑफ कॉमन्समें कोई मक्कारियाँ और ऊल-जलूल चीजें नहीं हैं? मैं जानता हूँ कि वह हमारे लिये कोई आदर्श नहीं है, लेकिन अपने गठनको देखते हुए ब्रिटिश राष्ट्रके हाउस ऑफ कॉमन्सकी निन्दा करना गलत होगा। जबतक अंग्रेज, हाउस ऑफ कॉमन्स जिस सभ्यताका प्रतिनिधित्व करता है उसे ही बेकार न समझने लगें, तबतक तो वे उसमें केवल जहाँ कहीं हो सके वहाँ कुछ सुधार ही कर सकते हैं। खुद मैं अब भी उस सिद्धान्तसे आबद्ध हूँ, जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है और इसीलिए जहाँ मैं कुछ काम नहीं कर सकता, वहाँ सामान्यतया चुप रहता हूँ और मैं आपसे तथा उन सहयोगियोंसे भी जो अहिंसात्मक असहयोगी है, ऐसा

१. यह हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच कोमिल्लामें हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप अदालतोंमें चल रहे सभी मामले वापस ले लिये गये थे।

२. प्र० च० घोषने १९ जनवरीके अपने पत्रमें लिखा था : कांग्रेसमें ऊल-जलूलपन फैलता जा रहा है, . . . कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकारी महामन्त्री इस बातके दो सबसे अच्छे उदाहरण हैं कि हम बातूनी लोग हैं . . . खुद मेरा विश्वास कांग्रेससे पूरी तरह उठ गया है; मैं उसे धोखाधड़ीसे भरी हुई बातें बनानेवालोंका आश्रयस्थान मानने लगा हूँ।

ही करनेको कहता हूँ। हमें गलती करनेवाले सहयोगियों और कांग्रेसियोंके प्रति भी अहिंसात्मक रहना है।

हृदयसे आपका,

डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष
अभय आश्रम
कोमिल्ला

अंग्रेजी (एस० एन० १३०४६) की फोटो-नकलसे।

४६. लड़ना पड़े तो ईमानदारीसे लड़ें

नीचे उपर्युक्त शीर्षकपर चर्चा की गई है। इस अधिकृत अनुवादमें 'निदान धर्मयुद्ध करो'[1] शीर्षकका अनुवाद 'कमसे-कम धर्मयुद्ध करो' के बजाय मेरी रायसे 'लड़ना पड़े तो ईमानादारीसे लड़ें' अधिक सही है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-२-१९२८

४७. पुरानी याद ताजा हो गई

अभी-अभी पूनामें श्रीयुत शंकरराव देव तथा श्री वी० वी० हारोलिकरको दफा १२४-ए के अन्तर्गत अपराधी करार दिया गया और उन्हें दो सालकी सख्त कैद की सजा दी गई। उनपर दो आरोप थे — एक तो सम्राट्के विरुद्ध लड़ाई छेड़नेका (दफा १२१) और दूसरा ब्रिटिश भारतमें कानूनके मुताबिक स्थापित सरकारके प्रति असन्तोष जगानेका प्रयत्न करनेका (दफा १२४-ए)। श्रीयुत देवने 'स्वराज्य' के सम्पादककी हैसियतसे वह लेख लिखा था जिसकी विषयवस्तु ही उनका जुर्म था और श्रीयुत हारोलिकर 'स्वराज्य' के प्रकाशक थे। मैं अपराध माने गये उस लेखका अधिकृत अनुवाद अन्यत्र छाप रहा हूँ[2], जिसे अभियोग पक्षने अदालतके सामने पेश किया था। यद्यपि उसमें और भी सुधार किये जा सकते थे, किन्तु उसे मूल लेखका गलत अनुवाद नहीं कहा जा सकता।

दादा साहब करन्दीकर और दूसरे नामी वकीलोंने बिना कुछ फीस लिये स्वेच्छासे वकालत करनेकी इच्छा व्यक्त की, किन्तु अभियुक्तोंको वकीलका बचाव मंजूर नहीं था।

१. यह लेख १५-९-१९२७ के मराठीके स्वराज्यमें प्रकाशित हुआ था, जिसका अनुवाद यंग इंडिया में छापा गया था। गांधीजीकी टिप्पणियोंके लिए देखिए अगला शीर्षक।

२. देखिए पिछला शीर्षक।

उन्हें मित्रोने वकीलोका बचाव लेनेकी सलाह दी और कहा कि अब तो सभी वकीलकी सलाह लेते है और कोई इसके लिए उनपर उँगली नही उठाता। मगर ये असहयोगी तो अपनी बातपर अटल रहे। उन्हें इसकी परवाह नही थी कि दूसरे क्या करते है। वे तो सिद्धान्ततः असहयोगी थे और इसलिए विवेकके ध्यानसे दी गई यह सलाह उन्होने नही सुननी चाही। यरवदा जेलमें श्रीयुत देवसे मेरा परिचय हुआ। उन्होने श्रीयुत दास्तानेके साथ-साथ एक सख्त उपवास शुरू किया था, जिससे उन्हें रोक सकना मेरे लिये बहुत मुश्किल हुआ था। अपने विश्वासपर अटल रहनेके लिए इन मित्रोको बधाई देता हूँ। क्योकि मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी ही श्रद्धासे स्वराज्यकी नीव पड़ेगी। अपने परम पवित्र त्यागसे निस्सन्देह वे स्वराज्यको और भी नजदीक ले आये है। कोई यह न सोचे कि राष्ट्र-निर्माणमें ऐसे छुटपुट व्यक्तियोके त्यागोका कोई स्थान नही है या इनसे कोई बड़ा नतीजा नही निकलता। सचमुच ही, अन्तमें असर तो पवित्रतम त्यागका ही पड़ेगा। यह तो स्वराज्यकी सबसे पक्की और पवित्र नीव होगी।

नि.सन्देह लेख तो मौजूदा सरकारके प्रति असन्तोष बढानेके लिए ही लिखा गया है। इस प्रकारका असन्तोष बढाना सभी राष्ट्रवादियोका अनिवार्य कर्त्तव्य है। मेरे खयालसे हरएक कांग्रेसवादी वर्तमान सरकारका कट्टर दुश्मन है। हमें व्यक्तियोसे कोई झगड़ा नही है, किन्तु अगर हम स्वराज्यके लायक है तो वर्तमान सरकारको हर न्यायोचित और शान्तिमय साधनसे नष्ट करना हमारा कर्त्तव्य है। विधान-सभामें 'स्टेच्यूटरी कमीशन' पर हालमें जो बहस हुई थी और जिसमें सभी दल शामिल हुए थे और जो बहस सदा उनके यशका कारण होगी, वह असन्तोषका पदार्थपाठ थी। असन्तोषके पक्षमें अपना मत देनेके लिए दिल्ली तक जानेमें स्वर्गीय हरचन्द राय विशनदासने अपनी जानकी बाजी लगा दी। असन्तोष उत्पन्न करनेकी दृष्टिसे तो रोज ही श्रीयुत देवके लेखसे भी अधिक जोरदार लेख मिला करते है। उन्होने तो हिन्दू-मुसलमानोसे युक्तियुक्त यह अपील ही की है कि देशको गुलाम बनाये रखनेवाली सरकारका संरक्षण अस्वीकार करो और अगर लड़े बिना चले ही नही तो न्यायपूर्वक और सम्मानपूर्वक धर्मयुद्ध लड़ो। मैने वह लेख अनेक बार पढ़ा है और मै भले ही उनकी जैसी भाषा न लिखूँ, किन्तु उनकी दलीलोमें से एक भी ऐसी नही है, जिसे मै अपना न सकूं। पक्षपातपूर्ण आलोचक महाभारतसे उद्धृत श्लोकोंके शब्दो पर भले उज्र करे किन्तु सन्दर्भके साथ पढ़नेपर उसका अर्थ स्पष्ट हो जायेगा। हमारा कोई राजा नहीं है। कानूनके पवित्र नामके भेषमें हमपर शासन हो रहा है। शासक बहुत-से है। एक आता है, दूसरा जाता है। शासन कायम रहता है। मगर यह भ्रष्ट, बुरा, आत्माको कुचलनेवाला शासन चाहे जैसे हो समाप्त करना ही पड़ेगा। श्रीयुत देव और उनके जैसे वे लोग जो इसके लिए कीमत देनेको तैयार हो, उन्हें वही मूल्य चुकाना होगा जो उनके अहिंसाके सिद्धान्तसे मेल खाता हो। वे सच्चे कानूनका शासन स्थापित करना चाहते है, कुछ दूसरे लोगोको मार कर नही, चाहे वे कितने ही क्रूर और विपथगामी क्यो न हो, किन्तु जरूरत पड़े तो इस कोशिशमें स्वयं अपने प्राण गँवाकर। स्वराज्यकी उनकी अपनी कल्पनाके ही अनुसार यह मर्यादा आवश्यक है। इसलिए यह समझना

मेरे लिये अत्यन्त ही मुश्किल है कि मुकदमा चलानेके लिए ये ही दो निर्दोष कार्यकर्त्ता क्यों चुने गये। अथवा इसे मैं उत्पीड़न कहूँ? अगर ये कैदके पात्र हैं तो लाला लाजपतराय और उनके साथियोंको, अगर कोई और बड़ी सजा नहीं तो कालेपानीकी सजा तो जरूर ही मिलनी चाहिए। अगर यह कहा जाये कि विधान सभाके सदस्योंको उन संवैधानिक जुर्मोके करनेका विशेष अधिकार मिल जाता है, जो विधान सभासे बाहरके दूसरे मामूली आदमियोंको नहीं होता, तो फिर 'कानूनके अनुसार संस्थापित सरकार' के प्रति सोच-समझकर और जानबूझकर असन्तोष फैलानेका कसूर करनेवाला मेरे समान शायद दूसरा कोई नहीं है। मेरा तो सारा जीवन ही, सारी शक्ति ही इस सरकारका नाश करने और इस उद्देश्यके लिए जहाँ तक हो सके असन्तोषका अधिकसे-अधिक प्रचार करनेके लिए है और मेरा खयाल है कि मैं दावा कर सकता हूँ कि देव और हारोलिकरसे अधिक लोग मेरी बातें पढ़ते और सुनते हैं। किन्तु उन सरकारोंसे सच्ची सुसंगति, न्याय और साहसकी आशा नहीं की जा सकती, जो हिंसा और शोषणके बलपर चलती हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-२-१९२८

४८. हाथ-करघा बनाम चरखा

प्राय: बिना विचारे यह दलील दी जाती है कि केवल हाथ-करघा ही ऐसी चीज है जिसको कायम रखा जाना चाहिए और इसको मिलोंमें कते हुए सूतका उपयोग करके ही कायम रखा जा सकता है। इस दलीलके बारेमें श्रीयुत श्री बालाजी राव लिखते हैं:

> **जो लोग चरखेका महत्व घटानेके लिए हाथ-करघेका गुणगान करते हैं उनको यहाँ एक पुरअसर जवाब दिया गया है। लॉर्ड कर्जनने दिल्ली दरबारमें इन शब्दोंमें अपने विभागीय वैज्ञानिक कलाकारोंका मत व्यक्त करते हुए कहा था कि जैसे हाथके पंखेकी जगह बिजलीके पंखेने ले ली है, वैसे ही हाथ-करघेकी जगह अनिवार्यतः बिजलीका करघा ले लेगा।**

यदि हाथ-करघेको मिलोंके सूतसे अथवा चरखेके सिवा किसी अन्य साधन द्वारा प्राप्त सूतसे कायम रखा जा सकता है, तो निस्सन्देह लॉर्ड कर्जनके उक्त कथनको निर्णायक उत्तर मान लेनेकी जरूरत नहीं है। मुझे आशा है कि इन पृष्ठोंमें छपी सामग्रीसे प्रतिदिन यह बात स्पष्ट हो रही है कि लॉर्ड कर्जनकी इस भविष्यवाणीके बावजूद हाथ-कताईसे हाथ-करघेकी रक्षा हो सकती है। असल बात यह है कि यदि हमारे राष्ट्रीय जीवनमें चरखेको फिर वही पुराना दर्जा मिल जाये तो हाथ-करघा और कई दूसरे घरेलू उद्योग अवश्य ही अपने आप पुनर्जीवित हो जायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-२-१९२८

४९. तिलका ताड़

मै देखता हूँ कि अखबारोमें लिखा जा रहा है कि मैंने आगामी १२ मार्चको अपने मर जानेकी भविष्यवाणी की है और इसलिए मै निराश मनःस्थितिमें हूँ। यह भी कहा गया है कि मै अपने बारेमें ऐसी भविष्यवाणियाँ करता रहता हूँ। मै इस मजेदार खबरको नजर-अन्दाज कर देता, किन्तु चिन्तित होकर कुछ मित्रोने इसे सही मान लिया है और वे घबरा उठे है। अगर प्रश्नकर्त्ता मित्रोने मेरी यह सलाह मानी होती कि अखबारकी खबरोपर कभी भरोसा नही करना चाहिए और अखबार की खबरोकी सच्चाईकी जाँच मूल स्रोतसे ही करनी चाहिए, तो उन्हे इतना चिन्तित न होना पड़ता। जिस संवाददाताने यह शोर शुरू किया, अगर वही अपने बयानकी सच्चाईकी जाँच कर लेनेकी भलमनसाहत दिखलाता, तो पूछनेवालोको बड़ी चिन्तासे बचा लेता। मगर संवाददाता लोग, अपने बयानोकी सच्चाईके बारेमें और अधिक ईमानदारी बरतने लगें तो उनका पेशा ही समाप्त हो जाये। मै मित्रोंको बतलाना चाहता हूँ कि मै ज्योतिषी नही हूँ। मै ज्योतिष-विज्ञानके बारेमें कुछ भी नही जानता और अगर यह विज्ञान हो भी तो इसकी उपयोगितामें मुझे सन्देह है। मै मानता हूँ कि विधि-विधानमें विश्वास रखनेवाले हर आदमीको इससे बिलकुल दूर ही रहना चाहिए। मै निराश भी नही हूँ। निराश होना मेरे स्वभावके विरुद्ध है। पर असल बात यह हुई थी कि छः वर्ष पहले जब मुझे छः वर्ष जेलकी सजा हुई थी, तब मुझसे किसीने स्वराज्यकी सम्भावनाके बारेमें मेरे विचार पूछे थे, तब मैंने कहा था कि बहुत सम्भव है कि छः वर्षोंकी यह अवधि परमात्माके इशारेपर निश्चित की गई हो; इन छः वर्षोमें या तो हम स्वराज्य ले लेगें या मै मर जाऊँगा; किसी देशके स्वराज्य लेनेंके लिए छः वर्षका समय तो बहुत काफी होता है। उस समय भारतवर्षकी परिस्थितिको देखकर यह बात कही गई थी। मैंने इस बातका इससे अधिक महत्व और कभी नही समझा कि एक व्यक्तिके रूपमें स्वराज्य-प्राप्तिके लिए प्रयत्न करनेमें मै स्वयं कुछ उठा नही रखूँगा। यह बात भी १९२० में कही गई मेरी उसी बातके जैसी थी कि अगर कुछ शर्तें पूरी हो जायें, तो एक सालमें स्वराज्य लिया जा सकता है। उस बातका जो उपयोग हो सकता था वह हुआ; अगर और कुछ नही तो उससे मेरे आलोचकोको मेरी मूर्खतापर हँसनेका मौका मिला और मैंने उस घटनापूर्ण वर्षमें देशको बहुत ज्यादा प्रयत्न करते हुए देखा।[1] साल खत्म होनेपर अहमदाबादके कांग्रेस अधिवेशनमें यह कहते मै नही झिझका कि यद्यपि हम कानूनन स्वराज्य प्राप्त नही कर सके है फिर भी राजनीतिकी हदतक जागरूक भारतवर्षमें जो स्वतन्त्रता दिखलाई पडी है और विभिन्न जातियोमें जो एकता दिखलाई दी है, वही ठोस स्वराज्यके समकक्ष है। अगर कलकत्ता और नागपुरमें मेरी बतलाई शर्तें

१. देखिए खण्ड १८, पृष्ठ २९१-३२२ तथा खण्ड १९ परिशिष्ट १ भी।

लोगोंने पूरी की होती तो कानूनन भी स्वराज्य वर्षके भीतर ही मिल जाता। मगर जैसे एक सालके भीतर कानूनन स्वराज्य लेनेमें असफल होनेपर भी मैं अविचलित रहा, उसी भाँति छः सालकी अवधिके बीतनेके दिन नजदीक आनेसे भी अविचलित हूँ। यों, वह दिन भी १२ मार्च नहीं, १७ मार्च है। मैं इस समय केवल अपने शरीरके अन्तिम दिनकी तैयारीमें नहीं लगा हूँ; बल्कि उसे जितना अच्छा बना सकूँ उतना अच्छा बनानेके प्रयत्नमें लगा हुआ हूँ और गर्मी और बरसातके लिए घूमनेका अस्थायी कार्यक्रम भी निश्चित कर चुका हूँ। आखिरकार छः साल पहले, मित्रोंसे मैंने दो बार जो बातचीत की उसमें मतलबका अंश हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी बात थी। किसी व्यक्तिकी मृत्युपर कुछ निर्भर नहीं करता, फिर वह व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो; मुख्य बात तो भारतवर्षकी स्वतन्त्रता है। इसलिए हम सब व्यक्तियोंको भूल जायें और उस मूल्यवान स्वतन्त्रताकी प्राप्तिमें जान लगा दें, जो कभी डाउनिंग स्ट्रीट या किसी दूसरी जगहसे हमें कभी सौगातके रूपमें नहीं मिलेगी; बल्कि जिसे हम जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि १७ मार्चके पहले भी उसे पा सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी तैयारी करना जरूरी नहीं है, सिवाय इसके कि मानसिक क्रान्ति हो जाये — हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख, यहूदी, सबके सब मानने लगें हैं कि हम एक अखण्ड राष्ट्र हैं और इस देशमें सबका स्वार्थ एक है — इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए कि हिन्दू लोग मानसिक क्रान्ति करे, किसीको ऊँच-नीच समझना भूल जायें और उन तथाकथित अछूतोंको अपने ही भाईबन्द मान ले। और अगर हम सिर्फ विदेशी कपड़ेका ही सम्पूर्ण बहिष्कार करनेका दृढ़ निश्चय कर लें तो और कोई ज्यादा प्रयत्न करनेकी जरूरत नहीं है, चाहे भले ही कोई इसपर हँसे। किन्तु मैंने जो बात बारम्बार कही है, वही फिर भी कहता हूँ, कि अगर हम इन तीनों कामोको कर ले तो दुनियाकी कोई शक्ति हमारे जन्मसिद्ध अधिकारको लेनेसे हमें रोक नहीं सकती। जैसे कि अपने बिगाड़को बनाना हमारे ही हाथ है, वैसे ही अपनी आजादी हासिल करना भी हमारे ही हाथ है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-२-१९२८

५०. पत्र: उर्मिला देवीको

आश्रम
साबरमती
२३ फरवरी, १९२८

प्रिय बहन,

आपका पत्र मिला। समाचारपत्र असली चीजको बहुत बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते है। जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे कुछ भी नही हुआ है। यह बात सही है कि मैं अपने दुग्ध-रहित फलाहार-प्रयोगके कारण कमजोर हो गया हूँ। परन्तु मैं डाक्टरी देखरेखमें हूँ और यह प्रयोग डाक्टरोकी निगरानीमें तथा उनकी इजाजतसे कर रहा हूँ। इसलिए इसमें चिन्ताकी जरा भी गुंजाइश नही है।

आपकी आँखोंके बारेमें जानकर खेद हुआ। आपको अपनी आँखोसे, उनकी सामर्थ्यसे ज्यादा काम बिलकुल नही लेना चाहिए। इस वक्त महादेव बारडोली और साबरमतीके बीच बने रहते है। वह वल्लभभाईकी मदद कर रहे है। वह पिछली रातको बारडोली गये है और सोमवारकी सुबहसे पहले वापस नही आयेंगे।

आप 'यंग इंडिया'के इसी सप्ताहके संस्करणमें १२ मार्च[1] के सम्बन्धमें भी मेरी ओरसे कुछ देखेंगी। वास्तवमें समाचारपत्रोकी सूचनाएँ लाभकी अपेक्षा हानि ही अधिक पहुँचाती है। परन्तु मुझे आपको लम्बा पत्र नही लिखना चाहिए। डाक्टर चाहते है कि मै पूरा आराम करूँ और मै उनकी हिदायतोका लगभग अक्षरशः पालन कर रहा हूँ। मै थोड़े-बहुत पत्र स्वयं लिखकर या बोलकर लिखवा देता हूँ; और अपना काम 'यंग इंडिया' तथा 'नवजीवन'के सम्पादन तक ही सीमित रखता हूँ। प्रार्थना-सभाओमें कताई-हाजरी और सुबह शाम कुछ समय सैर करनेके सिवाय ज्यादातर बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ।

हृदयसे आपका,

श्रीमती उर्मिला देवी
कालीघाट

अंग्रेजी (एस० एन० १३०८१) की फोटो-नकलसे

१. देखिए पिछला शीर्षक।

५१. पत्र : गौरीशंकर भार्गवको

आश्रम
साबरमती
२३ फरवरी, [१९२८][1]

प्रिय मित्र,

विवाहमें सम्मिलित होना मेरे लिये सचमुच ही असम्भव है। अन्य बातोंके अलावा डाक्टरोंकी कड़ी हिदायतें हैं। लेकिन जो विवाह होने जा रहा है उसकी मुझे खुशी है। आशा करता हूँ कि विवाहोत्सव निर्विघ्न सम्पन्न होगा और वर-वधू सानन्द रहकर वर्षों तक देशकी उपयोगी सेवा करते रहेंगे।

रामदास यहाँ नहीं है। देवदासको फिलहाल साबरमतीसे बाहर जानेकी सुविधा नहीं है।

हृदयसे आपका,

पण्डित गौरीशंकर भार्गव
फूल-निवास
सिविल लाइन्स
अजमेर

अंग्रेजी (एस० एन० १३०८२) की माइक्रोफिल्मसे।

५२. पत्र : बी० डब्ल्यू० टकरको

आश्रम
साबरमती
२४ फरवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका अत्यन्त आनन्ददायक पत्र मिला। मैं आपकी बातकी कद्र दिलसे करता हूँ, लेकिन मैं आपकी सलाह हरगिज नहीं मान सकता। 'बुराईका प्रतिरोध मत करो' का अभिप्राय मेरे लिये निष्क्रिय प्रतिरोध कभी नहीं रहा। जिसे मैं प्रतिरोध समझता हूँ और जो प्रतिरोध मैंने किया है — उसके लिए मैंने निष्क्रिय प्रतिरोध नामको गलत माना है। बुराईका प्रतिरोध मत करो, इसकी व्याख्या है कि बुराईका प्रतिरोध बुराईसे मत करो और इसलिए इसका अनिवार्य रूपसे यह अर्थ है कि बुराईका

१. यह पत्र १९२८ के क़ागजोंमें रखा मिला है।

प्रतिरोध अच्छाईसे करो। और फिलहाल अगर ऐसा लगता है कि मैं सक्रिय रूपसे बुराईका प्रतिरोध नहीं कर रहा हूँ तो यह केवल आभास मात्र ही है। यदि आप 'भगवद्गीता'के नियमित पाठक हैं तो आपको यह श्लोक याद आ जायेगा कि देखता वही है "जो अकर्ममें कर्म देखता है और कर्ममें अकर्म।"[1] और कुछ इस तरहकी या इसीसे मिलती जुलती अंग्रेजीकी कहावत भी तो है कि "वह भी सेवा करता है जो प्रतीक्षा करता है और प्रार्थना करता है।" बहरहाल आज मेरी स्थिति बिलकुल ऐसी ही है। आप कदापि यह न सोचें कि यदि बहिष्कार आन्दोलन तकका रास्ता मुझे साफ दिखाई दे तो मैं क्षणभरके लिए भी चुप बैठा रहूँगा। परन्तु मेरे सामने रास्ता साफ नहीं है। किसी भी दिन यह साफ हो सकता है। जैसा कि मैंने 'यंग इंडिया'के पृष्ठोंमें समय-समयपर निर्दिष्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि प्रसिद्ध कार्यकर्त्ताओंका बहिष्कारमें जीवन्त विश्वास होना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि और किसी भी प्रकारका बहिष्कार सफल नहीं हो सकता। मुझे इस बातमें भी इतना ही विश्वास है कि यदि इस कामको पर्याप्त बल मिले तो यह बहिष्कार अवश्य सफल होगा। कलकत्तामें जो बहुत बड़े-बडे प्रदर्शन हो रहे हैं, वे अपनी जगहपर ठीक हैं, परन्तु मेरे लेखे वे योग्यरूपसे ठीक नहीं हैं। उनके पीछे वास्तविकता नहीं है। लाभ तो उनका भी है, लेकिन वे मुझे कर्मठ सिपाहीके नाते उत्साहित नहीं कर सकते!

आशा है कि मैं अपनी बात साफ तरहसे रख पाया हूँ। यदि बात साफ न हुई हो तो कृपया मुझे फिरसे लिखियेगा। क्योंकि मैं इस बातके लिए उत्सुक हूँ कि आप मुझे और मेरे आन्दोलनको पूरी तरह समझ लें।

हृदयसे आपका

रेवरेंड बी० डब्ल्यू० टकर
कॉलिन्स हाईस्कूल
१४० धर्मतल्ला स्ट्रीट
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३०८४) की फोटो-नकलसे।

१. अध्याय ४, श्लोक १८।

५३. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

आश्रम
साबरमती
२५ फरवरी, १९२८

प्रिय सतीशबाबू,

आपका पत्र मिला। मुझे यह तो मालूम था कि कांग्रेस समितियाँ करीब-करीब सो रही हैं। आपने सूचना दी है कि इसके प्रति सन्देह जगाये बिना, यदि आप उनमें जान डाल सकें, तो यह एक बहुत बडी बात होगी।

यह विदेशी वस्त्र-बहिष्कार प्रदर्शन क्या है? और ये दस हजार स्वयंसेवक क्या है? मैं देखता हूँ कि डा० राय भी इसमें रहे हैं। कृपया मुझे इस आन्दोलनका गूढ़ अर्थ समझाइये।

यदि यह आपको अनुकूल पड़ता है, तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है कि आपने तृतीय श्रेणीमें सफर किया! मुझे प्रसन्नता है कि आप निखिलको कूनेकी पद्धतिसे स्नान करवा रहे हैं। बोसकी राय क्यों नही ले लेते? वह जल-चिकित्साके विशेषज्ञ है। आपको मालूम है कि बहू-बाजारमें स्थित उनकी संस्थामें मैं अपने इलाजके लिए जाया करता था। उस समय बोस वहाँ नही थे; परन्तु मजमूदार तब मेरी मालिश किया करते थे और मुझे बिजलीका स्नान कराया करते थे।[1] जहाँ विशेषज्ञ असफल हो जाते हैं, वहाँ प्राय: साधारण उपाय सफल हो जाते हैं।

आपने संकर शब्दका जो अर्थ किया है वह मौलिक है। परन्तु वर्णकी मेरी परिभाषासे वह पूरी तरह मेल खाता है। मेरी परिभाषा आखिरकार अक्षरश: वेदकी परिभाषा है। तीसरा अध्याय निस्सन्देह 'गीता'का मुख्य अध्याय है। पहले दो अध्याय भूमिकाके रूपमें है और अन्तिम पन्द्रह भाष्यके रूपमें हैं। मुझे ध्यान आता है कि मैंने आपको बताया था कि हम आश्रममें कुछ समयसे 'गीता'का प्रतिदिन पाठ करते है। सारी 'गीता' हर पखवाड़ेमें एक बार समाप्त हो जाती है। अध्याय ७, और ८, १२ और १३, १४ और १५ तथा १६ और १७ एक एक दिनमें दो-दो करके पढ़े जाते हैं।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३०८५) की फोटो-नकलसे।

५४. पत्र : वाई० भास्करको

आश्रम
साबरमती
२५ फरवरी, १९२८

प्रिय बहन,

आपका पत्र मिला। बड़ा खेद है कि मुझे डाक्टरोंने कड़ी हिदायत दी है कि मैं कोई नया बोझ, चाहे वह कितना ही हलका क्यों न हो, अपने ऊपर न लूँ और जो मौजूदा जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें भी जितना ज्यादासे-ज्यादा कम कर सकूँ, कर दूँ। इसलिए इन परिस्थितियोंमें मैं आपकी प्रार्थनाको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

कुमारी वाई० भास्कर
वीमेन्स क्रिश्चियन टेम्परेन्स यूनियन
७४२, पेटिट हॉलके पास
पूना

अंग्रेजी (एस० एन० १३०८७) की माइक्रोफिल्मसे।

५५. पत्र : जी० रामचन्द्रन्को

आश्रम
साबरमती
२५ फरवरी, १९२८

प्रिय रामचन्द्रन,

मैंने महादेवको भेजा हुआ आपका तार खोल लिया है। चूँकि मुझे महादेव और आपके बीचके पत्र-व्यवहारकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस तारपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। आजकल महादेव बारडोलीमें है। वह हदसे-हद सोमवार तक यहाँ लौट आयेगा। तब वह मुझे आपके तारके बारेमें सब बातें बतायेगा और मैं समुचित कार्रवाई करूँगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत रामचन्द्रन्
नाराणत्त ताइक्काड
त्रिवेन्द्रम्

अंग्रेजी (एस० एन० १३५८९) की माइक्रोफिल्मसे।

५६. पत्र : रेवाशंकर झवेरीको

सावरमती
२५ फरवरी, १९२८

आदरणीय रेवाशंकरभाई,

आज डाक्टर मुथुका तार मिला। उसके सम्वन्धमें मैंने तार[1] भेजा है, मिल गया होगा। अब यदि चि० धीरू आ गया हो तो डाक्टर मुथुको आ जानेके लिए तार देनेकी बात मुझे तो मानने लायक लगती है। उनका यह कहना तो बिलकुल ठीक है कि जाँच किये बिना कुछ निश्चय नहीं किया जा सकता। डाक्टर मुथुकी फीस कितनी है यह तो मुझे खबर नहीं है, पर जैसे भी हो उसे बर्दाश्त कर लेना ही ठीक लगता है।

मेरी तबीयत ठीक रहती है। अभी तो डाक्टर बिछौनेपर रखेंगे ही। आपकी तबीयत अच्छी होगी।

ठाकुर साहबके अनुरोध पर यहाँसे उनके पशुओंकी परीक्षा करनेके लिए तथा शास्त्रीय ढंगकी खुराक बतानेके लिए भाई पारनेकरको भेजा है, उन्हें इस शास्त्रका ज्ञान है।

मोहनदासके प्रणाम

गुजराती (जी० एन० १२७२) की फोटो-नकलसे।

५७. गायको कौन छुड़ायेगा?

ब्रह्मभट्ट जातिका लगभग ७० वर्षका एक बूढ़ा सज्जन जो चार शादियाँ कर चुका है किन्तु जिसकी चारों स्त्रियोंका स्वर्गवास हो चुका है, अब फिरसे अपना घर चलाने और पुत्र पानेके लिए पाँचवाँ विवाह करनेका इच्छुक है। उनकी १५ सालकी एक लड़की है; लड़का कोई नहीं है। लड़कीका विवाह हो चुका है। ये सज्जन स्वयं विलायतकी यात्रा भी कर चुके हैं और पहले गायकवाड़के राज्यमें अच्छे ओहदे पर थे। मोतियाबिन्दके कारण आँखें चली गई हैं। अब यह बहु-विवाहित बूढ़ा इस ताकमें है कि कौनसा निदर्य बाप अपनी बेटी बेचनेको तैयार होता है। इस भाँति कसाईके घर जानेवाली गायको बचानेके हेतु ब्रह्मभट्ट जातिके कई जवान प्रयत्न कर रहे हैं। उनमें से एकने उसे इस कामसे रोकनेके लिए पत्र लिखा था। उसके

१. उपलब्ध नहीं है।

जवाबमें लम्बा पत्र आया है। पत्रकी नकल मेरे पास भेजी गई है। नीचे उसके अंश दे रहा हूँ :[1]

मूर्खोंमें गिने जानेका जोखिम उठाकर ही मैं यह पत्र छाप रहा हूँ। अगर ब्रह्मभट्ट जातिके लोगोमें बालिकाओंके प्रति संवेदनशीलताका अभाव हो गया होगा, अगर इस जातिके हृदयवान व्यक्तियोमें कायरता घर कर चुकी होगी और अगर इस जातिमें लोकमत जैसी कोई चीज नही होगी तो एक अनमेल विवाहको कोई नही रोक सकेगा। इससे इस जातिके मुट्ठीभर सहृदय तरुण और तरुणियोको डर कर अपना कर्तव्य नही भूलना चाहिए। शान्तिमय सुधार प्रेम अथवा धैर्यसे ही हो सकता है। स्वार्थके वश होकर कोई आदमी चाहे जैसा क्रोध क्यो न करे, उसे सहन करते रहना चाहिए। चाहे कोई कैसा भी पाण्डित्य क्यो न बघारे, उससे प्रभावित नही हो जाना चाहिए। उत्साहसे और लोकमत तैयार करनेसे पिछले १२ महीनोमें दो विवाह रोके जा सके हैं और की-कराई सगाई भी तुडवाई जा सकी है; यहाँ तो अभी सगाईकी चर्चाभर हुई है। अगर यहाँ लोकमत तैयार किया जा सके तो बहुत सम्भव है कि कोई गरीब गाय कत्ल होनेसे बच जाये।

अब जरा इस विलायतसे घूम कर आये हुए गृहस्थका पत्र देखें। मै यह नही समझ सका हूँ कि वह वृद्ध पुरुषोके सन्तान होनेका उदाहरण देकर क्या सिद्ध करना चाहता है। जो दलील उसने दी है, वह तो पाप करनेवालोकी सनातन दलील है। उपन्यासोमें हमने पढा है कि खूनी किस प्रकार सुन्दर भाषामें खूनके फायदे बतलाता है। लुटेरे भी अपने पराक्रमकी प्रशंसा करते दिखाई पडते है। किन्तु अगर हम न्यायकी ही खोज करे तो जान पडेगा कि पापसे जितने काम बनते दिखाई पड़ते हैं, उनसे उनके करनेवाले भले ही अपना लाभ मान लें, किन्तु जगतको लाभ नहीं होता है। बेजोड़ विवाहकी प्रथाको लीजिए। जो दृष्टान्त उपस्थित पत्रमें दिये हुए हैं, उनमें उन सभी पुरुषोने भले ही अपना लाभ देखा हो किन्तु यह अनुभवी वृद्ध पुरुष स्वार्थ और विषयके वशीभूत उनका दुरुपयोग कर रहा है और अपने कार्यका समर्थन करता है। उन लड़कियोने वृद्धोंके साथ विवाह करते समय क्या-क्या विचार किये होगे, कितने निःश्वास छोडे होंगे, इसका विचार करनेका समय इस गृहस्थको नही है; वह इसकी आवश्यकता भी नही देखता। यदि एक वृद्धको १५ या १३ वर्षकी लड़कीसे ब्याह करनेका अधिकार है तो सबको होना चाहिए। और अगर सभी वृद्ध इस तर्कके अनुसार चले तो हम सहज ही देख सकते हैं कि प्रजाका क्या हाल होगा। सारे जगतमें कही बुद्धिमान पुरुषोने बेजोड विवाहकी स्तुति नही की है। उसकी निन्दा हर एक देशमें की गई है। उसके अनेक बुरे परिणाम हिन्दुस्तानमें हम प्रत्यक्ष देख रहे है। इससे मै आशा रखता हूँ कि ये सज्जन रोष और आवेशमें लिखे हुए अपने पत्रको नई दृष्टिसे देखेंगे और अपनी विषयवासनापर काबू पायेंगे। यदि वह ऐसा न कर पाये तो उन्हे कोई ऐसी विधवा ढूँढनी चाहिए जो स्वेच्छापूर्वक विवाह करनेको तैयार हो।

१. यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं।

पुत्रकी प्राप्तिका मोह छोड़ देना भी उचित है। हमेशा ही पुत्रकी इच्छा करना पुण्य नहीं कहा जा सकता है। अगर सन्तानके विषयमें सामान्य जन्म-मरणका प्रमाण ठीक लागू हो तो वहाँ पुत्रकी इच्छा करनेकी बनिस्वत इच्छाका संयम ही करना पुण्य कर्म है। हिन्दुस्तानमें, हिन्दुस्तानकी अबकी गुलाम स्थितिमें जहाँ सब भयग्रस्त रहते हैं, तथा अपना, अपने सम्बन्धियों या अपनी मिल्कियतका रक्षण करनेकी शक्ति खो बैठे हैं, वहाँपर सन्तान उत्पन्न करना मैं तो पाप समझता हूँ।

अब रही सेवाकी चाह। यह कितना बड़ा वहम है कि सेवाके लिए अपना ऐसा ही सगा कोई सम्बन्धी व्यक्ति चाहिए। पैसेका लालच देकर किसी बापसे उसकी लड़कीको छीन लाने और उसे अपनी समझनेमें मुझे तो उद्दण्डताकी परिसीमा जान पड़ती है। ऐसी लड़कीको अपनी माननेके बदले यह कहना ज्यादा सही होगा कि मैंने एक बांदी खरीदी है। सेवाके लिए अभी तो काफी पैसा देनेपर अच्छे और वफादार नौकर मिल सकते हैं। इस वृद्ध पुरुषके लेखमें दूसरे कई अयोग्य विचार हैं, जिन्हें मैं अभी छोड़ देता हूँ। यदि यह लेख उनकी नजरसे गुजरे तो मैं उनसे शान्तिसे विचार करने और वे जो अनुचित साहस करनेको तैयार हुए हैं, उसे छोड़ देनेकी नम्रतापूर्वक विनय करता हूँ।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २६-२-१९२८

५८. विद्यार्थियोंका सुन्दर सत्याग्रह

'नवजीवन' में यह अनेक बार लिखा जा चुका है कि सत्याग्रह सर्वव्यापक होने के कारण, जिस भाँति राजनीतिक क्षेत्रमें किया जा सकता है उसी भाँति सामाजिक क्षेत्र तथा धार्मिक क्षेत्रमें भी किया जा सकता है, और जिस भाँति राजकर्त्ताके विरुद्ध, उसी भाँति समाजके विरुद्ध, कुटुम्बके विरुद्ध, माताके, पिताके, स्त्रीके, पतिके विरुद्ध यह दिव्य अस्त्र काममें लाया जा सकता है। क्योंकि जहाँ उसमें हिंसाकी गंध भी नहीं हो और जहाँ प्रेरक वस्तु अहिंसा यानी केवल प्रेम ही हो, वहाँ चाहे जैसी स्थिति हो इस शस्त्रका उपयोग निडर होकर किया जा सकता है। ऐसा उपयोग धर्मजके[1] साहसी विद्यार्थियोंने धर्मजके बड़े लोगोंके विरुद्ध थोड़े ही दिन पहले करके दिखाया। उससे सम्बन्धित कागजपत्र मेरे पास आये हैं। उनसे नीचे लिखी बातें मालूम होती हैं।

थोड़े दिन पहले किसी गृहस्थने अपनी माता की बारहवींके दिन बिरादरीका भोज कराया। भोजसे एक दिन पहले इस विषयपर नौजवानोंमें बहुत चर्चा हुई। उनके और कई गृहस्थोंके मनमें ऐसे भोजोंसे अरुचि तो थी ही। इस बार विद्यार्थी-मण्डलने सोचा कि अबके कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अन्तमें बहुतोंने नीचे लिखी तीनों या एक दो प्रतिज्ञाएँ लीं।

१. खेड़ा जिलेमें।

सोमवार २३–१–१९२८ के दिन बारहवीके लिए जो बडा भारी भोज होनेवाला है, उसमें न तो गुरुजनोंके साथ बैठकर और न परोसे हुए भोजनको घर मँगाकर खायेंगे।

२. इस रूढिके विरुद्ध अपना सख्त विरोध दिखलानेके लिए उस दिन उपवास करेंगे।

३. इस काममें अपने घर या कुटुम्बमें से जो कष्ट सहना पड़े, वह शान्ति और प्रसन्नतासे सहेंगे।

परिणामस्वरूप, भोजके दिन बहुतसे विद्यार्थियोंने, जिनमें कितने ही तो सुकुमार बालक थे, उपवास किया। इस कामसे विद्यार्थियोंने बडे गिने जानेवाले लोगोंका क्रोध अपने सिर लिया है। ऐसे सत्याग्रहमें विद्यार्थियोंको आर्थिक जोखम भी कम नही होता। गुरुजनोने विद्यार्थियोंको धमकाया कि तुम्हें जो आर्थिक मदद मिलती है वह छीन ली जायेगी और तुम्हें हम अपने मकानोमें नही रहने देंगे। पर विद्यार्थी अटल रहे। भोजके दिन २८५ विद्यार्थी भोजमें शामिल नही हुए और कितनोने तो उपवास भी किया।

ये विद्यार्थी धन्यवादके पात्र है। मै उम्मीद करता हूँ कि हर एक जगह समाज सुधार करनेमें विद्यार्थी आगे वढ़कर हाथ बँटायेंगे। जिस भाँति स्वराज्यकी चाबी विद्यार्थियोंके हाथ है, उसी भाँति वे समाज-सुधार और धर्म-रक्षाकी चाबी भी अपनी जेवमें लिये फिरते हैं। सम्भव है कि प्रमाद अथवा लापरवाहीके कारण उन्हें अपनी जेवमें पडी इस अमूल्य वस्तुका पता न हो। पर मै आशा करता हूँ कि धर्मजके विद्यार्थियोंको देखकर दूसरे विद्यार्थी अपनी शक्तिका अनुमान कर सकेंगे। मेरी दृष्टिसे तो उस स्वर्गवासी बहनका सच्चा श्राद्ध विद्यार्थियोंने ही उपवास करके किया। जिसने भोज दिया, उसने तो अपने धनका दुरुपयोग किया और गरीबोंके लिए बुरा उदाहरण रखा। धनिक वर्गको परमात्माने धन इसलिए दिया है कि वे उसका परमार्थमें उपयोग करें। उन्हें समझना चाहिए कि विवाह या श्राद्धके अवसरपर भोज कराना गरीवोंके बूतेके बाहर है। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि इस खराब रूढिसे कितने ही गरीव वरवाद हुए हैं। बिरादरीके भोजमें जो धन धर्मजमें खर्च हुआ, वही अगर गरीब विद्यार्थियोंके लिए, गोरक्षाके लिए अथवा खादीके लिए या अन्त्यज सेवाके लिए खर्च होता तो वह प्रतिफलित होता और मृतात्माको सद्‌गति मिलती। भोजको तो लोग भूल जायेंगे, उसका लाभ किसीको नही मिलेगा। विद्यार्थियोंको तथा धर्मजके दूसरे समझदार लोगोंको इससे दुःख अवश्य हुआ।

जिस भोजके लिए सत्याग्रह हुआ था, वह रुक न सका। इसलिए कोई यह शंका न करे कि सत्याग्रहसे क्या लाभ? विद्यार्थी स्वयं यह जानते थे कि उनके सत्याग्रहका तत्काल असर होनेकी सम्भावना कम है। पर अगर उनमें यह जागृति बनी रही तो फिर कोई सेठ बारहवीं करनेका साहस नही करेगा। बारह वर्षका कोढ़ एक दिनमें नही छूटता। उसके लिए धैर्य और आग्रहकी जरूरत होती है।

पंच समझा जानेवाला वृद्धवर्ग क्या समयका विचार नहीं करेगा? रूढ़िको समाज अथवा देशकी उन्नतिका साधन माननेके बदले वह कहाँतक उसका गुलाम बना रहेगा? अपने बालकोंको ज्ञान लेने और फिर उन्हें उस ज्ञानका उपयोग करनेसे कब तक रोकेगा? धर्माधर्मका विचार करनेवाले प्रमाद कर रहे हैं। प्रमाद छोड़कर वे सावधान कब होंगे और कब सच्चे पंच बनेंगे?

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २६-२-१९२८

५९. पत्र: विल्फ्रेड वेलॉकको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२६ फरवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

मैं आपको तथाकथित 'आत्मकथा' का खण्ड हस्ताक्षर करके भेज रहा हूँ। आपको यह जाननेमें दिलचस्पी होगी कि सभी सजिल्द खण्ड खद्दरसे बँधे हैं और खद्दरपर खर्च किये गये इस रुपयेका मतलब होता है कमसे-कम बारह आने सीधे अत्यन्त गरीब लोगोंकी जेबमें जाना।

हृदयसे आपका,

श्री विल्फ्रेड वेलॉक
विक्टोरिया एवेन्यू
क्विन्टन
बर्मिघम

अंग्रेजी (एस० एन० १४२५०) की फोटो-नकलसे।

६०. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२६ फरवरी, १९२८

प्रिय बन्धु,

सर हबीबुल्लाको लिखी गई आपकी अर्ध-सरकारी टिप्पणियोंकी प्रतिलिपियाँ मुझे बराबर मिलती रही हैं। मणिलाल तथा दूसरे लोग भी मुझे आपकी गतिविधियोकी सूचना देते रहते हैं। अभीसे ही ऐसे बहुत जरूरी पत्रोका आना शुरू हो गया है, जिनमें प्रार्थना की गई है कि आप अपने [कार्यकालके] वर्षके अन्तमें दक्षिण आफ्रिकासे लौट न आयें। वे कहते हैं कि आप पहलेसे ही अपने कार्यकालका समय समाप्त होनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस भयसे उनके पाँव काँप रहे हैं। मेरे पाँव तो और ज्यादा काँप रहे हैं। शायद इसलिए कि मेरे पैरोमें तो जूते भी नही है।[1] क्योकि मै वास्तवमें यह महसूस करता हूँ कि यदि आप स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर कारणोंके अलावा किसी अन्य कारणसे इस समय दक्षिण आफ्रिकासे चले आये, तो राष्ट्रके लिए एक दुखदायी संकट होगा। यह कहते हुए मुझे दुःख होता है; परन्तु यह सही है कि फिलहाल दूसरा कोई व्यक्ति आपका स्थान सफलतापूर्वक नही ले सकता। दक्षिण आफ्रिकामें रहते हुए आपसे लोगोका जो परिचय हुआ है, निश्चय ही उससे तिरस्कार पैदा नहीं हुआ है, बल्कि इससे उन लोगोके मनमें, जिनके सम्मानका काममें असर पड़ता है, आपके प्रति और भी अधिक सम्मान हो गया है। जिस तरह यूरोपियोंके बीच आपका प्रभाव बढ़ा है, वैसे ही हमारे देशवासियोमें भी आपके कट्टर अनुयायियोकी वृद्धि हुई है। आपको उनका त्याग नही कर देना चाहिए। इसलिए कृपया मुझे समाश्वासनका पत्र जरूर लिखिए। मैं यह नही जानता कि सरकार आपसे क्या करवाना चाहेगी।

सस्नेह,

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[पुनश्च :] यदि आप यहाँ होते तो इस समयकी यहाँकी राजनीतिको पसन्द नहीं करते।

मो० क० गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ८८१४ और एस० एन० ११९६३) की फोटो-नकलसे।

१. अंग्रेजीकी कहावत 'ट्रेम्बलिंग इन शूज'का प्रयोग करते हुए गांधीजी जूते न पहननेसे अपना कम्पन अधिक बता रहे हैं।

६१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२६ फरवरी, १९२८

प्रिय जवाहर,

तुम्हारे पत्र मिले। दिल्लीमें जो कुछ हो रहा है, उस सबको मैं समझ रहा हूँ। अपने पत्रोंमें तुमने जो कुछ कहा है, मैं उसका प्रत्येक शब्द समझ सकता हूँ। सम्मेलनकी रोजमर्राकी कार्यवाहियोंको जैसा मैं देख समझ रहा हूँ और जैसा उनका गूढ़ार्थ देख पा रहा हूँ उससे होनेवाले क्लेशको मैं पूरी तरह ठीकसे व्यक्त नही कर सकता। मैंने दूरसे अध्ययन करके जो कुछ अनुमान निकाला है तुम्हारे पिताजीके प्रकाश डालनेवाले पत्रने उसीकी पुष्टिकी है। उसके बाद कल कृष्णदासको कृपलानीका पत्र मिला है। तुम्हारा जो पत्र आज आया है उसने इसे पूर्ण बना दिया है।[1] हम लॉर्ड बर्कनहेडकी धृष्टता और आयुक्तोकी चालबाजीके विरोधमें कितना दयनीय आचरण कर रहे है? मुझे सर जॉन साइमनसे, पहले ही से ज्यादा आशा नही थी, परन्तु इसके लिए तो मैं कतई तैयार नही था कि वह नौकरशाहीके जाने-पहचाने सभी दाँव-पेच लड़ायेगा। अछूतोके साथ इस नवीनतम सौदेबाजीने तो सारी स्थितिको और भी बिगाड़ दिया है। बहरहाल हमें धैर्य रखना है। इसलिए तुम्हें धैर्यसे सारी यन्त्रणा सहनी होगी और जहाँ हो सके सुधार करना होगा।

जितनी जल्दी हो सके जरूर आओ। मुझे आशा है कि कमला अपनी ताकतको बनाये हुए है, भले ही ताकत बढ़ न रही हो। मुझे पता नही कि तुम्हारे पिताजीने तुम्हे यह बात बताई है या नही कि तुम्हारे आनेसे पहले जब तुम्हारे पिता मेरे साथ यहाँ बंगलोरमें थे, तब हम दोनोंने तुम्हारे बंगलोर रहनेके बारेमें सोचा था — क्योंकि गर्मीके मौसममें यहाँका जलवायु बहुत बढ़िया होता है। मौसमके लगभग चार सप्ताह दु:खदायी होते है। परन्तु तुम हमेशा नन्दी हिल्स जा सकते हो जो बंगलोरसे सिर्फ

१. इलाहाबादसे लिखे २३ फरवरीके अपने पत्रमें जवाहरलाल नेहरूने लिखा था :— मैंने कुछ ही घंटे पहले आपको पत्र लिखा था। उसमें आपको सूचना दी थी कि मैं सोमवार या मंगलवारकी रातको साबरमती पहुँच जाऊँगा। इसके एकदम बाद मुझे दिल्लीसे बुलावा आ गया कि मैं एक पखवाड़े तक या इससे भी ज्यादा दिन संविधानका मसविदा तैयार करनेमें सहायता देनेके लिए वहाँ रहूँ। व्यक्तिगत रूपसे मैं सर्वदलीय सम्मेलनसे काफी परेशान हो चुका हूँ: दस दिनोंमें इसका मुझपर इतना बोझ पड़ा कि मैं झगड़े एवं बगावतको टालनेके लिए वहाँसे भाग गया। तीन दिनकी गैरहाजिरीसे ही मैं बेहतर महसूस करने लगा हूँ लेकिन अगर सब दलोंके झगड़ोंकी एक और खुराक मैंने ली तो मेरा दिमाग फिर जायेगा। इसलिए मैं दिल्लीकी बैठकोंमें बिलकुल शरीक होना नहीं चाहता हूँ। मैं कह नहीं सकता क्या कुछ हो जाये। मैं दिल्लीसे आपको तार भेजूँगा। (एस० एन० १३०७९)

३५ मील है और जहाँका मौसम सुहावना एव ठण्डा रहता है। कमलाके स्वास्थ्यमें स्विटजरलैंडमें जो सुधार हुआ है उसे किसी भी दशामें क्षीण नही होने देना चाहिए।

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजी (एस० एन० १३०७९) की फोटो-नकलसे।

६२. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

२६ फरवरी, १९२८

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम्हारे पत्र मिल गये है। तार भी मिल गया है। उनका जवाब दे चुका हूँ। यदि मै बहुत बीमार हो जाऊँ तो तार अवश्य भिजवाऊँगा। दूसरे लोग भी तब तार भेजेंगे ही। बहुत बीमार व्यक्ति स्टीमरकी राह क्या देखेगा? इसलिए मेरी इतनी बीमारीके बाद भी तुम्हारा काम छोड़कर भागते चले आनेकी अपनी इच्छाको दबाना ही ठीक माना जायेगा।

रामदास और निर्मला राजकोट तथा अमरेली गये है। दोनोंने ही मेरे किसी काममें जुट जानेका निश्चय किया है। वे कहाँ काम करेंगे इसका निर्णय भी १५ मार्चसे पहले हो जायेगा।

देवदास अभी यही है। उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। ब्रायन गेब्रियल भी तीन दिन रहनेके बाद आज बम्बई गये है। उन्हीके स्टीमरसे तुम्हें यह पत्र मिलेगा।

मै चाहता हूँ कि सुशीलाका स्वास्थ्य बिलकुल ठीक हो जाये। वह अंग्रेजीकी कौन-सी पुस्तक पढ रही है? मुझे उसके अक्षरोका नमूना भेजना।

श्री कैलेनबैकसे कहना कि मै तो उनके आनेकी राह देख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७३४) की फोटो-नकलसे।

६३. पत्र : तुलसी मेहरको

फाल्गुन शुक्ल ६ [२६ फरवरी, १९२८][1]

चि० तुलसी महेर,

तुमारा खत मीला। व्याधि ऐसी ही वस्तु है। कहांसे कैसे आती है वहोत वखत पता नहिं चलता है। इसका दुःख नहिं मानना परंतु ज्यादा आत्मनिरीक्षण करना और व्याधिके लीये भी ईश्वरका अनुग्रह मानना, यदि अपने दोषको हम जाने तो दूर करनेका प्रयत्न करना। मुझे लीखते रहो। दूधकी आवश्यकता होने पर लेना।

बापूके आशीर्वाद

श्री तुलसी मेहर
चरखा प्रचारक
श्री तुलसी बहादुरजी मार्फत वीरगंज
रक्सौल (बिहार)

जी० एन० ६५३३ की फोटो-नकलसे।

६४. पत्र : एल० डब्ल्यू० रिचको

आश्रम
साबरमती
२७ फरवरी, १९२८

प्रिय रिच,

मुझे आपके लम्बे पत्रको, भले ही वह एक कामकाजी पत्र है, पाकर प्रसन्नता हुई। आपके पत्रके विपरीत मैं घरेलू कामकाजसे बात शुरू करता हूँ। प्रसंगवश कह रहा हूँ कि कुमारी कनुडसन फिलहाल मेरे साथ रह रही हैं; उनसे यह जानकर कि आप अपनी एक टाँग खो बैठे हैं मुझे बड़ा दुःख हुआ। परन्तु वह मुझे यह नहीं बता सकी कि यह कैसे हुआ, सो लिखिए। श्रीमती रिच कैसी हैं? एरिक और हेरॉल्डके क्या हाल-चाल हैं? मैं लड़कियोंके नाम भूल रहा हूँ। आशा है कि इस कारण वे मुझे अशिष्ट नहीं मानेंगी। वे सब क्या कर रही हैं? जहाँतक मेरा सम्बन्ध है मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ और बोलकर लिखवा रहा हूँ। इसका कारण खुद मेरा अपने स्वास्थ्यमें कुछ खास गड़बड़ी महसूस करना न होकर डाक्टरोंकी यह चेतावनी है कि मैं अभी कुछ समय तक शारीरिक तथा मानसिक उत्तेजनासे बचूँ। श्रीमती गांधी

१. डाककी मुहरसे।

बिलकुल ठीक हैं। हरिलालने मुझे एक तरहसे छोड़ ही दिया है। वह खाता-पीता और खुश रहता है। एक तरहसे वह बहादुर लड़का है। वह अपने पापोंको छिपाकर नही रखता। उसका विद्रोह खुला विद्रोह है। यदि उसने अपने उधार देनेवालोंको धोखा न दिया होता तो मैं उसकी दूसरी खामियोकी ओर ध्यान न देता। परन्तु उधार देनेवालोको धोखा देना मैं पसन्द नही करता। आपको मालूम है कि मणिलाल फीनिक्समें है। रामदास और देवदास मेरे कामम मेरी मदद कर रहे है। पोलक अभी भारतमें हैं और अपने कामकाजके सिलसिलेमें यात्रा कर रहे है। मद्रासमें उनसे मेरी कुछ क्षणोंकी मुलाकात हुई थी। लन्दनके लिए रवाना होनेके पहले वे शायद आश्रम आयें। एन्ड्रयूज आश्रममें अक्सर आते रहते हैं। ३ मार्चके लगभग उन्हें यहाँ आना है। यह आश्रम एक बड़ा काम है और प्रगतिशील है। फिलहाल यहाँ लगभग दो सौ लोगोकी बस्तीका भरण-पोषण हो रहा है। इसे एक छोटा गाँव ही समझिए। हम कपड़ा बनाने तककी सूतकी सारी प्रक्रियाओको ही पूरा नही करते; हम एक छोटी डेरी और एक छोटा चर्मालय भी चला रहे है और थोड़ी बहुत काश्तकारी भी करते है। हमने कुछ फलोंके वृक्ष लगाये है और अपनी सब्जियाँ खुद पैदा करते है। हम थोड़ा अनाज और पशुओंके लिए पर्याप्त चारा उगा लेते है। आमतौर पर हमारे पास एक या दो यूरोपीय भी रहते है और ऐसे आगन्तुकोका लगातार ताँता लगा रहता है। जीवन बड़ा सादा है—यो भारतीय परिवेशको देखते हुए इतना सादा भी नही है। आप उतनी दूरसे जन-साधारणकी चूरकर डालनेवाली यहाँकी गरीबीका अन्दाज नही लगा सकते। यदि हम और भी कम खर्च करके अपना काम चला लें, तो मैं फौरन इस खर्चको कम कर दूंगा। अभी खर्च कपड़ोंको मिलाकर, परन्तु किरायेको छोड़कर, औसतन प्रति-मास एक पौण्ड बैठता है। हम रहनेका किराया तो कुछ भी नही दे रहे हैं। हमारे पास लगभग ७५ लड़के-लड़कियाँ है। उनके लिए हम एक स्कूल, जिसे मैं आदर्श स्कूल कह सकता हूँ, चला रहे हैं और वहाँ शिक्षण सम्बन्धी प्रयोग किये जा रहे हैं।

अब मैं कामकाजकी बातपर आता हूँ। मेरा अपना विचार है कि एन्ड्रयूज अथवा शास्त्री दोनोमें से कोई भी जितना उन्होने पा लिया है, उससे ज्यादा नही पा सकते थे। मै आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि संघके मन्त्रियोको वायदोसे पीछे हटनेके लिए विवश कर दिया जायेगा, परन्तु यदि शास्त्रीको कुछ देर तक दक्षिण आफ्रिकामें रहने दिया जाये, तो मेरी समझमें उनका सही और सच्चाईसे भरा दौत्य दक्षिण आफ्रिकाकी कुटिल नीतिपर विजय पा सकेगा। यदि हम १९०६ से १९१४ तकके संघर्षका पूरा-पूरा फल पाना चाहते हैं, तो हमें ईमानदारीसे काम करना चाहिए और अपना दामन साफ रखना चाहिए। मै निश्चय ही ऐसा अनुभव करता हूँ कि यदि वे लोग जो चोरी-छिपे घुस गये है लालच करना छोड़ दें, सच्चाईसे बात साफ स्वीकार कर लें और भविष्यमें किसी भी व्यक्तिके छलपूर्वक प्रवेशको बढावा न दें, तो स्थिति सँभाली जा सकती है और प्रवासी-आबादीकी हालत धीरे-धीरे बराबर सुधारी जा सकती हैं। बहरहाल यदि इच्छा यह हो कि जो पहलेसे चोरी-छिपे घुस आये है उसपर पर्दा डाला जाये और साथ ही दूसरोंके लिए भी दरवाजा खुला छोड़ दिया जाये, तो मेरे

विचारमें भारतीय लोग दक्षिण आफ्रिकामें थोड़े भी आत्म-सम्मानके साथ नहीं रह सकते। इसमें मुझे कोई सन्देह नही कि ये किसी-न-किसी तरह टिके तो रहेंगे; क्योंकि इतने बड़े और उद्योगशील भारतीय वर्गका नामोनिशान मिटा देना तो कठिन ही होगा, किन्तु उनकी स्थिति बहुत हीन होगी; जबकि मै चाहता यह हूँ कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय केवल दक्षिणी आफ्रिकाके निर्माणमें ही सम्मानजनक योग न दें, बल्कि भारतके निर्माणमें भी हाथ बँटायें। यदि हम दक्षिण आफ्रिकामें शिष्ट आचरण करे तो यह सम्भव है कि समय आनेपर हमें नागरिकताके सारे अधिकार मिल जायें। आप इस पत्रको जिस किसी मित्रको दिखाना चाहें, दिखा सकते है।

आप सबको आदर सहित,

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ११९६५) की फोटो-नकलसे।

६५. पत्र : के० बालसुब्रह्मण्यमको

आश्रम
साबरमती
२७ फरवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। इसके बारेमें मै जितना ज्यादा सोचता हूँ उतना ही मेरा यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि अंग्रेजी वस्तुओका बहिष्कार एक व्यर्थका नारा है। भारतीय मिलोंके बहिष्कारके बारेमें मैने नही सोचा है। उनके बारेमें मैंने जो कुछ कहा है सो तो यही है कि खादीकी तरह उनके लिए किसी विज्ञापनकी आवश्यकता नहीं है। यह ऐसा ही है जैसे पुराने जमे हुए उद्योगके लिए विज्ञापनकी कोई आवश्यकता नही होती, जबकि नये उद्योगके लिए होती है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत के० बालसुब्रह्मण्यम
६, लक्ष्मीविलास
मम्बलम् (मद्रासके पास)

अंग्रेजी (एस० एन० १३०८८) की फोटो-नकलसे।

६६. पत्र : के० नरसिंह आयंगारको

आश्रम
साबरमती
२७ फरवरी, [१९२८][1]

प्रिय मित्र,

आपके १८ तारीखके पत्रके सन्दर्भमें मैं प्रबन्धकको सूचित कर रहा हूँ कि वे आपको बदलेमें 'यंग इंडिया' भेज दें। मैंने वह परिशिष्ट नहीं देखा जो आप कहते हैं आपने भेजा है।

आपके लिए मेरा सन्देश है कि एक भारतीय पत्रिकाको भारतसे बाहर दुगुनी सावधानी बरतनेकी आवश्यकता है। मुझे आशा है कि आपकी पत्रिका लोगोंकी, फिर वे कहीं भी क्यों न रह रहे हों बुरी रुचियाँ उभारनेके बजाय सामाजिक एवं नैतिक सुधारके लिए दृढ़तापूर्वक डटी रहेगी और प्रवासियोंको यह दिखायेगी कि यह उनका कर्त्तव्य है कि वे जिस भूमिमें प्रवास करें वहाँ सर्वोत्तम भारतीय संस्कृतिका प्रतिनिधित्व करें और कमसे-कम खद्दरको स्वीकार करके अपने एवं मातृभूमिके बीच सम्बन्ध बनाये रखें।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत के० नरसिंह आयगार
प्रबन्ध सम्पादक
'दि तमिल नेशन'
२१२ बाटू रोड, कुआललम्पुर
(एफ० एन० यू०)

अंग्रेजी (एस० एन० १४२५१) की फोटो-नकलसे।

1. यह १८ जनवरी, १९२८के पत्रके उत्तरमें लिखा गया था।

६७. पत्र : प्रागजी के० देसाईको

२७ फरवरी, १९२८

चि० प्रागजी,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम सचमुच ही मुश्किलमें पड़ गये हो। धैर्य तथा सत्य निष्ठासे सभी समस्यायें हल हो जायेंगी। लोभके वश होकर कभी असत्यको प्रोत्साहन न देना। मैंने रिचको अपने विचार लिख भेजे हैं।[1] उनका काफी लम्बा पत्र आया है। उसे मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मैं मानता हूँ कि आइन्दा अनधिकारी व्यक्तियोंको लानेका प्रयास बिलकुल बन्द हो जाये तो बाजी हमारे हाथमें रहेगी। शास्त्रीजीको एक वर्ष और रखनेका प्रयत्न करना। यहाँपर मैं भी प्रयत्न करूँगा। मेढ कैसा चल रहा है? अब तुम्हारे मामलेके बारेमें निर्णय होगा। किस तरहके फैसलेकी आशा है?

मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। घबरानेकी कोई बात नहीं है। बारडोली आनेके लिए मन करे, तो अपनेको रोकना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५०३१) की फोटो-नकलसे।

६८. पत्र : रामनारायण चौधरीको

२७ फरवरी, १९२८

भाई रामनारायण,

आपका पत्र मिला। मुझे तो कुछ पता भी नही था कि मेरे बारेमें 'श्रद्धानन्द' में क्या लिखा जाता है। मैं एक दो अखबार चंद मिनिटके लिए देख लेता हूं। मेरा बचाव कोई भी करे वह भी मैं नही चाहता हूं। मेरे निमित्तसे किसी पर हमला किया जाये वह मुझे पसन्द नहीं है। इस पत्रका जैसा चाहे वैसा उपयोग करें। मैं 'प्रताप' को लिखता हूँ।[2]

आपका,
मोहनदास

बापू : मैंने क्या देखा क्या समझा?

१. देखिए "पत्र : एन० डब्ल्यू० रिचको", २७-२-१९२८।

२. श्रद्धानन्दकेमें लिखे विनायक राव सावरकरके एक लेखकी प्रतापने अपने एक सम्पादकीयमें कड़ी आलोचनाकी थी। प्रतापको लिखा गया गांधीजीका पत्र उपलब्ध नहीं है।

६९. पत्र: रेवाशंकर झवेरीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
[२९ फरवरी, १९२८ से पूर्व][1]

आदरणीय रेवाशंकरभाई,

आपका पत्र मिला।

डा० मुथुको तार भेजकर ठीक ही किया है। मुझे तो उनका अच्छा ही अनुभव हुआ है। वह प्रसिद्ध तो बहुत है। उनके आनेकी खबर आये तो मुझे तार देना, ताकि मैं उन्हें फिर पत्र लिख सकूँ। उनके तारके जवाबमें पत्र तो लिख दिया था।

यदि वे कुछ मिलनसार व्यक्ति लगें तो अपनी जाँच भी करवा लेना। सूजन हो जाना तो हृदयकी निर्बलताका सूचक है। घूमना-फिरना बन्द करना तो ठीक ही है। लेकिन आपको ताजी हवाकी सख्त जरूरत है।

मणिलाल चि० जेकी[2]को तुरन्त बुला रहा है। ऐसा लगता है कि अदनमें उसका काम ठीक चल रहा है। उसने जेकीकी यात्राका खर्च भी थॉमस कुकको दे दिया है। उसके पोतोंमें पानी भर गया है और अदनमें शल्यक्रिया कराना चाहता है इसीलिए जेकीको बुला रहा है। मुझे लगता है कि वह बीमार न होता तो भी उसे बुलाता। बच्चोंको भी बुलाया है। जेकीका यहाँ सब अच्छी तरह जम गया है। उसके बच्चे भी खूब पढने लगे हैं। सबका स्वास्थ्य ठीक रहता है परन्तु मुझे लगता है कि यदि मणिलाल बुला रहा है तो अदन चले जाना जेकीका स्पष्ट धर्म है। वह भी जानेके लिए तैयार है। इस सम्बन्धमें आप अपनी राय लिख भेजें ताकि उसके अनुसार कर सकूँ।

मैं ठीक हूँ।

मोहनदासके प्रणाम

गुजराती (जी० एन० १२७३) की फोटो-नकलसे।

१. विषय-वस्तुसे स्पष्ट है कि यह २९ फरवरीसे पहले लिखा गया होगा देखिए "पत्र: रेवाशंकर झवेरीको", २९-२-१९२८।

२. जयकुँवर, डा० प्राणजीवन मेहताकी पुत्री।

७०. पत्र : अब्बास तैयबजीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२९ फरवरी, १९२८

प्रिय भुर्रर . . .[1]

आप पच्चीस साला एक खासे जवान आदमी हैं। आप बारडोलीके जोश-खरोश और सरकारका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप डट जायें तो आपकी हार कभी नहीं हो सकती।

आपका,
भुर्रर . . .

अंग्रेजी (एस० एन० ९५६२) की फोटो-नकलसे।

७१. पत्र : दुनीचन्दको

आश्रम
साबरमती
२९ फरवरी, १९२८

प्रिय लाला दुनीचन्द,

लाला सूरजभानके जरिये मुझे आपका पत्र मिला। मैंने उन्हें कामपर लगा दिया है; इसकी उन्हें कतई आशा नहीं थी। मैंने उन्हें बता दिया है कि जबतक वह सच्चे और साधारण मजदूर नहीं बन जाते, आश्रम-जीवनके आदी नहीं हो सकते। परन्तु ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे बड़ी सौम्यता और प्रसन्नताके साथ स्वीकार किया है।

अब रही आपके दानकी बात। मैं नहीं जानता कि आपने जानबूझकर पक्का बनियापन स्वीकारा है या नहीं। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं था कि आपको अपने से भी ज्यादा पक्के बनियेसे पाला पड़ा है, जो स्वेच्छासे दरिद्रनारायणके एजेण्टके रूपमें कार्य कर रहा है। आप कहते हैं कि आपने अपने पुत्रके विवाह पर आश्रमको ५०० रु० दान देनेकी घोषणा की थी और आप इस निधिके एक भागको, यदि कानून की भाषामें कहा जाये तो गलत तरीकेसे उस कर्जेकी अदायगीमें मुजरा कर लेना चाहते हैं, जो आपने स्वेच्छासे श्रीयुत मणिलाल कोठारीको[2] दिया था। किसी भी दान का उपयोग किसी कर्जको, चाहे वह कानूनी हो या नैतिक, उतारनेमें कैसे किया जा सकता है? अखिल भारतीय चरखा संघको दान देनेके आपके वायदेका उस आश्रमसे

१. गांधीजी और तैयबजी एक दूसरेका अभिवादन इसी प्रकार किया करते थे।
२. आश्रमके लिए।

क्या सम्बन्ध है, जो आश्रम बहुविध कार्यकलापका प्रतिनिधित्व करता है — चमड़ा पकाना, डेरी चलाना, खेती, स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोग, कपास उगाना, उसे ओटना, फिर धुनाई, बुनाई, रँगाई, छपाई, बढ़ईगिरी, लोहा गिरी, शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोग, विधवाओंकी देखभाल, तथाकथित अछूतोका ध्यान रखना आदि? और उस दानपर, जो घोषणा के दिन दे नही दिया गया, दातासे दुगुना ब्याज क्यों न वसूल किया जाये; दाता तो घोषणाके दिनसे ही उसका ट्रस्टी बन गया? इससे पहले कि मै अन्तिम रूपसे आपके चेकसे निबटूँ कृपया आप इस समस्याको सुलझा लें। और मै आपसे यह कहूँगा कि आप इस प्रश्नका निर्णय करते समय श्रीमती दुनीचन्दकी राय ले लें। जब मुझे आपके घर रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मैने श्रीमती दुनीचन्दमें, जितना बनियापन आपने दिखाया है, उससे कम बनियापन देखा था।

हृदयसे आपका,

लाला दुनीचन्द
एडवोकेट
कृपानिवास
अम्बाला शहर

अंग्रेजी (एस० एन० १३०८०) की फोटो-नकलसे।

७२. पत्र : बी० राजाराम पाण्डयनको

आश्रम
साबरमती
२९ फरवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। यदि आपमें अपनी धारणाके अनुसार काम करनेका साहस है, तो निस्सन्देह आप दोनो लड़कोको स्कूल नही भेजेंगे; या तो आप उनके लिए कोई निजी प्रबन्ध करेंगे या फिर उन्हे किसी राष्ट्रीय स्कूलमें भेजेंगे। इसके साथ मै यह भी जरूर कहूँगा कि आपने अपने पत्रमें जो स्वर अपनाया है वह मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। यदि आपने मुख्याध्यापकको स्पष्ट कह दिया होता कि बहिष्कारकी राष्ट्रीय घोषणाके कारण आपने अपने लड़के स्कूल नही भेजे हैं, तो यह बहुत प्रतिष्ठाके अनुकूल बात होती। यह सच है कि तब भी लड़कोको स्कूलसे बाहर निकाल दिया जाता; परन्तु यह मुँह-माँगा और इसलिए प्रतिष्ठाजनक निष्कासन होता।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत बी० राजाराम पाण्डयन
भास्कर विलास पैलेस
रामनद

अंग्रेजी (एस० एन० १३०९०) की फोटो-नकलसे।

७३. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

आश्रम
साबरमती
२९ फरवरी, १९२८

प्रिय मोतीलालजी,

जवाहरने मुझे आपके पत्रके[1] लिए तैयार कर रखा था। मुझे खेद है कि हमारी मुलाकातमें देरी हो गई है। परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि आप वहाँ रुके हुए हैं। सम्भव है कि कोई ठोस परिणाम निकल आये। सारे राष्ट्रका व्यवस्थित ढंगसे अपमान किया जा रहा है और फिर भी हम लोग अपने आपको कितना हीन प्रदर्शित कर रहे हैं। परन्तु मैं समझता हूँ कि हमें गले पड़ी बातको निभाना ही है। आशा है कि बीस की समितिमें उपस्थिति पूरी रहेगी। हम जो कुश्ती लड़ रहे हैं वह बराबरकी नहीं है। एक ओर तो पूरे समय काम करनेवाले होशियार लोग हैं, जो एकमत होकर और पूरी तरह सोच-विचार कर काम करते हैं और दूसरी ओर थोड़े समय काम करनेवाले हम लोग हैं, जो कई काम एक साथ करते हैं और जितने लोग हैं,

१. अपने २४ फरवरीके पत्रमें मोतीलाल नेहरूने लिखा था . . . "मुझे खेद है कि २६ को मैं और जवाहर साबरमतीके लिए रवाना नहीं हो सकेंगे। उसी दिन जबकि मैंने आपको विभिन्न दलोंमें सहमति और असहमतिकी बातें सूचित करते हुए पत्र लिखा था, श्री जिन्नाने घोषणा कर दी कि यह कहना गलत है कि मुस्लिम लीग किसी भी बातपर रजामन्द हुई है, क्योंकि मुस्लिम लीगने सम्मेलनमें रस्मी तौरपर अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो विचार मैंने व्यक्त किये हैं, वे मेरे निजी विचार हैं। परन्तु मैं यह महसूस करता हूँ कि चूँकि मेरी लीगने मुझे कोई निश्चित अधिकार नहीं दिया है इसलिए मैं अपने इन विचारोंसे बाध्य नहीं हूँ। इस तरह लम्बी बैठकों और लम्बे-चौड़े विवादोंका, जिनमें दस दिन लग गये, कोई अर्थ नहीं निकला। हमने यह भी देखा कि सम्मेलनमें उपस्थिति दिन-ब-दिन कम होती गई और २१ को तो १४ ही लोग उपस्थित थे। मुस्लिम लीगकी कार्यकारिणीकी बैठक २६ को हो रही है। श्री जिन्नाने वायदा किया है कि वह उससे अपने विचार मनवानेकी भरसक कोशिश करेंगे। इन सब परिस्थितियोंमें मैंने सोचा कि सम्मेलनको आगे चलाना फिजूल है और यह सुझाव दिया कि एक उप-समिति बना दी जाये जो सारी समस्यापर विचार करे और जितनी जल्दी मुमकिन हो सम्मेलनकी स्थगित बैठकको अपनी रिपोर्ट दे। इसपर सब रजामन्द हो गये और सम्मेलनको ८ मार्च तकके लिए स्थगित कर दिया गया। एक दम काम शुरू कर देनेके लिए २० सदस्योंकी समिति बना दी गई। हमें बहुत सारे काम करने बाकी हैं। परन्तु या तो हम २६ के बाद पहलेसे अच्छी प्रगति करने लगेंगे, या हमें सारी कोशिशें छोड़ देनी पड़ेंगी। मैं महसूस करता हूँ कि उपर्युक्त दोनों सम्भावनाओंमें से जबतक एक चीज नहीं हो जाती, यहाँ मेरी हाजिरी जरूरी है। जैसे ही मैं फारिग हुआ, आपको पत्र लिखूँगा या तार भेजूँगा।

उनके लगभग उतने ही भिन्न मत हैं। बहरहाल मुझे आशा इस बातसे है कि हमारा मामला न्याय-संगत है।

आशा है कि आँखें आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दे रही होंगी।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३०८३) की फोटो-नकलसे।

७४. पत्र : पद्मराज जैनको

आश्रम
साबरमती
२९ फरवरी, १९२८

प्रिय पद्मराज बाबू,

आपका पत्र मिला। मेरे विचार 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंमें समय-समयपर और साफ तौरसे व्यक्त ही होते रहते है। मुझे कुछ अन्दाज नही कि फिलहाल वहाँ क्या किया जा रहा है। परन्तु मैं सुझाव देता हूँ कि आप पण्डित मालवीयजीसे सलाह लें; वे वर्तमान आन्दोलनकी भीतरी हालतको मेरी अपेक्षा ज्यादा जानते हैं, मैं तो बिस्तरपर बीमार पड़ा हूँ; इसलिए जैसा कि आप देखते ही होंगे, मैं सिर्फ स्वदेशी, बहिष्कार और इसी तरहके अन्य विषयोंपर अपने आम विचारोंको अभिव्यक्त करके अपने आपको सन्तुष्ट रख लेता हूँ।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत पद्मराज जैन
बंगाल प्रान्तीय हिन्दू सभा
१६०, हैरिसन रोड
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३०८९) की फोटो-नकलसे।

७५. पत्र : देवचन्द पारेखको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
बुधवार [२९ फरवरी, १९२८][1]

भाईश्री ५ देवचन्द भाई,

आपका पत्र मिला। मुझे एक रसायनशास्त्रीने बताया है कि यदि तेलको बर्फकी तरह जमा लें तो उसका एसिड निकल जाता है और केवल चरबी ही रह जाती है।

मोरबीकी खबर तो अच्छी आई है। यदि रेवाशंकर भाई मान जायें तो उन्हें ही प्रमुख बनवायें। वे हार जायें तो फिर किसी औरको चुन सकते हैं। यह सुझाव मुझे सबसे अच्छा लगता है।

भाई फूलचन्द वगैरा बारडोली गये हैं इसलिए अब आपकी मदद कौन कर रहा है? मोरबीकी अन्त्यजशालाका क्या किया? मैं चाहता हूँ कि परिषदके[2] प्रस्तावों पर अमल करवानेके लिए भी आप कुछ करें। चिलगोजाका अंग्रेजी नाम मुझे मालूम नहीं है। यदि यह मेवा मुझे मिला तो उसका नमूना आपको भेजूंगा। नाम भी खोजूंगा।

बापूके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ५६९५) की फोटो-नकलसे।

७६. पत्र : रेवाशंकर झवेरीको

बुधवार, २९ फरवरी, १९२८

आदरणीय रेवाशंकरभाई,

आपका पत्र मिला और तार भी। तार पाकर मैंने आपके पतेपर डाक्टर मुथुको कल ही पत्र लिख दिया था। वह आपने उनके पास पहुँचा दिया होगा। यदि उनकी जाँचके परिणामके सम्बन्धमें तार न किया हो या आज पत्र न लिखा हो तो तारसे सूचित करें। डाक्टर मुथुको भी मैंने सारा हाल खोलकर लिखनेके लिए लिखा है।

चि० जेकीका अदन जानेको जरा भी मन नहीं है। वह तो जैसा हम कहें वैसा करनेको तैयार है। अब सोचना तो यह है कि उसके विषयमें हमारा धर्म क्या है। मणिलालकी इच्छाके विरुद्ध क्या हम जेकीबहनको अपने पास रख सकते हैं?

१. डाककी मुहरसे।
२. काठियावाड़ राजनैतिक परिषद।

डाक्टर[1] इस स्थितिमें क्या करते? मैं इस पर स्वतन्त्र रूपसे विचार कर सकता तो जेकीको अवश्य ही न जानेकी सलाह देता। पर मुझे लगता है कि डाक्टर ऐसा न करना चाहेंगे और शायद आप भी यह नही चाहेंगे। स्त्रियोंका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। पति विषय-वश होकर जो बोझ उनपर लादते हैं अगर मेरी चले तो उसमें से एक-एकको बचा लूँ। किन्तु यदि भगवान सभी काम हमारी इच्छानुसार होने दे तो दुनियाका नाश हो जाये। इसलिए तटस्थ भावसे जो-कुछ हो सके उसीको करते रहनेमें छुटकारा है।

मोहनदासके प्रणाम

गुजराती (जी० एन० १२७४) की फोटो-नकलसे।

७७. वैदेशिक प्रचार

मैं वैदेशिक प्रचारके मसलेपर कोई गर्मागर्म बहस नहीं छेडना चाहता; किन्तु मैं ऊपरका लेख[2] इसलिए छाप रहा हूँ कि उसमें बहुत-से कार्यकर्त्ताओंके विचारोका सार आ जाता है। उनके वे विचार इसलिए कमजोर नही कहे जा सकते कि वे उन्हें सार्वजनिक रूपसे प्रकट नही करते। १९२० का सच्चा और शुद्ध असहयोग यद्यपि आज व्यापक नही दिखलाई देता, पर वह निश्चय ही कुछ लोगोंके जीवनमे दिनोदिन और भी अधिक घर करता चला जा रहा है और आज जो कुछ इस देशमें हो रहा है, उससे उनके विश्वासकी पुष्टि ही होती है। मगर वे समय असमय, हमेशा शोर मचाकर अपना असर डालनेसे रहे। इसके विपरीत वे समझते हैं कि हम जहाँ कहीं बोलकर स्वराज्यकी सेवा नही कर सकते, वहाँ चुप रहकर ही स्वराज्यकी ज्यादा अच्छी सेवा करते हैं; और इसलिए जहाँ कहीं उनसे हो सकता है, वे नम्रतासे सक्रिय रूपमें सहायता कर रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १-३-१९२८

१. डा० प्राणजीवन मेहता।
२. च० राजगोपालाचारीके लेखके लिए देखिए परिशिष्ट १।

७८. अराजकता बनाम कुशासन

एक आदरणीय मित्र लिखते हैं:[1]

> आप राजनैतिक मामलोंपर अपना जो मत प्रकट करते हैं उसमें मैं बहुत कम हस्तक्षेप करता हूँ। आपने अभी हालमें अपने एक अग्रलेखमें एक वाक्य लिखा है; जो बहुत पहले कही हुई एक बातकी पुनरुक्ति है और जिसके कारण मुझे बरबस आपसे यह पूछना पड़ रहा है कि आप जैसे नैतिक प्रश्नोंके व्याख्यातासे जितनी सावधानीकी आशा की जाती है, क्या आपने अपने शब्दोंको उतनी सावधानीसे तोल लिया है। आप कहते हैं कि अंग्रेजोंकी गुलामीसे मुक्ति मिल जाये तो आपको यहाँ अराजकताकी स्थिति भी स्वीकार्य होगी। किसी भी भारतीयके लिए विदेशियोंकी दासतासे मुक्त होनेकी कामना करना और उसके लिए प्रयत्न करना बिलकुल स्वाभाविक, सहज और शुभ है। किन्तु कोई भी समझदार आदमी व्यवस्थित शासनकी जगह अराजकताकी स्थिति लाना पसन्द करे, यह बात बिलकुल समझमें आने योग्य नहीं है। पहली स्थितिमें कुछ तो अनुशासन रहता है, भले ही वह दूसरोंका लादा हुआ अथवा प्रेरित किया हुआ क्यों न हो; जबकि दूसरी स्थितिमें तो कोई आत्मानुशासन बिलकुल होता ही नहीं . . .।
>
> और यदि जैसा कि आपका दावा है कि अहिंसा स्वभावतः रचनात्मक, सोद्देश्य और पवित्र है, तो उसका परिणाम अथवा लक्षण अराजकता नहीं हो सकता। यदि आपने इस शब्दका प्रयोग विचारपूर्वक किया हो, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने मानव-जातिकी कोई सेवा नहीं की है। मानव जातिको तो यह स्मरण दिलानेकी जरूरत है कि उसको अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाना चाहिए, अराजक नहीं, जिसकी ओर उसकी प्रवृत्ति सहज होती है . . .

इस पत्रमें जो उत्कट भावना है, उसके सम्बन्धमें मुझे कोई सन्देह नहीं है। और मुझे इन मित्रके विचारोंका इतना खयाल है कि यदि मैं अपने विचारोंको उनके विचारोंके अनुरूप बना सकता तो प्रसन्नता से वैसा करता।

किन्तु मुझे कहना चाहिए कि मैंने इस शब्दका चुनाव सोच-समझकर किया था। अराजकताका अर्थ है शासन अथवा व्यवस्थाका अभाव, अशासन अथवा अव्यवस्थामें से शासन अथवा व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, होती ही है; किन्तु कुशासन अथवा अव्यवस्थासे, जिन्हें शासन अथवा व्यवस्थाका पवित्र नाम दे दिया गया हो, शासन अथवा

१. केवल कुछ अंश ही यहाँ दिये जा रहे हैं।

व्यवस्थाकी प्रत्यक्ष रूपसे उत्पत्ति नहीं हो सकती। मेरे खयालसे मेरे मित्रकी कठिनाई इस मान्यतासे उत्पन्न हुई है कि 'वर्तमान भारत सरकार कुछ न कुछ अनुशासन तो रखती ही है, फिर चाहे वह बलात् अथवा प्रेरित क्यों न हो'। वर्तमान प्रणालीके सम्बन्धमें हमारे विचारोंमें अन्तर सम्भव है। इसके सम्बन्धमें मेरा विचार तो यह है कि यह शासन एक विशुद्ध बुराई है। और इसलिए उससे कोई अच्छाई उत्पन्न नहीं हो सकती। मै कुशासनको शासनके अभावसे ज्यादा बुरा मानता हूँ।

मेरे शब्दोंसे अज्ञानी अथवा हिंसाकारी लोगोंके मनमें कोई विभ्रम पैदा होना भी जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं अपने पत्र-लेखककी इस दलीलको मानता हूँ कि अराजकता केवल हिंसासे ही उत्पन्न हो सकती है। क्या मैंने इन पृष्ठोंमें बार-बार यह नहीं कहा है कि यदि मुझे इस शासन और हिंसाके बीचमें चुनाव करनेके लिए बाध्य होना पड़े, तो यद्यपि मैं हिंसापर आधारित लड़ाईमें सहायता नही दूंगा, उसमें सहायता दे नही सकता, फिर भी मेरा मत हिंसाके पक्षमें जायेगा? इस मामलेमें मेरी गति साँप छछूँदर जैसी ही होगी। आज देखनेमें जो शान्ति मालूम पड़ती है, वह बड़ी हिंसाके डरसे उत्पन्न हिंसाका ही एक खतरनाक रूप अथवा उसकी तैयारी है। जो लोग कायरतापूर्ण मृत्यु अथवा अपनी सम्पत्ति छिननेके डरसे मनमें हिंसा रखते हुए भी हिंसा नही करते, क्या उनके लिए हिंसा करके दासतासे मुक्त होना अथवा अपने जन्म-सिद्ध अधिकारको प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करते हुए सम्मानपूर्वक मरना अधिक अच्छा न होगा?

मेरी अहिंसा कोई ऐसा बौद्धिक सिद्धान्त नही है, जिसकी अनुकूल अवसरोपर घोषणा भर की जाती रहे। यह ऐसा सिद्धान्त है जिसे मैं जीवनके प्रत्येक क्षणमें और प्रत्येक कार्यक्षेत्रमें लागू करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। अहिंसाको लागू करनेके इस प्रयत्नमें लगे रहनेपर भी प्राय: मेरी कमजोरी अथवा मेरे अज्ञानके कारण जब मैं विफल हो जाता हूँ, तब स्वयं इस सिद्धान्तकी ही खातिर, मानसिक स्वीकृतिके रूपमें हिंसाका समर्थन करनेके लिए बाध्य हो जाता हूँ। १९२१ में मैंने बेतियाके पास एक गाँवमें लोगोंसे यह कहा[1] था कि बुरे विचारोंसे युक्त सरकारी कर्मचारियोंके यहाँ पहुँचनेपर उनका प्रतिरोध करनेके बजाय अपनी पत्नियों और अपने घरोंको छोड़कर उनका भाग जाना कायरों जैसा काम था। एक अन्य अवसरपर मैंने एक पुजारीके सम्बन्धमें यह कहा था कि मैं उसके व्यवहारसे लज्जित हूँ। इस पुजारीने मुझे बताया था कि जब गुण्डोंका एक दल उसके मन्दिरमें लूट करने और मूर्तियोंको तोडनेके लिए घुसा तब वह चुपचाप वहाँसे भाग गया और उसने इस प्रकार अपनी जान बचाई। मैंने उससे कहा कि यदि वह अपने द्वारा रक्षणीय वस्तुकी रक्षा अहिंसासे करता हुआ वहीं अपने प्राण नहीं दे सकता था तो उसे हिंसात्मक प्रतिरोध करके उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। इसी प्रकार मैं यह मानता हूँ कि यदि भारतका अहिंसामें विश्वास नहीं है और यदि उसमें उसके अनुसार अमल करनेका धीरज भी नही है, तो वर्तमान कुशासनको असहायकी तरह सहन करने और अपनी सम्पत्ति और सम्मानका अपहरण होते रहने देनेकी अपेक्षा इस कुशासनसे हिंसाके द्वारा स्वतन्त्र होना भी अधिक अच्छा है।

१. देखिए खण्ड १९; पृष्ठ ९१-९२।

यह तो देखिए कि भारतकी लूटको जारी रखनेके लिए ब्रिटेनके राजनीतिज्ञ एक दलको दूसरे दलसे किस प्रकार निर्लज्ज होकर लड़ा रहे हैं। उन्हें भय है कि हिन्दुओं और मुसलमानोंके मतभेदोंके वलपर ही ब्रिटेनकी प्रभुसत्ताके अधीन वे इस अत्यन्त श्रेष्ठ देशपर अधिकार बनाए रखनेकी दिशामें बिलकुल निश्चिन्त नहीं रह सकते, इसलिए अब अचानक उनकी दृष्टि अस्पृश्योंपर जा लगी है। वे लाचार राजाओंको लोगोंसे लड़ानेका प्रयत्न कर रहे हैं। सर जॉन साइमनको भी इसी चालका सहारा लेनेकी जरूरत मालूम पड़ी है। लोग कहते हैं कि उनकी बुद्धि बहुत प्रखर है, किन्तु वह उस झीने पर्देको नहीं भेद पाती जिसके नीचे उनके विचारको पक्का करनेके लिए की जानेवाली साजिशें छुपी हुई हैं और उन्हें भारतके वातावरणमें कोई गहरी खराबी भी दिखाई नहीं देती। इस प्रकारके 'सुसंगत अनुशासन' से भारतके लोग जितने पौरुषविहीन और कमजोर बन गये हैं उतने इतिहासके किसी कालमें अन्य किसी बातसे वे नहीं हुए।

मेरी अपनी स्थिति और मेरा विश्वास स्पष्ट और असंदिग्ध हैं। मैं न तो वर्तमान शासनको चाहता हूँ और न अराजकताको। मैं यह चाहता हूँ कि अराजकताकी इस महान यातनाकी दशामें से गुजरे बिना यहाँ सच्ची व्यवस्था कायम हो जाये। मैं इस अव्यवस्थाको अहिंसासे नष्ट करना चाहता हूँ अर्थात् मैं बुराई करनेवालोंके हृदय परिवर्तित करना चाहता हूँ। मैंने इस कार्यके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इससे पहलेके अनुच्छेदोंमें मैंने जो-कुछ लिखा है वह सीधा मेरे उस अहिंसाके व्यावहारिक ज्ञानसे उद्भूत है, जिसकी शक्ति मनुष्यको ज्ञात शक्तियोंमें सबसे बड़ी है। मेरा अहिंसाकी शक्तिमें विश्वास अडिग है। इसी तरह इस बातमें भी मेरा विश्वास अडिग है कि भारतके लोगोंमें अहिंसासे ही स्वतन्त्र हो सकनेकी शक्ति है, किसी अन्य उपायसे नहीं। किन्तु भारतके लोगोंमें यह शक्ति सत्य अथवा तथ्योंको दबाकर नहीं जगाई जा सकती, भले ही वे सत्य अथवा तथ्य हमें इस समय कितने ही बुरे क्यों न जान पड़ें। ईश्वर न करे कि भारत अहिंसाका पूरा पाठ पढ़नेसे पहले किसी रक्तमय संघर्षमें फँस जाये। रक्तमय संघर्ष स्वतन्त्रताकी तथा वर्तमान स्थितिके बीचकी एक अवस्था है और वह प्रायः आवश्यक होती है। किन्तु इस अवस्थाका यदि भारतमें आना बदा ही हो तो उसे इस अवस्थाका सामना अपनी स्वतन्त्रताकी यात्रामें ही अनिवार्य मानकर करना होगा। उसे इस अवस्थाको वर्तमान अवस्थासे निश्चय ही अधिक अच्छा मानना होगा जो केवल कहनेके लिए ही अच्छी है, किन्तु है ऐसे लम्बे-चौड़े सफेद आवरणकी तरह जिसके नीचे शुद्ध हिंसा छिपी हो।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-३-१९२८

७९. टॉल्स्टॉय-शताब्दी

टॉल्स्टॉयके साहित्यके सम्बन्धमें अंग्रेजीमें श्री एल्मर मॉडसे ज्यादा प्रामाणिक लेखक दूसरा कोई नही है। वे लिखते हैं:

> "यह जानते हुए कि आपकी दिलचस्पी टॉल्स्टॉयमें है, मैं आपके पास एक गश्ती चिट्ठीकी प्रति भेज रहा हूँ। यह गश्ती चिट्ठी टॉल्स्टॉय समितिके सदस्योंको अभी भेजी गई है और इसके साथ बर्नार्ड शाके एक पत्रकी नकल भी भेजी गई है।
>
> हम इस बातके लिए बहुत उत्सुक है कि यह शताब्दी-संस्करण सभी सार्वजनिक पुस्तकालयोंमें रहे और इसके प्रकाशनसे टॉल्स्टॉयके परिवारके सदस्योंको हम सहायता भी दे सकें। टॉल्स्टॉयके परिवारके सदस्य रूसी क्रान्तिके बादसे मुसीबतमें है।
>
> यदि आपको इस संस्करणका उल्लेख पुस्तकालयों अथवा भारतके पुस्तकालयोंकी समितिके सदस्योंसे करनेका अवसर मिले तो टॉल्स्टॉय सोसाइटीकी समिति आपकी बहुत ऋणी होगी।"

मै टॉल्स्टॉय सोसाइटीकी छपी हुई सूचनामें से निम्न अंश यहाँ देता हूँ:[1]

इसकी मन्त्रिणी कुमारी एल० ई० इलियट, लेडी वेल हाउस, ग्रेट वेडो, चैम्सफोर्ड, इंग्लैंड है।

कोई भी व्यक्ति पौंड १--१--० देकर टॉल्स्टॉय सोसाइटीका सदस्य और २ शिलिंग ६ पेंस का न्यूनतम चन्दा देकर सह-सदस्य बन सकता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-३-१९२८

८०. गोरक्षा सम्बन्धी साहित्यकी सूची

ऊपर दी हुई सूची[2] श्रीयुत वा० गो० देसाई ने गोरक्षाके प्रश्नके सम्बन्धमें उपलब्ध साहित्यका विस्तृत अध्ययन करनेके बाद तैयारकी है। यह सूची अखिल भारतीय गोरक्षा संघके उद्देश्योंके अनुसार बनाई गई है। हम यह नहीं कहना चाहते कि गो-प्रेमियोंके लिए इस सारे साहित्यका अध्ययन आवश्यक है अथवा यह सारा साहित्य मूल्यवान भी है। सूचीका उद्देश्य दिलचस्पी रखनेवाले विद्यार्थीको सहायता देना है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-३-१९२८

१. प्रकाशन सम्बन्धी सूचना और टाल्स्टाय शताब्दी संस्करणकी कीमत यहाँ नहीं दी जा रही है।
२. सूची यहाँ नहीं दी गई है।

८१. मेरठके समीप खादी

डा० रायने अपने मेरठके हालके दौरेके तुरन्त बाद मुझे अपने अनुभवोंका एक विवरण लिख भेजा है। मै उनके पत्रमें से निम्न अंश देता हूँ:[1]

> . . . . लोग मुझे शहरसे २० मील उत्तर एक गाँवमें ले गए। इस गाँवमें किसान अपेक्षाकृत समृद्ध थे . . . हर घरमें जहाँ भी में गया, मैंने लगभग सबमें माँ, बेटी और कभी-कभी बहूको भी धूपमें बैठकर चरखा चलाते हुए पाया। इनका काता हुआ सूत १० से लेकर १२ नम्बर तकका था। गाँवमें जो मोटा कपड़ा बुना जाता है, उसे गाँवके लोग ही काममें लेते हैं और गाँवमें तैयार पूनियाँ फेरी लगाकर बेची जाती हैं। खेतोंमें भी दूसरी फसलोंके साथ-साथ जहाँ-तहाँ कपासकी फसल खड़ी दिखाई देती है। इन अभागे किसानों तक सभ्यताकी, पूरी लहर अभी नहीं पहुँच पाई है, किन्तु अब उन्हें इसका कुछ-कुछ स्वाद मिलने लगा है। बनारस गांधी आश्रम गहरी लगनवाले त्यागी स्थानीय कार्यकर्त्ताओंके एक दलकी सहायतासे पूरी शक्तिसे प्रयत्न कर रहा है; किन्तु वहाँ धनकी और उचित संगठन दोनोंकी बेहद जरूरत है।

यदि हम अपने प्रति किये गये विश्वासको निभा सकें, तो पंजाबमें अथवा भारतके अन्य स्थानोंमें कही भी चरखेकी गूँज बन्द नहीं होगी। बनारस आश्रमके कार्यकर्त्ताओंके जिस दलकी ओर डा० रेका ध्यान गया है, वह खादीकी नींव मजबूत बनानेके लिए जिलेमें और जिलेके आसपास काम कर रहा हैं। अब चूँकि आश्रमके जनक आचार्य कृपलानी अपने कार्यकर्त्ताओंके बीचमें पहुँच गये है, इसलिए उनका उत्साह दूना हो जाना चाहिए और इस कार्यमें जनताकी ओरसे और भी अधिक सहायता और समर्थन मिलना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया १-३-१९२८

१. केवल कुछ अंश ही यहाँ दिये जा रहे हैं।

८२. पत्र : हेमप्रभादेवी दासगुप्तको

शुक्रवार [२ मार्च, १९२८ या उसके पश्चात्][1]

प्रिय भगिनि,

आपका पत्र मीला है। निखिलकी तबीयत कुछ अच्छी है जानकर मुझको आनंद होता है। आराम और जलचिकित्सासे बिलकुल, ठीक होनेका संभव है।

'रामायण'का अभ्यास खूब कीया करो। उन्ही चोपाई और दोहा बारंबारजपढो और उस पर मनन करो। चित्तको खूब शात रखो और . . .[2] ग्लानी न होने दो। यही 'भगवदगीता'का पाठ है। यही रामनामका हेतु है। ईश्वर प्रसादी जिनको है वह दुःखको दुःख नहि मानते हैं। यहां नित्य यह श्लोक पढ़ते है।

विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः।
विपद्विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायणस्मृतिः॥

इसका अर्थ यह है कि दुःख कभी दुःख नहि है, सुख कभी सुख नहि है। विष्णुका विस्मरण सच्चा दुःख है, नारायण स्मरण सच्चा सुख है। जिसको नारायण स्मरण है वह कैसे दुःख माने?

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० १६५१ की फोटो-नकलसे।

८३. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

आश्रम
साबरमती
३ मार्च, १९२८

प्रिय मोतीलालजी,

आपका पत्र मिला। इसके बारेमें मैंने जवाहरलालसे चर्चा की है, लेकिन उसका सुझाव है, और मैं भी उससे सहमत हूँ कि मैंने अपने जो विचार उसके सामने रखे है, उन्हें लिख दूं, ताकि मेरे विचारोंका सही अर्थ लगानेमें किसी प्रकारकी भ्रान्ति न हो, और ताकि वह खुद भी यह जान जाये कि उसने मेरे मन्तव्यको सही रूपमें समझा है अथवा नहीं।

१. निखिलकी जल-चिकित्साके उल्लेखसे यह प्रतीत होता है कि यह पत्र सतीशचन्द्र दासगुप्तको लिखे गये २५ फरवरीके पत्रके बाद लिखा गया था। अगला शुक्रवार २ मार्चको था।

२. यहाँ कुछ अस्पष्ट है।

निर्वाचक मण्डल :– इसके सम्वन्धमें मेरा अभी तक वही मत है जो मैंने वर्षों पूर्व दिल्लीमें व्यक्त किया था कि हमें अलग-अलग निर्वाचक मण्डल रखनेकी या स्थानों (सीटों) के संरक्षणकी बातमें साझेदार नहीं बनना चाहिए, और यदि स्थानों का संरक्षण आवश्यक ही हो तो वह आपसी ढंगसे स्वेच्छापूर्वक किया जाना चाहिए। पर जबतक इसके लिए मुसलमान राजी नहीं होते तबतक स्थानोंके संरक्षणसे हमारे इनकार करनेका कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस इस बातके लिए वचनबद्ध है। इसलिए मेरा विचार है कि हमें केवल यही करना है कि कांग्रेसके प्रस्तावपर दृढ़ रहें और हिन्दुओं और मुसलमानोंसे भी यही आशा करें कि वे भी इसपर अमल करेंगे। यदि सर्वदलीय परिषद कोई अन्य सर्वमान्य उपाय नहीं खोज पाती है, तो हमें कांग्रेसके ही फार्मूलेपर अमल करना चाहिए।

संविधान :– निजी तौरपर मेरा यह मत है कि हम तबतक संविधान बनानेकी स्थितिमें नहीं हैं, जबतक कि हम उसके लिए शक्ति नहीं पैदा कर लेते। कोई भी संविधान जिसे हम बनाते हैं, इस अर्थमें एक अन्तिम वस्तु होनी चाहिए कि हम इसमें और सुधार कर सकते हैं, लेकिन उससे पीछे एक इंच भी नही हटेंगे। लेकिन किसी भी ऐसे संविधानको बना सकनेके लिए कोई उपयुक्त वातावरण दिखाई नहीं देता। इसलिए व्यक्तिगत रूपसे मैं संविधानकी बनिस्बत सब दलोंके बीच एक ऐसी कार्य-व्यवस्थाको तरजीह दूंगा जो सबको मान्य हो। यह कोई संविधान नहीं होगा वरन् उसके मुख्य-मुख्य मुद्दे होंगे जैसे हिन्दू-मुस्लिम व्यवस्था, मताधिकार, देशी रियासतों सम्बन्धी नीति आदि। अगर हमें इस व्यवस्थाको लोकप्रिय बनाना है तो मैं चाहूँगा कि पूर्ण मद्य-निषेध और विदेशी कपड़ेका बहिष्कार, इसके लिए एक अनिवार्य शर्त हो। निःसन्देह हमें सभी धर्मों और तथाकथित अस्पृश्योंको समान व्यवहारकी गारन्टी देनी चाहिये। जिन बातोंके सम्बन्धमें समझौता होना चाहिये उनकी मैंने सांगोपांग सूची न देकर उदाहरणके लिए कुछ चीजें दे दी हैं। मैं समझता हूँ कि यदि हम इस प्रकारके सामान्य समझौतेका अतिक्रमण करते हैं, तो हम गलती करेंगे। मुझे आशा है कि परिषद बिना कुछ निर्णय किए समाप्त नहीं होगी, और यदि वह बिना कुछ निर्णय किए समाप्त भी हो जाती है, तो कार्य-समितिको चाहिए कि वह मामलेको अपने हाथमें ले ले और कांग्रेसकी ओरसे उन सभी मसलोंके सम्बन्धमें जिनके लिए परिषद बुलाई गई है, अपना निर्देशात्मक वक्तव्य जारी करे।

शक्तिका प्रश्न :– मेरे विचारसे उपर्युक्त दोनों बातोंकी बनिस्बत शक्तिका प्रश्न अधिक आवश्यक है। जबतक हम स्वयं अपने भीतर शक्ति पैदा नहीं कर लेते, तबतक हमारी स्थिति भिखारियोंसे बेहतर नहीं हो सकती। मैं हमेशा इसी एक प्रश्नपर विचार करता रहता हूँ और यदि हो सके तो मिलोंकी मददसे अथवा यदि आवश्यक हो तो उनकी मददके बिना भी विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके बारेमें सोचता रहता हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोच सकता। यदि हम इसके पक्षमें पर्याप्त जनमत बना सकते हैं तो मेरा यह विश्वास है कि इसे एक समुचित समयमें सम्पन्न किया जा सकता है। यदि मुझे अपने तरीकेसे काम करनेकी पूरी छूट मिलती तो मैं इसपर पूरे

मनोयोगसे विचार करता। यद्यपि मैंने खुले तौरपर कुछ नही कहा है लेकिन बंगालमें जो-कुछ हो रहा है, उसे मैं कतई पसन्द नही करता। जहाँतक मुझे दिखाई देता है इसका असफल होना निश्चित ही है और उसकी असफलतासे बड़ी हानि होनेवाली है; और जब कि विदेशी कपड़ेका बहिष्कार, चाहे जिस हदतक भी सफल हो, एक लाभदायक काम है, वहाँ इस काममें जिस हदतक कि हम चाहते हैं सफलता मिले बिना कोई लाभ नही है। जवाहरलाल और मैंने इस प्रश्नपर विचार करनेमें अपना अधिकसे-अधिक समय लगाया है। वह आपको सब-कुछ समझा देगा। यदि उसके दिल्ली जानेसे पहले इस समस्यासे सम्बन्धित हमारा विचार-विमर्श समाप्त नहीं हो जाता है तो मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी वह फारिग हो सके उसे आगे और चर्चा करनेके लिए वापस भेज दीजिएगा।

मुझे लगता है कि निकट भविष्यमें आपके यहाँ आनेकी आशा मुझे नही करनी चाहिए।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३०९५) की माइक्रोफिल्मसे।

८४. तार: जमनालाल बजाजको

साबरमती
३ मार्च, १९२८

जमनालाल बजाज
वर्धा

जरूरी हो तो दिल्ली जा सकते हो। स्वास्थ्य बढ़िया है। नैतिक कारणोसे कलसे दूध लेना शुरू कर दिया है।

बापू

[अंग्रेजीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद

८५. गुजरातमें खादीकी फेरी

श्री विट्ठलदास जेराजाणी लिखते हैं:[1]

गुजरातमें ऐसे कामकी जरूरत थी। जो काम आरम्भ हुआ है वह यदि जारी रहेगा तो वातावरण खादीमय बनानेमें सहायता मिलेगी। मैं गुजरातके सम्बन्धमें यह मानकर बैठा हूँ कि वहाँ स्थानीय स्वयंसेवकोंकी सहायता सर्वत्र मिलेगी।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ४-३-१९२८

८६. काठियावाड़के ढोर

काठियावाड़से पशुपालनके एक विशेषज्ञ लिखते हैं:[2]

यह पत्र मुख्यतः राजाओं और उनके कर्मचारियोंके विचारके योग्य है। इसमें पशु-रक्षाके जो उपाय बताये गये हैं, उनकी अलग-अलग ढंगसे इस पत्रमें चर्चा हो चुकी है। लेकिन चूँकि काठियावाड़के ही लिए वहाँके एक अनुभवीने इन्हें सूचित किया है, इसलिए वे यहाँ दिये गये हैं। एक समय काठियावाड़की गायें और बैल मशहूर थे। आज वे ही आर्थिक दृष्टिसे भाररूप समझे जाकर कसाईके हाथों बेचे जा रहे हैं। यह काठियावाड़के प्रत्येक राज्यके लिए शर्मकी बात है।

इस सुधारमें न पैसेकी जरूरत है और न किसी बड़े साहसकी। सिर्फ आलस्य छोड़ने और दरबारके बड़े झगड़ोंमें से थोड़ी-सी फुरसत निकालनेकी आवश्यकता है। निकम्मे साँडोंको खस्सी करने और पशुओंके चारेको ठीक ढंगसे तैयार करनेमें कोई बड़ा प्रयत्न जरूरी नहीं होता। राज्योंको चाहिए कि कुछ छात्रवृत्तियाँ देकर थोड़े विशेषज्ञ तैयार करें और तबतक जो लोग सहायताके लिए मिल जायें उनसे मदद लेकर काम करना चाहिए।

पिंजरापोलोंके संचालकोंके लिए भी ऊपरकी सूचनाएँ ध्यान देने योग्य हैं। अपंग ढोरोंको जरूर पाला जाना चाहिए; मगर मोटे-ताजे ढोरोंको कसाईखाने जानेसे रोकना उससे हजार गुना जरूरी है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ४-३-१९२८

१. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें गुजरातमें फेरी लगाकर खादी बेचनेका विवरण था।
२. यहाँ उद्धृत नहीं किया जा रहा है।

८७. बारडोलीमें सत्याग्रह

पाठक इस अंकमें सरकार और श्री वल्लभभाईके बीच हुए पत्र-व्यवहारको देख सकते हैं। एक प्रकारसे तो यह पत्र व्यवहार एक सुखद प्रकरण है। मैं जहाँतक देख पाया हूँ वहाँ तक मुझे श्री वल्लभभाई द्वारा भेजे गये तथ्यों और उनपर आधारित दलीलोंमें कोई भी दोष दिखाई नहीं देता। सरकारके उत्तरमें चालाकी, टालमटोल और असभ्यताकी झलक दिखाई देती है। सत्ता पाकर मनुष्य कैसा अन्धा हो जाता है और उसके मदमें चूर होकर अपना मनुष्यत्व कैसे भूल जाता है, यह देखकर दुख होता है। मनुष्यकी ऐसी भूलोंके हजारों किस्से हमें मालूम हैं फिर भी प्रत्येक नये उदाहरणसे उसपर दुख तो होता ही है। क्योंकि स्वयं बुराई करते हुए भी मनुष्य-मन-ही-मन अच्छाई चाहता है। इसलिए उसे दूसरोंकी उद्धतता, अविवेक आदिसे दुख होना स्वाभाविक है।

मैं इन तथ्यों और दलीलोंके गुण-दोषोंमें नहीं जाना चाहता। शायद पाठकके सामने गुण-दोषोंकी पूरी जाँच-पड़ताल करनेके लिए पूरा साहित्य न हो, हो भी तो सम्भव है उसमें पड़कर अच्छी तरह विचार करनेका धीरज न हो। तो भी किसी भी न्याययुक्त दृष्टिसे देखनेपर अनिच्छुक लेकिन तटस्थ पाठकको वल्लभभाईकी माँग उचित ही मालूम होगी। वल्लभभाई यह नहीं कहते कि "मेरी दलील सरकारको कबूल करनी ही चाहिए।" उनका कहना तो यह है, "सरकार एक ओर है और जनता दूसरी ओर।" दोनोंमें तथ्योंके विषयमें मतभेद है। इस मतभेदकी जाँच करनेके लिए एक तटस्थ पंच होना चाहिए। पंच जो भी निर्णय करेगा उसे जनताकी तरफसे वल्लभभाई स्वीकार कर लेंगे।

वल्लभभाई पटेलके पत्रका मध्यबिन्दु, उसका निचोड़ यह है। यहाँ यह सवाल आ खड़ा होता है कि सरकार और लोगोंके बीच भला यों कोई पंच हो सकता है? सरकार क्या सर्वोपरि नहीं है? यों तो सरकार कानूनके पिंजरेमें खड़ी होनेको तैयार मानी जाती है, किन्तु लगानको सरकार अदालतके बाहर रखती है। इसका कारण समझना सामान्य मनुष्यकी अक्लके बाहर है। हम अभी इसके कारणकी बहसमें नहीं पड़ेंगे।

पर जब लगानका सवाल सामान्य तौरपर कानूनके बाहर है, तब वल्लभभाई लोगोंकी ओरसे पंच न माँगें तो और क्या करें? सरकारको अर्जी देकर बैठ रहनेकी सलाह दें? ऐसी सलाह देनी भी हो, तो लोगोंने ही वह रास्ता भी खुला नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अर्जी दे चुके हैं। अर्जी देनेका काम तो वल्लभभाईसे नहीं लिया जा सकता, इसलिए जिनसे वह काम लिया जा सकता था, उनकी मार्फत अर्जियाँ भी दी गईं। इससे कुछ न हुआ, इसलिए लोग वल्लभभाईके पास सत्याग्रहके युद्धकी सरदारी कबूल कराने गये।

सत्याग्रहके कानूनके अनुसार वल्लभभाईने सरकारसे विनयपूर्वक समझौतेके लिए कहा: "संभव है आप भूल न कर रहे हों। यह भी हो सकता है कि लोगोंने मुझे भुलावा दिया हो। पर आप तो पंच नियुक्त करें और उनसे इन्साफ करवायें। यह दावा मत कीजिए कि हम भूल कर ही नहीं सकते।" इस विनयका अनादर करनेकी भयंकर भूल करके सरकारने लोगोंके लिए सत्याग्रहका मार्ग साफ कर दिया है।

परन्तु सरकारतो कहती है कि वल्लभभाई पराये हैं, बाहरके हैं, परदेशी हैं। उसके पत्रकी ध्वनि है कि अगर वल्लभभाई और उनके साथी बारडोली न गये होते तो लोग जरूर ही लगान दे देते। उलटा चोर कोतवालको डाँटे। यह न तो वल्लभभाई ही समझते हैं, न हममें और ही कोई समझ सकेगा कि बारडोली जबतक हिन्दुस्तानमें है, तबतक वल्लभभाई को या काश्मीरसे कन्याकुमारी तक या कराचीसे डिब्रूगढ़ तकमें रहनेवाले हिन्दुस्तानीको बाहरका आदमी कैसे कहा जा सकता है? परदेशी, पराये, बाहरके तो सरकारके अंग्रेज अफसर हैं, और यदि अधिक स्पष्टतासे कहें तो पराये हैं पराई सरकारके सभी अफसर, चाहे वे काले हों या गोरे। सरकारका नमक खानेवाले सरकारका ही पक्ष लेंगे। द्रोण और भीष्म जैसोंको भी युधिष्ठिरसे कहना ही पड़ा था, हम जिसका नमक खाते हैं, उसीके तो कहलायेंगे। यह पराई सरकार वल्लभभाई और वल्लभभाईके समान लोगोंको बारडोलीके लिए परदेशी कहे यह कैसी उल्टी बात है? यही तो दिया तले अंधेरा है। इसीलिए तो मेरे जैसोंने सरकारके साथ वफादारीमें पाप समझकर असहयोग किया। जहाँ इस हदतक अविनय हो, वहाँ न्यायकी क्या आशा रखी जाये?

इस सरकारको न्याय कौन सिखलायेगा? केवल सत्याग्रही। सरकार बुद्धिसे पराजित नहीं हो रही है। बलवान तो बलको ही कुछ गिनता है, वह तलवारकी नोक पर ही न्यायको तौलता है।

यह तलवार सत्याग्रहीकी दोधारी तलवारके आगे बेकार है। यदि बारडोलीके सत्याग्रहियोंमें सत्यका आग्रह होगा, तो या तो पंचकी नियुक्ति होगी या वल्लभभाईकी दलील स्वीकार की जायेगी और वल्लभभाई परदेशी न माने जाकर स्वदेशी गिने जायेंगे।

इस पत्र-व्यवहारसे और प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं। उनका विचार पीछे होगा। यदि बारडोलीके लोग इतना याद रखेंगे कि बाकी सब उनके हाथमें है तो काफी है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ४-३-१९२८

८८. पत्र : रेवाशंकर झवेरीको

रविवार [४ मार्च, १९२८][1]

आदरणीय रेवाशंकरभाई,

आपका पत्र मिला। चि० धीरूके विषयमें जो भी करें उसका समाचार मुझे देते रहें। उसके साथ आपको जाना पड़ेगा या किसी और को? क्या यहाँसे किसी आदमीको भेजनेकी जरूरत है? जेकीके बारेमें समझ गया हूँ।

मोहनदासके प्रणाम

गुजराती (जी० एन० १२७६) की फोटो-नकलसे।

८९. पत्र : प्रेम महाविद्यालय-न्यासके अध्यक्षको

आश्रम
साबरमती
५ मार्च, [१९२८][2]

अध्यक्ष
प्रेम महाविद्यालय न्यास
वृन्दावन

प्रिय मित्र,

आपके तारसे यह जानकर कि प्रेम महाविद्यालयके न्यासियोंने सर्व-सम्मतिसे आचार्य गिडवानीकी जगह अध्यापक जुगलकिशोरको नियुक्त करना तय किया है, मुझे प्रसन्नता हुई। आप श्रीयुत जुगलकिशोरकी सेवाओंका बारह महीनों तक सहर्ष उपयोग कर सकते हैं।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३०९७) की माइक्रोफिल्मसे।

१. डाककी मुहरसे।

२. पत्रकी विषय-वस्तुसे यह स्पष्ट है कि यह १९२८में लिखा गया होगा; देखिए "प्रेम महाविद्यालय", ८-३-१९२८।

९०. पत्र : ए० जे० सॉडर्सको

आश्रम
साबरमती
५ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

आपके पत्र और रु० ५० के मनिआर्डरके लिए धन्यवाद। कृपया विद्यार्थियोंको मेरी तरफसे धन्यवाद दे दें और उनसे यह कहें कि आशा है कि यह दरिद्रनारायणकी ओरसे उनकी भेंटकी केवल पहली किस्त ही है और वे आदतन खद्दर पहनते होंगे?

हृदयसे आपका,

ए० जे० सॉडर्स महोदय
बर्सर
अमेरिकन कालेज
मदुरा

अंग्रेजी (एस० एन० १३०९६) की माइक्रोफिल्मसे।

९१. पत्र : बी० एस० भास्करनको

आश्रम
साबरमती
५ मार्च, १९२८

प्रिय भास्करन,

आपका पत्र पाकर मुझे प्रसन्नता हुई। आपने जो भी शरारतें की हैं निःसन्देह उनके लिए मैं आपको माफ करता हूँ। लेकिन आपके बारेमें मैंने जो कुछ सुना था, आपके पत्रसे उसकी पुष्टि होती है। बिलाशक वह सब गलत था।

अब आप मुझसे कहते हैं कि मैं वह सब रुपया जो आपने निकाला है अपने प्रभावसे फिर पूरा कर दूं; आप कहते हैं कि आप उसके प्रायश्चित्त स्वरूप उपवासके रूपमें तपस्या और न जाने क्या-क्या कुछ करनेको तैयार हैं। अब आपको किसी प्रकार भी मुझसे प्रभावित हुए बिना, जो-कुछ भी रामनाथन और राजाजी कहें, मान लेना चाहिए। आपके लिए यही करना सही होगा। और यदि आप पैसा न पूरा कर

सकें तो आपको सहर्ष उनका फैसला मान लेना चाहिए और भविष्यमें ईमानदारीसे पैसा कमानेकी आशा करनी चाहिए।[1]

हृदयसे आपका,

श्रीयुत वी० एस० भास्करन
द्वारा पोस्ट मास्टर
रानीपेट

अंग्रेजी (एस० एन० १३०९८) की फोटो-नकलसे।

९२. पत्र : आर० नोरा ब्रॉकवेको

आश्रम
साबरमती
५ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र पाकर और यह जानकर कि श्री ब्रॉकवेका स्वास्थ्य काफी सुधर रहा है मुझे प्रसन्नता हुई। आशा है कि स्वास्थ्य लाभ बराबर और गतिसे हो रहा होगा।

इस समय जवाहरलाल नेहरू यहीं हैं और आपका पत्र मैंने उन्हें भी पढा दिया है।

हृदयसे आपका,

कुमारी आर० नोरा ब्रॉक्वे
सेन्ट क्रिस्टोफर ट्रेनिंग स्कूल
किलपॉक
मद्रास

अंग्रेजी (एस० एन० १३०९९) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए, खण्ड ३५, पृष्ठ ५३२।

९३. पत्र : रोलैंड हेसको[1]

५ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

श्री हरीन्द्र चट्टोपाध्यायने मुझे लिखा है कि आप निकट भविष्यमें भारत आनेवाले हैं। यदि आप भारत आयें और आपका गुजरात आना हो तो कृपया इस छोटेसे आश्रमको अपना घर ही समझें।

हृदयसे आपका,

श्री रोलैंड हेस
द्वारा द अमेरिकन एक्सप्रेस कं०
पेरिस

अंग्रेजी (एस० एन० १४२५३) की फोटो-नकलसे।

९४. पत्र : डब्ल्यू० बी० स्टारको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
५ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

दानकी रकमके साथ आपका कृपा-पत्र मिला। दोनोंके लिए धन्यवाद। दानकी रकम कम होनेपर खेद प्रकट करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दानकी छोटीसे-छोटी रकम भी, जब वह उदार हृदयसे दी जाती है, एक बहुत बड़ी वस्तु होती है और मैं यह निश्चित रूपसे कह सकता हूँ कि आपने यह दान अपने हृदयकी उदारताके कारण ही दिया है।

वकालतके पेशेमें सुधार करनेका प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है। इसमें थोड़ा-बहुत रद्दो-बदल करनेसे काम नहीं चलेगा। मेरी दृढ़ राय है कि वकीलों और डाक्टरोंको फीसके रूपमें कुछ नहीं लेना चाहिए, उन्हें सरकार एक निश्चित रकम दे और जनता उनकी सेवाएँ मुफ्त प्राप्त करे। नागरिकोंको दी गई इन सेवाओंके लिए जनता द्वारा दिए गये करोंके रूपमें इनका भुगतान स्वतः ही हो जायेगा। निर्धनोंपर कोई कर नहीं लगाया जायेगा, पर तब भी गरीब और अमीर दोनोंको समान चतुराई और

१. हब्शी नीग्रो गायक।

ध्यानसे की गई पैरवीका लाभ मिल जायेगा। आजकल निर्धनोंके लिए श्रेष्ठ वकीलों और डाक्टरोंकी सलाह अप्राप्य है।

हृदयसे आपका,

श्री डब्ल्यू० बी० स्टार
मैनेजर
हाइलैंड स्प्रिंग्स फॉर्म
सिस्को, टेक्सस, (सं० रा० अ०)

अंग्रेजी (एस० एन० १४२५४) की फोटो-नकलसे।

९५. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

६ मार्च, १९२८

प्रिय सतीशबाबू,

आपका पत्र मिला। प्रस्ताव अच्छे तो लगते हैं। मुझे आशा है कि उनपर अमल किया जायेगा। ऐसे खादी प्रेमियों अथवा खादीके लिए पैसा लेकर काम करनेवालोंको, जो खादी भी न पहनते हों सदस्य बननेकी इजाजत देनेकी बात मैं पसन्द नही करता।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० १५८६) की फोटो-नकलसे।

९६. युद्धके विरुद्ध युद्ध

एक पत्र-लेखक लिखते हैं:

मैं यह इसलिए लिख रहा हूँ कि युद्धके सम्बन्धमें सत्य और अहिंसाके अनुयायीके रूपमें अपनी 'आत्मकथा' के अध्यायमें आपने जो मत व्यक्त किया है उससे बहुतसे लोगोंके विचारोंमें हलचल पैदा हो गई है। मुझसे ज्यादा काबिल लोग शायद आपको इस सम्बन्धमें लिखेंगे। परन्तु कुछ पहलुओंको, जो मेरे दिमागमें आये हैं, मैं सामने रखना चाहता हूँ। क्या यह मूलभूत सिद्धान्त नहीं है कि सत्य और अहिंसाके सच्चे पुजारीको बुरी चीजोंमें हाथ नहीं डालना चाहिए, चाहे वह उनका प्रतिरोध न कर सके। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं युद्ध एक आवश्यक बुराई है, परन्तु इस आशासे कि युद्धके बाद संसारको युद्ध छेड़नेकी बुराईका आभास होने लगेगा, उक्त

कथनको युद्धके समर्थनका बहाना नहीं बनाया जा सकता। यह हो ही नहीं सकता। इसके विपरीत [युद्धसे] मनुष्य की क्रूरता और भी तीव्र हो जाती है। और जीवनकी पवित्रताका भाव नष्ट हो जाता है। अराजकतावादी, आपकी तरह ही तर्क देकर कह सकता है: हम यूरोपीयोंके आक्रमण और आतंकवादको नहीं रोक सकते। हम आतंकवादका जन-समुदायकी शक्तिसे प्रतिरोध नहीं कर सकते। परन्तु यदि हम इन तरीकोंका, उन्हींके विरुद्ध प्रयोग कर इन तरीकोंकी बुराईका प्रदर्शन कर सकें, तो उन्हें अपनी मूर्खतापूर्ण प्रवृत्तिका पता चल जायेगा और हम स्वतन्त्र हो जायेंगे तथा हम संसारको भी आतंकवादसे छुटकारा दिला देंगे। जबतक हमारे शासक हिंसाका सहारा लेते हैं, और जबतक हम आतंकवादसे घृणा करते हैं, उन्हीं हथियारोंका प्रयोग करनेमें क्या हानि है; बशर्ते कि हम उन्हें अपने आपपर हावी न होने दें? क्या वास्तवमें महायुद्धसे राष्ट्रोंका और 'खास तौरपर' विजेताओंका कुछ हित हुआ है? विजयके परिणामस्वरूप उनकी भौतिक, नैतिक और सामाजिक दृष्टिसे बड़ी भारी हानि हुई है। उनके नैतिक सिद्धान्त डगमगा गये हैं। क्षणभंगुर जीवनके लिए संघर्षमें पड़कर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारमें सच्चाई और ईमानदारीकी उपेक्षा दिन-ब-दिन अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है। युद्ध चाहे कितना भी न्याय संगत क्यों न हो, क्या उससे कुछ भी भलाई हो सकती है? किसी भी तरीकेसे, सक्रिय अथवा निष्क्रिय रूपसे, युद्धके पक्षमें सहमति देनेके बजाय क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं कि हम इसका विरोध करें चाहे उसकी वजहसे हमें दुःख ही क्यों न उठाना पड़े? क्या आपको यकीन नहीं है कि शान्तिवादियोंने उन लोगोंकी अपेक्षा, जिन्होंने युद्धमें सक्रिय रूपसे भाग लिया, [मानवताकी] ज्यादा सेवा की है? आप जो कुछ कहते हैं, वह शायद आपकी १९१४ की मानसिक स्थितिका द्योतक है, जब आपका यह विचार था कि अंग्रेजों की मनोवृत्ति न्यायपरायणता की है। क्या आप अब भी समझते हैं कि वह ठीक था? यदि कल दूसरे युद्धकी घोषणा कर दी जाये, तो क्या आप इस आशामें कि आप युद्धके बाद हालतको सुधार लेंगे, इंग्लैंडको स्वेच्छासे अपनी सहायता अर्पित करेंगे। मैं जानता हूँ कि मैंने अपना दृष्टिकोण अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं किया है। परन्तु आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे क्या कहनेकी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आपका उत्तर पाकर प्रसन्नता होगी।

मैं लेखकके इस कथनसे सहमत हूँ कि उन्होंने अपने पक्षको सर्वोत्तम रूपमें प्रस्तुत नहीं किया है, किन्तु वे उन पाठकोंका प्रतिनिधित्व करते है, जो गम्भीरतापूर्वक लिखे गये लेखोंको भी केवल इसलिए सावधानीसे नहीं पढ़ते कि वे संयोगसे एक 'साप्ताहिक पत्र' में दिये गये है। यदि उक्त पत्र-लेखकके जैसे पाठक सम्बद्ध अध्यायको फिरसे पढ़ेंगे तो वे उसमेंसे नीचेके निष्कर्ष निकाल सकेंगे:

१. मैंने अपनी सेवाएँ इसलिए अर्पित नही की थी कि मै युद्धमें विश्वास करता था। मैंने उन्हें इसलिए अर्पित किया था कि मै उसमें अप्रत्यक्ष रूपसे भाग लिये विना तो रह नही सकता था।

२. मेरी स्थिति ऐसी नही थी कि मै उसमें भाग लेनेका प्रतिरोध कर सकूँ।

३. मेरा यह विश्वास नही है कि युद्धमें भाग लेकर युद्धसे बचा जा सकता है, ऐसे ही जैसे मेरा यह विश्वास नही है कि बुराईमें भाग लेकर बुराईसे बचा जा सकता है। किन्तु इसमें और उस स्थितिमें अन्तर समझ सकनेकी जरूरत है जिसमें हमें उन कार्योमें सचमुच मजबूरन हिस्सा लेना पड़ता है, जिन्हे हम बुरा या अवाछनीय मानते हैं।

४. अराजकतावादीका तर्क असंगत है, क्योकि वह आतंकवादी कार्योमें ज्ञानपूर्वक स्वेच्छासे और पहलेसे सोच-विचार कर हिस्सा लेता है।

५. युद्धसे निश्चय ही कथित विजेताओका कोई हित नही हुआ है।

६. जिन शान्तिवादी प्रतिरोधियोने जेलके कष्ट भोगे हैं, उन्होंने निश्चय ही शान्तिके उद्देश्यकी ही सेवा की है।

७. यदि कल दूसरे युद्धकी घोषणा कर दी जाये तो मैं वर्तमान सरकारके सम्बन्धमें अपने मौजूदा विचारोंके रहते किसी भी रूपमें या किसी प्रकारसे उसकी सहायता नही कर सकता, प्रत्युत मै अपनी पूरी शक्तिसे दूसरोको भी उसे सहायता न देनेके लिए उकसानेका और अहिंसाका ध्यान रखते हुए सरकारकी हार करवानेका यथासम्भव प्रत्येक प्रयत्न करूँगा।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ८-३-१९२८

९७. प्रेम महाविद्यालय

राजा महेन्द्रप्रतापकी इस संस्थाका बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास है। यह उन इनी-गिनी संस्थाओमें से है जो असहयोगके पहले विना किसी प्रकारकी सरकारी सहायता या स्वीकृतिके खोली गई और सरकारसे असम्बद्ध होते हुए चलती रही है। अपने जैसे अन्य सभी सस्थानोकी तरह इसे भी भाग्यके बहुतसे उलट-फेर देखने पड़े हैं, किन्तु सभी संकटोको सहते हुए यह निर्विघ्न चलती रही है। हालमें ही इसका वार्षिकोत्सव मनाया गया था। डाक्टर अन्सारीने इस अवसरपर सभापतित्व किया। सभाकी जो रिपोर्ट मेरे सामने है उसमें लिखा है कि तकली चलानेके प्रदर्शनसे उत्सव आरम्भ किया गया और फिर डाक्टर अन्सारीने राष्ट्रीय पताका फहराई तथा हिन्दुस्तानके सेवा-दलके स्वयंसेवकोने वन्देमातरम् गाया। इसके बाद रिपोर्टमें लिखा है :[1]

जिस संस्थाकी ओरसे आचार्य गिडवानी इतनी बातोका दावा कर सकें, उसके लिए मेरी सहायताकी आशा करना उचित ही था। पाठकोंको शायद पता न हो कि

१. रिपोर्ट यहाँ नहीं दी जा रही है।

आचार्य गिडवानी कराची नगरपालिकाके अधीन एक नये पदपर काम करने, कुछ दिनोंके लिए जा रहे हैं। आचार्य कृपलानीके गांधी आश्रम, बनारससे श्रीयुत जुगलकिशोरजीकी सेवाएँ महाविद्यालयको दी जा रही हैं। मगर खयाल यह है कि श्रीयुत जुगलकिशोर यद्यपि आचार्य गिडवानीकी ओरसे काम चलायेंगे, किन्तु आचार्य महोदय महाविद्यालयमें दिलचस्पी लेते रहेंगे और जहाँतक हो सकेगा, उसका संचालन करते रहेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-३-१९२८

९८. टिप्पणियाँ

परम निर्णायक

प्रायः देखनेमें आता है कि संस्कृतमें लिखे हुएएक श्लोकको लोग आँखें मूँदकर अकाट्य मानते हैं और शास्त्र कहते हैं। इसके जवाबमें श्रीयुत एस० डी० नादकर्णीने मेरे पास बुद्धिको अन्तिम प्रमाण बतानेवाले निम्नलिखित श्लोक ऐसे ग्रन्थोंसे लिख भेजे हैं जो सर्वत्र प्रामाणिक समझे जाते हैं।

अपि पौरुषमादेयं शास्त्रं चेद्युक्तिबोधकम्।
अन्यत्त्वार्षमपि त्याज्यं भाव्यं न्याय्यैकसेविनाम्॥
युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि।
अन्यत्तृणमिव त्याज्यमप्युक्तं पद्मजन्मना॥

"यदि पौरुषेय शास्त्र भी युक्तिके अनुकूल हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए और आर्ष शास्त्रको भी ऐसा न होनेपर त्याग देना चाहिए। यदि बालक भी युक्तियुक्त बात कहे तो उसे स्वीकार करना चाहिए जब कि ब्रह्माके भी अयुक्तियुक्त वचनको तृणके समान त्याग देना चाहिए।"

—योगवाशिष्ठ (न्याय प्रकरणम्)

समयश्चापि साधूनां प्रमाणं वेदवद् भवेत।

साधुओंके द्वारा स्वीकृत आचार भी, वेदोंके समान प्रमाण होगा।"

माधव स्मृति

इन श्लोकोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शास्त्र इसलिए नहीं बनाये गये थे कि वे बुद्धिकी जगह ले लें बल्कि बुद्धिको सहायता देनेके लिए बनाये गये थे और अन्याय या असत्यके पक्षमें शास्त्रकी दुहाई कभी नहीं दी जा सकती।

सफलता चाहनेवालोंके लिए

एक ओर तो इतनी अधिक निराशाकी और दूसरी ओर सफलतामें गतिरोध पैदा करनेवाली इतनी शेखीकी उक्तियाँ हैं कि मैं एक मित्र द्वारा दिये गये निम्नलिखित

नीति वचन उद्धृत करता हूँ, जिनका प्रयोजन निराश लोगोंको प्रोत्साहित करना और दंभी लोगोको चेतावनी देना है। वास्तवमें उनके लिए कुछ भी असम्भव नही है जो बड़ीसे-बड़ी कठिनाइयोंके बावजूद उद्यम करते रहते हैं। उन लोगोंके लिए कुछ भी सम्भव नहीं है जो शेखी मारते है, हंगामा मचाते है और बहादुरीका मात्र दिखावा करते है। नीति-वचन निम्नलिखित है:—

प्रत्येक महानकार्य आरम्भमें असम्भव होता है।

—कार्लाइल

बहुत-सी चीजोंमें सफलता इस बातको समझकर चलनेपर निर्भर करती है कि सफल होनेमें कितना समय लगेगा।

—मोंटेस्क्यू

विजय अत्यन्त उद्यमी पुरुषको प्राप्त होती है।

—नेपोलियन

सतत् उद्यम और आत्म विश्वाससे कठिनाइयोंका मुंह उतर जाता है और असम्भव दिखाई देनेवाली चीजें सम्भव हो जाती हैं।

—जेरेमी कोलियर

पानीकी तरह अस्थिर, तुम श्रेष्ठ नहीं बन सकते।

वे स्नायु जिनमें कभी शिथिलता नही आती; वह आँख जो कभी लक्ष्यसे नहीं हटती; वह विचार जो कभी इधर-उधर नहीं भटकता, विजय दिलानेवाले है।

—बर्क

आप दिनके समय चाहे कितने भी क्षुब्ध, उदासीन और दु:खी रहे हों; आप तब-तक सोनेका उपक्रम न करे जबतक आप अपना मानसिक सन्तुलन पुन: ठीक न कर लें, जबतक आपकी चित्तवृत्तियाँ सँभल नहीं जाती और जबतक आपका मन शान्त नही हो जाता।

—कार्टराइट

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-३-१९२८

९९. श्रद्धांजलियाँ[1]

स्वर्गीय लॉर्ड सिन्हा

भारतवर्षके इस सम्मानित सेवकके सम्मानमें अर्पित अनेकों श्रद्धांजलियोंके साथ-साथ मैं भी अपनी श्रद्धांजलि सादर अर्पित करता हूँ। नये भारतके निर्माणमें योग देनेवाले सेवकोंकी सेवाओंका जब कभी मूल्य आँका जायेगा, लॉर्ड सिन्हाकी सेवाएँ बहुमूल्य गिनी जायेंगी। सभी राजकीय बातोंमें उनकी सलाह हमेशा ली जाती थी और उसकी बड़ी वकत की जाती थी। लॉर्ड सिन्हाकी मृत्युसे देश और भी गरीब हो गया है।

एक महान सुधारक

सर रमणभाई नीलकंठकी मृत्युसे गुजरातके जन-जीवनका एक अत्यन्त सच्चरित्र व्यक्ति, अत्यन्त उत्साही और निर्भीक सुधारक, असाधारण एक-निष्ठ समाज-सेवी और गुजराती साहित्यको एक स्थायी देन देनेवाला विद्वान उठ गया है। असंख्य गुजरातियोंके साथ-साथ मैं भी शोक संतप्त परिवारके प्रति सादर समवेदना व्यक्त करता हूँ।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ८-३-१९२८

१००. बारडोली और सरकार

बारडोली ताल्लुकेके लगानके सम्बन्धमें श्रीयुत वल्लभभाई पटेल और बम्बईकी सरकारके बीच सम्बन्धित विषयपर प्रकाश डालनेवाला जो पत्रव्यवहार हुआ है, वह सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओंके लिए काफी कुछ सोचने विचारनेकी सामग्री प्रदान करता है और हम जिस सरकारके अधीन रह रहे है उसके रवैयेपर सही प्रकाश डालता है। वल्लभभाई प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और सरकारभी उन्हें भली-भाँति जानती है। सरकारको महान क्षमतासम्पन्न सत्यनिष्ठ और परिश्रमी सार्वजनिक कार्यकर्त्ताके रूपमें उनकी योग्यता स्वीकार करनेके लिए बाध्य होना पड़ा है। सरकारने अहमदाबाद नगरपालिकामें उनके महान कार्यको मान्यता दी है। अभी उस दिन ही गुजरातमें आई बाढ़ोंके सम्बन्धमें मानव कल्याण सम्बन्धी सेवाओंके लिए उनकी अपरिमित प्रशंसाकी गई।

परन्तु जब सरकारने देखा कि वे ऐसे काममें लगे हैं, जिसका अभिप्राय सरकारको उलझनमें डालना और शायद उसकी प्रतिष्ठाको हानि पहुँचाना है, और

१. देखिए "टिप्पणियाँ", ११-३-१९२८ भी।

सरकार लगानकी हानिको ही प्रतिष्ठाकी हानि समझती है, तब सरकारको उनका काम नगण्य लगने लगा है। लगान वसूल करनेके लिए सरकारको अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखना आवश्यक है, वह कोरी प्रतिष्ठामें विश्वास नहीं करती।

और इसलिए सरकारने इस मामलेसे सम्बन्धित पहले ही पत्रमें वल्लभभाईकी सद्भावनाओंकी घोषणाओंपर आपत्ति प्रकट कर और उन्हे बारडोलीमें बाहरका आदमी बताकर उनका अपमान करना उचित समझा है। अन्तिम पत्रमें अपमानपर जोर दिया गया है और इससे कोई सन्देह नहीं रह जाता कि इसमें परम श्रेष्ठ गवर्नरका भी हाथ था। श्रीयुत वल्लभभाईने अपने पत्रमें नम्रतापूर्वक मान लिया था कि परम श्रेष्ठ गवर्नरका सम्बन्ध सरकारी विज्ञप्तियोंमें घोषित नीतिसे तो जोड़ा जा सकता है, परन्तु उनका सम्बन्ध अभिव्यक्तिके तरीकेसे न जोड़ा जाये खास तौरपर इस तरहकी अभिव्यक्तिसे जबकि जनता प्रशासनकी सेवाके सचिवोंसे पत्र-व्यवहार करते समय यदि थोड़ा-सा भी प्रतिरोध या स्वतन्त्रताकी झलक दिखाती है, तो उस पर चिढ़ कर वे सचिव प्रायः अपमानजनक भाषाका प्रयोग करते हैं। गवर्नरने अनुचित अपमानमें भागी होना स्वीकार किया है। इससे साफ पता चलता है कि गवर्नरोंके लिए नौकरशाहीके चक्करसे बच निकलना कितना कठिन होता है, चाहे उनकी मौजूदा गवर्नरकी तरह सद्भावनायुक्त और निष्पक्ष होनेकी कितनी ही प्रसिद्धि क्यों न हो। शेखीका मुँह काला गरूरका सिर नीचा . . .

परन्तु वल्लभभाईकी इतनी चौड़ी छाती है कि नौकरशाहीके लोग सुरक्षित और सुदृढ ऊँचाइयोसे उनपर अपमानोकी कितनी ही बौछार क्यो न करे, वह उन अल्फाजी अपमानोको सह सकते हैं। अपमानपर इतने विस्तारसे लिखनेका कारण यह है कि मैं उस सरकारके निहायत जिम्मेदार रवैयेकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो उच्च कोटिके सार्वजनिक कार्यकर्त्ताको अपमानित करनेका साहस करती है।

परन्तु हम फिलहाल इस बातपर गौर करें कि वह क्या बात है जिससे सरकार क्षुब्ध हो गई है? लगान अत्यन्त सुरक्षित विषय है और जैसी हालत में कानून है वह उसकी सीमासे बाहर है। लगानका विनियमन करना पूरी तरह प्रशासनिक अधिकारियोंपर निर्भर होता है। इसे सार्वजनिक अधिकारमें या कानूनी अधिकारमें लानेका जो भी प्रयत्न अभी तक किया गया है वह असफल रहा है। सरकारको हमेशा बढ़ता रहनेवाला खर्च, जो अधिकांशमें सैनिक खर्च है, किसी-न-किसी तरह अवश्य पूरा करना है, इसलिए लगान मनमाने तौरपर बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इसका असर सबसे बड़े वर्गपर और ऐसे वर्गपर जिसकी कोई आवाज नहीं है और उस वर्गपर पड़ता है जिसे निस्संकोच दबाया जा सकता है। यदि शासित लोगोकी उनपर कर लगानेके मामलेमें कोई पूछ हो या वे इसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर सकें तो गैरजिम्मेदार सरकारका खातमा हो जाएगा। अपने यहाँ लगानमें जो वढ़ोतरी की गई है बारडोलीमें उसे ठीक नहीं समझा गया है। यहाँके लोगोने सरकारको लिखित याचिकाएँ दी और प्रतिकारके लिए उन सभी साधनोंका उपयोग

किया, जिन्हें संविधानकी दृष्टिसे उचित समझा जाता है। इसमें असफल हो जाने पर उन्होंने वल्लभभाईको सलाह लेनेके लिए और आवश्यकता पड़नेपर सत्याग्रह द्वारा सरकारका प्रतिरोध करनेमें उनका नेतृत्व करनेके लिए आमन्त्रित किया।

वल्लभभाईने उनके मामलेकी जाँच की और यद्यपि उन्होंने देखा कि उनका मामला न्यायोचित है तो भी सरकारको परेशानीसे बचानेके लिए और लोगोंको लम्बी यातनासे छुटकारा दिलानेके लिए सरकारको एक सम्मानजनक सुझाव दिया, अर्थात् उन्होंने यह सुझाव दिया कि यदि सरकार यह बात स्वीकार नहीं करती कि लोगोंका मामला न्यायसंगत है तो वह दोनों पक्षके मामलेकी जाँच करनेके लिए एक निष्पक्ष न्यायाधिकरणकी नियुक्ति कर दे। उन्होंने सरकारको विश्वास दिलाया कि लोगोंको ऐसे न्यायाधिकरणका निर्णय मान्य होगा। सरकारने यह समुचित सुझाव अवज्ञासे अस्वीकार कर दिया।

इसलिए जनतासे यह नहीं कहा गया है कि वह सरकारने जो विवरण दिया है उसके विरुद्ध लोगोंका दिया विवरण स्वीकार कर ले। उनसे कहा गया है कि वे केवल निष्पक्ष न्याधिकरणकी नियुक्तिकी माँगका समर्थन करें और यदि ऐसी नियुक्ति न हो तो लोगोंके लगानका शान्तिपूर्वक प्रतिरोध करने और ऐसे प्रतिरोधके सब परिणामोंको, जिनमें उनकी जमीनकी जब्ती भी शामिल है, भोगनेके साहसिक संकल्पका समर्थन करें।

श्रीयुत वल्लभभाईने प्रस्तावित सत्याग्रहका स्वराज्य प्राप्तिके लिए किये जा रहे सत्याग्रहसे अन्तर ठीक ही बताया है, यह आन्दोलन सही मानेमें स्वराज्य प्राप्तिके लिए चलाया हुआ कर न देने का आन्दोलन नहीं समझा जा सकता जैसा कि बारडोलीमें १९२२ में हो सकता था। इस सत्याग्रहका क्षेत्र सीमित है। इसका विशेष और स्थानीय उद्देश्य है। हरएक आदमीका यह अधिकार ही नहीं बल्कि उसका यह कर्त्तव्य भी है कि वह मनमाने तौर पर लगाए गए अन्यायपूर्ण लगानका प्रतिरोध करे। बारडोलीकी रैयत ऐसा ही दावा करती है। परन्तु यद्यपि प्रस्तावित सत्याग्रहका विशिष्ट और स्थानीय उद्देश्य है तो भी इसका एक देश-व्यापी प्रयोजन है। जो बारडोलीके बारेमें सही हो वही बात भारतके बहुतसे हिस्सोंके बारेमें भी सही है। इस संघर्षका स्वराज्यसे भी परोक्ष सम्बन्ध है। जिस किसी बातसे भी लोगोंको उनके प्रति किए गए अन्यायका बोध होता है, उनमें अनुशासित रहकर शान्तिपूर्ण प्रतिरोध करनेकी शक्ति आती है और वे सामूहिक रूपसे यातनाएँ सहनेके आदी बनते हैं, उस सबसे हम स्वराज्यके निकटतर आते जाते हैं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ८-३-१९२८

१०१. पत्र : म्यूरियल लेस्टरको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
८ मार्च, १९२८

प्रिय म्यूरियल,

यह पत्र हमारे एक बहुत ही अच्छे सहकर्मी श्री राजेन्द्रप्रसाद आपको देंगे। आप अपनी सभी गतिविधियाँ उन्हें दिखायें और मेरे तथा आश्रमके बारेमें सारी जानकारी उनसे प्राप्त कर लें।

सस्नेह,

आपका
बापू

कुमारी म्यूरियल लेस्टर

अंग्रेजी (जी० एन० ६५६६) की फोटो-नकलसे।

१०२. पत्र : सर डेनियल एम० हेमिल्टनको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
९ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

मेरे मित्र रेवरेंड श्री होज ने, जो आपके भी मित्र हैं, मुझसे कहा है कि आपकी यह शिकायत है कि मैंने आपके भेजे हुए हाथके बुने स्कार्फ और बैंक व्यवस्था सम्बन्धी दो लेखोंकी प्राप्ति-स्वीकृति नहीं दी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले साल जब मैं बंगलोरमें स्वास्थ्य-लाभ कर रहा था, मैंने आपको धन्यवादका एक छोटासा पत्र[1] भेजा था। जाहिर है कि वह पत्र कहीं खो गया। इसलिए कृपया इस पत्रको अपनी भेंट और दो दिलचस्प लेखोंके लिए धन्यवाद स्वरूप समझिए।

१. तथापि "देखिए खण्ड ३४", पृष्ठ १६९।

स्कॉटलैण्डकी बैंक व्यवस्था सम्बन्धी आपके विवरणसे मुझे अच्छा निर्देशन मिला। मुझे स्टेच्यूटरी कमीशनके सामने आपके बयानकी एक प्रति मिली है। मै जानता हूँ कि मै उसे ध्यानसे पढ़ूँगा।

हृदयसे आपका,

सर डेनियल एम० हेमिल्टन
वारेन हिल
लॉटन
एसेक्स, इंग्लैंड

अंग्रेजी (एस० एन० १२९०७) की माइक्रोफिल्मसे।

१०३. पत्र: प्रेमलीला ठाकरसीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
९ मार्च, १९२८

प्रिय बहन,

आपका प्रेमपूर्ण पत्र मिला। डाक्टर तो हवा बदलनेके लिए कहेंगे ही; किन्तु मैंने अपने लोभकी बात सम्भवत: आपसे कही ही होगी। इस प्रकार मेरी इच्छा है कि हवा बदलनेके साथ-साथ अपना काम भी करता रहूँ। मैं इस विचारसे पत्र-व्यवहार भी कर रहा हूँ। आपका अतिथि बनना तो मुझे अवश्य अच्छा लगेगा। हवा बदलनेके लिए सिंहगढ़ जाना हो सका तो आपको याद रखूँगा। मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती: (सी० डब्ल्यू० ४८११) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: प्रेमलीला ठाकरसी

१०४. पत्र : रेवाशंकर झवेरीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
९ मार्च, १९२८

आदरणीय रेवाशंकरभाई,

भाई महादेवसे पत्र लिखवाया था। मुझे भय है कि उसमें आपको एक बात लिखनी रह गई है। महादेव यहाँ नहीं है इसलिए तसदीक नही कर सकता। डाक्टर अन्सारीके विषयमें लिखानेका इरादा था। इसमें सन्देह नहीं कि डाक्टर अन्सारी खुद एक बहुत कुशल व्यक्ति हैं पर इस विषयमें स्वयं उनके पास कोई विशेष योग्यता नहीं है। वह एक स्विस डाक्टरके इलाजको बहुत मानते हैं। यह इलाज अनेक घोड़ोंसे लिए गये सीरमसे किया जाता है। वह एक नलीके लिए एक हजार पौंड लेते हैं। किन्तु यह इलाज सभीको अनुकूल नही बैठता। यूरोपके सारे डाक्टर भी उसकी खोजको प्रामाणिक नहीं मानते है। मुझे लगता है कि हमारे लिये उस चक्करमें पड़नेकी जरूरत नहीं है। उसे[1] एक अच्छे डाक्टरके हाथमें सौंपकर हमें तो शान्त हो जाना चाहिए।

मैंने अब दूध शुरू किया है। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है।

मोहनदासके प्रणाम

गुजराती (जी० एन० १२७८) की फोटो-नकलसे।

१०५. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

आश्रम
साबरमती
१० मार्च, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

मुझे आपके दो पत्र मिले हैं। उनसे उन्हीं आशंकाओंकी पुष्टि होती है जो बहिष्कारकी सनसनीपूर्ण सूचनाओंके पढ़नेपर मेरे मनमें उठी थी। मुझे खेद है कि डा० रायने उस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये, जिसके बिलकुल बेकार होनेकी बात वे जानते थे।

आपके लेखमें जो प्रस्ताव है वह मुझे पसन्द नहीं है। मेरा विचार है कि हमें किसी भी तरहकी हालतोंमें विदेशी धागेके इस्तेमालमें नहीं उलझना चाहिए। हमें इसे

१. पीरको

खुद अपने-आप व्यवस्थित होनेके लिए या फिर उनपर ही छोड़ देना चाहिए जिनका खादीपर कोई जीवन्त विश्वास नही है। यदि हम विदेशी धागेके इस्तेमालमें उलझ गये तो आप देखेंगे कि हम अपना सिद्धान्त ही छोड़ बैठेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इसपर अच्छी तरह विचार करें और यदि चाहें तो आप अपनी सहायता और अपना काम खादीके वितरण तक ही सीमित रखें। हमारी अपनी मिलें, यदि वे चाहें, और यदि उनमें राष्ट्रीय भावना आ जाये तो इसमें शामिल हो सकती हैं। परन्तु वहाँ भी हमारी संस्थाको बहुत ही सावधान रहना होगा।

मुझे प्रसन्नता है कि हेमप्रभादेवी, निखिल और तारिणी गिरिडीह गये हैं। मुझे हेमप्रभादेवीका बहुत निराशाजनक पत्र मिला है। उसके स्वयं अस्वस्थ होनेकी सूचना मिली है। कृपया मुझे उसकी हालतकी बाबत सब कुछ बताइयेगा।

हृदयसे आपका,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० १५८७) की फोटो-नकलसे।

१०६. पत्र: एडा एस० स्कडरको

आश्रम

साबरमती

१० मार्च, १९२८

प्रिय बहन,

अपने भवनके उद्घाटन-समारोहके सिलसिलेमें श्रीमती गांधीको और मुझको याद करनेके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा अस्पताल या कोई ऐसी संस्था नहीं है, जहाँका कोई कक्ष मेरे नाम पर हो। यदि कही हो, तो वह धोखाधड़ी है। जब कि इस निमित्त देनेके लिए मेरे पास एक पैसा भी नही है तब कोई कक्ष मेरे नामपर हो ही कैसे सकता है। यदि मैं अपने मित्रोंको कक्षों या बिस्तरोंके निमित्त दान देनेके लिए प्रोत्साहित कर सकूँ तो वह उनके नामपर होना चाहिए। परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति मेरे ध्यानमें नही आता जिसे मैं अस्पताल कक्षके लिए दान देनेको कह सकूँ। मेरा सारा प्रभाव उन्हें चरखेके लिए, तथाकथित अछूतोंकी संस्थाओं या सृष्टिके निरीह प्राणी गायके लिए दान देनेके लिए कहनेमें लग जाता है।

हृदयसे आपका,

कुमारी एडा एस० स्कडर
वेल्लोर

अंग्रेजी (एस० एन० १३०९३) की फोटो-नकलसे।

१०७. पत्र : दुनीचन्दको

आश्रम
साबरमती
१० मार्च, १९२८

प्रिय लाला दुनीचन्द,

आपका पत्र मिला। चूँकि दानकी बछियाके दाँत नहीं गिनने चाहिए, इसलिए मुझे आपकी शर्त स्वीकार करनी ही पड़ेगी और वह ब्याज[1] छोड़ देना पड़ेगा जिसका आश्रमको कानूनी तौर पर हक है। आप विश्वास रखिये कि श्रीयुत कोठारी उतने सरल नहीं हैं जितना मैं हूँ और यदि आप उनका कर्ज समयपर उन्हें नहीं चुका देंगे, तो वह आपसे पूरा बनियोंवाला ब्याज माँगेंगे और यदि वह चक्रवृद्धि ब्याजके लिए आग्रह करने लगें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा।

जहाँतक लाला सूरजभानका सम्बन्ध है मैं देखता हूँ कि यहाँका प्रबन्धक-मण्डल उन्हें अपनी पत्नी सहित नहीं आने देना चाहता। प्रबन्धक-मण्डलका जो निर्णय है, उन्हें उसके कारणों सहित पत्र भेजा जा रहा है। और यदि यह सही है कि वह कुछ समय बाद साइकिल पर यात्रा करनेके लिए जाना चाहते हैं, तो आश्रम इस तरहकी यात्राके लिए स्वास्थ्य-लाभ करनेकी संस्था नहीं है। यह उन लोगोंके लिए है जो कोई ऐसा छोटा-मोटा काम चुनें, जिसका राष्ट्रीय उन्नतिमें योगदान हो और फिर परिणामकी अपेक्षा किये बिना उसमें जी जानसे जुटे रहें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३०९४) की फोटो-नकलसे।

१०८. पत्र : भूपेन्द्र नारायण सेनको

आश्रम
साबरमती
१० मार्च, १९२८

प्रिय भूपेन,

आपका पत्र मिला। मेरे विचारमें आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता यह है कि आप कर्ज वापस कर दें और उसके बाद अनुदानके लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें, तथा अनुदान पर उसके गुण-दोषके आधार पर विचार होने दें। निजी तौर पर मेरा

१. देखिए "पत्र : दुनीचन्दको", २९-२-१९२८।

झुकाव अनुदान दिये जानेके पक्षमें है। परन्तु मैंने तय कर दिया है कि जबतक कौंसिल मामलोंको मेरे सुपुर्द न करे, मैं कौंसिलको प्रभावित नहीं करूँगा।

आशा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत भूपेन्द्र नारायण सेन
ई० ७६ कालेज स्ट्रीट मार्केट
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३१००) की फोटो-नकलसे।

१०९. पत्र : वि० च० रायको

आश्रम
साबरमती
१० मार्च, १९२८

प्रिय डा० राय,

यह बिल[1] कैसा है और अगर इसकी अदायगीकी उम्मीद मुझसे की जाती है, तो मैं यह अदायगी कहाँसे करूँ? क्योंकि मैं स्वयं जनताकी खैरात पर रह रहा हूँ। मैं निजी कामके लिए आश्रम-निधिको इस्तेमाल नहीं कर सकता। विशेषज्ञकी सहायता और सम्मतिका, जिसे मैं प्रत्येक आश्रमवासीके लिए उतनी ही आसानीसे सुलभ नही कर सकता, जो लाभ मैं उठाता हूँ, कोई मौज-शौककी बात नहीं है। लेकिन अपने रक्त या शरीरके किसी अंगके परीक्षणके लिए रु० ४६ या कुछ भी देना मेरे लिये असह्य होगा। इसलिए यदि इस बिलकी अदायगी करनी ही है, तो यह अदायगी आपकी उदार जेबसे ही करनी होगी।

हृदयसे आपका,

डा० विधानचन्द्र राय
३६ विलिंग्टन स्ट्रीट
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३१०२) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए अगला शीर्षक।

११०. पत्र : ए० एस० मण्णाडि नायरको

आश्रम
साबरमती
१० मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैंने उसे डा० रायको उस पत्र[1] सहित भेज दिया है, जिसकी प्रति संलग्न है। मेरे सामने जो नैतिक कठिनाई है आप उसे समझेंगे। यद्यपि मैंने संसारमें शायद सबसे अधिक सम्पन्न होनेका दावा किया है, फिर भी आप मेरी गरीबीकी हदको भी महसूस करेंगे। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि डा० राय और मेरे बीचमें आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। परन्तु यदि आपको डॉ० रायसे या कप्तान बसुसे कोई राहत नहीं मिलती तो इस घटनासे आप यह सबक लेंगे कि महात्माओंसे या जो लोग अपने नामके साथ महात्मा शब्द लगाते है, उनसे कभी कोई सम्बन्ध न रखा जाये। महात्मा लोग इस अत्यधिक भारसे दबी धरती पर अनुचित लाभ उठानेवाले सबसे अधिक अविश्वसनीय ग्राहक है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत ए० एस० मण्णाडि नायर
बायो केमिस्ट्री प्रोफेसर
मद्रास मेडिकल कालेज
मद्रास

अंग्रेजी (एस० एन० १३१०१) की फोटो-नकलसे।

१११. पत्र : जॉन हेन्स होम्सको

आश्रम
साबरमती
१० मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

मुझे फिर सहायता कोषके लिए और दस डालर दानकी प्राप्ति-स्वीकृति धन्यवाद सहित देनी है। ये सारी रकमें सहायता कोष समितिके सचिवको भेज दी गई हैं। परन्तु मुझे आशा है कि आपने दाताओंको उनकी उदारताके लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करनेका कोई तरीका निकाल लिया होगा।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

मैं आपको आगाह करता हूँ कि आप समाचारपत्रोंकी सूचनाओंके आधारपर यहाँकी आम हालतके सम्बन्धमें अपने विचार न बनायें। आयोगकी ढकोसलेबाजी पर यहाँ बड़ा आक्रोश है; तथापि अभी हमारा संगठन ऐसा नहीं है कि प्रभावपूर्ण अहिंसात्मक प्रतिरोध किया जा सके। हालांकि मेरा पूरा विश्वास है कि ऐसा प्रतिरोध अवश्यम्भावी है और वह दिन दूर नहीं जब यह प्रतिरोध होगा।

हृदयसे आपका,

रेवरेंड जॉन हेन्स होम्स
१२ पार्क एवेन्यू
और ३४ वीं स्ट्रीट
न्यूयार्क शहर

अंग्रेजी (एस० एन० १५१८१) की फोटो-नकलसे।

११२. पत्र : रामी गांधीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१० मार्च, १९२८

चि० रामी,

इस बार तो तुम्हारा पत्र ठीक ही आया है। तुम सबका स्वास्थ्य ठीक रहता होगा। चि० कुमी कल आ रही है। तुलसीदास बम्बई जायेगा। चि० देवदास दिल्ली गया है। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तुम्हें बच्चोंको मारने और खीजनेकी आदत छोड़ देनी चाहिए। उनसे हँसी-खेलमें बहुत काम लिया जा सकता है। उन्हें नियम-पूर्वक खाने-पीनेकी आदत होनी चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९७०८) की फोटो-नकलसे।

११३. टिप्पणियाँ

दिवंगत रमणभाई

सर रमणभाई गुजरातको रोता छोड़कर चल बसे है। रमणभाई अर्थात् गुजरातके आधुनिक जीवनके इतिहास। रमणभाई अर्थात् समाज-सुधार। रमणभाई गरीबोंके बन्धु थे। वे अहमदाबादके नागरिक जीवनमें रमे रहते थे। उनकी गुजराती भाषाकी सेवा उच्चकोटिकी थी। उनके शुद्ध चरित्रका प्रभाव उनके सम्पर्कमें आने वाले लोगोंपर पड़े बिना नही रहता था। रमणभाईका विनोद उनकी पुस्तकोमें छलकता है। किन्तु उन्होने जीवनको विनोदके रूपमें नहीं देखा था। उन्होंने जीवनको कर्त्तव्यमय बनानेमें उसकी सार्थकता मानी थी। हर अच्छे काममें रमणभाई सहायता अवश्य देते थे। देश-हितके कामोमें वह पूरा हिस्सा लेते थे।

जिन कार्योंको रमणभाईने सेवाका कार्य माना उनमें उन्होंने अपना पूरा बल लगाया और कभी पीछे नहीं हटे। वे सख्त बीमार होनेपर भी और राजनीति विषयक पूरा मतभेद होनेपर भी वल्लभभाईकी नगरपालिका सम्बन्धी सेवाओंकी कद्र करते थे और अवसर आनेपर पर्याप्त सहायता देना कभी नही भूलते थे। अहमदाबादकी सार्वजनिक संस्थाओंमें शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी जिसने रमणभाईका नाम अपने साथ सम्बद्ध न रखना चाहा हो।

गुजरातके ऐसे पुरुष-रत्नके वियोगसे उसका परिवार ही दुखी नही है; बल्कि इस दुखमें समस्त गुजरात भी शामिल है।

आजकल ऐसी रूढि हो गई है कि जो मनुष्य राजनीतिमें, और उसमें भी उग्र राजनीतिमें भाग न लेता हो उसकी शान्त और अदृश्य सेवाओंकी कीमत कदाचित ही आँकी जाती है। मेरा विनम्र मत यह है कि ऐसा करना भूल है। यह भूल कालान्तरमें सुधर जायेगी। जो मनुष्य एक भी विधवाके आँसू पोंछता है, जो एक भी बालिकाको विवाहके नामपर होनेवाले पशु-यज्ञमें से बचाता है और जो एक भी अन्त्यजकी निःस्वार्थ सेवा करता है वह देश और समाजकी शुद्ध सेवा करता है। और यह बहुत सम्भव है कि जब राजनीतिके महापराक्रमी वीरकी लड़ाई विस्मृत हो जायेगी तब भी जहाँ-तहाँ किसी कोनेमें की जानेवाली ऐसी सेवा फल देती रहेगी। जिस सेवाके पीछे तालियोंकी गड़गडाहट नहीं, बल्कि प्रभुका आशीर्वाद है वह सेवा अवश्य ही खरी सेवा है। रमणभाईकी सेवा ऐसी ही थी। तालियोंकी गड़गड़ाहट भी उनके भाग्यमें आई थी; किन्तु उसकी जरूरत रमणभाईको थी ही नहीं; इसलिए उसका क्यों उल्लेख करूँ? रमणभाई तो वीर योद्धा थे। वे युवकोंके शोर करने और सीटियाँ बजानेके बीच भी अपने विचारों और अपने स्थानपर दृढ रहते थे। उनको ऐसा करते किसने नहीं देखा था? उनके ये गुण हम सभी लोगोंमें आयें। हम प्रभुसे यही प्रार्थना करते हैं।

लॉर्ड सिन्हा

लॉर्ड सिन्हाके अवसानसे भारतकी भारी क्षति हुई है। लॉर्ड सिन्हा भारतके एक स्तम्भ थे। वे अपने बुद्धि-बलसे ऊँचेसे-ऊँचे पदपर पहुँच चुके थे। यह बात सच है कि असहयोगके युगमें उस पदका मूल्य अब अधिक नही रहा है; किन्तु उस पदको प्राप्त करनेके लिए जिस शक्तिकी आवश्यकता थी उस शक्तिकी पूछ तो आज भी है। लॉर्ड सिन्हा उस पदको खोजने नहीं गये थे। बल्कि यह कहा जा सकता है कि वह पद उनको खोजते हुए आया था। किन्तु मैं यहाँ यह नही लिखना चाहता कि वे किन बड़े-बड़े पदोंपर रहे। सो तो पाठकोंने दूसरे अखबारोंमें पढ़ ही लिया होगा। मैं यहाँ उनके साथ अपने परिचयके सम्बन्धमें कुछ कहना चाहता हूँ।

लॉर्ड सिन्हाको पहली बार मैंने १९१५ के कांग्रेसके अधिवेशनमें देखा था। कांग्रेस अधिवेशनका मेरा यह दूसरी बारका अनुभव था। मुझे इस अधिवेशनमें ही उनकी प्रतिभाका परिचय मिला था। उनके भाषणकी विद्वत्ता सभीको भाई थी। उन्होंने साम्राज्यकी जो आलोचना की थी, वह गम्भीर थी। कांग्रेसकी कार्य समितिमें उनके कार्य संचालनको सभीने सराहा था।

हम सब उनकी इस प्रतिभाका अनुकरण नही कर सकते; किन्तु हम उनके जिस गुणका अनुकरण कर सकते है उस गुणकी झाँकी मुझे उनके सम्मानमें किये गये एक समारोहमें मिली थी। वह गुण था उनकी विनम्रता।

किन्तु उनकी इस विनम्रताका और अधिक अच्छा दर्शन मुझे उस समय हुआ जब श्री देशबन्धु दासके स्मारकके लिए धन संग्रह किया जाना था। हम सबको यह लगता था कि यदि इस कोषके संग्रहकी अपीलमें उनका नाम रहे तो अच्छा होगा। सभी पक्षोंके लोगोंको ऐसा लगा कि यदि उनका नाम मिल जाये तो यह कोष अधिक अच्छी तरहसे इकट्ठा हो सकेगा और सभी पक्षोंके लोग उसमें सहज रूपमें भाग लेंगे। उनके यहाँ जो लोग गये थे उनमें मैं भी था। उनका स्वास्थ्य उस समय बहुत अच्छा न था; किन्तु जरूरत पड़नेपर वे लोगोंसे मिलते थे। उन्होंने अपना नाम बड़ी खुशीसे दिया था और जितनी मदद दी जा सके उतनी मदद देनेका वादा भी किया था। इस प्रसंगमें उनकी नम्रता, शिष्टता और उनके गौरवका मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ और मैंने यह देखा कि यदि यह गुण हमारे सब बड़े बूढ़ोंमें हो तो भारतका गौरव बहुत बढ़ जाये। मैंने देखा था कि वे सम्मानके भूखे न थे; वे दूसरोंका सम्मान करनेके लिए सदा तैयार रहते थे। जिसको सम्मान नहीं चाहिए वही सम्मानके योग्य होता है। जो अधिकारको ठुकराता है अधिकार उसीसे चिपटता है। लॉर्ड सिन्हाकी स्थिति ऐसी अच्छी थी। ईश्वर करे उनकी विनय और नम्रता हम सबमें आये।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ११-३-१९२८

११४. अन्त्यजोंकी हुण्डी कौन सकारेगा?

यह हुण्डी जल्दी प्रकाशित की जानी थी। किन्तु बीमारोका कारबार बीमारों जैसा ही चलता है। इस नियमके अनुसार इस हुण्डीको प्रकाशित करनेमें ढिलाई हुई। इसलिए जो लोग इस हुण्डीको सकारनेके लिए तैयार हो वे अपनी रकमें ब्याज सहित भाई मूलचन्द पारेखको भेज देंगे ऐसी उम्मीद है। सभी हिन्दू अन्त्यज सेवा पसन्द नहीं करते। इसलिए जो लोग अस्पृश्यताको हिन्दू-धर्मके लिए व्याधि रूप समझते हो इसमें सहायता देना उनका दुहरा कर्त्तव्य है। मुझे आशा है कि वे इस बातकी नहीं भूलेंगे।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ११-३-१९२८

११५. पत्र: जेन हॉवर्डको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१२ मार्च, १९२८

प्रिय बहन,

आपका लम्बा पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। आप श्रीमती गांधीके बारेमें और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाके बारेमें, जिसका मैंने 'आत्मकथा' के परिच्छेदोमें[1] जिक्र किया है, जो कहती हैं, उसके प्रत्येक शब्दका मैं समर्थन करता हूँ। निस्सन्देह आपने यह कल्पना नही की होगी कि मैं इस क्रूरताका स्मरण करनेमें गर्व अनुभव करता हूँ या कि आज भी मैं कुछ इसी तरहकी क्रूरता कर सकता हूँ। परन्तु मैंने यह सोचा था कि यदि लोग मुझे शरीफ और शान्तिप्रिय आदमी समझते हैं, तो उन्हें यह भी जानना चाहिए कि एक ऐसा समय था जब मैं सचमुच जानवर था, यद्यपि इसके साथ मैं स्नेहशील पति होनेका दावा करता था। एक बार एक मित्रने, मुझे एक पवित्र गाय और क्रूर चीतेका मिश्रण बताया था — वह निराधार नही था।

यदि आपने अपने सुन्दर पत्रको जला दिया होता, जैसा कि आपने एक बार जलानेके लिए सोचा भी था, तो यह बहुत खेदजनक बात होती। निश्चय ही आप मुझे अशिष्ट और दुर्विनीत नहीं लगी हैं अपितु अत्यन्त स्वाभाविक और इस कारण प्रिय लगी हैं। निस्सन्देह मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि मैं आपके भाईके और अधिक

१. देखिए आत्मकथा भाग ४, अध्याय १०।

निकट सम्पर्कमें आया होता। परन्तु मैं उन्हें प्यार करने और उनका वास्तविक मूल्य समझनेकी हद तक तो जानता ही था।

हृदयसे आपका,

कुमारी जेन हॉवर्ड
'रोजमेरी'
५० पैण्डोरा रोड
मलवर्न, जोहानिसबर्ग
(ट्रान्सवाल, द० आफ्रिका)

अंग्रेजी (एस० एन० ११९६७) की फोटो-नकलसे।

११६. पत्र : बी० डब्ल्यू० टकरको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१२ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

आप जिस तरह मेरे विचारोंका विरोध कर रहे हैं, उसे मैं पसन्द करता हूँ। हम दोनोंके बीचके मतभेदको मैं उड़ीसामें ही समझ गया था। मेरे लिये वैयक्तिक और सामाजिक स्थितिमें कोई अन्तर नहीं है। जिस किस्मके समझौतेका आपने सुझाव दिया है उसकी भी काफी गुंजाइश है और इसका सीधा-सा कारण यह है कि मैं व्यक्तिगत आचरणमें भी अपने आदर्शोंसे सदा समझौता करके चलता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं ऐसा करना पसन्द करता हूँ, बल्कि इसलिए कि समझौता अनिवार्य है। इसीलिए मैंने सामाजिक और राजनीतिक विषयोंमें जिसपर मेरा विश्वास रहा है उस आदर्शके पूरी तरहसे निर्वाह करनेपर कभी जोर नहीं डाला। परन्तु ऐसे प्रसंग तो आते ही रहते हैं जब व्यक्तिको यह कहना ही पड़ता है कि इस हदतक समझौता हो सकता है, इससे आगे नहीं और इस विभाजक रेखाका निश्चय ही हर बार गुण-दोषके आधार पर करना होता है। सामान्यतः जहाँ किसी आन्दोलनका अन्तिम परिणाम बुरा रहा है, वहां मैंने समझौतेके आधारपर किये गये सहयोगको अत्यन्त अभीष्ट माना है। यदि कि मैं इस वक्त अपने आपको कुछ राजनीतिक आन्दोलनोंसे दूर रखता प्रतीत होता हूँ, तो इसका कारण मेरा यह विश्वास है कि उन आन्दोलनोंका रुझान स्वराज्यकी दिशामें प्रगतिकी ओर नहीं, अपितु उसमें विलम्ब करानेकी ओर है। यह हो सकता है कि मैंने अपनी धारणा बनानेमें गलती की हो। यदि ऐसा है तो यह मानव सुलभ है; मैंने यह दावा कभी नहीं किया है कि मुझसे चूक नहीं हो सकती। आप देखेंगे कि अभी हालमें 'आत्मकथा' के परिच्छेदमें, जिसमें पिछले

युद्धमें[1] मेरे भाग लेनेका उल्लेख है, इस पहलूपर कुछ अधिक प्रकाश डाला गया है। मैं आपकी समस्याका समाधान न कर सका होऊँ तो भी कृपया बताइये कि इसमें आपके प्रश्नका उत्तर आ गया है या नहीं।

एन्ड्रयूज यहाँ हैं और कुछ दिन और यहाँ रहेंगे। क्या ही अच्छा हो कि यदि आप यहाँ आ जायें और कुछ दिन यहाँ मेरे साथ शान्तिपूर्वक बितायें, ताकि हम उन महत्वपूर्ण समस्याओं पर जिनका आप अपने पत्रोंमें उल्लेख करते रहते हैं, चर्चा कर सकें। बहरहाल इसका यह अभिप्राय नहीं कि आप पत्र-व्यवहारमें उसकी चर्चा न करें। जबतक यह जरूरी हो कृपया चर्चा अवश्य करते रहें।

हृदयसे आपका,

बी० डब्ल्यू० टकर
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३१०४) की फोटो-नकलसे।

११७. पत्र : जे० बी० कृपलानीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१२ मार्च, १९२८

प्रिय प्रोफेसर,

संघ-सचिवके १ मार्चके पत्रके सदर्भमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे रास्तेमें जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, उनके बावजूद हमारा यह उद्देश्य अवश्य होना चाहिए कि हमारे पास उन कतैयोंकी पूरी सूची हो, जो अपना सूत आम बाजारमें लाते हैं। मैं इस बातको आन्दोलनके हितमें अत्यन्त आवश्यक समझता हूँ। यदि हम वास्तवमें इन कतैयोंकी सेवा करना चाहते हैं, तो हमें उनके साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करना ही चाहिए। इसमें कुछ समय भले ही लग जाए, परन्तु हमारा काम तबतक अधूरा रहेगा जबतक हम अपने कतैयोंको न जान लें। हम उनसे उनके अपने घरोंमें जाकर परिचित हों और देखें कि वे काम कैसे करते हैं। वह कपास कहाँसे लाते है और अपना समय अन्यथा कैसे बिताते हैं; उनके बारेमें इसी तरहकी दूसरी बातें भी जानें। यदि हम इसे अपने कामका आवश्यक अंग समझें तो कार्यकर्त्ताओंको निवृत्त करने न करनेका प्रश्न ही नहीं उठेगा। जैसे कि हिसाब-किताब रखनेका या हमें जो सूत मिलता है, उसके गुण और परिमाण जाननेका कोई प्रश्न ही नहीं होता। आपको कुछ और लिखनेका मेरे पास समय नहीं है। दूसरे मामलोंकी बाबत मैं आपसे कृष्णदासके

१. देखिए आत्मकथा भाग ४, अध्याय ३८।

जरिये बात करूँगा। मुझे आशा है कि अब कार्यके लिए क्षेत्र तय करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१०५) की फोटो-नकलसे।

११८. पत्र: हेमप्रभादेवी दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१२ मार्च, १९२८

प्रिय भगिनि,

आपके सब पत्र मीले हैं। अब तो आपका शरीर ठीक होगा। परंतु यदि न भी होवे तो भी मैं चाहता हुं कि आप स्वस्थ रहें। भगवानकी तो आज्ञा है की हम दुःखेषु अनुद्विग्न मनः और सुखेषु विगतस्पृहः[1] रहें। और ऐसे ही मौकेपर हमारे पठन-पाठनका उपयोग हमारे करना है वही उसका सच्चा उपयोग है। अनीलके देहका स्मरण भी छोड़ना चाहीये। वह देह पंच महाभूतमें से बना था उसीमें मील गया है। आत्मा तो अमर है। अब किस बातकी चिंता करे? मीरांबाईके साथ कहें कि होनी हो सा हो। सब कुछ राम ही करता है ऐसा समझकर हम संतुष्ट रहें। रामनामकी महिमा तुलसीदासजीके पुस्तकमें से ध्यानपूर्वक पढ़ती रहो। एक नामके ही आधारसे हम जीये और उसीके जप जपते हुए हम मरें यही प्रार्थना सदा कीजीये।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० १६५५ से।

१. भगवद्गीता, अध्याय २, श्लोक ५६।

११९. पत्र : अजमल जामिया कोषके खजांचीको

आश्रम
साबरमती
१३ मार्च, १९२८

अवैतनिक खजाची
अजमल जामिया कोष
३९५-९७ कालबादेवी रोड
बम्बई

प्रिय महोदय,

संदर्भ : अजमल जामिया कोष

आपका १० तारीखका पत्र

मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि आपने मेरे ३ तारीखके पत्रका उत्तर नही दिया है। जामिया मिलिया, दिल्लीके श्री जाकिर हुसैनने उपर्युक्त कोषके लिए जो रकमें प्राप्त की हैं तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दिल्लीमें जमा करा दी हैं, उनकी जो सूचियाँ आपको भेजी है, उन्हीकी प्रतियाँ वे सेठ जमनालालजीके अनुदेशसे हमें भी भेजते रहें हैं। हमने उनकी पहली सूची ८ मार्चको 'यंग इडिया' में प्रकाशित की है। उन्होने रु० १४९२–१३–० की एक और सूची भेजी है, जिसे हम 'यंग इंडिया' के आगामी संस्करणमें प्रकाशित कर रहे हैं। आपने ३ और १० तारीखको जो नाम भेजे है वे भी हमने सूचीमें जोड़ दिये है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप 'यंग इडिया' में प्रकाशित अब तककी सूचियोका अपने बहीखातेसे मिलान कर लें और यदि कोई खामियाँ रह गई हो तो हमें बता दें, ताकि हम उन्हें अगले संस्करणमें सुधार दें। कृपया आप हमें यह भी सलाह दें कि क्या हम उन सूचियोको प्रकाशित कर सकते हैं, जो हमें समय-समय पर डा० जाकिर हुसैन भेजते रहते हैं। यदि नही तो क्या आप कृपया वे सूचियाँ हमें इस तरह ठीक समयसे भेज दिया करेंगे कि वे हमें प्रति सप्ताह सोमवार तक मिल जाया करें।

मुझे नही मालूम कि ३ मार्चको भेजी हुई सूचीके अनुसार आपको रु० १५५९-०-० कैसे मिल गये थे जब कि आपने रु० १२५४–०–० प्राप्त किये है। 'यंग इंडिया' में पहले ही इस रकमकी प्राप्ति-स्वीकृति छापी जा चुकी है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १४९११) की माइक्रोफिल्मसे।

१२०. हमारी मिलें क्या कर सकती है?

प्रत्येक व्यक्ति इस बातके लिए उत्सुक है कि हम अपने इतिहासकी इस नाजुक घड़ीमें कुछ सच्ची शक्ति दिखा सकें। उत्तरोत्तर यह महसूस किया जा रहा है कि ऐसी शक्ति केवल ब्रिटिश कपड़ेके बजाय तमाम विदेशी कपड़ोंके बहिष्कार द्वारा विकसितकी जा सकती है और दिखाई जा सकती है। इस बहिष्कारमें हमारी मिलें, यदि वे चाहें, तो महत्वपूर्ण ही नही अपितु निर्णायक भाग ले सकती हैं।

किसी-न-किसी दिन उन्हें इस विदेशी सरकार और जनतामें से एकको चुनना होगा। इसमें कोई सन्देह नही कि वे अपने अस्तित्वके लिए बड़ी हद तक, सरकारकी सदाशयता पर नही तो उदारता पर निर्भर हैं। थोरोने सच ही कहा था कि बुरी सरकारके अधीन धनवान् होना पाप और निर्धन रहना पुण्य है। धनवानोंका धन सदा तत्कालीन सरकारके नियन्त्रणमें रहता है— चाहे सरकार अच्छी हो या बुरी।

परन्तु यदि मिलें अपने अस्तित्वके लिए सरकारकी उदारता या सदाशयता पर निर्भर है तो वे जनताकी उदारता और सदाशयता पर किसी भी तरह उससे कुछ कम निर्भर नही है। वे जनताकी तभी तक उपेक्षा कर सकती है जबतक जनता अनभिज्ञ, उदासीन या असंगठित रहे। परन्तु पिछले सात साल राष्ट्रने व्यर्थ नही गँवाये हैं। इन सात सालोंके दौरान जो सामूहिक जागरण हुआ है, वह कभी नष्ट नही हो सकेगा। कोई नही कह सकता कि जनता कब और कैसे अपनी शक्ति दिखायेगी।

परन्तु मिलोंकी विशेष स्थिति है। वे थोड़ा-सा साहस दिखाकर, राष्ट्रके सच्चे हितोंका थोड़ा-सा ध्यान रखकर और थोड़ा-सा स्वार्थ-त्यागकरके सरकारको बदल सकती है और जनताका हित साधन कर सकती है।

मेरी विनम्र सम्मतिमें मिलें यह काम इस तरह कर सकती है:—

तेजी और मन्दीके कुछ सालोंका निम्नतम औसत निकाल कर वे अपनी वस्तुओंकी कीमतें स्थिर कर सकती हैं।

वे बहिष्कारका आयोजन करनेवाले नेताओंके साथ राष्ट्रके लिए आवश्यक कपड़ेके परिमाण और गुणके सम्बन्धमें समझौता कर सकती हैं।

खादी संस्थाएँ खादीकी जिन किस्मोंको जल्दीसे और आसानीसे तैयार कर सकती है, मिलें उनका उत्पादन छोड़कर और इस तरह अपनी शक्ति बचाकर उसे उन किस्मोंके कपड़ेके ज्यादा उत्पादनमें लगा सकती है, जिन्हें फिलहाल खादी-संस्थाओंकी अपेक्षा वे ज्यादा आसानीसे तैयार कर सकती हैं।

वे कमसे-कम मुनाफा ले सकती है और यदि बचत हो जाये तो उसे बहिष्कार आन्दोलनमें लगा सकती हैं या यदि यह अनावश्यक हो तो उस बचतको मजदूरोंकी दशा सुधारनेमें लगा सकती है।

इसका अभिप्राय होगा सब ओरसे ईमानदारी, अध्यवसाय, पारस्परिक विश्वास, मजदूरो, पूंजीपतियो और उपभोक्ताओंके बीच स्वेच्छापूर्वक और सम्मानयुक्त तिहरा संगठन। इसका अभिप्राय होगा बहुत बड़े पैमानेपर संगठनकी शक्ति। और यदि हमें अहिंसाके जरिये विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करना है तो मैंने जो मापदण्ड अभी बताये हैं, किसी-न-किसी दिन उन्हें निबाहना होगा।

मेरी विनम्र सम्मतिमें हम इस कामको कर सकनेके लिए पूरी तरहसे योग्य हैं। इसके लिए जो संगठन अपेक्षित है वह हमारे लिये नया नही है। सवाल केवल यही है कि क्या हममें इसके लिए इच्छाशक्ति है? क्या मिल-मालिकोमें पर्याप्त दूरदर्शिता, पर्याप्त देश-प्रेम है? यदि है तो वे इस रास्तेके अगुआ बन सकते हैं।

मैं अपने विश्वासकी फिरसे घोषणा करता हूँ। बहिष्कारको शीघ्र सफल बनानेके लिए खादी और सच्ची स्वदेशी मिलोमें मेल होना अभीष्ट तो है, परन्तु बिलकुल अनिवार्य नही है। मैं 'सच्ची स्वदेशी' शब्दका प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योकि भारतमें नकली मिले हैं। वे इस अर्थमें भारतीय हैं कि वे भारतमें स्थित है, परन्तु उनके हिस्सेदार उनके प्रबन्धक और उनकी भावना यदि पूरी तरह नही तो मुख्य रूपसे विदेशी है। परन्तु यदि स्वदेशी मिलें राष्ट्रीय आन्दोलनका नेतृत्व न कर सकें या न करे या इसमें भाग न लें तो भी मुझे विश्वास है कि यदि राजनीतिक विचारोवाले भारतीयोमें इस कार्यके लिए अपेक्षित इच्छा-शक्ति, विश्वास और स्फूर्ति हो तो अकेली खादी ही बहिष्कारको सफल बना सकती है। हमारे पास स्टीम इंजन, आयल इंजन या बिजलीकी काफी शक्ति नही है, परन्तु हमारे पास मानव-शक्तिका कमी समाप्त न होनेवाला भण्डार बेकार पड़ा है, जो प्रयोगमें लाये जानेकी पुकार कर रहा है और वह इस कामके लिए विशेष रूपसे उपयुक्त है। काश! हममें इस जीवन्त शक्तिको देख सकने और इसे प्रयोगमें ला सकने वाली श्रद्धा होती।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १५-३-१९२८

१२१. यह कैसे करें?

इन पृष्ठोमें पश्चिमी खानदेश जिला मण्डलका उल्लेख, जिसके संस्थापक अध्यक्ष और देवात्मा-तुल्य संरक्षक श्रीयुत शंकरराव देव है, पहले ही हो चुका है। इस मण्डलका प्रमुख कार्य ग्रामोंका पुनर्निर्माण है। इस मण्डलको विश्वास हो गया है है कि यदि पुनर्निर्माण-कार्यको आगे बढना है, और जन-समुदायकी बेहद गरीबीमें सहायक होना है, तो पुनर्निर्माण-कार्यसे सम्बन्धित हर कार्यका केन्द्र-बिन्दु कताई ही होना चाहिए। मण्डलका सारा काम जितना सुचारु रूपसे हो सकता है, किया गया है। श्रीयुत एस० वी० ठक्कर पुनर्निर्माण कार्यके लिए किसी गाँवमें जमकर बैठनेसे पहले कुछ समय तक स्वयंको उसमें प्रशिक्षित करते रहे है। वे श्रीयुत बाल भाई मेहताके साथ उन केन्द्रोमें घूमते रहे है, जिनमें ऐसे काम किये जा रहे हैं। उन्होने

मण्डलके अध्यक्ष को जो संक्षिप्त रिपोर्ट भेजी है, वह पढ़ने योग्य है। इसलिए मैं इस रिपोर्टके मुख्य अंश, उन लोगोंके निर्देशनके लिए, जो यह काम करते हैं, फिरसे प्रकाशित कर रहा हूँ।[1]

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-३-१९२८

१२२. टिप्पणियाँ

अखिल भारतीय चरखा संघकी सदस्यता

उपर्युक्त संक्षिप्त विवरण[2] अपने आपमें स्पष्ट है। सन् १९२७ के आँकड़ेके मुकाबले तीनों श्रेणियोंके सदस्योंकी संख्या घटी है। इसका कारण या तो यह है कि सदस्य बनानेके लिए कोई प्रचार नहीं हुआ या फिर नाममात्रका ही हुआ है; क्योंकि संघकी नीति ही यह रही है, जो ठीक भी है, कि यज्ञार्थ कातनेके निमित्त उनमें प्रचारकी हदतक एक पैसा भी खर्च न किया जाये। अगर रुपया खर्च करके प्रचार कराया जाये और पैसा देकर एजेंसियोके जरिये लोगोंको प्रोत्सहित किया जाये तो यज्ञार्थ कताईका महत्व ही कुछ नही रह जाता। किन्तु यदि सभी सदस्य एक-एक नया सदस्य बनानेका भार अपने सिर ले लें तो सदस्योकी संख्या सहज ही दूनी हो जाये। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि सदस्योंकी सख्या तो घटी है, किन्तु खादीके उत्पादन और विक्रीमे तथा मजदूरीके लिए कातनेवालोकी संख्यामें बहुत वृद्धि हुई है।

तरुण बालकों, बालिकाओंकी जानकारीके लिए मैं अ० भा० चरखा संघकी कौंसिलके एक प्रस्तावकी नकल नीचे दे रहा हूँ। राष्ट्रीय शालाएँ प्रयत्न करें तो तरुण सदस्योकी संख्या बहुत बढ़ सकती है:

> निश्चित हुआ कि संघके लिए तरुण सदस्योंका एक 'ब' वर्ग बनाया जाये जिसमें १८ सालसे कम उम्रके वे बालक या बालिकाएँ ली जायें जो नियमित रूपसे खादी पहनते हों, और जो संघको सालाना चंदेके रूपमें अपना काता हुआ एक सार और ठीक बटवाला दो हजार गज सूतका दिया करें।

बोधक आँकड़े

मैं आम सभाओमें यह बात बराबर कहता रहा हूँ कि अखिल भारतीय चरखा संघके जरिये १,५०० गाँवोंमें ५०,००० कतैयोंकी सेवा की जा रही है। अ० भा० चरखा संघने सूतकी मिकदारसे कतैयोंकी संख्या निकाली थी। उसीके आधार पर १९२७ में यह ब्योरा दिया गया था। तबसे एक वर्षसे अधिक हो गया है। सही आँकड़े निकालनेके लिए प्रत्यक्ष प्रमाणका सहारा लिया गया था, यानी अ० भा० च० संघ

१. रिपोर्ट यहाँ नहीं दी जा रही है।
२. यह विवरण यहाँ नहीं दिया गया है।

जिन कतैयोकी और साथ-साथ जिन धुनियो तथा बुनकरोंकी मदद कर रहा था उन सबकी गणना करनेकी कोशिश की गई थी। साथकी तालिकामें उक्त आँकडे दिये जाते है।[1] उन्हें देखने पर मालूम होगा कि न तो प्रान्तोकी संस्था जिन्होने अपने आँकड़े नही भेजे है और न वे ही जिन्होंने आँकड़े भेजे हैं, अ० भा० च० संघकी सारी माँगें पूरी कर सकी है। इसलिए साथके आँकडे हर हालतमें सही आँकड़ोंसे कम हीं होगे, अधिक नही हो सकते; फिर भी इन आँकड़ोंसे जो प्रगति सूचित होती है वह ५०,००० कतैयों और १,५०० गाँवोंसे कहीं अधिककी प्रगति है। किन्तु इससे तो उस आन्दोलनकी सम्भावनाओंके प्रारम्भका एक अनुमान भर लगता है, जिसे समझदार लोगोका ठोस समर्थन प्राप्त होना है। अगर केवल खादीकी माँगका पक्का भरोसा हो जाये तो खादीके उत्पादनकी बेहद गुंजाइश है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १५-३-१९२८

१२३. फिर वही चर्चा

'आत्मकथा' का वह अध्याय, जिसमें मैंने विगत युद्धमें अपने हिस्सा लेनेका उल्लेख किया है, अभी तक मेरे मित्रों और आलोचकोंके मनकी उलझनका कारण बना हुआ है। यह एक पत्र[2] और है:

निस्सन्देह जिसने मुझे युद्धमें भाग लेनेके लिए प्रेरित किया, वह एक मिश्रित उद्देश्य था। मुझे दो बातें याद आती हैं। यद्यपि व्यक्तिगत रूपसे मैं युद्धका विरोधी था, तो भी मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मै कारगर ढंगसे अहिंसात्मक प्रतिरोध कर सकता। अहिंसात्मक प्रतिरोध तभी किया जा सकता है जब पहले कोई वास्तविक निःस्वार्थ सेवा की जा चुकी हो या हार्दिक प्रेमका कोई प्रदर्शन हो चुका हो। उदाहरणके लिए मैं किसी जंगली मनुष्यको पशु बलि देनेसे तबतक रोकनेकी स्थितिमें नही होऊँगा जबतक कि वह मेरे किसी स्नेहपूर्ण काम या दूसरी किसी वजहसे मुझे अपना मित्र न समझने लगे। मै संसारमें होते रहनेवाले अनेक कुकर्मोका काजी नहीं बन सकता। चूंकि मैं स्वयं अपूर्ण हूँ और दूसरोंकी सहनशीलता और उदारताकी अपेक्षा रखता हूँ, इसलिए जबतक मुझे सफल प्रतिवाद करनेका अवसर न मिले या मै ऐसा अवसर न जुटा लूँ; मै संसारकी त्रुटियोको सहन करता रहूँगा। मैंने अनुभव किया कि यदि मै पर्याप्त

१. यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं।

२. यह नहीं दिया गया है। आत्मकथा भाग ४के ३८वें और ३९वें अध्यायका सन्दर्भ देते हुए पत्र-लेखकने पूछा था: आपको युद्धमें सम्मिलित होनेकी प्रेरणा कहाँसे मिली? कुछ लाभ होनेकी आशामें युद्धमें सम्मिलित होना क्या ठीक था? मुझे नहीं मालूम कि गीताके इस उपदेशके साथ इसकी संगति कैसे हो सकती है, जहाँ कहा गया है कि हमें फलकी कामनाको सामने रखकर कभी कार्य नहीं करना चाहिए।

सेवा द्वारा साम्राज्यके युद्धों और युद्धकी तैयारियोंका प्रतिरोध करने योग्य शक्ति और विश्वास प्राप्त कर सकूँ तो यह बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं इस बातकी परीक्षा करनेके लिए कि जनसमुदायमें अहिंसाका प्रयोग किस सीमा तक सम्भव है, स्वयं अपने ही जीवनमें इसका प्रयोग करनेकी कोशिश कर रहा हूँ।

दूसरा उद्देश्य था साम्राज्यके राजनीतिज्ञोंका अनुग्रह प्राप्त करके स्वराज्य पानेका पात्र बन सकना। मैं साम्राज्यके जीवन-मरणके संघर्षमें उसकी सहायता करनेके सिवा और किसी तरहसे स्वराज्य पानेकी सुपात्रता हस्तगत नहीं कर सकता था। यहाँ यह भी अवश्य समझ लेना चाहिए कि मैं अपनी १९१४ की मानसिक स्थितिकी बात कर रहा हूँ, जब मुझे साम्राज्यके बारेमें यह विश्वास था कि यदि साम्राज्य चाहे तो स्वतन्त्रता संग्राममें भारतकी सहायता कर सकता है। यदि मैं आजकी तरह ही उस समय अहिंसक विद्रोही होता, तो मैं निश्चय ही सहायता नहीं करता, अपितु अहिंसाके जरिये सारे सम्भव प्रयत्नोंके द्वारा साम्राज्यके उद्देश्यको परास्त करनेकी कोशिश करता।

युद्धके प्रति मेरा विरोध एवं अविश्वास उस समय भी इतना ही प्रबल था जितना कि आज है। परन्तु हमें यह स्वीकार करना है कि संसारमें बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम न चाहते हुए भी करते हैं। मैं क्षुद्रतम जीवित प्राणीके प्राण लेनेका भी उतना ही विरोधी हूँ जितना युद्धका। परन्तु मैं सदा इस आशामें ऐसे जीवोंकी हत्या करता रहता हूँ कि किसी दिन मुझमें ऐसी योग्यता आ जायेगी कि इन जीवोंकी जो अपने भाई-बन्धु हैं हत्याके बिना भी मेरा काम चल जायेगा। इसके बावजूद अहिंसाका पुजारी कहलानेका अधिकारी बननेके लिए मुझे ईमानदारीसे कठिन एवं सतत प्रयत्न तो करते ही रहना चाहिए। मोक्ष अर्थात् शरीरी अस्तित्वकी आवश्यकतासे मुक्ति पानेकी कल्पनाका आधार है परिपूर्ण पुरुषों और स्त्रियोंकी पूरी तरहसे अहिंसक होनेकी आवश्यकता। जैसे किसी भी अन्य वस्तु पर कब्जा जमानेमें हिंसाकी जरूरत पड़ती है, वैसे ही शरीर धारण करनेमें भी हिंसाकी जरूरत पड़ती है, चाहे वह कितनी ही कम क्यों न हो। तथ्य यह है कि ऐसी परस्पर विरोधी दिखने-वाली बातोंके बीच, कर्त्तव्य पथको ठीकसे पहचान पाना हमेशा आसान नहीं होता है।

अन्तमें 'गीता' के जिस श्लोकका सन्दर्भ दिया है, उसके दो अर्थ हैं। एक यह है कि हमारे कार्योंके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वराज्य प्राप्ति स्वार्थ साधन नही है। दूसरा अर्थ है कार्यफलसे निरासक्त रहना, जिसका अभिप्राय यह नहीं है कि उससे अनभिज्ञ रहें या उसकी उपेक्षा करें या उसे अस्वीकार कर दें। निरासक्त होनेका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि यदि अपेक्षित परिणाम न निकले तो कार्य ही छोड़ दिया जाये। इसके विपरीत यह उस अचल विश्वासका प्रमाण है कि उपयुक्त समयपर अपेक्षित परिणाम अवश्य निकलेगा ही।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-३-१९२८

१२४. पत्र : नीलरतन सरकारको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१६ मार्च, १९२८

प्रिय नीलरतन सरकार,

मैंने आश्रमके साथ एक चर्मालयकी स्थापना की है, जहाँ मैं शक्ति-चालित मशीनें काममें नही ला रहा हूँ। ऐसा इरादा है कि एक आदर्श चर्मालय बनाया जाये और उसके जरिये ग्रामीण लोगोकी सेवा की जाये। क्या आप या आपके बड़े संस्थान का कोई व्यक्ति चर्म-शोधन सम्बन्धी ऐसा साहित्य उपलब्ध करके मेरी सहायता कर सकता है जो आश्रममें शुरू किये गये इस छोटे-से उद्योगके लिए उपयोगी हो और जिससे मुझे इस काममें कुछ सुझाव भी मिल सकें?

यदि आपने स्वयं यह पत्र उन्हें दिखानेकी बात न सोची हो, तो भी मैं आपसे कहूँगा कि आप यह पत्र चर्म-शोधनके कारखानेमें काम करनेवाले श्री दासको दिखा दें और उनसे मेरे लिये इसी तरहकी सहायता प्राप्त करें।

आश्रममें हम जितने भी लोग हैं, उनमें से किसीको चर्मालय चलानेका कोई ज्ञान नहीं है। मैं यह चाहता हूँ कि सब कुछ जैसे कि मरे हुए पशुओंकी खाल उतारना, पशुके मृत शरीरसे निकालनेके साथ ही खालकी सार-संभाल कैसे की जाये शुरूसे सीखा जाये।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ११३९४) की फोटो-नकलसे।

१२५. पत्र : मधुसूदन दासको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१६ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

बड़े सोच-विचार और परेशानीके बाद मैंने आश्रममें एक छोटा-सा चर्मालय स्थापित किया है। इसमें शक्ति-चालित मशीनें नही है। इस विषयमें प्रशिक्षित कोई व्यक्ति भी हमारे पास नही है; एक ऐसे सज्जन जरूर हैं, जिन्होंने अमेरिकामें चर्म-शोधनका उलटा-सीधा अनुभव प्राप्त किया है और जो मेरी ही तरहके एक सनकी व्यक्ति हैं। यद्यपि मैं आपकी परेशानियोमें हिस्सा नहीं बँटा सका, और आपके महान्

राष्ट्रीय अध्यवसायके सम्बन्धमें आपके कन्धोंका बोझ हलका नहीं कर सका फिर भी आश्रममें इस छोटे-से चर्मालयकी स्थापना आंशिक रूपसे आपकी प्रेरणासे ही हुई है। क्या आप कृपया इस विषयसे सम्बन्धित साहित्यकी सूची, चर्म-शोधनपर निर्देशन-पुस्तिका या इस तरहकी कोई दूसरी सामग्री भेजकर मेरी सहायता कर सकते हैं? यदि आपके ध्यानमें अंग्रेजीमें इस तरहकी कोई सामग्री न हो तो क्या आप अपने व्यापक और विविध अनुभवके आधार पर ऐसा कुछ लिख भेजेंगे, जो प्रचारके लिए उपयोगी हो; फिर चाहे उसमें कुछ संकेत मात्र ही क्यों न हो? चर्मालयमें क्या हो रहा है? जिम्मेदार अफसर कौन है? मैं यह भी कह दूँ कि मेरा विचार आश्रम-चर्मालयको गाँवोंके लिए आदर्श बना देनेका है, जिससे ग्रामीण लोग अपने मरे हुए पशुओंका प्रबन्ध करके खालका इस्तेमाल स्वयं कर सकें। मैंने बहुत-से लोगोंसे मरे हुए पशुओंकी खाल उतारनेका तरीका जानना चाहा, परन्तु इसमें मुझे सफलता नहीं मिली। चर्म-शोधनके बारेमें जरा-सी भी जानकारी रखनेवाला हर आदमी गाँवके चर्म-शोधकके पाससे चमड़ा ले लेनेके बाद उसके बारेमें कुछ-न-कुछ शिकायत करता है। परन्तु किसीने अभी तक मुझे यह नहीं बताया है कि यदि मैं मरे हुए पशुको ले लूँ तो खालको मृत शरीरसे मितव्ययिता और स्वास्थ्य विज्ञानका ध्यान रखते हुए किस तरह अलग करूँ और दूसरी वस्तुओं जैसे हड्डियों, आँतों वगैरहका खादके कामके लिए उपयोग कैसे करूँ।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत मधुसूदन दास
मिशन रोड
कटक

अंग्रेजी (एस० एन० ११३९५) की फोटो-नकलसे।

१२६. पत्र : अ० टे० गिडवानीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१६ मार्च, १९२८

प्रिय गिडवानी,

मैं देखता हूँ कि आप तो काममें जुट ही गये है। ब्रजकृष्णने, जो आपका पत्र मिलनेके समय यहाँ थे, वायदा किया है कि वह दिल्ली पहुँचनेके बाद आपको एक सज्जनका नाम और पता भेजेंगे। वह आज गया है और दो दिनोंमें उसके दिल्ली पहुँच जानेकी आशा है।

अब आप मुझे गंगाबहनसे पत्र अवश्य लिखवाइए। मुझे आशा है कि आप सबका स्वास्थ्य जैसा वृन्दावनमें था, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत अ० टे० गिडवानी
६ क्वीन्स रोड
कराची

अंग्रेजी (एस० एन० १३१०७) की फोटो-नकलसे।

१२७. पत्र : वी० एस० भास्करनको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१६ मार्च, १९२८

प्रिय भास्करन,

आपका पत्र मिला। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मामला सुलझ गया है और आपको कोई खास धन-हानि नहीं उठानी पड़ेगी।

आशा है कि आपको राजाजीकी ओरसे सन्तोषजनक पत्र मिलेगा।

अब आप क्या कर रहे हैं?

हृदयसे आपका

अंग्रेजी (एस० एन० १३१०८) की माइक्रोफिल्मसे।

१२८. पत्र : शंकरको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१६ मार्च, १९२८

प्रिय शंकर,

तुम्हारा पत्र मिला। जहाँ तक पत्रोंका सवाल है मैंने अभी तक तुम्हारी पूरी तरहसे उपेक्षा की है, परन्तु तुम्हारी याद भी मेरे मनसे कभी दूर नहीं हुई, विशेषकर इस कारण कि मैं स्वयं रसोईघर चलानेमें विशेष दिलचस्पी ले रहा हूँ और सवेरे लगभग एक घण्टा सब्जी काटनेका काम करता हूँ। सम्मिलित कार्यमें मेरा यह योगदान होता है। गिरिराज अपने आपको कमजोर और कामके बोझको जरूरतसे ज्यादा महसूस कर रहा था। इसलिए वह इन दिनों बन रहे आदर्श गाँवमें चला गया है और फिलहाल उसका काम प्यारेलालने सँभाल लिया है।

मेरा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। मुझे यह बताते हुए दुःख हो रहा है कि मुझे फिर मजबूरन् दूधके आहार पर लौट आना पड़ा है, यद्यपि आशा है कि मैं फिर फल और गिरी आदि ले सकूँगा।

मुझे तुमने जो मालिश करवाते देखा था, वह अभी भी करवा रहा हूँ; साथ ही स्वीडनकी बहनवाली मालिश भी करवा रहा हूँ। यह बहुत ही आसान है।

मथुरादाससे कहना कि मुझे खत लिखनेका समय कतई नहीं मिलता।

अंग्रेजी (एस० एन० १३१०९) की फोटो-नकलसे।

१२९. पत्र : वायलेटको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१७ मार्च, १९२८

प्रिय वायलेट,

आपका लम्बा और दिलचस्प पत्र मिला। आपकी रायकी मैं कद्र करता हूँ, परन्तु मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता। फिर भी मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि आप एक व्यक्ति द्वारा की गई वैयक्तिक गलती और एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता अथवा निगम द्वारा की गई सार्वजनिक गलतीमें कोई अन्तर नहीं समझती हैं। आप जैसा सुझाव देती हैं उस तरह लोग किसीके व्यक्तिगत व्यवहार पर कैसे पाबन्दी लगा सकते हैं। यह तो समाज सुधारकी समस्या है, और इसलिए आवश्यकता

इस बातकी है कि व्यक्ति अपना जीवन सही ढंगसे बितायें और अपने जीवनके द्वारा अपने परिवेशको प्रभावित होने दें।

हृदयसे आपका,

[श्रीमती वायलेट द्वारा]
श्रीमती लिली मुथुकृष्णा
४४५ हेमडन लेन
वेलावेट्टी
कोलम्बो
लंका

अंग्रेजी (एस० एन० १३११०) की फोटो-नकलसे।

१३०. पत्र : एन० डी० भोसलेको[1]

साबरमती
१७ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

अब मुझे श्री जयकरका पत्र मिल गया है और इससे मुझे मालूम हुआ है कि सर पुरुषोत्तमदास अब अध्यक्ष नहीं रहे। बहरहाल उन्होंने मुझे यह राय भेजी है।

> उनकी रायमें यह योजना लाभदायी है। उन्होंने आपको एक सावधानी बरतनेका सुझाव दिया है कि आप जो भी सहायता देना चाहें, यदि यह चन्दा इकट्ठा करनेके रूपमें हो, तो इसके साथ यह शर्त होनी चाहिए कि पैसा लगाने या बाँटनेके रूपमें इसका अधिकार कुछ एक उन लोगोंके हाथमें रहे जो आपकी अपनी पसन्दके हों और जिनकी ईमानदारी और निर्णयात्मक बुद्धिपर पूरी तरह विश्वास किया जा सके। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि योजनाके सारे समाजके लिए लाभदायक होनेकी बड़ी जबर्दस्त सम्भावना है और इसे आपके समर्थनकी जरूरत है। फिलहाल पदाधिकारियोंके पास केवल कुछ एक सौ रुपये की निधि है और जब तक उसमें वृद्धि न की जाये संस्थाके लिए अपना काम शुरू करना कठिन हो जायेगा।

इससे, जैसा कि मैं अबतक सुझाव देता रहा हूँ यह निष्कर्ष निकलता है कि उपयुक्त न्यासपत्र होना चाहिए। अब मैं आपको केवल यह सुझाव दे सकता हूँ कि

१. यह पत्र श्री भोसलेकी बम्बईमें दलित वर्गके विद्यार्थियोंके लिए होस्टल चलानेकी योजनाके सम्बन्धमें लिखा गया था। बादमें इसकी एक प्रति "पत्र : बबन गोखलेको", २२-१२-१९२८ के सहपत्रके रूपमें भेजी गई थी। देखिए खण्ड ३८।

जब सेठ जमनालालजी बम्बई आयें तो उनसे मिलें। सेठ जमनालालजी दो या तीन दिनमें बम्बई आयेंगे। मैं सारे कागजात उन्हें दे रहा हूँ और यदि वह न्यासके बारेमें सन्तुष्ट हो जायें तो मैं कुछ कर सकनेकी स्थितिमें होऊँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

जयकरके निजी कागजात, पत्र-व्यवहार फाइल सं० ४२२।
सौजन्य : नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया

१३१. तार : मथुरादास त्रिकमजीको

[१७ मार्च, १९२८][1]

समाचारपत्रोंकी खबर बिलकुल झूठ है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है।

[गुजरातीसे]
बापुनी प्रसादी

१३२. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

[१७ मार्च, १९२८][2]

अभी तुम्हारा तार मिला। इस बार तो समाचारपत्रोंने जुल्म ही किया है, उनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए। पर असहयोगी ठहरे इसलिए क्या कर सकते हैं? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है।

[गुजरातीसे]
बापुनी प्रसादी

१ और २. साधन सूत्रके अनुसार।

१३३. बहिष्कारका शस्त्र

सुना है कि जो लोग सरकारका कर चुकाना चाहते हैं, उनके विरुद्ध बारडोलीके सत्याग्रही बहिष्कारके शस्त्रका उपयोग करना चाहते हैं। बहिष्कारका शस्त्र बहुत कड़ा है और मर्यादाके भीतर ही रहकर सत्याग्रही उसे काममें ला सकते हैं। बहिष्कार हिंसक और अहिंसक दोनो प्रकारका हो सकता है। सत्याग्रही तो केवल अहिंसक बहिष्कार ही कर सकता है। यहाँ तो मै केवल दोनो बहिष्कारोके कुछ दृष्टान्त भर देना चाहता हूँ।

सेवा न लेना तो अहिंसक बहिष्कार है; किन्तु सेवा न देना हिंसक बहिष्कार होगा।

बहिष्कृतके यहाँ खाने न जाना, उसके यहाँ विवाहादि प्रसंगोमें न जाना, उसके साथ सरोकार न रखना, उसकी मदद न लेना, वगैरा बातें अहिंसक त्याग है।

बहिष्कृत बीमार हो तो उसकी सेवा न करना, उसके यहाँ डाक्टरको न जाने देना, उसके यहाँ कोई मर जाये तो अन्तिम सस्कारोमें मदद न करना, उसे कुआँ, मन्दिर आदिका उपयोग न करने देना वगैरा हिंसक बहिष्कार है। गहरा विचार करने पर जान पड़ेगा कि अहिंसक बहिष्कार अधिक समय तक टिक सकता है, और उसे तोडनेमें बाहरकी कोई शक्ति सफल नही हो सकती। हिंसक बहिष्कार अधिक दिनो नही चल सकता और उसे तोड़नेमें बाहरकी शक्तिका बहुत उपयोग हो सकता है। हिंसक बहिष्कारसे अन्तमें संघर्षकी हानि ही होती है। असहयोगके युगमें ऐसे नुकसानके कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं। पर इस प्रसंगमें मैंने जो भेद दिखलाया है, वही बारडोलीके सत्याग्रहियो और सेवकोंके लिए काफी होना चाहिए।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १८-३-१९२८

१३४. तार: ना० र० मलकानीको

साबरमती
१९ मार्च, १९२८

मलकानी बाढ़ सहायता समिति
हैदराबाद, सिन्ध

तुम्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए।[1]

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ८८३) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र: ना० र० मलकानीको", २०-३-१९२८।

१३५. पत्र : जाल खम्भाताको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१९ मार्च, १९२८

चि० जाल,

तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा न होनेकी खबर पढ़कर दुख हुआ है। ईश्वरके हुक्मके बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता, यह सोचकर ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उसीका ध्यान करो और धीरज रखो। उसकी मरजी होगी तो ठीक हो जाओगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ५०१३)से।
सौजन्य : तहमीना खम्भाता

१३६. पत्र : बहरामजी खम्भाताको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१९ मार्च, १९२८

भाईश्री खम्भाता,

तुम्हारा पत्र आज ही मिला। बेटेके लिए मेरा आशीर्वाद तो है ही। लेकिन घबराहटमें यूरोप जानेकी मुझे कोई जरूरत दिखाई नहीं देती। हम ईश्वर पर ही सब कुछ छोड़ दें। वहाँ कोई अच्छा डाक्टर जोखम लेनेको तैयार हो तो ऑपरेशन करानेमें कोई हानि नहीं है। छोटे देशमुखको तुमने दिखाया है? चि० जालसे कहना कि हिम्मत न हारे। मुझे भी समाचार लिखते रहना। तुम्हारा स्वास्थ्य अब कैसा चल रहा है?

यदि वहाँ कोई डाक्टर हिम्मत न करे और तुम्हें शान्ति न मिले तो यूरोप अवश्य चले जाना। मेरे पत्रको मनाहीका हुक्म मत समझना। हम जल्दबाजीमें कुछ न करें और यह देह क्षणभंगुर है इसलिए इसके प्रति ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए, मैं तो इतना ही समझाना चाहता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ५०१२)से।
सौजन्य : तहमीना खम्भाता

१३७. पत्र : रैहाना तैयबजीको

१९ मार्च, १९२८

प्रिय रैहाना,

निःसन्देह तुम जब आना चाहो आ सकती हो और जितने दिन यहाँ रहना चाहो रह सकती हो।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० ९६०७) की फोटो-नकलसे।

१३८. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

आश्रम
साबरमती
१९ मार्च, १९२८

प्रिय च० रा०,

आपका पत्र मिला। आपने चूँकि बादामो और बेचारी मूँगफलियोको हिमालयकी पहाड़ी जातियोंका आहार बताते हुए व्यर्थका विरोध प्रकट करते हुए लम्बी चौड़ी हाँकी है, इसलिए पथ्य-विज्ञानके सम्बन्धमें आपकी कोई सुनवाई नही हो सकती। ध्यान रखियेगा कि यह प्रयोग मात्र इसलिए स्थगित किया गया है कि मै तथाकथित डाक्टरी रायके दबावमें न आकर फिरसे इसे चालू कर सकूँ। मैंने कमसे-कम छः साल तक कच्ची मूँगफलियो पर निर्वाह किया है। मुझे तो ऐसा कोई कष्ट कभी नही हुआ जैसा आपने बताया है। खैर, इसके बारेमें फिर लिखूँगा।

यूरोप यात्राके सम्बन्धमें आपकी क्या राय है? मै रोलाँसे मिलनेके लिए उत्सुक हूँ। वह मुझे यूरोपके सबसे अधिक बुद्धिमान् व्यक्ति लगते है। वह मुझमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते है। यदि उन्हें ऐसा लगे कि किसी एक चीजमें भी मेरी राय गलत है, तो इससे उन्हें बड़ा कष्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम न मिल सके तो यह बड़े दुःखकी बात होगी। यही एक कारण है जो मुझे दूसरी सारी चीजोसे अधिक विचलित किये हुए है। शेष सब गौण है।

मुझे नही मालूम कि एन्ड्रयूजने आपको क्या लिखा है। परन्तु आपकी रायका मेरे लिये उतना ही महत्व होगा जितना एन्ड्रयूजकी रायका। इसलिए आप निडर होकर कहिये कि आप मुझसे क्या करनेकी आशा करते है।

बहुतसे लोगोंको बड़ा दुःख हुआ कि मैं १७ तारीखको नहीं मरा . . . शायद मैं भी उनमें से एक हूँ। एक तरहकी मौत तो शायद मैं मर ही चुका। आगे देखें क्या होता है।

अंग्रेजी (एस० एन० १३१११) की फोटो-नकलसे।

१३९. पत्र : एम० आर० माधव वारियरको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२० मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। इतनी दूरीसे आपका दिशा-निर्देशन कर सकना कठिन है। परन्तु मेरा सुझाव है कि आप जहाँ तक हो सके धीमी गतिसे लेकिन सावधानीसे अपना काम बराबर करते रहें। यदि आप महत्वाकांक्षापूर्ण किसी योजनापर काम शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आगे चलकर वह आपके लिए झंझट बन जायेगी।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एम० आर० माधव वारियर
बी० ए० एल० एल० बी०
अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्
क्विलन
त्रावणकोर

अंग्रेजी (एस० एन० १३११५) की फोटो-नकलसे।

१४०. पत्र : ना० र० मलकानीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२० मार्च, १९२८

प्रिय मलकानी,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें मेरा तार[1] अवश्य मिला होगा। मैं अपने आपको इस बातके लिए राजी नहीं कर पाता कि तुम सिर्फ अपने गुजारेके लिए कालेजमें रहो। बाढ़ सहायता कोषसे तुम्हें निर्वाहके लिए कुछ दिया जाये, इसमें मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता। इस सम्बन्धमें मैं ठक्कर बापासे लिखा-पढ़ी कर रहा हूँ और अगर तुम्हारी वर्तमान स्थितिमें किसी प्रकारका कोई फेर-फार किये बिना ऐसा किया जा सके, तो अवश्य किया जाना चाहिए। तुम्हें रुपया चाहे मुझसे मिले अथवा बाढ़ सहायता कोषसे, होगा वह सार्वजनिक कोषमें से ही। "अवैतनिक" शब्दको जिस अर्थमें हम प्रयुक्त करते हैं उस प्रकारकी अवैतनिक सेवाके बदलेमें कुछ लेनेमें शर्म नहीं करनी चाहिए। मजदूरको अपनी मजदूरी मिलनी ही चाहिए और जब सेवक अपनी मजदूरीसे ज्यादा कुछ नहीं लेता तब उसकी सारी सेवाएँ अवैतनिक ही हैं। भारतके अन्य हिस्सोंमें तुम्हारी सेवाओंके लिए सामान्यसे अधिक देना होगा; यह दुर्भाग्यकी बात है, लेकिन अपरिहार्य है। यदि तुम्हें सुविधापूर्वक बाढ़ कोषसे मानदेय न दिया जा सके तो उसके भुगतानकी जिम्मेदारी मेरी होगी। परन्तु मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितनेकी आवश्यकता होगी।

ठक्कर बापाने मुझे बताया है कि वे भी आश्रमसे तुम्हारे पास एक अच्छा कार्यकर्त्ता भेजनेवाले हैं तथा एक वे तुम्हारे पास पहले ही छोड़ आये थे। पर यदि तुम्हारे मनमें किसी व्यक्ति विशेषका नाम हो, तो उसे बतानेमें कृपया संकोच मत करना; मैं देखूँगा कि क्या वह तुम्हें दिया जा सकता है।

हृदयसे तुम्हारा
बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ८८४) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "तार: ना० र० मल्कानीको", १९-३-१९२८।

१४१. पत्र : सुरेशचन्द्र बनर्जीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२० मार्च, १९२८

प्रिय सुरेश बाबू,

जितने कतैयोंकी आप सेवा करते हैं, उसके सम्बन्धमें मन्त्रीका पत्र मैंने देखा है। क्या आप कतैयोंके पास स्वयं जाना उतना ही आवश्यक नहीं समझते जितना कि आप अपनी किताबोंको पूरी तरहसे व्यवस्थित रूपमें रखना आवश्यक समझते हैं? यदि आप यह सावधानी नहीं बरतते तो एक दिन आपकी यह संस्था ताशके पत्तोंके घरकी तरह ढह जायेगी। सप्ताहके किसी विशेष दिन किसका सूत आपको मिला, यह महत्वकी बात नहीं है; यह बात अवश्य महत्वकी है कि आप उन लोगोंके पास, जो वास्तवमें कातते हैं, किसी विश्वसनीय व्यक्तिको भेजें, जो उनसे बात करके उनकी कठिनाइयोंका पता लगाए। और निश्चय ही यह न तो असम्भव कार्य है और न कोई बहुत बड़ा काम। आपका काम तो इतना ही है कि जब कतैये अपना सूत दलालको बेचकर वापस जा रहे हों, आप उनके पीछे-पीछे उनके घर तक चले जायें। हो सकता है कि वे आपसे एक बार कतरा जायें, पर वे हमेशा आपसे नहीं कतरायेंगे। ज्यों ही आप परसे उनका अविश्वास दूर हो जायेगा, वे आप पर भरोसा करने लगेंगे। आपके पास कमसे-कम कुछ ऐसे ईमानदार दलाल अवश्य होने चाहिए जो आपके सन्देशवाहकको ऐसे हर घरमें जहाँसे वे सूत खरीदते हैं, ले जानेपर कोई एतराज न करें। और यदि यह इतनी आसान बात आपकी सामर्थ्यसे बाहर है, तो जाहिर है कि आप पूरी तरहसे दलालों-की दयापर निर्भर हैं; वे तो चाहें जब अपना यह काम बन्द कर सकते हैं अथवा ऐसी शर्तें लगा सकते हैं, जिनको मानना या तो असम्भव होगा या वे आपके स्वाभिमानको ठेस पहुँचानेवाली होंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे कहनेपर समय-समय पर श्री बैंकर जो सलाह देते रहे हैं, आप उसका महत्व महसूस करें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३११३) की फोटो-नकलसे।

१४२ पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२० मार्च, १९२८

प्रिय जवाहर,

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। मैं यह पत्र तुम्हारे द्वारा उल्लिखित मित्रको सन्देश[1] भेजनेका वायदा पूरा करनेके लिए लिख रहा हूँ। उन्होंने अब सीधा मुझे पत्र लिखा है पर चूंकि सन्देश भेजनेका वायदा मैंने तुमसे किया था, मैं पत्रके साथ सन्देश तुम्हें ही भेज रहा हूँ;

आशा है कि बहिष्कार और मिलों सम्बन्धी मेरे लेख तुम ध्यानसे पढ़ रहे होगे। मैं मिल-मालिकोंसे भी सलाह मश्विरा कर रहा हूँ। वे किसी फैसलेपर पहुँचेंगे भी या नहीं, मैं नहीं जानता। पर यदि तुम्हें कहीं भी गलती या कमजोरी नजर आये तो मुझे अवश्य बताना।

कमला कैसी चल रही है? गर्मियोंमें तुम उसे कहाँ रखनेका इरादा कर रहे हो?

हृदयसे तुम्हारा

अंग्रेजी (एस० एन० १३११६) की फोटो-नकलसे।

१४३. सन्देश[2]

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२० मार्च, १९२८

जबतक मुख्य कारण अर्थात् सशक्तों द्वारा अशक्तोंके शोषणको समाप्त नहीं किया जाता, तबतक विभिन्न जातियों और राष्ट्रोंमें परस्पर जीवन्त सामंजस्य नहीं स्थापित हो सकता। 'योग्यतम ही टिकता है' इस तथा कथित सिद्धान्तकी व्याख्यामें संशोधन अवश्य किया जाना चाहिए।

(ह०) मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १३११७) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए अगला शीर्षक।
२. पिछले शीर्षकका सह-पत्र।

१४४. पत्र: मॉर्सेल केपीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२० मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। पत्रके मिलनेसे पहले मुझे हम दोनोंके ही मित्र पण्डित जवाहरलाल नेहरूके जरिये आपका सन्देश मिल चुका था। चूँकि मैंने आपका पत्र आनेसे पहले ही उनसे वायदा कर लिया था, मैंने अपना सन्देश[1] उनकी मार्फत भेज दिया है।

हृदयसे आपका,

मॉर्सेल केपी
७८ रूई डि एजोम्पशन
पेरिस (फ्रान्स)

अंग्रेजी (एस० एन० १४२६४) की फोटो-नकलसे।

१४५. पत्र: वि० च० रायको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२० मार्च, १९२८

प्रिय डा० राय,

आपका पत्र मिला; उसके लिए धन्यवाद।

डा० अन्सारीके आगमनसे सम्बन्धित अखबारोंमें छपा समाचार बिलकुल ही निन्दात्मक है। इसके कारण मेरे बहुतसे मित्रोंको चिन्ता हुई और मुझे जोहानिसबर्ग और श्याम तकसे आये समुद्री तारोंका उत्तर देना पड़ा। आपने शायद अब सही बात जान ली होगी कि डा० अन्सारीके आगमनका मेरे स्वास्थ्यसे बिलकुल सरोकार नहीं था। यदि ऐसा होता तो आपको भी, जो मेरे शरीरके रक्षकोंमें से एक हैं, इस सम्बन्धमें अवश्य ही आश्रमसे सीधे कुछन-कुछ खबर मिल गई होती। जमनालालजी और डा० जाकिर हुसैनके साथ डा० अन्सारी केवल राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालयके सिलसिलेमें ही यहाँ आये थे और चूँकि वे आये ही थे और अपने साथ डाक्टरीके परीक्षण

१. देखिए पिछला शीर्षक।

यन्त्र लेते ही आये थे उनका मेरी जाँच कर लेना स्वाभाविक ही था। जाँच करने पर उन्होंने मेरा स्वास्थ्य संतोषजनक पाया; सवेरे हृदयका आकुंचन १४९ तथा स्फुरण ९२ था तथा शामको आकुंचन १५२ और स्फुरण ९८।

हृदयसे आपका,

डा० वि० च० राय
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३१२०) की फोटो-नकलसे।

१४६. पत्र: जाकिर हुसैनको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२० मार्च, १९२८

प्रिय जाकिर,

आपका पत्र और लॉर्ड इर्विनके पत्रकी[1] प्रति मिली। ज्यादातर लॉर्ड इर्विनके पत्रकी वजहसे मेरे मसविदेके[2] अनुरूप ही पत्र भेजना दुगुना लाभप्रद होगा। निश्चय ही कुछ आवश्यक रद्दोबदल करने होंगे। आशा है डा० अन्सारी अन्तमें जो पत्र भेजेंगे, उसकी एक प्रति आप मुझे भेज देंगे।

मुझे नहीं मालूम कि देवदासने आपका ध्यान क्वार्टरोंकी सफाई-व्यवस्थाकी उचित देखभाल किये जानेकी आवश्यकताकी ओर दिलाया है या नहीं। मैं चाहूँगा आप देवदासको कहें कि उसने जो कमियाँ देखी हैं, उन्हें बता दे।

आशा है कि आप निमन्त्रण-पत्र[3] भेजने और आश्रममें हम दोनोंने चर्चा करनेके बाद जो कार्यक्रम तय किया था उसके अनुसार कार्य करनेमें देरी नहीं करेंगे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३११९) की फोटो-नकलसे।

१. १७ मार्चके अपने पत्रके साथ जाकिर हुसैनने डॉ० अन्सारीको लिखे तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इर्विनके १६ मार्चके पत्रकी एक प्रति गांधीजीको भेजी थी। वाइसरायने अपने पत्रमें हकीम अजमल खाँका स्मारक बनानेकी सराहनाकी थी तथा अपना सहयोग देनेकी भी बात लिखी थी।

२. उपलब्ध नहीं है।

३. जाकिर हुसैनने अपने पत्रमें लिखा था: ज्यों ही डॉ० अन्सारी लौट आयेंगे आशा है कि मैं जामिया संस्थापना समितिके सदस्योंको निमन्त्रण पत्र भेज सकूँगा। (एस० एन० १४९१३)।

१४७. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२० मार्च, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

यह बहिष्कार आन्दोलन एक खेदका विषय है। मैं चाहता हूँ कि मिलों और बहिष्कार पर लिखा मेरा लेख[1] आप ध्यानसे पढ़ें। मैं मिल-मालिकोंसे भी अपना सम्पर्क रख रहा हूँ। यदि मेरे तर्कमें आपको कोई कमी दिखाई दे तो उसकी ओर मेरा ध्यान दिलानेमें आप तनिक भी संकोच न करें।

मेरे स्वास्थ्यसे सम्बन्धित तार इस बार बिलकुल ही निन्दात्मक[2] था, क्योंकि उसका कोई आधार ही नहीं था। जहाँतक मैं जानता हूँ मेरा स्वास्थ्य कभी इससे अच्छा नहीं रहा। डा० अन्सारी और जमनालालजी राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालयसे सम्बन्धित अजमल खाँ स्मारकके सम्बन्धमें चर्चा करने आये थे, उसके अतिरिक्त उन्हें और कोई काम नहीं था।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१२१) की फोटो-नकलसे।

१४८. पत्र : राधा गांधीको

आश्रम
मंगलवार [२० मार्च, १९२८][3]

चि० राधिका,

तुम्हारे सुन्दर पोस्टकार्ड मिल गये हैं। मैंने जो कहा था वह सब याद रखना। शरीरका खूब ध्यान रखना और सबपर प्रेम रखना। रूखी अच्छी हो रही है। पर अभी हिलती-डुलती है तो थोड़ा खून झलक आता है। डॉक्टर देख गया है। इस तरफकी कोई चिन्ता मत करना। दुर्गाको भी पत्र लिखनेको कहना और लिखवा देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८६६८) से।
सौजन्य : राधाबहन चौधरी

१. देखिए "हमारी मिलें क्या कर सकती हैं?", १५-३-१९२८।
२. देखिए, "पत्र : वि० च० रायको", २०-३-१९२८।
३. डाककी मुहरसे।

१४९. भेंट: एलिस शैलेकसे

२० मार्च, १९२८

महात्मा गांधीने २० मार्च को आश्रममें चार बजे कुमारी एलिस शैलेकसे भेंट की। जब वे अन्दर आईं उन्होंने कहा:

बैठे रहनेके लिए आप कृपया मुझे क्षमा करेंगी, मै खड़ा नही हो सकता।

कु० शैलेक: क्या मैं कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ?

गांधीजी: अवश्य, कृपया पूछिए।

आपका प्रभाव बढ़ रहा है या घट रहा है?

यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना बडा कठिन है, लेकिन जहाँतक जनताका सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि प्रभाव बढ़ रहा है।

क्या यह सच है कि आपके विचारसे अंग्रेजोंने भारतका कुछ भी भला नहीं किया है? यहाँतक कि आप रेलोंको भी हानिकारक मानते हैं?

कुछ हद तक यह सही है। कुल मिलाकर ब्रिटिश राज्यका भारत पर केवल बुरा प्रभाव ही पड़ा है। रेलोंने भलाईके बजाय हानि अधिक पहुँचाई है।

क्या वे अकालके मौकोंपर लाभदायक सिद्ध नहीं हुई हैं?

वे अस्थाई तौरपर लाभदायक हो सकती है। परन्तु सामान्यतः उन्होंने ग्रामीणोंसे उन चीजोंको छीननेका ही काम किया है, जिनकी उन्हें खुद अपने लिये जरूरत रहती है।

लेकिन उसके बदलेमें उन्हें पैसा मिलता है।

परन्तु पैसा तो वे खा नही सकते। यदि आप सहाराके रेगिस्तानमें हों और आपके पास अपनेको जीवित रखने भरके लिए ही पानी हो, तो क्या आप किसी भी कीमत पर उसे बेचेंगी?

परन्तु क्या वे पैदावारका सिर्फ वही भाग नहीं बेचते जो फाजिल है?

अपनी पैदावारको कच्चे मालके रूपमें बेचना अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेचना है। वे ऐसा इसलिए करते है कि उन्हें उसके प्रयोगका दूसरा कोई बेहतर उपाय मालूम नही। यदि आप मनसे मेरी भलाई चाहती है तो क्या आप मुझे खाल बेचकर आपसे, बने हुए जूते खरीदने अथवा अपना कपास आपको बेचकर बुना हुआ कपड़ा खरीदनेकी सलाह देंगी? मैं अपने देशवासियोसे अपना कपास जमा कर रखने और उसकी रूईसे सूत कातकर अपना कपड़ा खुद तैयार करनेको कहता हूँ।

कहते हैं कि जहाँ रेलें है वहाँ भुखमरी नहीं है। अकालके मौकेपर रेलें उन जगहोंसे जहाँ खाद्यान्न अधिक होता है, उन जगहोंपर, जहाँ उनकी आवश्यकता हो, बहुत तेजीसे ले जाती है।

जिन्होंने रेलें बिछाईं उन्होंने लोगोंका लाभ नही सोचा था। उन्होंने अपने दूर बैठे हुए हिस्सेदारों और मालिकोंके लाभकी ही बात सोची थी। अकालके समय रेलोंसे जो लाभ होता है वह उससे होनेवाली हानियोंकी बात सोचे तो पासंग पर चढ़ जाता है। यह तो ऐसा है जैसे कि कोई लुटेरा पहले मेरा सब कुछ लूट ले और फिर मुझे कुछ थोड़ा-सा वापस दे दे।

रेलें न होनेपर क्या भारतकी स्थिति अधिक अच्छी होती?

मुझे इस बातमें जरा भी सन्देह नही है कि भारतकी दशा अधिक अच्छी होती बशर्ते कि अन्य अपेक्षित बातें पूरी हो जातीं।

रेलें लाभदायक कैसे बनाई जा सकती है?

रेलों सम्बन्धी नीति लोगोंके वास्तविक लाभको ध्यानमें रखकर बनाई जानी चाहिए अर्थात् वे लोगोंको उसी तरह स्वावलम्बी बना रहने दें जैसे कि वे रेलोंके आगमनसे पहले थे। आजकल उन्हें बुद्धि और स्वास्थ्य दोनोंमें दिवालिया बनाया जा रहा है। वे अपने कच्चे मालका अच्छेसे-अच्छा इस्तेमाल करना जानते थे। वे अपनी रूईसे कपड़ा बनाते थे, खालोंसे जूते बनाते थे और अनाजसे रोटी बनाते थे। पर आज-कल इसका उलटा होता है। इससे अधिक बुरी कोई बात मैं मान ही नही सकता कि करोड़ों लोगोंको अपना कच्चा माल, जिससे वे स्वयं उत्पादन कर सकते हैं, विदेशोंको निर्यात करना पड़े और उससे बने मालका आयात करना पड़े। रेलें लाभप्रद ढंगसे ग्रामीणों द्वारा बनाई चीजें देशके एक भागसे दूसरे भागमें पहुँचा सकती हैं।

लोगोंको यह सब सिखानेके लिए बहुत बड़े आन्दोलनकी आवश्यकता है।

पहले भी काफी मात्रामें अन्तर्प्रान्तीय व्यापार होता था।

क्या विदेशी तरीका अधिक सस्ता नहीं है?

नहीं। और यदि वह सस्ता होता तो भी ज्यादा कीमतपर भी हमारा अपना उत्पादन उससे सस्ता पड़ता। उदाहरणार्थ आश्रममें जब हमने सब्जी पैदा करनी शुरू की तो प्रारम्भमें वह बाजारसे महँगी पड़ी। पर अब वह बाजारकी सब्जीसे अच्छी और सस्ती होती है तथा हमारे आश्रमवासियोंको काम भी मिल जाता है।

क्या मैं स्पष्ट कहूँ? बंगालमें मुझे बताया गया कि खद्दर ब्रिटिश कपड़ेसे अधिक मंहगा और खुरदरा होता है और जो औरतें खद्दर पहननेका प्रण करती हैं वे विदेशी कपड़ेके बने अधो वस्त्र पहननती हैं।

खद्दर खुरदरा है; किन्तु देशभक्ति इतना त्याग तो माँगती ही है। इसमें कोई शक नही कि जितनी खादी हम कुछ वर्ष पहले पैदा करते थे उससे अब कही ज्यादा पैदा करते है और काफी हदतक क़ीमतें कम करनेमें भी सफल हो गये हैं। आपको जिन महिलाओंके बारेमें बताया गया है, उनके सम्बन्धमें मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि यदि उन्होंने खादी पहननेका व्रत लिया है तो उनके लिए किसी भी विदेशी कपड़ेका इस्तेमाल करना उचित नहीं है।

आपके उद्देश्य और आदर्श क्या हैं?

मै अहिंसा और सत्यके द्वारा अपने देशकी पूर्ण स्वतन्त्रता चाहता हूँ।

क्या आप यह सोचते हैं कि आप अहिंसा और सत्यके द्वारा अपने देशको स्वतंत्र करा सकेंगे?

मेरा अपना विश्वास तो यही है कि हम स्वतन्त्रता केवल अहिंसाके द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, किसी और तरीकेसे नहीं। मैं हिंसाके बजाय अहिंसाके द्वारा इसकी प्राप्ति अधिक सम्भाव्य मानता हूँ।

स्वतन्त्रतासे आपका क्या अभिप्राय है?

मैं गलती करने और उसको सुधारनेकी तथा पूरी ऊँचाई तक ऊपर उठने और गिरनेकी स्वतन्त्रता चाहता हूँ। मैं बैसाखीके सहारे नही चलना चाहता।

क्या आप यह नहीं समझते कि अंग्रेजोंने भारतका बहुत उपकार किया है?

सभी आवश्यक मामलोमें उन्होने जबर्दस्त हानि पहुँचाई है। 'उन्होने' से मेरा मतलब है ब्रिटिश सरकारने।

पर आप ऐसा क्यों मानते है?

क्यो कि वे जनताकी आर्थिक, बौद्धिक और नैतिक उन्नतिका धीरे-धीरे ह्रास करते चले गये।

क्या आप यह नहीं मानते कि उन्होंने भारतकी आर्थिक उन्नतिमें मदद की है?

स्वयं सरकारी अधिकारियोंकी अपनी रिपोर्टके अनुसार भारत अब ५० साल पहलेसे ज्यादा गरीब है। कुछ व्यक्ति भले ही सम्पन्न हो गये हो, लेकिन सामान्यत: गरीबी बढ ही रही है। सम्पत्तिका कुछ स्थानान्तरण हुआ है; लेकिन सामान्य तौरपर देशकी समृद्धि नही हुई है।

सरकारका कहना है कि चीजें पहले कभी इतनी नहीं खरीदी जाती थीं।

यदि वे यह समझते है कि लोग पहले चीजें खरीद नही सकते थे जबकि अब खरीद सकते है, तो उनका ऐसा समझना गलत है। ऐसा समझना इस अर्थमें तो सही है कि लोग उन दिनों ज्यादा वस्तुएँ नही खरीदते थे, अब वे खरीदते है और अब खरीदनेके लिए [बाजारमें] ज्यादा वस्तुएँ है।

ब्रिटिश मालका बहिष्कार करनेमें क्या तुक है? इंग्लैंड अपने मालको ही तो तरजीह नहीं देता। यहाँ संसारके सब राष्ट्रोंको प्रतियोगिताकी पूरी छूट है।

नहीं यह गलत है। खुली प्रतियोगिता तो केवल एक दिखावा है। इंग्लैंड कितने ही प्रकारके छल-प्रपंचों द्वारा अपने मालको तरजीह जरूर देता है। दिखावटी तौर पर [हर राष्ट्रको अपना माल बेचनेकी] स्वतन्त्रता है पर सच्ची स्वतन्त्रता नहीं है। और यदि ब्रिटिश, विदेशियोका पक्ष लेनेमें निष्पक्ष हो तो भी मेरा उनसे झगडा ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि भारतीय हितोंको तरजीह दी जाये।

कैसे?

सभी प्रकारके विदेशी कपड़ेका आयात बन्द करके, और उन सभी आयात की हुई वस्तुओंपर, जिनका उत्पादन यहाँ किया जा सकता है, भारी कर लगाकर।

परन्तु आपका उत्पादन व्यय बहुत अधिक होगा।

कीमतोंका नीचा या ऊँचा होना किसी देशके उत्कर्ष या अपकर्षका परिचायक नहीं होता। कीमतके कुछ अधिक होनेपर भी किसी दूसरे पर निर्भर रहनेके बजाय यदि मैं अपनी सब्जी आप उगाता हूँ तो वह निश्चय ही कहीं ज्यादा अच्छा है। बादमें मैं किफायत और सुव्यवस्थाका सहारा लेकर कीमतको कम करनेका प्रयत्न करूँगा। सब्जी उगानेमें कुशलता प्राप्त करने, उससे मिलनेवाले सुख, और इस बोधसे कि अपनी सब्जी हम स्वयं उगाते हैं, जो लाभ होता है, वह उस थोड़ेसे लाभसे कहीं अधिक है जो हमें अहमदाबादसे सस्ती सब्जी खरीदने पर मिल सकता है। कपड़ा उत्पादनके सम्बन्धमें भी हम यह सब थोड़े ही समयमें कर सकते हैं बशर्ते कि हमें अपने ही साधनोंको इस्तेमाल करने दिया जाये।

संसारमें कोई भी देश विदेशी प्रतियोगितासे बरी नहीं है।

क्षमा करें। जर्मनीमें परिस्थिति दूसरी है। जर्मनीने जबर्दस्त कर लगाकर विदेशी चीनीको अपने यहाँ आनेसे रोका और फिर बड़ी सफलताके साथ चुकन्दरसे चीनी बनाई। प्रत्येक राष्ट्र अपने नव-उद्योगकी रक्षा अनुदान देकर और तटकर लगाकर करता है।

आपके कहनेका मतलब है कि सभी विदेशी आयात बन्द कर दिया जाये और भारतमें केवल देशमें बना माल ही प्रयोगमें लाया जाये?

हम वह सब सामान विदेशोंसे मँगा सकते हैं जिन्हें हम नहीं बना सकते जैसे कि हम आयोडीन ब्रिटेन या जर्मनीसे, मोती अरबसे, हीरे जोहानिसबर्गसे, लीवरकी घड़ियाँ इंग्लैंडसे तथा पढ़ने योग्य अच्छी पुस्तकें इंग्लैंड, अमेरिका तथा संसारके सब देशोंसे मँगा सकते हैं। बेशक सुइयाँ और पिनें दोनों ही खतरनाक चीजें — मैं विदेशोंसे मँगाना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत-सी वस्तुएँ मैं गिना सकता हूँ जिनको दूसरे देशोंसे मँगाना चाहिए। और हम उन चीजोंको, जिनकी उन्हें आवश्यकता है, मुनाफे पर निर्यात करें, पर हमें किसी पर कोई चीज लादनी नहीं चाहिए। उदाहरणार्थ मैं अफीमका उत्पादन भले ही करूँ, पर उसे अमेरिका और चीन पर लादनेका विचार मुझे नहीं करना चाहिए।

लेकिन यदि आप अपनी जरूरतकी चीजें आप ही बनायेंगे तो क्या आपको श्रम-सम्बन्धी सवालोंका सामना नहीं करना पड़ेगा?

क्यों? यदि वे उठेंगे तो स्वयं ही सुलझ भी जायेंगे।

आप यह सब पूँजीवादके आधारपर करेंगे या साम्यवादके आधारपर?

लोगोंकी भलाईको दृष्टिमें रखकर राष्ट्रीय आधारपर।

पर उद्योगोंमें पूँजी कौन लगायेगा?

हम स्वयं। हमारी पूँजी तो हमारे पुरुष और हमारी महिलाएँ हैं, और वे हमारे यहाँ करोड़ोंकी संख्यामें हैं।

आपके उद्योगोंकी व्यवस्था राज्य करेगा या देश?

यदि इन उद्योगोसे करोडोकी भलाई होती है, किसी एक वर्गकी नही तो यह बात कोई अर्थ नही रखती कि इसकी व्यवस्था कैसे की जाये। और यदि यह अभिप्राय सिद्ध हो जाता है तो मुझे इस बातकी चिन्ता नही करनी चाहिए कि कौन इसकी व्यवस्था करता है।

अंग्रेजी (एस० एन० १४२८४) की फोटो-नकलसे।

१५०. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे

अहमदाबाद
२० मार्च, १९२८

दिल्लीसे प्राप्त इस खबरके सम्बन्धमें कि महात्मा गाधीने वियनामें होनेवाली युवक परिषदमें जानेका निमन्त्रण एक प्रकारसे स्वीकार कर लिया है और वे शीघ्र ही यूरोप जानेवाले है, भेंट किये जानेपर उन्होने कहा कि यह बात कुछ तय होनेसे पहले ही प्रचारित कर दी गई है। उन्होने कहा कि अभी कुछ तय नही हुआ है और मुझे जाना चाहिए या नही, इस सम्बन्धमें मै स्वयं कुछ निश्चय नही कर पाया हूँ।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २२-३-१९२८

१५१. पत्र : फ्रेन्ज रोनोको[१]

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२१ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मै युवकोसे मात्र इतना ही कह सकता हूँ कि वे अपने यौवनकी अदम्य शक्तिका उपयोग सेवाके पवित्र काममें करे। और उसे भाषणो और लेखो तथा ऐसी ही चीजोमें नष्ट न करें, जिनका कि आजकल अत्यधिक फैशन है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १४२६५) की फोटो-नकलसे।

१. "वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूथ फॉर पीस" की आस्ट्रियाकी शाखाके सचिव। १० मार्चके अपने पत्रमें उन्होंने गांधीजीसे दिशा-निर्देशनके रूपमें कुछ लिख भेजनेको कहा था। (एस० एन० १४२२५)।

१५२. पत्र : टी० डि मंजीयरलीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२१ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

इतने दिनों बाद आपका पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। आपने जिन दो पुस्तकोंका उल्लेख किया है, वे दोनों 'हैंड स्पिनिंग ऐसे', और 'द गाइड टु हेल्थ' तथा एक तीसरी पुस्तक 'तकली टीचर' अपनी ओरसे भेज रहा हूँ।

अपने पत्रके दूसरे अनुच्छेदमें आपने जो कुछ कहा है[1] उसके सम्बन्धमें मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवनमें सादगीका परम भक्त होनेके साथ-साथ मैंने यह भी जान लिया है कि सादगीकी यह ध्वनि जबतक हृदयसे नहीं निकलती, तबतक वह बेकार है। तथाकथित सभ्य जीवनके इस आधुनिक व्यवस्थित बनावटीपनकी हृदयकी सच्ची सादगीसे कोई संगति नहीं बैठ सकती। जहाँ इन दोनोंमें सामंजस्य नहीं होता वहाँ हमेशा या तो घोर आत्मवंचना होती है या पाखण्ड।

हृदयसे आपका,

श्रीमती टी० डि मंजीयरली
२१, रुई डु चेमिन वर्ट
कोर्वैवोई
सेन

अंग्रेजी (एस० एन० १४२६७) की फोटो-नकलसे।

१५३. पत्र : जोजेफ ए० ब्रॉनको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२१ मार्च, १९२८

प्रिय बहन,

श्रीमती शरमनके मार्फत ७० रु० का जो चैक आपने मुझे भेजा है, वह आपकी और आपके क्लबके सदस्योंकी विचारशीलताका द्योतक है। सहृदयताकी जिस

१. टी० डि मंजीयरलीने अपने २७ दिसम्बर, १९२७ के पत्रमें लिखा था, "... आप जानते हीं हैं कि मैं किस कदर यह चाहता हूँ कि मनुष्य और अधिक सादा रहनेकी आवश्यकताको समझे ताकि उसके पास अधिक सच्चे कामोंमें लगानेके लिए और अधिक समय और शक्ति रहे।

भावनासे प्रेरित होकर आपने यह भेंट भेजी है उसकी दृष्टिसे मैं इसकी बहुत कद्र करता हूँ। मैं इसका उपयोग एक ऐसे व्यक्तिकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमें कर रहा हूँ जिसने अपने आपको चरखेके प्रचारके लिए समर्पित कर दिया था।

हृदयसे आपका,

श्रीमती जोजेफ ए० ब्राँन
आर०–एफ०–डी० ३
बर्मिंघम
मिशिगन, सं० रा० अ०

अंग्रेजी (एस० एन० १४२६८) की फोटो-नकलसे।

१५४. पत्र: पूंजाभाईको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२१ मार्च, १९२८

चि० पूंजाभाई,

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला। शनिवारकी शामको जरूर आ जाओ। यदि शामको समय न दे सका तो रविवारको दूँगा और तुम जिस समय चाहोगे उसी समय रवाना हो जाने दूँगा। तुम्हारा स्वास्थ्य अब बिलकुल ठीक हो गया होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४००९) की फोटो-नकलसे।

१५५. टिप्पणियाँ

चरखा एक प्रमाणित आवश्यकता

संयुक्त प्रान्त[1] में अकबरपुर एक छोटी-सी जगह है, जहाँ आचार्य कृपलानीके खादी-कार्यकर्त्ताओंके दलने सात साल तक काम किया है। कुछ कारणोंसे जिनका यहाँ जिक्र करनेकी कोई जरूरत नहीं है, इस दलको वहाँसे हट जाना पड़ा है। उसके हट जानेपर वहाँ जो करुण दृश्य देखनेमें आये और आखिर किसी-न-किसी तरह इस केन्द्रको क्यों जारी रखना पड़ा, इस सबका वर्णन पं० जवाहरलाल नेहरूने अ० भा० चरखा संघके नाम अपने निम्नलिखित रोचक पत्रमें यो किया है:—

> मैं आपको पहले ही लिख चुका हूँ कि गांधी आश्रम अकबरपुरसे हट गया है। हमने अस्थायी रूपसे उसका भार ले लिया है, क्योंकि हमें ऐसा लगा

१. आजका उत्तरप्रदेश।

कि आपका फैसला आने तक हमें काम चलाना ही चाहिए। अगर हम लोगोंने यह भार नहीं उठाया होता तो यहाँका काम बन्द हो जाता और फिरसे काम शुरू करना ज्यादा मुश्किल होता। इसके अलावा कुछ भावनात्मक कारणोंसे भी उसे छोड़ देना मुश्किल था। कई सालोंसे यह केन्द्र प्रसिद्ध है और बहुत-से कतैयों और बुनकरोंका इससे गहरा सम्बन्ध है। इसे अचानक छोड़ देनेसे आसपासके सभी स्थानोंमें बहुत बुरा असर पड़ता और इसपर निर्भर बहुत-से गरीब आर्थिक कष्टमें पड़ जाते। हमें यह बताया गया था कि गांधी आश्रमके अपना काम बन्द करनेकी घोषणा करनेपर बहुत ही हृदय-द्रावक दृश्य देखनेमें आये थे। बहुतसी बूढ़ी औरतें जो अपना सूत दूर-दूरके केन्द्रोंमें बेचा करती थीं, उन्हें बन्द पाकर कई मील चलकर इस मुख्य केन्द्रमें आईं और यह सुनकर कि उनका सूत नहीं लिया जायेगा, रोने लगीं। बहुत-से बुनकर अपने बाल-बच्चोंके साथ अकबरपुर कार्यालय दौड़े आये और कहने लगे, "वाह, सात साल तक हमने आश्रमके लिए काम किया, और अब आप हमें पेड़पर चढ़ाकर सीढ़ी लिये भागे जा रहे हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता। हम सत्याग्रह करेंगे।" अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थितिमें वहाँका काम अपने सिर ले लेनेसे इनकार करना हमारे लिए कितना मुश्किल था। मगर, आखिर केवल भावनाके वश होकर ही तो कुछ निर्णय किया नहीं जा सकता था। अकबरपुरमें कुछ खास सुविधाएँ हैं और साथ ही एक बहुत बड़ी असुविधा भी है। बुनाईके लिए यह केन्द्र विख्यात है और इसके पास ही, टाँडामें हिन्दुस्तानकी अच्छीसे-अच्छी बुनाई होती है। दुर्भाग्यवश यह महीन बुनाई जिसे जामदानी कहा जाता है विलायती सूतसे की जाती है। दूसरी ओर अकबरपुरके आसपास बहुत कम सूत काता जाता है और अगर इस केन्द्रको चलाना है तो कहीं न कहीं बाहरसे ही सूत मँगाना पड़ेगा। मेरा खयाल है कि गांधी आश्रमवाले, मुख्यतः अपने प्रदेशकी सीमाके उस ओर से, बिहारसे और मुजफ्फरनगरसे भी सूत मँगाते थे। हमारे लिए संयुक्त प्रान्तके उत्तरी जिलोंसे, जैसे कि मुरादाबाद, बिजनौर वगैरहसे सूत मँगाना सहज होगा। सूत भेजनेका खर्च कुछ अधिक नहीं है।

अगर खादी भी घी या अनाज जैसी प्रचलित हो जाये तो किसी केन्द्रसे हटनेका विचार करनेकी भी कभी जरूरत न पड़े। अगर हमारे पास धन और कार्यकर्त्ता हों तो हमारे प्रतिनिधि सिर्फ १,६०० नहीं, बल्कि ७ लाख गाँवोंमें होंगे। यह कोई अव्यावहारिक महत्वाकांक्षा नहीं है। आखिर, हरएक गाँवमें विदेशी सरकारके कमसे-कम दो प्रतिनिधि तो हैं ही। अगर अंग्रेजोंके आनेके पहले कोई ऐसी बात कहता तो उसकी बात हँसीमें ही उड़ा दी जाती। मगर विचार करने पर मालूम हो जाना चाहिए कि १७वी शताब्दीमें हिन्दुस्तानके पंचायती गाँवोंमें साम्राज्यवादी ब्रिटेनके दो-दो प्रतिनिधियोंके होनेकी सम्भावना जितनी हास्यास्पद होती हर गाँवमें चरखेकी

गिना जायेगा और उन्हें यज्ञोपवीत पहननेके सभी अधिकार प्राप्त हैं। मगर मान भी लें कि उन्हें यज्ञोपवीत पहननेका धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं है, तो भी मैं यह सुननेको कभी तैयार नहीं था कि किसी रियासतमें कानूनकी दृष्टिसे जनेऊ पहनना दण्डनीय अपराध माना जायेगा। और उतनी ही अकल्पनीय बात यह है कि जिन अभागे आदमियोंने सोचा था कि हमारा कोई ऐसा धार्मिक संस्कार हो रहा है, जो वांछनीय होगा या उनके लिए पुण्यप्रद होगा, उन्हें अपना बचाव करने, अपने गवाह तक पेश करनेका अधिकार नहीं दिया गया। अगर सजा और न्यायके इस ढकोसलेके बारेमें जो कुछ कहा गया है वह सच हो, तो मुझे यह जानकर कोई ताज्जुब नहीं होगा कि उनके शरीर परसे जनेऊ जबरन उतार लिये गये हैं। मैं आर्य-समाजके सभापतिको आमन्त्रण देता हूँ कि वे बाघात रियासतके विरुद्ध अपने लगाये इल्जामोंके समर्थनमें और भी ब्यौरेसे लिखें और अगर रियासतके अधिकारी चाहें तो उन्हें भी आमन्त्रण देता हूँ कि वे इस मामलेका अपना बयान भी भेजें जिसे मैं खुशीसे छापूंगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया २२-३-१९२८

१५६. विदेशी वस्त्र बहिष्कार: कुछ प्रश्न

एक मित्र, जिनका मिलोंसे गहरा सम्बन्ध है और जो विदेशी वस्त्र बहिष्कार आन्दोलनमें हमारी मिलोंको पूरा हिस्सा लेते देखना चाहते हैं, पूछते हैं:—

> १. आप किस आधार पर मालकी एक जैसी कीमत रखना चाहते हैं? क्योंकि याद रखिये कि सभी मिलें एक सरीखी नहीं हैं; कुछ अच्छी हैं और कुछ बुरी, कुछ अन्य मिलोंकी अपेक्षा मांड़ आदि लगाकर अपने कपड़ेको ज्यादा सँवारती हैं; कुछका संचित कोष बड़ा है, कुछका कम; बम्बईकी मिलोंको और जगहोंकी मिलोंसे कम नफा होता है। ऐसे और भी बहुतसे अन्तर दिखलाये जा सकते हैं। ये तो केवल नमूने भर हैं।

इसका एक सामान्य जवाब यह दिया जा सकता है कि 'जहाँ चाह है वहाँ राह भी है।' मिलें अपने हिस्सेका काम तभी पूरा कर सकेंगी, जब वे निष्कर्मण्यता छोड़ देंगी, खूब ध्यानसे सोचेंगी, और वह भी राष्ट्रके हानि-लाभकी दृष्टिसे, महज हिस्सेदारों, डाइरेक्टरों या एजेन्टोंकी ही जेबें भरनेकी दृष्टिसे नहीं। मगर इस बारेमें अपना मत स्पष्ट करनेके लिए मैं कह सकता हूँ कि उन सभी मिलोंको, जो बहिष्कार आन्दोलनमें शामिल हों, सारा फर्क मिटाकर, एक समान कीमत निर्धारित करनी होगी, जिसका परिणाम यह होगा कि उनके मौजूदा नफेका एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता रहेगा — कमसे-कम कुछ मिलोंका तो जरूर ही। अगर उनकी देशभक्ति सच्ची और प्रगतिशील हो तो मुनाफेमें चलनेवाली मिलें, नुकसान उठानेवाली मिलोंको सँभाल

लेंगी और जो फर्क मिटाने योग्य होंगे, उन्हें मिटा दिया जायेगा। मेरी दृष्टिमें जो योजना है, उसके अनुसार तो अन्तमें मिलोको कुल मिलाकर हानि होनी ही नही चाहिए और न ही ग्राहकोंके मत्थे उन्हें नफा उठाना चाहिए।

२. खादी न बनानेका निश्चय तो इनी-गिनी ही मिलें करेंगी मगर उनका क्या होगा जो केवल मोटा सूत ही कातती हैं? खादीकी जाँचकी आपकी कसौटी क्या है?

यह तो खादी संस्थाओ और मिलोंके बीच सामान्य ईमानदारी और व्यवस्थाका सवाल है। हालमें तो, मुझे कहते खेद होता है कि गाँवोंमें खादीके प्रति बढ रहे अनुकूल वातावरणका नाजायज लाभ उठानेके लिए कुछ अच्छी मिलें भी अपने कपड़ो पर खादीकी छाप मारनेमें शर्माती नही है। अगर कोई व्यावहारिक व्यवस्था बन सकी तो मुझे आशा है कि कमसे-कम फिलहाल तो यह स्पष्ट निश्चित हो जायेगा कि कौनसे कपड़े मिले बनाएंगी और कौनसे खादीवाले केन्द्र। अकसर लड़ाईके जमानेमें कपड़ेके उत्पादन पर जैसा अकुश रहता है, वैसा ही इस समय रखा जायेगा। हिंसाके आधारपर होनेवाली लड़ाईमें जो कुछ जबरन कराया जाता है, वह अहिंसा पर आधारित इस लड़ाईमें हम स्वेच्छासे करेंगे। हममें अगर कुछ अहिंसा हो तो, स्वेच्छापूर्वक यानी महज लोकमतके दबावसे बहिष्कार इत्यादि कर सकनेकी हमारी योग्यता, उसकी बाहरी किन्तु लाजिमी कसौटी होगी।

३. नफेपर किस तरह अंकुश रखा जायेगा? आप भी तो हमारी तरह बखूबी जानते हैं कि रुईकी कीमतोंमें बहुत ही खिन्ना डालनेवाले अनियमित ढंगसे घटी-बढ़ी होती रहती है।

इसमें यह मान लिया गया है कि हम रुईके बाजारका नियन्त्रण नही कर सकेंगे। निश्चय ही, अगर देशके बड़ेसे-बड़े मिल-मालिक इस राष्ट्रीय कार्यमें एक हो जायें तो वे रुईके बाजारका नियन्त्रण कर सकेंगे। अमेरिका हमारी रुईके बाजार पर हावी है, क्योंकि हम मूर्खतासे बिना विचारे और स्वार्थान्ध होकर अपनी रुई बाहर भेज देते हैं। किन्तु बहिष्कारका तो अर्थ ही यह है कि जैसे हम और बहुत-सी चीजोका नियन्त्रण करेंगे, वैसे ही रुईके आवागमनका भी। तभी तो बहिष्कारको पूरा सफल बना सकेंगे। और अगर हमने सच्ची राष्ट्रीय भावना पैदा कर ली है और हमें अपने आपमें और राष्ट्रमें विश्वास है, तो वह नियन्त्रण हमें करना ही होगा।

४. अगर आप ईमानदारी, सतत प्रयत्न, पारस्परिक विश्वास आदिपर बहुत जोर देंगे तो आपकी असफलता निश्चित है।

चूंकि मेरे पास तलवार नहीं है और मिल भी सके तो मैं उसे नहीं लूँगा, इसलिए, मुझे इन्ही गुणो पर जोर देना पड़ेगा, जिनकी कीमतके बारेमें इस मित्रको शंका है। मगर मुझे ऐसी कोई शंका नही है। बल्कि मुझे तो इतना काफी धैर्य है कि अगर वे गुण आज यथेष्ट मात्रामें मिलते हों तो उनके विकसित होने तक मैं

ठहरनेको भी तैयार हूँ। क्योंकि यह राष्ट्र तबतक स्वतन्त्र नहीं होगा, जबतक कि हमारे सारे राष्ट्रमें ये गुण नहीं आ जाते। मैं यह भी जानता हूँ कि पशुबल, धोखेबाजी इत्यादि सीखनेमें सत्य, अहिंसा और उनमें समाविष्ट अन्य सारे गुणोंका अभ्यास करनेकी अपेक्षा कहीं अधिक समय लगेगा।

इसके बाद ये मित्र इस बातपर मेरा ध्यान दिलाते हैं कि मेरे पिछले लेखमें[1] निम्नलिखित बातें छूट गई हैं:

(क) जो मिलें इस योजनामें शामिल हों उन्हें विदेशी सूत या विलायती नकली रेशमका प्रयोग त्यागना होगा जैसा कि आज बहुत-सी मिलें कर रही हैं।

(ख) वे विदेशी कम्पनियोंके यहाँ बीमा न करायेंगी।

(ग) वे विदेशी कपड़ा मँगाकर उसपर स्वदेशीका छापा नहीं लगायेंगी।

मैंने तो मान लिया था कि (क) और (ग) पहलेसे ही निश्चित हैं। अगर (ख) पर जोर देनेसे प्रस्तावित संयुक्त योजनाको पूरा करनेमें कठिनाई हो तो मैं उसपर जोर नही दूंगा। मैं चाहूँगा तो कि बीमेका काम करनेके लिए स्वदेशी बीमा कम्पनियाँ हों किन्तु मुझे विश्वास है कि जिस तरह विलायती कपड़ा हमारा रास्ता रोके हुए हैं, उस तरह और कोई चीज नहीं रोकती। अगर यह बहुत बड़ी बाधा दूर हो गई तो छोटी-मोटी बाधाएँ हम चुटकी बजाते दूर कर लेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २२-३-१९२८

१५७. मतभेद

मैं उपर्युक्त पत्र[2] सहर्ष प्रकाशित कर रहा हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुत्व संघ (इन्टर-नेशनल फेलोशिप)की बैठकोंमें मैंने स्पष्ट कर दिया[3] था कि मेरा आशय जगतके मुख्य धर्मोसे था। और मैंने कहा था कि इन सभी मुख्य धर्मोंमें कम या ज्यादा सच्चाई है, किन्तु अपूर्ण तो सभी हैं ही। इसलिए इस बातमें मेरी श्री आयरलैंडसे सहमति है। किन्तु श्री आयरलैंडके पत्रसे मनपर यह असर पड़ता है कि धर्म-परिवर्तनके बारेमें, भले ही उसे किसी नामसे पुकारा जाये उनके और मेरे विचारोंमें तात्विक भेद है। उपमामें त्रुटि तो होती ही है, किन्तु मैं सुगंधकी उपमाको थोड़ा समझाकर बताता हूँ। गुलाब अपनी सुगन्ध अनेक तरहसे नही, किन्तु एक ही तरहसे फैलाता है। जिन लोगोंमें घ्राण-शक्ति ही न हो, उन्हें यह सुगन्ध मिलनेसे रही। इस सुगन्धको आप जीभ, कान या त्वचासे तो नहीं महसूस कर सकते। इसी तरह आध्यात्मिकताकी अनुभूति भी आप आध्यात्मिक अनुभवकी शक्ति द्वारा ही कर सकते

१. देखिए "हमारी मिलें क्या कर सकती हैं?", १५-३-१९२८।
२. कैम्ब्रिज मिशनके श्री डब्ल्यू० एफ० आयरलैंडका पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।
३. देखिए "बंधुत्व विषयक चर्चा", १५-१-१९२८ से पूर्व।

है, किसी अन्य शक्तिके द्वारा नहीं। इसीलिए सभी धर्मोंने इस शक्तिको जाग्रत करनेकी आवश्यकता स्वीकार की है। यह जागृति एक तरहका पुनर्जन्म है। अतिशय आध्यात्मिक शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति बिना हिले-डुले और बिना एक भी शब्द कहे, ऐसे लाखों आदमियोंके भी हृदयको प्रभावित कर सकता है, जिन्हें न उसने कभी देखा हो और जिसे न उन्होंने भी कभी देखा हो। यदि उसमें आध्यात्मिक शक्ति नही है तो अत्यन्त वाक्पटु प्रचारक भी अपने श्रोताओंके हृदयको स्पर्श नहीं कर सकेगा, इसलिए मेरा खयाल है कि आजकलके बहुत-से मिशनोंका प्रयत्न व्यर्थ ही नहीं, बल्कि बहुत बार तो वह हानिकारक भी होता है। इसके अलावा इन मिशनरी प्रयत्नोंके पीछे एक चीज और भी है, जिसे मानकर चला जाता है और वह यह कि मेरी मान्यता महज मेरे ही लिये नही बल्कि सारे संसारके लिए सच्ची है। जबकि सचाई यह है कि परमात्मा अपना परिचय[1] हमें ऐसे लाखों तरीकोंसे देता है, जिन्हें हम समझ नहीं पाते। इसलिए मिशनरियोंके प्रयत्नमें उस सच्ची विनयका अभाव है, जो सहज रूपसे मानवकी सीमाओं और ईश्वरकी असीम शक्तियोंको मानकर चलती है। मेरे मनमें यह भाव कभी नही आता कि मैं जंगली कहे जानेवाले लोगोंसे आध्यात्मिकतामें जरूर ही बढ़ा-चढ़ा हूँ। और ऐसा महसूस करना खतरनाक भी होता है। आध्यात्मिकता उन अन्य अनेक चीजो जैसी नहीं है,[2] जिन्हें हम अपनी इन्द्रियोंसे ग्रहण कर सकते हैं, जिनका हम विश्लेषण कर सकते और जिनका अस्तित्व हम सिद्ध कर सकते हैं। अगर मुझमें वह है तो दुनियामें ऐसी कोई शक्ति नहीं, जो उसे मुझसे छीन सके और उसका असर यथासमय जरूर होगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगे कि चिकित्सा-विज्ञान और अन्य प्राकृतिक विज्ञानोंमें मैं दूसरोंसे बढ़-चढ़कर हूँ और यह ऐसी चीज है जिसका भान होना गलत नही कहा जा सकता और मुझे अगर अपने साथी भाइयोंसे प्रेम हो तो मैं स्वभावतः उन्हें अपने ज्ञानका लाभ दे दूँगा। किन्तु आध्यात्मिक बातें तो ईश्वर पर ही छोड़ूँगा और ऐसा करके ही अपने साथी-बन्धुओं तथा अपने बीचका सम्बन्ध पवित्र, सही और मर्यादित रखूँगा। किन्तु इस दलीलको और आगे बढ़ाना बेकार है।

श्री आयरलैंडके पत्रपर मेरी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि मैं उसे प्रकाशित न करूँ, बल्कि निजी तौरपर उन्हें एक संक्षिप्त उत्तर भेज दूँ। लेकिन उनके प्रति मेरे मनके आदर-भावने मुझे उनकी यह इच्छा पूरी करनेके लिए प्रेरित किया और इस बातकी प्रतीति होनेके कारण कि यह ऐसा विषय नही है, जिसके बारेमें खासकर मेरी ओरसे, कोई निर्णयात्मक तर्क दिया जा सकता हो, और ऊपर मैंने जिस स्थितिका वर्णन किया है उसके कारण उनकी इच्छा पूरी करनेमें मुझे कोई कठिनाई भी नही हुई।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया २२-३-१९२८

१ और २. देखिए "दो संशोधन", २२-३-१९२८।

१५८. फीजी फीजीवालोंके लिए[1]

यद्यपि दीनबन्धुने जो कुछ कहा है वह सत्य और मात्र सत्य है; किन्तु मुझे आशंका है कि यदि अंग्रेज साम्राज्यवादी शासक भारतीय प्रवासियोंको संसारके किसी भी भागमें आनेके लिए पर्याप्त प्रलोभन दें, तो भारतीय प्रवासी उसमें फँस जायेंगे और यह मान बैठेंगे कि वे 'समान भागीदार' है। उनकी समझमें यह नही आयेगा कि उनकी स्थिति मात्र 'शृगाल'की है। किन्तु हम तो यही आशा करते हैं कि साम्राज्यवादी इतना प्रलोभन कभी न देंगे और भारतीय प्रवासी अपनी सहज बुद्धि द्वारा साम्राज्यवादियोंकी इस मायाके झीने आवरणके उस पार जो वास्तविकता है उसे साफ देख लेंगे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया २२-३-१९२८

१५९. पत्र : पी० के० मैथ्यूको

आश्रम
साबरमती
[२२ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

मुझे खेद है कि मै अबतक आपके पत्रका जवाब नही दे पाया। मै चाहूँगा कि स्कूलोके लिए चरखे उपयोगी नही हैं, इस चीजको समझनेके लिए आप 'यंग इंडिया'के पिछले अंक पढ़ें। स्कूलोमें तकलियोंका प्रचलन शुरू किया जाना चाहिए। अनुभवसे यह जाहिर हो गया है कि चरखेकी अपेक्षा तकलियाँ कुछ कारणोंसे, जो 'यंग इंडिया'[2]मे बताये गये है, हर दृष्टिसे ज्यादा अच्छा काम करती है उनके लिए आपको किन्ही खास इमारतोंकी या कहने लायक जैसे खर्चकी जरूरत नही होती।

हृदयसे आपका,

श्री पी० के० मैथ्यू, बी० ए०, बी० एल०
क्रिस्टावा महिलायम्
अलवाई (त्रावणकोर)

अंग्रेजी (एस० एन० १३१२४) की माइक्रोफिल्मसे।

१. सी० एफ० एन्ड्रयूजका इस शीर्षकका लेख यहाँ नहीं दिया जा रहा है।
२. देखिए खण्ड ३२, पृष्ठ २७।

१६०. वृद्ध-विवाह बनाम बाल-विवाह

एक गृहस्थ सूरतसे लिखते हैं:[1]

इसमें बाल-विवाहकी जो आलोचना की गई है, वह बहुत अंश तक सही है। लेखक अगर 'नवजीवन' के पिछले अंक पढ़ जायें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि 'नवजीवन' में बाल-विवाहकी सख्त टीका अनेक बार की गई है। मैं यह भी जानता हूँ कि उन लेखोंसे अनेक बाल-विवाह होते होते रुके भी हैं। पर उसमें अभी तक सुधार करनेकी काफी गुंजाइश है। वृद्ध-विवाहके प्रति जितनी अरुचि समाजमें है, उतनी बाल-विवाहके प्रति नहीं। मेरी दृष्टिसे तो दोनों वस्तुएँ जड़से खोद फेंकने लायक हैं। इसलिए बाल-विवाहके विरोधके बारेमें लेखकके और मेरे बीच मतभेद नहीं है। मेरे हाथमें सत्ता हो या मेरी कलममें यथेष्ट ताकत हो तो मैं उनका उपयोग प्रत्येक बाल-विवाहको रोकनेमें करूँ। जो माँ-बाप अपने लड़कोंका विवाह बचपनमें करते हैं, वे उनसे दुश्मनी करते हैं और उन्हें पराधीन और अशक्त बना डालते हैं।

किन्तु लेखकका उद्देश्य तो बाल-विवाहकी निन्दा करके वृद्ध-विवाहकी स्तुति करना जान पड़ता है। वृद्ध-विवाहके जो लाभ ये बतलाते हैं, वे हास्यजनक लगते हैं; इतना ही नहीं, उसमें तो बेचारी गरीब लड़कीके मनके भावोंका विचार भी नहीं किया गया है, यदि कुछ विचार किया गया है तो उसकी आर्थिक स्थितिकी हद तक ही किया गया लगता है। लगता है कि लेखक यह भूल ही गये हैं या उनकी दृष्टिमें इसका विचार ही अनावश्यक है कि जिन कन्याओंका विवाह वृद्ध पुरुषोंके साथ किया जाता है, उसमें उनकी सम्मति नहीं ली जाती। लेखकको तो इसका भान भी नहीं है कि विवाह धार्मिक विधि है और उनका यह भूल जाना उससे भी बड़ा दोष है कि वृद्ध-विवाह तो दुगुना बाल-विवाह है; क्योंकि वृद्ध-विवाहमें कन्या तो बालिका होती ही है और जो वृद्ध पुरुष वृद्ध होनेपर भी विवाह करनेका विचार करता है, वह बालक बल्कि उससे भी कम माना जायेगा। कन्या तो, वरके जीते हुए भी एक तरहसे विधवा ही गिनी जायेगी। जो बूढ़े पुरुष अपने विकारोंको रोकनेमें असमर्थ हों और इसलिए अथवा किसी दूसरे कारणसे विवाह करनेको तैयार हों, वे अपने ही जैसी किसी वृद्ध स्त्रीसे या बड़ी उम्रकी किसी ऐसी स्त्रीसे विवाह करें जो बूढ़ेसे सम्बन्ध जोड़नेको तैयार हो तो समाजकी कमसे कम हानि होगी।

धन्यवाद

जिस लेखका उल्लेख ऊपर किया गया है उसका परिणाम यह हुआ है कि एक गरीब लड़की बच गई। क्योंकि जो वृद्ध पुरुष लड़कीसे विवाह करनेको तैयार हुए थे, उन्होंने वह लेख देखकर अपनी भूल समझी और फिरसे विवाह करनेका विचार छोड़ दिया। इस शुभ परिणामके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। हम यही उम्मीद

१. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

करें कि वे फिरसे जब-जब विकारवश होंगे, तब लड़कीके, समाजके और देशके हितका विचार करेंगे, ईश्वरका स्मरण करेंगे और शान्त हो जायेंगे। इस दृष्टान्तसे समाज-सेवक और भी उत्साहित हों। हम इससे और ऐसे ही दूसरे दृष्टान्तोंसे समझ सकते हैं कि मर्यादाका पालन करते हुए दृढ़तापूर्वक और समुचित अवसर पर, अगर समाजमें होनेवाले या दूसरे अन्यायोंके विरुद्ध आवाज उठायें तो अन्यायको रोका जा सकता है।

दूसरी गाय बचेगी?

कितनी ही बालिकाएँ बूढ़ोंके हाथ बिकनेसे बच गई हैं इस बातको ध्यानमें रखते हुए रानपुरके एक गृहस्थ लिखते हैं।[1]

इस पत्रको देखते हुए मैं भावनगरके मोढ़ वणिक भाईसे अवश्य यह प्रार्थना करूँगा कि वे यह विवाह न करें। पचपन वर्षकी उम्रमें जो बालिका उनकी पौत्री होनेके लायक है उससे विवाह करते समय उन्हें काँपना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि भावनगरकी मोढ़ जातिके सेठ भी इस विवाहको रोकनेके लिए जो कुछ करना चाहिए, करेंगे। सच तो यह है कि जहाँ जनता जागृत है वहाँ ऐसे मामलोंमें सिर्फ छोटी जातियोंके सेठ ही नहीं वरन सभी लोग, यहाँ तक कि राज्य भी इन बालिकाओंका रक्षक है और इस प्रकार बेची जा रही बालिकाओंको बचाना उनका धर्म है। युवकवर्ग उन सबका चौकीदार है। इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ युवक वर्ग नीति, विनय और वीरताका कवच पहनकर अपने कर्त्तव्यका पालन करेगा वहाँ सभी गरीब गायोंकी रक्षा हो सकेगी और होनी भी चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन २५-३-१९२८

१६१. पत्र : रिचर्ड बी० ग्रेगको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२६ मार्च, १९२८

प्रिय गोविन्द,

तुम्हारा सहज बातचीतके रससे युक्त पत्र मिला। मुझे खुशी है कि तुम बगैर किसी तकलीफके उतना फासला चलकर तय कर सके। मैं ठीक हो रहा हूँ। तुमने एनिमाके बारेमें जो कुछ लिखा है, उसपर मैंने गौर किया है। बंगलोरमें जिन डाक्टरोंने मुझे सलाह दी, उन्होंने परमैंगनेट पर जोर दिया था, लेकिन घोल बहुत पतला है। ठीक गुलाबी रंगके घोलकी जरूरत होती है।

१. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

गणेशनके यहाँ तुम्हारी किताबकी छपाईका काम कैसा चल रहा है? उसके कब तक तैयार हो जानेकी उम्मीद है?

तुम सबको सस्नेह,

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१२८) की फोटो-नकलसे।

१६२. पत्र : के० एस० आचार्यको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२६ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। सादगी तो हृदयकी चीज है। लेकिन इसकी आड़में हम स्वयं अपनेको धोखा न देने लगें अतः आदर्श यह है कि कोई भी ऐसी चीज जिसे संसारका गरीब-से-गरीब व्यक्ति न रखता हो, हम अपने पास न रखें।

आप अपनी पत्नीको उसकी इच्छाके विरुद्ध गहने त्याग देनेके लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन आपको अपने वासनाविहीन निस्स्वार्थ प्रेमके द्वारा और अपने दिन-ब-दिन बढ़ते आत्मनिग्रहके द्वारा उसे राजी कर लेनेकी कोशिश करनी चाहिए।

अपने पिताका त्याग किये बिना और हमेशा उनकी सेवा करनेके लिए तैयार रहते हुए भी आप उनसे अलग रह सकते हैं और एक अछूत बच्चेको उस तरह पाल सकते है जिस तरह आपने सुझाव रखा है।

मुझे खेद है कि मैं आपकी बहनको नहीं ले सकूंगा क्योंकि वह हिन्दुस्तानी नही जानती होगी। आप उसे वहाँ वह सब प्रशिक्षण दें, जिसकी उसे जरूरत है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत के० एस० आचार्य
सहायक अध्यापक
गवर्नमेंट हाईस्कूल
देवनगिरी

अंग्रेजी (एस० एन० १३१२७) की माइक्रोफिल्मसे।

१६३. पत्र : एन० राम रावको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२६ मार्च, १९२८

प्रिय महोदय,

वडनावल कताई केन्द्र पर श्रीयुत पुजारीकी रिपोर्टके साथ प्रेषित आपके पत्रके लिए धन्यवाद। उसकी चर्चा 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंमें की गई।[1]

हृदयसे आपका,

श्री एन० राम राव
सचिव,
विकास विभाग
सचिवालय, बंगलोर

अंग्रेजी (एस० एन० १३१३०) की माइक्रोफिल्मसे।

१६४. पत्र : एच० एम० पेरीराको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२६ मार्च, १९२८

प्रिय पेरीरा,

पता वही है जैसा ऊपर छपा है। कोई दूसरा सांकेतिक पता नहीं है। गांधी, साबरमती लिखनेसे भी पत्र मुझे मिल जायेगा।

हृदयसे आपका,

श्री एच० एम० पेरीरा
२२५, ओक स्ट्रीट
वेलौर, एल० आई०।

अंग्रेजी (एस० एन० १४२७१) की माइक्रोफिल्मसे।

१. ८ मार्च, १९२८ के अंकमें प्रकाशित च० राजगोपालाचारीके लेख 'एक राजकीय खादी केन्द्र' में इसकी चर्चा थी।

१६५. पत्र : पी० एस० किचलूको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२६ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका हार्दिक निमन्त्रण मिला। लेकिन और नही तो केवल स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणोंसे ही मुझे परिषद्में शरीक नही होना चाहिए। यदि आपकी यह भविष्यवाणी सच हो जाये और पंजाबके हिन्दुओं और मुसलमानों तथा सिखोंमें दिली एकता स्थापित हो जाये, तो मेरे मनको खुशी होगी। मैं जानता हूँ कि तब हिन्दू-मुस्लिम एकता हो जानेका भरोसा हो जायेगा और उस एकताकी शक्तिमें मेरा इतना विश्वास है कि मैं कहूँगा कि फिर स्वराज्य मिलना भी पक्का हो जायेगा।

खैर, मैं आशा करता हूँ कि परिषद खादीको नही भूलेगी और न ही उसकी उपेक्षा करेगी।

हृदयसे आपका,

डा० पी० एस० किचलू
अध्यक्ष
स्वागत समिति
१३वीं पंजाब प्रान्तीय परिषद
अमृतसर

अंग्रेजी (एस० एन० १३१२९) की फोटो-नकलसे।

१६६. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२६ मार्च, १९२८

आपका पत्र मिला। कुछ फैसला करनेसे पहले मैं रोमाँ रोलाँके पत्रकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपने महादेवको लिखे अपने पत्रमें जो दलील पेश की है उसका मैंने पहलेसे ही अन्दाज लगा लिया था। लेकिन यह पत्र कोई प्रेम-पत्र नही है। यह तो आपको डा० एम० ई० नायडूसे प्राप्त संलग्न पत्र भेजनेके लिए लिखा है। कृपया

इसपर स्वयं तुरन्त यथोचित कार्यवाही कीजिये। मैंने उन्हें बता दिया है कि आप इस पत्रका जवाब देंगे।

हृदयसे आपका,

सह-पत्र – १
श्रीयुत च० राजगोपालाचारी
गांधी आश्रम
तिरुचेन्गोड

अंग्रेजी (एस० एन० १३१३१) की फोटो-नकलसे।

१६७. पत्र : प्रताप एस० पण्डितको

सत्याग्रह
साबरमती
२६ मार्च, १९२८

प्रिय प्रताप,

मैं आपसे तो अपने लिये चर्मालय नहीं बनवा सका, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ अब एक चर्मालय जैसा कुछ हो गया है; क्योंकि मुझे मेरे ही जैसा सनकी एक व्यक्ति मिल गया है जो चमड़ेके कामकी बाबत काम चलानेके लायक काफी जानता है। मै चाहूँगा कि आप जब अहमदाबाद आयें तो इसपर भी एक नजर डालें। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझे चमड़ा कमानेके सम्बन्धमें कुछ ऐसा साहित्य भेज दें जिसे एक मामूली आदमी भी समझ सके और उसके सहारे कुछ कर सके, या मुझे बताइए कि ऐसा साहित्य मुझे कहाँसे मिल सकता है।

हृदयसे आपका,

प्रताप एस० पण्डित

अंग्रेजी (एस० एन० १५३६३) की फोटो-नकलसे।

१६८. पत्र : एम० पिगॉटको

आश्रम
साबरमती,
२७ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपने लिखा है कि ३००० रु० मेरे लिये बहुत छोटी रकम है और उक्त विधवा तथा उसके बच्चेके लिए वह बहुत बड़ी है। आपको यह नहीं मालूम है कि मैं इस विधवासे भी ज्यादा गरीब हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी सम्पत्ति नही जिसके लिए मैं किसी अदालतमें जा सकूं और प्रिवी कौंसिल तो और भी नही जा सकता। मेरे पास खुदका कोई पैसा नही है। मैं तो एक मामूली न्यासी हूँ जिसके पास कतिपय सुनिश्चित न्यासोंके लिए कुछ कोष रहते हैं। मैं अपनेमें निहित विश्वासको भंग करनेका जोखिम उठाये बिना उन कोषोंको निर्धारित कामोंके अलावा अन्य कामोंमें नहीं लगा सकता। आपको इस सम्बन्धमें किसी धनवान व्यक्तिसे कहना-सुनना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री एम० पिगॉट
हैदराबाद (सिन्ध)

अंग्रेजी (एस० एन० १३१३२) की फोटो-नकलसे।

१६९. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

आश्रम,
साबरमती,
२७ मार्च, १९२८

प्रिय मोतीलालजी,

जिस पत्रकी आशा थी, वह चूंकि रजिस्ट्रीसे भेजा गया था इसलिए आज ही मिला है। यह एक लम्बा पत्र है। वह[1] चाहेंगे कि मै यूरोप जाऊँ, लेकिन खुद जूनसे पहले अपनी जगहपर उनके रहनेकी सम्भावना नहीं है। मै एक और पत्रके जवाबमें उनके पत्रकी आशा कर रहा हूँ। मुझे जानेकी कोई जल्दी नही है। इसलिए मैं उनसे और खबर पानेका इन्तजार करूँगा। जाने क्यों इस प्रस्तावित यात्राके लिए मैं मनसे राजी नही हो पा रहा हूँ। मेरा मन तो बहिष्कारमें रखा है। अगर बहिष्कारको

१. रोमाँ रोलाँ।

कार्यान्वित करना सम्भव सिद्ध न हो तो मैं खादी कार्यक्रमको आगे बढ़ानेमें भी बिलकुल सन्तुष्ट हूँ। मैं चाहूँगा कि खादी आन्दोलनने जो शानदार असर पैदा किया है, उसे आप महसूस करें। अगर मिल-मालिक ईमानदार रहते, तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ गये होते।

मिलोंके खादी उत्पादनके आँकड़े अब मुझे मिल गये हैं। तीन वर्षोंके आंकडे इस प्रकार हैं:

ये आँकड़े दिसम्बर तकके ९ महीनोंके है[1]

	१९२५	१९२६	१९२६
पौण्ड	२२८८७९७०	२७२३६३३७	३३९७७८५१
गज	६५०४८४८७	७४३१३२३०	८४३८०३६८

आप देखेंगे कि मिलें कितनी तीव्र गतिसे खादीकी दिशामें आगे बढती रही है। एक सालमें ९४.३ गज! इसका अर्थ यह है वह सारा पैसा कंगालोंकी जेबोंसे छीना गया है। यह खादी-आन्दोलनकी शक्तिको भी जाहिर करता है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१३३) की फोटो-नकलसे।

१७०. भाषण: हरिजनोंकी सभामें[2]

२७ मार्च, १९२८

अभी जो भजन गाये गये हैं उन्हें सुननेके बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि आपके और मेरे बीच किसी प्रकारका अन्तर नही है। अभी मेरा स्वास्थ्य ऐसा नही है कि मैं किसी भी सभामें भाग ले सकूं। और डाक्टरोंने भी मुझे सभाओंमें जानेके लिए मना किया है। आज मैं आया हूँ इससे आप यह न मान लें कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। काफी समयके बाद और अहमदाबाद आनेके बाद मैं आज पहली बार इस सभामें आया हूँ, क्योंकि श्री बैंकर और दूसरे लोग बहुत दिनोंसे अनुरोध कर रहे थे कि मुझे शहरके भंगी भाइयोंको भी कुछ समझाना चाहिए।

ठीक-ठीक देखा जाये तो आप लोग ही उच्च वर्णके हिन्दू हैं। आपने बहुत त्याग किया है। यदि आपमें कुछ बुराइयाँ है तो उनके लिए आपसे ज्यादा तथाकथित उच्च वर्णके हिन्दू ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने आपको त्याग दिया इसीलिए ये बुराइयाँ आप लोगोंमें आईं। अब मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने इन दोषोंको दूर करें।

१. देखिए "बहिष्कार पर एक मिल मालिक", ५-४-१९२८।

२. यह सभा ७-३० बजे शामको मगनवाड़ीमें हुई थी। कस्तूरबा गांधी, वल्लभभाई पटेल और अनसूयाबहन साराभाई भी सभामें उपस्थित थे। कार्यक्रमके प्रारम्भमें भजन गाये गये थे।

मै आपकी अपेक्षा पाखाना ज्यादा अच्छी तरह साफ कर सकता हूँ, परन्तु आप मुझे वैसा नही करने देते। यह ठीक नही है। आपको दूसरोको यह काम करनेसे क्यों रोकना चाहिए ?

उच्च वर्णके लोग आपके कामको हीन-हलका मानते है; परन्तु मेरी यह दृढ़ धारणा है कि आपका काम सबसे अच्छा है। हम जबतक यह काम अच्छी तरह नही कर सकते तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि हमने ठीक-ठीक सेवा की है। आज अहमदाबादकी सड़को और गलियोकी क्या हालत है? मैं तो सभी-कुछ अपने हाथसे साफ करनेवाला हूँ इसलिए यह सब आपसे कहता हूँ। आपको तो मनमें यह सोचना चाहिए कि इस कार्यके द्वारा आप शहरकी सबसे बड़ी और जरूरी सेवा कर रहे है। इस सेवा-कार्यमें दूसरे लोग भी भाग लें, इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है ?

यदि मेरे वशमें हो तो अहमदाबादकी गलियाँ और पाखानें हाई स्कूलके विद्यार्थियोंसे साफ कराऊँ और अहमदाबादको इतना सुन्दर शहर बना दूं कि दूसरोंसे कह सकूँ कि हमारे शहरको देखो। इसकी चाबी तो आपके हाथमें है। आप इसे सेवा कार्य समझें और इसे मनसे करे, क्योकि शहरकी तन्दुरुस्ती मुख्यतः इसीपर निर्भर है। यदि आप यह बात समझ लें तो श्री वल्लभभाईकी[1] बहुत-सी समस्याएँ हल हो जायें और शहर-निवासी आपकी प्रशंसा करें। आप अपने कार्यसे बड़े लोगोको भी लज्जित कर सकते हैं।

शराबका व्यसन कम हो गया इस बातपर मुझे विश्वास नही आता। मैं यह मानता हूँ कि न पीनेवाले दो आना और पीनेवाले १४ आना है। मैं आपसे शराबकी लत छोड़ देनेकी सिफारिश करता हूँ। मैं यह नही मान सकता कि कोई मनुष्य भोजनके लिए कर्ज लेगा। यह तो सिर्फ मौज-मजा उड़ानेके लिए ही किया जाता है। आपको अपने सभी व्यसनोका त्याग करना चाहिए।

अन्तमें मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जूठनका त्याग करें और अपने बच्चोको भी यही सिखायें। उनके साथ आप भी यही प्रतिज्ञा करें। जो वस्तु बिना अपमानके सहज ढगसे प्राप्त हो उसीको ले। ऐसा करके आप अपने बालकोको अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। चाहे आपको पढ़ना न आता हो, तो भी आप गिनती तो सीख ही ले, ताकि कोई आपको धोखा न दे सके। आपको शौच-शुद्धिके नियम भी समझ लेने चाहिए और समाजके नेताओसे आत्म-शुद्धि करना सीखना होगा। उसके लिए आपको अपने सभी व्यसन छोड़ देने होगे। खादीकी टोपी पहन लेनेपर भी यदि आपमें यह दुर्व्यसन विद्यमान हों तो यह खादीकी टोपीके लिए शर्मकी बात है। आप जहाँ जो-कुछ भी करेंगे उसीमें आपको नगरपालिका और अहमदाबादके समाजके अगुओसे अच्छी सहायता प्राप्त करवाऊँगा।

[गुजरातीसे]
प्रजाबन्धु, १-४-१९२८

१. वल्लभभाई इन दिनों अहमदाबादमें नगरपालिकाके प्रधान थे।

१७१. पत्र : एम० टी० के० माधवन्को

आश्रम
साबरमती
२८ मार्च, १९२८

प्रिय माधवन्,

आपका पत्र मिला। आपने मुझे वहाँके हालातोंकी निराशाजनक तस्वीर भेजी है। अभी फिलहाल आपके लिए मेरी सलाह यह है कि आप वहाँ चुपचाप जनमत तैयार करते रहिये। आपने जो कुछ लिखा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि सरकारका रवैया सहानुभूति-शून्य नहीं है, लेकिन उसमें साहसकी कमी है और उसपर कट्टर सनातनी मतका बहुत ज्यादा असर होता है। आपको मुझे यह भी बताना चाहिए कि क्या आप शुचिन्द्रम या थिरुवारप्पूमें सत्याग्रह करनेके लिए तैयार हैं।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत टी० के० माधवन्
एस० एन० डी० पी० योगम्
वाइकोम
(त्रावणकोर राज्य)

अंग्रेजी (एस० एन० १२८९३–ए) की माइक्रोफिल्मसे।

१७२. पत्र : एम० देवनदास नारायणदासको

आश्रम
साबरमती
२८ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

आपके दो पत्र मिले। आपका नाम मैं प्रबन्धक मण्डलके सामने रख सकूँ, इसके पहले मुझे उतनी जानकारीसे कहीं ज्यादाकी जरूरत होगी, जितनी कि आपने अपने पत्रमें दी है। आपको अपनी उम्र, आपके माता-पिता जीवित हैं अथवा नहीं, आपका भावी लक्ष्य क्या है, जरूर लिखना चाहिए। जबतक आपने कराचीमें कमसे-कम ६ महीने तक निम्नलिखित कामोंमें अपनी परीक्षा न ले ली हो, आप किसी भी तरहसे दाखिल नहीं किये जा सकते।

(क) पहले तो कमसे-कम एक घंटा रोज खुदकी तैयार की हुई पूनियोंसे भली-भाँति कातना।

(ख) यदि आपको हिन्दी नहीं आती तो उसे सीखना ताकि आप सही हिन्दी बोल और लिख सकें।

(ग) अन्य सभी किस्मोंके कपड़ेको छोड़कर खद्दर पहनना।

(घ) अपने माता-पिताकी खुली इजाजत लेना।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एम० देवनदास नारायणदास
छात्र कक्षा ७
न्यू हाई स्कूल
कराची

अंग्रेजी (एस० एन० १३१३६) की माइक्रोफिल्मसे।

१७३. पत्र : रामी गांधीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२८ मार्च, १९२८

चि० रामी,

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला। जैसे सुन्दर अक्षर तुमने इस बार लिखे हैं वैसे ही हमेशा लिखती रहना। इसके बाद पत्रोंमें मुझे अपना रोजका कार्यक्रम लिखकर भेजना। वहाँकी जलवायु कैसी लगती है यह भी लिखना। यह सही है कि मेरे यूरोप जानेकी बात चल रही है, परन्तु अभी कुछ पक्का फैसला नहीं हुआ है। जाना हुआ भी तो कुछ दिनोंके बाद ही होगा। वहाँ तुम्हें कुछ पढ़नेका समय भी मिलता है या नहीं? चि० राधा बिहारकी एक कन्याकी शिक्षिका होकर बिहार गई है। दुर्गा भी मदद करनेके लिए उसके साथ गई है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९७०९) की फोटो-नकलसे।

१७४. पत्र : एच० एन० वेनको

आश्रम
साबरमती
२८ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका सुखद पत्र मिला। श्री एण्ड्र्यूज मुझे आपके आश्रम आकर मुझे मिलनेके इरादेकी बात बताना भूल गये। ८ अप्रैलको आपसे मिलकर मुझे खुशी होगी। यदि इससे आपके लिए कोई फर्क न पड़ता हो तो ५ के बजाय शामके ४ बजेका समय रखिये। लेकिन आपके लिए मैं ५ बजे भी तैयार रहूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री एच० एन० वेन
मेडेन्स होटल
दिल्ली

अंग्रेजी (एस० एन० ११९७०) की फोटो-नकलसे।

१७५. पत्र : राजगोपालाचारीको

आश्रम
साबरमती
२८ मार्च, १९२८

प्रिय च० रा०,

प्रस्तावित यूरोप यात्राके सम्बन्धमें आपका पत्र मुझे मिला। खुद मेरा मन भी उसके लिए राजी नहीं है और न ही मुझे खुद अपने-आपमें ऐसा विश्वास है कि मैं उसे सफल बना सकूँगा; लेकिन रोमाँ रोलाँसे मुलाकातका एक आकर्षण अब भी है। पश्चिममें मेरी जितनी भी ख्याति है, वह उनके ही कारण है और मुझे लगता है कि अगर मैं उनसे आमने-सामने मिलूँ तो कई बातोंमें निराशा हो सकती है। यह भी हो सकता है कि हम एक-दूसरेके इतने करीब खिंच जायें जितने कि पहले कभी नहीं थे। मैं इस चीजको जरूर काफी महत्वकी मानता हूँ कि हम एक-दूसरेको जितना जानते हैं उससे ज्यादा अच्छी तरहसे जानें।

मैं आपकी इस बातसे बिलकुल सहमत हूँ कि स्वास्थ्यकी दृष्टिसे कुछ लाभ नहीं होनेवाला है। हो सकता है कि मुझे कुछ कष्ट ही मिले और इस प्रस्तावित यात्राके

पीछे स्वास्थ्यका कोई विचार नहीं है। उस दृष्टिसे तो भारतका कोई पर्वतीय स्थान मेरे लिये कही ज्यादा अच्छा रहेगा।

आपकी तरह मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी अनुपस्थितिके कारण हमारा कार्य यहाँ कुछ डगमगा सकता है, खास करके बारडोलीमें। मेरी नामौजूदगीमें विदेशी वस्त्र बहिष्कार निश्चय ही खास आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अब चूँकि आप सब लोग कलकत्तेमें एक-साथ इकट्ठा हो ही रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप कौंसिलकी बैठकमें प्रस्तावित यात्रापर चर्चा करें। मै चाहता हूँ कि मिलने-जुलनेके मामलेमें मेरा दायरा बहुत ही इने-गिने व्यक्तियों तक सीमित न हो जाये। और मै इतना नम्र रहूँ कि सत्य तक पहुँच सकूँ, चाहे वह किसी भी स्रोतसे क्यों न आये।

पैसा हड़पनेके मामलोके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं आपकी इस चेतावनीको मानूँगा कि मै स्वयंको परेशानीमें न डालूँ और न ही उनकी चर्चा करूँ।

रामचन्द्रनके बारेमें आप जो-कुछ कहते है, मैं समझ गया हूँ। मै चाहता हूँ कि आप उन्हें एक स्नेह-भरा पत्र लिखें और उनको अपनी तरफ खीचनेके लिए हर तरहसे प्रयत्न करें। वह एक तरहके 'चेट्टी' भी हैं। क्योंकि उन्होंने जामियामें खादीके लिए बहुत अच्छा काम किया था।

आपने-पैसा हड़पनेके जिन मामलोका उल्लेख किया है, उनके बारेमें मुझे एक बात लिखना बिलकुल नही भूल जाना चाहिए। यदि दोषी व्यक्ति आपको ५०० रु० दे देता है और प्रकाशनके लिए एक लिखित क्षमा याचना आपको दे देता है, तो आपको पूरी तरह सन्तोष हो जाना चाहिए। लेकिन यह तो एक सामान्य व्यक्तिकी बिना विचारे दी गई राय है।

केवल दूध पर रहनेके मेरे इस साहसपूर्ण प्रयोगके बारेमें आपको क्या कहना है? हाँ मैं यह नही सुनना चाहता कि इस खबरको सुनकर कि वह वास्तवमें दूध और पानीका ही प्रयोग है, आप सचमुच मूर्छित हो गये।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१२३) की फोटो-नकलसे।

१७६. पत्र : अरुलमणि पिचमुथुको

आश्रम
साबरमती,
२८ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका बीमा शुदा छोटा-सा पार्सल आपके पत्रसे पहले मिला और मैं सोच रहा था कि यह किसने भेजा है। महादेवने ठीक अन्दाज लगा लिया था। आपने बहुमूल्य जवाहरातोंका जिस ढंगसे उपयोग किया, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि किसी तरीकेसे किसी रूपमें मैं इस उपहारकी, आपका नाम जाहिर न करते हुए 'यंग इंडिया'[1] के पृष्ठोंमें चर्चा करूँगा।

हृदयसे आपका,

डा० अरुलमणि पिचमुथु
पंथाडी नं० १, मदुरा

अंग्रेजी (एस० एन० १३१३४) की फोटो-नकलसे।

१७७. पत्र : सैम हिगिनबॉटमको

आश्रम
साबरमती
२८ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र,

जब जमुना किनारेका आपका फॉर्म देखनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, ऐसा याद पड़ता है कि तब मैंने एक ऐसा साधन देखा था जिसके जरिये आप सूर्यकी गर्मीसे अपना पानी गरम करते थे। क्या आप कृपया मुझे बतायेंगे कि वह आपकी इमारतके ऊपर बना हुआ मात्र एक हौज था जो पूरी तरह धूपमें खुला रहता था या कि आप किसी यान्त्रिक विधिसे सूर्यकी किरणोंको हौजपर संकेन्द्रित करते थे।

हृदयसे आपका,

सैम हिगिनबॉटम महोदय
ऐग्रीकल्चरल इन्स्टीटयूट
इलाहाबाद

अंग्रेजी (एस० एन० १३१३७) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "टिप्पणियाँ", ५-४-१९२८, को उपशीर्षक "स्त्रियाँ और गहने"।

१७८. जाति विद्वेषकी जीत[1]

मुझे विश्वास है कि यदि ऐम्स्टर्डम इन्टरनेशनल भी वैसी ही स्थितिमें होता जैसी जोहानिसबर्गके गोरे मजदूर संघकी है, तो जैसा व्यवहार इस गोरे मजदूर सघने किया है वैसा ही व्यवहार वह भी करता और इसीलिए यदि इसके सदस्य श्री रैम्जे मैकडानल्ड या श्री लैन्सबरीकी स्थितिमें होते तो उनका व्यवहार भी इन लोगोंके व्यवहारसे भिन्न न होता।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया २९-३-१९२८

१७९. आतंकवादका सिद्धान्त

जनरल डायरने हटर कमेटीके एक सदस्यके प्रश्नका उत्तर देते हुए यह स्वीकार किया था कि जलियाँवाला बागकी योजना आतंक उत्पन्न करनेके उद्देश्यसे की गई थी। यह स्वीकारोक्ति करके स्वर्गीय जनरलने किसी नये सिद्धान्तका प्रतिपादन नहीं किया था। असल बात यह है कि संसारकी इस 'योग्यतम शासन सेवा' ने अपनी महानताका निर्माण आतकवादकी नींव पर ही किया है।

इस अंकको छपनेके लिए देते समय जो समाचार मिले हैं उनके अनुसार ऐसा जान पडता है कि इस सुविदित ब्रिटिश नीतिके अनुसार बारडोलीमें किसानोको झुकानेके लिए उनके विरुद्ध फौरी कार्रवाईकी जा रही है, क्योंकि बारडोलीके कुछ सत्याग्रहियो पर जब्तीके आठ शुरुआती नोटिस तामील किये गये हैं। इन लोगोके नाम सावधानीसे चुने गये जान पड़ते हैं, क्योंकि सयोगसे वे सभी प्रमुख बनिये हैं। यह चुनाव शायद इस आशासे किया गया है कि बनिये जो कमजोर डरपोक समझे जाते है जब्तीके नोटिस देनेसे जल्दी घुटने टेक देंगे। अधिकारी सोचते होंगे कि इससे अधिक स्वाभाविक और क्या होगा कि बनियोंके कमजोर हो जानेपर दूसरे भी कमजोर हो जायें। सत्याग्रहियोंको आतकवादके इस प्रथम प्रदर्शनसे चकित होनेकी आवश्यकता नही है। उनसे बार-बार कहा जाता रहा है कि उन्हें जब्ती या इससे

१. सी० एफ० एन्ड्र्यूजका यह लेख जिसपर गांधीजी टिप्पणी कर रहे हैं, यहां नहीं दिया जा रहा है उन्होंने लिखा था कि यूरोपमें इन्टरनेशनल लेबर मूवमेंटने अपने 'द ट्रायम्फ ऑफ रेस हेट्रेड" शीर्षक बुलेटिनमें गोरे मजदूरोंके दक्षिण-आफ्रिकी मजदूर संघकी इस बातके लिए निन्दाकी थी कि उन्होंने रंगदार मजदूरोंके उस औद्योगिक और व्यवसायिक कर्मचारी संघको अपने साथ सम्बद्ध करनेसे इन्कार कर दिया जो पहले ही से ऐम्सटर्डम इन्टरनेशनल यानी कि सभी राष्ट्रोंके मजदूर संघोंके सगठनमें शामिल था। अपने इस लेखमें एन्ड्र्यूजने रैम्जे मैक्डॉनल्ड और इंग्लैंडके संसदीय मजदूर दलके लोगों द्वारा जातीय आधारपर साइमन कमीशनकी नियुक्तिमें चुपचाप अपनी सम्मति दे देनेपर भी खेद व्यक्त किया था।

भी बुरी दूसरी कार्रवाइयोंकी अपेक्षा रखनी चाहिए। यदि उनमें शक्ति है तो वे अब उसे दिखायें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया २९-३-१९२८

१८०. राष्ट्रीय सप्ताह

राष्ट्रीय सप्ताह हर साल आनेवाले मौसमोंकी तरह नियमित रूपसे आता रहता है, मगर १९२२ के बादसे बराबर ही हममें कुछ न कुछ कमी बनी रही है। ६ से १३ अप्रैल तकके दिन सौभाग्यके, आत्म-निरीक्षणके, खूब जोरोंसे राष्ट्रीय काम करनेके और आत्म-शुद्धिके समझे जाने चाहिए। इन बहुमूल्य सात दिनोंमें अपने किये कामोंका लेखा-जोखा करना चाहिए और अपने दिलको टटोलना चाहिए। ६ अप्रैल, १९१९ की सुबह हिन्दुस्तानके लोगोंमें अपनी प्रतिष्ठाकी भावना जागी थी। हिन्दू, मुसलमान और राष्ट्रके दूसरे लोग एक दूसरेको सगे भाईकी तरह मानने लग गये थे; अगर वे अपने को इसी देशकी सन्तान मानें, तो सगे भाई तो है ही।

६ अप्रैल, १९१९ को हिन्दुस्तानमें स्वदेशीकी सच्ची भावना जागी जिसके फलस्वरूप खादी आन्दोलन चला, जो हमारी अन्तिम गणनाके अनुसार आज ९०,००० से भी अधिक गरीब कतैयोंका पेट भर रहा है।

इस तरह जो भावना जागी, वह १९२० और २१ में बढ़ती ही गई और हमें लगने लगा कि कानूनी स्वराज्य भी अब नजदीक ही है।

मगर वह स्वराज्य नही आया और गतिरोध हो गया। तबसे तो देखनेमें ऐसा लगता है कि मानो हम पीछे ही लौटते जा रहे हैं। हिन्दू और मुसलमान एक दूसरेका गला काटनेको टूटे पड़ रहे है।

आज यह पुकार मची हुई है कि जबतक सरकारसे कुछ फैसला न हो जाये तबतक स्वदेशी अपनानेके बदले ब्रिटिश मालका बहिष्कार किया जाये; मानो इसमें जापानके सस्ते मालका जिसमें वहाँका सस्ता कपड़ा भी शामिल है, जो समर्थन है वह स्वदेशी अर्थात् शुद्ध खादीका जिसमें सभी विदेशी कपड़ोंके बहिष्कारकी बात है, स्थान ले सकता है। सन् १९२०–२१ में जान पड़ता था कि बहुत खोज, सोच विचार और अनुभवके बाद हम इसी नतीजे पर आ गये है कि एकमात्र व्यावहारिक, बा-असर और आवश्यक स्वदेशी वस्तु तो खादी ही है; और वह भी सरकारके साथ किसी फैसले पर न पहुँचने तकके लिए नही, बल्कि हमेशाके लिए या कमसे-कम तबतकके लिए है जबतक कि हम भूखों मरनेवाले करोड़ों आदमियोंके लिए इससे कोई अच्छा और अधिक आमदनीका धंधा ढूँढ़ नही लेते। कोई ऐसी नई स्थिति पैदा नहीं हो गई है जिसके कारण हम यह मानने लगें कि ब्रिटिश मालका बहिष्कार एक व्यावहारिक प्रस्ताव है और ब्रिटिश मालकी जगह दूसरे विदेशी कपड़ोंका उपयोग करते रहनेसे भी भारतवर्षके स्वार्थको शायद कोई बड़ी हानि नहीं होगी।

अच्छा हो यदि ब्रिटिश मालके बहिष्कारकी पुकारका समर्थन करनेवाले लोग अपने कार्यक्रम पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और जरूरत जान पडनेपर अपनी योजनाको बदले और इस हार्दिक विश्वासके साथ खादी आन्दोलनमें शरीक हो, कि केवल खादीसे ही, सिर्फ ब्रिटिश कपड़ेका ही नही, सभी तरहके विदेशी कपड़ेका पूरा-पूरा बहिष्कार निष्पन्न हो सकता है?

वे यह करें या न करें, मुझे विश्वास है कि वे ब्रिटिश कपड़ेके सिवाय अन्य विदेशी कपड़ेके समर्थनको सिद्धान्त बनाकर नही बैठे हैं। अगर मेरी यह मान्यता ठीक हो तो, उनको चाहिए कि वे राष्ट्रीय सप्ताहमें खादीकी बिक्रीका समर्थन करें। अगर वे सिर्फ पिछले सात वर्षोंमें हुई खादी आन्दोलनकी प्रगतिका अध्ययन करें तो वे इतना जरूर ही समझ जायेंगे कि चरखेमें कल्पनातीत शक्ति है। अगर देशके राजनीतिक दृष्टिसे जागृत लोग उसका पूरे मनसे सक्रिय समर्थन करें तो वह मिलोंकी सहायताके बिना भी विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार सफल करनेमें समर्थ हो सकती है। मिलोंकी सक्रिय और संगठित सहायतासे तो विदेशी वस्त्रका बहिष्कार बहुत ही सहज काम हो जाता है। सच पूछिए तो इसकी कुंजी मिलवालोंके हाथमें है, अलबत्ता उन्हें राष्ट्रके हितकी दृष्टिसे काम करना चाहिए। उनके साथमें एक बना बनाया और व्यापक संगठन है, जिसका उपयोग अगर वे राष्ट्रकी सेवाके लिए करें तो वह बहिष्कार आन्दोलनको बहुत कुछ आसान बना सकता है और राष्ट्रको ऐसी शक्ति दे सकता है, जिसकी उसे बड़ी जरूरत है।

फिर हिन्दू तथा मुसलमानोको भी उन बहुमूल्य सात दिनोकी याद क्यों नही करनी चाहिए और क्यों सारे भय, पारस्परिक अविश्वास तथा निर्बलताको तिलाजलि नहीं दे देनी चाहिए?

मुझे उन अछूतोंकी बात भी नहीं भूलनी चाहिए, हम हिन्दू लोग जिन्हें आज तक दबाते रहनेका अपराध करते आये है। क्या हम यह नही देख सकेंगे कि अपने छठवें अंशको (भले ही यह संख्या इससे कम या ज्यादा हो) गिराकर हमने अपने आपको ही नीचे गिराया है? कोई आदमी खुद गड्ढेमें उतरे बिना और स्वयं पापका भागी हुए बिना दूसरेको गिरा नहीं सकता। दलित लोग पापके भागी नहीं हैं। दबानेके पापका जवाब तलब किया जायेगा तो उन्ही लोगोसे जो दूसरोको नीचे दबाकर रखे हुए हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया २९-३-१९२८

१८१. टिप्पणियाँ

राष्ट्रीय सप्ताहके लिए विशेष

श्रीयुत विट्ठलदास जेराजाणी (खादी भंडार, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बई) लिखते हैं :[1]

मुझे पूरी आशा है कि खादी श्रीयुत जेराजाणीकी समुचित इच्छा और आशाके अनुरूप ही यथेष्ट विकेगी। बम्बई पर राष्ट्रके मनोभावोंका हमेशा ही असर पड़ता आया है। बम्बईने पहला खादी भण्डार खोलकर राष्ट्रीय खादी आन्दोलनकी नींव डाली थी। पत्रमें दिये गये आँकड़े भी शिक्षाप्रद हैं। १९२५ में इतनी मंदी आ जानेका कारण कालबादेवी रोडमें एक और खादीका बड़ा भण्डार खुलना बतलाया जा सकता है। तो भी दूसरे बरसोंके आँकड़े यह स्पष्ट सिद्ध करते हैं कि बम्बई राजनीतिक दृष्टिसे जागृत हिन्दुस्तानकी स्थितिका सच्चा परिचायक है। १९२७ के अंकोंसे तो १९२६ की बनिस्बत बिक्रीमें काफी बढ़ोतरी दिखलाई पड़ती है। क्या बम्बई फिर १९२२ की जैसी बिक्री करेगा? मगर इसका यह मतलब नहीं है कि १९२२ की जैसी बिक्री करनेसे ही यह बहिष्कार सफल हो सकेगा। हम इसे सफल करना चाहते हैं और अगर हममें केवल आवश्यक त्याग और दृढ़ संकल्प हो तो उसे सफल कर भी सकते हैं।

दूसरी एक और विज्ञप्ति शुद्ध खादी भण्डार, रिची रोड, अहमदाबादसे मेरे पास आई है। यह भण्डार भी कपड़ेकी किस्मके अनुसार, रुपये पीछे एकसे लेकर चार आने तककी छूट देगा।

मैं आशा करता हूँ कि सभी खादी-भण्डार चाहे वे चरखा संघके हों, या उससे प्रमाणपत्र-प्राप्त हों, जनताका ध्यान खादीकी ओर दिलानेकी खास कोशिश करेंगे और सर्व-साधारण भी पर्याप्त खादी खरीदेंगे।

खादीके सिलसिलेमें बंगालका दौरा

बंगालमें शायद इस बातको जोर देकर कहनेकी जरूरत है कि श्रीयुत सतीश चन्द्र दासगुप्तने जिस खादी सम्बन्धी दौरेका आयोजन किया है वह दौरा अखिल भारतीय देशबन्धु स्मारक कोषके सिलसिलेमें भी है। बंगालके बेताजके राजा स्व० देशबन्धु चित्तरंजन दासकी स्मृतिमें खोले गये अ० भा० देशबन्धु स्मारक कोषके लिए, जो खादीके लिए इकट्ठा किया जा रहा है, सेठ जमनालाल बजाज, श्रीयुत राजगोपालाचारी, श्रीयुत मणिलाल कोठारी और श्रीयुत शंकरलाल बैंकर अगले महीनेकी ५

१. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखकने १९२२ से १९२७ तकके राष्ट्रीय सप्ताहोंमें खादी बिक्रीके आँकड़े दिये थे और यह आशा व्यक्तकी थी कि विविध और अच्छी किस्मकी खादी और स्वदेशीकी भावनाका विकास देखते हुए आगामी राष्ट्रीय सप्ताहमें अधिक बिक्री होगी, उन्होंने १ से १५ तारीख तकके लिए खादीकी खरीददारीपर रुपयेमें एक आने छूटकी भी घोषणा की थी। देखिए "राष्ट्रीय सप्ताह", १-४-१९२२ भी।

तारीखसे बंगालमें दौरा करनेवाले हैं। हालमें बंगालमें स्वदेशीकी एक लहर चल रही है। मगर मुझे लगता है कि शायद इस सीधे-सादे जीवनदायी स्वदेशी शब्दके चारों ओरके शब्दाडम्बरमें पड़कर हम उसका सच्चा अर्थ भूलते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि इसके शब्दार्थको ही पकड़े रहें; तब फिर हमें उसमें खादीके सिवाय और दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। स्वदेशीका अर्थ है 'अपने देशका'। गाँववालोंके रोजमर्राके इस्तेमालकी चीजोंमें सिर्फ कपड़ा ही एक ऐसी चीज है जो 'अपने देशकी' नहीं है। और जो चीज वे सहज ही तैयार कर सकते हैं, वह भी कपड़ा ही है। इसलिए स्वदेशीका जो काम वे सहज ही पूरा कर सकते हैं, और जिसके बिना उन्हें भूखों ही मरना पड़ेगा, वह केवल खादी ही का काम है — और कुछ नहीं। इसलिए सिर्फ खादीका काम सभी देशभक्तोंके लिए सच्चा स्वदेशीका काम है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सेठ जमनालालजी और उनके साथी जहाँ कहीं जायेंगे, बंगालके लोग पूरे मनसे उनकी सहायता करेंगे। एक गज भी खादी खरीदनेसे और स्मारक कोषमें दिये गये छोटे-से-छोटे दानसे बहिष्कार आन्दोलनको और देशके गरीब-से-गरीब लोगोंको बहुत सहायता मिलेगी।

बहिष्कार और विद्यार्थी

एक कालेजके प्रधानाचार्य लिखते हैं:[1]

> बहिष्कार आन्दोलनके संचालक विद्यार्थियोंको अपने आन्दोलनमें खींच रहे हैं। जब लड़के अपने स्कूल और कालेज छोड़कर किसी प्रदर्शनमें शामिल होते हैं, तब वे वहाँके हुल्लड़बाज लोगोंमें मिल जाते हैं और उन्हें बदमाशोंकी सभी ज्यादतियोंके लिए जिम्मेदार होना पड़ता है तथा अक्सर पुलिसके डंडे पहले उन्हें ही खाने होते हैं। इसके अलावा वे स्कूल या कालेजमें अधिकारियोंके कोप भाजन बन जाते हैं। और उन्हें दण्ड सहनेपर मजबूर होना पड़ता है; वे अपने अभिभावकोंकी हुक्म उदूली करते हैं; अभिभावक उन्हें आगे खर्च देनेसे इन्कार कर सकते हैं और इस तरह उनका सत्यानाश हो सकता है। मैं ऐसे युवक आन्दोलनोंकी बात तो समझ सकता हूँ कि लड़के छुट्टीके दिनोंमें निरक्षर किसानोंको पढ़ाने, उन्हें सफाईके नियम सिखलाने इत्यादिके काम करें; मगर यह देखकर तो कष्ट होता है कि वे अपने ही माँ-बाप और शिक्षकोंका विरोध करें और बुरे लोगोंके साथ सड़कोंपर घूमते फिरें और नियम और शान्ति-भंग करनेमें हाथ बँटावें। क्या मैं आपसे राजनीतिज्ञोंको यह सलाह देनेकी विनती कर सकता हूँ कि वे अपने प्रदर्शनोंको ज्यादा बाअसर बनानेके लिए विद्यार्थियोंको उनके सही कामसे न खींच ले जायें? . . .

पत्र-लेखकने इस आशासे पत्र लिखा है, कि मैं विद्यार्थियोंके सक्रिय राजनीतिक कामोंमें शरीक होनेका विरोध करूँगा। मगर खेद है कि मुझे उन्हें निराश करना

१. पत्रके केवल कुछ अंश ही यहाँ दिये जा रहे हैं।

पड़ रहा है। उन्हें मालूम होना चाहिए था कि सन् १९२०–२१ में विद्यार्थियोंको उनके स्कूलों, कालेजोंसे बाहर निकालने और ऐसा राजनीतिक काम करनेको कहनेमें जिसमें जेल जानेका भी खतरा था, मेरा हाथ कुछ कम नहीं था। मेरी समझमें अपने देशके राजनीतिक आन्दोलनमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना उनका स्पष्ट कर्त्तव्य है। सारे संसारमें विद्यार्थी ऐसा ही कर रहे हैं। हिन्दुस्तानमें जहाँकि अभी हाल तक राजनीतिक जागृति दुर्भाग्यवश केवल थोड़े-से अंग्रेजीदाँ लोगों तक ही सीमित रही है, यह उनके लिए और भी कर्त्तव्य रूप बन जाता है। चीन और मिस्रमें तो राष्ट्रीय आन्दोलन विद्यार्थियोंकी ही बदौलत चल सके हैं। हिन्दुस्तानमें भी वे कुछ कम काम नहीं कर सकते हैं।

प्रधानाचार्य महोदय इस बात पर जोर दे सकते थे कि विद्यार्थियोंके लिए अहिंसाके नियमोंका पालन करना तथा हुल्लड़बाजोंके कहनेमें चलनेके बदले उनको काबूमें रखना जरूरी है।

मैकॉलेका सपना

मैकॉलेका 'जीवन चरित्र और पत्र' नामकी अंग्रेजी पुस्तकमें से एक मित्रने मेरे पास नीचे लिखा उद्धरण भेजा है:[1]

> हिन्दुस्तानके वतनी लोगोंमें यूरोपीय साहित्य और विज्ञानका प्रचार-प्रसार करना ब्रिटिश सरकारका महान ध्येय होना चाहिए — यह निश्चय लॉर्ड विलियम बेंटिकने ७ मार्च, १८३५ को किया।... और मैकॉलेने अध्यक्ष के रूपमें अपना काम शुरू कर दिया।
>
> लॉर्ड मैकॉलेने कहा कि, हमारी अंग्रेजी शालाएँ आश्चर्यजनक ढंगसे प्रगति कर रही है ... हिन्दुओंपर इस शिक्षासे होनेवाले असरकी सीमा नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा पाया हुआ एक भी हिन्दू कभी अपने धर्ममें श्रद्धावान् नहीं रहता। ... कुछ लोग एक युक्तिके तौरपर उसका नाम लेते रहते हैं; मगर ज्यादातर लोग धर्मके मामलेमें अपनेको बिलकुल स्वतन्त्र कहते हैं और कुछ ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं। मेरा यह पक्का विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षाकी योजनाओंपर अमल किया गया, तो आजसे ३० साल बाद बंगालके प्रतिष्ठित वर्गोंमें एक भी मूर्तिपूजक नहीं रहेगा। ..."

मैं नहीं कह सकता कि मैकॉलेका यह सपना कि अंग्रेजी शिक्षा पाया हुआ हिन्दुस्तान अपने धार्मिक विश्वास छोड़ देगा अथवा नहीं; सच्चा निकला है या नहीं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि उनका एक और सपना था — अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए हिन्दुस्तान द्वारा अंग्रेज हाकिमोंके लिए कारकून वगैरा तैयार करना। यह सपना सचमुच उनकी आशाओंसे भी अधिक सच निकला है।

१. केवल अंशतः उद्धृत। उद्धरणके केवल कुछ अंश ही यहाँ दिये जा रहे हैं।

संघर्षके बीच शान्ति

एक मित्र समय-समय पर मेरे सोमवारके मौन दिवसके लिए जो सुन्दर चीजें भेजते हैं, उनमें से कुछ मैंने पहले भी पाठकोंके लिए छापी हैं। मैं उनके लिए एक और किश्त जो बहुत दिनोंसे मेरी बडीमें पड़ी है प्रकाशित करनेको लालायित हूँ। अन्तिम दो को छोड़कर शेष सब बौद्ध लेखोंके उद्धरण हैं। अन्तिममें से पहला इमर्सनकी उक्ति है और अन्तिम एक हिन्दू कहावत है।

उस मनुष्यके सुन्दर वचन जो स्वयं तदनुसार आचरण नहीं करता वैसे ही निरर्थक है, जैसे कि सुन्दर रंगवाला निर्गन्ध फूल।

जीवनके उलट-फेरसे अविचलित, शोक एवं आवेशसे असंक्षुब्ध मन सबसे बड़ा वरदान है।

जिसकी सदा ही प्रशंसा की जाती हो या जिसकी सदा ही निन्दा की जाती हो ऐसा व्यक्ति न कभी हुआ है और न कभी होगा।

जैसे एक दृढ़ चट्टान वायुसे चलायमान नहीं होती, इसी प्रकार बुद्धिमान लोग निन्दा अथवा स्तुतिसे विचलित नहीं होते।

जो हमसे घृणा करते हैं, उनसे घृणा न करके हम प्रसन्नतासे रहें।

घृणा करनेवालोंके बीच घृणासे विमुक्त होकर रहें।

हमें दुखितोंके बीच दुःखसे विमुक्त होकर सुखसे रहना चाहिए।

मनमें सन्तप्त लोगोंके बीच मनस्तापसे विमुक्त होकर रहना चाहिए।

व्यस्त लोगोंके बीच चिन्तासे विमुक्त होकर प्रसन्नतासे रहें।

चिन्तित लोगोंके बीच कामनाओंसे विमुक्त होकर रहें।

यद्यपि हम किसी भी वस्तुको अपनी नहीं मानते, फिर भी हम प्रसन्नतासे रहें।

हम उन दीप्तिमान देवताओंके समान बन जायेंगे जो आनन्दका उपभोग करते हैं।

सबसे बड़ी प्रार्थना धैर्य है।

इस संसारमें घृणा कभी घृणासे शान्त नहीं होती।

घृणा प्रेमसे शान्त होती है: यह सदा इसका स्वभाव है।

मान एवं विनम्रता
सन्तोष एवं कृतज्ञता,
उपयुक्त समय पर ईश्वरकी वाणी सुनना
सबसे महान् वरदान है।

जैसे कोई माता अपने प्राणोंको संकटमें डालकर भी अपने पुत्र — अपने इकलौते पुत्रकी रक्षा करती है, इसी तरह मनुष्यको सब प्राणियोंके बीच असीम सद्भाव बढ़ाना चाहिए।

मनुष्य सारे संसारके प्रति, छोटे बड़ोंके प्रति, असीम सद्भाव बढ़ाये; वह सद्भाव अपरिसीमित हो; इसमें विभिन्न या विरोधी हितोंका भाव न हो। मानव जितनी देर जागृत अवस्थामें रहे, चाहे वह खड़ा हो, चल रहा हो, बैठा हो या लेटा हुआ हो, सारे समय दृढ़तासे उसी मानसिक स्थितिमें रहे, मनकी यह स्थिति संसारमें सबसे अच्छी स्थिति है।

तत्परता, निग्रह और संयमसे अपने आपको चैतन्य रखते हुए बुद्धिमान मनुष्य अपने लिए ऐसा द्वीप बना ले जिसे कोई भी प्रलय तबाह न कर सके।

जैसे मधुमक्खी फूलके रंग और गन्धको क्षति पहुँचाये बिना उसका रस लेकर उड़ जाती है, इसी तरह बुद्धिमान मनुष्यको सत्यपर स्थिर रहना चाहिए।

तूने मेरे होठोंको जहाँ एक वाणी दी है वहाँ हजार बार मौन रहना सिखाया है।

एक बार बुद्ध भी गाड़ीका घोड़ा बने थे और उन्होंने दूसरोंका बोझा ढोया था।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २९-३-१९२८

१८२. उपवासकी महिमा

पाठक उस पोलिश प्रोफेसरके पत्रोंसे परिचित हैं जिनके उद्धरण मैं जब तब इस पत्रके स्तम्भोंमें प्रकाशित करता रहा हूँ।[1] अपने एक पत्रमें मेरे उपवासोंके सम्बन्धमें वे लिखते हैं:[2]

मैं यह पत्र ऐसी खोजोंमें रुचि रखनेवाले पाठकोंके लिए उपयोगी समझकर छाप रहा हूँ। उपवाससे होनेवाले शारीरिक और नैतिक लाभोंको लोग दिनोंदिन अधिकाधिक मानते जा रहे हैं। बनिस्वत तरह-तरहकी दवाओं और भयंकर इन्जेक्शनोंके — भयंकर इसीलिए नहीं कि उनसे तकलीफ होती है किन्तु इसलिए कि उनके फल-स्वरूप अक्सर और दूसरे रोग हो जाते हैं — विवेकपूर्वक किये गये उपवासके द्वारा बहुतसे रोगोंका इलाज कहीं ज्यादा अच्छा और अक्सीर होता है। दवाओंसे होनेवाली बहुतेरी हानियोंको हम जानते ही नहीं हैं। मगर उपवाससे हुई हानिके उदाहरण विरल ही हो सकते हों। उपवास करनेवाले प्रायः सभी आदमियोंका अनुभव है कि इससे स्फूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि मन और शरीरको सच्चा आराम तो केवल उपवासमें ही मिल सकता है। अगर जरूरतसे ज्यादा भरा और शक्तिके बाहर काम करनेवाला पेट आराम न पावे तो महज शारीरिक काम बन्द कर देनेसे ही शरीरको आराम नहीं मिलता। उपवाससे आत्मिक लाभ भी पर्याप्त होते हैं किन्तु वे इस तरह सहज ही नहीं दिखलाये जा सकते।[3] आत्मिक लाभ तभी होंगे, जब मन और देहका पूरा मेल हो। किन्तु इसमें आत्म-प्रवंचनाका खतरा है। मुझे ऐसे बहुतसे उदाहरण मालूम हैं जबकि आत्मिक लाभके लिए किये गये उपवास जरूरतसे अधिक दिनों तक चलाये जाते रहे। अगर उपवासी

१. देखिए खण्ड ३३ "सत्य एक है", २१-४-१९२७ और खण्ड ३४ "अनेकतामें एकता", ११-८-१९२७।

२. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखकने उपवासके अपने अनुभव लिखे थे और कहा था कि उससे न केवल शारीरिक स्फूर्ति बढ़ती है, वरन् आध्यात्मिक लाभ भी अधिक होता है।

३. पत्र-लेखकने लिखा था कि जब कभी मेरे सामने नैतिक या बौद्धिक कठिनाई पेश होती है, मैं उपवास करता हूँ . . . एक बार छापाखाना वाला अन्य अधिक पैसा देनेवाली अन्य चीजें छापता रहा और उसने मेरे काममें देर लगा दी। मैंने उपवास किया और उनकी मनोवृत्ति बदलनेमें समर्थ हो सका . . .।

अपना उद्देश्य और साधन ठीक-ठीक पहचानता हो तो सीमामें रहकर उपवास करनेसे बहुत आत्मिक लाभ होता है। मुहम्मद साहबने अपने अनुयायियोंको कहा था कि 'रमजानके उपवासके अलावा, और उपवासोंमें मेरी नकल मत करना। मेरा सिरजनहार मेरे उपवासके दिनोंमें मेरे लिये पूरी खुराक भेज दिया करता है।' इस उपदेशमें भी बहुत कुछ सार है। उस धार्मिक उपवाससे लाभ ही क्या जिसमें शरीरको जितना ही भूखों मारो, मन तरह-तरहके व्यंजनोंकी ओर उतना ही दौड़ा करे?

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २९-३-१९२८

१८३. दो संशोधन

इसी २२ तारीखके 'यंग इंडिया' में ६३ पृष्ठपर छपे श्री आयरलैण्डके पत्रकी पाद-टिप्पणीमें[1] दो खेदजनक गलतियाँ रह गई हैं। स्तम्भके लगभग बीचमें मिलेगा कि "ईश्वर पृथ्वी तक ऐसे करोडों तरीकोंसे पहुँचता है जिन्हें हम समझ नही पाते," इस वाक्यमें संकेत-लिपि-लेखकने 'हम' की जगह 'पृथ्वी' सुन लिया। इसके आगे छठी पंक्तिमें लिखा है "यह कई दूसरी चीजोंकी तरह है जिन्हे हम देख सकते है, आदि प्रसंगसे पता चलता है कि इस वाक्यमें 'तरह' के बाद 'नही' शब्द छूट गया है। होना ऐसा चाहिए था : वह कई दूसरी चीजोंकी तरह नही है' आदि।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २९-३-१९२८

१८४. पत्र : उर्मिलादेवीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
३० मार्च, १९२८

प्रिय बहन,

आपका पत्र मिला। मुसीबतें आपका पीछा नही छोडतीं। परन्तु मानना चाहिए कि वे कुछ सिखाने आती है। धीरेनके मामलेमें सलाह देना कठिन है।[2] आदर्शकी दृष्टिसे तो उसे निष्कासन अथवा नजरबन्दीके प्रत्येक आदेशका उल्लघन करना चाहिए और बदलेमें जो भी दण्ड दिया जाये उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। परन्तु यह मामला उनके

१. देखिए, "मतभेद", २-३-१९२८।

२. उर्मिला देवीने लिखा था . . . "धीरेनेके बारेमें भी परेशानी है। सरकार उसे बंगालसे निकाल देना चाहती है। मैं नहीं समझती कि इस भयंकर विपत्तिको टाला जा सकता है। वह आदेशपर हस्ताक्षर करना अस्वीकार तो कर सकता है, परन्तु ऐसी स्थितिमें उसपर मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसका परिणाम तीन वर्षका कठिन कारावास हो सकता है . . . (एस० एन० १३१२६)

स्वयं निर्णय करनेका है। इससे पहले कि वह, जैसा कि मेरे मनमें है, आदेशका उल्लंघन करें, उन्हें यह आन्तरिक विश्वास अवश्य होना चाहिये कि आदेशका उल्लंघन कर्त्तव्य है और आदेशके उल्लंघनके लिए कारावास कोई बोझ नहीं अपितु हर्षका विषय है। और यह तभी सम्भव है जब ऐसे कारावास कोई व्यक्ति अपने लिये और राष्ट्रीय उत्थानके लिए प्रेरणा देनेवाला समझे। परन्तु वास्तवमें किया क्या जाना चाहिए, इस विषयमें मैं पूरे भरोसेके साथ कुछ नहीं कह सकता। आप धीरेनको मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं। फिर भी धीरेन ज्यादातर तो वही करेंगे जैसा कि आप उनसे करवाना चाहेंगी। आप यह भी अवश्य सोच समझ लें कि आप उनके कारावास और कष्टोंको किस हदतक बर्दाश्त करेंगी; इसके बाद ही कोई निर्णय करें। यदि धीरेन निष्कासनके आदेशको स्वीकार कर लें तो वह निश्चय ही आश्रममें आयें और वह जबतक उनकी इच्छा हो यहाँ रहें। उन जैसे युवकोंके लिए यहाँ हमेशा ही काम रहता है।

प्रस्तावित यात्राके बारेमें अभी कुछ निश्चित नहीं है।

हृदयसे आपका,

श्रीमती उर्मिला देवी
४ ए नफर कुण्डु रोड
कालीघाट, कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३१२६) की फोटो-नकलसे।

१८५. पत्र : अखिल भारतीय चरखा संघके सचिवको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
३० मार्च, १९२८

प्रिय महोदय,

निजी एजेन्सियोंके सम्बन्धमें लिखे गये, आपके २८ मार्च पत्र संख्या २१६१ के सन्दर्भमें, एकदम कोई राय दे पाना कठिन है। मैं इसे आवश्यक मानता हूँ कि निजी एजेन्सियोंपर अधिक अंकुश लगानेकी शक्ति प्राप्त कर ली जाये। इससे पहले कि मैं कुछ सलाह दूँ, यह अच्छा रहेगा कि तमिलनाड एजेन्सीसे ठोस सुझाव प्राप्त कर लिये जायें।

हृदयसे आपका,

सचिव
अ० भा० च० संघ
अहमदाबाद

अंग्रेजी (एस० एन० १३१३९) की माइक्रोफिल्मसे।

१८६. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
३० मार्च, १९२८

प्रिय शान्तिकुमार,

आप मुझे सारे नये अतिरिक्त तथ्य और आंकड़े अवश्य भेजते रहिये। उस दिन आपने जो संयुक्त पक्का चिट्ठा भेजा है, उसे मैं इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४७८६) की फोटो-नकलसे तथा एस० एन० १३१२५ से भी।

सौजन्य : शान्तिकुमार मोरारजी

१८७. पत्र: ना० र० मलकानीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
३० मार्च, १९२८

प्रिय मलकानी,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें अपनी आवश्यकताओं और अन्य किसी भी मामलेमें मुझे लिखनेमें बिलकुल सकोच नहीं करना चाहिए। जहाँतक हो सकेगा मैं तुमसे मिलनेकी कोशिश करूँगा, परन्तु तुम्हें मुसीबत बर्दाश्त करनेके लिए तैयार रहना चाहिए। गृह-कलह भी राष्ट्र सेवकके भाग्यमें बदा हो सकता है।

ठक्कर बापा आपके वेतनके बारेमें सर पुरुषोत्तमदाससे मिले थे। आपको केन्द्रीय समितिसे वेतन मिलनेकी बातको सर पुरुषोत्तमदास अत्यन्त स्वाभाविक और रु० १५० बिलकुल ठीक मानते हैं। अब मुझे रु० २०० मांगने पड़ेंगे। मुझे कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती है।

मैं यह पता लगानेकी कोशिशमें हूँ कि क्या जेठालाल या पर्शतलाल कुछ दिनोंके लिए भेजे जा सकते हैं। कल्याणजी और नरहरि भाईको भेज सकना असम्भव है। नरहरिने अपने लिये कामकी योजना स्वय बना रखी है। और कल्याणजी बारडोली में अवश्य ही व्यस्त होंगे। परन्तु मेरे पास एक ऐसे योग्य व्यापारी हैं, जो इस वक्त ऐसे

कामके लिए खाली है। वह जयसुखलाल गांधी[1] है। वह अमरेली खादी कार्यालयके अधिकारी थे। अब इसकी फिरसे व्यवस्था की जा रही है और जयसुखलालको अवकाश दिया जा रहा है। उत्तराधीन तुम्हारा पत्र बिलकुल ठीक समयपर आया है और उन्हें खाली रखा जा सकता है। परन्तु यह जरूरी है कि उन्हे मुख्य कार्यालयको समेटने और सारा सामान यहा भेज देनेके लिये पहले अमरेली भेजा जाये। इसमें एक पखवाड़ा लग जानेकी सम्भावना है। अभी मैंने उनसे वातकी कि क्या वे यह करनेके लिए तैयार है। वे रजामन्द है, बशर्ते कि मै पहले उन्हें सीधा अमरेली जाकर वहांका काम समेट लेने दूँ। आज मैंने उन्हे तार[2] भेजा है। यदि मुझे तुम्हारा उत्तर तुरन्त न मिला, तो तुम्हें अपने अन्तिम उत्तरके यहाँ मिलनेके बादसे एक पखवाड़े तकका समय देना पड़ेगा।

हृदयसे तुम्हारा,

बापू

श्रीयुत ना० र० मलकानी
पीपल्स फ्लड रिलीफ कमेटी
हैदराबाद (सिन्ध)

अंग्रेजी (जी० एन० ९५१) की फोटो-नकलसे।

१८८. पत्र: म्यूरियल लेस्टरको

३० मार्च, १९२८

मैंने आपके समुद्री तारका उत्तर दे दिया है। अभीतक कुछ निश्चित नही है। मुझे क्या करना चाहिए, यह बात मेरे अपने मनमें स्पष्ट नही है। मै एम० रोमाँ रोलाँसे पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। मुझे उनके अन्तिम उत्तरसे किसी निश्चयपर पहुँचनेमे सहायता मिलेगी। यदि यूरोपकी यात्राका निश्चय हो जाये और यदि मैं समयपर पहुँच जाऊँ तो मुझे समारोह का उद्घाटन[3] करनेमें प्रसन्नता होगी। परन्तु जहाँतक मैं समझ सकता हूँ, मै सम्भवत: समयपर नही पहुँच सकता। यदि भारत छोड़ना सम्भव हुआ भी तो मई से पहले भारतसे निकलनेकी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप कोई दूसरा प्रबन्ध कर लें।

१. परन्तु जयसुखलाल गांधीकी जगह मथुरा व्यासको भेजा गया है। देखिए "पत्र: ना० र० मलकानी", ४-४-१९२८।

२. यह उपलब्ध नहीं है।

३. ७ जुलाईको; हस्तकला कक्षका उद्घाटन।

जहाँतक आपके साथ ठहरनेका सम्बन्ध है, यदि आप मुझे और मेरे साथियोंको आश्रय दे सकें, तो निस्सन्देह मैं आपके पास ठहरना चाहूँगा; यदि मैं आया भी तो अकेला नहीं आऊँगा।

हृदयसे आपका,

कु० म्यूरियल लेस्टर
किंगस्ले हॉल
पॉविस रोड
बो० ई० ३
लन्दन

अंग्रेजी (एस० एन० १४९४९) की फोटो-नकलसे।

१८९. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
रामनवमी [३० मार्च, १९२८][1]

भाई घनश्यामदासजी,

आपका पत्र मीला है। यूरोप जानेके बारेमें मै अब तक कुछ निश्चय नहिं कर सका हूं। जानेका दिल नहीं है। रोमेरोलाको मीलनेकी इच्छा है सही। परंतु इस बारेमें उनके पत्रकी मैं प्रतीक्षा करता हुं। एक पत्र आया है उससे जानेका निश्चय नहिं होता है। यदि जानेका हुआ भी तो मेईमें होगा और अक्टोबरमें वापिस आ जाउंगा। थोडे दिन भी यदि मै अपके साथ मसूरीमें रह सकता हुं तो प्रयत्न करूंगा। एप्रिल १३ तारीख[2] तक तो यही रहना चाहता हुं।

विदेसी कपडोंके वहिष्कारके बारेमें मीलोंके सहकारके बारेमें मैंने जो कुछ लीखा[3] है उसपर मुझे आपका अभिप्राय भेजें।

स्वास्थ्यके पूरे हाल मुझे दे दें। अब कुछ खा सकते हो?

आपका,
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ६१५५ से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

१. पत्रमें आये उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि यह १९२८ में लिखा गया था।
२. सत्याग्रह सप्ताहका अन्तिम दिन।
३. देखिए "हमारी मिलें क्या कर सकती हैं?", १५-३-१९२८।

१९०. मोक्षदाता राम[1]

हम जिन रामके गुण गाते है, वे राम वाल्मीकिके राम नहीं हैं, तुलसी 'रामायण' के राम भी नहीं है — हालाँकि तुलसीदासकी 'रामायण' मुझे अत्यन्त प्रिय है और उसे मै अद्वितीय ग्रन्थ मानता हूँ, तथा एक बार पढ़ना शुरू करनेपर कभी उकताता नही; तो भी हम आज तुलसीदासके रामका स्मरण करनेवाले नही है और न गिरधरदास के रामका। तब फिर कालिदास और भवभूतिके रामका तो कहना ही क्या? भवभूतिके 'उत्तररामचरित' मे बहुत सौन्दर्य है, किन्तु उसमें वे राम नही है जिनका नाम लेकर हम भवसागर तर सकें या जिनका नाम हम दुःखके अवसर पर लिया करे। मै असह्य वेदनासे पीड़ित व्यक्तिसे कहता हूं कि 'राम नाम' लो'; अगर नींद न आती हो तो भी कहता हूँ कि, 'रामनाम लो'। किन्तु ये राम तो दशरथके कुँवर या सीताके पति राम नही है। ये तो देहधारी राम ही नहीं हैं। जो हमारे हृदयमें बसते है वे राम देहधारी हो ही नही सकते। अँगूठेके समान छोटा-सा तो हमारा हृदय और उसमें भी समाये हुए राम देहधारी क्यों कर हो सकते है, या किसी साल चैत्रकी नवमीको उनका जन्म हुआ ही नही होगा। वे तो अजन्मा है। वे तो सृष्टिको पैदा करनेवाले है, संसारके स्वामी है। इसलिए हम जिन रामका स्मरण करना चाहते है और जिनका स्मरण करना चाहिए वे राम हमारी कल्पनाके राम है, दूसरेकी कल्पनाके राम नहीं।

इतना याद रखें तो हमारे मनमें जो अनेक प्रश्न उठा करते है वे न उठें। कितनी बार यह सवाल उठता है कि बालिका वध करनेवाले राम सम्पूर्ण पुरुप कैसे हो सकते है? मेरे पास भी ऐसे अनेक प्रश्न आते है। इसलिए मैं मन ही मन हँसता हूँ। किसीने अगर छल से या सीधी रीतिसे किसीको मारा अथवा दस सिरवाले किसी देहधारी रावणको भी मारा हो तो इसमें कौन-सा बड़ा काम कर लिया? आजका जमाना तो ऐसा है कि बीस क्या, असंख्य भुजाओंका भी कोई रावण पैदा हो तो एक बालक तोपके एक ही गोलेसे उसके असंख्य हाथ और माथा उड़ा दे। उसे हम अलौकिक बालक नही मानेंगे। उसे हम बड़ा राक्षस मानेंगे। मै मानता हूँ कि हम राक्षसके बड़े भाईके समान शक्ति पैदा करना नही चाहते। उसकी पूजा करनेसे हमें शान्ति नही मिलेगी। हम पूजा करें तो उस अन्तर्यामीकी, जो सबके भीतर है और साथ ही सबसे जुदा है और सबका स्वामी है। उन्हींके बारेमें हमने गाया कि 'निर्बलके बल राम'। इसमें तो 'द्रुपद-सुता निर्बल भई' की बात आई है। अब द्रौपदी और देहधारी रामका मेल कहाँ बैठेगा? तो भी कविने गाया है कि द्रौपदीकी लाज रामने रखी। इसमें तो वही राम है जो सभीके है, तो भी जिन्हें कोई पहचान नही सकता। हम उसी रामका स्मरण करते है। इन अन्तर्यामी राम और कृष्णमें भेद नहीं है।

१. आश्रममें राम-नवमीके दिन दिये प्रवचनका सारांश।

रामनवमीका पर्व इसीलिए मनाया गया कि इसके निमित्त हम कुछ संयमका पालन करें, लड़के कुछ निर्दोष आनन्द लें और 'रामायण' पढकर कुछ सीखें। देहधारी मनुष्य परमेश्वरको दूसरे तरीकेसे सहज ही नही पहचान सकता। उसकी कल्पना अधिक दूर नहीं दौड़ सकती और इसलिए वह मानता है कि परमेश्वरने मनुष्यके रूपमें अवतार लिया था। हिन्दू धर्ममें उदारताका पार नही है। इसलिए वर्णन किया है कि परमेश्वरने मछलीके रूपमें, वराहके रूपमें और नरसिंहके रूपमें अवतार लिया था। यों मनुष्यने देहाध्याससे ईश्वरकी कल्पना देहधारीके रूपमें की है और जब तब उसके अवतार लेनेकी कल्पना की है। कहा है कि जब धर्मका पतन हो और अधर्म फैल जाये तो ईश्वर धर्मकी रक्षा करनेके लिए अवतार लेता है। यह बात भी उसी तरह और उतनी ही हद तक सच्ची है, जितनी मैंने कही है। नही तो अजन्माका अवतार ही कैसा? यह माननेका कोई कारण नही है कि कोई ऐतिहासिक पुरुष ईश्वरके रूपमें या ईश्वर किसी ऐतिहासिक पुरुषके रूपमें अवतार लेता है। ईश्वरके सभी गुण किसी मनुष्यमें हो तो यह माना जाता है कि ईश्वरने अवतार लिया। जो-जो महापुरुष हो गये है, उनके गुण देखकर मनुष्योंने उन्हें पूर्ण अथवा अंशावतार माना। और यह जानते हुए भी बाल्मीकिके या तुलसीदासके रामके निमित्तसे विभिन्न उपासक अपने ही भगवान्की महिमा गाते हैं। उनके उस भावनासे पूर्ण भजनोंको गानेमें कोई दोष नहीं है। किन्तु मैंने जो बात पहले कही है आप उसे याद रखें तो भ्रमजालमें पड़नेका कोई कारण न रहे। हमारे सामने अगर कोई शंकाएँ रखकर हमें उलझनमें डालना चाहे तो उसे कहें कि हम किसी देहधारी रामकी पूजा नहीं करते है। हम तो अपने निरंजन, निराकार रामको पूजते है। हम उसके पास सीधे नहीं पहुँच सकते, इसलिए जिनमें ईश्वरकी मूर्तिमन्त कल्पना की गई है, उन भजनोको गाते है।

जबतक हम देहकी दीवारके पार नही देख सकते, तबतक सत्य और अहिंसाके गुण हममें पूरे-पूरे प्रकट होनेवाले नही हैं। जब सत्यके पालनका विचार करें तब देहाध्यास छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि सत्यके पालनके लिए मरना जरूरी होगा। अहिंसाकी भी यही बात है। देह तो अभिमानका मूल है। देहके बारेमें जिसका मोह बना हुआ है, वह अभिमानसे मुक्त हो ही नही सकता। जबतक मेरे मनमें यह विचार है कि देह मेरी है, तबतक मैं सर्वथा हिंसामुक्त हो ही नही सकता हूँ। जिसकी अभिलाषा ईश्वरको देखनेकी है, उसे देहके पार जाना पड़ेगा, अपनी देहका तिरस्कार करना पड़ेगा, मौतसे भेंट करनी पड़ेगी।

जब ये दो गुण मिलें तभी हम तर सकेंगे। ब्रह्मचर्यादिका पालन कर सकेंगे। अगर उनका पालन करना चाहें तो सत्यके बिना कैसे चलेगा? सत्यका मुख तो सुवर्णमय पात्रसे[1] ढँका हुआ है। सत्य बोलने, सत्यके आचरण करनेका डर क्यो हो? असत्यरूपी चमकीला ढक्कन जबतक दूर न करे तबतक सत्यकी झाँकी क्योंकर होगी? कोई कसूर करे तो उस पर क्रोध करनेके बदले प्रेम करना क्या हमें रुचता है, हम संसारको असार कहकर गाते है सही, मगर क्या उसे असार समझते भी हैं?

१. ईशोपनिषद्, ५-१५।

राम तो कहते है कि मुझसे मिलना हो तो इस संसारसे भाग जा। मगर शरीरको भगानेसे भागा नही जाता। असारताकी वृत्ति पैदा करके चौबीस घंटे काम करते हुए भी हम रामसे मिल सकते है। यही बात 'गीता' में सिखलाई गई है। 'गीता' को मैं इसीलिए आध्यात्मिक शब्दकोष मानता हूँ। तुलसीदासने यही बात हमें सुन्दर काव्यके रूपमें सिखलाई है।

किन्तु चाबी तो वही है जो मैंने बतलाई है यानी हमारी अपनी कल्पनाके ही राम हमारे तारण हार हैं। मेरा राम मुझे तारेगा, आपको नहीं और आपका राम आपको तारेगा, मुझे नही। हम सब तुलसीदासके समान सुन्दर काव्य नहीं लिख सकते किन्तु जीवनमें ईश्वरको उतारकर, उसे काव्यमय बना सकते हैं।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १-४-१९२८

१९१. भाषण: विद्यार्थियों और अध्यापकोंकी सभामें[1]

अहमदाबाद

३१ मार्च, १९२८

विद्यार्थियोंको सम्बोधित करते हुए महात्माजीने अपने सुझावोंको कार्यान्वित कर दिये जानेपर सन्तोष व्यक्त किया। उन्होंने इसपर अवश्य खेद व्यक्त किया कि लड़कोंको जितना स्वच्छ होना चाहिए उतने स्वच्छ वे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि खद्दर पहननेका अभिप्राय यह होना चाहिए कि वे शरीर और मन दोनोंसे स्वच्छ हैं।

गांधीजीने भाषणको जारी रखते हुए कहा कि मिल-मालिक उदारतासे धन देकर अपना सहायताका हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मिल-मालिकोंसे सलाह कर रहा हूँ और उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि उन्होंने जो पैसा तिलक स्वराज्य कोषके लिए जमा कर रखा है, उसे वे बिना किसी शर्तके और स्कूलोंके प्रशासनमें किसी भी तरहका हस्तक्षेप किये बिना, बच्चोंके लाभके लिए दे दें। स्कूलोंका प्रशासन पूरी तरहसे श्रम-संघ पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि वे कुछ भी पैसा न दें तब भी ये स्कूल चलते रहेंगे।

ईश्वर महान है और यदि आपका उसमें विश्वास है तो आपको पैसा किसी दूसरे स्रोतसे मिल जायेगा परन्तु शर्त यह है कि आपके आदर्श सच्चे हों।

गांधीजीने अध्यापकोंसे कहा — आप शिक्षा देनेके लिए पुस्तकोंका प्रयोग बिलकुल मत कीजिये। पुस्तकोंसे आँखें खराब हो जाती हैं, और दिमाग कुण्ठित हो जाता है।

१. अहमदाबाद श्रम-संघ द्वारा चलाये गये स्कूलोंके विद्यार्थियोंने सुबह कताई-प्रदर्शन किया था। संघ-सचिवने अपनी रिपोर्टमें कहा कि गांधीजीने जो कुछेक सुझाव दिये थे वे स्कूलोंमें कार्यान्वित कर दिये गये हैं।

मेरा अपना अनुभव ऐसा है । मुझे पता लगा है कि रूसमें किसानोंके लिए ऐसे एक हजार स्कूल चलाये जा रहे हैं जहाँ ज्ञानेन्द्रियोंका यथा सम्भव सभी विभिन्न साधनोंका प्रयोग करके पुस्तकोंकी सहायताके बिना शिक्षा दी जाती है। उन्होंने अध्यापकोंसे कहा कि आप अपने घरों और गलियोंकी सफाई स्वयं करें और इसके लिए दूसरों पर निर्भर न रहें।

भाषण समाप्त करते हुए महात्माजीने उनसे कहा कि अपने स्कूलोंको आप हर तरहसे आदर्श बनायें, जिससे कि मिल-मालिकोंके लड़के, लड़कियाँ उनसे स्पर्द्धा करने लगें और मिल-मालिक अपने बच्चोंको श्रमिक-स्कूलोंमें भेजना चाहें। शिक्षाकी नींव सत्यपर आधारित है और आपको सर्वव सत्यका ही सहारा लेना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ३१-३-१९२८

१९२. पत्र : सुभाषचन्द्र बोसको

आश्रम
साबरमती
३१ मार्च, १९२८

प्रिय मित्र

काफी समयसे मैं आपको एक-आध पंक्ति लिखना चाहता रहा हूँ। मुझे बताया गया था कि मैं मद्रासमें आपसे मिलनेकी उम्मीद कर सकता था। परन्तु वैसा नहीं होना था।

क्या आप कृपा करके मुझे बतायेंगे कि आपने विदेशी वस्त्र बहिष्कारके बजाय अंग्रेजी वस्तुओंके और मुख्य रूपसे अंग्रेजी वस्त्रके बहिष्कारका नारा क्यों अधिक पसन्द किया है और यह अंग्रेजी वस्त्र बहिष्कारकी बात भी सिर्फ समझौता न होने तक ही क्यों?

आशा है कि आप की सेहत फिर पहले जैसी हो गई होगी।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३१४३) की फोटो-नकलसे।

१९३. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

आश्रम
साबरमती
३१ मार्च, १९२८

प्रिय शान्तिकुमार,

आपका पत्र मिला। वे शर्तें जो मेरी समझमें मिल-मालिकोंको मान लेनी चाहिए, निम्नलिखित हैं:

(१) कीमतोंका नियमन सब हितोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली विशेष समिति द्वारा किया जाना चाहिए।

(२) किस किस्मका और कितना उत्पादन हो, इसकी व्यवस्था भी उसी समिति द्वारा की जानी चाहिए।

(३) मिलें खादीके नामपर बना कोई भी मिलका कपड़ा बेचना बन्द कर दें। वे शर्तोंके स्वीकार करनेकी तारीखसे ज्यादासे-ज्यादा तीन महीनोंके अन्दर ऐसा कोई भी कपड़ा बनाना भी बन्द कर दें जो खादीसे मुकाबला कर सके और इस उद्देश्यसे समिति समय-समयपर यह निश्चय करती रहेगी कि मिलोंको कैसा कपड़ा नहीं बनाना चाहिए।

(४) मिलें केवल मिल-कपड़ेके विक्रय ही का प्रबन्ध नहीं करेंगी परन्तु वे इस प्रकारसे चलाई गई एजेंसियों द्वारा खादी भी बेचेंगी।

(५) मिलें विदेशी सूत, विदेशी रेशम, विदेशी ऊन और नकली रेशम इस्तेमाल नहीं करेंगी।

(६) मिलें विदेशी वस्त्र बहिष्कार आन्दोलनसे पूरी तरह एकात्मता स्थापित कर लेंगी और इस उद्देश्यके लिए कपड़ा व्यापारियों, दूसरे दलालों और रूईके बाजार पर जहाँतक हो सकेगा अधिकार प्राप्त करनेमें अपनी पूरी शक्ति लगायेंगी।

(७) यदि मिलोंके साथ स्पष्ट समझौता हो जाये तो खादी-भण्डार स्वाभाविक रूपसे, उक्त समिति द्वारा नियत शर्तोंके आधार पर मिल कपड़ेकी बिक्रीकी एजेंसियाँ बन जायेंगे।

(८) मिलें उस समितिको वह निधि सौंप दें, जिसकी समय-समय पर प्रचारके लिए आवश्यकता पड़ती रहेगी। मेरे विचारमें यह रकम एक लाख रुपयेसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

यह पत्र जल्दीमें लिखवाया जा रहा है। इसलिए यदि इन शर्तोंमें कोई कमी रह गई हो तो उसे आप कृपया 'यंग इंडिया' के दो अंकोमें[1] बताई गई शर्तोंसे पूरा

१. देखिए "हमारी मिलें क्या कर सकती हैं?" १५-३-१९२८ और "विदेशी-वस्त्र बहिष्कार : कुछ प्रश्न", २२-३-१९२८।

कर लेंगे। आप इस पत्रको किसी भी हालतमें प्रकाशित न करें और कृपया ध्यान रखें कि ये मेरे निजी विचार हैं और यदि इस बातचीतसे कुछ ठोस परिणाम निकलना है, तो सभी सम्बन्धित लोगोंकी औपचारिक सभा बुलवानी होगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत शान्तिकुमार
बम्बई

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४७८७) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : शान्तिकुमार मोरारजी

१९४. पत्र : राय हरेन्द्रनाथको

आश्रम
साबरमती
३१ मार्च, १९२८

प्रिय महोदय,

आपका कृपापूर्ण तार मिला। मुझे अत्यन्त खेद है कि मैं सम्मेलनमें उपस्थित नहीं हो सकूंगा। बहरहाल मैं आपके लिए सब तरहसे सफलताकी कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि सम्मेलन लाखों मूक लोगोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले खद्दरको नहीं भूलेगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत राय हरेन्द्रनाथ
अध्यक्ष स्वागत समिति
बंगाल प्रान्तीय परिषद
चान्द्री, कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३१४२) की माइक्रोफिल्मसे।

१९५. सत्याग्रहियो सावधान !

जब हंटर कमेटीके एक सदस्यने जनरल डायरसे जलियाँवाला बागके कत्लके बारेमें प्रश्न पूछा "क्या तुम्हारा विचार नादिरशाही चलाकर लोगोंके मनमें सरकारका रोब जमाना, भय पैदा करना था ?" तब जनरल डायरने इस बातको उत्साहपूर्वक स्वीकार करते हुए कहा, "हाँ" किन्तु नादिरशाहीका आरम्भ कोई जनरल डायरसे शुरू नहीं हुआ था। यह तो भारतीय नौकरशाहीको परम्परासे प्राप्त है और इसपर उसका एकाधिकार है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि इस नादिरशाहीने चूंकि जनरल डायरको विख्यात कर दिया है, इसलिए हम उसे डायरशाहीके नामसे भी जानने लगे हैं। डायरशाही नीतिके ऊपर ही नौकरशाहीका अस्तित्व निर्भर है। इसलिए अवसर आनेपर उसका आश्रय लेनेसे वह नहीं चूकती। उसके लेखे बारडोलीमें ऐसा ही अवसर उपस्थित है। इसलिए डरपोक या कायर माने जानेवाले बनिया सत्याग्रहियों पर नादिरशाही की आजमाइश शुरू कर दी गई है। इस प्रकार आठ बनिया सत्याग्रहियोंके पास यह नोटिस पहुँचा है कि यदि वे १२ अप्रैलसे पूर्व नोटिसमें बताई गई जमीनका लगान अदा नहीं करेंगे तो वह सारी जमीन जब्त कर ली जायेगी। एक बनिया सज्जनके नोटिसमें जमीनका लगान १६० रुपये बताया गया है। यदि सरकार १६० रुपयेकी कीमतकी जमीन ही जब्त करती तो कदाचित उसका ज्यादा दोष न माना जाता। परन्तु १६० रुपयेके लिए हजारों रुपयोंकी जमीन जब्त कर लेना तो नादिर-शाही ही है। इस राज्यकी नीतिमें कई बार तमाचेका उत्तर तमाचेसे नहीं वरन् फाँसीसे दिया जाता है। एक रुपयेका लेनदार एक हजार रुपये ले ले तो उसे जालिम या दस सिरवाला रावण ही कहेंगे।

अग्रिम बुद्धि माने जानेवाले वैश्य इसका क्या जवाब देंगे? अपनी भीरुता सिद्ध करके दिखायेंगे या सत्याग्रही सेनामें सम्मिलित होनेकी अपनी योग्यता?

वल्लभभाईने एक बार नहीं अनेक बार यह चेतावनी दी है कि सरकार कायदा बनाकर जमीन जब्त करने और जेल भेजनेके अधिकार प्राप्त कर चुकी है। और उसने अनेक बार यह सिद्ध भी कर दिया है कि वह अपने इन अधिकारों पर अमल करते हुए तनिक भी संकोच नहीं करेगी। इसलिए जब्तीके इस नोटिससे वे और दूसरे व्यक्ति भयभीत न हों। वे विश्वास रखें कि इस प्रकार जब्त की गई जमीन सरकारको नहीं पचेगी और उस जमीनको नीलामीमें खरीदनेवाला कोई देशद्रोही निकल भी पड़ा तो वह उसको भी नहीं पचेगी। इस प्रकार लूटी हुई जमीन कच्चे पारेके समान है; वह फूटकर निकल ही जायेगी।

जमीन अपने वचन और अपनी प्रतिष्ठासे बढ़कर कदापि नहीं है। ऐसे असंख्य मनुष्य देशमें हैं जिनके पास जमीन नहीं है। कई जमीनवालोंकी भूमि पिछली बाढ़में डूब गई थी और अब उसके ऊपर रेत जमी पड़ी है। गुजरातियोंने जिस प्रकार इस

आसमानी प्रकोपका धीरज और वीरतापूर्वक सामना किया वैसे ही बारडोलीके सत्याग्रही इस सुल्तानी बाढ़का सामना करते हुए अपनी प्रतिज्ञाका पालन करें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १-४-१९२८

१९६. राष्ट्रीय सप्ताह

आगामी राष्ट्रीय सप्ताह नौवाँ राष्ट्रीय सप्ताह है। इस सप्ताहमें लोगोंकी उत्तरोत्तर प्रगतिका हिसाब लगाया जाना चाहिए। किन्तु इसमें हमें कई जगहो पर निराशा ही दिख रही है। यह सप्ताह हमारे लिये राष्ट्रीय तलपट निकालनेका, आत्मनिरीक्षण करनेका, आत्मशुद्धि करनेका, हिन्दुओं, मुसलमानो और पारसियों आदिका हृदय एक करनेका, हिन्दुओंके लिए अस्पृश्य माने जानेवाले भाइयों और बहनोंसे भेंट करने और उनकी सेवा करनेका और हिन्दुओ, मुसलमानोंके लिए खादीधारी बनकर विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करनेका है।

किन्तु ऐसा लगता है कि हम राष्ट्रके इन पोषक अंगोको अब भूल गये हैं। भिन्न-भिन्न विषयोंमें जिन लोगोंकी श्रद्धा है उनके सम्बन्धमें वे तो प्रयत्न कर ही रहे हैं। किन्तु इन कार्योंको अब व्यापक रूप नहीं दिया जाता। पहले सबके मुँहपर यह बातें रहती थी कि इन कार्योंके किये बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता, किन्तु आज हमें वैसी बात सुनाई नही देती।

राष्ट्रीय सप्ताहमें इस स्थितिको बदलनेका प्रयत्न किया जाना चाहिए। ऐसा प्रयत्न सब लोग और सभी राष्ट्रीय संस्थाएँ चाहे न भी करें, फिर भी इन रचनात्मक कार्योंमें जिनकी अविचल श्रद्धा है वे तो अपनी ओरसे महान् उद्योग अवश्य करें। ऐसे प्रयत्नोंसे ही एक व्यापक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और अवश्य उत्पन्न होगी, इस सम्बन्धमें कोई भी शंका न करें।

खादीका कार्य बालकों, स्त्रियों और पुरुषों, हिन्दुओं और मुसलमानों सभीके करने योग्य कार्य है। यह वे अपनी आँखोंसे देख सकते है। बहिष्कारकी चर्चा चारों ओर चल रही है। किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि हम बहिष्कारके सम्बन्धमें अभी भ्रममें पड़े हैं। कोई कहता है अंग्रेजी मालका बहिष्कार करो, कोई कहता है सिर्फ अंग्रेजी कपड़ेका बहिष्कार करो और वह भी समझौता होने तक ही, कोई कहता है कि हर तरहके विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार करो। ये सभी कार्य ऐसे हैं जो साथ-साथ नहीं किये जा सकते। पहले दो कार्योंकी बीस साल तक पुकार हुई। तब सन् १९२०में लोगोने लम्बे विचारके बाद यह देखा कि एक ही बहिष्कार सम्भव और कर्तव्य है — वह है विदेशी कपड़ेका बहिष्कार और वह भी खादीकी मार्फत। फिर इस विदेशी कपड़ेके बहिष्कारकी कल्पनाके मूलमें कोई शर्त नहीं है, बल्कि वह सदाके लिए है। और जो कार्य सदाके लिए हो वह कम होनेपर भी लाभदायक ही होता है। जिस कार्यके लिए जो शर्त होती है उसके उचित मात्रामें पूरे होनेपर ही फल

मिलता है और तभी वह कार्य लाभदायक होता है। शर्तके थोड़ी मात्रामें फलनेपर कार्य हानिप्रद भी हो जाता है।

इसलिए हमें इस भ्रमसे निकल जाना चाहिए और विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके लिए अथवा यह कहना चाहिए हिन्दुस्तानके गरीबोंकी खातिर खादीके प्रचारका सतत प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रचारके लिए सब लोग

१. जो स्वयं खादी न पहनते हों, वे स्वयं खादी पहनें और दूसरे खादी न पहननेवालोंसे खादी पहननेको कहें।

२. जितना कात सकें उतना सूत कातें और दूसरोंको भी वैसा करनेकी प्रेरणा दें और

३. इस कार्यके निमित्त जितना धन दे सकें उतना धन दें और पड़ौसियोंसे भी इकट्ठा करें।

इस विषयमें भाई विट्ठलदास जेराजाणीका लेख विचार करने योग्य है।[1]

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १-४-१९२८

१९७, टिप्पणियां

उड़ीसाकी दुर्दशा

मैं छगनलाल गांधीके एक पत्रका कुछ भाग दे रहा हूँ,[2]

पाठकोंको याद रखना चाहिए कि ये भटकते हुए और भूखे मरते हुए, धूलमें से केलेके फेंके हुए छिलके बीनकर खानेवाले लड़के हमारे अपने ही भाई और बहन हैं। यदि हम भारतको अपनी माता कहकर गर्वका अनुभव करते है तो हमें इन उत्कलके भटकते हुए बालकोंको अपना भाई और बहन मानना ही होगा। इनका स्वराज्य क्या हो सकता है? यदि उन्हें हम स्वराज्यकी व्याख्या करनेको कहें तो वे क्या बतायेंगे? क्या हम उन्हें भीखमें कच्चे चावल देकर उनका पेट भरेंगे? क्या हम उनको धूलसे केलेके छिलके बीनकर खाने देंगे? क्या उन्हें हम बासी अन्न खाने देंगे? अथवा हम उन्हें उद्यमी बनायेंगे और कोई धन्धा सिखाकर मनुष्य बनायेंगे? मेरी अल्पबुद्धि तो यह कहती है कि उड़ीसाके इन भूखे मरते हुए लोगोंके त्राणका कोई उपाय खोजनेमें ही स्वराज्य छिपा हुआ है।

सस्ती खादी

रांची रोडके शुद्ध खादी भण्डारके व्यवस्थापकने यह विज्ञप्ति भेजी है:[3]

१. देखिए, "टिप्पणियाँ", २९-३-१९२८ का उप-शीर्षक, खास राष्ट्रीय सप्ताहके लिए"।

२. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्रमें उड़ीसाके अकालका विवरण था।

३. यह विज्ञप्ति यहाँ नहीं दी जा रही है। इसमें कहा गया था कि ६ अप्रैलसे १३ तक दुकानसे २५ प्रतिशत कम दामपर खादी बेची जायेगी।

यदि हम विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करना चाहते हैं तो इस छोटी-सी दुकानमें रखी हुई खादी तो सप्ताहके एक दिनमें ही बिक सकती है। ऐसी एक दुकानका खर्चा जैसे-तैसे निकालनेकी जरूरत तो होनी ही नहीं चाहिए।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १-४-१९२८

१९८. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१ अप्रैल, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

आपका पत्र मिला। निस्सन्देह मिल-मालिक, हमें जो भी चाहिए, खुशीसे दे सकते है; बशर्ते कि हम सिर्फ उनके मालका विज्ञापन करना स्वीकार कर लें। परन्तु हम तबतक ऐसा नही कर सकते जबतक कि वे हमारी शर्तें स्वीकार नही करते। [उनके साथ] हाल ही में हुए पत्र-व्यवहारकी नकल आपको दिलचस्प मालूम होगी। कृपया आप इस सारी चीजको पूरी तरह गोपनीय रखियेगा।

काश! कि हेमप्रभा देवीको अपनी उदासीनता, जो उनके न चाहनेपर भी अकसर उन्हें घेर लेती है, छोड देनेको प्रेरित किया जा सकता।

हृदयसे आपका,

संलग्न पत्र : २

अंग्रेजी (एस० एन० १३१४४) की फोटो-नकलसे।

१९९. पत्र : उत्तम भिक्खुको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला; पत्र लिखनेके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। मुझे सचमुच खेद है कि मेरी बर्माकी प्रस्तावित यात्राके सम्बन्धमें किसी व्यक्तिने आपसे ऐसी कोई बात कही ही क्यों। अगर मैं बर्मा आया तो भी मैं बर्मा-निवासियोंसे किसी सहायताकी आशा नहीं करता हूँ। यदि मैं आया तो जबतक मैं वहांकी राजनीतिक

स्थितिका अध्ययन न कर लूँ और उसपर विश्वासपूर्वक न बोल सकूँ, तबतक उसके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट करनेमें निश्चय ही झिझकूँगा।

हृदयसे आपका,

रेवरेण्ड उत्तम भिक्खु
स्वेजदी क्यांग
क्याव

अंग्रेजी (एस० एन० १३१४५) की फोटो-नकलसे।

२००. पत्र: जवाहरलाल नेहरूको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१ अप्रैल, १९२८

प्रिय जवाहर,

तुम्हारा पत्र मिला। संलग्न प्रतियोंसे तुम्हें पता चल जायेगा कि मिल-मालिकोंसे होनेवाली बातचीतमें क्या प्रगति हो रही है। बहरहाल मैं तुमसे सहमत हूँ कि इसका फिलहाल कोई नतीजा नही निकलेगा। परन्तु वक्त आने पर बातचीतका फल निकल सकता है। एक समय ऐसा था जब कि मिल-मालिक बहिष्कार प्रचारका पूरी तरहसे विरोध कर रहे थे। मैं तुम्हें इस बातचीतकी समाप्तिपर लिखूँगा।

यद्यपि रोमाँ रोलाँका पहला अपेक्षित पत्र आ गया है और वह मेरी प्रस्तावित यात्राकी स्नेहसे प्रतीक्षा कर रहे हैं, परन्तु इससे मुझे निर्णय पर पहुँचनेमें मदद नहीं मिली है। जैसे-जैसे निश्चित निर्णय लेनेका वक्त नजदीक आता जा रहा है, मेरा असमंजस बढ़ रहा है। हो सकता है कि अगले सप्ताह रोमाँ रोलाँका समुद्री तार आये और उससे मेरे भाग्यका निर्णय हो।

फिलहाल सिंगापुर जानेकी कोई बात नहीं है। फिलहाल अभी तो मैं यहीं काममें बँधा हुआ हूँ। यदि मै यूरोप नहीं जाता, तो मेरा बर्मा जाना निश्चित है। मैं दो महीने वहाँ रहूँगा, पहाड़ी इलाकोंमें जाऊँगा और वहाँ निवासके दौरान चन्दा इकट्ठा करूँगा।

मै तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें किसी दिन अमीर लोगों और मुन्नर शिक्षित वर्गको अलग रखकर तीव्र आन्दोलन आरम्भ करना होगा। परन्तु वह समय अभी नहीं आया है।

तुमने मुझे यह नही बताया कि कमला गर्मीके महीने कहाँ गुजारेगी।

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१४७) की फोटो-नकलसे।

२०१. पत्र : एच० एम० अहमदको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं इसे एक मित्र[1] के पास भेज रहा हूँ जो आपके प्रश्नोंका उत्तर मेरी अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरहसे दे सकते हैं; मैंने उन्हें सीधा आपको लिखनेके लिए कह दिया है।

हृदयसे आपका,

एच० एम० अहमद महोदय
सेयूमान्स्ट्रासे १७
बर्लिन एन० डब्ल्यू० ६

अंग्रेजी (एस० एन० १४२७६)से।

२०२. पत्र : शुएब कुरेशीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१ अप्रैल, १९२८

प्रिय शुएब,

तुम कभी पत्र नहीं लिखते और मैं भी ले-देकर तुम्हारी इस बुरी मिसालकी ही नकल करता हूँ। इस अप्रिय आचरणको भंग करनेका एक अवसर अपने आप आ गया है।

मैं इस पत्रके साथ एक पत्र नत्थी कर रहा हूँ। तुम इन दो प्रश्नोका उत्तर मेरी अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह दे सकते हो। मैंने अहमदको लिख दिया है कि मैंने वह पत्र तुम्हारे पास भेज दिया है। इसलिए उनके दोनों प्रश्नोका उत्तर जितना संक्षेपमें दे सको दे देना।

तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तुमसे बड़ी-बड़ी उम्मीदें हैं।

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१४८) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए अगला शीर्षक।

२०३. पत्र: सदाशिवम्को

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१ अप्रैल, १९२८

प्रिय सदाशिवम्,

कलकत्ताके श्रीयुत जीवनलालजीको विश्राम और जलवायु-परिवर्तनकी जरूरत है। उन्हें बंगलोर जानेकी सलाह दी गई है। क्या आप कृपया एक छोटा-सा बंगला या मकान [उनके लिए] महीनेके हिसाबसे ले लेंगे? इसमें रोशनीका अच्छा प्रबन्ध होना चाहिए। यह काफी हवादार और खुला होना चाहिए। यह जितना एकान्तमें हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि पुनः स्वास्थ्य-लाभके लिए एकान्त चाहिए। आसपास की जगह सफाई की दृष्टिसे सर्वथा निर्दोष और अच्छी होनी चाहिए यदि [महीना] समाप्त होनेसे पहले ऐसा बंगला मिल जाये तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उसकी स्थिति और किराया बताते हुए तार कर दें। मैं चाहूँगा कि आप इस मामले पर जल्दी ध्यान दें।

श्रीयुत जमनालालजीकी पेढ़ीकी मद्रासमें एक शाखा है। मुमकिन है मद्रासका उनका एजेंट इस बारेमें आपसे मिले। तब आप कृपया उसकी सहायता कर दें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१४९) की माइक्रोफिल्मसे।

२०४. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१ अप्रैल, १९२८

प्रिय चार्ली,

मुझे तुम्हारे पत्र नियमित रूपसे मिलते रहे हैं। परन्तु मुझे तुम्हें लिखनेका समय कभी नहीं मिल पाता। मुझे तुम्हारा तार भी मिला है। रोलाँका अपेक्षित पत्र मिल गया है। ऐसा लगता है कि मेरे वहाँ जानेका विचार उन्हें पसन्द है, और वे पहलेसे ही मुझे निमन्त्रण देनेके लिए संस्थाओंको प्रेरित कर रहे हैं। परन्तु जैसे-जैसे निर्णय करनेका समय नजदीक आता जा रहा है, मैं अधिकाधिक असमंजसमें पड़ता जा रहा हूँ। अन्तिम निर्णय पर पहुँचनेसे पहले मैं अब भी उनके अपेक्षित समुद्री तारकी प्रतीक्षामें हूँ।

श्री मुकुल डे यहाँ हैं, आते ही उन्होंने तुरन्त अपना काम शुरू कर दिया।

मै अभी अम्बालालसे बात नहीं कर सका हूँ। लेकिन मैं बात करूँगा जरूर। मुझे आशा है कि रतिकी पत्नीकी बीमारी तपेदिककी नही हैं। क्या तुम गुरुदेवको यूरोपमें काफी समय तक विश्राम करनेके लिए राजी नहीं कर सकते? उनपर इतनी जल्दी बुढापा आ जाये, इसका कोई कारण नही है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१५०) की फोटो-नकलसे।

२०५. पत्र: रामजीदास जैनीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मुझे लगता है कि शायद आश्रम दूर होनेके कारण ही सुहावना लगता है। मैं सोचता हूँ कि क्या आप इस उम्रमें, जब कि आप विशेष रहन-सहनके आदी हो चुके हैं, अपने अपेक्षाकृत सुविधामय जीवनको आश्रमके कठिन जीवनके अनुकूल बदल सकेंगे या नहीं। फिर भी यदि आप आश्रममें रहनेके अत्यन्त इच्छुक हैं, तो आप सबसे पहले आश्रमके संविधानका अध्ययन करे और तब कुछ दिन यहाँ आकर रहें और यहाँका जीवन स्वयं देखें।

मुझे खेद है कि इस वक्त मेरे पास संविधानकी कोई प्रति नही है। परन्तु यह संविधान, नटेसन प्रकाशनसे निकले मेरे भाषणों और लेखोंके संग्रहमें उद्धृत है। सविधानमें परिवर्तन हुए है, परन्तु वे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हैं। आप इसमें देखेंगे कि आश्रमवासियोंके लिए ब्रह्मचर्यका पालन करना अनिवार्य है।

हृदयसे आपका,

राय साहब रामजीदास जैनी
डाकखाना मजीठा, जिला अमृतसर

अंग्रेजी (एस० एन० १३१३८-ए०) की माइक्रोफिल्मसे।

२०६. पत्र : रेमिंगटन टाइपराइटर कम्पनी बम्बईको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१ अप्रैल, १९२८

प्रिय महोदय,

आपके पास मामूली-सी मरम्मत और सुधारके लिए ६१६२५ नम्बरका जो सफरी रेमिंगटन टाइपराइटर मैंने भेजा था, वापस मिल गया है।

मुझे यह कहते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि मशीन ठीक चल रही है और उससे मुझे पूरा सन्तोष है।

सधन्यवाद,

आपका विश्वस्त,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१४६)की माइक्रोफिल्मसे।

२०७. पत्र : सत्यानन्दको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
३ अप्रैल, १९२८

प्रिय सत्यानन्द बाबू,

आपका पत्र मिला। मुझे यह सोचकर हर्ष होता है कि आप मुझे कभी-कभी याद जरूर कर लेते हैं। आपने 'यंग इंडिया'के पृष्ठोंमें देखा होगा कि मैं मिल-मालिकोंको विदेशी वस्त्र बहिष्कार सफल बनानेका बोझ अपने कन्धोंपर लेनेके लिए प्रोत्साहित करनेका भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। हो सकता है कि फिलहाल हम समझौता-वार्त्तासे ज्यादा कुछ न कर सकें। यदि फिलहाल हम कुछ न कर सके तो भी इससे भावी कार्यवाहीके लिए रास्ता साफ हो जायेगा।

यूरोप जानेके औचित्यके बारेमें मैं स्वयं अपने मनमें पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ। इसलिए मैं अब भी उस विचारको अपने आप अँकुरने दे रहा हूँ, और अब भी अन्तरात्माकी आवाजकी प्रतीक्षामें हूँ। मुमकिन है कि अगले पखवाड़ेमें इस मामलेका फैसला हो जाये। बहरहाल अगर समझौता-वार्ताको कोई मूर्त रूप दे दिया जाये तो निस्सन्देह मैं नहीं जाऊँगा; क्योंकि तब मैं इस विश्वाससे अपने मनको समझा सकता हूँ कि बहिष्कारको सफलतासे चलानेके लिए भारतमें मेरी लगातार उपस्थिति अनिवार्य होगी।

आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१५५) की फोटो-नकलसे।

२०८. पत्र : रामी गांधीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
३ अप्रैल, १९२८

चि० रामी,

तुम्हारा पत्र मिला। इस बार तुम्हारे अक्षर सुन्दर नहीं कहे जा सकते। पंक्तियाँ टेढ़ी हैं। कुसुमका स्वास्थ्य सुधरना चाहिए। राष्ट्रीय सप्ताहमें खादीके लिए विशेष कामका प्रयत्न करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९७०७) की फोटो-नकलसे।

२०९. पत्र : ना० र० मलकानीको

आश्रम
साबरमती
४ अप्रैल, १९२८

प्रिय मलकानी,

तुम्हारा तार मिला। मैं जयसुखलाल गांधीको नहीं लेकिन मथुरादासको, जो यह पत्र ला रहे हैं, भेज रहा हूँ। सम्भवतः वे इस कामके लिए ज्यादा उपयुक्त हैं, क्योंकि उनका अंग्रेजीका ज्ञान ज्यादा अच्छा है और कच्छ-निवासी होनेके कारण वह वहाँके बहुतसे लोगोंकी भाषा और आदतोंको जानते हैं। निस्सन्देह वह मँजे हुए कार्यकर्त्ता हैं। वह इधर कई सालोंसे खादीका काम करते आ रहे हैं और उन्हें कपड़ेके व्यापारका विस्तृत ज्ञान है। उनका जन्म और पालन-पोषण मलाबारमें हुआ है। वास्तवमें वह लक्ष्मीदासके साथ आये थे। अभी-अभी उन्हें विद्यापीठमें चरखेका काम बढ़ानेके लिए काका साहबने ले लिया है। इसलिए वह तुम्हें विद्यापीठसे कुछ समयके लिए दिये जा रहे हैं। उनका मानदेय विद्यापीठसे दिया जायेगा। फिलहाल उनकी यात्राका खर्च तुम्हारे खातेमें से अर्थात् समितिके खातेसे दिया जा रहा है। परन्तु यदि रेल-यात्राके खर्चेकी अदायगीमें कोई कठिनाई हो, तो तुम मुझे बताना। मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम उन्हें १५ मईके बाद नहीं रखना चाहोगे। यदि उसके बाद भी तुम्हें किसी व्यक्तिकी जरूरत हो, तो मुझे कोई दूसरा आदमी भेजना पड़ेगा, क्योंकि

काका साहबको पहली जूनको उनकी जरूरत पड़ेगी। और इससे पहले वह अपने परिवारको लानेके लिए कालीकट जाना चाहेंगे।

तुम्हारे अपने मानदेयके सम्बन्धमें, अब तक मुझे ठक्कर बापाका पत्र मिल गया है। ठक्कर बापा कहते हैं कि तुमने उन्हें भी बताया था कि तुम १५० रु०से ज्यादा नहीं लेना चाहोगे। यह क्या है? मुझे रु० २०० लेनेमें कोई एतराज नहीं दिखता। परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि तुम पहले रु० १५० पर राजी क्यों थे और बादमें तुम्हें अपनी माँग क्यों बढ़ानी पड़ी? मैं चाहता हूँ कि हम सब सोच-समझकर काम करें और जो कुछ तय करें उसपर दृढ़ रहें। अपने पुनरुद्धारकी आशा मुझे इसी बातमें दिखाई देती है कि हममेंसे कमसे-कम कुछ लोगोंमें निर्णय करनेकी और सोच-विचार करनेकी शक्ति तथा अन्य ऐसे गुण विकसित हों। तुम इसको अन्यथा न लेना। और रु० १५० पर ही तबतक फिरसे राजी न हो जाना जबतक कि तुम्हारे लिये सहायता कार्य करते हुए सचमुच वैसा सम्भव न हो। यदि तुम्हें ऐसा लगे कि तुमसे भूल हो गई है या तुमने श्रीमती मलकानी और दूसरे सम्बन्धित लोगोंसे पूर्वानुमति लिये बिना डेढ़ सौ रुपया लेनेको कह दिया था, तो तुम यह विनम्रता-पूर्वक अवश्य स्वीकार कर लो और दो सौ माँगो। तुम समझ ही रहे होगे कि मैं यह सब किसलिए लिख रहा हूँ या तुम नहीं समझ रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आशाके अनुरूप सिद्ध होओ।

हृदयसे तुम्हारा,
बापू

श्रीयुत ना० र० मलकानी

अंग्रेजी (जी० एन० ९२७) की फोटो-नकलसे।

२१०. पत्र : ए० ए० पॉलको

आश्रम
साबरमती
४ अप्रैल, १९२८

प्रिय राजन्,

आपने मुझसे बड़ा कठिन प्रश्न पूछा है। परन्तु आपकी पूरी दलीलपर बड़े ध्यानसे गौर करनेके बाद मेरा यह मत है कि फैलोशिपसे सम्बन्धित तमाम अवधिके कामके लिए आपको मानदेय स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आपका ध्यान दो न्यासोंके बीच बटा रहा, तो आप इसमें अपना चित्त नहीं लगा सकेंगे। एक या दूसरेकी या दोनोंकी हानि ही होगी, विशेष कर जब दोनोंमें अक्सर संघर्ष होनेकी सम्भावना हो। इस सिद्धान्तके आधारपर कि मजदूरको उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, अपने फैलोशिपके कामके लिए आपके मानदेय स्वीकार कर लेनेमें मुझे कोई नैतिक आपत्ति नहीं दिखती।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत ए० ए० पॉल
७ मिलर रोड
किल्पॉक
मद्रास

अंग्रेजी (एस० एन० १३१६०) की फोटो-नकलसे।

२११. पत्र: बी० शिवा रावको

आश्रम
साबरमती
४ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपके लिए ज्यादासे-ज्यादा अच्छा जो कुछ मैं कर सकता हूँ, उसे इस पत्रके साथ नत्थी[1] कर रहा हूँ। आप एक लेख चाहते हैं। मुझसे लेख ले पाना ऐसा ही है जैसे किसी पाषाण हृदयसे दयाकी आशा रखना।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत बी० शिवा राव
थियोसोफिकल सोसाइटी
अड्यार
मद्रास, द०

अंग्रेजी (एस० एन० १३१५८) की फोटो-नकलसे।

२१२. सन्देश: 'न्यू इंडिया' को

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
४ अप्रैल, १९२८

'न्यू इंडिया' के लिए मैं अपनी शुभ कामनाएँ भेजता हूँ; वह वर्षों तक देशकी उपयोगी सेवा करता रहे। ईश्वर करे कि इसके पुनर्जीवनसे स्वराज्यका आगमन पास आये।

अंग्रेजी (एस० एन० १३१५८) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए अगला शीर्षक।

२१३. भाषण: आश्रमकी प्रार्थना सभामें

[४ अप्रैल, १९२८][1]

हनुमानके अनुकरण करनेकी दिशामें पहला पाठ यह है कि हम जो भी काम कर रहे हो, उसीमें सारा ध्यान लगा दें। यह करनेके लिए आँखें निश्छल और सच्ची रखनी चाहिए। आँखें सारे शरीरका दीपक है और उसे आत्माका दीपक भी कह सकते है। क्योकि जबतक शरीरमें आत्मा है, तबतक आँखसे उसकी परीक्षा हो सकती है। मनुष्य शायद अपने वचनसे आडम्बरपूर्वक अपने आपको छिपा सकता है, मगर उसकी आँखें उसे जाहिर कर देंगी। उसकी आँख सीधी और निश्छल न हो तो अन्तर परख लिया जायेगा। जिस भाँति जीभकी परीक्षा करके हम शरीरके रोग परखते है; उसी भाँति आँखकी परीक्षा करके आध्यात्मिक रोग परखे जा सकते है। इसलिए लड़कोको बचपनसे ही आँखें निश्छल रखनेकी टेव डालनी चाहिए।

हनुमानकी आँखें निश्छल थी। उनसे सदा यह प्रकट होता था कि रामका नाम जिस तरह उनके मुँहमें था, उसी भाँति हृदयमें भरा हुआ था, उनके रोम-रोममें व्याप्त था।

हम अखाड़ोमें हनुमानकी जो स्थापना करते है वह मुझे अच्छा लगता है मगर इसका अर्थ यह नही है कि हम केवल शरीरसे ही बलवान होना चाहते है या, हनुमानके केवल शरीर-बलकी ही आराधना करते हैं। शरीरसे जरूर बलवान् बनें मगर साथ ही यह भी जान लें कि हनुमानका शरीर राक्षसी न था, वे तो वायुपुत्र थे, यानी उनका शरीर फूलके समान हलका था, और तो भी कसा हुआ था। किन्तु हनुमानकी विशेषता, उनके शरीरबलमें न थी; उनकी भक्तिमें थी। वे रामके अनन्य भक्त थे, उनके दास थे। रामके दासत्वमें ही उन्होने सर्वस्व माना और उन्हें जो कोई काम सौंपा गया, उसे वायुकी गतिसे किया। इसलिए हम हनुमानकी जो आराधना करते हैं, हम व्यायाम-शालामें हनुमानकी जो स्थापना करते है, वह इस अर्थमें कि व्यायाम करके भी हम भारतवर्षके दास, जगतके दास और उसीसे ईश्वरके दास बननेवाले हैं। इस दासत्वमें हमें परमेश्वरकी झाँकी मिलेगी।

इसलिए हम यह भी न कहें कि हम केवल ब्रह्मचर्यके आदर्शके लिए ही हनुमानकी आराधना करते हैं। सभी सेवकोको ब्रह्मचर्यका पालन अवश्य करना ही होगा। जिसने सेवाका व्रत लिया, वह भला विषयोका सेवन कैसे कर सकेगा? पिता-माताकी सेवा जैसी संकुचित सेवाके लिए भी पुत्रके संयमी बननेकी आवश्यकता है। जैसा विषयी मै बना था,[2] वैसा बनकर यह सेवा नही की जा सकती। उसी तरह जिसे आश्रमकी सेवा करनी है, स्त्री-पुरुषों, बालक-बालिकाओंकी सेवा करनी है, उसके लिए

१. प्रज्ञाबन्धुमें दिये गये विवरणके अनुसार यह भाषण हनुमान जयन्तीके अवसरपर दिया गया था।

२. देखिए खण्ड ३८।

विषयका सेवन करनेसे कैसे काम चल सकेगा? और आश्रमकी सेवा तो महज एक छोटी-सी सेवा है, समुद्रमें एक बिन्दु मात्र है। इसलिए जिसे जगतकी सेवा करनी है, वह तो विषयसे भागता ही फिरेगा।

किन्तु विषयोंमें से मनको उठा लेना हो तो यह काम केवल उपवाससे या तपश्चर्यासे ही नहीं होगा; किन्तु हनुमानकी जैसी भक्तिसे हो सकता है। यानी ब्रह्मचर्य और दूसरी सभी वस्तुओंकी कुंजी एकनिष्ठ भक्तिमें है। हम रोज संध्यामें गाते हैं;

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः।
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते।।

निराहारीकी इन्द्रियाँ भले ही शान्त हो जायें, किन्तु विषयोंमें उनका रस शान्त नहीं होता। इन्द्रियाँ जब शिथिल होती है, तब प्रायः मन अधिक चंचल हो जाता है, विषयोंकी ओर भी अधिक दौड़ता है; यह रस भी रामजीके दर्शनसे शान्त हो जाता है। यह हनुमानजीका कौल है, हनुमानके जीवनसे यह पदार्थपाठ सीखना है।

कल मैंने ब्रह्मचर्यके बारेमें एक ऐसे विशेषणका प्रयोग किया है, जो पहले कभी नहीं किया था। वह यह कि मैंने हनुमानके ब्रह्मचर्यको सात्विक ब्रह्मचर्य कहा। यों ब्रह्मचर्यकी स्तुति करते हुए उसके तीन भेद सात्विक, राजस और तामस दिखलाई पड़े। हनुमानका ब्रह्मचर्य सात्विक था, जब कि मेघनादका ब्रह्मचर्य राजसी था। राजसी ब्रह्मचर्यका पालन करनेवालेमें क्रोध होता है, अभिमान होता है। सात्विकमें समर्पण होता है। दोनों ही शरीरबलमें एक दूसरेसे बढ़े-चढ़े हुए थे। किन्तु हनुमान मेघनादको इसलिए हरा सके, क्योंकि मेघनाद अभिमानी था; जबकि हनुमान भक्ति-भीने थे और इसलिए उनमें विशेष बल था।

इसलिए आँखें बिलकुल निश्छल, हाथ पैर ठीक तथा जीभ सच्ची रखनेकी शक्ति और इस प्रकार कुछ अंश तक हनुमानका अनुकरण करनेकी भी शक्ति पैदा करनी चाहिए। ब्रह्मचर्यका पालन करके शरीरको सुदृढ़ जरूर करना है, किन्तु वह इसीलिए कि हमें शरीरसे भी रामकी भक्ति करनी है, और भक्त बनकर जगतके सेवक बनना है। केवल बाह्य बातोंको ही संभालनेसे अन्तर भी नहीं सम्भल जायेगा, किन्तु हम जो बाहरको भी सम्भालते जायेंगे और वह सब केवल बाह्याडम्बर न हो तो किसी दिन मन भी स्थिर हो जायेगा, और तभी हम किसी दिन हनुमानकी बराबरी कर सकेंगे।

[गुजरातीसे]
नवजीवन ८-४-१९२८

२१४. अछूतोंको याद रखो

इस अंकके प्रकाशित होनेके बाद दो दिनोंके भीतर राष्ट्रीय सप्ताह आ जायेगा। आत्मशुद्धिकी प्रक्रियामें हम किसी समय शराब-ताड़ीकी दुकानों पर धरना देते थे। कोयम्बटूरकी आदि द्राविड़ सभाके सदस्यों द्वारा दिये गये मानपत्रके इस अंश[1] को पढ़ते समय मेरे मनमें (सन् १९२१ के) उसी जमानेकी याद हो आती है:

> . . . मगर पुरानी हालत जरा भी नहीं बदली है। दूसरे हिन्दू हमारी आत्मासे भी घृणा करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग मन्दिरोंमें परमात्माकी पूजा भी नहीं कर पाते। . . . हमारे लिये गिरजाघरों और मस्जिदोंके दरवाजे बराबर खुले हैं और उनकी देखरेख करनेवाले मिशनरी हमारा खुले दिलसे स्वागत करते हैं। हम लोगोंके रहनेकी जगहों, 'चेरियों' के भीतर ही या उनके निकट शराबकी दुकानें खोलकर सरकार हमारे नवयुवकोंको प्रलोभनमें डालती है। अगर इन दुकानोंके बदले उद्योगशालाएँ खुल जायें, और आबकारी ठेकेदारोंके बदले समाज-सेवक लोग हमपर कृपादृष्टि डालें, तो हमें जरा भी शक नहीं है कि हमारी दशा बहुत थोड़े ही समयमें सुधर जायेगी। इसलिए हम आपसे हार्दिक आग्रह करते हैं कि आप हमारी जातिको सर्वनाशसे बचानेके लिए हमारी चेरियोंके भीतर या उनके निकट औद्योगिक शालाएँ खुलवानेमें मदद करें।

राष्ट्रीय सप्ताहमें हमें इस बातपर विचार करनेकी जरूरत नहीं है कि सरकारने क्या किया है और क्या नही किया है। किन्तु हमें इसपर जरूर विचार करना है कि हमने क्या किया है और क्या कुछ और कर सकते है। इसमें तो कोई शक ही नही है कि अस्पृश्यताके विरुद्ध लोकमत दिनो-दिन बढ़ता जा रहा है, फिर भी उस दिशामें सार्वजनिक प्रयत्न अभी निर्बल ही है। अभी तक हम पुजारियोको दलित वर्गोंके लिए सार्वजनिक मन्दिरोके दरवाजे खोलनेके लिए भी राजी नही कर सके हैं, और न एक भी शराब या ताड़ीकी दुकानके बदले औद्योगिक शाला या ऐसा जलपान-गृह खोल सके है,, जहाँपर उन्हे उस गर्म, उत्तेजक शराबके बदले पौष्टिक पेय और स्वच्छ परिस्थितियोमें स्वास्थ्यकर वस्तुएँ खानेको मिल सकें।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया ५-४-१९२८

१. केवल कुछ अंश ही यहाँ दिये जा रहे हैं।

२१५. बाघात रियासत और जनेऊ

गत २२ मार्चके 'यंग इंडिया' में बाघात रियासतमें कोलियोंके साथ वर्तावपर, मेरी टिप्पणीके[1] सिलसिलेमें नई दिल्ली आर्य-समाजके सभापति लिखते हैं:[2]—

पत्र-लेखक सभापति महोदय, और कोई नहीं, दिल्लीके नामी परोपकारी समाज-सेवी कार्यकर्त्ता राय साहब लाला गंगाराम हैं। लाला गंगारामके पत्रसे तो इन पृष्ठोंमें प्रकाशित पत्रमें लगाये गये इल्जामोंकी सच्चाईके बारेमें कोई शक नहीं रह जाता है। मैंने आशा की थी कि शायद उनको सूचना देनेवाले लोगोंने बाघात रियासतमें हुई वारदातोंको बढ़ा-चढ़ा कर कहा हो और तथाकथित अछूतोंको जनेऊ पहनना रियासतने गुनाह करार न दिया हो। मेरे सामने रियासतके प्रधान-मन्त्री द्वारा लाला गंगारामके नाम लिखे पत्रकी नकल है। पत्र इस प्रकार है:

> १० जनवरी, १९२८ के आपके पत्रके जवाबमें मुझे खेदके साथ कहना पड़ता है कि इस मुकदमेमें चूंकि आर्य-समाज एक पक्ष नहीं था, इसलिए आपको रियासतकी ओरसे उस फैसलेकी नकल नहीं दी जा सकती।

मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जवाब देनेका ढंग बहुत ही बुरा है। वह कुछ अंग्रेज अफसरोंके अत्यन्त नपे-तुले और एक ही ढर्रेके पत्रोंकी भौंड़ी नकल है, जो जरा टेढ़े सवाल पूछनेवालोंको भेजे जाते है। परन्तु ये माननीय सज्जन साधारणतः प्रतिष्ठा और पद की इज्जत करते हैं तथा जवाब देनेसे बचनेके लिए भद्दे तौरपर नई बातें पैदा नहीं करते हैं। बाघात रियासतके प्रधानमन्त्रीने समाजमें लाला गंगारामकी स्थिति (मेरा मतलब उपाधिको छोड़कर उनकी स्थितिसे है) की उपेक्षा करनेका दुःसाहस किया है और उन्हें अपमानित करनेके लिए वैसी बातोंकी कल्पना कर ली है, जिनका जिक्र तक लाला गंगारामने अपने पत्रमें नहीं किया था। क्योंकि उन्होंने न तो फैसलेकी नकल माँगी थी और न बेचारे कोलियों के मुकदमे में शरीक होनेका ही दावा किया था। यह मामला दर असल हिन्दू महासभाको अपने हाथोंमें लेना चाहिए। मुझे पता नहीं है कि महासभा तथाकथित अछूतोंका जनेऊ पहनना पसन्द करती है या नहीं। वह पसन्द करे या न करे, किन्तु पहननेवालोंपर अत्याचार किया जाना तो वह कभी पसन्द नहीं कर सकती। यज्ञोपवीत ज्यों ही कुछ खास लोगोंका इजारा हो जाता है तथा उस इजारेको भंग करनेवालोंको दण्ड दिया जाता है, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। यह पवित्र तब था और इसलिए था कि इसे धारण करनेवाले पुरुष विद्वान और पवित्र होते थे। अगर बाघात रियासतकी जो बात कही जाती है उसका असर दूसरोंपर भी पड़ने लग जाये तो फिर शीघ्र ही यह अवनतिका चिह्न बन जायेगा।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ५-४-१९२८

१. देखिए "टिप्पणियाँ", २२-३-१९२८ का उप-शीर्षक "क्या यह सच हो सकता है"।
२. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

२१६. अ० भा० चरखा संघकी वार्षिक रिपोर्ट

अ० भा० चरखा संघकी अपनी दूसरी सालाना रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है। यह रिपोर्ट बिलकुल व्यावहारिक और शिक्षाप्रद है। रिपोर्ट ३१ अठपेजी पृष्ठोंमें छापी गई है और परिशिष्ट २४ पृष्ठोंमें हैं। मैं तो पाठकोंसे यही कहूँगा कि पहले वे परिशिष्ट ही पढ़ जायें। उनसे संघकी आमदनी और खर्चका ब्यौरेवार और जाँचनेपर सही प्रमाणित किया गया हिसाब मिल जायेगा। पाठकको एक नजरमें ही मालूम हो जायेगा कि किस तरह २० लाख रुपयोंकी पूंजी एक सर्वाधिक विस्तृत और इसलिए सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्योगमें लगी है। अगर पाठक इन आँकड़ोंको ध्यानपूर्वक पढ़ें तो वे अपनी आमदनीका एक अंश इस व्यवसायमें लगानेका महत्व समझ सकेंगे और इससे जो लाभ होगा, वह उन गरीब गाँववालोंकी समृद्धिके रूपमें होगा जिनके श्रमपर उनकी अपनी आमदनी निर्भर है। परिशिष्टोंमें अ० भा० चरखा संघके प्रस्ताव भी दिये गये हैं, जिनमें बतलाया गया है कि संघकी सामान्य नीति क्या है, किन शर्तोंपर संघ किसीको कर्ज देता है, किन बातोंपर संघके डिपोको माल उधार दे सकते हैं, किस तरह खद्दरके स्वतन्त्र व्यापारियोंको सहायता दी जाती है तथा खद्दरकी फेरी करनेवालोंको क्या कमीशन मिलता है। इसके अलावा परिशिष्टोंमें संघका विधान भिन्न-भिन्न एजेन्सियों या शाखाओंका परिचय और पता, और दूसरी जानने लायक बातें दी हुई हैं।

परिशिष्ट देख चुकनेके बाद अगर पाठकके पास घंटा, आधा घंटा समय हो तो, वह रिपोर्ट पढ़े। रिपोर्टसे पता चलेगा कि खादीने कितनी प्रगति की है। उसीसे अ० भा० देशबन्धु स्मारक कोषकी हालतके बारेमें भी पता चलेगा। जब कि सन् १९२५-२६ में कुल रु० २३,७६,६७० की खादी बनी थी सन् १९२६-२७ में कुल रु० २४,०६,३७० की बनी और उसी समयमें बिक्री भी क्रमशः रु० २८,९९,१४३ और रु० ३३,४८,७९४ की हुई। खादी कोषमें धन देनेवालोंको इन आँकड़ोंसे यह सन्तोष हो जायेगा कि खादीका काम घाटेमें नहीं चल रहा है, बल्कि काफी अच्छी तरहसे प्रगति कर रहा है। पिछली रिपोर्टके अनुसार कतैयोंकी संख्या ५०,००० थी, इस सालकी रिपोर्टमें उनकी संख्या; बढ़कर, ८३,३३९ हो गई है, और इनसे ५,१९३ बुनकरोंको काम मिल रहा है। संघकी शाखाओंके जरिये पिछले साल १,५०० गाँवोंमें हाथ-कताईका काम हो रहा था। अब इस साल, २,३८१ गाँवोंमें हो रहा है। जैसे कि पिछली बार भी रिपोर्टमें कतैयों और गाँवोंकी संख्या कम ही बतलाई गई थी, उसी तरहसे इस बार भी कम ही बतलाई गई है। खादीके १७७ उत्पादन केन्द्र हैं, जिनमें ६२ संघके, ४१ संघसे सहायता प्राप्त और ७४ स्वतन्त्र है। २०४ [बिक्री] केन्द्र है, जिनमें ११५ संघके, ४४ सहायता प्राप्त और ४५ स्वतन्त्र है। संघके तथा सहायता प्राप्त संस्थाओंके अधीन कुल मिलाकर ७४८ कार्यकर्त्ता हैं। इनमें स्वतन्त्र संस्थाओंमें

काम करनेवालोंकी संख्या शामिल नहीं की गई है। सूतकी किस्म सुधारनेके बारेमें रिपोर्टमें लिखा है:[1]

यह भी सन्तोषकी बात है कि कपड़ेकी किस्ममें सुधार होनेके साथ-साथ दर बराबर घटती ही गई है। खादीकी विशेष सेवाके बारेमें तकनीकी विभागकी दी हुई निम्न जानकारी भी रोचक होगी:[2]

रिपोर्टके और दूसरे मनोरंजक अंशोंको मुझे छोड़ ही देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि मैंने इतनी बातोंसे रिपोर्ट मँगानेकी इच्छा पाठकोंके दिलोंमें जगा दी होगी, जो अ० भा० चरखा संघ, मिर्जापुर, अहमदाबाद से ४ आनेके डाक-टिकट भेजने पर मिल सकती है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ५-४-१९२८

२१७. श्री शास्त्रीका आत्म-त्याग

परम माननीय श्रीनिवास शास्त्रीने निश्चित अवधिसे अधिक समय दक्षिण आफ्रिकामें ठहरनेका जो निर्णय किया है उससे वहाँके भारतीय प्रवासियोंके हृदय प्रफुल्लित हो उठेंगे। उससे भारतके दक्षिण आफ्रिकी प्रश्नमें दिलचस्पी रखनेवाले और उस उप-महाद्वीपके घटना-क्रमका चिन्तापूर्वक अध्ययन करनेवाले लोगोंको भी प्रसन्नता हुई है और उनकी बेचैनी कम हुई है। यूरोपीय श्री शास्त्रीको घनिष्ठ रूपसे जाननेपर उनके प्रति उदासीन अथवा निरुत्साह नहीं हुए हैं, बल्कि वे भारतीय एजेंट जनरलको अपना मित्र और परस्पर मेल-मिलाप करानेवाला मानने लगे हैं। श्री शास्त्री सामान्य औपचारिकताओंका भी ध्यान रखनेवाले नितान्त निष्पक्ष व्यक्ति हैं और जहाँ दृढ़ताकी आवश्यकता होती है वे वहाँ दृढ़ता दिखाते हैं। इससे गोरे लोगोंके मनमें उनके प्रति विश्वास और आदरका भाव उत्पन्न हो गया है। कृतज्ञ भारतीयोंने अपने इस असाधारण देशवासीकी योग्यता जल्दी ही जान और समझ ली थी और इसीलिए वे उनसे अनुरोध कर रहे थे कि वे किसी तरह यदि हो सके तो दक्षिण आफ्रिकामें अपनी अवधिसे अधिक रह जायें। अब उन्हें संगठित होकर और अपनी ओरसे समझौतेका पूरी तरहसे ठीक-ठीक पालन करके उनके प्रति अपना प्रेम और आदर व्यक्त करना चाहिए। मैं श्री शास्त्रीको उनके इस त्यागपर बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे अपनी अवधि समाप्त होने पर स्वदेश लौटनेके लिए कितने व्यग्र थे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ५-४-१९२८

१. यहाँ नहीं दी जा रही है।
२. यहाँ नहीं दी जा रही है।

२१८. बहिष्कार पर एक मिल-मालिक

अहमदाबादके एक मिल-मालिक लिखते हैं :[1]

यह पत्र मनको ताजगी देनेकी हद तक निश्छल है। अगर दूसरे मिल-मालिक भी इस पत्र-लेखककी तरह चीजोंके दाम स्थिर करने और फलस्वरूप कपड़ोंके दाम निश्चित कर डालनेकी सम्भावनाके बारेमें सोचते, तो क्या ही अच्छा होता। यह जानकर भी अच्छा लगा कि कपासकी कीमतोंमें घट-बढ़ होनेका कपड़ेके दामपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि पत्र-लेखकका मत मेरे इस मतसे भिन्न है, फिर भी मैं यह कहूँगा कि अगर हम विदेशी वस्त्रका बहिष्कार कर सकें तो हम कपासके भावपर भी अंकुश रख सकेंगे। हमारी रुईके भावके मामलेमें अमेरिकाकी इसलिए चलती है कि हम अपनी बहुत-सी रुई बाहर भेजते हैं और वह भी उन्ही देशोंमें जहाँ अमेरिका अपनी रुई बेचता है। अगर हम कपडा खरीदनेवालेसे उसकी देश-भक्तिके नामपर आग्रह करना सम्भव मानें, जैसा कि वह सम्भव साबित हो चुका है, तो कपास उपजानेवालेसे देशभक्तिके नामपर आग्रह करना उतना ही सम्भव है। वास्तवमें विदेशी वस्त्रके बहिष्कारका महत्व भी इसीलिए है कि उसकी सफलताके लिए राष्ट्रके सभी अंग उसमें स्वेच्छापूर्वक शामिल हों। जबतक गाँवोंका विशाल जन-समूह उसमें खुशीसे और पूरे मनसे साथ न दे, वह सफल नही हो सकता। इस आन्दोलनमें मेरा विश्वास इसीलिए अडिग बना है कि मैं जानता हूँ कि गाँवोंकी आम जनता समझदार है। रास्ता तो केवल दूसरे ही वर्गोके लोग रोकते हैं, क्यों कि उनमें श्रद्धाकी कमी है। यदि वे अपना भय और अश्रद्धा त्याग दें तो जनता उनका अनुसरण करेगी। केवल यही एक ऐसा बहिष्कार है, जिसमें जनता बिना बहुत बडा त्याग किये, सक्रिय रूपसे हिस्सा ले सकती है।

मैं पत्र-लेखकसे इस बातमें सहमत नही कि हमारी मिलोंमें कपड़ा बनानेके लिए नकली रेशम बेखटके काममें लाया जा सकता है। नकली रेशमकी तुलना बिलायती रंग या माँडीके साथ करनेमें जल्दबाजी की गई है। अभी तो हम केवल विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करना चाहते हैं, न कि विदेशी रंगों या माँडीका। इसीलिए सभी किस्मके विदेशी धागे, चाहे वे असली या नकली रेशम, ऊनी या सूतके हों, त्याज्य होने चाहिए। अगर हम विदेशी नकली रेशमी धागेके इस्तेमालको बेखटके काममें लानेकी छूट दे दें, तो फिर विदेशी सूती या ऊनी या असली रेशमी धागेकी भी छूट क्यों न दें?

मगर विदेशी रुईकी बात इससे बिलकुल जुदा है। हमें विदेशी रुईका बहिष्कार करनेकी जरूरत नही है, क्योंकि वह कच्चा माल है। हमें उस भूखों मरती जनताके लिए, जो सालमें ४ महीने थोपी गई बेकारीमें रहती है, उस मालका बहिष्कार अवश्य

१. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

ही करना चाहिए — वह है विदेशी सूत और कपड़ा; इसे हमारी जनता अपनी झोंपड़ियोंमें स्वयं कात और बुन सकती है।

स्वदेशी मिलोंका कपड़ा भी अगर इस जनताको दूसरा ऐसा ही काम दिये बिना उनकी रोजी छीन ले, तो हम उसे भी सहन न करें। राष्ट्रीय जीवनकी अर्थ-व्यवस्थामें मिलोंका इतना ही स्थान है कि वे करोड़ों घरोंमें चलनेवाले हाथ-कताईके हमारे राष्ट्रीय उद्योगके शेष कामकी पूर्ति करें। मिलें अगर उन्हींसे मुकाबला करने लगें और उनकी जगह लेने लगें, तो वे बाधा-स्वरूप बन जायेंगी। उनकी स्वाभाविक प्रकृति तो गाँवके कतैयों और बुनकरोंकी जगह ले लेनेकी ही है। मिल-मालिक, मिल-एजेंट और उनके हिस्सेदार जिस दिन सच्चे अर्थोमें राष्ट्रीय बन जायेंगे और जनताको लूटनेके लिए नहीं, बल्कि उनके हितको पहला और अपने लाभको दूसरा स्थान देकर अपना धन्धा चलायेंगे, उसी दिन वे बहिष्कार आन्दोलनका अर्थ समझ सकेंगे और तब उसमें वे न सिर्फ शरीक ही हो सकेंगे बल्कि उस आन्दोलनका नेतृत्व करेंगे। यह तो ऊपरके पत्रमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर वे दूरदर्शितासे काम लें तो उन्हें हानि तो कुछ होगी नही, लाभ बहुत कुछ होगा। सचमुचमे यह एक स्वयं-सिद्ध बात है। विदेशी कपड़ेके बहिष्कारसे अगर जनताको निरन्तर काम मिलते जाना निश्चित हो जाता है तो उससे आगे चलकर मिलोंको भी लाभ होना निश्चित हो जाता है।

मगर कमसे-कम पिछले सात सालोंमें जन आन्दोलनके दौरान मिल-व्यवसायके इतिहासको देखनेसे तो यह आशा बहुत नही बँधती कि मिलें अवसर पड़नेपर सही काम कर दिखलायेंगी और राष्ट्रके प्रति अपना कर्तव्य समझेंगी। चाहिए तो यह था कि वे खादीपर स्नेह-दृष्टि रखतीं और उसका पोषण करती और हुआ यह है कि वे खादीके साथ अनुचित, देश-द्रोहपूर्ण और अवैध प्रतियोगिता करने लगी है। पिछले वर्षोंमें हमारी मिलोंने क्रमशः इतनी 'खादी' बनाई:

	१९२५	१९२६	१९२७
पौण्ड	२,२८,८७,९७०	२,७२,३६,३३७	३,३९,७७,८५१
गज	६,५०,४८,४८७	७,४३,१३,२८०	९,४३,८०,३६८

इतना अधिक मोटा कपड़ा उन्होंने खद्दरके नामपर बेचा है और कुछने तो कांग्रेस संस्थाओं द्वारा तैयार किये गये खादीके अनुकूल वातावरणसे जान बूझकर लाभ उठानेके लिए बेशर्मीसे चरखेकी छाप आदिका भी उपयोग किया है। यह कहते हुए कष्ट होता है कि जिन मिलोंने इस तरहका मोटा कपड़ा बनाकर उसे खद्दरके नामपर बेचा, उन्होंने स्पष्ट देश-द्रोह किया है।

अगर उनकी आँखें अब भी खुल जायें और राष्ट्रका उन्होने जो अहित किया है उसका मुआवजा देनेके लिए ही मिल-मालिक मेरी या दूसरोंकी सुझाई हुई उतनी ही प्रभावपूर्ण शर्तोंपर बहिष्कार आन्दोलनके अगुआ बनें या कमसे-कम उसमें शरीक हों तो क्या ही अच्छा हो।

इन दु:खद आँकड़ोंका एक सुखद पहलू भी है। इन आँकड़ोंने मेरे जैसे आशावादी और खद्दर शास्त्रके ज्ञाताकी भी आँखें खोल दी हैं कि खद्दर इतना अधिक लोकप्रिय हो गया है। ये आँकड़े यह दिखलाते है कि इतने अधिक आदमियोंने, जिनका हमें पता भी नही है और जो पहले महीन कपड़े पहनते थे, उसे राष्ट्रकी पुकार पर छोड़कर मोटा कपडा पहनना और खरीदना पसन्द किया है। इसमें तो कोई शक ही नही कि उन्होने अकसर पहलेसे अधिक दाम दिये हैं। उन्होने अधिकांशत: मिलकी खादी इसी गलत विश्वाससे खरीदी है कि वही सच्ची खादी है और कांग्रेस उसीका समर्थन करती है। जनताका हित चाहनेवाले इन आँकडों और उनसे निकाले गये मेरे उचित निष्कर्षोंसे बहुत कुछ सोचनेका मसाला और उतना ही आशा करनेका भी कारण मिल जाता है। मेरे यूरोप जानेकी एक सम्भावना है; लेकिन पत्र-लेखक निश्चिन्त रहें कि अगर बहिष्कारकी कोई प्रभावशाली योजना निकट भविष्यमें बन सकी, तो मैं यूरोप नहीं जाऊँगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ५-४-१९२८

२१९. टिप्पणियाँ

आफ्रिकावासी और हिन्दुस्तानी

दीनबन्धु एन्ड्रयूज जब हालमें यहाँ थे उन्होंने समाचारपत्रोमें प्रकाशित कवि ठाकुरके एक लेखकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया था, जो ट्रान्सवालमें कुछ हिन्दुस्तानियो द्वारा अपने आपको मूल आफ्रिका निवासियोंसे अलग रखनेके लिए चलाये जा रहे आन्दोलनके सिलसिलेमें लिखा गया था। मुझसे उन्होंने उसपर अपनी राय देनेको भी कहा। मैं नही समझता कि इस आन्दोलनको कोई ऐसा महत्व देना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि इस आन्दोलनका कोई आधार ही नही है। हिन्दुस्तानियों और आफ्रिका निवासियोंमें इतनी ज्यादा बातोंमें समानता है कि वे आफ्रिकी लोगोसे अलग रहनेका विचार कर ही नही सकते। आफ्रिकी लोगोकी सक्रिय सहानुभूति और मित्रताके बिना दक्षिण आफ्रिकामें हिन्दुस्तानी रह ही नहीं सकते। मैं नही समझता कि हिन्दुस्तानियोने कभी अपने आफ्रिकी भाइयोंके प्रति बड़प्पनका भाव रखा हो। अगर दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए आम हिन्दुस्तानियोंमें इस तरहका कोई आन्दोलन जोर पकडे तो यह बहुत दु:खद बात होगी। यह कहनेकी तो जरूरत ही नही है कि कवि ठाकुरने इस आन्दोलनकी निन्दा करते हुए जो विरोधी राय व्यक्त की है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कहा जाता है कि इस तथाकथित आन्दोलनके नेताओंका कहना है कि 'हमारे एजेंट जनरल (शास्त्रीजी) हमें जो इतने नीचे स्तरपर ला रहे हैं, वह भारतीय भावना, राष्ट्रीय सम्मान और सभ्यताके लिए हीनताकी बात है।' अगर यह सच हो तो हमारे प्रति दक्षिण आफ्रिकाके गोरों द्वारा ऐसे ही विचार

व्यक्त करनेपर हम उनका खण्डन कर सकने योग्य नहीं रह जायेंगे। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि दक्षिण आफ्रिकाके गोरे अपनी नफरत और पक्षपातको कार्य-रूपमें परिणत कर सकते हैं, जब कि दक्षिण आफ्रिकी लोगोंके प्रति हमारे ये विचार हमारे लिये ही प्रतिकूल पड़ेंगे।

स्त्रियाँ और गहने

तमिलनाडसे एक महिला डाक्टरने मुझे एक पत्र तथा साथमें उल्लेखसहित (गहनोंका) उपहार भेजा है। चूँकि मेरी रायमें उपहारके साथके पत्रसे भेंटका महत्व बढ़ जाता है और वह पत्र चूँकि दूसरोंके लिए उदाहरणका काम करेगा, इसलिए उपहार देनेवाले, सम्बन्धित राजा और स्थानका नाम दिये बिना मैं पत्रका सारांश नीचे देता हूँ :

> मैं ये चन्द पंक्तियाँ आपको सिर्फ यह बतानेके लिए लिख रही हूँ कि कल मैंने आपकी सेवामें एक जोड़ी कानकी बालियाँ और हीरेकी जो एक अँगूठी भेजी थी, सो मुझे १२ वर्ष हुए राजमहलमें महाराजासाहबके उत्तराधिकारीके जन्मके अवसरपर की गई सेवाके स्मृति-चिह्नके रूपमें मिली थी। जब मुझे यह मालूम हुआ कि आपके यहाँसे गुजरते समय महाराजा साहबने सरकारके डरसे आपको अपने यहाँ निमन्त्रण तक देनेका साहस नहीं किया, तो मुझे बहुत दुःख हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि पहले जो गहने मेरे साथ ही रहते थे, उन्हें इस तरह आपके चले जानेके बाद पास देखकर मेरे मनमें क्या भावनाएँ उठी होंगी। तब उन्हें देखकर मेरे दिलमें कड़वाहट भर गई, फिर उन भूखे करोड़ों लोगोंके प्रति गहरी सहानुभूति होने लगी, जिनके बारेमें आपने अपने भाषणमें यहाँपर चर्चाकी थी। मैंने मन ही मन कहा, "क्या ये गहने लोगोंके ही धनसे नहीं बने हैं? तब उन्हें अपने मानकर रखे रहने का मुझे क्या अधिकार है?" और ऐसा सोचकर मैंने उन्हें आपके पास भेज देनेका निश्चय किया है। खादी-कार्यके लिए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह करोड़ों भूखों मरनेवालोंमें से कुछकी मदद कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सन्दूकके एक कोनेमें पड़े रहनेकी बनिस्बत उनका यह ज्यादा अच्छा उपयोग है। एक मित्रने उनकी कीमत ५०० रु० आँकी है। इसलिए ५०० रु० के लिए उनका बीमा कराया गया है। मैं आशा करती हूँ कि कोई उदार सज्जन, उस परिस्थितिको समझकर, जिसमें कि ये गहने आपके पास भेजे जा रहे है, आपको उनकी असली कीमतसे अधिक देंगे। आप इस पत्रका जो भी उपयोग करना चाहें, कर सकते है।

यह भी अचरजकी बात है कि भयका कोई कारण न होते हुए भी हम किस तरह भयकी कल्पना कर लिया करते हैं। कितने राजाओं, महाराजाओंने खुल्लमखुल्ला और खुशीसे खादीका और उसकी मार्फत जैसा कि पत्र-लेखिकाने भी लिखा है और ठीक लिखा है, उन गरीबोंके हितका समर्थन किया है, जिनसे उन्हें आखिरकार

समृद्धि प्राप्त हुई है। यह सच है कि खादीका राजनीतिक महत्व भी है; मगर बात अभी इस हदतक नहीं आई है कि सरकार बेफिक्रीसे खादीके समर्थनको अपराध घोषित कर सके। हरएक सेवाधर्मी आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन बनाया जा सकता है, मगर इसीलिए उसके सेवावाले पहलूका भी बहिष्कार कर देना अनुचित होगा। मगर यह कहना भी ठीक ही है कि केवल इस महिला डाक्टरके बतलाये राजा ही नही, बल्कि और कई लोग भी खादीका समर्थन करनेसे या मेरे जैसे सार्वजनिक सेवकोंके प्रति सामान्य शील दिखलानेसे डरते हैं। खैर, इतनी बात तो अच्छी है कि राजाने मेरा जो बहिष्कार किया, भेंट देनेकी यह प्रेरणा उसकी बदौलत हुई। मगर उन सभी बहनोंसे, जिनकी नजर इस टिप्पणीपर पड़े, मैं कहूँगा कि भूखों मरनेवाले अपने करोड़ो देश-भाइयोंके प्रति अपने कर्त्तव्यपर विचार करनेके लिए वे किसी ऐसे ही अवसरकी प्रतीक्षामे न बैठी रहें। निश्चय ही, वे इतना तो बड़ी आसानीसे समझ सकती है कि जबतक देशमें रोजीके अभावमें करोड़ो नर-नारी भोजनके बिना भूखे रहते हो, तबतक उन्हें अपना शरीर सजानेके लिए कीमती गहने रखनेका या प्राय: गहनोसे सम्पन्न होनेका सन्तोष करनेके लिए ही गहने रखनेका कोई अधिकार नही है। जैसा कि मै पहले भी इन पृष्ठोंमें कह चुका हूँ, अगर भारतकी केवल धनी बहनें ही अपनी फिजूलखर्ची छोड़ दें और उतनी ही सज्जासे सन्तुष्ट रहें जो कि खादीसे सम्भव है तो केवल उनके इसी सहयोगसे खादी आन्दोलनका सारा खर्च चलाया जा सकता है। और हिन्दुस्तानकी धनी बहनोंके इस कामका जो महान नैतिक असर राष्ट्रपर और विशेष कर भूखों मरनेवाले करोड़ों आदमियोंपर पड़ेगा, उसका तो हिसाब ही अलग है।

कर्वे जयन्ती

कर्वे जयन्ती समितिके अध्यक्ष श्रीयुत वी० एम० जोशीकी इस अपील[1]को प्रकाशित करते हुए मुझे खुशी हो रही है:

प्राध्यापक कर्वे कोई ऐसे मामूली व्यक्ति नही हैं जो केवल उस मुग्ध जनताको सन्तुष्ट करनेमें सन्तोष मान लेते हो जो प्राय: बहुत परेशान करती है, मुश्किलसे खुश होती है और मन बहलावकी उसकी घड़ियोमें अपनी थोड़ी-सी ही सेवा करनेपर निन्यानवेफी सदी-योग्यताका प्रमाणपत्र दे देती है। प्राध्यापक कर्वे तो एक ऐसे मालिककी आज्ञामें चलते रहे हैं जो उदार नहीं है, आसक्त नही है और जो हमेशा न्याय करते हुए भी बडी सख्तीसे काम लेते हैं। वह मालिक तो उनकी अपनी ही अन्तरात्मा है। उनके आत्मसमर्पण, एकनिष्ठ कर्त्तव्यपालन, कभी खत्म न होनेवाली कार्य-शक्ति, सभी स्थितियोमें ईमानदारी, विरोधके होते हुए भी अपने काममें श्रद्धा, अदम्य आशा आदि गुण राष्ट्रकी बहुत बड़ी सम्पत्ति हैं। जिन कामोंमें उन्होंने अपनी शक्तियाँ लगाई है, उनके बारेमें दो मत हो सकते हैं किन्तु उन शक्तियोंके बारेमें कदापि दो मत नही हो सकते; उनके गुण कामोंसे कही अधिक कीमती और स्थायी है। जयन्तीके

१. अपील यहाँ नहीं दी जा रही है।

संगठनकर्त्ताओंने २५,००० रु० जमा करके प्राध्यापक कर्वेको उनके कार्यके लिए भेंटके रूपमें देनेका नम्र भार उठाया है। यह रकम तो तुरन्त ही उन असंख्य स्त्री-पुरुषोंके यहाँसे आ जानी चाहिए जिनपर निःस्वार्थ भावसे चुपचाप काम करनेवालोंके इस सरदारका असर पड़ा है या जिन्होंने इनके आजीवन श्रमसे लाभ उठाया है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ५-४-१९२८

२२०. पत्र: डा० सी० मुथुको

आश्रम
साबरमती
५ अप्रैल, १९२८

प्रिय डा० मुथु,

आपका पुर्जा मिला। मैं आपके नये उद्योगके लिए सब तरहकी सफलताकी कामना करता हूँ। जहाँतक मैं आपके तरीकेको समझ पाया हूँ, यह तपेदिकके रोगियोंका खुली हवा और पथ्य द्वारा इलाज करना है। जैसा कि आप जानते हैं मुझे दवाइयों और इस तरहकी चीजोंसे बड़ा भय लगता है। इसलिए मैं ईमानदारीसे किये जानेवाले ऐसे प्रत्येक प्रयासका स्वागत करूँगा, जो इन दवाइयोंका स्थान ले सके और जिसे हम औषध-रहित एवं बीमारीका इलाज करनेवाला प्राकृतिक तरीका कह सकें। हमारी सूर्यके प्रकाशसे दीप्तमान भूमिपर बीमारीका कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१६१) की फोटो-नकलसे।

२२१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

आश्रम
साबरमती
५ अप्रैल, १९२८

प्रिय जवाहर,

तुम मिलोंपर मेरा लेख[1] 'यंग इंडिया' के इसी अंकमें देखोगे। नवीनतम कदम यह उठाया जा रहा है कि वे हमारा जिक्र किये बिना अपने बलबूते पर 'स्वदेशी लीग' चलायेंगे। यह मत सोचना कि मेरी कोशिशसे कुछ ठोस नतीजा निकलने जा रहा है। वे अपनी योजनाएँ अवश्य चलायें। जहाँतक मैं समझता हूँ हमें अपना ध्यान खादीको फेरी लगाकर बेचने तक सीमित रखना चाहिए।

यूरोपकी यात्राके बारेमें अभीतक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। मैं इससे जी चुरा रहा हूँ, और निर्णयके लिए रोमाँ रोलाँकी ओरसे आनेवाले अगले संकेत पर, जो अगले सप्ताह मुझे मिल जाना चाहिए, निर्भर हूँ।

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१६२) की फोटो-नकलसे।

२२२. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

आश्रम
साबरमती
५ अप्रैल, १९२८

प्रिय शान्तिकुमार,

आपका पत्र मिला। आगे क्या होता है मैं इसके लिए रुकूँगा।

हृदयसे आपका,
बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४७८८)से।
सौजन्य : शान्तिकुमार मोरारजी

१. देखिए "बहिष्कारपर एक मिल-मालिक", ५-४-१९२८।

२२३. पत्र : बहरामजी खम्भाताको

आश्रम
साबरमती
६ अप्रैल, १९२८

प्रिय खम्भाता,

अदनसे आपका रेडियो-सन्देश मिला। जब मैंने उत्तर दिया, मुझे मालूम नहीं था कि यह रेडियो-सन्देश है। इसलिए मैंने आपके बम्बईके पतेपर तार[1] भेजा। श्री कापड़ियाने तार प्राप्त किया और इसकी प्राप्ति स्वीकृति भेजी। आशा है कि जालने[2] समुद्री यात्रा आरामसे की होगी और उसे और आप सबको इससे लाभ हुआ होगा।

मैं आपको आस्ट्रिया निवासी ऐसे मित्रोंके लिए पत्र[3] भेज रहा हूँ जो यदि आप वियानामें ऑपरेशन करवाना चाहेंगे तो डाक्टरके चुनावमें आपका निर्देशन करेंगे।

ईश्वर सबको सुखी रखे। आप सबको स्नेह,

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१६७) की फोटो-नकलसे।

२२४. पत्र : डा० और श्रीमती स्टेंडेनथको

आश्रम
साबरमती
६ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

पत्र-वाहक श्री खम्भाता मेरे प्रिय मित्र और सहयोगी हैं। वे डाक्टरकी सलाह पर अपने इकलौते बेटेकी रोग-परीक्षा करवाने और यदि आवश्यक हो तो ऑपरेशन करवानेके लिए यूरोप गये हैं। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे सर्जनके चुनाव आदिमें उनकी पूरी सहायता और पथ-प्रदर्शन करेंगे।

हृदयसे आपका,

डा० और श्रीमती स्टेंडेनथ
ग्राज (स्टीरियामें)
ट्राउट मान्स्डोर्फगास्स – १
(आस्ट्रिया)

अंग्रेजी (एस० एन० १४२८१) की फोटो-नकलसे।

१. यह उपलब्ध नहीं है।
२. बहरामजी खम्भाताका पुत्र, देखिए अगला शीर्षक।
३. देखिए अगला शीर्षक।

२२५. पत्र : सरदारनी एम० एम० सिंहको

आश्रम
साबरमती
६ अप्रैल, १९२८

प्रिय बहन,

आपका पत्र मिला। ऐसे लोगोंको आश्रममें लेनेका आम तौरपर प्रचलन नहीं है, जो किसी भी सदस्यके परिचित न हों। इसलिए मैं चाहूँगा कि यदि आप सचमुच आश्रममें रहना चाहती हैं, तो अपना सारा हवाला देते हुए प्रबन्धक-मण्डलके सचिवको पत्र लिखें। मैं आपको यह भी सूचना दे दूँ कि फिलहाल आश्रम बहुत ज्यादा भरा हुआ है।

हृदयसे आपका,

सरदारनी एम० एम० सिंह
अपटन हाउस
न्यू कैंट रोड
देहरादून

अंग्रेजी (एस० एन० १३१६३) की माइक्रोफिल्मसे।

२२६. पत्र : एम० दीवान नारायणदासको

आश्रम
साबरमती
६ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। यदि मानवीय सम्बन्ध गणितके नियमोंके अनुसार चलते होते तो जो आप सुझा रहे हैं, ठीक होता। परन्तु जैसे तीस बारका खाना दस बारमें खा लेनेका वही फल नहीं होगा जो तीस बारके खानेको नियमित रूपसे एक-एक दिन करके खाये जानेपर होगा, इसी तरह यदि छः महीनेकी कताई पन्द्रह दिनोंमें की जाये तो उससे काम नहीं चलेगा। भाव यह है कि व्यक्तिकी लगन और अनुशासनकी शक्तियोंका परीक्षण किया जाये।

आपके लिए यह भी उपयुक्त नहीं होगा कि आप अपने माता-पिताके विरुद्ध सत्याग्रह करें और उनकी अनिच्छासे उनकी स्वीकृति जबर्दस्ती प्राप्त करें। आपको वह स्वीकृति अपने परिश्रम और चरित्रबलसे प्राप्त करनी चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एम० दीवान नारायणदास
द्वारा कृष्णा कॉटेज
न्यू हाई स्कूल बिल्डिंग
हसन अली एफिन्डि रोड
कराची

अंग्रेजी (एस० एन० १३१६४) की माइक्रोफिल्मसे।

२२७. पत्र: वाई० आर० गायतोंडेको

आश्रम
साबरमती
६ अप्रैल, १९२८

प्रिय गायतोंडे,

मैं तत्काल अपनी राय देनेके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने जो पुस्तकें भेजनेका वायदा किया है, मैं उनकी प्रतीक्षा करूँगा।

आप कहते हैं कि यदि ड्रमका प्रयोग किया जाये तो इंजन जरूरी होगा। परन्तु मुझे उन अमेरिका निवासी मित्रसे, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था, पता लगा है कि ड्रमको बिना ज्यादा कठिनाईके और बहुत कम खर्चसे किसी आदमी या जानवरकी भी सहायतासे प्रयोगमें लाया जा सकता है। क्या आप इस छोटेसे चर्मालयके विकासके लिए ड्रम जरूरी समझते हैं?

हृदयसे आपका,

वाई० आर० गायतोंडे महोदय
द्वारा बी० १२ अम्बेवाडी
गिरगाँव, बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० ११३९७) की फोटो-नकलसे।

२२८ पत्र : गंगारामको

आश्रम
साबरमती
६ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आप देखेंगे कि मैंने फिर बाघात राज्यके कोलियोंके विषयपर लिखा[1] है। यह बहुत दुःखद बात है। जब मुझे आपका पहला पत्र मिला, मुझे कतई खयाल नहीं था कि पत्र-लेखक मेरे पुराने मित्र राय साहब हैं। इसलिए जब मुझे इस बातका पता चला, तो मुझे प्रसन्नता हुई।

यह दीवान कौन हैं और बाघात राज्यकी स्थिति कैसी है? इसकी आबादी कितनी है? क्या वहाँका जनमत जागृत है? राज्यमें कैसे पहुँचा जा सकता है? क्या कोलियोंने डरके मारे जनेऊ छोड़ दिया है?

हृदयसे आपका,

लाला गंगाराम
आर्य फार्म
दिल्ली

अंग्रेजी (एस० एन० १३१६५) की फोटो-नकलसे।

२२९. पत्र : एस० राधाकृष्णनको

आश्रम
साबरमती
६ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपके कृपापूर्ण पत्रके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अभीतक यूरोपकी यात्राके सम्बन्धमें कुछ निश्चित नहीं है। मेरे लिये कोई निर्णय कर सकना कठिन है।

आप जो लेख चाहते हैं उसके सम्बन्धमें मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझपर दया करें। मैं इतना अधिक व्यस्त रहता हूँ और मुझे 'यंग इंडिया' तथा 'नवजीवन' के

१, देखिए "बाघात रियासत और जनेऊ" ५-४-१९२८।

लिए इतना अधिक समय देना पड़ता है कि कुछ और लिख सकनेके लिए मेरे पास बिलकुल वक्त नही रहता।

हृदयसे आपका,

प्रो० एस० राधाकृष्णन
४९-आई० सी० हरीश मुकर्जी रोड
भवानीपुर
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३१६६) की फोटो-नकलसे।

२३०. पत्र: जे० बी० पेनिंगटनको

आश्रम
साबरमती
६ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपके दो पत्र मिले; मैं इनके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इतना व्यस्त रहा हूँ कि आपकी पुस्तक समाप्त नहीं कर सका हूँ।

यदि आप समझते हैं कि 'यंग इंडिया' में प्रकाशित मेरे लेखों और कु० मेयोकी पुस्तकमें कोई अन्तर नहीं है, तो जहाँ तक कु० मेयोके कार्यका सम्बन्ध है, मेरे लिये कोई और दलील पेश करना बाकी नही बचा है। यदि आपके भारतके अनुभव कु० मेयोके अनुभवोंसे मिलते-जुलते हैं, तो सम्भवतः किसी भी दलीलसे आपको उसके विपरीत विश्वास नही हो सकता।

हृदयसे आपका,

जे० बी० पेनिंगटन महोदय
५, एवेल पार्क गार्डेन्स
एवेल, सरे

अंग्रेजी (एस० एन० १४२८०) की फोटो-नकलसे।

२३१. पत्र : जी० रामचन्द्रन्‌को

आश्रम
साबरमती
६ अप्रैल, १९२८

प्रिय रामचन्द्रन्,

अपने पिछले पत्रके सिलसिलेमें मैं आपको संलग्न पत्र भेज रहा हूँ। अब मैं इस बातके लिए उत्सुक हूँ कि आप सुझावको जितना जल्दी हो सके मान लें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३५९१) की माइक्रोफिल्मसे।

२३२. पत्र : चार्ली यू० मॉर्सेलोको

आश्रम
साबरमती
६ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं कोई चमत्कार नहीं करता और न ही चमत्कारोंमें मेरा विश्वास है। मैं आपको सलाह दूँगा कि ईश्वरने आपको जो कुछ दिया है उसीसे यह ध्यान रखते हुए सन्तुष्ट रहें कि बहुतसे लोग ऐसे है जो आपसे भी बुरी हालतमें हैं। और आखिरकार आँखका अन्धा होना नैतिक दृष्टिसे अन्धा होनेकी अपेक्षा बहुत कम बुरा है। शारीरिक दोषोंपर हमारा वश नहीं है; किन्तु नैतिक दोषोंपर हम काबू पा सकते हैं। इसलिए यदि चमत्कार जैसी कोई चीज हो भी तो उसकी आजमाइश हमें नैतिक कल्याणके लिए करनी चाहिए।

हृदयसे आपका,

चार्ली यू० मॉर्सेलो महोदय
पो० ऑ० बॉक्स १२३, वाटरलू
न्यूयार्क, सं० रा० अ०

अंग्रेजी (एस० एन० १४२८२) की फोटो-नकलसे।

२३३. पत्र : ना० र० मलकानीको

७ अप्रैल, १९२८

प्रिय मलकानी,

आपका पत्र मिला। मुझे आपका हिसाब-किताब नही चाहिए था। मै आपको अपना बीमा रद कर देनेके लिए बिलकुल नही कहता। मेरे मनपर जो बोझ था वह मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया है। मेरी पूछताछसे आपको बहुत परेशान नही होना चाहिए। हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसे है, वैसे ही दिखते रहें। और यदि हम ऐसा कर सकें तो हमें किन्हीं भी प्रश्नोंकी चिन्ता नही होगी। दो सौ रुपये [प्रति मास] तो मैं बिना आत्म-सम्मान गँवाये सुलभ कर लूँगा। परन्तु ज्यादासे-ज्यादा आशा करनेका यह विशेषाधिकार आपको हमेशा मेरे पास ही रहने देना चाहिए। आपको दहेजकी चिन्ता क्यों करनी चाहिए? आपको एक पैसा भी नही देना है। आपकी लड़कियोंका विवाह आमिल परिवारमें ही हो, ऐसा जरूरी क्यों है? आप अभीसे लड़कियोंको ऐसा प्रशिक्षण दें कि वे इस बातको भूल जायें कि वे किसी विशेष जातिकी हैं। वे भारतकी हैं और यदि आपको मेरे वर्णाश्रम सम्बन्धी विचारपर विश्वास है तो मामला बहुत आसान हो जाता है।

निस्सन्देह आपको वहाँ उसके किराये और खानेके खर्चके अलावा और कुछ भी नहीं देना चाहिए।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ८८५) की फोटो-नकलसे।

२३४. पत्र : आई० पी० दुराईरत्नम्‌को

आश्रम
साबरमती
७ अप्रैल १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं 'विद्यार्थी कांग्रेस' की सब तरहसे सफलताकी कामना करता हूँ। मुझे आशा है कि विद्यार्थी अपनी मातृभूमिके लाखों भूखे रहनेवाले लोगोंको नही भूलेंगे। उनकी सहायता करनेका सबसे ज्यादा कारगर तरीका यह है कि वे खादीको अपनाकर उनके साथ अपनी एकात्मता स्थापित करें।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत आई० पी० दुराईरत्नम्
सचिव, विद्यार्थी कांग्रेस,
चावकचेरी, लंका

अंग्रेजी (एस० एन० १३१७२) की माइक्रोफिल्मसे।

२३५. पत्र : रैहाना तैयबजीको

आश्रम
साबरमती
७ अप्रैल, १९२८

प्रिय रैहाना,

कतई पत्र न लिखनेसे बोलकर पत्र लिखवा देना अच्छा है। सुहेलाको मेरी ओरसे बधाई। बच्चेके दोनों गालोंपर, उसके होठोंपर, माथेपर और सिर में बहुत-बहुत चुम्बन।

काश मेरे पास तुम्हारे और गीत सुननेका समय होता।

हृदयसे तुम्हारा

कुमारी रैहाना तैयबजी
कैम्प, बड़ौदा

अंग्रेजी (एस० एन० १३१६९) की फोटो-नकलसे।

२३६. पत्र : मु० अ० अन्सारीको

आश्रम
साबरमती
७ अप्रैल, १९२८

प्रिय डा० अन्सारी,

आपका पत्र मिला। वाइसरायको जो पत्र आपने लिखा है, मैं उसीसे सन्तोष कर लेता हूँ। मै आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि रियासतें यदि हमारी मदद करें तो हम वह मदद खुशीसे स्वीकार करेंगे। परन्तु मै जानता हूँ कि रियासतोंमें ऐसी संस्थाको जो साफ तौरपर असहयोगसे जन्मी है या असहयोगके वातावरणमें पनपी हैं, मदद देनेका साहस नहीं होगा। परन्तु यदि वे यह जानकर भी कि यह असहयोगी संस्था है सहायता करते है, तो हमें वह सहायता सहर्ष स्वीकार कर लेनी चाहिए।

फिलहाल प्रस्तावित यूरोपकी यात्रा मेरे लिये बड़ी परेशानी पैदा कर रही है। मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे इस तरह असमंजसमें नहीं पड़े रहना चाहिए: परन्तु अपनी कमजोरी छिपानेसे क्या लाभ? मैं स्वयं इसका कारण नहीं बता सकता। बहरहाल ज्यादासे-ज्यादा अगले पखवाड़ेके दौरान मुझे कोई निर्णय कर ही लेना चाहिए। स्वास्थ्यमें सुधारकी दृष्टिसे मुझे उसका कोई आकर्षण नही है। श्री रोमाँ रोलाँसे मिलने और यूरोपके प्रमुख लोगोंसे शान्तिपूर्ण वार्तालापके लिए ही मैं यूरोप जाऊँगा। देखें ईश्वर क्या रास्ता दिखाता है।

बेगम अन्सारी और सोहरा यह चाहती हैं कि मैं उनके नए घरमें रहूँ; इससे क्या लाभ है? मैं वहाँ चाहे जितनी देर रहूँ वे तो अच्छी खासी दूरीपर पर्देके पीछे छिपी रहती हैं। यदि वे चाहती है कि मैं वहाँ आऊँ, तो उन्हें अपने फाजिल कंगन और दूसरे गहने दिखाने होंगे, ताकि मैं उन्हें इन फालतू चीजोंसे छुटकारा दिला सकूँ और उनका अच्छा उपयोग कर सकूँ।

जहाँतक जामियाके लिए धन संग्रहका सम्बन्ध है, मुझे आशंका है कि निजी मित्रोंसे चन्दा पा सकनेके अलावा हम और कुछ नही कर पायेंगे और ऐसा किया जा सके, इस बातके लिए संविधान और न्यास-पत्रका होना जरूरी है। इसलिए उनको तैयार करानेमें जितनी जल्दी की जा सके कीजियेगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१७०) की फोटो-नकलसे।

२३७. पत्र : श्रीमती सेम हिगिनबॉटमको

आश्रम
साबरमती
७ अप्रैल, १९२८

प्रिय बहन,

यह आपका सौजन्य है कि आपने अपने पतिके[1] नामपर भेजी गई पूछताछका इतनी जल्दी उत्तर दे दिया। जब आप उन्हें पत्र लिखें, कृपया उन्हें मेरा नमस्कार लिखिएगा।

मेरी प्रस्तावित यूरोप यात्राके सम्बन्धमें अभी कुछ निश्चित नहीं है। परन्तु यदि मैं गया भी तो समझ नहीं पाता कि उन चन्द महीनों में जो मैं इस यात्रामें लगा सकता हूँ, यूरोप और अमेरिका दोनोंकी यात्रा कैसे कर सकूंगा।

हृदयसे आपका,

श्रीमती सेम हिगिनबॉटम
इलाहाबाद कृषि संस्थान
इलाहाबाद

अंग्रेजी (एस० एन० १३१७१) की फोटो-नकलसे।

२३८. पत्र : ए० ए० पॉलको

आश्रम
साबरमती
७ अप्रैल, १९२८

प्रिय राजन,

'न्यूज शीट'[2] के मई महीनेके अंकके लिए मेरा सन्देश[3] पत्रके साथ है। यदि मैंने प्रत्येक अंकके लिए सन्देश देना स्वीकार किया हो, तो मैं तब जरूर ही नशेकी हालतमें रहा होऊँगा, और ऐसी हालतमें किये गये वायदोंकी कोई कीमत नहीं होती।

मुझे बिलकुल पता नहीं था कि जोजेफ के बहनोईकी मृत्यु हो गई है। जो आपने मुझे यह सूचना दी वह ठीक ही किया।

१. देखिए "पत्र : सेम हिगिनबॉटमको", २८-३-१९२८।

२. अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुत्व सम्बन्धी समाचार-पत्र।

३. देखिए अगला शीर्षक।

मुझे आशा है कि अपने पिछले पत्रका उत्तर[1] आपको समयपर मिल गया होगा।

हृदयसे आपका,

ए० ए० पॉल महोदय
७, मिलर रोड
किल्पॉक
मद्रास

अंग्रेजी (एस० एन० १३१७३) की फोटो-नकलसे।

२३९. सन्देश : 'न्यूज शीट' को

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
७ अप्रैल, १९२८

सच्ची बन्धुत्व भावनाका विकास चुपचाप किये गये बन्धुत्वके कार्योंसे ही होता है। इसलिए इस तरहका एक छोटा-सा कार्य भी भारी भरकम उपदेशोंसे अधिक महत्वका है।

अंग्रेजी (एस० एन० १३१७२) की माइक्रोफिल्मसे।

२४०. पत्र : जोजेफको

आश्रम
साबरमती
७ अप्रैल, १९२८

प्रिय जोजेफ,

राजन पॉलने बताया कि आपके बहनोईका देहान्त हो गया है। आपके और आपकी विधवा बहनके प्रति मेरी सहानुभूति स्वीकार करें। श्रीमती जोजेफसे कहियेगा कि जब मैं आपके घरसे विदा हुआ था उस समयके अन्तिम दृश्यको, मैं कभी नहीं भूला, हालाँकि मैंने अबतक उसके बारेमें एक शब्द भी नहीं कहा है। वह दृश्य जिस स्नेहका साक्षी है उसे मैं सदा सँजोकर रखूँगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१६८) की फोटो-नकलसे।

[1] देखिए "पत्र : ए० ए० पॉलको", ४-४-१९२८।

२४१. पत्र : एस० गणेशनको

आश्रम
साबरमती
७ अप्रैल, १९२८

प्रिय गणेशन,

डॉ० मेरी स्टोप्सकी समीक्षा सहित आपका पत्र मुझे मिला। मैं इसे 'यंग इंडिया'में प्रकाशित नहीं करना चाहता; क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मानो यह गम्भीरतासे लिखे गये अध्यायोंकी गम्भीर समीक्षाके बजाय उनकी [अपनी] पुस्तको और उनके अपने तरीकोंका विज्ञापन हो।

हृदयसे आपका,

संलग्न : १ फाइल
श्रीयुत एस० गणेशन
१८, पाइक्रोफ्ट रोड
ट्रिप्लिकेन, मद्रास

अंग्रेजी (एस० एन० १३१७४) की माइक्रोफिल्मसे।

२४२. पत्र : एलिस शैलेकको

आश्रम
साबरमती
७ अप्रैल, १९२८

प्रिय बहन,

भेंटकी[1] टिप्पणियों सहित मुझे आपका पत्र मिला। टिप्पणियोंमें बहुत कुछ संशोधन जरूरी था। इसलिए मैं आपको उसकी एक साफ प्रति भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

कुमारी एलिस शैलेक
आस्ट्रियाकी पत्रकार
नेरॉन्स होटल
लाहौर

अंग्रेजी (एस० एन० १४२८४) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "भेंट : एलिस शैलेकसे", २०-३-१९२८।

२४३. पत्र : एस० ए० वेजको

आश्रम
साबरमती
८ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं आपकी बहनको आश्रममें लेना तो चाहूँगा, परन्तु वे आश्रमका कठोर जीवन सहनकर सकेंगी इसमें मुझे सन्देह है। फिलहाल हमारे यहाँ जगहकी बहुत तंगी है। इसलिए यदि वे आयें तो उन्हें किसी बहन या बहनोंके साथ एक ही कमरेमें रहना होगा। उन्हें आश्रमकी मेहनत-मजदूरीमें हाथ बँटाना पड़ेगा। अहमदाबादमें सालके ये दिन बहुत गर्म होते हैं। यदि उन्हें हिन्दुस्तानी काफी अच्छी नहीं आती तो भी उन्हें कठिनाई होगी। इन कमियोंके बावजूद, क्योंकि उन्हें ये कमियाँ ही लगेंगी, यदि वे आनेके लिए उत्सुक हैं, तो कृपया मुझे लिखिए। मैं आपके पत्रको प्रबन्धक मण्डलके सामने रखूँगा। मुझे यह भी बताइये कि आपकी बहन कितने अरसे तक यहाँ रहना चाहती है।

हृदयसे आपका,

एस० ए० वेज महोदय

अंग्रेजी (एस० एन० १३१७६) की फोटो-नकलसे।

२४४. पत्र : नारायणको

आश्रम
साबरमती
८ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मुझे इस विषयपर कोई सन्देह नहीं कि जबतक आप स्वयं पूरी तरह तैयार न हों आपको विवाह की बातका विरोध करना ही चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत नारायण
२७, थर्ड क्रोस रोड
डाकखाना बासवांगुडी
बंगलोर, द० भा०

अंग्रेजी (एस० एन० १३१७८) की माइक्रोफिल्मसे।

२४५. पत्र: जे० बी० कृपलानीको

आश्रम
साबरमती
८ अप्रैल, १९२८

प्रिय प्रोफेसर,

शायद आपको मालूम ही होगा कि कृष्णदास फिलहाल यहाँ नही है। बहरहाल उन्होंने मुझे आपका २५ मार्चका पत्र भेज दिया है। आप यह क्यो कहते है कि कतैयोका रजिस्टर रखनेका अर्थ होगा हर झोपड़ीमें जाकर सूत खरीदना? मैंने ऐसी किसी बातका सुझाव दिया ही नही है। मैंने तो यह सुझाव दिया है कि जिनसे दलालोंका सम्बन्ध रहता है हमें उन कतैयोंका पता होना चाहिये। न तो हम दलालोंसे अपना वास्ता बिलकुल ही समाप्त कर देना चाहते है और न यह चाहते है कि हमें उनकी दयापर निर्भर रहना पड़े। कतैयोंको वास्तवमें क्या दिया जाता है, इसके बारेमें भी हमें बेखबर नही रहना चाहिए। इसलिए समय-समयपर रजिस्टर भरा जाना चाहिए। एक बार हमें पता चल जाये कि कतैये कौन लोग हैं, वे कहाँ रहते हैं, उन्हें क्या मिलता है, और वे [कातनेके सिवा और] क्या करते है, तो फिर उनके बारेमें छः महीने तक तो चिन्ता करनेकी आवश्यकता नही रहती। वास्तवमें तो आपको दलालोंके सम्पर्कमें आने और उनके जरिये कतैयोंसे सम्पर्क करनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मै कह नहीं सकता, अब भी मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाया हूँ या नहीं। इनकी कार्यपद्धति न जाननेके कारण इसमें, जिनका मुझे ज्ञान नहीं है ऐसी कुछ कठिनाइयाँ हो सकती है। उस हालतमें आप मुझे उन कठिनाइयोंके बारेमें लिखिए ताकि मैं उन्हें दूर करनेके लिए कुछ ठोस सुझाव दे सकूँ।

जहाँ तक पूँजीके अभावका सम्बन्ध है, मैं जमनालालजी और शंकरलालसे सलाह करने जा रहा हूँ। आपने निश्चित रूपसे नहीं बताया है कि आपको कितनी रकम चाहिए। यदि अदायगीका जिम्मा ले लिया जाये तो क्या बाबू शिवप्रसाद गुप्त बिना सूदके उतनी रकम देनेको तैयार हैं, और यदि वह तैयार हों तो यह ऋण कितने समयके लिए होगा?

मुझे आपके पत्रका अन्तिम अनुच्छेद अच्छा नही लगा। किसी भी स्थितिमें निराशाको तो पास नही फटकने देना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आपके सामने आयें, आपको आश्रममें जमे रहना है। आपको कोई दूसरा काम नहीं उठाना चाहिए। कृपया नियमित रूपसे लिखते रहियेगा।

अब क्या आप पुनः पूर्ण रूपसे स्वस्थ हो गये हैं या अब भी कोई परेशानी है? यदि हो तो अब डा० अन्सारीको अपेक्षाकृत अधिक अवकाश है।

हृदयसे आपका,

प्रो० कृपलानी
गांधी आश्रम
बनारस छावनी

अंग्रेजी (एस० एन० १३१७७) की फोटो-नकलसे।

२४६. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

आश्रम
साबरमती
८ अप्रैल, १९२८

प्रिय जवाहर,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता कि पिताजीने मुझसे इस महीनेके अन्तिम सप्ताहमें मिल-मालिकोंसे बातचीत करने और फिर बम्बई जानेकी बात कही हो। परन्तु हम दोनोंने विदेशी वस्त्र बहिष्कारके प्रश्नपर विस्तारसे चर्चा की थी और उन्होंने सेठ लालजी, शान्तिकुमार, सेठ अम्बालाल, सेठ कस्तूरभाई और सेठ मंगलदाससे सलाह मशविरा किया था। यह बातचीत तो अच्छी रही परन्तु ठोस काम कुछ नहीं हुआ। अब मैंने सुना है कि मिल-मालिक अपनी स्वदेशी लीग चलाने जा रहे हैं, जिसका अभिप्राय निस्सन्देह यह है कि हममें परस्पर कोई समझौता नहीं हो पा रहा है।

आज मेरी लालाजीसे लम्बी बातचीत हुई, क्योंकि वे दो दिनसे यहाँ हैं। वे विदेशी वस्त्र बहिष्कारके प्रति उत्साहशील हैं। मैंने उन्हें साहित्य दे दिया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मैं कुछ नेताओंको आमन्त्रित करूँ और बहिष्कारके सम्बन्धमें उनसे बातचीत करूँ। मैंने उनसे कह दिया कि मुझमें इतना हौसला नहीं है। उनकी राय यह है कि यदि बहिष्कारका तीव्र प्रचार करना है, तो मुझे देशसे बाहर हरगिज नहीं जाना चाहिए; मैं इससे निस्सन्देह सहमत हूँ। परन्तु मैं तबतक तीव्र प्रचारका काम अपने हाथमें नहीं ले सकता जबतक कि राजनीतिक दृष्टिसे जागृत भारत पूरे दिलसे इसमें मेरे साथ न हो और जबतक विदेशी कपड़े, मुख्य रूपसे अंग्रेजी कपड़ेके अस्थायी बहिष्कारकी बात छोड़ न दी जाये। इसलिए हमने यह अस्थायी व्यवस्था की है कि जाने माने नेताओं द्वारा की गई सहज कार्रवाईसे यदि कुछ ठोस काम बनता है, तो मुझे यूरोप जानेका विचार छोड़ देना चाहिए। दूसरी ओर वैसा कुछ न होता हो और यदि मुझे अन्यथा अपना रास्ता साफ दिखाई दे तो मैं चला जाऊँगा

और लालाजी तथा उनके समान विचारोवाले दूसरे लोग विदेशी वस्त्र बहिष्कारके बारेमें मिलोंकी सहायतासे या उनकी सहायताके बिना तीव्र प्रचारके लिए वातावरण तैयार करे। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपको डा० अन्सारी और दूसरे लोगोसे सलाह मशविरा करना चाहिए। मै समझता हूँ कि वे सब पजाब जायेंगे, खादी द्वारा विदेशी वस्त्र बहिष्कारके सम्बन्धमें प्रस्ताव पास करेगे। मै आपको चेतावनी देता हूँ कि देशी मिलोंमें बने कपड़ेका कोई जिक्र न किया जाये। आप सीधे कह सकते हैं; राष्ट्रकी संगठित शक्तिको तत्काल प्रदर्शित करनेका एकमात्र प्रभावपूर्ण उपाय यही है कि विदेशी वस्त्रका बहिष्कार किया जाये और हाथसे कती और हाथसे बुनी खादी अपनाई जाये, भले ही इसमें पहनावेके बारेमें अपनी रुचि बदलनेकी आवश्यकता पड़े या कुछ आर्थिक त्याग भी क्यों न करना पड़े। आप मित्रोके साथ जो निजी चर्चा करे वह भी मुझे बतायें और मुझे सलाह दें कि क्या मुझे यूरोप जानेका विचार छोड़ देना चाहिए। यों डा० अन्सारीको निर्णय कर सकना चाहिए।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१७९) की फोटो-नकलसे।

२४७. पत्र : शंकरनको

आश्रम
साबरमती
८ अप्रैल, १९२८

प्रिय शंकरन्,

मैं आज तड़के ही प्रार्थनाके तुरन्त बाद प्यारेलालसे बात करते-करते तुम्हारे बारेमें सोच रहा था; और अभी-अभी तुम्हारा पत्र मिला।

मान लो कि ऐसे अनाथोकी, जो जहाज टूट जानेसे किसी द्वीपमें आ लगे हों, कोई बस्ती है; वे सब अविवाहित पुरुष है; वे यह भी नही जानते कि कभी उनके माता-पिता भी थे; यह भी मान लो कि उन्हें अक्षरज्ञान है और पढ़नेसे उन्हें पता चल जाता है कि उन सबके माता-पिता थे; मान लो कि बादमें पढ़ाईके दौरान उन्हें कोई दार्शनिक पुस्तक मिलती है जिसका नाम है 'स्वयं भू,' तो क्या वे अनाथ बच्चे दार्शनिक दृष्टिसे यह विश्वास करने लगेंगे कि वे 'स्वयं भू' है? जैसे वह काल्पनिक दर्शनकी पुस्तक अधिकांश सीधे-सादे अनाथ बच्चोंके विश्वासको नही डिगा पायेगी, उसी तरह तुमने ईश्वरकी अस्तित्वहीनताके सम्बन्धमें जो दार्शनिक पुस्तक पढी है, उससे ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास विचलित नहीं होना चाहिए। यदि तुम अपने माता-पिताके अस्तित्वके तथ्यको स्वीकार करते हो तो फिर मूलभूत तथ्य, प्रथम कारणको कैसे अस्वीकार कर सकते हो। इसकी मुझे कोई चिन्ता नही कि तुम उस

प्रथम कारण स्वरूप तथ्यका निश्चय हो जानेपर उसे ईश्वर कहते हो या कुछ और। यदि उस प्रथम कारणका निश्चय हो जाये तो फिर इसके बारेमें जाँच-पड़ताल करना बिलकुल व्यर्थ है कि उस प्रथम कारणसे न्याय कैसे मिलता है या अपने चारों ओर हमें जो अन्याय हो रहा प्रतीत होता है वह कैसे होता है। इसके विषयमें असंख्य सिद्धान्त हैं। मेरा कार्य-कारण सिद्धान्त अर्थात् कर्म-सिद्धान्तमें विश्वास है। इससे मनुष्यकी सभी शंकाओंका समाधान हो जाता है। परन्तु यदि उससे तुम्हारी शंकाओंका समाधान नहीं होता तो तुम अवश्य ही प्रतीक्षा करो, सजग रहो और प्रार्थना करो। किसी-न-किसी दिन तुम्हें बोध होगा। परन्तु यदि तुम्हारा प्रथम कारणमें विश्वास नही हो तो फिर कोई आशा नहीं है। क्योंकि तब तुम प्रार्थना किससे करोगे? इसलिए ईश्वर पर अपना विश्वास दृढ़ रखो, तर्क पर ध्यान मतदो। क्या तुम अपने माता-पिताके अस्तित्वको सिद्ध कर सकते हो? क्या तुम यह नहीं कहोगे कि चाहे मै तर्क दे सकूँ या नही, मेरे माता-पिताका अस्तित्व मेरे लिये पूर्ण तथ्य है। यदि तुम पूछताछ करनेवालोंको प्रमाणित करके सन्तुष्ट न कर सको तो तुम कहोगे "मेरे तर्कमें त्रुटि है, तथ्यमें नही।" ऐसे ही तुम्हें अपने आपसे कहना चाहिए कि चाहे मैं ईश्वरके अस्तित्वको तर्क द्वारा सिद्ध न कर सकूँ, तो भी मैं प्रथम कारणमें मानव-जातिके विश्वास और अनुभवको अवश्य स्वीकार करता हूँ।

अब भी यदि तुम्हें सन्तोष न हो तो अवश्य ही मुझसे फिर पूछना।

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१७५ और १३१८०) की फोटो-नकल से।

२४८. पत्र : मणिलाल गांधी और सुशीला गांधीको

[१० अप्रैल, १९२८ से पूर्व][1]

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम्हारा पत्र मिला। अभी हालमें तो किसी दिन डाक न आई हो, ऐसा नही लगता। सुशीलाका अध्ययन ठीक चल रहा है यह तो अच्छा है; किन्तु मुझे तो उसके शरीरकी चिन्ता है। मै चाहता हूँ कि शरीरको स्वस्थ बनानेके लिए जो भी प्रयत्न कर सकते हो, करो।

नीमू अभी यहीं है। रामदास खादीकी फेरीके लिए गया हुआ है। बादमें ज्यादातर तो उसका जमनादासकी पाठशालामें जानेका इरादा है। दोनों वही काम करेंगे। देवदास दिल्ली गया है।

१. देखिए अगला शीर्षक।

मेरे यूरोप जानेकी बात चल रही है पर मेरा मन कोई पक्का निश्चय नहीं कर सका है। एक सप्ताहके अन्दर फैसला हो जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

भाई प्रागजीसे कहना कि उनका पत्र मिल गया है। उन्हें अलगसे पत्र लिखनेका समय नहीं है। ऐसा लगता है कि दोनोंके मामलोंका फैसला हो गया है।

गुजराती (जी० एन० ४७२२) की फोटो-नकलसे।

२४९. पत्र: मणिलाल गांधी और सुशीला गांधीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१० अप्रैल, १९२८

चि० मणिलाल और सुशीला,

आज मुझे स्वयं लिखनेका वक्त नहीं है। राष्ट्रीय सप्ताह चल रहा है, इसलिए शरीर जिस हदतक सह सके और जिस हदतक समय बच सके उस हदतक उसका उपयोग कताईमें करना चाहता हूँ। इसलिए यह पत्र बोलकर लिखवा रहा हूँ। इस समय तक तो तुम फीनिक्समें स्थिर हो चुके होगे। मुझे तो यह ठीक ही लगता है। अपनी पढ़ाईके लिए सुशीला दो-तीन बार शहर चली जाये। इतना काफी होना चाहिए। अन्ततः भाषाका ज्ञान और दूसरा ज्ञान भी अपने प्रयत्नसे ही मिल सकता है। अबतक तो सुशीलाका स्वास्थ्य बिलकुल ठीक हो गया होगा। कल वेन मुझे मिल गया था। मणिलालसे हुई मुलाकातकी भी थोड़ी चर्चा हुई। मैंने उसके साथ किसी खास विषयपर तो बात नहीं की; परन्तु वह यहाँसे कुछ अच्छे विचार लेकर गया है, ऐसा मुझे लगा।

रामदास काठियावाड़में खादीकी फेरी कर रहा है। नीमू यहीं है। देवदास दिल्लीके जामिया मिलियामें कताई वगैरा सिखा रहा है। इस समय आश्रममें चरखा निरन्तर चल रहा है। किशोरलाल बहुत बीमार पड़ गया था, पर खबर है कि सामान्य उपचारसे ठीक हो गया है। तुम्हें तो वहाँसे पत्र प्राप्त होते ही होंगे, इसलिए उनके विषयमें कुछ नहीं लिख रहा हूँ।

'गीता' का कुछ अध्ययन कर पाते हो न?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७३५) की फोटो-नकलसे।

२५०. पत्र : अल्बर्ट गोडमुनेको

आश्रम
साबरमती
११ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपके भाईके बारेमें आपका पत्र मिला। मैं हर रोज उनसे मिलता हूँ, क्योंकि आजकल मैं सम्मिलित रसोई-घरमें भोजन करनेवालोंके साथ बैठता हूँ, जहाँ वे भी खाना खाते हैं। मुझे खुशी है कि आपने मुझे उनके बारेमें लिखा। मैं उनपर अपनी नजर रखूँगा। परन्तु मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा कि आजकल मेरे पास इतने आश्रमवासियोंके निकट सम्पर्कमें आनेका समय नहीं रहता। इसलिए मेरे द्वारा आपके भाईकी देखरेख सीमित ही होगी।

मनीआर्डर अभी तक नहीं मिला है, परन्तु यथा समय मिल जायेगा।

हृदयसे आपका,

श्री अल्बर्ट गोडमुने
प्रोक्टर एण्ड नोटरी
१०, पैविलियन स्ट्रीट, कैंडी

अंग्रेजी (एस० एन० १३१५७–ए)की माइक्रोफिल्मसे।

२५१. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

आश्रम
साबरमती
११ अप्रैल, १९२८

प्रिय च० रा०,

मैं आपको संलग्न-पत्र अपने उत्तरकी प्रतिके साथ भेज रहा हूँ। आशा है कि आप जो कुछ आवश्यक होगा करेंगे। सम्भवतः आप इन लोगोंको जानते हैं।

श्रीयुत च० राजगोपालाचारी
द्वारा खादी प्रतिष्ठान
सोदपुर

अंग्रेजी (एस० एन० १३१८३)की माइक्रोफिल्मसे।

२५२. पत्र : आर० आर० एथनको

आश्रम
साबरमती
११ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। खेद है कि मैं आपको कोई उपयोगी निर्देश नहीं दे सकता। मैं आपके संगठनको अच्छी तरहसे समझ नही सका हूँ। परन्तु यदि आप अहमदाबाद आनेके लिए उत्सुक है, तो मैं अगले सप्ताह सोमवारके अलावा किसी भी दिन शामके ४ बजे आपसे मिल सकूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री आर० आर० एथन
प्रधान सचिव
इंटरनेशनल पीस कैम्पेन
१५०, वाट्सन होटल
बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १३१८५) की फोटो-नकलसे।

२५३. पत्र : सदाशिव रावको

आश्रम
साबरमती
११ अप्रैल, १९२८

प्रिय सदाशिव राव,

मुझे आपके तीन पत्र मिले। जिन मामलोंका आपने जिक्र किया है, उनमें जितनी मदद मैं देना चाहता हूँ, उतनी दे पानेकी क्षमता मुझमें नहीं है। यद्यपि मै बहुत-से पैसेवाले मित्रोको जानता हूँ, परन्तु आपने उनपर जिस तरह दबाव डालनेका सुझाव दिया है, उस तरह शायद मैं अपने असरका इस्तेमाल न करूँ। इसलिए आपको अपनी नाव स्वयं खेनी है और बहादुरीसे कठिनाइयोंका सामना करना है। यदि आप आश्रय-विहीन भी हो जायें तो इससे क्या होता है? क्या लाखों लोग ऐसी ही दशामें नही रहते? और आपकी लड़कियोको ऐसा प्रशिक्षण मिला है कि यदि आपने उनके लिए कोई प्रबन्ध न भी किया हो, तो भी वे अपने आपको योग्य

ही सिद्ध करेंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपपर जो संकट आ पड़ा है, इसमें मर्दकी तरह अपने कर्त्तव्यका पालन करें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१८४) की माइक्रोफिलमसे।

२५४. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रचूजको

आश्रम
साबरमती
११ अप्रैल, १९२८

प्रिय चार्ली,

तुम्हारा पत्र मिला। बड़े दुःखकी बात है कि गुरुदेव बहुत बीमार हो गये हैं और उन्हें रक्तचापका रोग लग गया है। भारतमें यक्ष्माका रोग बड़ा कठिन है। यदि पारजम्बु रश्मि (अल्ट्रा वायलेट रेज़) के सिद्धान्तमें कोई सचाई है — जैसा कि मैं समझता हूँ — तो भारतमें किसीको भी इस भयंकर रोगसे पीड़ित नही होना चाहिए।

तुम्हें श्रद्धानन्द लेखमाला समाप्त करनेकी याद बनी होगी।

मैं अभी अम्बालालसे नहीं मिला हूँ, परन्तु अपने बीच जो बातचीत हुई थी उसे नहीं भूला हूँ।

सी० एफ० एन्ड्रचूज
शान्तिनिकेतन

अंग्रेजी (एस० एन० १३१५२) की फोटो-नकलसे।

२५५. एक समयानुकूल किताब

'यंग इंडिया' के पाठक श्री रिचर्ड बी० ग्रेगके नामसे भली-भाँति परिचित हैं। अमेरिकाके ये वकील महोदय खादीके सन्देशसे आकृष्ट होकर कोई दो वर्ष पहले हिन्दुस्तान आये और आने के बादसे ही उन्होंने खादी आन्दोलनका बहुत बारीकीसे अध्ययन किया। कोई साल भरकी मेहनतसे उन्होंने खादी आन्दोलन पर एक किताब तैयार की है, जिसमें खादी पर प्रायः बिलकुल मौलिक ढंगसे विचार किया गया है। अपनी हरएक बातके समर्थनमें उन्होंने आँकड़े और तथ्य प्रस्तुत किये हैं और पाद-टिप्पणियोंमें श्री ग्रेगने उन प्रमाणोंका हवाला दिया है, जिनके आधारपर उन्होंने अपने निष्कर्ष

निकाले हैं। इसके प्रकाशक हैं एस० गणेशन, १८ पाइक्राफ्ट्स रोड, ट्रिप्लिकेन, मद्रास। कीमत है १।।) रु०। कुल २२५ पृष्ठ हैं, जिनमें पृष्ठ १६५ से लेकर पृष्ठ २२५ तक सात परिशिष्ट हैं। किताबमें कुल १२ अध्याय हैं। पाठक यह भी समझ लें कि श्री ग्रेग भारतीय गाँवोंके बारेमें जो कुछ लिखते हैं, थोडा-बहुत आप देखा लिखते हैं। प्रस्तावनाके पहले तीन अनुच्छेदोंसे पाठकोंको पता चल जायेगा कि श्री ग्रेगने किस तरहसे पुस्तक तैयार की है[1]:—

इसी गरीबीको दूर करनेके लिए श्री ग्रेगने इस उद्देश्यसे तैयार की गई विविध योजनाओंकी परीक्षा की और अन्तमें उन्हें लाचार होकर इसी निष्कर्ष पर आना पड़ा कि चरखा ही इसका एकमात्र सच्चा उपाय है। लेखक कहते हैं:[2]

> इस छोटी-सी किताबमें यही दिया गया है कि मेरे जैसे आदमीको, जिसे अमेरिकाकी औद्योगिक और मजदूरोंसे सम्बन्धित समस्याओंका ७ वर्षका व्यवहारिक-ज्ञान है (जिसमें अधिकांश कपड़ेकी मिलोंका ही है) और साथ ही जिसने हिन्दुस्तानमें खद्दर आन्दोलनका ढाई वर्ष तक अध्ययन किया है, और वह भी गाँवोंमें तथा आन्दोलनके मुख्य केन्द्रमें, यह योजना कैसी जान पड़ती है। मुख्यतः अपने ही विचारोंको ठीकसे समझ लेनेके लिए यह खोज शुरू की गई थी।

श्री ग्रेग द्वारा समस्याके अध्ययनकी नवीनता यही है कि उन्होंनें यन्त्र शास्त्रके पहलूको ध्यानमें रखते हुए समस्या पर विचार किया है। पुस्तकके प्रथम अध्यायका शीर्षक भी यही है। उन्हें यह साबित करनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई है कि किसी भी देशकी भौतिक उन्नति केवल विद्युत या यन्त्र शक्ति अथवा मशीनें संचित कर लेनेसे ही नहीं, बल्कि उनके सही इस्तेमालसे होती है। वे अपनी दलील यों शुरू करते हैं:[3]

अब दूसरे अध्यायोंसे उद्धरण देनेका लोभ तो मुझे संवरण करना ही पड़ेगा। मगर ऊपर दिये गये उद्धरण अगर पाठकको जरा भी रुचिकर लगे हों तो मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आगेके अध्याय नितान्त रोचक और बहुत ही शिक्षा-प्रद है। अब मै शेष ११ अध्यायोंके शीर्षक देकर जल्दबाजीमें लिखी गई यह समालोचना समाप्त करता हूँ। इतना तो सभी मानेंगे कि शीर्षक काफी व्यंजना-पूर्ण है।

१. उपर्युक्त अनुच्छेद यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं ग्रेग्रने उनमें लिखा था कि "पहले जमानेमें हिन्दुस्तान बहुत ही धनी देश समझा जाता था। कमसे-कम मुसलमानोंके आक्रमणके पहले तक तो देशका धन लोगोंमें सम्यक रूपसे बँटा हुआ था। लेकिन यद्यपि हिन्दुस्तान अब भी धनका निधान समझा जाता है, हिन्दुस्तानके बाशिन्दे दुनियाके दरिद्र लोगोंमें गिने जाते हैं, जैसा कि मद्रास विश्वविद्यालयके प्राध्यापक गिल्बर्ट स्लेटर कहते हैं कि 'भारतवर्षकी कगाली एक भयानक तथ्य है।"

२. केवल कुछ अंश यहाँ दिया जा रहा है।

३. यह उद्धरण यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसके मूलके लिए देखिए हमारा अंग्रेजी खंड ३६।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १२-४-१९२८

२५६. खादीका स्थान

खादी-प्रेमी अनेक सज्जन मुझे जोरोंसे चेतावनी देते हुए यह लिखते रहते हैं कि मिलवालोंसे इस आशामें मेलजोल बढ़ानेकी कोशिश करना कि विदेशी-वस्त्र बहिष्कार आन्दोलन चलानेके लिए राष्ट्रके लिए हितकर शर्तोंपर उन्हें पक्षमें लेकर उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, व्यर्थकी आशा है। उनकी चेतावनीका महत्व मैं समझता हूँ। इनमें कुछ सज्जन तो खादीके मँजे हुए अनुभवी कार्यकर्त्ता हैं। फिर भी मैंने इस बातकी आशा नहीं छोड़ी है कि किसी दिन मिलवाले राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपना लेंगे। आखिरकार अहिंसाके सिद्धान्तका दृढ विश्वासी होनेके नाते जिस तरह मैं अंग्रेजोंको भारतवर्षके हितके सम्बन्धमें भारतीय दृष्टिकोण अपनानेके लिए राजी करनेका एक भी मौका नहीं छोड़ सकता उसी तरह मैं मिल-मालिकोंको भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनानेके लिए राजी कर सकनेका कोई अवसर हाथसे नहीं जाने दे सकता। आखिरकार अगर हमें अहिंसाके रास्ते स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है तो हमें उनके भी दरवाजे खटखटाने होंगे, जो हमारी स्वाधीनताके रास्तेमें रोड़े अटकाते हैं, और उनसे भी विनय करनी होगी कि आप रुकावटोंको दूर करें। जिस तरह खूनी क्रान्तिमें उन लोगोंको — रास्ता रोकनेवालोंको — चाहे वे स्वदेशवासी हों या विदेशी मरना ही पड़ता है उसी तरह अहिंसात्मक क्रान्तिमें वैसे लोगोंको जो कोई युक्ति नहीं सुनते और हठपूर्वक रास्ता रोकते हैं, सत्याग्रहका सामना करना ही पड़ेगा।

इसलिए उन शर्तोंको जिनपर कि मिल-मालिक राष्ट्रका साथ दे सकते हैं, सामने रखनेमें मैं कोई हानि नहीं देखता। उन्हें उनके सामने न रखना ही अनुचित होता। अगर मिल-मालिक ये शर्तें स्वीकार कर लें तो मेरी समझमें इससे खादीकी यानी

जनताकी कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि अगर मिलें जनताके शोषणका काम न करें, जैसा कि वे आज कर रही हैं, बल्कि उनकी सेवा करनेकी दृष्टिसे काम करें तो वे घर-घर चलनेवाले चरखों और करघोंसे होनेवाले उत्पादनको मदद पहुँचायेंगी, उनकी जगह नहीं लेंगी, जैसा कि आज वे कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर वे मेरी बतलाई शर्तें स्वीकार करनेमें हिचकें तो इसका कारण यह होगा कि उन शर्तोंके तर्क-सिद्ध परिणामसे मिल-मालिक घबराते हैं, उसी तरह जैसे कि अंग्रेजोंको मेरी इस शर्तके तर्क-सिद्ध परिणामसे घबराहट होती है कि वे सचमुचमें राष्ट्रके सेवक बन कर रहें। इसलिए मैं खादी-प्रेमियोंसे कहूँगा कि आप मेरे इस मेल-जोलके प्रयत्नसे जरा भी मत डरिये। अगर हमारी श्रद्धा अचल हो, अगर खादीमें वह सहज शक्ति हो जिसका हम दावा करते हैं, अगर जनताको सचमुच इसकी जरूरत हो और अगर हम अपने प्रयत्नमें लगे ही रहें तो हम अपने उद्देश्यको अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। खादी तभी असफल होगी, जब खादी-प्रेमियोंकी श्रद्धा डगमगा जाये या हमारी श्रद्धाका आधार केवल कोई ऐसी कल्पना हो, जिसमें कोई तथ्य न हो यानी जनता गरीबीसे दरअसल पिस न रही हो और उसे सालमें कभी फुरसतका समय न मिलता हो, या फुरसत मिलनेपर भी करोड़ोंके लिए चरखा ही सबसे अधिक उपयुक्त और व्यावहारिक धन्धा न हो।

उपर्युक्त बातोंको दृष्टिमें रखकर खादीमें मेरा जो अटल विश्वास है, उसकी वजहसे और उस विश्वाससे जन्मे बलके कारण ही मैं मिल-मालिकोंसे मेल मिलापकी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है, और शायद अब प्रायः निश्चित ही है, कि इस सलाह मशविरेसे तत्काल कोई लाभ होनेवाला न हो। अगर इस बीच हमने विदेशी वस्त्रका बहिष्कार पूरा नहीं कर लिया है तो, आगे कुछ काम करनेमें या रास्ता दिखानेमें इससे सहायता मिलेगी।

इसलिए एक ही बात दोहरानेकी जोखिम उठाकर भी इस बातपर विचार कर लेना लाभदायक होगा कि बहिष्कारकी योजनामें खादीका क्या स्थान है। मेरे खयालसे विदेशी वस्त्रका बहिष्कार इसीलिए आवश्यक और सम्भव भी है कि जनता पर इसका असर पड़ता है और जनताको इससे लाभ भी पहुँचता है। और यह सफल तभी हो सकता है जब इसमें जनता भी शामिल हो। अगर केवल स्वदेशी मिलोंके ही बलपर विदेशी वस्त्रका बहिष्कार किया जाना सम्भव हो तो, उसका महत्व अस्थायी होगा। मैं निकट भविष्यमें केवल स्वदेशी मिलोंके ही सहारे यह बहिष्कार कर सकना असम्भव मानता हूँ। मेरी सम्मतिमें केवल खादीने ही इस बहिष्कारकी बातको व्यावहारिक बनाया है। सचमुच ही, यह इतना अधिक व्यावहारिक है कि अगर राजनीतिक वृत्तिवाले हिन्दुस्तानी खादी बेचनेका भार उठा लें तो एक सालके भीतर ही, देशी या विदेशी मिलोंका बना एक गज कपड़ा न मिले तो भी राष्ट्रकी जरूरत भरकी सारी खादी तैयार की जा सकती है। इस बातपर मैं इस मान्यताके बल पर जोर देता हूँ कि गाँवोंकी जरूरतकी खादी गाँववाले आप बना लेंगे और संगठित केन्द्रोंमें उन्हींके उपयोगके लिए खादी बनेगी,

जो आप अपने कपड़ेके लिए सूत नहीं कातते। पिछले ७ वर्षोंका अनुभव हमें बतलाता है कि अगर अचानक कपड़ेका अभाव हो जाये और जनताको उत्साहित किया जाये तो उनमें इतना काफी हुनर है और उनके पास इतने स्वदेशी यन्त्र हैं कि वे अपनी खादी आप बना सकते हैं। बेशक, राजनीतिक मनोवृत्तिवाले हिन्दुस्तानियोंके मानसिक दृष्टिकोण और वस्त्र-विषयक रुचिमें क्रान्तिकारी परिवर्तन होना जरूरी है। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि अगर आज उनमें से अधिकांश इस पुकारको नहीं सुनते तो उस दिन जब वे देखेंगे कि खादीकी गति रोकी ही नहीं जा सकती उन्हें लाचार होकर इसे सुनना होगा। इसकी गतिको अबाध बनानेके लिए खादी कार्य-कर्त्ताओंको दृढ़ता, ईमानदारी, शास्त्रीय निपुणता और बारीकीसे बराबर काम करते रहना होगा। मैंने जो मिलवालोंको अपने साथ लेना चाहा है और उनके सहयोगसे विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार तुरन्त करनेकी सम्भावनाके बारेमें चर्चा की है, वह यह दिखलानेके लिए कि अगर वे सचमुच चाहें तो अपनी सेवाके साथ-साथ राष्ट्रकी सेवाका सौभाग्य भी लूट सकते हैं। इस बीच कोई इसमें शंका न करे कि खादी शान्तिपूर्वक और अनजाने ही लोगोंकी रुचिमें आमूल परिवर्तन करती जा रही है और अगर बीचमें ही मेरे सुझाये हुए मेलजोलके जैसी कोई योजना बहिष्कारको सफल न कर पाई तो अपने ढंगपर यथासम्भव एक दिन जरूर खादी बहिष्कारको सफल करेगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-४-१९२८

२५७. टिप्पणियाँ

वचन-भंग

पिछले साल जब मैं गंजम जिलेमें बरहामपुर गया था, मुझे लोग एक मन्दिरमें ले गये थे। उसके बारेमें मुझे बताया गया था कि वह तथाकथित अछूतोंके लिए भी खुला हुआ है। मेरे साथ कुछ 'अछूत' मित्र भी थे। कुछ हफ्ते हुए मेरे पास एक पत्र आया कि अब मन्दिरके न्यासियोंने अछूतोंके प्रवेशका निषेध कर दिया है। इस बातपर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने पत्र[1] लिखकर पुछवाया उसका जवाब यह आया है:[2]

अगर ये बातें सच्ची हैं तो यह न्यासियों द्वारा सरासर अपना वचन भंग करना है—और वह वचन न सिर्फ मुझ ही को सार्वजनिक रूपमें दिया गया था

१. गांधीजीका २२ मार्चका यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

२. पत्र-लेखकने जिसका पत्र यहाँ नहीं दिया गया है, लिखा था कि मन्दिरके न्यासी अछूतोंपर पहलेसे भी ज्यादा प्रतिबन्ध लगा रहे हैं और अछूत लोगोंका कांग्रेसके अछूत आन्दोलनपरसे विश्वास उठता जा रहा है।

बल्कि मेरी मार्फत बरहामपुरके लोगोंको दिया गया था। मैं समझ नहीं सकता कि न्यासियोंके पास अपने इस कामकी क्या कैफियत या बचाव देनेको है। यह तो बेशक अछूतोंके सत्याग्रह करनेका स्पष्ट मामला है। अगर उनका मन्दिर-प्रवेश सचमुच ही मना हो तो, मैं आशा करता हूँ कि बरहामपुरकी जनता इस निषेधको हटाकर अपने सम्मानकी रक्षा करेगी।

माजोरका मानवीय कताई यन्त्र

निम्न दिलचस्प अखबारी कतरन[1] भेजनेके लिए मैं कोयम्बटूरके श्रीयुत सी० बालाजी रावका कृतज्ञ हूँ:

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १२-४-१९२८

२५८. दक्षिण आफ्रिकी भारतीय

आफ्रिकाके गृहमन्त्रीकी ओरसे २४ फरवरी, १९२८, को दक्षिण आफ्रिकी भारतीय कांग्रेसके मन्त्रीके नाम भेजे गये निम्न पत्रमें[2] कथित जाली प्रवेशोंके सम्बन्धमें संघ-सरकारकी दी हुई रियायतें लिखी गई हैं:[3]

यदि पत्नियों और बच्चोंके सम्बन्धमें पत्रकी धारा (ग) में दी गई शर्तें[4] अत्यन्त कठोरतापूर्वक लागू न की जायेंगी तो यह रियायत ठीक काम देगी।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १२-४-१९२८

१. यहाँ नहीं दी जा रही है।

२. यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

३. रियायतोंका सार यह था कि यदि कोई भारतीय यह विश्वास दिला देगा... कि वह संघके 'ऑरेंज फ्री स्टेट' के अतिरिक्त अन्य किसी प्रान्तमें ५ जुलाई, १९२४ के पूर्व प्रवेश कर चुका था, तो कुछ शर्तें पूरी कर देनेपर संघ सरकार १९१३ के कानून २२के खण्ड १० को, १९२७ के कानून ३७ के खण्ड ५ द्वारा संशोधित रूपमें पूरी तरह अमलमें नहीं लायेगी।

४. शर्त यह थी कि जो पत्नियाँ और बच्चे ५ जुलाई, १९२७ से पहले ही दक्षिण आफ्रिकी संघमें नहीं लाये गये थे, उन्हें नहीं आने दिया जायेगा।

२५९. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

आश्रम
साबरमती
१२ अप्रैल, १९२८

प्रिय मोतीलालजी,

आपका पत्र मिला। मिल-मालिकोंकी ओरसे जो-कुछ किया जा रहा था मैंने आपको पत्र उसकी पूरी जानकारीके बगैर नही लिखा था। वे अलग संगठन चला रहे हैं; उसका हमसे कोई वास्ता नही होगा। बहरहाल, म आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि उनका पूरा सहयोग पानेके लिए हमें कोई कसर उठा नहीं रखनी चाहिए। इधर मैं जो-कुछ कर सकता हूँ कर रहा हूँ। सर पुरुषोत्तमदाससे बातचीत करनेपर आपको जो सफलता मिले सो आप सूचित करें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चरखा-आन्दोलनकी सम्भावनाओंका अध्ययन करें। यह इतना निराशाजनक नही है जितना कि आप समझते हैं। संक्षेपमें स्थिति इस प्रकार है: उस अवधिके भीतर जिससे राजनीतिज्ञोंको सन्तोष हो, मिलें स्वयं बहिष्कारको सफल नही बना सकती। परन्तु यदि मिलें चरखेको साथ लेकर काम करें तो बहिष्कारको उस निश्चित अवधिके भीतर इस प्रकार सफल बनाया जा सकता है, जिससे किसी भी देशभक्तकी उत्कटसे-उत्कट आशाएँ पूरी हो सकें। चरखा अकेला भी उपयुक्त अवधिके भीतर बहिष्कारको सफल बना सकता है; किन्तु उसकी गति राजनीतिज्ञोंके काम करनेकी तीव्रता पर निर्भर करेगी। खादी निर्माताके रूपमें मैं लगभग असीम परिमाणमें खादी देनेके लिए किसीसे भी बातचीत करनेको तैयार हूँ बशर्ते कि वह मुझपर एक किस्मका बन्धन एक सीमासे अधिक नहीं डालता और उसकी कीमतकी चिन्ता नही करता।

मैं आपको चरखा संघकी रिपोर्टकी[1] एक प्रति और एक छोटी-सी पुस्तिका भेज रहा हूँ जिसे आप पांच मिनटोंमें पढ़ सकते हैं, परन्तु उसमें आपको कुछ बड़े प्रभावपूर्ण आँकड़े मिलेंगे। एकमात्र चीज जिससे खादीकी प्रगति रुकी हुई है वह है —माँगका न होना और पूंजीकी कमी।

मैं अब भी रोमाँ रोलाँके अपेक्षित उत्तरकी प्रतीक्षामें हूँ। यदि वे समुद्री तार नहीं भेजते तो फिर शायद अगले हफ्ते उनका पत्र आयेगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१८२) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "अ० भा० च० संघकी वार्षिक रिपोर्ट", ५-४-१९२८।

२६०. पत्र : देवचन्द पारेखको

गुरुवार [१२ अप्रैल, १९२८][1]

भाईश्री देवचन्द भाई,

मैंने काठियावाड़का खादी कार्य और उससे सम्बन्धित सारा सामान तथा कर्जका भार अखिल भारतीय चरखा संघको सौंप देनेका निश्चय किया है। अपने सिर अलगसे जिम्मेदारी लेनेका अर्थ है कि पैसेकी जवाबदारीकी चिन्ता मुझे करनी होगी। मुझे लगता है कि इस समय इसके सम्बन्धमें बाकायदा प्रस्ताव पास कर लेना चाहिए। इसलिए इस आशयका प्रस्ताव समितिमें रखकर पास कर लें या परिपत्र द्वारा सबकी सम्मति ले लें।

ऐसा लगता है कि भाई रेवाशंकर अनूपचन्द मनसुखलालका घर अपने कर्जके एवजमें ले लेना चाहते है। इस सम्बन्धमें आपको कुछ मालूम हो तो लिखें। भाई वालजीका कहना है कि यह घर रेवाशंकर नही ले सकते, ऐसा आपका विचार है।

मोरबीकी अन्त्यज शालाका क्या हुआ?

बापूके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ५७२९) से।

२६१. भाषण : खादी विद्यालयके विद्यार्थियोंके समक्ष[2]

[१३ अप्रैल, १९२८ से पूर्व][3]

खादी-सेवा संघकी कल्पना मेरी है। मुझे लगा था कि जिस तरह सरकार यानी 'नौकरशाही' का मण्डल है, वैसा हमारा भी कोई सेवक मण्डल हो तो अच्छा हो। सरकारके नौकर-मण्डलको तो 'शाही' कहा है क्योंकि उसके सदस्य नौकर होते हुए भी शाही ढंगसे चलते है। किन्तु हम 'शाही' नहीं है क्योंकि हमें तो सच्ची सेवा करनी है। इस मण्डलमें दाखिल होनेके लिए नियत अवधिका पाठ्य-क्रम रखा गया, क्योंकि खादी सेवक बननेके लिए शिक्षण और योग्यता चाहिए। खादी शास्त्र अतिशय गम्भीर और वैसा ही अत्यन्त विस्तृत विषय है। क्योंकि इस शास्त्रके द्वारा हम हिन्दुस्तानके ३३ करोड़ आदमियोंकी सेवा करना चाहते हैं और उनकी सेवाके द्वारा जगतकी सेवा

१. डाककी मुहर से।

२. खादी सेवा संघमें प्रवेशके लिए चुने गये विद्यार्थियोंके लिए खादी विद्यालय आश्रममें चलाया गया था।

३. साधन-सूत्रके अनुसार यह भाषण राष्ट्रीय-सप्ताह ६ और १३ अप्रैलके बीच दिया गया था।

करना चाहते हैं। यों, यह अनुभव-शास्त्र है। इसके विपरीत खगोलशास्त्र अनुभवशास्त्र नही है। खादी-शास्त्र अनुभव-शास्त्र है, उसमें होनेवाले प्रयोग और उनके परिणाम अनुभव-गम्य हैं, ३३ करोड़ आदमी उसका प्रत्यक्ष अनुभव ले सकते हैं, इसलिए इसकी मर्यादा या सीमा वहाँतक पहुँचती है जहाँतक ईश्वरके नामकी पहुँचती है।

इस शास्त्रकी विशालताका पता इससे लग सकता है कि सूत कातने और कपड़ा बुननेवाली मिलोंमें जितनी क्रियाएँ होती हैं वे सभी क्रियाएँ हमें घर बैठे करनी पड़ती हैं। इन मिलोंके चलानेवालोंने इन क्रियाओंके विषयमें अनेक पुस्तकें भी पढ़ी हैं, जिन्हें पढ़ना इन क्रियाओंमें निष्णात होनेके लिए आवश्यक है। एक ही क्रिया लीजिए। मिलवालोंको कपासकी परीक्षा करनी पड़ती है वैसी ही हमें भी करनी पड़ती है। कपासकी शक्ति, कपास इकट्ठा करनेका शास्त्र जितना उन्हें जानना पड़ता है, उतना ही हमें भी। हमारा पहला ही पाठ कपासके बारेमें है और वह बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ काम जो मिलोंको नहीं भी करने पड़ते है, हमें करने पड़ते हैं। उदाहरणके लिए, मिलोंको यह सोचनेकी जरा भी नहीं पड़ी है कि कपास ओटते समय बीज अखण्ड रहते हैं, या टूट जाते है, मगर इस लापरवाहीसे हमारा काम नही चल सकता। हम तो चाहते हैं कि बीजमें पूरा-पूरा सत्व रहे। हम गायों-बैलोंको बिनौले खिलाना चाहते है, उनका तेल पेरना चाहते हैं। इन सभी चीजोंके साथ मिलोंको कुछ भी लेना देना नहीं है।

हमारे पास चाहे जितने साधन हों, और हमारी चाहे जितनी कोशिश क्यों न हो, किन्तु प्रयोजनके बिना यह सब बेकार है। वह प्रयोजन देशसेवा है। यह वस्तु ऐसी गहरी है कि इसमें जितने गहरे जायें, जा सकते हैं। मिलोंके परिश्रमका पार नही होता, क्योंकि उनकी स्वार्थदृष्टि है, उन्हें धन कमाना है, उनके तन्त्रमें दण्डनीतिको स्थान है, इनाम-नीतिको भी स्थान है और इनाम-नीति अगर दण्डनीति नही तो और है ही क्या? हमारे यहाँ स्वार्थ नहीं है, दण्डनीति भी नहीं है। किन्तु यह उचित नहीं है कि चूंकि स्वार्थ नहीं है, इसलिए हम मिलोंके बराबर श्रम न करें। हमारा काम जितना निःस्वार्थ है, उतने ही अधिक परिश्रमके लायक है। इसमें जितना प्रेम और उद्यम हम डालेंगे उतनी ही जल्दी जीतेंगे। सर जगदीशचन्द्र बोस किसी पौधेका पत्ता लेकर बड़ी सावधानी और सूक्ष्मतासे जाँच करते हैं उसका पृथक्करण करते हैं, देखते हैं कि उसके इन्द्रियाँ हैं या नहीं, मनुष्योंके समान उसे भी 'मात्रास्पर्श' का अनुभव होता है या नहीं। और अपनी परीक्षाका परिणाम संसारके आगे रखते हैं। यह क्या वे द्रव्य के लिए करते हैं? नहीं। तब क्या कीर्तिके लिए? नहीं। केवल निःस्वार्थ भावसे करते है। किन्तु उनका उद्देश्य ज्ञान है। किन्तु हमारे प्रयोग केवल ज्ञानके लिए ही नहीं है। हमारा तो अनुभव-शास्त्र है और हम प्रत्यक्ष परिणाम देखना चाहते हैं। हमें सावधानीसे देखना है कि अमुक कपाससे कितनी रूई निकलती है, उस रूईका कितना सूत होता है, और उस सूतसे कितना कपड़ा बनता है। और इस तरह यह हिसाब जोड़ सकते हैं कि कितने आदमी कितना काम करके सारे देशकी कपड़ेकी जरूरत पूरी कर सकते हैं।

इस शास्त्रको हस्तगत करनेके लिए जितना ज्ञान प्राप्त कर सको, करो, जितने प्रयोग करने हों, कर देखो। इसके लिए तुम्हारे दिलमें उत्साह चाहिए, शौक चाहिए और लगन चाहिए। जो आदमी भक्ति-भावसे इस शास्त्रकी साधना करेगा, उसे भगवान् बुद्धि-योग देंगे।

किन्तु हमारे लिए शास्त्रका इतना ज्ञान ही लेना काफी नहीं है। अकेला ज्ञान मिलमें चलेगा। हममें तो इस ज्ञानके उपरान्त चारित्र्य चाहिए। तुम आजीविकाके लिए नहीं किन्तु सेवा-भावसे आये हो, खादीमें अपना जीवन देनेकी भावनासे आये हो, और इसके लिए चारित्र्यकी बहुत आवश्यकता रहेगी। चारित्र्यके बिना लोगोंमें तुम किस भाँति जा सकोगे? तुम्हारी सेवा कौन स्वीकार करेगा? कारखानेमें काम करनेवाले आदमीके चारित्र्यके बारेमें कोई नहीं सोचता, किन्तु तुम्हारे चारित्र्यके बारेमें सभी पूछेंगे। फिर तुम्हें सेवक बनकर लोगोंमें जाना है, नादिरशाह बनकर नहीं। बन सके तो उनके बीच मजदूर बनकर रहना है। इसके लिए संयमका जीवन चाहिए।

और चारित्र्य दिखलानेका पहला चिह्न स्वच्छता होगी। तुम स्वच्छताके नियम सख्तीसे पाल कर लोगोंपर जो प्रभाव डाल सकोगे, वह दूसरी तरह नहीं डाल सकोगे। और होना तो ऐसा चाहिए कि नियम पालनेके लिए मत पालो बल्कि नियम पाले बिना तुमसे रहा ही न जाये। तुममें ऐसी वृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए कि स्वच्छता तुम्हारा स्वभाव हो जाये, कहीं भी अस्वच्छता देखकर तुमसे रहा ही न जाये। जहाँ भी अस्वच्छता हो, वह हमारी आँखमें गड़े और उसे साफ किये बिना हमसे रहा न जाये।

हम तो अपने-आपको राष्ट्र-यज्ञमें होम करनेवाले हैं। इस यज्ञमें होम होनेके लिए हमें पवित्र और स्वच्छ होना पड़ेगा। क्या गन्दी चीजको जलानेमें कुछ फायदा होता है? किन्तु सुगन्धित वस्तुको जलानेसे वातावरण साफ होता है और सुगन्ध फैलती है। इसलिए हम चन्दन जैसे स्वच्छ बनकर अपनेको इस यज्ञमें होम दें। इस आश्रमकी कल्पना इसी हेतुसे हुई है। राष्ट्र-यज्ञमें आश्रम धूप बने और दूसरी जगह जहाँ भी बदबू हो उसे हम मिटायें। यही हमारा ध्येय है। यह ध्येय अकेला आश्रमका ही नहीं, बल्कि प्रत्येक खादी-सेवकका है।

और क्या तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारे कार्यका कितना ऊँचा स्थान है? मुझसे अगर कोई पूछे कि गो-सेवा, चर्मालय इत्यादि प्रवृत्तिके मुकाबलेमें खादीका क्या स्थान है तो मैं जरूर कहूँगा कि पहला स्थान है। यह तुलसीदासकी भव्य उपमाके अनुसार नीरस दिखाई पड़नेपर भी अधिकसे-अधिक लोकोपकारक है:—

साधुचरित जिमि सरिस कपासू।
निरस बिसद गुनमय फल जासू।।

कातना कैसा नीरस लगता है? पंजाबी तो मुझे कहते हैं कि यह स्त्रियोंका काम हमसे नहीं हो सकता। फिर खादी-सेवामें मान-सम्मान नहीं मिलता, अधिक वेतन नहीं मिलता। गो-सेवामें दुग्धालयके विशेषज्ञ बनो, चर्म विद्या-विशारद बनो तो अच्छा वेतन मिलेगा। खादीमें वेतन पानेके ऐसे प्रलोभन नहीं है, क्योंकि यह काम करोड़ोंका है। सारे देशमें खादीका संगठन करनेके लिए सात लाख खादी-सेवक चाहिए।

इनको ऊँचे वेतन देनेसे कैसे चलेगा? सात लाख गो-सेवकों या चर्म-विद्या-विशारदोंकी जरूरत देशको शायद न पड़े, किन्तु खादीके लिए तो इतनेसे कममें चलेगा ही नहीं। इस सेवाका इतना महत्व है, इतने विस्तार और प्रमाणमें इसकी आवश्यकता है। नीरस लगनेपर भी इसके जैसा सरस काम शायद ही कोई दूसरा हो। इस कार्यमें तुम खूब रस लेने लगो तो अपने आपको सुशोभित करोगे, आश्रमको सुशोभित करोगे और देशको सुशोभित करोगे।

हिन्दी नवजीवन, १९-४-१९२८

२६२. पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको

आश्रम
साबरमती
१३ अप्रैल, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

आप देखेंगे कि मैंने खादीका पक्ष मजबूत बनाये रखनेके लिए आपके पत्रका कैसा इस्तेमाल किया है।[1] आप आजकल जो यात्रा कर रहे हैं; मैं आपसे उसका विवरण प्राप्त करनेके लिए उत्सुक हूँ; विशेषकर इसलिए कि मैं जानना चाहता हूँ कि इसका आपकी सेहत पर कैसा असर पड़ रहा है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० १५८८) की फोटो-नकलसे।

२६३. पत्र: ए० एलिंग्सको

आश्रम
साबरमती
१३ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका सौहार्दपूर्ण पत्र मिला। यूरोपसे मिले निमन्त्रणोंको स्वीकार करना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय कर पानेका अभी मैं साहस नहीं कर पाया हूँ। इसलिए इसके पहले कि मैं निर्णय करूँ यूरोपसे एक अपेक्षित पत्रकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और चूँकि ऐसी स्थिति है, मैं समझता हूँ आप मुझसे किसी वक्तव्यकी

१. देखिए "खादीका स्थान", १२-४-१९२८।

अपेक्षा नही करेंगे। परन्तु मै इतना अवश्य कह सकता हूँ कि मैं जितना भी वक्त बचा सकूँगा, उसे चरखेका सन्देश फैलानेमें लगाऊँगा।

हृदयसे आपका,

श्री ए० एलिंग्स
समाचार सम्पादक
'दि इंग्लिश मैन'
९, हेयर स्ट्रीट
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३१८७) की फोटो-नकलसे।

२६४. पत्र : श्रीमती ब्लेयरको

आश्रम
साबरमती
१३ अप्रैल, १९२८

प्रिय श्रीमती ब्लेयर,

इतने दिनोंके बाद आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। राष्ट्रीय सप्ताहके दौरान आपने लाखों भूखे लोगोंकी याद की, यह आपका सौजन्य ही है। उस उम्रमें और इर्द-गिर्दके अनुपयुक्त वातावरणमें नियमित रूपसे और अधिक अच्छी तरह कात सकनेकी आपकी असमर्थताको मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। आपको सदा गरीब देशवासियोंका खयाल करते देखकर मेरे दिलको बड़ी राहत मिलती है। क्या राष्ट्रीय सप्ताहके दौरान आपने कुछ खादी भी बेची?

हृदयसे आपका,

श्रीमती ब्लेयर
माल विला ३
दार्जिलिंग

अंग्रेजी (एस० एन० १३१८९) की फोटो-नकलसे।

२६५. पत्र : म्यूरियल लेस्टरको

आश्रम
साबरमती
१३ अप्रैल, १९२८

आपका दूसरा समुद्री तार मिला। ऐसा क्यों न हो, आखिरकार आप अमीर देशकी हैं। चूँकि मै गरीब देशका हूँ, इसलिए कोई भी समुद्री तार भेजनेसे पहले पचास बार सोचता हूँ और हर बार मैं अपने आपसे कहता हूँ कि एक रुपयेका अर्थ है ६४ भूखे लोगोंको प्रतिदिन एक घंटे काम देकर भोजन खिलाना; रुपयेके चौसठवे भागसे काफी आटा खरीदा जा सकता है और उससे लाखों भूखे लोगोंमें से एकको एक बारका खाना दिया जा सकता है। इसलिए हम जब भी मिलेंगे, यदि कभी मिले, मैं आपसे उस सारे पैसेका हिसाब देनेके लिए कहूँगा जो आप इन समुद्री तारोंपर, पॉपलरके गरीब लोगोंका प्रतिनिधित्व करनेके बावजूद खर्च करती रही हैं।

मैं यूरोप जाने अथवा न जानेका पक्का निश्चय करने योग्य काफी हिम्मत नहीं बटोर पा रहा हूँ। इसलिए मैं रोमाँ रोलाँके अपेक्षित पत्रकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अपेक्षित पत्र मुझे अन्तिम रूपसे निश्चय करनेके लिए बाध्य कर देगा। मेरी समझमें नही आता कि आपका जोश दिलानेवाला पत्र पाकर भी यूरोपीय यात्राके सम्बन्धमें निश्चय कर सकनेमें मुझे कठिनाई क्यों हो रही है?

हृदयसे आपका,

कु० म्यूरियल लेस्टर

अंग्रेजी (एस० एन० १४९५५) की फोटो-नकलसे।

२६६. पत्र : टी० नागेश रावको

आश्रम
साबरमती
१३ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मुझे खेद है कि मैं इससे पहले उसका जवाब नहीं दे सका। मैं आपको केवल यही सलाह दे सकता हूँ कि आप अपनी पत्नीसे बिल्कुल अलग रहें। स्वच्छ, अनुत्तेजक भोजन करें। पूरे २४ घंटे ताजी हवामें रहें; जितनी देर आप जागते रहें अच्छे कामोंमें व्यस्त रहें और जब शरीर थक जाये, तो अच्छे

अध्ययन और चिन्तनमें लीन रहें। जबतक आप अपनेको वशमें नहीं कर लेंगे, अपने शिष्योंपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत टी० नागेश राव
अध्यापक, बोर्ड हाईस्कूल
पुट्टूर, द० कनारा

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२०५) से।
सौजन्य : टी० नागेश राव

२६७. पत्र : एस० रामनाथन्‌को

आश्रम
साबरमती
१३ अप्रैल, १९२८

प्रिय रामनाथन्,

मुझे मजबूरन एक लम्बा पत्र आपको भेजना पड़ रहा है। . . .[1]ने अपने पत्रके साथ पत्र-व्यवहारकी जो प्रतियाँ नत्थी की हैं, उनसे मुझे लगता है कि उनकी बेईमानीका अकाट्य प्रमाण आपके पास है। इससे पहले कि उन्हें अन्तिम उत्तर[2] भेजूं, मैं जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा लिखित या छपा हुआ करार है, जिस पर . . .[3]ने हस्ताक्षर किये हैं। और यदि उन्होंने हस्ताक्षर किये हैं, तो क्या उसमें ऐसी कोई धारा है जिसके बलपर जमानत अपने आप जब्त हो जाये? यदि जमानतकी जब्तीके बारेमें ऐसा कोई लिखित करार नहीं है तो क्या न्यायालयके हस्तक्षेपके बिना आपकी जमानतको जब्त करार देना उचित है?

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३५९३) की माइक्रोफिल्मसे।

१ और ३. नाम यहाँ नहीं दिया जा रहा है।
२. देखिए अगला शीर्षक।

२६८. एक पत्र[1]

आश्रम
साबरमती
१३ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपको मालूम होना चाहिए कि संघका[2] प्रशासन अब मेरे हाथमें नही है। सेठ जमनालाल बजाज प्रशासकीय प्रमुख हैं, फिर भी मैं आपके मामलेमें दिलचस्पी ले रहा हूँ और मैंने श्रीयुत रामनाथन्‌को लिखा[3] है। जैसे ही उनका उत्तर आयेगा, मैं आपको फिर लिखूँगा। इस बीच मैं आपको यह बता दूं कि आपने जो कागजात भेजे है, उन्हें देखनेसे मुझे आपके खिलाफ बड़ा मजबूत मामला बनता लगता है। यदि श्रीयुत रामनाथन्‌के पास रिश्वत और भ्रष्टाचारका निश्चित प्रमाण हो तो, मेरी समझमें नही आता कि आप अपना बचाव किस तरह कर सकेंगे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३५९२) की माइक्रोफिल्मसे।

२६९. पत्र : मु० अ० अन्सारीको

आश्रम
साबरमती
१४ अप्रैल, १९२८

प्रिय डा० अन्सारी,

आपका पत्र मिला। यदि मिल-मालिकोंके प्रतिनिधियोंकी सभा होनेकी बात तय हो जाये और यदि आप मुझे समयसे उसकी सूचना दें तो मैं उपस्थित रहूँगा। परन्तु अबतक मोतीलालजीकी ओरसे कोई सूचना नही मिली है।

मैं मिल-मालिकोंके प्रतिनिधियोंसे लगातार सम्पर्क बनाये हुए हूँ, और जहाँतक मुझे मालूम है, इन बातचीतोंसे कुछ नही निकलनेवाला है। मिल-मालिकोंने अपना

१. जिसको पत्र लिखा गया उसका नाम यहाँ नहीं दिया जा रहा है; देखिए पिछला शीर्षक।
२. अखिल भारतीय चरखा संघ।
३. देखिए पिछला शीर्षक।

एक अलग संगठन बनानेका निर्णय किया है, जिसमें से वे राजनीतिको पूरी तरह बाहर रखना चाहते हैं। सर पुरुषोत्तदासने इस संगठनका अध्यक्ष बननेसे भी इनकार कर दिया है। मुझे मालूम हुआ है कि वह इस निर्णयपर पहुँचे है कि फिलहाल मिल-मालिक कुछ भी ठोस काम नही करेंगे। श्री बिड़लाने भी मुझे लगभग इसी तरहकी बात लिखी है; यो वे चाहते हैं कि मिल-मालिकोंके बगैर भी बहिष्कार आन्दोलन किया जाये। श्री बिड़लासे इतनी बारकी बातचीत और इतना पत्र-व्यवहार करनेके बाद मेरा भी वही मत है। परन्तु इसका यह अभिप्राय नही है कि हमें, जो सम्मेलन मोतीलालजी बुलाना सोच रहे हैं, नही बुलाना चाहिए।

जो हो रहा है उसकी सूचना आप मुझे देते रहियेगा। मैं चाहूँगा कि आप 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंमें मिलोंके बारेमें मैंने जो-कुछ लिखा है, उसे पढ़ ले। यदि आपके पास वे लेख न हों तो मै वे लेख आपके पास भेज सकता हूँ।

मै चाहता हूँ कि आप अविलम्ब जामियाके संविधानको निश्चित रूप दे दें।

हृदयसे आपका,

डा० मु० अ० अन्सारी
अहमदाबाद पैलेस, भोपाल

अंग्रेजी (एस० एन० १३१९१) की फोटो-नकलसे।

२७०. पत्र : विट्ठलदास जेराजाणीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१४ अप्रैल, १९२८

भाईश्री विट्ठलदास,

यह तुम्हारे पत्रके जवाबमें है। यदि बहिष्कार उग्र रूप पकड़ ले तो हमारे पास जितनी चाहिए उतनी खादीकी ओढनियाँ और धोतियाँ नहीं हैं। जो खादी ही पहनना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ लँगोटी ही क्यो न पहननी पड़े उनका काम तो चल सकता है। किन्तु जो ऐसा करनेके लिए तैयार न हो और दूसरा कोई कपड़ा मिले तो विदेशी वस्त्रके बहिष्कारमे भाग लेनके लिए तयार हैं, उन्हें हम मिलकी धोतियाँ या साड़ियाँ दें। इसका यह अर्थ हुआ कि मिलें हमारे द्वारा निश्चित कपडेके सिवा दूसरा कपड़ा न बनायें और उनकी दुकानोंमें दूसरे कपड़ेके स्थानपर खादी ही बिके। मै मानता हूँ कि इस बातको शायद मिले कबूल न करे, पर जब तक वे कबूल न करें तब तक हमारा उनके साथ समझौता नही हो सकता। मेरी माँगका तो यह अर्थ है कि मिलें खादीके महत्वको हमेशाके लिए स्वीकार कर लें। यह बात समझमें न आये तो मुझसे फिर पूछ लेना। मैं यह नहीं चाहता कि वहाँका काम बीचमें

छोड़कर तुम यहाँ आओ। जब यहाँ आने और बात करनेका अवसर मिले तब आकर बात करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९७६४) की फोटो-नकलसे।

२७१. पत्र: देवचन्द पारेखको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१४ अप्रैल, १९२८

भाईश्री देवचन्द भाई,

आपका पत्र मिला। मनसुखभाईके विषयमें समझ गया हूँ, हालाँकि मेरे पल्ले कुछ नही पड़ा। मेरा तो यह मत है कि यदि किसी मनुष्य पर कर्ज हो तो पत्नी और बच्चोंको उसके कमाये हुए धनमें से कुछ भी रखनेका कोई अधिकार नही है। किन्तु इस मामलेमें क्या फैसला हुआ इसकी मुझे कोई खबर नही है। मनसुखभाईका नाम लेते हुए मनमें सवाल आया कि उनके स्मारकके लिए कुछ हुआ या नही? खादीके सम्बन्धमें निम्नलिखित प्रस्तावकी जरूरत है:

"चूँकि काठियावाड़ राजकीय परिषदके पास बहुतसे व्यवसाय हैं, उसके पास खादीकार्य सँभालनेके लिए पर्याप्त व्यक्ति अथवा धन नही है: गांधीजी आजतक धनकी जिम्मेदारी उठाते आये हैं, पर अब उनके पास इस जिम्मेदारीको उठाने लायक शरीर-शक्ति नहीं है, और अखिल भारतीय चरखा संघ उसे सँभालनेको तैयार है इसलिए इस परिषदकी समिति काठियावाड़ खादी कार्यका सारा कारबार, उससे सम्बन्धित सम्पत्ति और सारी जिम्मेदारी अखिल भारतीय चरखा संघको सौंपती है।"

क्या मूलचन्द भाईको अन्त्यज कार्यके लिए पैसा मिल गया है? भाई फूलचन्द आपके पास नहीं हैं इसलिए अब आपके पास मददके लिए कौन है? हालमें परिषदका कोई दूसरा काम हो रहा है?

बापूके वन्देमातरम्

[पुनश्चः]

आपने तो बापूकी खादी अच्छी बेच ली है।

गुजराती (जी० एन० ५७२९) की फोटो-नकलसे।

२७२. दलितोंकी सेवा

दलितोंकी सेवा करनेवाला अपने साथ-साथ समस्त समाजकी सेवा करता है; क्योंकि दूसरेको दबानेवाला खुद दबाया जाता है। दूसरेको गढ़ेमें गिरानेवाला खुद गढेमें गिरता है और गिरे हुएको उठानेवाला खुद भी उठता है।

अपने ही भाइयोकी बड़ी तादादको अस्पृश्य बना कर हम जगतके अस्पृश्य बननेकी स्थिति तक पहुँच गये थे। अब कहा जा सकता है कि इस विपत्तिसे बच निकलना शायद सम्भव हो। क्योकि हिन्दू समाजमें इस पापको धोनेके प्रयत्न अनेक दिशाओमें और अनेक प्रान्तोमें किये जा रहे हैं। इन प्रयत्नोमें सबसे बड़ा और सफल प्रयत्न शायद अहमदाबादमें अनसूयाबहनकी मार्फत चल रहा है।

गत मास मै दो सभाओमें गया। उनमें एक तो भंगी भाइयोंके पंचोंकी और दूसरी मजदूरोंकी शालाओंके बालकोकी थी। इनमें मुख्यत: दलित जातिके बालक थे। उसका विवरण मुझे पढ़ कर सुनाया गया था। उसमें से नीचेके भाग सबके मनन करने योग्य हैं।[२]

ऐसी सुव्यवस्थासे, इतने उत्साहसे, इतनी संख्यामें मजदूरोंके लड़के कही और पढ़ रहे हो, तो मुझे उसका पता नही है।

मिल-मालिकोंको इस साहसका स्वागत करना चाहिए। यह सुननेमें आया है कि मिल-मालिकोंकी ओरसे मिलनेवाली सहायता शायद बन्द की जानेवाली है। मुझे आशा है कि ऐसा नही होगा। इष्ट और आवश्यक तो यह है कि वे दिनो-दिन अधिकाधिक सहायता दें। मेरी सम्मतिमें इस साहसपूर्ण कार्यको पूरी मदद देना मिल-मालिकोंका धर्म है।

इस प्रयत्नमें एक विशेषता यह भी है कि मजदूर इन शालाओंको चलानेमें अपना चन्दा यथेष्ट प्रमाणमें देते हैं और अन्तिम उद्देश्य यह है कि ये शालाए मजदूरोंकी ही सहायतासे चलें। इस उद्देश्यके पूरा होनेके पहले मजदूरोंकी आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए। उनमें त्याग-बुद्धि बढनी चाहिए, बाल-शिक्षाके प्रति अधिक प्रेम होना चाहिए। इस बीच मिल-मालिकों और दूसरे दानी सज्जनोंको इन पाठशालाओंका भार उठाना चाहिए।

भंगियोंकी सभामें[३] उल्लेखनीय अनुभव हुए। भंगी भाइयोंमें शुद्ध उच्चारणसे भजन गानेवाले थे। उनके भजन सुनकर ऐसा नही लगता था कि वे किसी दूसरेसे किसी तरह भी कम है। उनमें अक्षर-ज्ञान बहुत कम था। वे कर्जदार हैं, कम वेतन पाते है और उनमें शराब पीनेवालोकी संख्या बहुत है। उनमें बहुत ज्यादा लोग जूठा माँगने और खानेवाले भी हैं। उन्हें देख-सुनकर लगता था कि उनमें जितने दोष

१. देखिए "भाषण: विद्यार्थियों और अध्यापकोंकी सभामें", ३१-३-१९२८।

२. यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

३. देखिए "भाषण: हरिजनोंकी सभामें", २७-३-१९२८।

हैं, उनके लिए ऊँचे वर्णके माने जानेवाले हिन्दू जवाबदेह हैं और अपने गुणोंके लिए वे हिन्दू-धर्मके मूलमें प्रविष्ट शक्तिके आभारी हैं। हिन्दू-धर्मके संस्कारके कारण ही दलित भंगी वर्गमें भी सभ्यताका उन्मूलन नहीं हो पाया है। अगर हम उन्हें बिलकुल पशुतुल्य न मानते होते तो उन्हें सड़ा हुआ अनाज और जूठा न देते, उन्हें शराबकी लतसे बचा लेते और निर्दयी महाजनोंके पंजोंसे मुक्त रखते। अब उनका हाथ पकड़ा गया है इसलिए आशा की जा सकती है कि जिसकी सेवाके बलपर हम शहरोंमें रह सकते हैं, समाजके उस उपयोगी अंगकी स्थिति सुधरेगी।

दलित जातियोंकी स्थितिमें आन्तरिक सुधारके प्रयत्न अनसूयाबहन जैसे लोग करें, किन्तु उनके लिए घर कौन बनवा देगा? अहमदाबादके मजदूरोंकी चालें [भवन] मैंने देखी हैं। वे जिन कोठरियोंमें रहते हैं, उन्हें घर कहा ही नहीं जा सकता। उनके घर बनवा देनेका काम किसी एक व्यक्तिके बसका नही है। वह काम विशेषकर सुधार-विभागका है या मिल-मालिकोंका है। मिलके मालिक अपना धर्म न समझें तो सुधार-विभाग तो अपनी जिम्मेदारी नहीं भूल सकता। मजदूरोंके लिए योग्य घर बनाना, जितना जरूरी उनके लिए है उतना ही शहरके आरोग्यके लिए भी है।

भंगी बनाम ढेढ़

दलित कौमोंके विषयमें लिखते समय एक तीसरी सभाके[1] दुःखद अनुभवका भी वर्णन करता हूँ, जहाँ मैं कुछ दिन पहले गया था। कोचरब गाँवमें एक अन्त्यज-शाला है। उसे विद्यापीठके स्नातक चलाते हैं। जान पड़ता है कि उसके लिए वे यथेष्ट परिश्रम करते हैं। उसमें विद्यार्थियोंकी संख्या अच्छी थी। वे सभी ढेढ़ थे। शिक्षकोंको भंगीके बालकोंका ध्यान आया और उन्होंने इन बालकोंको पाठशालामें लेने का निश्चय किया। भंगी बालक आये, इसलिए ढेढ़ बालकोंके माँ-बापने अपने लड़कों को पाठशालासे उठा लिया। बादमें उनमेंसे कई लौट आये, मगर बहुतसे बाहर ही रहे। इससे शिक्षकोंने सोचा कि अगर मैं जाऊँ तो शायद ढेढ़ माँ-बाप मान जायेंगे और अपने लड़कोंको वापस भेज देंगे। मैं गया। किन्तु थोड़े ही ढेढ़ माँ-बाप सभामें आये। एक भाई आये। उन्होंने मुझसे डट कर पूछा :

'क्या ढेढ़ भंगीको छूए?' परम्परासे चलते हुए छुआछूतके धर्मका इस सनातनी ढेढ़ भाईने समर्थन किया।

मैंने पूछा, 'पर अगर ढेढ़ भंगीको न छुए तो फिर बनिया, ब्राह्मण वगैरा ढेढ़ को किस तरह छुएँगे?'

'बनिया, ब्राह्मणको हम कहाँ ढेढ़ोंको छूनेको कहते हैं? वे हमें न छुएँ।' यह कहकर इस ढेढ़भाईने मुझे हरा दिया।

हमारे हाथका किया काम यों हमारे हृदयपर चोट करता है। अगर छुआछूत की बीमारी बहुत दिनों चले तो हम एक दूसरेको अछूत बनाते हुए बिना मौत ही मरेंगे। किन्तु अब उसे ढेढ़ माने या ब्राह्मण, बनिया मानें, अस्पृश्यताका साँप अधिक दिनों साँस नहीं ले सकता।

१. इस सभाका विवरण उपलब्ध नहीं है।

शिक्षकोंको अपने निश्चय पर अड़े रहना चाहिए। ढेढ़ भाइयोंपर वे रोष न करें। मगर ढेढ़ बालकोंको रखनेके लिए एक भी भंगी बालकको हटायें नही। भंगी बालक जितने भी आयें उन्हें प्रेमपूर्वक पढायें और इसीमें अपने कार्यकी सफलता मानें। उनकी निश्छलता और श्रद्धाका असर ढेढ़ोंपर भी जरूर पड़ेगा और अगर भंगी बालकोमें स्वच्छता, सत्य, प्रेम ज्ञान वगैरा देखेंगे तो वे अपने बालकोंको भेजे बिना रह नही सकेंगे। अस्पृश्यताका मैल धोनेकी इच्छा रखनेवालेको सबसे पहले उसीका सग्रह करना चाहिए, जिसका सभी कोई त्याग करते है। मै ऐसे सुधारकोको जानता हूँ जो सोचते है कि 'ढेढका सुधार करनेके पहले हम अपना सुधार तो कर ले। हम पहले आप सुधर जायेंगे तो ढेढ़ोंको भी सुधारेंगे।' इस विचारधारामें दो दोष है, एक तो अधैर्य और दूसरा अज्ञान। अधैर्य इसलिए कि हम कठिनाइयोंका सामना करनेका धैर्य खो बैठते है। अज्ञान इसलिए कि हम यह नहीं समझते कि हिन्दू-धर्ममें जो सबसे बड़ा सुधार करना है, वह तो इस अस्पृश्यताका मैल धोनेका है। दूधमें अगर जहरका स्पर्श भी हो जाये, तो जिस तरह वह बेकार हो जाता है उसी तरह अगर हिन्दू जातिमें अपृश्यताका अंशमात्र भी रहने देते है, तो यह जाति बेकार हो जाती है। इस कलकके धोनेसे दूसरे सुधार रुक नहीं जाते है। इस कलंकको रहने देनेपर दूसरे सुधार लगभग बेकार हो जाते है। क्षयके रोगीके दो एक फोड़े साफ किये ही तो क्या और न किये, तो भी क्या?

[गुजरातीसे]
नवजीवन १५-४-१९२८

२७३. पत्र : मणिबहन पटेलको

साबरमती
रविवार [१५ अप्रैल, १९२८][1]

चि० मणि,

वहाँ[2] जानेके बादसे तुम्हारा कोई पत्र मुझे नहीं मिला; यह ठीक नही है। तुम्हारा रोजका क्या कार्यक्रम है, सो मुझे लिखो। अपना अनुभव भी लिखकर भेजो।

साथकी चिट्ठी पढकर बताओ कि क्या तुम लंका[3] जाना चाहोगी। [राष्ट्रीय] सप्ताह तुमने किस तरह मनाया?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो : मणिबहेन पटेलने

१. साधन-सूत्रसे।
२. बारडोली।
३. खादी प्रचारके लिए।

२७४. पत्र : सरोजिनी नायडूको

१६ अप्रैल, १९२८

प्रिय मीराबाई,

मैं सोच रहा था कि आप पद्मजाके बारेमें मुझे लिखेंगी। उससे कहिये कि उसे जल्दी ठीक होना है। नही तो वह बहादुर लड़की नहीं मानी जायेगी। अभी और कितनी देर उसके वहाँ रहनेकी उम्मीद है? आपकी अमेरिकी यात्राका क्या हुआ?

मैं बुजदिल बन गया हूँ। मैं निर्णय ही नही कर पा रहा हूँ कि मैं यूरोप जाऊँ या न जाऊँ।

सस्नेह,

कतैया

श्रीमती सरोजिनी नायडू

अंग्रेजी (एस० एन० १३१९२) की फोटो-नकलसे।

२७५. पत्र : एनी बेसेंटको

साबरमती
१६ अप्रैल, १९२८

प्रिय डा० बेसेंट,

आपके संक्षिप्त पत्रके लिए धन्यवाद। आपने जिस आन्दोलनके बारेमें लिखा है, शायद मैं उसमें भाग न लूँ। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हम लोग बहुत ज्यादा संस्थाएँ और संगठन बना रहे है, परन्तु उन्हें चलानेके लिए पुरुषों और महिलाओंकी संख्या नही बढ़ा रहे हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १३१९३) की फोटो-नकलसे।

२७६. पत्र : उ० राजगोपाल कृष्णैयाको

१६ अप्रैल, १९२८

भाई राजगोपाल,

भगवान सर्व शक्तिमान होनेके कारण सब कुछ कर सकता है।

हिंसाका उत्तर हिंसासे नही होना चाहिये।

महाभारतका ऐतिहासिक अर्थ करनेसे धर्मका ज्ञान नही मिल सकता। और 'महाभारत' इतिहास तो है ही नही।

आपका,
मोहनदास गांधी

सी० डब्ल्यू० ९२३८ से।
सौजन्य : उ० राजगोपाल कृष्णैया

२७७. तार : राजेन्द्रप्रसादको

[१६ अप्रैल, १९२८ या उसके पश्चात्][1]

राजेन्द्रप्रसाद
जयवती
लन्दन

सम्मेलन सफल हो।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १४३८१) की माइक्रोफिल्मसे।

१. यह समुद्री तार १६ अप्रैलको प्राप्त समुद्री तारके उत्तरमें भेजा गया था, जिसमें युवक सम्मेलनके लिए सन्देश माँगा गया था।

२७८. तार: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको[1]

अहमदाबाद
१७ अप्रैल, १९२८

परम माननीय शास्त्री
प्रिटोरिया

मेरा विचार है कि १९१४ के समझौतेके प्रमाणपत्र अप्रभावित रहने चाहिए।[2]

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ११९७४) की फोटो-नकलसे।

१. यह तार द० आ० भा० मंच जोहानिसबर्गसे आये १३ अप्रैलके निम्नतारके उत्तरमें भेजा गया था: नये प्रवास कानूनसे निकलनेवाला परिणाम बहुत गम्भीर है। यदि धारा ५ को पूरी तरह लागू कर दिया गया तो जिनके दावे आरम्भसे ही हैं, ऐसे पंजीकरण प्रमाणपत्र रखनेवालोंके संघर्षसे प्राप्त किये गये अधिकार भी नष्ट हो जायेंगे। यदि कोई ऐसी त्रुटि निकल आये, जिससे लगता हो कि प्रवेश अवैध है तो छूट इस शर्तपर दी जाती है कि लोगोंके पास फिलहाल जो प्रमाणपत्र हैं उन्हें वे सरकारके हवाले कर दें और सरकार इसके बदलेमें उन्हें ऐसे पत्र देगी जिनसे उन्हें अस्थायी परमिट रखनेवालोंका अधिकार प्राप्त हो जायेगा। किन्तु पत्नियों और बच्चोंको वह अधिकार नहीं मिलेगा। छूटके लिए पहली नवम्बरसे पूर्व प्रार्थनापत्र अवश्य दे दिया जाना चाहिए। उसके बाद तहकीकात और निर्वासन आदिका सिलसिला जारी हो जायेगा जिसके परिणाम-स्वरूप समाजका हतोत्साह हो जाना अनिवार्य हो जायेगा। हमने आग्रह किया है कि नये प्रवास कानूनकी व्याप्तिका क्षेत्र सीमित करनेके लिए और गांधी-स्मट्स समझौतेकी भावनाको थोड़ा-बहुत बनाये रखनेके लिए १९१४ तकके प्रवासियोंको उसके प्रभावसे मुक्त माना जाये। प्रार्थना है कि आप कमसे-कम इतनी रियायत प्राप्त करनेके लिए जोर डालनेके लिए शास्त्रीको समुद्री तार भेजिए। तत्काल उत्तर दीजिए (एस० एन० ११९७४)।

२. उत्तरमें शास्त्रीने १८ अप्रैलको समुद्री तार भेजा जिसमें लिखा था: आपका तार मिला। मन्त्रीने १९१४ से पहलेके प्रमाणपत्र-प्राप्त व्यक्तियोंके सम्बन्धमें विशेष व्यवहारका आश्वासन दिये बिना पहले ही पिछली रात छूटकी शर्तें घोषित कर दीं (एस० एन० ११९७४)।

२७९. पत्र : के० माधवन् नायरको

आश्रम
साबरमती
१७ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपने जो कुछ किया उसमें विचार-दोष है। यदि आपके मित्रके लिए विधि-सदस्यका पद स्वीकार कर लेना ठीक था तो यह सार्वजनिक और निजी दोनो दृष्टियोंसे सही था। और यदि आपके लिए उन्हें निजी रूपमें बधाई देना उपयुक्त था तो अपनी सार्वजनिक स्थितिमें और सार्वजनिक रूपमें बधाई देना भी उतना ही उपयुक्त होता। यदि आपके मित्रको जल्लाद नियुक्त कर दिया जाये, तो आप निजी तौरपर या सार्वजनिक रूपमें उसे बधाई नही देंगे, चाहे उसमें कितनी ही बड़ी तनख्वाह क्यो न मिलती हो और नियुक्ति करनेवालोकी दृष्टिमें वह स्थान कितना ही सम्मानास्पद क्यो न हो। क्या एक समय हमारा ऐसा विचार नही था कि वर्तमान सरकारके सदस्य बिलकुल जल्लादो जैसे है? हमारे एक मित्रको विधि-सदस्यका पद दिया गया और उसने इसे स्वीकार कर लिया, यह वास्तवमें तो धिक्कारका ही विषय है। परन्तु आप मौजूदा सरकार और इस सरकारको चलानेवाले लोगोंके बारेमें मेरी जो राय है उसमें शायद मुझसे सहमत न हों। यदि ऐसी बात है तो आप यदि चाहें तो अपने आचरणकी सार्वजनिक रूपमें सफाई दें और उस लोक-निन्दाका खतरा मोल ले जो अस्थायी तौरपर इससे सम्बन्धित हो सकता है। आखिर आपको तो अपनी अन्तरात्माके अनुमोदनसे पूरा सन्तोष हो जाना चाहिए।

आप यह ठीक कहते है कि यदि हमारे निजी निर्णय और अनुभूतियाँ दबाई जायें तो हम पाखण्डी बन जायेंगे। यदि लोक-सेवक पाखण्डी बन जायेंगे तो वह हमारे लिये अशुभ दिन होगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत के० माधवन् नायर
सदस्य, विधान परिषद्
कालीकट

अंग्रेजी (एस० एन० १३१८६) की फोटो-नकलसे।

२८०. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

आश्रम
साबरमती
१७ अप्रैल, १९२८

प्रिय जवाहर,

तुम्हारा पत्र मिला। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे मुझे यह लिखनेपर भी कि तुम पंजाब जा रहे हो, मुझे मालूम नहीं था कि तुम सम्मेलनके अध्यक्ष होकर जा रहे हो? जब डा० किचलूने मुझे लिखा था, तब उन्होंने भी इस बारेमें कुछ नहीं बताया था कि अध्यक्ष कौन होगा। बहरहाल जब मुझे पता लगा कि अध्यक्षता तुमने की है, तो मुझे प्रसन्नता हुई।

तुमने सम्मेलनमें जो चीज देखी है, वह मुझे तो हर जगह दिखाई देती है। कह नहीं सकता मुझे सब जगह जिस बातका आभास मिलता है वह भी तुम्हारे ध्यानमें आई है या नहीं। वह है गाम्भीर्यका पूर्ण अभाव और जिसमें सतत अध्यवसायकी जरूरत पड़ती हो ऐसा कोई ठोस काम करनेमें अरुचि।

क्या तुम्हें पंजाबमें हिन्दू-मुस्लिम एकताकी कोई आशा है?

मैं यूरोपकी यात्राके सम्बन्धमें अभी तुम्हें कोई निश्चित समाचार नहीं दे सकता।

मिलोंके झगड़ेके सम्बन्धमें इस वक्त तक तुम्हें सब कुछ अपने पिताजीसे मालूम हो गया होगा।

अंग्रेजी (एस० एन० १३११४) की फोटो-नकलसे।

२८१. पत्र : डेनियल हैमिल्टनको

आश्रम
साबरमती
१७ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपके स्नेह भरे पत्र और आमन्त्रणके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यदि मैं यूरोप गया तो मैं निश्चय ही आपके घर आना और आपसे समान हितके मामलों पर चर्चा करना चाहूँगा।

मुझे आधुनिक अर्थ-व्यवस्थापर आपका लिखा लेख निस्सन्देह बहुत पसन्द है। यदि इससे सम्बन्धित कोई दूसरा साहित्य जिसे आप चाहते हों कि मैं ध्यानसे पढ़ूँ, हो तो कृपया मुझे सूचित कीजिए। यदि आप मेरे लिये कोई ऐसा लोकप्रिय लेख

या लेखमाला लिखनेके लिए समय निकाल सके, जिससे लोगोको बैंकका काम समझना आसान हो जाये तो मै उस लेख या लेखमालाको 'यंग इडिया'के पृष्ठोमें प्रसन्नतासे प्रकाशित करूँगा।

हृदयसे आपका,

सर डेनियल हैमिल्टन
बामकेरा, काइल
रॉस-शायर
स्कॉटलैड

अंग्रेजी (एस० एन० १४२९३) की फोटो-नकलसे।

२८२. पत्र : हेंस कोहूको[1]

१७ अप्रैल, १९२८

आपका पत्र मिला। यूरोपकी यह प्रस्तावित यात्रा मेरे लिए बहुत चिन्ताका विषय बनी हुई है। इससे पहले कि इस सम्बन्धमें मै अन्तिम रूपसे कोई निर्णय करूँ, मैं श्री रोमाँ रोलाँके पत्रकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

मो० क० गाधो

अग्रेजी (एस० एन० १४९५१) की फोटो-नकल से।

२८३. सन्देश : लंकाकी विद्यार्थी परिषद्को

१८ अप्रैल, १९२८

गांधीजीसे एक सन्देश प्राप्त हुआ था जिसमें परिषद्की सफलताकी कामना की गई थी और यह आशा व्यक्त की गई थी कि विद्यार्थी मातृ-भूमिके उन लाखों भूखे रहनेवाले लोगोंको नहीं भूलेंगे जिनकी सहायता करनेका सबसे कारगर ढंग है खादी पहनना।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १९-४-१९२८

१. यरूशलमके शान्ति संघसे सम्बन्धित

२८४. गलत पदचिन्होंपर

लोगोंके दिमाग चक्करमें डाल देनेके, इधर उधरके सवाल उठाकर या मुख्य प्रश्नके समर्थनमें पेश की गई दलीलोंमें भूल निकालकर या निकालनेका दावा करके मुख्य प्रश्नपर से लोगोंका ध्यान हटानेके सरकारके या उसकी तरफसे किये प्रयत्न अनोखे है। यह कबूल करना सरकारको अनुकूल नही बैठता है कि उसका इतिहास ही हिन्दुस्तानके उद्योग-धंधोंके विनाशका, हिन्दुस्तानके पुरुषत्वके विनाशका इतिहास है। यह बात बारंबार मंचों परसे भाषणों और [समाचारपत्रोंमें छपे] लेखोंमें कही जा चुकी है कि ईस्ट इन्डिया कम्पनीके नौकरोंके अत्याचारोंसे बचनेके लिए हिन्दुस्तानी जुलाहोंने अपने अँगूठे आप काट डाले थे। क्योंकि कम्पनीके नौकर उनसे जबर्दस्ती रेशम लपेटवाते थे। अगर जुलाहेके अँगूठा न हो तो वह रेशम लपेटनेका अपेक्षित काम नही कर सकता था। इस कथाको झूठी प्रमाणित करनेका अभी हालमें किया गया प्रयत्न भी सरकारके उपर्युक्त ढंगके प्रयत्नोंमेंसे ही एक है और इसमें इतिहासको गलत प्रमाणित करनेके लिए विलियम बोल्ट्सकी प्रामाणिकताके विरुद्ध गड़े मुर्दे उखाड़े गये है। इन्हीं बोल्ट्सके प्रमाणके आधारपर स्व० रमेशचन्द्र दत्तने पहले पहल अँगूठे काटनेकी बात लिखी थी। इस बातका खण्डन करनेवाला यह नहीं कह सका है कि विलियम बोल्ट्सने झूठी बात लिखी थी, बल्कि वह कहता है कि बोल्ट्सका कोई अपना चरित्र ही नहीं था जिसकी वह चिन्ता करता, इसलिए उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वह आगे कहता है कि बोल्ट्स तो कम्पनीका, एक प्रस्तावके अन्तर्गत बर्खास्त किया हुआ नौकर था। उस प्रस्तावमें बताया गया था "यह कम्पनीका बहुत ही अयोग्य और अ-लाभकारी नौकर है। देशीय व्यापारके अधिकारोंके संबंधमें उसके सिद्धान्त बहुत बुरे रहे हैं, जिन पर वह दृढ़तासे अमल करता रहा है।" टुटपुंजिए वकीलोंकी यह चालें कौन नहीं जानता, कि वे गवाहोंका चरित्र बुरा साबित कर उनकी गवाहीको झूठी और महत्वहीन बताते हैं, मानो दुश्चरित्र आदमी कभी सच बोल ही नही सकता। मै यह कहनेका साहस करता हूँ कि विलियम बोल्ट्सका चरित्र चाहे जैसा रहा हो, किन्तु अँगूठे काटनेके संबंधमें उसकी बात तबतक झूठी नहीं मानी जा सकती, जबतक कि *अन्यथा* यह सिद्ध नही किया जाता और इस अँगूठे काटनेकी बातको अविश्वसनीय साबित करनेके लिए एक भी सबूत पेश नहीं किया गया है। बल्कि इसके विपरीत इस बातसे भी अधिक संभव और क्या हो सकता है कि दण्ड और रोजके अत्याचारोंसे बचनेके लिए बुनकरोंने एक बारगी ही वह काम करके (अँगूठे काटकर) अपनेको बुनाईके उस कामके लिए अयोग्य बना लिया, जो उनसे जबरन्, असह्य दण्ड देकर कराया जाता था? आखिरकार विलियम बोल्ट्सकी गवाही भी तो भारतवर्षके उद्योगोंके विनाशकी इस कहानीका एक अंश भर ही है, जो रमेशचन्द्र दत्तने इतने चुटीले ढंगसे भिन्न-भिन्न प्रकारके गवाहोंके आधारपर लिखी है। उन सबकी गवाहियोंका कुल मिलाकर जो

प्रभाव पड़ता है, वह दुर्निवार हो जाता है। मुख्य बात तो यह है कि क्या खूब सोच समझकर और जान-बूझकर भारतीय उद्योगोका नाश किया गया था या नही। अगर किया गया था, तो एककी गवाहीको छोड़ देनेसे भी बहुत ही कम फर्क पड़ेगा। दोषीके मुँहसे यह बात शोभा नही देगी कि सौ गवाहोंमें से एक झूठा था। मगर जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, विलियम बोल्ट्सकी गवाहीको अविश्वसनीय साबित करनेके लिए एक भी सगत तर्क नही पेश किया गया है। खैर रमेशचन्द्र दत्तके 'भारतवर्षके आर्थिक इतिहास'के पहले खण्डमें से मैं कुछ उद्धरण देता हूँ। वे कहते हैं:

> पिछले दो अध्यायोंमें वर्णित बातोंसे जान पड़ेगा कि १९ वीं शताब्दीके पहलेवाले दस वर्षों तक भी हिन्दुस्तानके अधिकांश मनुष्य तरह-तरहके उद्योग धंधोंमें लगे हुए थे। तब तक भी कपड़ा बुनना लोगोंका राष्ट्रीय उद्योग था। लाखों स्त्रियाँ सूत कात-कातकर परिवारकी आमदनी बढ़ाती थीं। रंगाई, चमड़ेकी कमाई और धातुओंपर काम करनेसे भी लाखोंकी रोजी चलती थी। मगर ईस्ट इंडिया कम्पनीकी नीति भारतीय उद्योगोंको पनपने देनेकी नहीं थी। पिछले अध्यायमें मैं कह आया हूँ कि सन् १७६९ में ही कम्पनीके डायरेक्टरों (निदेशकों) की इच्छा थी कि बंगालमें कच्चे रेशमके उत्पादनको प्रोत्साहन दिया जाये और रेशमी कपड़ेके उत्पादनको बढ़ावा न दिया जाये। और उन्होंने यह भी हुक्म निकाला कि रेशम लपेटनेवालोंसे कम्पनीके कारखानोंमें काम कराया जाये और 'सरकारकी ओरसे सख्त सजा' का डर दिखाकर उन्हें बाहर काम करनेसे रोका जाये। इस आदेशका आज्ञानुकूल असर भी पड़ा। भारतमें रेशमी और सूती कपड़ा कम बनने लगा। पिछली सदियोंमें जो लोग पहले यूरोप और एशियाके बाजारोंको रेशमी और सूती कपड़ेका निर्यात किया करते थे वही अब अधिकाधिक परिमाणमें कपड़ेका आयात करने लगे।

इन तरीकोंसे इग्लैंडसे रेशमी और सूती कपड़ेका आयात इतना बढ गया है कि जहाँ सन् १७९४में १५६ पौण्डका कपड़ा आया था सन् १८१३ में १,०८,८२४ पौण्ड तक बढ़ गया। सन् १८१३में कम्पनीकी (चार्टर) सनद दुहरायी गई और उसके पहलेकी जाँचमें महत्वपूर्ण गवाही ली गई थी। लेखक कहता है: "हाउस ऑफ कॉमन्स (पार्लियामेंट) के सदस्योंने भारतीय उद्योगोंके बारेमें यह जानना चाहा था कि किस तरह ब्रिटिश उद्योग भारतीय उद्योगोकी जगह ले सकते है और किस तरह उनका नाश करके ब्रिटिश उद्योगोकी उन्नति की जा सकती है।"

हेनरी सेन्ट जॉर्ज टकरने इग्लैंडकी व्यावसायिक नीतिका वर्णन इस प्रकार किया है:

> हमने इस देशमें भारतवर्षके संबंधमें कौनसी व्यावसायिक नीति अपनाई है? रेशमी कपड़े बनानेका उद्योग और रेशम और सूतको मिलाकर बनाये कपड़े, एक जमानेसे हमारे बाजारोंसे बिलकुल उठ गये है। और सूती

कपड़ा जो अब तक भारतका मुख्य व्यवसाय था अभी हालमें ६७ फी सदी चुंगी लगानेसे, और खासकर अच्छी कलोंकी बदौलत, न सिर्फ इस देशसे जाता ही रहा है, बल्कि हम अपना सूती कपड़ा अपने एशियाके साम्राज्यकी जरूरतका कुछ अंश पूरा करनेके लिए वहाँ भेजते भी हैं। इस तरह हिन्दुस्तानको औद्योगिक देश न रखकर कृषि-प्रधान देश बना दिया गया है।

इसी किस्मका एच० एच० विल्सनका प्रामाणिक कथन सुनिए:

> भारतवर्ष जिस देशके अधीन हो गया है, उसके द्वारा भारतके प्रति किये गए अन्यायका यह एक और दुःखद उदाहरण है। गवाही में (सन् १८१३ में) यह कहा गया था कि उस वक्त भी हिन्दुस्तानके सूती और रेशमी कपड़े विलायतके बाजारमें इंग्लैंडमें बनाये कपड़ोंकी अपेक्षा ५० से ६० प्रतिशत कम दामपर भी मुनाफेमें बिकते थे। इसलिए कपड़ेके दामपर ७० से ८० प्रतिशत चुंगी लगाकर या उसका पहनना जुर्म करार देकर इंग्लैंडके कपड़ेकी रक्षा करना जरूरी हो गया। अगर यह बात न होती, अगर ऐसी प्रतिबन्धात्मक चुंगियाँ या कानून न होते तो पेसली और मेन्चेस्टरकी मिलें शुरूमें ही बन्द हो जातीं; और उन्हें वाष्पके बलपर भी शायद ही फिरसे चलाया जा सकता। वे हिन्दुस्तानी उद्योगकी बलि चढ़ा करके बनाई गई थीं। अगर हिन्दुस्तान स्वतन्त्र होता तो वह इसका प्रतिकार करता। ब्रिटिश मालपर प्रतिबन्धात्मक चुंगी लगाकर अपने इस उत्पादक उद्योगको नष्ट होनेसे बचाता। उसे आत्मरक्षाका यह उपाय काममें लानेकी आज्ञा नहीं थी। वह विदेशी सत्ताकी दयापर निर्भर था। ब्रिटिश माल भारतपर बिना कोई चुंगी दिये ही जबरदस्ती लाद दिया गया और विदेशी उत्पादकोंने ऐसे प्रतिद्वन्द्वीको दबाये रखने और जिसके साथ वे बराबरीके मुकाबलेमें टिक नहीं सकते थे, अन्तमें गला घोटकर मार डालनेके लिए राजनीतिक अन्यायका सहारा लिया।

टॉमस मनरोके कथनानुसार "कम्पनीके नौकर मुख्य-मुख्य जुलाहोंको एक जगह पर इकट्ठा करके उनपर तबतक पहरा रखते थे जबतक कि वे केवल एकमात्र कम्पनीके ही हाथों कपड़ा बेचनेका ठेका नहीं ले लेते थे।"

लेखक आगे कहता है:

> एक बार अगर किसी जुलाहेने पेशगी ले ली तो फिर वह शायद ही कभी उस जिम्मेदारीसे बच सकता था। अगर उससे देर हो जाये तो उससे जल्दी माल वसूल करनेके लिए उसके घरपर प्यादा बैठा दिया जाता था। उसपर अदालतोंमें मुकदमा भी चलाया जा सकता था। प्यादा बैठानेके मानी होते थे एक आनेका रोजाना दण्ड और प्यादेके हाथमें खजूरकी छड़ी भी दी जाती थी, जो अकसर इस्तेमालमें आती थी। कभी-कभी जुलाहोंपर जुर्माना कर दिया जाता था, जिसे वसूल करनेके लिए उनके पीतलके बर्तन जब्त कर लिये

जाते थे। इस तरह गाँवोंमें सबके-सब बुनकर कम्पनीके कारखानोंकी तावेदारीमें रहा करते थे। . . . . . और जुलाहोंको दबाये रखना केवल दस्तूर ही की बात नहीं थी, किन्तु नियमोंके जरिए इसे कानूनी भी बना दिया गया था। कानूनमें यह विहित था कि जिस जुलाहेने कम्पनीसे पेशगी ले ली हो, वह "अपनी मजदूरी या कपड़ा, जिसका वह कम्पनीसे ठेका कर चुका है, किसी यूरोपीयन या हिन्दुस्तानीको किसी भी हालतमें नहीं दे सकता"। अगर वह कपड़ा न दे सके तो "व्यापारिक रेसिडेन्टको अधिकार होगा कि उसपर शीघ्र कपड़ा वसूल करनेके लिए प्यादे बैठा दे।" दूसरोंके हाथ कपड़े बेचनेपर "जुलाहोंपर दीवानी अदालतमें मुकदमा चलाया जा सकेगा।" "जिन जुलाहोंके पास एकसे अधिक करघे हों या जिनके पास एक या अधिक कारीगर हों, वे यदि शर्तनामेके मुताबिक कपड़े न दे सकें तो उतने कपड़ेके दामका ३५ फी सदी तकका जुर्माना उनपर किया जा सकता है।" जमींदारों और रैयतोंको "हुक्म दिया जाता है कि वे जुलाहोंके पास व्यापारिक रेसिडेन्ट या उनके अमलदारोंके जानेमें बाधा न डालें।" और उन्हें "सख्त मुमानियत की जाती है कि वे कम्पनीके व्यापारिक रेसिडेन्टोंके साथ अनादरका बरताव न करें।"

तब इसमें आश्चर्य ही क्या है अगर जुलाहे अपने अँगूठे आप काटकर ऐसे असह्य दबावोंसे छूट निकले? जो उद्योग जान बूझकर इस तरह नष्ट कर दिया गया था, और जिससे लाखो लोगोके घरके खर्चमें सहायता मिलती थी, उसे पुनरुज्जीवित करना हर एक देश-प्रेमी भारतीयका पवित्र कर्तव्य है और हर अंग्रेज, जो इस महान् देशके प्रति किये गये अपने पूर्वजोंके पापका प्रायश्चित करना चाहे, उसे इस उद्योगको पुनरुज्जीवित करना अपना सौभाग्य समझना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि प्रायश्चित्तके बजाय १५० वर्ष पहले शुरू की गई नीतिपर जमे रहने और इस गलतीको ही हर मुमकिन तरीकेसे गौरवान्वित करनेका दुःखद प्रयत्न किया जा रहा है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया १९-४-१९२८

२८५. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

आश्रम
साबरमती
१९ अप्रैल, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

आपका पत्र मिला। आपने अपनी सेहतके बारेमें कुछ नहीं लिखा। आशा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा होगा। क्या इस यात्राका अर्थ खादीकी ज्यादा बिक्री होना है? जिन लोगोंके समक्ष भाषण दिये जाते है उनकी ओरसे ज्यादा चन्दा मिल रहा है, या विशिष्ट व्यक्तियोंसे ही मिल रहा है?

हृदयसे आपका,
बापू

अंग्रेजी (जी० एन० १५८९) की फोटो-नकलसे।

२८६. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

आश्रम
साबरमती
२० अप्रैल, १९२८

प्रिय मोतीलालजी,

आपका पत्र मिला। मुझे हर रोज कुछ ऐसी नई बातें मालूम हो रही हैं जिनसे यह जाहिर होता है कि हम फिलहाल मिल-मालिकोंसे कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। वे केवल दबावके आगे झुकेंगे, और सरकारका दबाव कांग्रेसके दबावसे ज्यादा महसूस होता है। परन्तु हमें अधीर नहीं होना चाहिए। हमें भारतीय मिलोंमें बने कपड़ेके बहिष्कारको उसी श्रेणीमें रखनेकी जरूरत नहीं है, जिसमें हम विदेशी वस्त्र बहिष्कारको रखते हैं। मिलोंको हितकर नियन्त्रणमें रखनेके लिए मिलोंमें बने कपड़ेके प्रति निषेधात्मक रुख रखना काफी होगा। स्पष्ट बहिष्कारसे तो सिर्फ मन-मुटाव होगा और उससे हम विदेशी वस्त्र बहिष्कारके काममें कुछ भी आगे नहीं बढ़ेंगे।

जबतक जनताकी सामूहिक शक्तिका आकस्मिक आविर्भाव नहीं होता हम लाखों लोगोंके पास पहुँचनेमें कभी सफल नहीं हो सकते। हम चाहे जो करें उसके बावजूद ये लाखों लोग फिलहाल भारतीय मिलोंका कपड़ा खरीदते रहेंगे और एक ओर लंकाशायर और जापानी मिलोंका और दूसरी ओर भारतीय मिलोंका कड़ा मुकाबला होगा। इसलिए हमें अपना प्रयास शहरी लोगों तथा जिनपर हमारा बस है ऐसे

उन थोड़ेसे ग्रामवासियोंकी विचार-धारा बदलनेमें और उन्हें खादी अपनानेके लिए राजी करनेमें केन्द्रित करना है। यदि हम यह करना शुरू कर दें तो खादीका सन्देश जन-समुदाय तक पहुँच जायेगा। तब हमारी और विदेशी दोनो तरहकी मिलोंपर चोट लगेगी। उस वक्त हमारी मिले हमारे साथ खड़ी होंगी। जैसे ही वे ऐसे करेंगी हम छः महीनोके अन्दर विदेशी वस्त्र बहिष्कारको सफल बना सकते है। इसलिए निश्चित रूपसे कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए :

हम भारतीय मिलोके बारेमें कुछ न करें। हम खादीके द्वारा विदेशी वस्त्र बहिष्कारका तूफानी प्रचार चलायें और लोगोंसे कहें कि वे खादी अपनानेमें बड़ेसे-बड़ा त्याग करनेके लिए तैयार रहें। हमें अपने-आपमें और अपने लोगोमें विश्वास अवश्य होना चाहिए और यह यकीन करना चाहिए कि वे लोग इतना तो कर ही सकते है — यह त्याग कुछ ज्यादा तो है नही। परन्तु मै स्वीकार करता हूँ कि फिलहाल मेरे मनमें ऐसे सगठनकी रूप-रेखा नही है, जिसकी बहिष्कारको चलानेके लिए आवश्यकता है। राजनीतिक क्षेत्रके हमारे वे लोग जिनके हाथमें मंच है कुछ गम्भीर कार्य नही करना चाहते। वे किसी रचनात्मक कार्यमें मन नही लगायेंगे। जवाहर अपने एक पत्रमें वर्तमान वातावरणका वर्णन करते हुए कहता है, "वातावरणमें हिंसा व्याप्त है।" उसका यह वर्णन बिलकुल सही है। हम बंगालमें अंग्रेजी कपड़ेके बहिष्कारके बारेमें इतना ज्यादा पढ़ते और सुनते है, परन्तु लगभग हर हफ्ते जो पत्र मुझे आते है उनसे लगता है कि वास्तविक बहिष्कार कुछ है ही नही। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई संगठन नही है, काम करनेकी कोई लगन भी नही है। इन सारी चीजोंपर सोच-विचार करनेके बाद आप मुझे क्या करनेकी सलाह देंगे।

रोमाँ रोलाँका अपेक्षित पत्र ज्यादासे-ज्यादा अगले मंगलवार तक आ जायेगा। उसके बाद जल्दी ही मुझे निश्चय कर लेना है। मान लीजिए कि रोमाँ रोलाँ मुझे यूरोपीय यात्राके पक्षमें राजी कर लें, तो बहिष्कार वार्ताको ध्यानमें रखते हुए आप मुझसे क्या चाहेंगे। आपका जो भी निश्चय हो उसे मैं मान लूँगा। मै यूरोपीय यात्राके लिए निजी तौरपर बहुत उत्सुक नहीं हूँ। परन्तु यदि भारतमें सब ठीक-ठाक चलता रहे और यदि रोमाँ रोलाँ चाहें कि मैं यूरोपकी यात्रा करूँ तो मुझे यूरोपीय आमन्त्रणको स्वीकार करनेके लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्या आप कृपया तार द्वारा अपने निश्चयकी सूचना देंगे? जवाहर आपके पास होगा और सम्भवतः आपको डॉ० अन्सारीके विचारका पता चल जायेगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१९७) की फोटो-नकलसे।

२८७. पत्र : देवचन्द पारेखको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२० अप्रैल, १९२८

भाईश्री देवचन्दभाई,

आपका पत्र मिला। रेवाशंकरभाईका पत्र पढ़नेके बाद उनसे आग्रह कैसे कर सकता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि रेवाशंकर भाई सिर्फ अपना नाम ही दें और हम उनसे कुछ काम न लें? और यदि यह चाहते हों तो किसी अच्छा काम करनेवाले कामचलाऊ सहायक प्रमुखको ढूंढ़ लेना चाहिए। इस सब कामके लिए आप बम्बई हो आयें यह तो वांछनीय है ही। हो सकता है कि रेवाशंकरभाई ऐसे सहायक प्रमुख या किसी दूसरे प्रमुखका नाम बता सकेंगे। अभी मुझे लिखें कि आपकी क्या इच्छा है, ताकि वैसा ही कर सकूँ।

बापूके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ५६९१) की फोटो-नकलसे।

२८८. पत्र : जॉन हेन्स होम्सको

आश्रम
साबरमती
२० अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र[1] मिला। मैं आपका प्रतिरोध नहीं कर सकता परन्तु मैं आपकी बात सही मान लेता हूँ। मैं आपको निम्नलिखित केवल एक वाक्य ही भेज रहा हूँ :—

मेरे विचारमें टॉल्स्टॉयके जीवनकी सबसे महान् देन यही है कि उन्होंने हमेशा इस बातकी परवाह किये बिना कि क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा, अपने उपदेशोंको अमली जामा पहनानेकी कोशिश की।

१. जॉन हेन्स होम्सने लिखा था: टॉल्स्टॉय शताब्दीके उपलक्षमें निकल रहा यूनिटीका विशेष संस्करण आपकी कलमसे लिखी श्रद्धांजलिके बिना अधूरा रहेगा।

आपने मेरे स्वास्थ्यके बारेमें जो पूछताछ की है, उसके लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि फिलहाल तो मेरी तबीयत ठीक है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १४२८७) की फोटो-नकलसे।

२८९. पत्र : पेट मेटॉफको

आश्रम
साबरमती
२० अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला; उसके लिए धन्यवाद स्वीकार करें। मेरे ख्यालसे आपकी पुस्तक[1] यथासमय मुझे मिल जायेगी।

अपने नये निवास स्थानमें दुखोबरोंके परिवारकी क्या हालत है, इस सम्बन्धमें लिखिए;[2] मैं यह जाननेके लिए उत्सुक रहूँगा।

खेद है कि मैं अपना कोई फोटो अपने पास नहीं रखता। मैं एक साप्ताहिक समाचारपत्र 'यंग इंडिया' का सम्पादन करता हूँ, उसका नवीनतम अंक आपके पास भेज रहा हूँ।

मैं रूससे हाल ही में आपके पास आये हुए नये नेता[3] के बारेमें भी और अधिक जानकारी पानेके लिए उत्सुक हूँ।

हृदयसे आपका,

पेट मेटॉफ महोदय
थ्रम्स, बी० सी०
फ्री कैनेडा

अंग्रेजी (एस० एन० १४२८८) की फोटो-नकलसे।

१. मैसेज ऑफ दुखोबर्स।

२. पेट मेटॉफने अपने पत्रमें लिखा था कि बन्दूकों तथा अन्य विध्वंसक पदार्थोंको जलानेके अपराधमें १८९५-९६ में रूसमें दुखोबर परिवारके लोगोंपर मुकदमा चलाया गया था तथा १८९९ में उन्हें कैनेडा जानेकी इजाजत दे दी गई थी।

३. पीटर पी० वेरीजिन।

२९०. पत्र : एस० गणेशनको

आश्रम
साबरमती
२१ अप्रैल, १९२८

प्रिय गणेशन,

आपके पत्रका अन्तिम अनुच्छेद, जिसे मैं सबसे पहला मानता हूँ, मेरी समझमें नहीं आया; यद्यपि मैं यह समझ गया हूँ कि अभी कुछ समय तक आप श्री ग्रेगकी पुस्तक नहीं छाप सकते। 'यंग इंडिया'में उस पुस्तकके सम्बन्धमें इतने दिनोंसे बार-बार चर्चा किये जानेके बाद भी यदि ऐसा हो, तो वह एक बहुत ही बुरी बात होगी। कृपया इस पत्रके पानेपर तारसे सूचित करें कि पुस्तकको यदि प्रकाशित करने जा रहे हैं तो कब तक।

डा० स्टोप्सको 'आत्मसंयम बनाम आत्मरति' पर लिखी पुस्तक भेजनेके लिए क्षमा माँगनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तवमें उनकी पुस्तकोंकी समालोचना करने और उनका विज्ञापन भी करनेके बाद आपका उन्हें मेरी पुस्तक भेजना ठीक ही था। इसमें कोई गलत बात नहीं थी, परन्तु उनके द्वारा की गई मेरी पुस्तककी समालोचना छापनेको आप निश्चय ही बाध्य नहीं हैं; निस्सन्देह तबतक जबतक कि स्वतन्त्र रूपसे आप यह न समझ लें कि वह समालोचना अच्छी है और तर्क-सम्मत है। और अगर आप उनकी समालोचना प्रकाशित न करें तो उसे प्रकाशित न करनेका कारण उन्हें स्पष्ट रूपसे बताकर आप उनकी बहुत बड़ी सेवा करेंगे।

अब रही आपके बारेमें। मैं एक ही सलाह दे सकता हूँ, वह यह है कि आपको अपने प्रस्तावके सम्बन्धमें बिलकुल दृढ़ हो जाना चाहिए और तब आप देखेंगे कि आपकी सारी दिक्कतें समाप्त हो गई हैं। हमारी दिक्कतें वास्तवमें तब पैदा होती हैं जब हम अपनी कमजोरी और द्विविधापूर्ण कार्योंके कारण इधर-उधर भटकते फिरते हैं। एक द्विविधारहित दृढ़ और स्पष्ट कार्य उस देदीप्यमान सूर्यके समान होता है जो केवल अन्धकारको ही दूर नहीं करता वरन् बीमारियोंके सब कीटाणुओंको नष्ट कर देता है। हमारी अधिकतर बुराइयों और दिक्कतोंकी जड़ हमारा अस्थिर चित्त होना है।

अगले सप्ताह मैं अपने यूरोपके दौरेके सम्बन्धमें निश्चय कर चुकूंगा और यदि मैंने जाना तय किया तो मैं मईके बीचमें या पहले सप्ताहमें जाऊँगा। आप जब भी आपकी इच्छा हो अवश्य आ जायें। परन्तु आनेसे पहले अपने सारे घोषित वायदोंको पूरा करनेका प्रयत्न करें।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने सन्तति-निरोध सम्बन्धी पुस्तकोंका विज्ञापन देना बन्द कर दिया है।

आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३१९९) की माइक्रोफिल्मसे।

२९१. पत्र : शंकरन्‌को

आश्रम
साबरमती
२१ अप्रैल, १९२८

प्रिय शंकरन्,

तुम्हारा पत्र मिला। तो अब तुम एक कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष हो। यह बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि गिरधारीलाल खादीमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है।

मै तुम्हारा पत्र श्रीयुत विट्ठलदास जेराजाणीको उचित कार्रवाईके लिए भेज रहा हूँ।

तुम्हारी इस बातसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि खादी संस्थाओंमें किसी प्रकारकी उदासीनता और कमी धोखा-धडीकी बात होनी ही नही चाहिए। मै विट्ठलदाससे पूछ रहा हूँ कि क्या शर्तें रखी जा सकती है?

यदि तुम प्रथम कारणमें विश्वास रखते हो तो उसके सम्बन्धमें तर्क करना व्यर्थ है। प्रत्येक बातको तर्ककी कसौटीपर कसना प्रशंसनीय और उचित है, किन्तु हमें यह जानते हुए कि आदमी अपूर्ण है विनम्रतापूर्वक यह भी मान लेना चाहिए कि कुछ बातें तर्कसे परे भी हो सकती है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे सेवाकार्यका दायरा चारों तरफ फैल रहा है। मुझे इस बातकी कोई आशंका नही है कि तुम्हें जो भी काम दिया जायेगा, उसमें तुम ढील करोगे।

यूरोपके दौरेके बारेमें मै कुछ भी तय नही कर पाया हूँ।

हृदयसे तुम्हारा

अंग्रेजी (एस० एन० १३२००) की माइक्रोफिल्मसे।

२९२. पत्र : हेमप्रभादेवी दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२१ अप्रैल, १९२८

प्रिय भगिनी,

पत्र मील गया है। आस्ते आस्ते ही काम लेना बहोत परिश्रम उठानेकी कोई आवश्यकता नहि। निखिलकी तबीअत खराब होनेसे थोडासा भी गभराहट में नहि पडना। और जब जब गभराहट आ जाय तब तब इस श्लोक जो हम हमेशा गाते हैं उसका याद करना।

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते।[1]

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती हेमप्रभादेवी
रूबी लॉज
डा० वरगण्डा
गिरिडीह
ईस्ट इंडियन रेलवे

जी० एन० १६५६ की फोटो-नकलसे।

२९३. तार : डबलडे डोरन कं० को

[२१ अप्रैल, १९२८ के पश्चात्][2]

'यूनिटी' तथा मैकमिलनके प्रकाशक रेवरेंड होम्ससे, जिनके पास पूरी पुस्तकके प्रकाशनके अधिकार हैं, बात कीजिए।

अंग्रेजी (एस० एन० १४७४५) की माइक्रोफिलमसे।

१. भगवद्गीता, अध्याय २, श्लोक ५६।
२. डबलडे डोरन कं० ने २१ अप्रैलके अपने समुद्री तार द्वारा आत्मकथाका अमेरिकी संस्करण छापनेकी अनुमति माँगी थी।

२९४. पत्र : जूलिया इजब्रूकरको[1]

[२२ अप्रैल, १९२८से पूर्व][2]

प्रिय बहन,

आपका गत ७ तारीखका पत्र मिला। यदि मैं यूरोप गया ही और मुझे समय मिल सका और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो मैं सहर्ष सम्मेलनमें शरीक होऊँगा।

अंग्रेजी (एस० एन० १४९४४) की फोटो-नकलसे।

२९५. दफ्तरके बाबू बनाम कारीगर

श्री रणछोड़लाल अमृतलालने दफ्तरके बाबुओंके बीमाके बारेमें मेरे पास निम्नलिखित योजना भेजी है:[3]

इस योजनामें जो भाग बीमाके सम्बन्धमें है उसे मैं बहुत नहीं समझता। इसलिए अगर किसी किस्मका बीमा क्लर्कोंका हित समझकर कराया जाये, तो मैं यह मान लेता हूँ कि वह इस बीमायुगमें अच्छा ही होगा। योजनामें बतलाई बातोंकी उपयोगी टीका तो कोई बीमाशास्त्री ही कर सकता है और मै मान लेता हूँ कि श्रीयुत रणछोड़लालने किसी अच्छे जानकारकी मदद ली होगी। इस बारेमें दो मत हो ही नही सकते कि मिल-मालिकों और दूसरी पेढ़ियोंको अपने यहाँ काम करनेवाले सैंकड़ों क्लर्कोंके हितमें, उन्हें कुटुम्बी-सा समझकर दिलचस्पी लेनी चाहिए। आज तक यह सम्बन्ध महज मालिक और नौकर जैसा ही था। मैंने अपने दौरोंमें सब जगह देखा है कि उसमें कौटुम्बिक भावना बहुत कम ही पैदा हुई है। इसलिए इस योजनाको स्वागत करने योग्य समझता हूँ। बीमाके सिवाय और दूसरी जो वस्तुएँ बतलाई है, वे भी शुभ हेतुकी सूचक हैं।

तीसरे अनुच्छेदमें डाक्टरी मदद मुफ्त देनेकी जो बात लिखी है, वह मेरी दृष्टिमें मुफ्तके बदले सस्ती, सच्ची और तात्कालिक होनी चाहिए। क्योंकि मुफ्त मददसे यह सम्भव है कि बेचारे क्लर्कोंकी स्थिति पराधीनकी-सी हो जाये। फिर, जहाँ मुफ्त मदद मिलती है, वहाँ लापरवाही या मददका दुरुपयोग भी हो सकता है। इस जोखिमसे भी उनको बचानेकी जरूरत है। क्लर्कों या कारीगरोंका रोग उनका कम वेतन और उनकी स्थितिकी ओर सामान्य लापरवाही है। वर्तमान योजनामें वेतनकी

१, सचिव, अन्तर धर्म शान्ति सम्मेलन (इंटर रिलिजन्स कॉफ्रेन्स फॉर पीस), हेग।

२. यह पत्र निश्चित रूपसे २२ अप्रैल जिस तारीखको गांधीजीने यूरोप जानेके सम्बन्धमें फैसला करनेसे पहले लिखा गया था। देखिए "पत्र: सी० एफ० एण्ड्रयूजको", २२-४-१९२८।

३. यहाँ नहीं दी जा रही है।

कमीको पूरा करनेका सीधा और सादा उपाय दिया हुआ है, और इसलिए वह कद्र करने योग्य है।

इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि कारीगरकी अपेक्षा बहुत-सी बातोंमें क्लर्ककी स्थिति अधिक दयनीय होती है। इस वस्तुकी हूबहू तस्वीर मेरे आगे सन् १९१५ में रखी गई थी। कलकत्तेमें मैं मारवाड़ी कर्मचारी मण्डलसे मिला था। उन्होंने अपनी लाचारीका जो वर्णन मुझे सुनाया था वह सचमुचमें करुणाजनक था।

क्लर्कोंकी संख्या कम है, उनकी सहन-शक्ति भी कम है और उनमें एकता भी कम ही है। कारीगरके कुटुम्बमें सभी कमानेवाले होते हैं, जबकि क्लर्कके यहाँ बहुत करके एक ही कमानेवाला होता है। इस स्थितिको सुधारनेमें क्लर्कोंको खुद पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिए। उनमें एकता होनी चाहिए। कुटुम्बको पराधीन रहने देनेके बदले दूसरोंको और खासकर अपनी पत्नीको ऐसी मदद और शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे वह कोई काम कर सके। क्लर्क आत्मविश्वास खो बैठनेके कारण दीन जैसे हो जाते हैं, यों मानते हैं कि एक जगहसे गये तो फिर कहीं सिर ढँकनेकी भी जगह नहीं मिलेगी। जो ईमानदार हैं, अपने काममें होशियार हैं, जिनका शरीर अच्छा है और जो उद्यमी हैं, उन्हें किसी दिन नौकरी मिलनेमें मुश्किल नहीं हुई है।

जब हम सामाजिक नीतिका पाठ पढ़ चुके होंगे, तब हम देखेंगे कि कारीगर, दफ्तरके बाबू या मालिक एक ही शरीर अथवा तन्त्रके अविभाज्य अंग हैं। न उनमें कोई बड़ा है और न कोई छोटा। उनके स्वार्थ भी परस्पर विरोधी नहीं हैं किन्तु एक ही हैं, वे एक दूसरेपर निर्भर हैं।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २२-४-१९२८

२९६. पत्र : एलिजाबेथ नडसनको

आश्रम
साबरमती
२२ अप्रैल, १९२८

प्रिय कुमारी नडसन,

मुझे इस बातपर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतने दिनों तक आपका कोई पत्र क्यों नहीं आया। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कराचीमें आपको इतनी सफलता मिल रही है। राष्ट्रीय सप्ताहके कारण मैंने तेल मालिश और आपकी सुझाई मालिश दोनों बन्दकर दी थी और कार्याधिक्यके कारण मैं उन्हें फिरसे शुरू नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मालिश बन्द करनेके बावजूद भी मेरा वजन करीब दो पौण्ड बढ़ा है। ज्यों ही कामका बोझ कम होगा, आशा है कि मैं फिरसे मालिश शुरू कर दूँगा।

गंगावहनका स्वास्थ्य न तो पहलेसे अच्छा है और न ही बुरा। पिछले दो दिनसे उन्हें थोड़ा बुखार है। कलकत्ता वाला रोगी दस दिन पहले चला गया था। आजकल श्री कोठारी दार्जिलिंगमें हैं।

हृदयसे आपका,

कुमारी एलिजावेथ नडसन
द्वारा डा० थीरानन्दानी
'न्यू टाइम्स' बिल्डिंग
कराची

अंग्रेजी (एस० एन० १३२०१) की फोटो-नकलसे।

२९७. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

आश्रम
साबरमती
२२ अप्रैल, १९२८

तुम्हें शायद यह सुनकर दु:ख होगा कि मैंने इस साल यूरोप न जानेका निश्चय कर लिया है। विभिन्न निमन्त्रणोंके जवाबमें मेरा जाना जरूरी नहीं था, परन्तु मैंने यह महसूस किया कि यदि सार्वजनिक हितके लिए रोमाँ रोलाँने मेरा उनसे मिलने आना उचित समझा तो मैं जाऊँगा और इसके साथ ही यूरोपसे आये निमन्त्रणोंको भी निभा लूँगा। अब उनका प्रत्याशित पत्र आ गया है। इसकी एक प्रति मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ ताकि तुम मेरे निश्चयको अधिक अच्छी तरह समझ सको। रोलाँकी इस बातपर हिचकिचाहट कि मैं खास करके उनसे मिलनेके लिए यूरोप जाऊँ जाहिर करती है कि एक कलाकारके नाते और मेरे सन्देशके व्याख्याता होनेके नाते उनको मेरा यहाँके आवश्यक कार्योंको छोड़कर उनसे मिलने यूरोप जाना उतना जरूरी नहीं मालूम देता। और चूँकि मुझे जानेके लिए कहने अथवा जानेके मेरे प्रस्तावको स्वीकार करनेकी उनके भीतरसे कोई आवाज नहीं आती, मैं समझता हूँ कि यदि उनको लिखे मेरे पत्रमें सच्चाई है, अर्थात् जानेका निश्चय करनेका कारण उनसे मिलना भर है, तो मुझे उनके पत्रको अपनी प्रार्थनाके फलस्वरूप मिलनेवाला ईश्वरीय निर्देश मानना चाहिए। ज्यो-ज्यो दिन गुजरते जाते थे रोज-ब-रोज मैं यूरोप जानेसे उदासीन होता जाता था और इसलिए अपने मनको कठोर बनाता जा रहा था और यह भी अनुभव कर रहा था कि यूरोपको देनेके लिए मेरे पास कुछ नहीं है जबकि मेरे पास यहाँ बहुत कुछ करनेको है। आश्रमके लिए तो मेरी आवश्यकता निरन्तर बनी ही रहती है। यह बात मेरे दिमागमें दिन-ब-दिन साफ होती जा रही है कि यदि मैं आश्रमके प्रति, जो कि मेरी सर्वोत्तम कृति है, न्याय करना चाहता हूँ तो मुझे, यदि मैं

उसे अपना पूराका पूरा समय न दे सकूँ, कमसे-कम उसका अधिकसे-अधिक भाग उसे देना चाहिए।

मेरे मनमें था कि अगर यूरोप न गया तो बर्मा जाऊँगा। पर अब मैं महसूस करता हूँ कि मैं बर्मा भी नही जाना चाहता हूँ और यदि बर्माको मेरी आवश्यकता नहीं हुई, तो मैं गर्मियाँ आश्रममें ही बिताऊँगा।

गर्मीसे मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। मेरा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। और फिर यदि मैं यहाँ रहा तो निस्सन्देह अन्य बहुतसे काम कर सकूँगा। अतः अन्ततः मैं सोचता हूँ कि मुझे नहीं जाना चाहिए। परन्तु अस्थाई रूपसे मैं यह निश्चय कर सकता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो मैं अगले साल यूरोप जाऊँगा। अभीसे पूरी तैयारी और प्रबन्ध करनेके लिए मुझे काफी समय मिल जायेगा, ताकि मैं बिना किसी दिक्कतके जा सकूँ और तब यदि मैं ऐसा कर सका और कोई अड़चन न हुई तो समयकी बचत करनेकी दृष्टिसे अमेरिका भी हो आऊँगा।

अम्बालालसे मेरी लम्बी बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि उन्होंने अपना चन्दा भेज दिया है और इससे आगे वे तबतक नहीं बढ़ सकते जबतक कि सही पक्का चिट्ठा प्रकाशित नहीं हो जाता। हिसाब-किताब रखनेके तरीकेसे वे असन्तुष्ट हैं और गुजराती समिति नियुक्त करनेके लिए उत्सुक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अधिक पैसा गुजरातियोंसे ही मिला है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ मैं उन्हें उनके निश्चयसे विचलित नहीं कर सका हूँ। परन्तु उनका यह कहना है कि अपने इस फैसलेको करते समय उन्होंने अपनी सहज प्रेरणाके बजाय दूसरे दाताओंकी बातपर अधिक ध्यान दिया है।

मरीचिने मुझे तुम्हारे दाँतोंके बारेमें या यों कहो कि तुम्हारे दाँत रहित हो जानेके बारेमें बताया है। दाँतोंका चला जाना कोई बहुत बड़ी हानि नही है और जब किसीके दाँत स्वास्थ्यप्रद होनेके बजाय बीमारीका कारण हों तब यह निश्चय ही एक लाभ है।

इस बातको याद रखो कि तुम्हें श्रद्धानन्द लेखमाला समाप्त करनी है। तुम्हें ग्रेगकी पुस्तकपर कुछ लिखना चाहिए।

आशा है अब गुरुदेव काफी बेहतर होंगे।

अंग्रेजी (एस० एन० १४९५८) की फोटो-नकलसे।

२९८. पत्र : अ० भा० च० संघके मन्त्रीको

आश्रम
साबरमती
२२ अप्रैल, १९२८

प्रिय महोदय,

श्री प्रकाशमने जिस ऋणका दायित्व लिया है उसके सम्बन्धमें आपका पत्र मुझे मिला है। मैंने उन्हें पत्र[1] लिखा है।

हृदयसे आपका,

मन्त्री
अ० भा० च० संघ, अहमदाबाद

अंग्रेजी (एस० एन० १३५९४) की माइक्रोफिल्मसे।

२९९. तार : मथुराप्रसादको

[२३ अप्रैल, १९२८ से पूर्व][2]

आपका पत्र मिला। जब राधा लौटे तब राजकिशोरी और रामानन्द उसके साथ आयें। कृपया मगनलालकी हालतके बारेमें रोजाना तार देते रहें — सन्निपातका क्या कारण है।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १४६५१) की फोटो-नकलसे।

३००. पत्र : मणिलाल गांधी और सुशीला गांधीको

२३ अप्रैल, १९२८

चि० मणिलाल और सुशीला,

यह पत्र लिखते समय मेरे सामने पटनासे प्राप्त तार रखा है कि मगनलाल मृत्युशैया पर है। संयोगवश राधा भी वहाँ है। पटनाके मित्र उसकी देखभालमें कुछ कसर नहीं रखेंगे। किसी भी क्षण मगनलालकी विदाईका तार आ सकता है। जिसे मैं अपना वारिस मानता हूँ वह अपनी विरासत छोड़कर चलनेकी तैयारी कर

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।
२. मगनलाल गांधीकी मृत्यु २३ अप्रैलको हुई थी।

ले भगवानकी यह कैसी माया है? काश! पीछे रह जानेवाले तुम सब लोग मगनलालके कदमोंपर चल सकते।

तुम दोनोंका पत्र मिला। मि० वेनने तुम्हें मेरा सन्देश दे दिया होगा। वे मुझे मिलने आये थे, यह तो तुम्हें पहले लिखा[1] था न?

रामदास अब भी काठियावाड़में खादीकी फेरी कर रहा है। उसे चार पाँच दिनमें आ जाना चाहिए। छगनलाल बीमार होनेके कारण उड़ीसासे अल्मोड़ा गया है। प्रभुदास भी अपने स्वास्थ्यके कारण वहीं है। किन्तु अब तो वह खादीका ही काम कर रहा है।

सुशीलाके अंग्रेजी अक्षरों और भाषाका नमूना देखना चाहता हूँ। इस समय उसका वजन कितना है? चित्रकलामें क्या बना रही है?

सोरावजी सामर्थ्यसे बढ़कर खर्च करें तो मित्रके नाते उन्हें रोकनेके अपने कर्त्तव्यको न भूलना। उनकी खर्चीली प्रकृतिका अनुचित लाभ न उठाना। अपनी मर्यादा पूरी तरह समझना। मैंने यूरोप जाना अभी मुल्तवी कर दिया है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

अभी-अभी तार मिला है कि मगनलालको ईश्वरने उठा लिया है।

बापू

गुजराती (जी० एन० ४७३६) की फोटो-नकलसे।

३०१. तार : ब्रजकिशोर प्रसादको

[२३ अप्रैल, १९२८][2]

ईश्वरकी अन्तिम इच्छासे अवगत हुआ। किसीके साथ राधाबहन को भेज दीजिए। राजकिशोरी साथ आ सकती है। दाह संस्कार अत्यन्त सादा होना चाहिए।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १४६५१) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र : मणिलाल गांधी और सुशीला गांधीको", १०-४-१९२८।

२. यह और इसके बादके तार निश्चित रूपसे मगनलाल गांधीकी मृत्युका समाचार मिलनेके बाद ही भेजे गये थे। मगनलाल गांधीकी मृत्यु २३ अप्रैलको हुई थी।

३०२. तार: देवदास गांधीको

[२३ अप्रैल, १९२८]

बड़े सवेरे मगनलालका देहावसान हो गया। [पटना] मत जाना। राधाको किसीके साथ भेजनेको तार दे दिया है।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १४६५१) की फोटो-नकलसे।

३०३. तार: राधा गांधीको

[२३ अप्रैल, १९२८]

राधा
द्वारा शम्भुसरन

आशा है तुम साहस रखोगी। ईश्वरकी इच्छाके आगे झुक जाओ और रामनाम गाओ। तुम किसी उचित साथीके साथ यहाँ आ जाओगी। स्नेह।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १४६५१) की फोटो-नकलसे।

३०४. तार: खुशालचन्द गांधीको

[२३ अप्रैल, १९२८]

खुशालभाई गाधी
राजकोट

मगनलालका सवेरे पटनामें देहावसान हो गया। आप जानते है कि वह आपके बनिस्बत मेरे अधिक निकट था। आपको दुखी नही होना चाहिए। उसकी मृत्यु बहुत ही शुभ मृत्यु है। नारणदास आज जा रहा है। शिवलालभाईके सम्बन्धियोको सूचित कर दें।

मोहनदास

अंग्रेजी (एस० एन० १४६५१) की फोटो-नकलसे।

३०५. तार: छगनलाल गांधीको

[२३ अप्रैल, १९२८]

मगनलालका सवेरे पटनामें देहावसान हो गया। राधा तुरन्त वापस आ जायेगी। दुःख मनाना उचित नहीं। हमें अपने उपदेशपर अमल करना आना चाहिए। तुम अभी आराम जारी रखो।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १४६५१) की फोटो-नकलसे।

३०६. तार: जमनादास गांधीको

२३ अप्रैल, १९२८

जमनादास गांधी
द्वारा जीवनलाल कं०
कन्सारा चाल
कालबादेवी
बम्बई

मगनलालका सवेरे स्वर्गवास हो गया। दुःखी होना उचित नहीं। नियत काममें कोई व्यवधान न हो।

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ८६९७) से।
सौजन्य: नारणदास गांधी

३०७. पत्र : श्रीनाथ सिंहको

वैशाख शुक्ल ४ [२३ अप्रैल, १९२८][1]

श्रीनाथ सिंहजी,

आपका खत मीला है। बिड़ला बालकोसे मेरा परिचय है इसे उनको मैंने संदेश भेज दीया। यदि सब अखबार जिनके तंत्री महाशयोंको और जिनको मैं न जानुं, वे सब मांगे तो और मैं भेजनेकी कोशीश करुं तो मेरा सब समय उसीमें चला जाय।

आपका,
मोहनदास

श्रीनाथ सिंह जी
सम्पादक, 'बालसखा'
इंडियन प्रेस लिमिटेड
इलाहाबाद

सी० डब्ल्यू० २९७३ से।
सौजन्य : श्रीनाथ सिंह

३०८. पत्र : कुँवरजी खेतसी पारेखको

मौनवार [२३ अप्रैल, १९२८][2]

चि० कुँवरजी,

तुम्हारा पत्र मिला। बालराका काम बन्द हो जाये तो क्या करना होगा इसका विचार जयसुखलालके साथ करना। तुम्हारे अन्तिम अनुच्छेदका उद्देश्य समझमें नहीं आया। किन्तु इस समय तुम्हारे सामने ज्यादा वेतनवाली नौकरी लेनेका प्रश्न हो और तुम ऐसा करना चाहते हो तो मैं तुमसे खादी कार्यमें लगे रहनेका आग्रह नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि यदि तुम इस कार्यमें रहो तो रामदासकी तरह परमार्थके विचारसे पैसेका लोभ छोड़कर रहो। किसीको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। मुझे तो तुम्हारा काम पसन्द है ही। मैं तुम्हें आश्रममें ही रखना तो चाहता हूँ। किन्तु जो ब्रह्मचर्यका पालन करें उन्हींको आश्रममें

१. पत्रपर २४-४-१९२८ की डाककी मुहर पड़ी है।
२. डाककी मुहरसे।

रखनेकी बात आजकल चल रही है। अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। किन्तु मैं मानता हूँ कि आश्रममें न रह सको तो कहीं दूसरे स्थान पर तुम्हारा प्रबन्ध करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

मगनलालका पटनामें देहान्त हो गया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९७१०) की फोटो-नकलसे।

३०९. पत्र: सन्तोक गांधीको

[२३ अप्रैल, १९२८के पश्चात्][1]

चि० सन्तोक,

सेठ घनश्यामदास बिड़ला केशुको लेनेके लिए तैयार हैं, इसलिए उसकी चिन्ता न करना। ईश्वर उसका भला ही करेगा। तुम सब काममें लीन हो जाओ। अपने स्वास्थ्यका ख्याल रखना।

मुझे पत्र लिखते रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८६७२)से।
सौजन्य: राधाबहन चौधरी

३१०. पत्र: तुलसी मेहरको

साबरमती आश्रम
[२३ अप्रैल, १९२८ के पश्चात्][2]

भाई तुलसी मीहार,

मगनलालके लीए जैसा लीखते हो वैसा ही है। हम सब और भी ज्यादा जाग्रत बने। तुमारे काममें भरती ओटमें[3] सुख दुख नहीं मानना परंतु जीतना हो सके उतना निष्काम भावसे करना।

जी० एन० ६५३४की फोटो-नकलसे।

१. राधाबहन चौधरीके अनुसार यह पत्र मगनलालकी मृत्युके कुछ समय बाद ही लिखा गया था। मगनलाल गांधीका स्वर्गवास २३ अप्रैल, १९२८ को हुआ था।

२. ऐसा लगता है कि यह पत्र मगनलाल गांधीकी मृत्युके पश्चात् लिखा गया होगा।

३. 'भरती ओट' (गुजराती) का अर्थ है ज्वार-भाटा।

३११. तार : दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंको[1]

२४ अप्रैल, १९२८

स्वास्थ्य अच्छा। शास्त्रीका सन्तोषजनक उत्तर[2] मिला। मगनलालका कल देहान्त हो गया।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० ११९७७) की फोटो-नकलसे।

३१२. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

आश्रम
साबरमती
२४ अप्रैल, १९२८

प्रिय जवाहर,

तुम्हारा पत्र मिला। निस्सन्देह तुम्हें मालूम ही होगा कि मगनलालकी मृत्युसे मेरे ऊपर बहुत बडा दु:ख आ पड़ा है। यह लगभग असहनीय ही है; पर मै साहससे इसका सामना कर रहा हूँ।

मैंने वह प्रस्ताव नही पढ़ा है, जिसमें कांग्रेससे 'शान्तिपूर्ण और उचित साधनों'को निकालकर 'जो सम्भव हों ऐसे सभी साधनोसे' शब्दोको रखनेको कहा गया है। स्वतन्त्रताको मै गलेसे नीचे उतार सकता हूँ पर "सभी साधनो"को नही, पर मैं समझता हूँ कि हमें अपना पेट हर प्रकारके जहरको पचा लेने लायक मजबूत बना लेना होगा। फिर भी मुझे आशा है कि तुमसे कोई भी तुम्हारी इच्छा और शक्तिसे बाहर कोई काम न करा सकेगा।

अब यह बिलकुल साफ हो गया है कि मिल-मालिक कांग्रेससे एक सौदा करना चाहते है। पर मुझे इन असफल वार्ताओंका दु:ख नही है। उन्होने आगेके लिए रास्ता साफ कर दिया है।

१. यह समुद्री तार दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके इस तारके उत्तरमें दिया गया था: "स्वास्थ्यकी सूचना दें"।

२. अपने लम्बे समुद्री तारमें शास्त्रीने लिखा था कि १९१४ के समझौतेके समय जो मतैक्य हुआ था उसे कोई चुनौती नहीं दी जायेगी और दक्षिणी आफ्रिकी मन्त्री जान बूझकर अपने पुराने वायदोंसे मुकरेंगे नहीं। शास्त्रीके समुद्री तारके पाठके लिए देखिए परिशिष्ट २ ।

रोमाँ रोलाँका प्रत्याशित पत्र रविवारको आ गया है। मैं उनके ऊपर जो बोझ डालना चाहता था, वह वे नहीं उठायेंगे। अतः इस साल मैं यूरोप नहीं जा रहा हूँ। पर तुम इस सम्बन्धमें 'यंग इंडिया'[1] के पृष्ठोंमें पढ़ोगे।

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजी (एस० एन० १३२०३) की फोटो-नकलसे।

३१३. पत्र : कर्नाड सदाशिव रावको

आश्रम
साबरमती
२४ अप्रैल, १९२८

प्रिय सदाशिव राव,

आपका पत्र मिला; बहुत पसन्द आया। अपनी पुत्रियोंको स्वयं मुझसे सम्पर्क स्थापित करने दीजिए। यदि उन्हें पर्दानशीन औरतोंसे भी बदतर नहीं होना है तो उन्हें साहसी बनना चाहिए। क्योंकि वे औरतें, जो आधुनिक तितलियाँ बनना चाहती हैं, मेरी निगाहमें पर्दानशीन औरतोंसे भी गई बीती हैं। और जो राष्ट्रकी वास्तविक सेविका बनेंगी, उन्हें गरीबीको वरदानके रूपमें स्वेच्छासे स्वीकार करना होगा, न कि मात्र सहनीय स्थिति मानकर।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत सदाशिव राव कर्नाड
कोडाइबेल
मंगलोर

अंग्रेजी (एस० एन० १३२०२) की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए "यूरोपीय मित्रोंसे", २६-४-१९२८।

३१४. तार: सतीशचन्द्र दासगुप्तको[1]

साबरमती
२५ अप्रैल, १९२८

सतीशचन्द्र दासगुप्त
खादी प्रतिष्ठान
सोदपुर

आपका तार[2] आपके योग्य था। आप इस समय जो सर्वोत्तम सेवा कर सकते हैं वह यह है कि आप अपना स्वास्थ्य सुधारें ताकि मैं दूसरे दुःखसे बचा रहूँ।

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० १५९०) की फोटो-नकलसे।

३१५. तार: देवदास गांधीको

[२५ अप्रैल, १९२८][3]

राधाके साथ वापस आ जाओ।

अंग्रेजी (एस० एन० १४६४९) की फोटो-नकलसे।

१. यह सतीशचन्द्र दासगुप्तके २४ अप्रैलके तारके पीछे लिखा हुआ था; उसीके उत्तरमें भेजा गया होगा।

२. तारमें लिखा था: मगनलालके स्थानकी पूर्ति नहीं की जा सकती, परन्तु यदि आप चाहें तो मैं वहाँ आपकी सेवा करनेको तैयार हूँ।

३. यह सतीशचन्द्र दासगुप्तको भेजे गये तारके नीचे लिखा था; देखिए पिछला शीर्षक। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों तार एक ही दिन भेजे गये थे।

३१६. तार: च० राजगोपालाचारीको[1]

२५ अप्रैल, १९२८

मगनलालके देहान्तके पूर्व यूरोपका दौरा रद कर दिया था। जमनालालजीको तीर्थाटनके लिए अवश्य जाना चाहिए। जो मगनलालने छोड़ा है मैं उसके योग्य बन सकूं।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १४६८३) की माइक्रोफिल्मसे।

३१७. मेरा सबसे अच्छा सहयोगी चला गया

जिसे मैंने अपने सर्वस्वका एकमात्र वारिस चुना था वह अब न रहा। मेरे एक चाचाके पोते मगनलाल खुशालचन्द गांधी मेरे कामोंमें सन् १९०४ से मेरे साथ थे। मगनलालके पिताने अपने सभी पुत्रोंको देशके काममें समर्पित कर दिया है। इस महीनेके शुरूमें मगनलाल सेठ जमनालालजी तथा दूसरे मित्रोंके साथ बंगाल गये थे। जब वह बिहारमें अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे उन्हें तीव्र ज्वर हो आया। नौ दिनकी बीमारीके बाद ब्रजकिशोर प्रसादकी देखरेखमें हिफाजतसे रहते हुए प्रेम और डाक्टरीके विज्ञानके द्वारा लगनसे जितनी सेवा सम्भव थी सभी कुछ होनेपर भी वे चल बसे।

मगनलाल गांधी मेरे साथ सन् १९०३ में कुछ धन कमा सकनेकी आशासे दक्षिण आफ्रिका गये थे। मगर उन्हें दुकान चलाते हुए पूरा साल भर भी न हुआ होगा कि स्वेच्छापूर्वक गरीबी अपनानेके लिए मेरी अचानक लगाई गई पुकारको सुनकर फीनिक्स आश्रममें आकर शामिल हो गये और इस तरह मेरे साथ आ जानेके बाद फिर कभी उनका मन विचलित नहीं हुआ और न कभी उनसे कोई चूक हुई। अगर उन्होंने स्वदेश सेवामें अपनेको अर्पित न कर दिया होता, तो अपनी असंदिग्ध योग्यताओं और अपने अथक अध्यवसायके बलपर आज वे व्यापारियोंके सिरताज होते। छापाखानेके काममें लगा दिये जानेपर उन्होंने शीघ्र ही मुद्रण-कलाके सभी रहस्योंको आसानीसे जान-समझ लिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने किसी औजार

१. यह च० राजगोपालाचारीके निम्न तारके उत्तरमें भेजा गया था: जमनालालजी पटना गये हैं। कल आयेंगे। आप मेरे इस सुझावपर नाराज हो सकते हैं लेकिन आपसे इस शोकपूर्ण वातावरणको जमनालालजीके हाथमें छोड़कर अभी यूरोप जानेका सानुनय आग्रह करता हूँ। जमनालालजीको अपनी तीर्थयात्रा स्थगित कर आश्रममें रहना चाहिए। 'मारटालुमिनियम' तार पतेपर जवाब दें।

या मशीनको कभी हाथमें भी नहीं लिया था, फिर भी इंजन घरमें, कलोंके बीच तथा कम्पोजिटरीके काममें सभी जगह उन्होंने अत्यन्त कुशलता दिखलाई। 'इंडियन ओपिनियन' के गुजराती अंशका सम्पादन करना भी उनके लिए वैसा ही सहज काम था। चूँकि फीनिक्स आश्रममें घरेलू खेतीका काम भी शामिल था, इसलिए वे कुशल किसान भी बन गये। मेरा खयाल है कि आश्रममें उनका बगीचा सबसे अच्छा बगीचा था। यह भी उल्लेखनीय है कि अहमदाबादसे 'यंग इंडिया' का जो पहला अंक निकला, उसमें भी गाढे मौकेपर उनके हाथकी कारीगरीकी छाप है।

पहले उनका शरीर बड़ा हृष्ट-पुष्ट था किन्तु जिस कामके लिए उन्होने अपनेको समर्पित किया था, उसे आगे बढानेमें उन्होने उस शरीरको गला दिया था। उन्होंने बड़ी सावधानीसे मेरे आध्यात्मिक जीवनका अध्ययन और अनुकरण किया था। जब मैंने सत्यकी खोजमें रत विवाहित स्त्री-पुरुषोंके लिए भी ब्रह्मचर्य ही को जीवनका-नियम बताते हुए अपना सिद्धान्त अपने सहयोगियोंके सामने पेश किया था, तब उन्होने ही पहले पहल उसका सौन्दर्य तथा उसके पालनकी आवश्यकता समझी; और उसके लिए जैसा कि मैं जानता हूँ, उन्हें बडा कठोर प्रयत्न करना पड़ा था। उन्होने इसे सफल करके दिखलाया। इसके लिए उन्होने अपनी धर्मपत्नीको भी धैर्यपूर्वक समझा बुझाकर राजी किया था, उसपर जबरन् अपने विचार थोप कर नहीं।

जब सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ, तब वे सबसे आगे थे। उन्होने ही मुझे वह नाम सुझाया जो मैं दक्षिण आफ्रिकाके संघर्षको पूरी तरह अभिव्यक्त करनेके लिए ढूँढ रहा था और इससे पहले दूसरा कोई अच्छा शब्द न मिल सकनेके कारण मैंने लाचार होकर उसे 'निष्क्रिय प्रतिरोध' का नाम दिया था; यह नाम अत्यन्त अपर्याप्त होनेके साथ-साथ भ्रमोत्पादक भी था। क्या ही अच्छा होता अगर आज मेरे पास उनका वह अत्यन्त सुन्दर पत्र होता जो उन्होने उस समय लिखा था, जिसमें बतलाया था कि इस संघर्षको किन कारणोसे सदाग्रह कहना चाहिए। इसी सदाग्रहको बदल कर मैंने सत्याग्रह[1] शब्द बनाया। उन्होने पत्रमें इस संघर्षके सभी सिद्धान्तो पर एक-एक करके विचार किया था और उसे पढ़ते हुए अन्तमें पाठकको चुपचाप उनके चुने हुए इसी नामपर आना पड़ता था। मुझे याद है कि वह पत्र अत्यन्त ही छोटा और विषयसे सुसम्बद्ध था, उनके सभी पत्र सदा ऐसे ही होते थे।

संघर्षके समय वे कामसे थके नहीं, किसी कामको टाला नहीं। वे अपनी निर्भीकतासे अपने आसपासके सभी लोगोंके दिल, उत्साह और आशासे भर देते थे। जब कि सब लोग जेल गये, जब फीनिक्समें मेरे कहनेपर जेल जाना ही मानो इनाम जीतना था, उस समय भी जेल जानेसे भी ज्यादा कठिन काम सँभालनेके लिए वे बाहर बने रहे। स्त्रियोंके दलमें शामिल होनेके लिए उन्होने अपनी पत्नीको भेज दिया था।

हमारे हिन्दुस्तान लौटनेपर भी उन्हींकी बदौलत इतने संयम नियमकी बुनियाद पर बना यह आश्रम स्थापित हो सका। यहाँ उन्हें नया और अधिक मुश्किल काम

१. देखिए खण्ड २९, पृष्ठ ९९।

करना पड़ा। मगर उन्होंने अपनेको उसके लायक साबित किया। उनके लिए अस्पृश्यता बहुत कठिन परीक्षा थी। सिर्फ एक पल-भरके लिए ऐसा जान पड़ा, मानो उनका दिल डोल गया हो। मगर यह तो केवल एक क्षण-भरकी ही बात थी। उन्होंने समझ लिया था कि प्रेमकी कोई सीमा नहीं हो सकती। उन्होंने और नहीं तो महज इसीलिए कि अछूतोंकी इस दशाके लिए ऊँची जातिवाले जिम्मेदार हैं, अस्पृश्यताके कलंकको मिटाना आवश्यक माना।

आश्रमके औद्योगिक विभागका काम फीनिक्सके कार्यकलापों जैसा नहीं था। यहाँ हमें बुनना, कातना, धुनना और ओटना सीखना होता था। यहाँ फिर मैंने मगनलालकी ओर देखा। यद्यपि कल्पना मेरी थी किन्तु उसे कार्यरूपमें परिणत करनेवाले हाथ तो उनके थे। उन्होंने बुनना और कपाससे खादी बनाने तककी और दूसरी सभी प्रक्रियाएँ सीखीं। वे तो जन्मसे ही कारीगर थे।

जब आश्रममें दूधका काम शुरू हुआ तबसे वे इस काममें उत्साहसे लग गये, दूध सम्बन्धी साहित्य पढ़ा और आश्रमकी सभी गायोंका नामकरण किया और आश्रमके सभी चौपायोंसे मित्रता कर ली।

जब आश्रममें चर्मालय शुरू किया गया तब भी वे वैसी ही हिम्मतसे काममें जुट गये। जरा दम लेनेकी फुरसत मिलते ही वे चमड़ेकी कमाईके सिद्धान्त भी सीखनेका इरादा रखते थे। राजकोटके हाईस्कूलमें प्राप्त की शिक्षाके अलावा और जो बहुतेरी चीजें वे इतनी अच्छी तरह जानते थे, सब उन्होंने स्वानुभवकी कठिन पाठशालामें सीखी थीं। उन्होंने देहाती बढ़ई, देहाती बुनकर, किसान, चरवाहों और ऐसे ही मामूली लोगोंसे काम सीखा था।

वे चरखा संघके तकनीकी विभागके निदेशक थे। श्रीयुत वल्लभभाईने हालकी बाढके समयमें उन्हें विट्ठलपुरकी नई बस्ती बनानेका काम सौंपा था।

वे अनुकरणीय पिता थे। उन्होंने अपने बच्चोंको, दो लड़कियों और एक लड़केको, जो अब तक अविवाहित हैं, ऐसी शिक्षा दी कि वे देशके लिए जीवन समर्पित करने योग्य बन जायें। उनका पुत्र केशव यन्त्र-विद्यामें बड़ी कुशलता दिखला रहा है। उसने भी अपने पिताके ही समान यह सब मामूली लुहार-बढ़इयोंको काम करते देखकर सीखा है। उनकी सबसे बड़ी लड़की राधाने, जिसकी उम्र अठारह वर्ष है, बिहारमें स्त्रियोंकी स्वाधीनताके सम्बन्धमें एक मुश्किल और नाजुक काम हाल ही में शुरू किया था। सचमुच वे यह अच्छी तरह जानते थे कि राष्ट्रीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए। और वे शिक्षकोंको प्रायः इस विषयपर गम्भीर और विचारपूर्ण चर्चामें लगाया करते थे।

पाठक यह न समझें कि उन्हें राजनीतिका कुछ ज्ञान नहीं था। यह ज्ञान होते हुए भी उन्होंने रचनात्मक सेवा, आत्म-त्याग और शान्तिका मार्ग ही चुना था।

वे मेरे हाथ थे, मेरे पैर थे और मेरी आँखें थे। दुनियाको क्या पता कि मेरा तथाकथित बड़प्पन, शान्त, श्रद्धालु, योग्य और पवित्र स्त्री तथा पुरुष कार्यकर्त्ताओंके अविरत परिश्रम, बेउजर काम करनेपर कितना निर्भर है? और इसीलिए कार्यकर्त्ताओंमें मगनलाल मेरे लिये सबसे बड़े, सबसे अच्छे और सबसे अधिक पवित्र थे।

मुझे यह लेख लिखते हुए भी अपने प्यारे पतिके लिए विलाप करती हुई उनकी विधवाकी सिसकी सुनाई पड़ रही है, मगर वह क्या समझेगी कि उससे अधिक अनाथ मैं ही हो गया हूँ? अगर ईश्वरमें मेरा जीवन्त विश्वास न होता तो आज मैं उनकी मृत्युके शोकमें बिलकुल पागल हो गया होता। वह मुझे अपने सगे पुत्रोंसे भी अधिक प्रिय थे उन्होंने मुझे कभी धोखा नही दिया, मेरी आशाएँ नही तोडी, वह अध्यवसाय की मूर्ति थे, वह आश्रमके भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी अंगोंके सच्चे प्रहरी थे। उनका जीवन मेरे लिये प्रेरणादायक है, नैतिक नियमकी अमोघता और उच्चताका ज्वलन्त उदाहरण है। उन्होंने अपने ही जीवनमें मुझे एक दो दिनोंमें नही कुछ महीनोमें नहीं, बल्कि पूरे चौबीस वर्षों तकको लम्बी अवधिमें — हाय जो अब घड़ी भरका समय जान पड़ता है — यह साबित कर दिखलाया कि देश-सेवा, मनुष्य-सेवा और आत्म-ज्ञान या ब्रह्म-ज्ञान आदि सभी शब्द एक ही अर्थके द्योतक हैं।

मगनलाल नही रहे, मगर अपने सभी कामोमें वे जीवित हैं, जिनकी छाप आश्रमके कण-कणमें कोई भी देख सकता है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया २६-४-१९२८

३१८. धर्म-संकट

उपर्युक्त सारांश एक युवकके हृदय-द्रावक पत्र[1] का है जिसे मै कई सालसे जानता हूँ। उसने अपना पूरा नाम और पता पत्रमें दिया है। अपना नाम देते हुए वे डरते थे। इसलिए, वे लिखते है कि, 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंमें चर्चा की जा सके इस आशासे उन्होने मुझे दो गुमनाम पत्र लिखे थे। इस तरहके इतने अधिक गुमनाम पत्र मेरे पास आते रहते है कि मै उनपर चर्चा करनेमें हिचकता हूँ। उसी तरह इस पत्रपर भी चर्चा करनेमें मुझे बहुत झिझक हो रही है, हालाँकि मै जानता हूँ कि यह पत्र ईमानदारीसे लिखा गया है और एक प्रयत्नशील पुरुषका लिखा हुआ है। यह विषय ही इतना नाजुक है। मगर मैं तो दावा करता हूँ कि ऐसे मामलोंका मुझे काफी अनुभव है। ऐसा दावा करते हुए और खासकर इसलिए कि कई ऐसे ही मामलोमें मेरे बताये तरीकेसे लोगोंको आराम मिला है, मै इस स्पष्ट कर्त्तव्यके पालनसे मुँह नही मोड़ूंगा।

जहाँ तक अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगोंसे सम्बन्ध है, भारतकी स्थिति दुगुनी मुश्किल है। सामाजिक योग्यताओंकी दृष्टिसे पति-पत्नीके बीच इतना बड़ा अन्तर होता है कि जिसे मिटा सकना प्रायः असम्भव होता है। कुछ नवयुवक यह सोचते जान पड़ते हैं कि हमने अपनी पत्नियोंकी परवाह न करके ही यह सवाल हल कर लिया है; यद्यपि उन्हें पता है कि उनकी बिरादरीमें तलाक सम्भव नही है और इसलिए

१. यहाँ नहीं दिया गया है।

उनकी पत्नियाँ पुनर्विवाह नही कर सकतीं। और तो भी दूसरी तरहके लोग — और इन्हीकी संख्या कही अधिक है — अपनी पत्नियोंको केवल आनन्दके उपभोगका साधन बनाते है और उन्हें अपने बौद्धिक जीवनमें साझेदार नही बनाते। बहुत ही थोड़े लोग ऐसे है जिनका अन्तःकरण जाग्रत हुआ है। मगर अब उनकी संख्या दिनोदिन बढती जा रही है। उनके सामने भी वैसी ही नैतिक समस्या आ खडी हुई है जैसी कि मेरे पत्र-लेखकके सामने है।

मेरी सम्मतिमें सम्भोगको अगर उचित या नियमानुकूल मानना है तो उसकी इजाजत तभी दी जा सकती है जब कि दोनो पक्ष उसकी इच्छा करें। मैं इस अधिकारको नही मानता कि दोनोमें से एक दूसरेसे जबरन इच्छा पूर्ति कराये। और अगर इस मामलेमें मेरी स्थिति सही है तो पतिपर पत्नीकी माँगें पूरी करनेकी कोई नैतिक जिम्मेवारी नही है। मगर इनकार करनेसे पतिपर और भी बड़ा भारी और ऊँचा उत्तरदायित्व आ पड़ता है। वह अपनी पत्नीको नीची नजरसे नही देखेगा, किन्तु नम्रतापूर्वक इसे स्वीकार करेगा कि उसके लिए जो बात जरूरी नहीं है, वही उसकी पत्नीके लिए परमावश्यक वस्तु है। इसलिए वह उसके साथ अत्यन्त नम्रतापूर्ण व्यवहार करेगा और विश्वास रखेगा कि उसकी पवित्रता उसकी पत्नीकी वासनाको अत्यन्त ऊँचे प्रकारकी शक्तिके रूपमें बदल सकेगी। इसलिए उसे अपनी पत्नीका सच्चा मित्र, नायक और वैद्य बनना होगा। पत्नीमें उसे पूरा-पूरा विश्वास करना होगा, उससे कुछ भी छिपाना न होगा और अटूट धैर्यसे उसे पत्नीको इस कामका नैतिक आधार समझाना पड़ेगा और यह बतलाना होगा कि पति पत्नीके बीच सचमुचमें कैसा सम्बन्ध होना चाहिए और विवाहका सच्चा अर्थ क्या है। वह यह काम करते हुए देखेगा कि पहले जो बहुतसी बातें उसके सामने स्पष्ट नही थी, स्पष्ट होने लगी हैं और अगर उसका अपना संयम सच्चा हुआ तो वह अपनी पत्नीको अपने और भी निकट खींच लेगा।

इस मामलेमें तो मुझे कहना ही पडेगा कि केवल अधिक सन्तानोत्पत्तिसे बचनेकी इच्छा ही पत्नीको सन्तोष देनेमे इनकार करनेका काफी कारण नही है। महज बच्चोंका भार उठानेके डरसे पत्नीकी प्रेम-याचनाको अस्वीकार करना तो कायरता-सी लगती है। बेहिसाब सन्तानोत्पत्तिको रोकना दोनों पक्षोंके अलग-अलग या साथ-साथ अपनी कामवासनापर लगाम लगानेका अच्छा कारण है, मगर यह इस बातका समुचित कारण नही है कि दम्पत्तिमें से एक अपने संगीके साथ शयन करनेका अधिकार छीन ले।

और आखिर बच्चोंसे इतनी घबराहट ही किसलिए हो? ईमानदार, परिश्रमी और बुद्धिमान् पुरुषोंके लिए निश्चय ही एक उचित संख्यामें लड़कोंका पालन-पोषण कर सकने लायक कमाई करनेकी काफी गुंजाइश है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे पत्र-लेखक जैसे आदमीके लिए जो देश-सेवामें अपना सारा समय लगानेकी ईमानदारीसे कोशिश करता है, बड़े और बढ़ते हुए परिवारका पालन करना और साथ ही साथ देशकी भी सेवा करना, जिसकी करोड़ों भूखी सन्तानें है, मुश्किल है। मैंने इन

पृष्ठोंमें अकसर यह विचार व्यक्त किया है कि जबतक भारतवर्ष गुलाम है, यहाँ बच्चे पैदा करना ही भूल है। मगर यह तो नवयुवकों और युवतियोंके विवाह ही न करनेका बडा अच्छा कारण है; एक साथीका दूसरे साथीको दाम्पत्तिक सहयोग न देनेका समुचित कारण नही है। हाँ, सहयोग न करना भी उचित हो सकता है, बल्कि न करना ही धर्म हो जाता है, जबकि शुद्ध धर्मके नामपर ब्रह्मचर्य-पालनकी इच्छा प्रबल हो उठे। जब वह इच्छा सचमुचमें पैदा हो जायेगी, तब उसका बड़ा अच्छा प्रभाव दूसरेपर भी पड़ेगा। अगर मान लें कि समयपर उसका भला प्रभाव नही पड़ा; तथापि जीवन-सगीके पागल हो जाने या उसकी मृत्यु तकका जोखिम उठाकर ब्रह्मचर्य-पालन करना कर्त्तव्य हो जाता है। ब्रह्मचर्यके लिए भी वैसे ही साहस-पूर्ण त्यागोकी जरूरत है जैसे त्यागोकी सत्य या देशोद्धारके लिए जरूरत होती है। मैंने ऊपर जो कुछ लिखा है, उसे घ्यानमें रखते हुए यह कहनेकी कोई जरुरत नही रह जाती है कि कृत्रिम उपायोंसे सन्तति-निग्रह करना अनैतिक है और मेरे तर्कको तहमें जीवनकी जो भावना छिपी हुई है, उसमें इसका कोई स्थान नही है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया २६-४-१९२८

३१९. यूरोपीय मित्रोंसे

यह घोषित करते हुए मुझे बहुत खेद होता है कि मेरी जिस यूरोप यात्राकी इतनी चर्चा चल रही थी, कमसे-कम इस साल तो वह किसी हालतमें हो ही नही सकती। आस्ट्रिया, हालैंड, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी और रूसके जिन मित्रोने मेरे पास निमन्त्रण भेजे थे उन्हे मैं इसके सिवाय और क्या कह सकता हूँ कि आपकी निराशा मेरी निराशासे अधिक न होगी।

जाने क्यो यूरोप और अमेरिका जानेसे मुझे बडी घबराहट होती है। इसलिए नही कि मै अपने देशके आदमियोंकी अपेक्षा उन महाद्वीपोंके लोगोपर कम विश्वास करता हूँ। शायद मै अपने प्रति ही आश्वस्त नही हूँ। मुझे स्वास्थ्य-सुधार या सैर-सपाटेके लिए पश्चिमी देशोमें जानेकी इच्छा नही है। मुझे सार्वजनिक सभाओंमें भाषण करनेका शौक नही है। मुझे घुमा-फिराकर दर्शनीय स्थान दिखाये जायें, इससे मै नफरत करता हूँ। मैं नही समझता कि अब फिरसे भाषणों और सार्वजनिक धूम-धामकी भयंकर मेहनत बरदाश्त करने लायक सबल मेरा शरीर कभी हो भी सकेगा या नही। अगर परमात्मा मुझे कभी पश्चिममें ले गया तो मै वहाँके जन-समूहोसे दिली सम्बन्ध स्थापित करने, पश्चिमके नौजवानोसे शान्तिके साथ बातें करने और उन शान्तिप्रेमी पुरुषोसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त करनेके लिए जाऊँगा, जो शान्तिके लिए सत्यके अलावा और सब कुछ दे डालनेको तैयार होंगे।

मुझे लगता है कि मेरे पास अभी ऐसा कोई सन्देश नहीं है, जो मै खुद जाकर पश्चिमको दूँ। मेरा विश्वास है कि मेरा सन्देश सार्वभौम है, मगर अभी मुझे यही

लगता है कि उस सन्देशको देनेका मेरा सबसे अच्छा तरीका स्वदेशमें ही काम करना है। अगर हिन्दुस्तानमें मै जाहिर तौरपर सफलता पाकर दिखला सका तो मेरा सन्देश देनेका काम पूरा हो जायेगा। अगर मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा कि हिन्दुस्तानको मेरे सन्देशकी कोई जरूरत नहीं है तो उसमें विश्वास रखते हुए भी मैं उसे सुनानेके लिए श्रोताओंकी तलाशमें और कही नही जाऊँगा। इसलिए अगर मै हिन्दुस्तानके बाहर जानेका साहस कभी करूँगा भी तो इसलिए कि मुझे विश्वास है, कि चाहे धीरे-धीरे ही क्यों न हो, हिन्दुस्तान मेरे सन्देशको अपना रहा है; हालाँकि मै उसे सबको सन्तोषजनक ढंगसे प्रत्यक्ष नही दिखला सकता।

इस तरह जब मैं निमन्त्रण देनेवाले मित्रोंसे हिचकिचाहटके साथ पत्र-व्यवहार कर रहा था मैंने देखा कि मेरे यूरोप जानेकी और कुछ नही तो इसलिए जरूरत है कि मुझे श्रीयुत रोमाँरोलाँसे मिलना है। साधारण यूरोप-यात्रा करनेके सम्बन्धमें अपने प्रति आश्वस्त न हो पानेके कारण मैंने पश्चिमके इस बुद्धिमान पुरुषसे मिलनेके लिए ही जाना यूरोप-यात्राका मुख्य कारण बनाना चाहा। इसलिए मैंने उनके सामने अपनी कठिनाई पेश की और अत्यन्त स्पष्ट ढंगसे पूछा कि क्या आप अपनी मुलाकातको ही मेरी यूरोप-यात्राका मुख्य कारण बनाने देंगे? इसके जवाबमें श्रीमती मीराबाई (कुमारी स्लेड) की मार्फत उन्होंने मुझे बड़ा उत्तम पत्र भेजा है, जिसमें लिखा है कि "मैं केवल अपनी मुलाकातको ही यूरोप-यात्राका मुख्य कारण स्वयं सत्यके ही नामपर नहीं बनाने दूंगा।" केवल उनसे मिलनेके लिए वे मुझे अपने काममें व्याघात नहीं डालने देंगे। उनके पत्रमें मैं झूठी नम्रता नही देखता। उसमें मैं सत्यकी नितान्त सच्ची झलक देखता हूँ। मेरे पत्रका जवाब लिखते समय वे जानते थे कि मैं केवल मामूली भेंट मुलाकातके लिए ही यूरोप नहीं आ रहा हूँ, बल्कि उस उद्देश्यके लिए आ रहा हूँ, जो उन्हें भी वैसा ही प्रिय है जैसा कि मुझे। किन्तु जाहिर है कि वे इतने विनीत हैं कि महज इसलिए कि हम दोनों अपने एक समान प्रिय कार्यकी उन्नतिके लिए पारस्परिक बातचीतसे एक दूसरेको अच्छी तरह समझ सकें, वे मुझे बुलानेकी जिम्मेदारी लेनेको तैयार न हो सके; जब कि मै चाहता था कि अगर उन्हें लगे कि सत्यके लिए हम दोनोंका मिलना आवश्यक है, तो वह यह भार उठायें। इसलिए मैंने उनके जवाबको अपनी प्रार्थनाका स्पष्ट उत्तर मान लिया है। उनकी मुलाकातके सिवाय मुझे यूरोप जानेके लिए और कोई आन्तरिक प्रेरणा नही जान पडी।

मैंने इच्छा न रहनेपर भी ये बातें इसलिए जनताके सामने रख दी है कि अखबारोंमें छपा था कि मैं इस मौसममें यूरोप जानेकी बातपर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा हूँ। मुझे अपने इस निश्चयपर खेद है, किन्तु यही निश्चय सही जान पड़ता है; क्योंकि जहाँ यूरोप जानेकी कोई प्रेरणा नही है, वहाँ यही रहकर बहुत कुछ करनेकी प्रेरणा बराबर होती ही रहती है। और अब तो मेरे अपने सर्व-श्रेष्ठ साथीकी मृत्युसे ऐसा लगता है कि मानो मै आश्रममें ही बँध गया हूँ।

परन्तु मैं यूरोपके अपने अनेक मित्रोंसे कह सकता हूँ कि अगले वर्ष अगर सब कुछ ठीक रहा, और वे तब भी मुझे बुलाना चाहेंगे, तो मै यह मुल्तवी यात्रा अपनी

बतलाई हुई मर्यादाओके भीतर फिर करूँगा और चाहे मै अपना सन्देश देनेको तैयार होऊँ या न होऊँ, आऊँगा जरूर। अपने अनेक मित्रोसे आमने-सामने मिलना ही कुछ कम सौभाग्यकी बात नही होगी। अन्तमें मै यह कहकर इस व्यक्तिगत कथनको समाप्त करता हूँ कि अगर मुझे कभी पश्चिम जानेका सौभाग्य प्राप्त भी हुआ तो, सिवाय इसके कि आबोहवाके कारण जो परिवर्तन करने पड़ें, और स्वेच्छासे स्वीकृत संयमके कारण जो परिवर्तन हो जायें, मै अपनी पोशाक या रहन-सहनमें कोई परिवर्तन नही करूँगा। मुझे आशा है कि मेरा बाहरी स्वरूप मेरे आन्तरिक स्वरूपकी ही छाया है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २६-४-१९२८

३२०. चार महीनेका काम

वैश्य-विद्याश्रम, सासवणने, जिसने गत वर्ष खूब जोरोसे रचनात्मक कार्य शुरू किया था, विगत चैत्र-मासमें समाप्त होनेवाले चार महीनोके कामकी अपनी निम्न-लिखित रिपोर्ट[1] भेजी है।

अगर इस बातके सबूतकी अब भी जरूरत हो कि लगनसे काम करनेपर क्या कुछ नही हो सकता, तो उपर्युक्त रिपोर्ट चार महीनोंसे लगातार प्रगति कर रहे कामके सबूतके रूपमें देखी जा सकती है। जब किसी स्थानके बारेमें ऐसा कहा जाता है कि वहाँ चरखा असफल रहा, तो समझना चाहिए कि वहाँ चरखा असफल नहीं हुआ, बल्कि चरखा चलानेवाले ही अपने कामपर डटे नही रह सके; क्योकि उनमें श्रद्धा न थी। यदि सच्चा प्रयत्न किया जाये तो जैसे कि सासवण आश्रमके लड़कोने शिक्षकोकी बात मानी है, सभी जगहोंके लड़के शिक्षकोकी बात मानें। इन स्तम्भोमें समय-समयपर जो आँकडे छपते रहते है, उन्हींके सहारे कोई भी सहज ही यह जोड कर देख सकता है कि सारे राष्ट्रको कपडा पहनानेके लिए चरखेपर या तकली पर ही कमसे-कम एक घटा रोज कातनेवाले कितने लडके चाहिए। काश! हममें इस देशके दु:ख दारिद्रचकी रामबाण दवाके रूपमें चरखेके सादे सौन्दर्यके दृश्यकी कल्पना करनेकी शक्ति होती।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया २६-४-१९२८

१. यहाँ नहीं दी जा रही है।

३२१. तार : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको[1]

साबरमती
२६ अप्रैल, १९२८

परम माननीय शास्त्री
मैरित्सबर्ग

मैंने जुलाई १९१४ में दक्षिण आफ्रिका छोड़ा था। संघ सरकार और मेरे बीच जो भी करार हुए होंगे वे मेरे आनेसे पहले के ही हो सकते हैं। जाली प्रवेश करनेवालोंके लिए मेरा व्यक्तिगत रूपसे कोई संरक्षण माँगना असम्भव था; पर मैंने उन लोगोंके लिए, जिनको जाली कागज मिले थे, संरक्षण माँगा और वह मिला। क्योंकि मैंने सरकारके आगे पूरी तरहसे यह सिद्ध कर दिया कि इस जालसाजीमें उनके अधिकारियोंका भी हाथ था और एक ईमानदार व्यक्तिके लिए भी बेईमानी किये बिना प्रवेश पाना बहुत कठिन हो गया था। इसलिए आप देखेंगे कि नेटाल और ट्रान्सवालमें अन्तर है। निस्सन्देह जालसाजी तो सब जगह होती है पर जितनी अधिक मात्रामें और प्रायः खुले तौरपर भ्रष्टाचारी और भ्रष्ट किये जा सकनेवाले अधिकारियों द्वारा ट्रान्सवालमें जालसाजी की जाती है उतनी कहीं नहीं। अपने आनेके बाद होनेवाली घटनाओंके सम्बन्धमें मैं कोई साधिकारिक सूचना रखनेका दावा नही करता; और सामान्य तौरपर अब जबकि हबीबुल्ला शिष्टमण्डलने नया अध्याय खोल दिया है और नया नजरिया दिया है और जब कि आपकी उपस्थितिने नये नजरिये पर विशेष जोर डाला है तथा उसे स्थायित्व दिलाया है, तब सब बातोंपर भूतकालमें किये गये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वायदोंके अतिरिक्त योग्यताके आधारपर विचार किया जाना चाहिए। और मेरे खयालसे जो लोग गांधी-स्मट्स समझौतेसे पहले प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें बिना किसी शर्तके पूरा संरक्षण दिया जाना चाहिए। आखिरकार ऐसे लोगोंकी संख्या तो कम ही होगी। अपनी राय देनेके बाद मैं यह जानता हूँ कि आप जो कुछ करेंगे वह वर्तमान परिस्थितियोंमें सर्वोत्तम और सम्मानजनक होगा। अतः अपनी शक्ति भर मैं आपको अपना पूरा सहयोग देता रहूँगा, विशेषकर ट्रान्सवालके भारतीयोंके सम्बन्धमें आपके कार्यमें। गोपनीय कहकर सर मुहम्मदको प्रतियाँ भेज रहा हूँ।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ११९७५) की फोटो-नकलसे।

१. यह श्रीनिवास शास्त्रीके २४ अप्रैलके समुद्री तारके उत्तरमें भेजा गया था। तारके पाठके लिए देखिए परिशिष्ट २।

३२२. पत्र : मुहम्मद हबीबुल्लाको

आश्रम
साबरमती
२६ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपके और मेरे दोनों हीके मित्र श्री शास्त्रीके कहनेपर मैं आपको उन समुद्री तारोकी प्रतियाँ भेज रहा हूँ जो हम दोनोंके बीच आये-गये हैं। अपने समुद्री तार[1] में मैंने जो रुख अपनाया है यदि उसमें आपको कोई बात गलत मालूम दे तो कृपया उसके सम्बन्धमें मुझसे स्पष्टीकरण माँगनेमें संकोच न करें।

यद्यपि मैं तारोके जरिये हुई इस सारी बातचीतको अत्यन्त गोपनीय मानता हूँ, मैं इसकी प्रतियाँ श्री एन्ड्रयूजको, जो दक्षिण आफ्रिकावासी हमारे देशवासियोकी स्थितिसे सम्बन्धित मामलोके बारेमें सब कुछ जानते हैं, भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

सहपत्र
माननीय सर मुहम्मद हबीबुल्ला
सदस्य, वाइसराय परिषद
शिमला

अंग्रेजी (एस० एन० ११९७७) की फोटो-नकलसे।

३२३. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

आश्रम
साबरमती
२६ अप्रैल, १९२८

मगनलालके सम्बन्धमें तुम्हारा और गुरुदेवका भी तार मिला। मेरे जीवनकी शायद यह सबसे बड़ी परीक्षा है। पर अभीतक ऐसा ही लग रहा है कि जिस प्रभुने मुझे इस कठिन परीक्षामें डाला है वही मुझे इसमें से पार उतरनेकी भी शक्ति दे रहा है।

अतः, अब कामकी बातपर आता हूँ। मेरे और शास्त्रीजीके बीच समुद्री तारोका जो आदान-प्रदान हुआ है, उसकी प्रतियाँ इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। अपने

१. देखिए पिछला शीर्षक।

उत्तरमें मैंने कहीं गलती की हो तो बताना। यदि तुम्हारे पास जुलाई १९१४ में मेरे दक्षिण आफ्रिकासे चले आनेके बाद के वे कागज हों जिनका जिक्र शास्त्रीने अपने आजके समुद्री तारमें किया है, तो उन्हें रजिस्ट्रीसे भेज देना। विशेषकर १९१५ के बन्दोबस्त सम्बन्धी कागज तथा हालका विधेयक।

सी० एफ० एन्ड्रयूज
शान्तिनिकेतन

अंग्रेजी (एस० एन० ११९७८) की फोटो-नकलसे।

३२४. पत्र: एस० गणेशनको

आश्रम
साबरमती
२६ अप्रैल, १९२८

प्रिय गणेशन,

'दक्षिण आफ्रिकामें सत्याग्रहका इतिहास' की भूमिका[1] भेज रहा हूँ।

श्रीयुत देसाईकी यह इच्छा है कि आप पूरी पुस्तककी प्रूफ प्रति, आवरण तथा सब कुछ जिस रूपमें प्रकाशित होना है, भेजें; और यह सब कुछ प्रतियोंकी जिल्द बनवानेसे पहले ही। उनका कहना है कि आपके यहाँ कार्यालयमें जो व्यक्ति छपाईके कामको देखता है वह अत्यन्त लापरवाह है और वे यह भी कहते हैं कि कभी-कभी उनके किये गये महत्वपूर्ण संशोधन लिये नहीं गये हैं। वे इस बातके लिए बड़े चिन्तित हैं कि इस पुस्तकमें इस तरहकी गलतियाँ नही होनी चाहिए।

मैंने आपको पहले ही तारसे[2] सूचित कर दिया है कि आप इसे मगनलाल गांधीको समर्पित कर सकते हैं।

विज्ञापनके सम्बन्धमें आपका पत्र मुझे मिला। यद्यपि प्रकाशनोंका विज्ञापन करनेकी इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नही करना चाहिए। परन्तु यदि किसी और तरीकेसे यह काम कर सकूँगा, तो मै अवश्य वह तरीका अपनाऊँगा। आपके हाथसे श्री ग्रेगकी पुस्तक ले लेना शायद एक तरीका है। उसकी लागत क्या है? क्या आपको उन्हें कुछ देना है?

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३२०५) की माइक्रोफिल्म से।

१. यह भूलसे 'प्राक्कथन' के बदले प्रयुक्त हो गया लगता है। प्राक्कथनके पाठके लिए देखिए खण्ड २९।

२. उपलब्ध नहीं है।

३२५. पत्र : लॉर्ड इर्विनको

साबरमती
२६ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

दिल्लीमें हुई अपनी भेंटके समय मैंने आपको खादी सम्बन्धी साहित्य[1] भेजनेका वायदा किया था। श्री ग्रेगकी पुस्तक प्रकाशित होने तक मैंने आपको अन्य पुस्तिकाएँ भेजनेमें देरी की है। उन अन्य पुस्तिकाओंमें मद्रास और बिहारके दो बहुत प्रसिद्ध वकीलोंके विचारोंका निचोड़ दिया गया है।

यह आपका बड़प्पन था आपने कहा, "जब कभी मुझे अधिक फुरसत होगी तो मैं आपसे खादीकी सार्थकताके सम्बन्धमें बातचीत करना चाहूँगा।" यदि आपको फुरसत हो और अब भी आपकी वैसी इच्छा हो तो मैं आपकी सेवाके लिए सदैव तत्पर हूँ।

मैं हूँ,
परम श्रेष्ठका मित्र,
मो० क० गांधी

परम श्रेष्ठ वाइसराय
शिमला

अंग्रेजी (एस० एन० १३५९६) की फोटो-नकलसे।

३२६. पत्र : जे० बी० पेटिटको

आश्रम
साबरमती
२६ अप्रैल, १९२८

प्रिय श्री पेटिट,

जब मैं विदेशोंमें रह रहे प्रवासियोंकी स्थितिके सम्बन्धमें अपने खर्चमें योगदान देनेके लिए आपको लिखनेकी बात सोच रहा था, मुझे परम आदरणीय शास्त्रीका एक लम्बा गोपनीय समुद्री तार मिला, जिसका मुझे उत्तर[2] देना ही पड़ा और उसपर मैंने रु० ९२-४ आने खर्च किये। मैं नहीं जानता कि समुद्री तारों द्वारा यह बातचीत कब तक चलती रहेगी।

१. देखिए खण्ड ३५, पृष्ठ ६९ और ७०-७१ तथा परिशिष्ट ५।
२. देखिए "तार: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको", २६-४-१९२८।

बनारसीदास मेरे पास नही हैं; किन्तु मेरे पास फीजीके तोताराम सनाढ्य हैं। उनके बारेमें यह सोचनेका साहस कर सकता हूँ कि आप उन्हे कमसे-कम उनकी प्रसिद्धिके कारण जानते होंगे। वे सपत्नीक आश्रममें रह रहे हैं। उन्हें नियमित रूपसे रु० ५० दिये जाते हैं तथा फीजी सम्बन्धी कार्योंके लिए उन्हें और अधिक पैसा खर्च करनेकी छूट है। सारे खर्चेका हिसाब रखा जाता है और उसे प्रकाशित भी किया जाता है। उस हिसाबकी एक नकल मैं आपको इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। अपने खाली समयमें तोतारामजी आश्रममें बच्चोंको हिन्दी पढाते हैं। मैं चाहता हूँ कि संघ[1] मेरे इस बोझको सँभाल ले। यदि संघ तोतारामजीको दिये जानेवाले सारे मानदेयका भार अपने ऊपर लेनेको राजी नहीं होता तो वह मेरे साथ उसे आधा-आधा बाँट सकता है। तोतारामजीने अपने कार्यका जो विवरण प्रकाशित करके निजी लोगोंमें प्रचारित किया है, मैं वह आपको भेज रहा हूँ।

अपने निजी मित्रोंकी उदारताके बलपर मैं आश्रम सम्बन्धी सभी गतिविधियोंका खर्चा उठा रहा हूँ, परन्तु मैं सोचता हूँ कि प्रवासियोंके सम्बन्धमें किये जानेवाले सभी कार्योंका खर्च संघको उठाना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस पत्रको दो भागोंमे बँटा हुआ समझें, पहले भागका सम्बन्ध सामान्य खर्चेसे है जो अब तक मेरे बहीखातेमें लगभग रु० ५,००० का है — यह बतानेके लिए कि हिसाब कैसे रखा जाता है, मैं आश्रमके बहीखातेका एक अंश उद्धृत करके आपको भेज सकता हूँ — और पत्रके दूसरे भागका सम्बन्ध उस खर्चेसे है जो मैं आजकल समुद्री तारोंपर कर रहा हूँ।

संघकी समिति अपने कोषमें से जो कुछ भी देना अपना उचित उत्तरदायित्व समझे, उसके लिए मैं उसका आभारी होऊँगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १२८५९) की माइक्रोफिल्मसे।

३२७. पत्र: जुगलकिशोरको

आश्रम
साबरमती
२७ अप्रैल, १९२८

प्रिय जुगलकिशोर,

इतने दिनों बाद आपका पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। प्रेम महाविद्यालयमें आपका काम कैसा-क्या चल रहा होगा, इसके बारेमें, मैं सोचता रहता था।

कत्तिनोंके रजिस्टरकी मेरी योजना जितना आप सोचते हैं उससे आधी बातोंकी माँग भी नहीं करती; हम बहुत अधिक बारीकियोंमें तो जा भी नही सकते, न इस बातका ही आग्रह कर सकते हैं कि प्रत्येक कार्यकर्त्ता कत्तिनोंके घनिष्ठ सम्पर्कमें

1. साम्राज्यीय नागरिकता संघ।

आये, पर फिर भी यह बात कितनी आश्चर्यजनक जान पड़ती है कि यद्यपि हम दूसरे तमाम लोगोकी अपेक्षा कत्तिनोंका कही अधिक प्रतिनिधित्व करते है, पर हमारे कार्यकर्त्ता उनके बहुत ही कम सम्पर्कमें आते हैं। हम उनके बहुत ही निकट सम्पर्कमें भले न आयें और भले ही उनके बारेमें उतना अधिक न जानें, जितना हम अपनी सगी बहनोंके बारेमें जानते हैं, फिर भी हमें कमसे-कम इतना तो जानना ही चाहिए कि जो हमें अपना सूत मुहैया करती है, वे कौन हैं और कहाँ रहती हैं। इसलिए मैंने कहा कि जिनका सूत बाजारमें आता है, हमें उनमें से हरएकके नाम और निवास स्थानका पता लगाना चाहिए। कमसे-कम हमें उनसे इतना मामूली सम्पर्क तो रखना ही चाहिए। इसके लिए सतीशबाबू द्वारा अपनी पुस्तकमें वर्णित विवरणात्मक रजिस्टरकी आवश्यकता नही है। वे स्वय भी फेनी बाजारमें सूत खरीदते समय इस रजिस्टरको लागू करनेमें सफल नही हुए। उनका रजिस्टर अतराई डिपोपर जहाँ उन्होंने पहली बार कतैयोको तैयार किया और उनके साथ सम्पर्क बनाया, पूरी तरह काममें आता था और अब भी आता है। तथापि सबसे अधिक सूत उन्हें फेनी बाजारसे मिलता है। अतः मेरा रजिस्टर एक प्रकारसे जनगणना रजिस्टर है, जो या तो एकबारगी हमेशाके लिए तैयार कर लिया जाये अथवा समय-समयपर उसमें संशोधन किया जाता रहे। इसलिए आप देखेंगे कि मेरे बताये आसान तरीकेमें आपको अपने सुझाये अनुसार कर्मचारी रखनेकी जरूरत नही है।

यह शिकायत तो किसीने नही की कि गाधी आश्रम यह सूची नही देता। मै समझता हूँ कि मैंने धीरेन द्वारा दिये गये इस तर्कपर गौर किया है कि प्रत्येक कतैयेको ढूँढ़ पाना कठिन है और मैंने इस तर्कका समाधान करते हुए इस कठिनाईसे निकलनेका तरीका बताते हुए लिखा है। धीरेनने जिस कठिनाईका जिक्र किया है, औरोने भी उसका जिक्र किया है। यह सामान्यतः सबकी कठिनाई है; और अब धीरे-धीरे सभी उस कठिनाईको दूर करते जा रहे है।

मैं आपकी इस बातसे पूर्णतः सहमत हूँ कि कत्तिनोंसे जीवन्त सम्पर्क स्थापित करनेके लिए हमारे पास स्त्री कार्यकर्त्री भी होनी चाहिए। शान्तिदेवीसे कहें कि मै चाहूँगा कि वे इस कामकी शुरुआत करें।

अब आपकी योजनाके बारेमें लिखता हूँ। उसकी सामान्य रूपरेखा मुझे पसन्द है। मै नहीं जानता कि आप उसे किस हद तक कार्यान्वित कर सकेंगे, क्योकि अन्ततः आपको ऐसे ईमानदार और योग्य शिक्षक चाहिए जो अपने कामको जानते हों। अभी हमारे पास ऐसे लोग बहुत अधिक नहीं है। फिर भी आप अपनी योजना बनाकर पहले जमनालालजीको निजी तौरपर भेज दें और देखें कि वह उन्हें कितनी पसन्द आती है।

कृपया मुझे बतायें कि भारत आजकल वहाँ क्या कर रहा है और विद्यार्थियोंमें कताई कैसी चल रही है।

इस समय तक आपको मगनलालकी मृत्युका समाचार मिल गया होगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३२०४) की फोटो-नकलसे।

३२८. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

२७ अप्रैल, १९२८

भाई श्री घनश्यामदासजी,

आपके दोनों पत्र मीले हैं। पर उसका उत्तर देनेका आज भी पूरा समय तो है ही नहिं।

मगनलालके बारेमें मैं क्या लीखुं? मेरे लीये इस मृत्युकी बरदास झहरके प्याले पीनेसे कठिन प्रतीत हुई है परंतु ईश्वरने मुझपर बड़ी कृपा की है; शांत हुं।

बहिष्कारके बारेमें शिक्षित वर्ग जब तक तैयार नही होगा तब तक कया कीया जाय? मीलोंकी आशा व्यर्थ है ऐसा अब तो साफ २ मालूम हो गया है।

आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है सुनकर मुझे बड़ा हर्ष होता है। इसमें स्वार्थ भी तो है। क्या करूं?

आपका,
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ६१५६ से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

३२९. पत्र : फ्रेड्रिक और फ्रान्सिस्का स्टैंडनथको

आश्रम
साबरमती
२७ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

मुझे आपके सब पत्र मिल गये हैं; इनमें आपका २८ मार्चका अन्तिम पत्र भी शामिल है। मेरी समझमें मैंने आपके पिछले पत्रका उत्तर नही दिया था; क्योंकि आपने उसमें ऐसा कुछ इशारा किया था कि आप मुझे निश्चित किराया तथा आपके पारपत्र पानेमें कोई दिक्कत होगी या नहीं यह सूचित करनेकी दृष्टिसे दूसरा पत्र लिखेंगे। आपके हालके पत्रसे पारपत्रके बारेमें तो पूरी जानकारी मिल जाती है; लेकिन उसमें किरायेका कोई जिक्र नही है। यदि आप मुझे निश्चित रूपसे बता दें कि किराया कितना होगा तो मैं अपने दोस्तोंसे उतने रुपयोंके लिए कह सकूंगा।

जहाँ तक मेरे आश्वासनका[1] सम्बन्ध है आप कृपया मेरा यह पत्र पेश कर दें। इसमें इस बातका आश्वासन है कि आप जितने दिन मेरे पास रहेंगे आपके

१. फ्रान्सिस्का और फ्रेड्रिकको ऑस्ट्रिया सम्बन्धी ब्रिटिश पारपत्र नियन्त्रण अधिकारीने लिखा था: यदि आप महात्मा गांधीके विशेष निमन्त्रणपर भारत-यात्राको जा रहे हैं तो आपको केवल इस आशयका उनका पत्र पेश करना होगा कि वे आपका खर्चा उठानेकी जिम्मेदारी लेते हैं। (एस० एन० १४३०१)

खर्चके सम्बन्धमें कोई दिक्कत नही होगी तथा आप मेरे आमन्त्रण पर भारत आ रहे हैं।

मैं यह बिलकुल नही चाहता कि आप नवम्बर या दिसम्बरसे पहले यहाँ आयें। इसका कारण केवल यह है कि इससे पहले यहाँ गर्मीका मौसम होता है और लगभग अक्तूबरके अन्त तक गर्मी पड़ती रहती है।

आप देखेंगे कि मैंने यूरोपकी अपनी प्रस्तावित यात्रा रद कर दी है; कारण 'यंग इंडिया'[1]में विस्तारसे दे दिये गये हैं। यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो अगले वर्ष मेरा यूरोप आना निश्चित ही है। इसके कारण आपके कार्यक्रममें कुछ परिवर्तन हो सकता है। परन्तु मैं नही चाहता कि आप अपने भारत आगमनको स्थगित करें, क्योंकि मेरी यह इच्छा है कि आप स्वयं अपनी आँखोसे भारतको देखें और अपनी कल्पनाके भारतसे इसकी तुलना करें। इसलिए यदि आप किसी भी तरह आ सकते हो तो मैं चाहूँगा कि यूरोपकी मेरी प्रस्तावित यात्राके बावजूद भी आप अवश्य आयें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १४३०२) की फोटो-नकलसे।

३३०. एक सन्देश[2]

साबरमती
२७ अप्रैल, १९२८

ईश्वर सत्य है। सत्यकी प्राप्तिका पथ सभी जीवधारियोंकी स्नेहपूर्ण सेवासे होकर जाता है।

मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १४२६३) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "यूरोपीय मित्रोंसे", २६-४-१९२९।
२. सन्देश गांधीजीने अपने स्वाक्षरोंमें वर्मोण्ट विश्वविद्यालय, बर्लिंगटनके एन० क्लार्कको, जो वाई० एम० सी० ए० की राजकीय समितिके सचिव भी थे, भेजा था।

३३१. पत्र : कल्याणजी मेहताको

२८ अप्रैल, १९२८

भाईश्री कल्याणजी,

परिषद्‌में मैं हाजिर नहीं हो सकता हूँ यह तुम जानते ही हो। न आ सकनेका मुझे दुख है। किन्तु मैं इस समय लाचार हूँ। इस समय चल रहे आन्दोलनमें रानीपरज भाईबहन पूरा हिस्सा ले रहे हैं, यह बात जितनी सन्तोषजनक है उतनी ही उनको शोभनीय भी है। मै मानता हूँ कि यह आन्दोलन निर्भयता सीखने और आत्मशुद्धिके लिए है। जो अपने आपको रानीपरज कहते हैं वह भय किस तरह रख सकते हैं? और आत्मशुद्धिके यज्ञमें शराब, जुआ या ऐसे व्यसन अथवा विदेशी कपड़ा कैसे शोभा दे सकता है? इसलिए मैं आशा करता हूँ कि रानीपरज भाई-बहन चरखेको ज्यादासे-ज्यादा अपनायेंगे, खादीका अधिकाधिक उपयोग करेंगे और शराब वगैरा व्यसन छोड़ देंगे।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० २६८३) की फोटो-नकलसे।

३३२. स्वेच्छा स्वीकृत दारिद्र्यका अर्थ

छगनलाल जोशी सत्याग्रह आश्रमके मन्त्री हैं। वे बम्बई विश्वविद्यालयमें अर्थ-शास्त्रके 'स्कालर' थे। असहयोग युगमें उस पदको त्याग कर वे आश्रममें आये और तभीसे आश्रमके कामोंमें रहे हैं। उनके नाम कोई १५ दिन हुए, गवाहीका समन आया। यह समन दे जानेवाले सिपाहीने अत्यन्त लापरवाहीका बर्ताव किया। वह पुकारता आया कि 'छगनलाल जोशी कौन है?' मैंने इसे सुना। इसलिए मैंने जरा दूरसे ही उँगलीका इशारा करके छगनलाल जोशीको दिखलाया। उसने उन्हें 'समन' दिया। छगनलाल जोशी उसे कहते ही रह गये 'जरा ठहरो। मैं समन पढ़ लूँ।' मगर इसपर वह यह कह कर चलता बना कि 'लेना हो तो लो।'

जोशीने मुझे समन पढ सुनाया। मैंने देखा कि मामलेके बारेमें वे कुछ भी नहीं जानते थे। अब सवाल यह उठा कि करना क्या चाहिए। जानेके लिए न तो उनके पास समय था, और न भाड़ेका रुपया।

समय और रुपये तो आश्रमके पास थे, क्योंकि आश्रमवासी तो अपना सर्वस्व आश्रमको सौंप चुका होता है। आश्रमवासीका प्रत्येक क्षण आश्रमके लिए होता है। आश्रमको मिले द्रव्यका उपयोग दान देनेवालेके बतलाये कामके ही सम्बन्धमें हो सकता है। ऊपर बतलाये गये गवाहीके समनोंके जवाबमें जानेके लिए मुसाफिरीके

रुपये आश्रमसे नही लिये जा सकते। इसलिए छगनलाल जोशीकी स्थिति उत्कलके गरीवोंके समान हो गई। भेद केवल इतना भर था कि उत्कलके गरीवको अगर कोई कुछ दे तो वह उसका परिग्रह कर सकेगा। छगनलाल जोशीको कोई कुछ दे तो वे उसका उपयोग भी आश्रमके कामके सिवा नही कर पायेंगे। स्वेच्छासे लिए गये दारिद्रय व्रतकी यह विशेषता और अंकुश दोनो हैं।

तब उत्कलके गरीबको अगर ऐसा गवाहीका समन मिले तो वह क्या करे? सिपाही तो उन्हें अर्थ समझा नही गया है, अदालत तक जानेका भाड़ा खर्च भी नही दे गया है। इस मामलेमें अदालत प्रान्तिज लाइनके तलोद स्टेशन पर थी। अब कागज न समझ सकनेसे और कोई समझाये भी तो पैसा पास न होनेसे उत्कलका गरीब बैठा ही रहेगा न?

इससे छगनलाल जोशीने निश्चय किया "मैं भी बैठा रहूँ और जो होना है, होने दूँ। तभी मेरा स्वेच्छया स्वीकृत दारिद्रय सार्थक गिना जायेगा। तभी गरीबोंकी रक्षाका मार्ग मिलेगा।"

दो चार दिनोमें जोशीके नाम अदालतके अपमानका 'वारंट' निकला। जोशी गये। पकड़नेवाले अफसरने कहा, "मुकदमेकी मुकर्रर तारीखको आनेका वचन दो तो हम वारंट काममें नही लायेंगे।"

जोशीने कहा, "मुझे भाड़े-भत्तेका पैसा दे दीजिए तो मै हाजिर रहनेको तैयार हूँ।"

यह करनेका उस अफसरको अधिकार न था। इसलिए वह जोशीको अहमदाबादके पहले वर्गके मजिस्ट्रेटके सामने ले गया। मजिस्ट्रेट साहबको पूरी जाँच पड़ताल करनेके लिए समय ही कहाँसे होता? जोशीजी उस 'समन'के जवाबमें हाजिर न होनेकी कैफियत देनेका प्रयत्न कर ही रहे थे कि इतनेमें ही अंग्रेजी सल्तनतका वेतन खानेवाले और उसके वातावरणमें घड़े हुए मजिस्ट्रेट बोल उठे:

"अगर आपको आन्दोलन करना हो तो बाहर जाकर कीजिए। आप अगर हाजिर रहनेकी जमानत दें तो मैं छोड़ दूँगा, नही तो हिरासतमें रहना होगा।"

भाड़े-भत्तेके बिना अगर जोशी जामिन देनेवाले होते तो पहले ही क्यों न चले जाते?

गर्मी सख्त थी क्योंकि यह बात पिछले मंगलवारको ही हुई। जोशीने अब और अधिक पैदल चलनेसे इनकार किया। इसलिए उन्हे सवारीमें ले जाना पड़ा। आखिर पहरेके नीचे इस कैदीको तलोद ले जाया गया। जोशीको देखकर मजिस्ट्रेटको अपनी भूलका कुछ भान हुआ। उसने भाड़ा-भत्ता देकर मुकदमेके दिन हाजिर रहनेका वचन लेकर उन्हें छोड़ दिया।

कहते है कि तलोदके जिन लोगोंको यह बात मालूम हुई उनपर इस सादे कामकी जरा-सी हिम्मतका अच्छा असर हुआ और वे खुश हुए।

जो स्वेच्छासे गरीवी अपनाकर सेवक बने है, वे अगर ऐसा बर्ताव करें तो गरीवो पर होनेवाले जुल्मोंका अन्त बहुत शीघ्र हो जायेगा।

मजिस्ट्रेटकी लापरवाही और अविवेककी ओर ध्यान तो जाता ही है। 'समन' देखकर जान पड़ा कि विना पूछताछ किये ही 'समन' निकाला गया था और निकालनेके बाद भाड़े-भत्तेकी तजवीज नहीं की गई थी। मुझे कहा गया है कि गवाहको भाड़ा-भत्ता देनेका रिवाज यहाँ नही है। अगर वात ऐसी हो तो गरीबोंपर कितना भारी जुल्म होता होगा? पीछे मजिस्ट्रेटने जब वारंट निकाला तब तो गरीबोंके प्रति अपनी ऐसी लापरवाही ही सिद्ध की जिसे गुनाह भी कह सकते हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं था कि समन मिला या नहीं। जिसे समन भेजें, उसकी सहीकी जरूरत तो मानी ही जाती होगी? इससे तो हम महज कल्पना भर ही कर सकते है कि सरकारके इस न्याय-विभागमें कितना घोर अन्याय छिपा है?

अगर छगनलाल उत्कलके गूँगे गरीब प्राणी होते तो यह कौन कह सकता है कि तलोदमें क्या हुआ होता? उनपर गालियोंकी कितनी वर्षा हुई होती, मजिस्ट्रेटने कैसी लाल आँखें दिखाई होतीं। जिसके पास शिकायत करनेके अनेक कारण थे, वह वेचारा गरीब खुद ही गुनहगार ठहराया जाता।

गरीबोंके प्रति ऐसे विचार रहित उद्धत वर्तावके लिए सरकार जवाबदेह भले ही है, मगर इतना कहे विना नहीं चल सकता कि जो देशी अफसर जैसा वर्ताव करते हैं, उनके वैसा करनेका कोई कारण नहीं है। जान पड़ता है कि ब्रिटिश राज्यके पहले भी अफसर ऐसा ही वर्ताव करते थे। वे गरीबोंके प्रति सभ्य होना क्यों न सीखें? अगर वे न सीखें तो स्वेच्छासे गरीब बने हुए सेवक उन्हें विवेकपूर्वक सत्याग्रह करके पाठ सिखलायें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २९-४-१९२८

३३३. आश्रमके प्राण

श्री वल्लभभाईको जब मगनलाल गांधीके देहान्तका समाचार मिला तब उन्होंने यह तार दिया था: "आश्रमके प्राण चले गये।" इसमें कोई अतिशयोक्ति न थी। मैं उसके विना आश्रमके अस्तित्वकी कल्पना नहीं कर सकता था। मेरे अनेक कार्योंके आरम्भका कारण मगनलालके अस्तित्वका ज्ञान था। यदि मेरा किसीसे अभेद था तो मगनलालसे। इस कार्यसे कहीं उसे दुख न हो ऐसा भय अपने पुत्र और अपनी पत्नीके सम्बन्धमें बहुत बार मनमें आता है; किन्तु मगनलालके सम्बन्धमें ऐसा भय मेरे मनमें कभी नहीं रहा। मुझे उससे कड़ेसे-कड़ा काम लेनेमें संकोच नही हुआ। मैंने उसे कई बार कठिन स्थितिमें डाला और उसको उसने चुपचाप सहन कर लिया। उसने कभी किसी कामको तुच्छ नहीं माना।

यदि मुझमें किसीका गुरु बननेकी योग्यता होती तो मैं मगनलालका परिचय अपने प्रथम शिष्यके रूपमें देता।

मैंने अपने जीवनमें एक ही बार एक भाईको यह छूट दी थी कि वे मुझे अपना गुरु मान सकते हैं और उसीसे मैं इस गुरुपनसे तृप्त हो गया। इसमें दोष उन भाईका न था, किन्तु मेरी अपनी अपूर्णता ही है, यह मैंने देख लिया। जो गुरु बने उसमें यह कला होनी चाहिए कि वह शिष्यको यदि कोई काम सौंपे तो उसमें उस कामको करनेकी शक्ति भी उत्पन्न करे। यह कला मुझमें नहीं थी और आज भी नहीं है।

किन्तु यदि मगनलाल शिष्य नहीं था तो सेवक अवश्य था। मैं यह मानता हूँ कि किसी भी स्वामीको मगनलालसे अधिक अच्छा और सच्चा सेवक न मिलेगा। यह तो हुआ अनुमान, किन्तु उस जैसा सेवक मुझे तो दूसरा मिला नहीं है। यह अनुभवसे प्रमाणित बात है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे सदा श्रद्धालु, नीतिमान, बुद्धिमान और कार्यदक्ष सखा कहो अथवा सेवक, मिले हैं। किन्तु इन सखाओंमें अथवा सेवकोंमें मगनलाल सर्वोपरि था।

मगनलालमें निरन्तर ज्ञान, भक्ति और कर्मकी त्रिवेणी बहती थी। और मगनलालने अपने ज्ञान और भक्तिको कर्मरूप यज्ञमें होम कर सब लोगोंको ज्ञान और भक्तिका सच्चा स्वरूप बताया और उनका प्रत्येक कर्म इस प्रकार ज्ञानमय और श्रद्धामय होनेसे उनका जीवन संन्यासकी पराकाष्ठाको पहुँच चुका था। मगनलालने सर्वस्वका त्याग कर दिया था। मुझे उसके एक भी कार्यमें कभी स्वार्थ दिखाई नहीं दिया। निःस्वार्थ, निष्काम कर्म ही सच्चा सन्यास है यह बात उन्होंने एक बार नहीं, कुछ समयके लिए नहीं, बल्कि अनेक बार और अनेक अवसरोंपर चौबीस वर्ष तक निरन्तर सिद्ध की थी।

मगनलालके पिताने अपने चारों पुत्रोंको एक-एक करके देशसेवाके लिए मुझे सौंपा था। मगनलाल मुझे १९०३ में मिला था। वह मेरे साथ दक्षिण आफ्रिकामें द्रव्योपार्जनके लिए गया था। मैंने १९०४ में दूसरे मित्रोंको और उसको देशसेवाके लिए गरीबीका जीवन अपनानेके लिए निमन्त्रित किया। उसने शान्त चित्तसे मेरी बात सुनकर गरीबीका जीवन स्वीकार किया। तबसे लेकर प्राणान्त होनेतक उसका जीवन प्रवाह एक अखण्डित गतिसे चलता आया।

मैं दिन-प्रतिदिन यह देखता आया हूँ कि मेरा जो 'महात्मापन' मेरी शोभा मात्र है वह दूसरोंपर निर्भर है। मैं तो बहुतसे साथियोंकी शोभासे शोभित हुआ हूँ। किन्तु मेरी इस शोभाको बढानेमें किसी दूसरे मनुष्यने मगनलालसे अधिक भाग नहीं लिया। मेरी प्रत्येक बाह्य और आध्यात्मिक प्रवृत्तिमें उसने ज्ञानपूर्वक मेरा पूरा साथ दिया है। जितनी बातको स्वीकार किया उतनीको कार्यरूप देनेका मगनलालसे बढ़कर प्रयत्न करनेवाला कोई दूसरा व्यक्ति मेरी दृष्टिमें नहीं आता। विचार और आचारमें सामजस्य रखनेके लिए मगनलाल चौबीसों घंटे जागरूक रहता था। उसने अपने शरीरको इसी प्रयत्नमें खपा दिया।

यदि इस चरित्र-चित्रणमें मुझसे जाने या अनजाने अतिशयोक्ति न हुई हो तो यह कहा जा सकता है कि जिस देशमें धर्म इस प्रकार मूर्तिमन्त हो सकता है उस देश अथवा धर्मकी तो जीत ही होगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक देशसेवक

मगनलालके जीवनका अध्ययन करे और यदि वह उसको अच्छा लगे तो उसका अनुकरण दृढ़तापूर्वक करे। जो बात मगनलालके लिए शक्य थी वह प्रत्येक प्रयत्नवान मनुष्यके लिए शक्य है। मगनलाल सच्चा सिपाही था। इस कारण वह सच्चा सरदार भी बन सका था, क्योंकि जो लोग उसका तेज सहन कर सके थे उनको मैं अब भी अपने चारों ओर रोता देख रहा हूँ।

इस देशमें और संसारमें भी सच्चे सिपाहियोंका महत्व है। देश-सेवा, विश्वसेवा, आत्मज्ञान और ईश्वर दर्शन ये कोई पृथक-पृथक वस्तुएँ नहीं हैं, बल्कि एक ही वस्तुके भिन्न-भिन्न रूप हैं। इसका दर्शन मगनलालने अपने जीवनमें स्वयं किया था और दूसरोंको भी कराया था। जिस किसीको जिज्ञासा हो वह उसके जीवनका अध्ययन करके इस बातको देख सकता है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २९-४-१९२८

३३४. पत्र : कुँवरजी खेतसी पारेखको

रविवार [२९ अप्रैल, १९२८][1]

चि० कुँवरजी,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे किसी दिन भी ऐसा नहीं लगा कि तुम धन प्राप्तिके लिए खादीके काममें पड़े हो। किन्तु मेरा यह प्रश्न तो तुम्हारे प्रश्नसे ही उठा था। क्या तुम खादी कार्य करते रहकर ही सन्तुष्ट रह सकोगे? तुम जानते ही हो कि उसमें धनका लाभ नहीं है। उसमें सूखी रोटी जरूर मिलेगी। तुम्हारे पत्रसे यह समझा हूँ कि यदि आश्रममें केवल ब्रह्मचारी ही रखनेका नियम बन गया तो तुम आश्रममें नहीं रह सकोगे। तो भी मुझे लगता है कि तुम्हें खादी कार्यमें लगानेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९७११) की फोटो-नकलसे।

१. डाककी मुहरसे।

३३५. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

आश्रम
साबरमती
२९ अप्रैल, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

आपका पत्र मिला। मैंने आपको बता दिया है कि आप मेरी किस तरीकेसे सहायता करें। आपने आश्रम आनेकी बात कही है। फिर भी अपने पत्रके अन्तमें आपको यह लिखना पड़ा है कि "मुझे लगता है कि मैं शायद एक लम्बे अरसे तक शारीरिक रूपमें सक्षम नहीं हो पाऊँगा। तो फिर नहीं [आना चाहिए], आपकी साधना यही है कि आप अपने आपको शारीरिक रूपसे सक्षम बनायें और इसलिए आपके हकमें यही बेहतर है कि आप जहाँ हैं, वहीं रहें और स्वास्थ्य-लाभ करें। मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि आप गिरिडीह चले जायें और निखिलके पास रहें।

गाँवका विकास करनेके लिए खुद गाँवमें ही बने रहनेका आपका विचार मुझे अत्यन्त भला लगता है। यदि आपको वहाँ शुद्ध जल मिले और आप मच्छरदानीका प्रयोग करें तो सम्भवतः वहाँ शरीरको किसी भी अन्य स्थानकी अपेक्षा ज्यादा आराम मिल सकता है।

मैंने सुना है कि आप दूधका प्रयोग नहीं करते। यदि यह सही है तो यह बुरी बात है। बिना किसी कारण अपना शरीर क्षीण करनेसे आप कोई हित साधन नहीं करेंगे।

सप्रेम,

आपका,
बापू

अंग्रेजी (जी० एन० १५९१) की फोटो-नकलसे।

३३६. पत्र : सी० विजयराघवाचारियरको

आश्रम
साबरमती
२९ अप्रैल, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका संवेदनाका पत्र मिला। ईश्वरेच्छा बलीयसी।

जहाँ तक आपके पत्रके दूसरे भागका सम्बन्ध है, मैं बम्बईमें क्या कर सकता हूँ? मुझे सहायता कर सकनेकी अपनी योग्यतापर कोई विश्वास नही है। समस्याके जिस समाधानकी साधारणतया आशा की जाती है, उससे मेरा समाधान काफी भिन्न है। मुझे इस बातमें जितना दृढ़ विश्वास कभी था, उससे ज्यादा आज है कि जाति-समस्या कानून द्वारा या उसकी सीमासे बाहर रहकर ही हल कर लेनी चाहिए; इसे हल करनेमें यदि गृह-युद्ध भी अनिवार्य हो, तो वह हो जाये। किन्तु इस तरहके पागलपनके प्रस्तावको कौन सुनेगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत सी० विजयराघवाचारियर
कोडाइकनाल

अंग्रेजी (एस० एन० १३२०७) की फोटो-नकलसे।

३३७. पत्र : लाजपतरायको

आश्रम
साबरमती
२९ अप्रैल, १९२८

प्रिय लालाजी,

आपका आपके ही अनुरूप, विशिष्ट पत्र मिला। मुझे प्रसन्नता है कि दक्षिणमें अस्पृश्यताका क्या रूप है, इसे आपने अपनी आँखों देख लिया। मुझे लगता है कि आप वहाँ कुछ अधिक समय तक रहे होते जिससे कि आपने उन लोगोंको भी प्रत्यक्ष देख लिया होता जिन्हें अमुक सड़कों और रास्तोंपर चलने-फिरनेकी मनाही होती है और जिन्हें देखने योग्य भी नही माना जाता तथा उनसे कुछ बातचीत भी की होती तो और अच्छा होता।

और इस सम्बन्धमें मैं आपको बता दूँ कि इन अनुपगम्य और अदर्शनीय लोगों तक भी पहुँचनेमें खादी कितना महत्वपूर्ण भाग ले रही है, क्योंकि यह खादी ही है,

जिसके कारण वे सम्बन्ध स्थापित हो सके है जो पहले असम्भव थे या जिनके बारेमें सोचा भी नहीं जा सकता था। बहरहाल यह तो प्रसंगवश ही कह गया; आपको महज एक प्रासंगिक विषय द्वारा खादीके पक्षमें प्रभावित करनेके लिए नही लिखा गया है।

इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि आप इस विषयका गम्भीर अध्ययन कर रहे हैं। मुझे इस बातकी भी प्रसन्नता है कि आपने किसी निर्णयपर शीघ्र न पहुँचनेका दृढ़ निश्चय कर रखा है। अन्तमें आपका जो भी निर्णय हो मै चाहूँगा कि आप उसके बारेमें उसी तरह दृढ रहें जैसे कि अस्पृश्यताके बारेमें हैं। तथाकथित सनातनियो या किसी अन्यके द्वारा अस्पृश्यताके विरोधमें दिया गया कोई भी तर्क आपको अपनी वर्तमान स्थितिसे विचलित नही कर सकता। इसलिए मै चाहूँगा कि किसी भी निर्णयपर पहुँचनेसे पहले आप समस्याका पूरी तरह अध्ययन कर ले।

मुझे खादीके लिए आपकी जरूरत है। मुझे मालूम है कि इसमें कितना लाभ होगा। परन्तु मै आपको ऐसे संरक्षकके रूपमें नही चाहता, जिसके प्रमाण-पत्रका मै अपने लाभके लिए उपयोग करूँ। मै आपको ऐसे साथी कार्यकर्त्ताके रूपमें चाहता हूँ, जो अपनी स्थितिसे विचलित न हो और अपनी योग्यता-भर खादीके हितके लिए काम करे। इसलिए फिलहाल मै चाहूँगा कि अध्ययनके बाद आपके मनमें कुछ सन्देह हो तो, इससे पहले कि आप कोई निर्णय कर ले मुझसे इस विषयपर चर्चा कर ले। मुझसे या दूसरे लोगोसे जो खादीके विरोधी हो आप पत्र-व्यवहार अवश्य जारी रखिए, परन्तु मै चाहूँगा कि आप प्रतिज्ञा करे कि उस आलोचनाके सम्बन्धमें, जो आपको विश्वसनीय और अकाट्य लगे, मुझसे चर्चा करनेसे पहले आप कोई निश्चय न करें। मै आपको यह आश्वासन दे दूँ कि खादी आन्दोलनमें ऐसे लोग है, जिन्होने विषयका पूरा अध्ययन किया है और यदि उन्हे पता चले कि जिन पूर्वगृहीत तथ्योंपर वे चले हैं उनका कोई आधार नही है, तो वे एक क्षणका संकोच किये बिना खादीको छोड़ देंगे।

हाँ, मुझे जो सबसे बड़ा आघात लग सकता था वह निस्सन्देह मगनलालकी मृत्यु है। परन्तु स्वतन्त्रता-संग्राममें अपने प्रियतम व्यक्तिके बिछुड जानेपर भी आँसू बहानेका समय कहाँ है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३५९७) की फोटो-नकलसे।

३३८. पत्र : रविशंकर महाराजको

मौनवार, ३० अप्रैल, १९२८

भाईश्री रविशंकर,

तुम भाग्यवान हो। जो कुछ खानेको मिले उससे सन्तुष्ट हो जाते हो, गर्मी-सर्दी तुम्हारे लिए एक बराबर है और चिथड़े मिलें तो उनसे ही अपना शरीर ढक लेते हो और अब सबसे पहले जेल जानेका सौभाग्य भी तुम्हें ही मिला है। यदि ईश्वर अदला-बदली करने दे और तुम उदारता दिखाओ, तो मैं अवश्य ही तुम्हारे साथ अपनी अदला-बदली कर लूँ।

तुम्हारी और देशकी जय हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २९३५) से।
सौजन्य : रविशंकर महाराज

३३९. पत्र : ताराबहन जसवानीको

साबरमती
सोमवार [३० अप्रैल, १९२८][1]

चि० तारा,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं घूमने जाता हूँ, उस समय रोज तुम्हारी याद आती है। अपने स्वास्थ्यका खूब ध्यान रखना। अपने सभी व्रतोंका पालन करना। मुझे पत्र लिखते रहना।

मगनलालके बारेमें तो सुना ही होगा। 'नवजीवन' तो बराबर लेती हो न?

चि० दीवालीको आशीर्वाद।

तुम्हारे दूसरे प्रश्नोंको देखकर, फिर किसी समय उनका जवाब दूंगा।

बापूके आशीर्वाद

चि० ताराबहन धीरजलाल जसवानी
द्वारा भाई मोहनलाल खण्डेरिया
वाँकानेर

गुजराती (जी० एन० ८७८०) की फोटो-नकलसे।

१. डाककी मुहरसे।

३४०. पत्र : ना० र० मलकानीको

आश्रम
साबरमती
१ मई, १९२८

प्रिय मलकानी,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं मिलके कपड़ेके बारेमें 'यंग इंडिया'के अगले अंकमें लिखूंगा।[1] अभी मैं जयरामदासको लिख रहा हूँ।[2]

अब मुझे मगनलाल हमारे लिये जो निधि छोड़ गया है उसका पात्र बननेका प्रयास करना है।

तुम कृपया मुझे समय रहते यह सूचित करना कि क्या तुम चाहते हो कि मैं मथुरादासके चले जानेके बाद जयसुखलालको भेज दूं। मैं समझता हूँ कि बाढ-सहायता कार्यको हाथमें लेनेके बाद तुम अब दूसरी किसी भी चीजमें, वह कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, सक्रिय भाग लेकर इस बाढ़-सहायता कार्यको संकटमें नहीं डालोगे। 'भगवद्गीता'का यह श्लोक याद रखो :

अपना गुण-विहीन धर्म भी दूसरेके अच्छी तरह आचारण किये गये धर्मसे श्रेष्ठ-तर है। स्वधर्म-पालनमें मृत्यु भी अच्छी है; पर-धर्म भय-कारक है।[3]

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजी (जी० एन० ८८६ तथा एस० एन० १३२१२) की फोटो-नकलसे।

३४१. पत्र : एस० रामनाथनको

आश्रम
साबरमती
१ मई, १९२८

प्रिय रामनाथन,

. . .[4] के बारेमें आपका पत्र मिला। मुझे लगता है कि आपका कानून गलत है। यदि आपके पास लिखितमें . . .[5] का कुछ नहीं है तो मुझे यकीन है कि कार्यकर्त्ताओंकी लापरवाही या धोखाधड़ीसे जो नुकसान हुआ है, उसे हम नहीं भर

१. देखिए "मिलोंका कपड़ा बनाम खादी", १०-५-१९२८।
२. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।
३. देखिए अध्याय ३, श्लोक ३५।
४ और ५. नाम यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

सकते, चाहे कार्यकर्त्ताओंने नकद जमानत ही क्यों न जमा करा रखी हो। क्या आपको यह सिद्धान्त खतरनाक नहीं लगता? यदि कानून ऐसा हो तो कर्मचारियोंको उन मालिकोंकी मर्जीका मोहताज रहना पड़ेगा जो खुद मुन्सिफ भी होंगे और अपने दिये फैसलेको कार्यान्वित करनेवाले भी। जो मालिकको लापरवाही या धोखाधड़ी लगे, हो सकता है कि वह ईमानदारीसे कर्मचारीको वैसा न लगे और कानूनमें भी बात वैसी न हो। इसलिए यदि कर्मचारियों द्वारा दी गई जमानतोंको स्पष्ट लापरवाही और धोखाधड़ीके लिए जब्त करनेकी बात हो तो; उसके लिए एक सुव्यवस्थित संस्थाके पास सुस्पष्ट लिखित इकरार होने चाहिए। इसलिए आप . . .[1] के बारेमें चाहे जो करें, मेरा सुझाव है कि आप उन सब कर्मचारियोंसे, जिनसे आपने जमानतें ली हैं, लिखित इकरार ले लें।

जहाँतक . . .[2] का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव है कि आप उनकी बेईमानीको साबित करनेवाले जो भी तथ्य आपके पास हों उन्हें उनके सामने रखें और उन्हें बतायें कि संघकी प्रथा और आप दोनोंके बीच हुए मौखिक इकरारके मुताबिक आप जमानतको हानिकी गारंटीके रूपमें रोक रहे हैं और कहें कि यदि वे चाहें तो मामलेको कचहरीमें ले जायें या फिर मध्यस्थकी बात मानें। मध्यस्थोंमें एक उनके द्वारा और एक हमारे द्वारा नियुक्त होगा।

मैंने वादा किया था कि आपका पत्र मिल जानेके बाद मैं . . .[3] को पत्र लिखूंगा। उन्हें पत्र[4] लिखनेसे पहले मैं आपके उत्तरकी प्रतीक्षा करूँगा।

हृदयसे आपका,
बापू

श्रीयुत एस० रामनाथन
सचिव
अ० भा० च० संघ, तमिलनाड
इरोड

अंग्रेजी (एस० एन० १३५९३) की माइक्रोफिल्मसे।

१. से ३. नाम यहाँ नहीं दिया जा रहा है।
४. इस पत्रकी एक प्रति रामनाथनके पत्र सहित अ० भा० च० संघ अहमदाबादके सचिवको भेजी गई थी।

३४२. पत्र : वि० च० रायको

आश्रम
साबरमती
१ मई, १९२८

प्रिय डा० विधान,

आपके पत्रसे[1] मेरे अभिमानकी तुष्टि हुई है परन्तु मुझे इस लोभको रोकना ही होगा। एक तो असहयोगीके रूपमें एक ऐसे विश्वविद्यालयसे, जिसका किसी भी तरह सरकारसे सम्बन्ध है, मेरा कोई वास्ता नही होना चाहिए; इसके सिवा, मैं कमला भाषण-मालाकी[2] योजनाके अन्तर्गत भाषण देनेके लिए अपने-आपको योग्य और उपयुक्त व्यक्ति नही समझता। मुझमें वह साहित्यिक योग्यता नही है, जिसकी सर आशुतोषने निस्सन्देह भाषणकर्त्ताओंसे अपेक्षा की होगी।

आप मुझे ऐसी जिम्मेदारी सँभालनेके लिए कह रहे हैं, जिसे मेरे कन्धे बर्दाश्त नही कर सकते। मैं काफी ठीक हूँ। मैं अवसरकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और जब देश तैयार होगा तो आप मुझे राजनीतिके क्षेत्रमें उसका नेतृत्व करते हुए पायेंगे। अपनी शक्तिके विषयमें मेरे मनमें कोई झूठी विनय नही है। मैं निस्सन्देह अपने ढंगका एक राजनीतिज्ञ अवश्य हूँ और देशकी स्वतन्त्रताके लिए मेरी अपनी योजना है। परन्तु वह वक्त अभी नही आया है और शायद इस जीवनमें कभी न आये। यदि यह वक्त नही आता तो मैं एक भी आँसू नही बहाऊँगा। हम सब ईश्वराधीन हैं। इसलिए मैं उसके निर्देशनकी प्रतीक्षामें हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३२१०–ए) की फोटो-नकलसे।

१. डा० रायने गांधीजीसे कलकत्ता विश्वविद्यालयमें भाषण देनेके लिए प्रार्थना की थी। पिछले वक्ता एनी बेसेंट, श्रीनिवास शास्त्री और सरोजिनी नायडू थे।

२. आशुतोष मुखर्जी द्वारा स्थापित।

३४३. भाषण : अहमदाबादमें, बाल-भवनके उद्घाटनपर[1]

१ मई, १९२८

इस बाल-भवनका उद्घाटन ऐसे व्यक्तिके द्वारा किया जाना, जो अपने आपको मजदूर कहता है, शायद बिलकुल उचित ही है। मैं आपके सामने यह स्वीकार कर लूँ कि जब सेठ कस्तूरभाई मेरे पास यह निमन्त्रण लाये तो मैंने यह निमन्त्रण बड़े संकोच सहित स्वीकार किया। सो इसलिए नहीं कि मुझे इसका उद्देश्य पसन्द न रहा हो परन्तु इसलिए कि मैं बहुत व्यस्त था। यदि आपने किसी दूसरे व्यक्तिसे जो मुझसे ज्यादा पात्र होता, विशेषकर किसी मिल-मालिकसे, इस समारोहका आयोजन करवाया होता तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। परन्तु सेठ कस्तूरभाईके प्रति सम्मान-भावनाके कारण मुझे झुकना पड़ा।

अहमदाबादमें आश्रमकी स्थापना करते समय मेरे मनमें उसका महत्व गुजरातकी राजधानी या उसके एक व्यस्त वाणिज्य केन्द्र होनेके कारण नहीं था। मेरे लेखे महत्वपूर्ण बात केवल यह थी कि अहमदाबाद कपड़ा उद्योगका केन्द्र है। मैंने अनुभव किया कि मैं मिल एजेंटोंकी सहायता पर निर्भर रह सकता हूँ और शहरकी कुछ सेवा कर सकता हूँ। मैं आज यह खुशीसे कह सकता हूँ कि मेरी ये आशाएँ बिलकुल ही मिथ्या सिद्ध नहीं हुई हैं। यदि मुझे मिल-मालिकोंके साथ अपने सम्बन्धोंके कटु अनुभव याद आते हैं तो कई मधुर स्मृतियाँ भी मेरे मनमें हैं। मैं अहमदाबादसे अभी तक निराश नहीं हुआ हूँ। मैं अब भी इससे बड़ी-बड़ी आशाएँ लगाये बैठा हूँ। अभी इसे बहुत-कुछ करना बाकी है। मैं स्वयं मजदूर और एक ऐसे व्यक्तिके रूपमें बोल रहा हूँ जिसने श्रमिक वर्गकी अन्तरकी अनुभूतियोंमें गहरेसे-गहरे जानेकी कोशिश की है। मैं कहता हूँ कि अहमदाबादको दूसरी चीजोंके साथ श्रमिक-वर्गकी दशा सुधारनेके बारेमें अभी बहुत कुछ करना है।

इस स्थानके श्रमिकोंके साथ मेरा सम्बन्ध कलका नहीं है। यह बहुत पुराना है; तबसे है जब मैं पहली बार इस शहरमें आया था। और मैं आपसे बेहिचक कहता हूँ कि आपने श्रमिक वर्गके प्रति अपना कर्त्तव्य-पालन नहीं किया है। किन्हीं मामलोंमें तो श्रमिकोंके लिए जीवनकी सामान्य सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं की गई हैं। बहरहाल कुछ अपवाद हैं। कुछ मिल-मालिकोंने इस दिशामें कुछ प्रयत्न किया है। प्रस्तुत प्रयत्न ऐसा ही एक उदाहरण है।

सेठ कस्तूरभाईने, मिल मजदूरोंके कल्याणके सम्बन्धमें अभी आपके सामने जो भाव व्यक्त किये हैं, उससे सेठ कस्तूरभाई और अहमदाबाद नगरकी साखका परिचय मिलता है। सेठ कस्तूरभाईको पोर्ट सनलाइटसे बड़ी प्रसन्नता हुई और यह ठीक भी

१. रायपुर मेनुफेक्चरिंग कम्पनीके एजेंट कस्तूरभाई लालभाईने गांधीजीसे बाल भवनका उद्घाटन करनेकी प्रार्थना की थी।

है। परन्तु पोर्ट सनलाइट हमारा आदर्श नही हो सकती। मालिकको कर्मचारियोंके लिए जो कुछ करना ही चाहिए मेरी समझमें मेसर्स लिवर ब्रदर्स उसका निम्नतम स्तर प्रस्तुत करते है। उससे कम करना तो बदनामीकी बात होगी। हमें कमसे-कम करके ही सन्तुष्ट नही रह जाना चाहिए। हमें अपनी सभ्यताको ध्यानमें रखकर सोचना चाहिए। प्राचीन कालकी सामाजिक दशाका जो चित्र 'महाभारत' और 'रामायण' द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, यदि वह सही है, तो हमारा आदर्श पोर्ट सनलाइटको बहुत पीछे छोड देगा। मैंने पोर्ट सनलाइटके बारेमें काफी साहित्य पढ़ा है और मै उनके कल्याण कार्यका उत्साही समर्थक हूँ, परन्तु मेरा मत है कि हमारा आदर्श इससे ऊँचा है। पश्चिममें मालिक और कर्मचारी अभीतक अलग-अलग वर्गोमें विभाजित है। मै यह भली-भाँति समझता हूँ, अस्पृश्यताका अभिशाप हमारे देशमें विद्यमान रहते हुए हमारा अपने आदर्शकी बात करना निरर्थक है। परन्तु मै उच्चतम आदर्श किसे समझता हूँ, यदि इस बातको आपके सामने न रखूं तो मै अपने सत्यधर्मका निर्वाह नही करूँगा और आपके प्रति अपने कर्त्तव्यका पालन भी नही करूँगा। मिल एजेंटो और मिल-मजदूरोके बीच पिता और पुत्रका या सगे भाइयोका-सा सम्बन्ध होना चाहिए। मैंने प्राय: सुना है कि अहमदाबादके मिल-मालिक अपने आपको स्वामी और अपने कर्मचारियोको अपना नौकर कहते है। ऐसे अपशब्द अहमदाबाद जैसे स्थानमें, जिसे अपनी धर्मपरायणता, अहिंसा और प्रेमपर गर्व है, प्रचलित नही होने चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति अहिंसाकी विरोधी है। हमारा आदर्श तो यह अपेक्षा रखता है कि हमारी सारी शक्ति, सारी सम्पत्ति और हमारा सारा दिमाग पूरी तरह उन लोगोके कल्याणमें लगा रहना चाहिए, जिन्हे हम उनकी अनभिज्ञताके कारण और अपनी झूठी धारणाओके कारण मजदूर या 'नौकर' कहते है। इसलिए मै आपसे यह आशा रखता हूँ कि आप अपनी सारी सम्पत्तिको न्यास रूपमें रखें और उसे केवल उन लोगोंके हित साधनमें लगाएँ जो आपके लिए पसीना बहाते है और जिनके परिश्रमपर आपका पद और समृद्धि निर्भर है। मै चाहता हूँ कि आप अपने मजदूरोको अपनी सम्पत्तिका हिस्सेदार बनायें। मेरा मतलब यह नही कि यदि आप यह सब करनेके लिए अपने आपको कानूनी तौरपर बाँध नही लेते, मजदूरोको बगावत कर देनी चाहिए। इस सम्बन्धमें जिसके बारेमें मै सोच सकता हूँ ऐसा एकमात्र विधान पारस्परिक प्रेम और पिता पुत्रके बीच सम्मानका विधान है — कानूनका नही। यदि आप केवल यह नियम बना लें कि इन पारस्परिक स्नेहके दायित्वोका मान करना है, तो श्रमिकों सम्बन्धी सारे झगडे समाप्त हो जायें और श्रमिकोको संघोके रूपमें अपना सगठन करनेकी आवश्यकता ही महसूस न हो। जिस आदर्शकी मै अपेक्षा करता हूँ, उसमें अनसूयाबहन जैसी हमारी बहनों और शंकरलाल जैसे भाइयोंके लिए कुछ करनेको नही बचेगा और उनका काम समाप्त हो जायेगा। परन्तु जबतक एक भी मिल-मजदूर ऐसा हो जो जिस मिलमें काम करता है उसे अपना नही समझता, जो पसीना छूटने और हदसे ज्यादा काम होनेकी शिकायत करता है और इसलिए अपने मालिकोंके प्रति अपने मनमें दुर्भावना बनाये रखता है, तबतक वह सम्भव नही है।

कठिनाई कहाँ है?

आपने हमें बताया है और यह सब जगह स्वीकार किया गया है कि यह सब करनेसे मिल-मालिकोंको लाभ ही होता है। मेसर्स लिवर ब्रदर्सने जो-कुछ किया वह सब करनेसे उन्हें कोई हानि नही हुई। उन्हें इतना उत्साह मिला कि उन्होंने नेटालमें एक और पोर्ट सनलाइट बनानेकी कोशिश की। जैसे-जैसे धीरे-धीरे हमारा अनुभव बढ़ता चलता है हमें अधिकाधिक स्पष्ट होता चलता है कि जितना अधिक हम अपने श्रमिकोंको देते हैं उतना ही हमें ज्यादा लाभ होता है। आपके कर्मचारी जिस क्षण यह अनुभव करने लगेंगे कि मिलें जैसे आपकी हैं वैसे ही उनकी भी है, वे आपके प्रति सगे भाइयोंका-सा भाव रखने लगेंगे और तब पारस्परिक हितोंके खिलाफ काम करने और श्रमिकोंके ऊपर भारी पर्यवेक्षी सिब्बबन्दी रखनेकी आवश्यकताका कोई प्रश्न ही नही रहेगा।

आपने मुझे अहमदाबाद शहरको श्रमिक विप्लवसे, जैसा कि आजकल बम्बईमें हो रहा है, अछूता रखनेका श्रेय दिया है। ठीक है; मैं उस श्रेयको पूरी तरह अस्वीकार नही कर सकता, क्योंकि आपमें से किसी एकको भी एक क्षणके लिए भी यह सन्देह नही हो सकता कि यदि श्रीमती अनसूयाबहन और श्रीयुत शंकरलाल यहाँ काम न कर रहे होते तो परिस्थिति कुछ और ही होती? सम्भवतः यह सच है कि अहमदाबादके मिल-मालिक और आप लोग बम्बईके मिल-मालिकोंकी अपेक्षा ज्यादा होशियार है। कोई विप्लव हो भी जाये तो जैसे कि पश्चिममें कुछ मालिक करते हैं, आप अपने लोगोंको दबानेके लिए उपद्रवकारियोंका उपयोग नही करते। मेरा खयाल है कि आपने श्रमिकोंकी महत्वाकांक्षाओंको दबानेवाले उस शस्त्रको स्वेच्छापूर्वक त्याग दिया है। मेरे आलोचक मुझे कहते हैं कि ये सब खयाली पुलाव हैं और यदि सम्भव हो तो अहमदाबादके मिल-मालिक भी उक्त साधनोंका सहारा लेनेमें संकोच नहीं करेंगे। परन्तु मुझे विश्वास है कि यह कहना गलत है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आचरणसे प्रमाणित कर दे कि उनका कहना गलत है। मुझे आशा है कि आप वह वक्त नजदीक लानेमें मदद करेंगे जब कि श्रीयुत शंकरलाल और श्रीमती अनसूयाबहन, जो काम कर रहे हैं, उसकी भी जरुरत नहीं पड़ेगी; साथ ही जबतक उसमें सफलता नही मिलती आप उनके काममें अपेक्षित पूरी मदद और पूरा प्रोत्साहन देंगे।

सम्भवतः अब आप समझ गये होंगे कि आज यहाँ जो शान्ति बनी हुई है उसके लिए मैं थोड़ी-सी भी नेकनामीको इतना महत्व क्यों दे रहा हूँ, इसका श्रेय मुझे नही, श्रीमती अनसूयाबहन और श्रीयुत शंकरलाल बैंकरको है। वे मजदूरोंके बीच रहते हैं, उनके बीच घूमते फिरते और वही जीवनयापन करते है। मैं इतना सब कुछ नही कर सकता। यदि आप इन मित्रोंके प्रयत्नोंमें हाथ बँटायें, तो आप देखेंगे कि इस तरहके बाल-भवन बनाने या डाक्टरी सहायता उपलब्ध करनेकी अधिक आवश्यकता नही रहेगी। मैं आपके इन प्रयत्नोंका महत्व कम नही करना चाहता, परन्तु मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कोई सम्पन्न व्यक्ति अपने बच्चोंको इस तरहके

बाल-भवनमें भेजना चाहेगा? हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति लायें जिसमें मिल-मजदूरोंके बच्चेको अपनी माँसे न बिछुड़ना पड़े और मजदूरके बच्चेको शिक्षाके वही अवसर मिले जो हमारे बच्चोंको मिलते हैं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १०-५-१९२८

३४४. पत्र : अब्बास तैयबजीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२ मई, १९२८

प्रिय भुर्रर्र,

मेरी ओरसे कोई पत्र न आनेपर आपकी आशंका सही है।[1] ईश्वर महान् मंगलमय, यहाँ तक कि दयालु भी है।

मै बारडोलीकी घटनाओंका अध्ययन कर रहा हूँ। आप जो कुछ कहते हैं वल्लभभाई उसके प्रत्येक शब्दके योग्य हैं। आप यह विश्वास करके खुश न हो कि यदि सरकार आपको अपने मेहमानके रूपमें आमन्त्रण देगी, तो वह आपको साबरमतीमें रखेगी। आश्रम साबरमतीके अतिथि-गृहसे[2] अत्यधिक समीप पड़ जायेगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ९५६३) की फोटो-नकलसे।

३४५. नियम-पालनकी आवश्यकता

कुछ खादी-कार्यकर्ता लिखते हैं :[3]

यहाँ पर स्पष्ट ही आदर्शोंके बारेमें भ्रान्ति है। ऊँच-नीचके विकृत खयालोंसे प्रायः सभी राष्ट्रीय संस्थाओंमें अनुशासनहीनता आ गई है। बहुतसे लोग सोचते हैं कि पद-भेदको हटानेका अर्थ अराजकता और उच्छृंखलता है। जब कि पदको हटानेका

१. मगनलाल गांधीकी मृत्युके बाद गांधीजीने अब्बास तैयबजीको कोई पत्र नहीं लिखा था।

२. अब्बास तैयबजीने, जो उस वक्त बारडोली संघर्षमें वल्लभभाई पटेलकी सहायता कर रहे थे, रविशंकरके कैद किये जाने और उनपर अभियोग चलाये जानेका विवरण देते हुए अपने कैद किये जानेकी सम्भावनाका उल्लेख किया था।

३. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। कार्यकर्त्ताओंने शिकायत की थी कि यद्यपि उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे ठीक वक्तपर कार्यालयमें उपस्थित हों, स्वयं सचिव ठीक वक्तपर हाजिर नहीं होते। उन्होंने पूछा था "...उसी एक क्षेत्रके कार्यकर्त्ताओंमें यह छोटेपन और बड़प्पनका भाव क्यों रहना चाहिए?"

अर्थ होना चाहिए पूर्ण अनुशासन — पूर्ण इसलिए क्योंकि तब हम जिस संगठनमें हों उसके नियमोंका, अर्थात् अपने ही नियमोंका स्वेच्छासे पालन करेंगे। क्योंकि आदमी स्वयं ही एक आश्चर्यजनक संगठन है और जो बात उसपर लागू होती है, वही बात उन सामाजिक या राजनीतिक संस्थाओं पर भी लागू होती है, जिनका वह सदस्य है। जिस भाँति शरीरके भिन्न-भिन्न अंग एक दूसरेसे बड़े या छोटे नहीं होते है, मगर तो भी स्वस्थ शरीरमें सभी अंग दिमागकी आज्ञा स्वेच्छापूर्वक मानते है; उसी प्रकार किसी संस्थाके कार्यकर्त्ताओंमें कोई किसीसे बडा या छोटा नही होता, मगर तो भी सबको स्वेच्छापूर्वक संस्थाके दिमागके अर्थात् उसके संचालकके अधीन होना पडता है। जिस संस्थाका कोई संचालक न हो या जिसके कार्यकर्त्ता संचालकसे सहयोग न करें, उस संस्थाको मानो लकवा मार जाता है और वह संस्था समाप्त होने लगती है।

ऊपरके पत्रपर जिन लोगोंने हस्ताक्षर किये है, वे यह नही समझते कि यदि निश्चित समयपर दफ्तरमें आनेके प्राथमिक नियमका वे ही पालन न करें तो उनका खादी कार्यालय, जिसमें वे भी कार्यकर्त्ता है, अपना यानी दरिद्रनारायणकी सेवाका काम पूरी तरह नही कर सकता। उन्हें महसूस करना चाहिए कि खादी-कार्यालयका ऐच्छिक अनुशासन सरकारी दफ्तरोंके अनिवार्य अनुशासनसे कही अधिक सख्त होना चाहिए। अगर खादी-कार्यालयका प्रधान दफ्तर हमेशा समयपर नही आ पाता है तो बहुत सम्भव है कि वह दफ्तरमें न होते हुए भी कही खादी कार्यमें ही लगा हुआ हो। क्योंकि जबकि मामूली कार्यकर्त्ताओंके कामका समय निश्चित होता है, प्रधानको आरामका समय ही कभी नही मिलता। अगर वह ईमानदार है और अपनी जिम्मेदारीको समझता है, तो उसे खादीको उसका योग्य स्थान दिलानेके लिए दिन-रात काम करना होगा। किसी चलती हुई संस्थामें शामिल हो जाना एक बात है और किसी बिल्कुल ही नई संस्थाको चलाना, जिसे कि दुनियाकी अपने ढंगकी सबसे बड़ी संस्था बनानेका विचार हो, बिल्कुल दूसरी बात है। ऐसी संस्थापर एक नही, किन्तु हजारों कार्यकर्त्ताओंको सावधान रहकर अक्लमन्दी और ईमानदारीसे नजर रखनी पड़ेगी। मौजूदा संस्थाओंमें शामिल होकर और अपने ऊपर कठिनसे-कठिन अनुशासनका भार लेकर ही ये कार्यकर्त्ता तैयार होंगे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३-५-१९२८

३४६. धन्यवाद

मेरे जीवनके सबसे बड़े संकटकी घड़ीमें दूरके और पासके मित्रोंने मुझे अपने संवेदना-सन्देशोंसे विह्वल कर दिया है। यह मेरी मूर्खता थी परन्तु तो भी यह सही है कि मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मगनलालकी मृत्यु मेरी मृत्युसे पहले हो जायेगी। मुझे व्यक्तियों, संस्थाओं और कांग्रेस कमेटियोंकी ओरसे जो समुद्री तार, तार और पत्र मिले हैं, उनसे मुझे बड़ी सान्त्वना मिली है। उनके इन सन्देशोंकी प्राप्तिकी स्वीकृति मैं प्रेषकोंको अलग-अलग नहीं दे पा रहा हूँ, आशा है कि वे मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे। मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने जो प्यार मुझपर उँडेला है और मगनलालने जिस मौन साधनासे उन आदर्शोंकी सेवा की है, जिनपर उनकी मेरे समान ही आस्था थी, उनका पात्र बननेकी कोशिश करूँगा।

[अंग्रेजीसे]

मो० क० गांधी

यंग इंडिया, ३-५-१९२८

३४७. पत्र : वीरूमल बेगराजको

आश्रम
साबरमती
४ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आप यह नहीं चाहते कि मैं वकीलकी हैसियतसे आपके प्रश्नोंका उत्तर दूं। क्योंकि शायद मेरा कानून स्वीकार न किया जा सके। परन्तु सामान्य व्यक्तिके रूपमें मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिन जायदादोंका जिक्र किया है और जिन परिस्थितियोंमें उनपर अधिकार किये जानेकी बात की है, उनपर बावा अथवा उनकी विधवाका कोई अधिकार नहीं है और दूसरे मामलेमें ब्राह्मणका भी उनपर कोई अधिकार नहीं है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत वीरूमल बेगराज
"सिन्धी" कार्यालय
सक्कर

अंग्रेजी (एस० एन० १३२१४) की फोटो-नकलसे।

३४८. पत्र: पी० तिरुकूटसुन्दरम् पिल्लैको

आश्रम
साबरमती
४ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

मै 'मनुस्मृति'को जलाना विदेशी वस्त्रको जलानेके समान नही मानता। विदेशी वस्त्रको जलाना किसी हानिकारक वस्तुको जलानेके तुल्य है। परन्तु 'मनुस्मृति'को जलाना ज्यादासे-ज्यादा विदेशी वस्त्रका विज्ञापन जलानेके समान है और बचकाना रोष दिखानेके सिवाय और कुछ नही। और फिर मै 'मनुस्मृति'को बुरी वस्तु नही मानता। इसमें बहुत-सी चीजें सराहने लायक हैं। परन्तु इसके मौजूदा रूपमें निस्सन्देह बहुत-सी बुरी चीजे हैं। ये प्रक्षेप मालूम होती है। इसलिए जहाँ मुबारक इस पुरानी संहिताकी सारी बढ़िया चीजोंको सँजोकर रखेगा, वहाँ वह उन सारी चीजोंको जो हानिकारक या सन्देहास्पद महत्ववाली है, इसमें से निकाल देगा।

यदि हमें अपने आन्तरिक प्रयत्नोंसे स्वराज्य प्राप्त करना है तो मैं हिन्दू-मुसलमान एकताकी तरह छुआछूतके उन्मूलनको भी स्वराज्य-प्राप्तिकी प्रमुख शर्त मानता हूँ। परन्तु जब अंग्रेज शासक स्वराज्यकी माँगका इसलिए प्रतिरोध करते हैं कि हम अस्पृश्यताका पूरी तरह उन्मूलन नही कर सके हैं, तो मुझे उनका प्रतिरोध बनावटी और अवैध लगता है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत पी० तिरुकूटसुन्दरम् पिल्लै
सिन्दुपोंडरे
तिन्नेवेली

अंग्रेजी (एस० एन० १३२११) की माइक्रोफिल्मसे।

३४९. पत्र : एल० क्रेनाको

[४ मई, १९२८][1]

यह कहते हुए मुझे अत्यन्त खेद है कि आपके पत्रके अन्तिम अनुच्छेदमें मेरे सम्बन्धमें जो उल्लेख किया गया है वह आदिसे अन्ततक मनगढन्त है।[2] यदि ब्रिस्टलके डीनने, रिपोर्टमें जो कुछ कहा गया है, वह बात निस्सन्देह कही है तो मुझे दुःख होगा।

एल० क्रेना महोदय
द्वारा वाई० एम० सी० ए०
सिंगापुर

अंग्रेजी (एस० एन० १४३४५) की फोटो-नकलसे।

३५०. पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको

वैशाख १५, ४ मई, १९२८

भाई हरिभाऊ,

रायचंदभाईके लेखोंके बारेमें पुजाभाईको मिलूंगा। मि० ग्रेगके पुस्तकका[3] हिन्दी अनुवाद अवश्य करो। चर्खा संघसे इस बारेमें पैसा मिलनेकी आशा कम है। सी०

१. यह "पत्र : एल० क्रेनाको", १३-७-१९२८ का संलग्न पत्र था; देखिए खण्ड ३७। एल० क्रेनाने अपने १८ मईके पत्रमें इसकी यही तारीख बताई थी।

२. क्रेनाने इससे पहले गांधीजीको "पोषक सदस्यों" (सस्टेनिंग मैम्बर्स) के नाम लिखित एक पत्र भेजा था। इसके साथ सेंट्रल क्रिश्चियन एडवोकेटकी एक कतरन संलग्न थी जिसमें लिखा था: अभी हालमें ब्रिस्टलके डीनने कहा कि: "मेरे एक मित्रने श्री गांधीजीके बारेमें एक रोचक कहानी सुनाई। भारतीय हितोंके समर्थकके रूपमें गांधीजीकी एक विदेशी यात्राके बाद लोगोंकी एक बड़ी भारी सभाने उनका कलकत्तामें स्वागत किया।. . .उनका स्वागत करने आये १५,००० बंगालियोंकी भीड़ वहाँ इकट्ठी थी। मेरा मित्र ही एक मात्र अंग्रेज था, जो वहाँ उपस्थित था। बंगालके वक्ताओंने अपनी और गांधीजीकी प्रशंसामें तीन घंटेतक भाषण दिये। तब वह महत्त्वपूर्ण क्षण आया जब श्री गांधीजी उठे . . .। उनका भाषण केवल एक ही वाक्यका था: मैं जिसका अत्यन्त ऋणी हूँ और सारा भारत जिसका अत्यन्त ऋणी है वह ऐसा आदमी है जिसने कभी भारतमें पैर नहीं रखा और वह ईसामसीह ही थे।" इसके बाद वे बैठ गये।

क्रेनाने पूछा था "क्या आप इसका अनुमोदन करते हैं?"

३. इकोनोमिक्स ऑफ खद्दर।

पी० में खादीका लेख 'न० जी०' मां आवेगा। उसका सारांश 'यं० इं०' में देनेकी कोशिश करूंगा।

बापूके आशीर्वाद

श्री हरिभाऊ
खादी कार्यालय
अजमेर

सी० डब्ल्यू० ६०५९ से।
सौजन्य : हरिभाऊ उपाध्याय

३५१. भक्तिके नामपर भोग

श्री जयदयालजी गोयनकाके प्रयाससे आजकल मारवाड़ी समाजमें भक्तिरस उत्पन्न करनेका प्रयत्न चल रहा है। उसीके सम्बन्धमें भजन मण्डलियां स्थापित की गई हैं और भजन भवन खोले गये हैं। ऐसा एक भवन कलकत्तेमें गोविन्द भवनके नामसे खुला है। उसमें श्री जयदयालजीकी प्रेरणासे एक भाईको रखा गया था। उसने भक्तिके नामपर विषय भोगे। उसने स्त्रियोंके पाससे पूजा अंगीकार की, स्त्रियां उसे भगवान् मानकर पूजने लगी, उसने स्त्रियोंको अपना जूठा खिलाया और उन्हें व्यभिचारमें उतारा। भोली स्त्रियोंने मान लिया कि 'आत्मज्ञानी'के साथका शरीर-संग व्यभिचार नही गिनना चाहिए।

यह घटना दु:खदायक है। किन्तु मुझे उससे आश्चर्य नहीं होता। भक्तिके नाम पर विषय-भोग भोगते हुए लोग सभी ओर दिखलाई पड़ते हैं। और जबतक भक्तिका रहस्य नही समझ पड़ा है, तबतक धर्मके नामपर अधर्म हो तो आश्चर्य ही क्या है? अगर बगुला भगतोंसे अनिष्ट परिणाम न निकले तभी आश्चर्य की बात होगी।

मैं रामनामका, द्वादश मन्त्रका पुजारी हूँ किन्तु मेरी पूजा अंधी नहीं है। जिसमें सत्य है, उसके लिए रामनाम नौकारूप है। पर मैं यह नही मानता कि जो ढोंगी रामनाम रटता है, उसका उद्धार होगा। अजामिल इत्यादिके जो दृष्टान्त दिये जाते हैं, वे काव्य हैं और उनमें भी रहस्य है। उनके बारेमें शुद्ध भावनाका आरोपण है। 'रामनामसे मेरे विषय शान्त होंगे'—यह माननेवालेको रामनाम फलता है, तारता है। और जो ढोंगी यह मान कर कि 'रामके नामसे मैं अपना उल्लू सीधा करूं' रामनाम लेता है, वह तरता नहीं, डूबता है

"जैसी जिसकी भावना, वैसा उसको होय।"

भक्तजनोंको दो बातोंका विचार करना चाहिए।

१. महादेव देसाई द्वारा लिखा लेख १०-५-१९२८ के हिन्दी नवजीवनमें प्रकाशित हुआ था तथा हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया उसका संक्षेप "खादी इन सेंट्रल इंडिया" शीर्षकसे यंग इंडिया, ९-८-१९२८ में प्रकाशित हुआ था।

पहली, भक्ति केवल नामोच्चार ही नही है किन्तु उसके साथ-साथ सतत यज्ञ-कार्य भी है। आजकल ऐसी मान्यता देखनेमें आती है कि सासारिक कामोका धर्म या भक्तिके साथ कोई सम्बन्ध नही है। यह असत्य है। सत्य तो यह है कि इस जगतके सभी कार्योका सम्बन्ध धर्म और अधर्मके साथ है। कोई बढई केवल धन कमानेके लिए काम करता है और उसमें लकडी चुराता है तथा काम विगाडता है। यह अधर्म हुआ। दूसरा बढ़ई परोपकारके लिए काम करता है, मान लीजिए कि रोगीके लिए चारपाई बनाता है, उसमें चोरी नही करता, उसमें अपनी सारी शक्ति लगाता है और चारपाई बनाता हुआ रामनाम लेता है। यह धर्मार्थ किया हुआ काम है। यह बढई सच्चा रामभक्त है। तीसरा रामनाम लेनेके निमित्त जानबूझकर या अज्ञानसे बढईगीरी छोड बैठता है, अपने और अपने लडकोंके लिए भीख मांगता है, रोगीके लिए भी कुछ बनाना हो, तो भी कहता है, "मेरे लिये तो रामनाम सच्चा है। मै न जानूं दुखीको, न जानूं सुखीको।" तो वह अज्ञान-कूपमें पड़ा हुआ पामर प्राणी है।

भगवान्‌को मनुष्य केवल वचनसे ही नहीं भजता, किन्तु वचनसे, मनसे और तनसे भजता है। तीनोमें से अगर एक भी अनुपस्थित हो तो वह भक्ति नही है। तीनोका मेल रसायनके मेलके समान है। रसायनके मेलमें अगर एक वस्तुकी भी मात्रामें फर्क हो तो जो वस्तु बनानी है, वह नहीं बनती। आजके भक्त वाणीके विलासमें ही भक्तिकी परिसीमा समझते हुए दिखाई पडते हैं। और इससे अन्तमें भक्त न रहकर भ्रष्टाचारी बनते हैं और दूसरोको भ्रष्ट करते हैं।

दूसरी बात है, साकार मनुष्य परमात्माको कैसे और कहाँ भजे। भगवान् तो सभी जगह है। इसलिए उन्हें भजनेका अच्छेसे-अच्छा और समझमें आने लायक स्थान तो प्राणी है। प्राणिमात्रमें जो दुःखी है, अपंग है, असहाय हैं उनकी सेवा भगवद्-भक्ति है। रामनामका उच्चारण भी वही सीखनेके लिए है। रामनाम अगर इस सेवाके रूपमें न बदले तो वह निरर्थक है और बन्धन रूप बनेगा जैसा कि गोविन्द भवनवाले भाईके बारेमें हुआ। इस दृष्टान्तसे भक्त मात्र चेत जायें।

अब बहनोके लिए दो शब्द। जो पुरुष अपनी पूजा कराता है, वह तो भ्रष्ट होता ही है। किन्तु बहनें क्यों भ्रष्ट हों? अगर बहनोंको मनुष्यकी पूजा ही करनी है तो आदर्श स्त्रीकी पूजा क्यों न करे? फिर जीवित व्यक्तिकी पूजा ही किसलिए? ज्ञानी सोलनके वाक्य हृदयमें लिख लेने लायक है। "किसी जीवित आदमीको अच्छा नही कहा जा सकता।" आज अच्छा है तो कल बुरा है। फिर दम्भीको तो हम पहचान ही नहीं सकते। इसीसे पूजा केवल भगवानकी ही हो सकती है। मनुष्यकी पूजा अगर करनी ही हो तो उसके मरनेके बाद। क्योंकि पीछे हम उसके गुणोकी पूजा करते है, उसकी आकृतिकी नहीं। पुरुषोंको यह बात भोली बहनोंको विनयपूर्वक बार-बार समझानेकी आवश्यकता है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ६-५-१९२८

३५२. पत्र : मणिलाल गांधी और सुशीला गांधीको

मौनवार, ७ मई, १९२८

चि० मणिलाल और सुशीला,

इस समय तुम्हें क्या लिखूं? मेरे नैमित्तिक काममें तो किसी प्रकार भी खलल नहीं पड़ा, मैं कोई खास विचार भी नहीं करता हूँ, परन्तु मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जीवन अदृश्य रीतिसे कुछ बदल गया है। अनिच्छापूर्वक परन्तु भीतर ही भीतर एक आन्दोलन चल रहा है। मगनलालकी आत्मा मुझपर छाई हुई है। उसकी मृत्यु मुझे मधुर लगती है। मैं पहले मरूँगा ऐसा उसने, मैंने और बाकी सबने मान रखा था। पर मुझे कामका इतना विस्तार अपने सामने दिख रहा है कि यदि ऐसा होता तो वह पिस जाता। अभी तो सभी यह विचार कर रहे हैं कि इसे किस प्रकार मर्यादित किया जाये। और कोई उसे पार लगा सकेगा कि नहीं यह मैं अभीतक नहीं जानता हूँ। किन्तु ईश्वर पर श्रद्धा रखकर बैठा हूँ। जिसने आजतक नैया चलाई है वह आगे भी चलायेगा, फिर चाहे मगनलाल मरे या कोई दूसरा व्यक्ति। हमारा सब-कुछ चला जायेगा, किन्तु हमने जिस सत्यका विचार या आचरण किया है वह तो नहीं मर सकता।

आज दूसरोंको पत्र नहीं लिख पाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७३७) की फोटो-नकलसे।

३५३. पत्र : मीराबहनको

७ मई, १९२८

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र मिला। आशा है कि तुम्हारी सब व्यवस्था ठीक हो गई होगी। बहरहाल, अपनी सेहतके लिए जो आराम जरूरी हो, तुम उसका आग्रह रखोगी।

मैंने संशोधित अनुवाद ध्यानसे देखा है। बहुत अच्छा है।

यदि वल्लभभाईकी इच्छा हो तो तुम्हें उनकी सभाओंमें कभी-कभी हो आना चाहिए।

सस्नेह,

बापू

[पुनश्च :]

सुरेन्द्रने कल चर्मालयका कार्य-भार सँभाल लिया।

सुश्री मीराबहन
स्वराज आश्रम, बारडोली
बरास्ता सूरत

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३०१) से।
सौजन्य : मीराबहन

३५४. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

७ मई, १९२८

चि० ब्रजकिसन,

तुमारा पत्र आया है। कटीस्नान लेनेका छोड़ दीया न जाय। आलमोडा अवश्य जाओ। जैसा दिल्लीमें खाते हो वैसा ही वहा खाना परंतु भूख ज्यादा लगनेसे ज्यादा खानेमें कोई हरज नहिं है।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० २३५७ की फ़ोटो-नकलसे।

३५५. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

आश्रम
साबरमती
८ मई, १९२८

प्रिय मोतीलालजी,

आपका पत्र मिला। आपकी बात न माननेकी शक्ति मुझमें नहीं है। मैंने अभी-अभी आपको तार[1] भेजा है, कि आपकी इच्छानुसार मैं बम्बई आ जाऊँगा। परन्तु जैसा कि मैंने अपने तारमें कहा है, फिलहाल सक्रिय सेवा करनेका मुझमें वास्तवमें कोई उत्साह नही है। मेरे विचार एक पागल व्यक्तिके विचारो जैसे हैं। यहाँ मगनलालकी मृत्युने मुझपर बड़ा भारी बोझ डाल दिया है; किन्तु यहाँका काम ऐसा काम है, जिससे मुझे प्रसन्नता होती है। यदि मैं इस कामको समेट लूँ, तो इससे यदि अभी नहीं, तो भविष्यमें निश्चय ही देशका बड़ा उपकार होगा। परन्तु मैं

१. यह उपलब्ध नहीं है।

बम्बईमें कुछ कर पाऊँगा, इस व्यर्थकी आशासे एक दिनके लिए भी इस कामसे सम्बन्ध तोड़नेका विचार सुखद नहीं है। परन्तु यदि आप अपना आदेश वापस नहीं लेते तो, मैं आपको १६ तारीखको बम्बईमें मिलूँगा।[1]

यदि इन बड़ी राजनीतिक संस्थाओंमें से, जिनका आपने जिक्र किया है, कोई भी स्वराज्यके लिए संविधान नही चाहती; तो हम क्या कर सकते है? हम स्थितिको वशमें नही रख सकेंगे; क्योंकि हममें इतनी शक्ति नही है कि चीजोंको एकाएक मनवा लें।

मुझे जातीय प्रश्नके वैधानिक समाधानमें विश्वास नही है। फिर लगभग हर मामलेमें मेरे विचार उग्र हैं; उन्हे कौन सुनेगा? परन्तु मेरे विचारोंके अलावा, जब-तक हम प्रतिनिधियोंकी उपस्थितिके बारेमें आश्वस्त न हों, क्या बम्बईमें बैठक बुलाना ठीक राजनीति भी होगी? पहलेसे ही यह जान लेना अच्छा रहेगा कि हम बैठकमें जिनकी उपस्थिति चाहते है, वे वहाँ आयेंगे भी या नही। यदि उत्तर नकारात्मक आये तो केवल भावी कार्यक्रमका निश्चय करनेके लिए कार्य समितिकी बैठक बुला ली जाये। मेरे सुझावका क्या महत्व है सो आप देख लें। मुझे पूरी स्थितिका ज्ञान नहीं है; इसलिए सम्भवतः मेरा विचार बहुत महत्वपूर्ण नही होगा। इसका निर्णय तो आप ही कर सकते है।

मिलोंके बारेमें जब हम मिलेंगे [तब बात करेंगे]।

हृदयसे आपका,

पण्डित मोतीलाल नेहरू
आनन्द भवन
इलाहाबाद

अंग्रेजी (एस० एन० १३२१८) की फोटो-नकलसे।

१. ३ मईके अपने पत्रमें मोतीलालने लिखा था : डा० अन्सारीने १६ मईको कार्य समितिकी बैठक बुलानेके लिए जवाहरको अनुदेश दिया है. . . यह काम कार्य-समितिका होगा कि वह स्थितिके सब पहलुओंका पूरी तरह अध्ययन करे और इस सम्बन्धमें पूरी तरह निश्चय कर ले कि फिलहाल क्या करना देशके बहुत ज्यादा हितमें है। जब हम ऐसा निश्चय कर लें तब जो भी हमारी धारणाएँ या विश्वास हों उनसे सम्बन्धित अपने विचारोंको सर्वदलीय सम्मेलन या कुछ दलोंके सम्मेलनपर थोप सकते हैं। मैं केवल यह चाहता हूँ कि जब ये सभाएँ हो रही हों तो आप बम्बईमें रहें ताकि जो लोग आपसे सलाह करना चाहें वे आप तक पहुँच सकें।

३५६. पत्र : मीराबहनको

[९ मई, १९२८][1]

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र मिला। यदि तुमने बादमें पूरी तरह सावधानी बरती हो तो ठंडे पानीसे स्नान करनेमें कोई चिन्ताकी बात नहीं है। जिन परिस्थितियोंका तुमने जिक्र किया है उनमें स्नान करना लगभग अनिवार्य था। भविष्यमें यह याद रखना उचित रहेगा कि ऐसी परिस्थितियोंमें स्पंज करना ज्यादा अच्छा रहता है। प्यारेलालसे कहना कि वह मुझे पत्र लिखे। छोटेलालने अपना काम सँभाल लिया है।

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३०२) से।
सौजन्य : मीराबहन

३५७. मिलोंका कपड़ा बनाम खादी

एक मित्रके पत्रका साराश यह है:

> कई एक कांग्रेसी आजकल खादीके साथ-साथ स्वदेशी मिलके कपड़ोंके इस्तेमालका भी समर्थन कर रहे हैं। स्वदेशी मिलोंके कपड़ोंको भी कांग्रेसकी खादीकी दूकानोंमें रखनेका आन्दोलन चल रहा है। आप क्या इस विषयपर अपना मत साफ-साफ व्यक्त नहीं करेंगे? मुझे तो आपका मत मालूम है, किन्तु कांग्रेसके सारे कार्यकर्त्ता तो उससे वाकिफ नहीं हैं। वे आपका मत जानना चाहेंगे और खासकर इसलिए कि आपने हाल ही में कई लेखोंमें यह लिखा है कि विदेशी-वस्त्रके बहिष्कारके आन्दोलनमें स्वदेशी मिलें क्या हिस्सा ले सकती हैं।

खादीके बारेमें कांग्रेसके प्रस्ताव बिलकुल स्पष्ट हैं। इसलिए जो उनका पालन करना चाहते हैं, उनके लिए स्वदेशी मिलोंके कपडेको त्याग देनेके सिवाय दूसरा रास्ता है ही नहीं। किन्तु यह जमाना तो अराजकताकी वृद्धिका है। इस जमानेमें

१. डाककी मुहरसे।

कांग्रेसियोंके कुछ खास कामोंका विरोध या समर्थन करनेके लिए कांग्रेसके प्रस्तावोंका हवाला देना फिजूल है।

इसलिए, हम इस प्रश्नपर फिरसे विचार करें कि कांग्रेसी स्वेच्छापूर्वक विदेशीके स्थानपर स्वदेशी मिलोंके कपड़े पहनें या उनकी फेरी लगायें। हम बंगालके अनुभवसे परिचित हैं। बंग-भंगके दिनोंमें मिल-मालिकोंकी बेइमानी और लालचके कारण बंगालके स्वदेशी आन्दोलनको धक्का लगा था। मिल-मालिकोंने कपड़ेके दाम बढ़ा दिये और विदेशी कपड़े तकको भी स्वदेशी कहकर बेचा। इसका कोई भरोसा नहीं है कि इस बार वे कोई बेहतर बरताव करेंगे। वस्तुतः नकली खादीके बारेमें मैंने जो तथ्य प्रकाशित किये हैं उनसे तो जान पड़ता है कि मिलें कपड़ा खरीदनेवालोंके व्यापक लाभकी परवाह न करके अपने फायदेके लिए स्वदेशी भावनाका नाजायज फायदा उठानेमें नहीं चूकेंगी। . . .

अगर मिलें भी इसमें ईमानदारीके साथ शामिल हो जायें तो भी कांग्रेसियोंके लिए मिलोंका कपड़ा पहनने या उसका विज्ञापन करनेकी जरूरत नहीं होगी। इस आन्दोलनमें मिलोंके ईमानदारीसे शामिल होनेका अर्थ है, उनका खादीके लिए विज्ञापन करना, खादी बेचना, खादी-भावनाको ग्रहण करना, और मिलके बने कपड़ेके ऊपर खादीकी श्रेष्ठता स्वीकार करना।

यह बात पक्के तौरपर समझ लेनी होगी कि अगर मिलें चाहें भी तो अकेले वे हम लोगोंकी जिन्दगीमें तो विदेशी कपड़ा नहीं हटा सकती। इसलिए देशमें कोई-न-कोई ऐसी संस्था जरूर होनी चाहिए, जो जहाँतक विदेशी वस्त्रके बहिष्कारका सम्बन्ध है, अपनी शक्ति केवल खादी-प्रचार पर ही लगाये। ऐसी संस्था सन् १९२० से कांग्रेस रही है। खादी-उत्पादन और खादी-प्रचारसे दो तरहके प्रभाव एक ही साथ पड़ते हैं। पहले तो इससे मिल-मालिकोंके लोभपर अंकुश रहता है, और दूसरे चाहे यह बात अजीब लगे, उससे स्वदेशी मिलोंको विदेशी मिलोंके साथ प्रतियोगिताके संघर्षमें परोक्ष किन्तु बहुत प्रभावशाली रूपमें प्रोत्साहन मिलता है। अगर कांग्रेसी केवल खादीपर ही अपनी शक्ति लगाते है तो इससे खादीके पाँव जमते हैं और मिलोंको उन क्षेत्रोंमें प्रभावशाली रूपमें काम करनेकी सुविधा मिल जाती है जहाँपर कांग्रेसका प्रभाव अभी नही के बराबर है। इसलिए मिलोंने खादी-प्रचारको कभी बुरा नहीं माना है। इसके विपरीत मिलोंके कई एजेन्टोंने मुझे विश्वास दिलाया है कि खादी-प्रचारसे उन्हें लाभ ही हुआ है, क्योंकि इससे विदेशी वस्त्रके विरुद्ध वातावरण बना है और इससे वे विदेशी वस्त्रोंके मुकाबलेमें अपना मोटा कपड़ा बेच सके हैं। एकमात्र विशुद्ध खादीके प्रचारको रोक दीजिए, मिलके कपड़ोंसे खिलवाड़ शुरू कीजिए और आप खादीको खत्म कर डालेंगे और अन्तमें जाकर स्वदेशी मिलोंके कपड़ेको भी खत्म कर डालेंगे, क्योंकि वे अकेले अपने पैरों पर खड़ी होकर विदेशी मिलोंकी प्रतियोगितामें नहीं ठहर सकतीं। अगर खादी-भावना न हो तो विदेशी और देशी मिलोंकी प्रतियोगिताके बीच खलल डालनेवाली चीज एक स्वस्थ जन-भावना बिलकुल ही नहीं रहेगी।

अन्तिम बात यह है जो महत्वकी दृष्टिसे कम नहीं है कि खादीका महान् लाभ यह है कि उससे अत्यन्त विशाल जन-समुदायको शिक्षा दी जा सकेगी, सार्वजनिक उन्नति होगी तथा दिनोदिन बढ़ती भुखमरी बहुत-कुछ दूर की जा सकेगी, जबकि मिलके कपड़ेसे जनसमूहको न कोई रोजगार ही मिलता है और न कोई आर्थिक मदद ही। और एक गज खादी खरीदनेका अर्थ होता है, उस जनसमूहके लिए काफी कुछ काम और पैसा देना, जो रोजगार और पैसेके अभावकी दुहरी चक्कीमें दिनोदिन पिसता चला जा रहा है। इसलिए हर सच्चे देशभक्तके लिए केवल मात्र खादी ही प्रयोग करने और खादीका ही प्रचार करनेके सिवाय और कोई चारा नहीं है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १०-५-१९२८

३५८. मिल-मालिकोंका लोभ

कुछ दिनों पहले मैंने हिन्दुस्तानी मिलों द्वारा तैयार की गई नकली खादीके जो आँकड़े दिये थे, वे केवल नौ महीनोंके थे।[1] अब दस महीनेके आँकड़े मुझे मिल गये हैं। चकित कर देनेवाले वे आँकड़े नीचे दिये जा रहे हैं:

अप्रैलसे जनवरी तक तैयार खादी,
डूंगरी या खद्दरके आँकड़े

	१९२५–२६	१९२६–२७	१९२७–२८
पौण्ड	२,५८,२२,४४२	३,११,९५,१६९	३,७०,३६,२०६
गज	७,३२,४४,२३८	८,५४,३१,६११	१०,३०,६१,०७२

इन आँकड़ोंसे जाहिर होता है कि उन्होंने १ करोड़ गज हर महीना यानी कमसे-कम २० लाख रुपयेकी खादी हर महीने बनाई — याने जितनी सच्ची खादी पूरे एक वर्षमें बनती है। यह तो स्पष्ट ही गरीबोंके मुंहका कौर छीनना है, और वह भी एक ऐसे आन्दोलनकी मार्फत जो कि भूखों मरनेवाले करोड़ों आदमियोंकी सहायताके लिए शुरू किया गया था। इससे अधिक नीचता और हो ही नहीं सकती। मिल-मालिकोंने अगर इस तरहकी गैरवाजिब और बेईमानीसे भरी प्रतियोगिता द्वारा खादीको खत्म करनेका प्रयत्न करनेके बजाय उसके हितको अपना मानकर उसकी प्रत्यक्ष सहायता की होती, तो वह देशकी सेवा होती। उनकी यह हरकत ठीक उन व्यापारियोंके कामके जैसी है जो नकली घीको असली घी कहकर भोली और मूढ़ जनताके हाथों बेचते हैं। सरकारके समान उन्होंने भी लोगोंके अज्ञानका लाभ उठाकर व्यापार किया है और अगर वे अपना रवैया नहीं सुधार लेते हैं, तो ऐसा काम करनेवाले, अपने दूसरे पूर्ववर्ती लोगोंके समान, देखेंगे कि उनकी धोखा देनेकी यह

१. देखिए "बहिष्कारपर एक मिल-मालिक", ५-४-१९२८।

तरकीब बहुत चल चुकी। कुछ लोगोंको हमेशा बेवकूफ बनाये रखा जा सकता है, मगर सभी लोगोंको हमेशा बेवकूफ बनाये रखना सम्भव नहीं है। पूँजीकी वृद्धिके लिए बेईमानी करना आवश्यक नहीं होना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १०-५-१९२८

३५९. सभ्यताकी विनाशकारी गति

हम अपने युगकी उन्मादकारी शिक्षाके जिस सम्मोहनकारी प्रभावमें जीवन-यापनके लिए विवश होते हैं यदि हमपर वह प्रभाव न होता तो हम लोगोंको उनकी भौतिक स्थितिमें — जो आखिर एक अनित्य वस्तु है — सुधार होनेकी दूरस्थ, अनिश्चित और अकसर व्यर्थ आशामें उनके अपने वर्तमान ईमानदारीके धन्धोंसे वंचित करना अधर्म मानते। यदि सभ्यताका अर्थ इतना ही है कि तत्त्वका विचार किये बिना केवल वस्तुके बाह्य रूपमें परिवर्तन किया जाये तो सभ्यता संदिग्ध मूल्यकी वस्तु है। फिर भी श्रीयुत बालाजी रावके भेजे हुए उक्त अनुच्छेदका[1] अर्थ यही है। इस मान्यताकी आड़में कि इस तरहके वाणिज्यसे लोग सभ्य बनते हैं बर्माके भोले-भाले लोग निर्धन बनाये जा रहे हैं और उनकी अवस्था पशुओं जैसी हुई जा रही है। जैसा श्री मधुसूदनदासने बताया है, जो लोग केवल पशुओंके साथ काम करते हैं और दस्तकारियोंको छोड़कर हाथके हुनरको भूल जाते हैं, वे शरीरसे ही नहीं, बल्कि मस्तिष्कसे भी निर्धन हो जाते हैं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १०-५-१९२८

३६०. पत्र : बहरामजी खम्भाताको

१० मई, १९२८

भाईश्री खम्भाता,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे तारके विषयमें तो लिख चुका हूँ। अपने बेटे जालके लिए बिल्कुल दुख न करना। उसकी आत्मा तो अमर है। इसके अतिरिक्त उसकी आत्मा बहुत उदात्त थी, इसलिए इस समय जहाँ भी हो, सुखमें ही होगी। यदि हम दुख मानते हैं तो केवल अपने क्षणभंगुर स्वार्थके कारण ही। अपना स्वास्थ्य

१. यह यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें कहा गया था, यद्यपि बर्माके सात राज्योंमें इस समय कुछ विदेशी कपड़ा आ रहा है; किन्तु वहाँ यह रिवाज था कि स्त्रियाँ अपने और परिवारके कपड़े वहीं उत्पन्न कपाससे स्वयं तैयार करती थीं।

सुधार सको तो वैसा करना। कूनेके किसी व्यक्तिको मैं जानता नहीं हूँ। यदि उसका पता-ठिकाना तुम्हें मालूम हो जाये तो जो वह दूसरोंके लिए करता है वह तुम्हारे लिये भी करेगा। मेरे साधारण पत्रोंका उपयोग तो तुम कर ही सकते हो।

तुम दोनोंके लिए

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ७५४०) की फोटो-नकलसे।

३६१. पत्र : ई० बियरमको

आश्रम
साबरमती
१० मई, १९२८[1]

मैं आज आपके प्रश्नोंका उत्तर देनेकी कोशिश करता हूँ।

आप आश्रमकी प्रार्थनाके सम्बन्धमें जो-कुछ कहती है वह ज्यादातर सही है। अब भी यह प्रार्थना औपचारिक और निष्प्राण-सी है। परन्तु मैं इस प्रार्थनाको इस आशामें जारी रखे हुए हूँ कि यह सजीव बन जायेगी। चाहे पूर्व हो या पश्चिम मानव-स्वभाव लगभग एकसा है। इसलिए मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि आपको पूर्वकी प्रार्थनामें कोई खास चीज नहीं मिली और आश्रमकी प्रार्थना सम्भवतः कुछ पूर्वी और कुछ पश्चिमी चीजोंकी खिचड़ी है। क्योंकि मुझे पश्चिमसे कोई अच्छी चीज लेनेमें या पूर्वकी कोई बुरी चीज छोड़ देनेमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, इसलिए अनजाने ही हमारी प्रार्थनामें दोनोंका मिश्रण हो गया है। सामूहिक जीवनके लिए सामूहिक प्रार्थना जरूरी है और इसलिए उसकी कोई विधि भी जरूरी है। किन्तु, उस कारणसे उसे आडम्बरपूर्ण या हानिकारक नहीं समझा जा सकता। यदि ऐसी सामूहिक प्रार्थनाका नेता कोई अच्छा आदमी हो तो सभाका सामान्य स्तर भी अच्छा होता है। ऐसी सामूहिक प्रार्थनामें यदि लोग शुद्ध मनसे आते है और उसमें सजग बुद्धिसे भाग लेते है तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव निस्सन्देह महान होता है। सामूहिक प्रार्थनाका उद्देश्य व्यक्तिगत प्रार्थनाका स्थान लेना नहीं है। व्यक्तिगत प्रार्थना जैसा कि आपने ठीक ही कहा है हृदयसे की जानी चाहिए और उसमें औपचारिकता कभी नहीं आनी चाहिए। उसी स्थितिमें आप अनन्तके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते है। सामूहिक प्रार्थना उसमें सहायक होती है। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और जबतक वह अपना सामाजिक दायित्व नहीं निभाता ईश्वरका साक्षात्कार नहीं कर सकता। और प्रार्थना सभामें आनेका दायित्व सम्भवतः सर्वोपरि है। यह सारे समूहके लिए आत्मशुद्धिका साधन है। परन्तु ऐसी सभाएँ यदि कोई ध्यान न रखे तो

१. ऐसा लगता है कि यह पत्र १० मईको, बोलकर लिखवाया गया था और अगले दिन संशोधन करनेके बाद भेजा गया था।

सभी मानवी संस्थाओंकी तरह औपचारिक और यहाँ तक कि आडम्बरपूर्ण बन जाती है। हमें ऐसे तरीके सोच निकालने चाहिए जिनसे औपचारिकता और आडम्बरसे बचा जा सके। सब मामलोंमें और खासकर आध्यात्मिक मामलोंमें अन्तमें तो व्यक्तिकी अपनी रुचि ही बलवती सिद्ध होती है।

वहाँ जो हाजिरी भरी जाती है वह भी सामान्य कोटिकी नहीं है। यह दैनिक यज्ञके परिणामोंका अंकन है। हरएक बताता है कि उसने क्या काता है। कताईमें यज्ञ-भावना निहित है। इसके पीछे यह भाव है कि लाखों लोगोंकी सेवा द्वारा ईश्वरका साक्षात्कार किया जाये। कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जबकि समूहका प्रत्येक पुरुष या महिला सदस्य यह न स्वीकार करे कि उसने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार दैनिक यज्ञका अनुष्ठान किया है या नहीं किया है। इसलिए प्रार्थनाके अन्तमें यह कोई हिसाब-किताब पर उतर आनेकी बात नहीं है, यह तो प्रार्थनाका समुचित समापन है। यह कार्य सभाके आरम्भमें नहीं किया जाता क्योंकि जो देरीसे पहुँचे उन्हें अपना यज्ञ दर्ज करनेका अवसर मिलना चाहिए। यह भी याद रखिये कि यह यज्ञ छिपाकर करनेका नहीं है। यह खुलेमें किये जानेके लिए है।

मेरे विचारमें ईसाई धर्म या ईसाका सन्देश, कृष्ण, बुद्ध, मुहम्मद और जरथुस्तके सन्देशोंकी तरह मनुष्यकी एक बुनियादी आवश्यकताकी पूर्ति करता है। यद्यपि ये सन्देश *अलग-अलग स्थानोंपर* और *अलग-अलग समयपर* दिये गये थे; उनका सार्वभौमिक महत्व भी है। समयकी आवश्यकताओंके अनुसार इनमें से प्रत्येक सन्देश एक चीज पर दूसरीसे अधिक महत्व देता है। धार्मिक व्यक्तिको इन सब सन्देशोंसे लाभ उठानेमें कोई संकोच नहीं होगा और वह अपनी रुचिके अनुसार किसी एक सन्देशसे दूसरेकी अपेक्षा ज्यादा आश्वासन प्राप्त करेगा।

मेरा यह भी विश्वास है कि सच्ची कला नैतिक कार्यों और प्रभावोंके छिपे हुए सौन्दर्यको देखनेमें है और इसलिए ऐसा बहुत कुछ, जिसे कला और सौन्दर्यकी संज्ञा दी जाती है, वह न सम्भवतः कला ही है और न सौन्दर्य।

मैं समझता हूँ कि अब मैंने आपके सारे प्रश्नोंका उत्तर दे दिया है। यदि मुझसे कुछ रह गया हो तो आप कृपया मुझे स्मरण दिलाइये और यदि कहीं मेरी बात समझमें न आई हो या मैंने अनजाने कोई बात टाल दी हो तो आप मुझे फिरसे लिखनेमें संकोच मत कीजियेगा।

आप दोनोंको मेरा प्यार[1],

हृदयसे आपका,

श्रीमती ई० बियरम
यूनाइटेड थ्योलॉजिकल कालेज
बंगलोर

अंग्रेजी (एस० एन० १३२२१ और १५३६५) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए खण्ड ३४, पृष्ठ १७४-५।

३६२. पत्र : मेरी जे० कैम्बेलको

आश्रम
साबरमती
११ मई, १९२८

प्रिय बहन,

आपका कृपा पत्र मिला; उसके लिए धन्यवाद।

विश्व मद्यनिषेध सम्मेलन महिला शाखाको सन्देशमें भेजने योग्य एक ही बात मुझे सूझती है और वह यह है कि जो बहनें वहाँ इकट्ठी हुई हैं उन्हें प्रत्येक देशमें चलाये जा रहे मद्यनिषेध आन्दोलनके तथ्योंका अध्ययन करना चाहिए; वे सही हलकी आशा तभी कर सकती हैं, उससे पहले नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुतसे सुधार आन्दोलनोंमें तथ्योंके इस सीधे-सादे आधारकी ही कमी रही है। दृष्टान्तके रूपमें मैं भारतको ही लेता हूँ। बहुत कम मद्यनिषेध संस्थाएँ यह जानती हैं कि भारतमें पूर्ण मद्यनिषेध होनेमें रुकावट लोगोंने नहीं वरन् यहाँकी वर्तमान सरकारकी नीतियोंने डाली है।

मेरे दु:खमें मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट करनेके लिए धन्यवाद। आपकी तरह मैं भी यह आशा करता हूँ कि कभी हमारी और आपकी भेंट होगी।

हृदयसे आपका,

कुमारी मेरी जे० कैम्बेल
दिल्ली।

अंग्रेजी (एस० एन० १३२२०) की फोटो-नकलसे।

३६३. पत्र : एस० गणेशनको

आश्रम
साबरमती
११ मई, १९२८

प्रिय गणेशन,

मैं 'यंग इंडिया'के व्यवस्थापकको लिख रहा हूँ कि यदि उन्हें कोई आपत्ति न हो तो आपको जिस सूचीकी आवश्यकता है वह आपको भेज दी जाये।

यदि मदद देनेवाले पर्याप्त मित्र आपको मिल जाते हैं तो संस्थाको लिमिटेड कम्पनी बनानेमें मुझे आपत्ति नहीं है। ऊँचे ब्याज-दर पर रुपया उधार लेनेकी बातसे मैं सहमत नहीं हो सकता।

३६५. पत्र : शचीन्द्रनाथ मित्रको

आश्रम
साबरमती
११ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। यदि विद्यार्थी अपने आपको उन गरीब लोगोंके साथ अभिन्न बनाये रखना चाहते हैं, जिनके पैसेके बलपर वे सरकारी स्कूलों और कालेजोंमें पढ़ रहे हैं, तो मैं उन्हें यही सलाह दे सकता हूँ कि उन्हें मूल्य और परिणामका ध्यान किये बिना साहसपूर्वक खादी और कताईको अपना लेना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत शचीन्द्रनाथ मित्र
५/२ कान्तापुकुर लेन
बाग बाजार
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३६००) की माइक्रोफिल्मसे।

३६६. पत्र : देवचन्द पारेखको

११ मई, १९२८

भाई देवचन्द भाई,

भाई भगवानजी आये थे। उनका कहना है कि भाई रेवाशंकर और मनसुखभाईकी पत्नीके बीचके झगड़ेके लिए यदि पंच नियुक्त कर दिया जाये तो अच्छा हो। इसके लिए उन्होंने कृष्णलाल झवेरीका नाम सुझाया है अथवा जिसे भी आप नियुक्त करना चाहें। मुझे लगता है कि यह बात तो आप स्वीकार कर ही लेंगे।

बापूके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ५६९९) की फोटो-नकलसे।

३६७. पत्र : मीराबहनको

११ मई, १९२८

चि० मीरा,

मुझे खुशी है कि बुखारसे तुम्हारा पिण्ड छूट गया है। तुमको मजबूत बनना चाहिए; मुझे अपना वजन लिखकर भेजो। तुम वहाँ वल्लभभाईके अधिकारमें हो। अगर वे चाहें तो तुम वहाँ बनी रहकर जिस हदतक वे चाहें संघर्षमें भाग लो। अगर तुम्हें वहाँ, शुरूमें तय किये हुए कार्यक्रमसे ज्यादा ठहरना हो, तो तुम चाहे जब अपना सामान ले जानेके लिए आ सकती हो।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३०३) से।
सौजन्य : मीराबहन

३६८. पत्र : टी० बी० केशवरावको

आश्रम
साबरमती
१२ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। यदि मेरी मान्यताके अनुरूप भारतमें आदर्श दुग्धालय और चर्मालय जगह-जगह खुल जायें तो इससे अधिक प्रसन्नता मुझे किसी अन्य चीजसे नहीं होगी; पर दुर्भाग्यवश मैं वर्तमान गो-[रक्षा] समितियोंको भी अपने विचारोंके अनुरूप नहीं बना सका हूँ। हरएकको अलग-अलग और बार-बार पत्र लिखनेके बावजूद उन्होंने जवाब नहीं दिया है, यहाँ तक कि पूछी गई जानकारी भी मन्त्रीको नही भेजी है।

जैसा कि आप 'यंग इंडिया' में देख सकते हैं, आर्थिक सहायता भी कुछ खास नहीं मिली है। ठोस सहायता व्यक्तिगत मित्रोंसे ही मिली है, जन-साधारणसे नही। जो भी दान और सूत मिलता है उसका हिसाब समय-समयपर 'यंग इंडिया' में प्रकाशित किया जा रहा है। एकत्रित कोषसे आश्रममें स्थित चर्मालय और गोशाला दोनोंको आंशिक सहायता दी जाती है।

मेरे खयालसे इस पत्रमें आपके सब प्रश्नोंका जवाब आ गया होगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत टी० बी० केशवराव
प्राणिदया ज्ञानप्रसारक संघ
देवनगिरि, मैसूर राज्य

अंग्रेजी (एस० एन० १३२२३) की माइक्रोफिल्म तथा जी० एन० १६१ से।

३६९. पत्र : निरंजन सिंहको[1]

१२ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। पुस्तकमें से यदि कोई भी अंश न छोड़ा जाये, तो मुझे आपके 'सत्यके प्रयोग' ('माई एक्सपैरिमेन्ट्स विद ट्रूथ') का पंजाबी अनुवाद प्रकाशित करनेपर कोई आपत्ति नहीं होगी।

आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १३२१५) की माइक्रोफिल्मसे।

३७०. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

आश्रम
साबरमती
१२ मई, १९२८

प्रिय मोतीलालजी,

फिलहाल जो एक दिन भी मैं आश्रममें बिताता हूँ मेरे लिये बेशकीमती है; इसलिए मेरा विचार १६ के बजाय १७ को बम्बई पहुँचनेका है। जवाहर इससे पहले मेरे बम्बई पहुँचनेकी आशा नहीं कर रहा है। अपने तारमें आपने मुझे लिखा है कि आप १६ को दोपहर बाद बम्बई पहुँचेंगे। इसलिए यदि आप मुझे इस भारसे सर्वथा मुक्त नहीं कर देते तो जबतक आप यह न चाहें कि मैं १६ को ही बम्बई पहुँचूं, मैं वहाँ १७ को पहुँचनेकी सोच रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३२२४) की फोटो-नकलसे।

१. खाल्सा कालेज, अमृतसरमें रसायन-शास्त्रके प्राध्यापक।

३७१. पत्र: शंकरन्‌को

आश्रम
साबरमती
१२ मई, १९२८

प्रिय शंकरन्,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे खुशी है कि तुमने पत्र लिखा। पर तुम गलतीपर हो। मैं सबको मगनलाल जैसा नही बनाना चाहता। यह तो एक असम्भव काम होगा। परन्तु मैं आश्रमको ऐसा बनाना चाहता हूँ ताकि इसका प्रबन्ध आसानीसे हो सके। यदि आश्रममें सम्मिलित रसोई है तो वह सबके लिए सम्मिलित होनी चाहिए — क्या यह ठीक नहीं है? पर इस सम्बन्धमें भी मैं सर्वसाधारणकी सहमतिके बिना कुछ नहीं करूँगा। जो भी हो वर्तमान संविधानके अन्तर्गत, सिवाय प्रबन्ध मण्डलके जरिये, जिसमें पदाधिकारीके रूपमें मेरी कोई आवाज नहीं है, कुछ करवानेके अतिरिक्त मैं कुछ नही कर सकता। यह सही है कि अभी तक मेरी बात सभी लोग सुनते हैं। क्या ही अच्छा होता कि जब ये परिवर्तन किये जा रहे हैं, तुम यहाँ होते। पर तुम अपने काममें लगे हो। वह यहाँ होनेके समान ही है।

मैं तुम्हें तबतक बारडोली नहीं भेज सकता जबतक कि तुम्हारे बदले काम करने योग्य कोई व्यक्ति न मिल जाये; और वैसा अभी सम्भव नही है।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १३२२५) की माइक्रोफिल्मसे।

३७२. पत्र: लाजपतरायको

आश्रम
साबरमती
१२ मई, १९२८

प्रिय लालाजी,

आपका पत्र मिला। कृपया यह न सोचें कि "संरक्षण" शब्दका प्रयोग मैंने किसी बुरे अर्थमें किया है।[1] मैंने जो कहा है और मैं जो कहना चाहता हूँ उसे मैं फिरसे दुहरा दूँ। मैं नहीं चाहता कि आप खादी और खादी आन्दोलनके कोई दूरके ही प्रशंसक बने रहें। मैं चाहता हूँ कि आप उसी गहन विश्वासके साथ अपने हृदय और अपनी आत्मा सहित इसमें अपनेको लगा दें जिस प्रकार आपने अस्पृश्यता

१. देखिए 'पत्र: लाजपतरायको" २९-४-१९२८।

आन्दोलनमें अपने आपको लगा दिया है। आप अस्पृश्यता निवारणकी मात्र खूबियाँ गिनकर ही सन्तुष्ट नहीं है वरन् इस बुराईको दूर करनेमें अपनी महान शक्ति लगा रहे हैं और इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि आप समाचारपत्रोंमें छपनेवाली उस विरोधी आलोचनाकी प्रतीक्षामें न रुके रहें जो शायद की जायेगी; बल्कि आप उन लोगोंसे, जो विरोधमें उग्र आलोचना करनेवाले हैं, उनके विचार मालूम करें। अलवत्ता यह खादी सम्बन्धी साहित्य, विशेषकर ग्रेगकी किताब दोबारा गम्भीरतासे पढ़नेपर इसमें आपका विश्वास अटल होनेपर ही किया जाये। मैं जानता हूँ कि आप स्वास्थ्यके कारण तूफानी दौरा नहीं कर सकते, परन्तु आप जानते ही हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। और वह आप तभी दे सकते है जब आपके हृदयमें अटल विश्वास हो जाये।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३२२६) की फोटो-नकलसे।

३७२. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

आश्रम
साबरमती
१२ मई, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

मुझे खुशी है कि आपने अपनी खुराकका पूरा ब्यौरा लिख भेजा है। मैं यह सोचता हूँ कि आपको बेसन लेना छोड़ देना चाहिए। इसे पचाना आसान नहीं होता, विशेषकर तब जबकि वह तल दिया जाये। मैं समझता हूँ कि आप इसे प्रोटीनके खयालसे लेते हैं। आप अधिक सुपाच्य अन्न, गेहूँकी अच्छी तरह सिकी चपातियोंके या पाव रोटीके रूपमें सेवन क्यों न करें। मुझे लगता है कि आप पर्याप्त मात्रामें दूध नहीं ले रहे हैं। मेरे खयालसे एक कप दूध लगभग आठ औंस हुआ और यदि आप इतना दूध दो बार लेते है तो इसका मतलब हुआ कि आप कुल एक पौण्ड दूध लेते है। यह जैसा काम आप करते हैं, उसके लिए पर्याप्त नहीं है। आपको कमसे-कम दो पौण्ड दूध लेना चाहिए।

मुझे नहीं मालूम कि आपको चावलकी जरूरत है या नहीं है। यदि है तो आप अवश्य बड़ी खुशीसे लें। आपकी खुराकमें फलोंकी मात्रा बहुत कम है। कभी-कभी सन्तरा खानेसे ही काम नहीं चलेगा। हमारे लिये सामिष विटामिनकी जितनी आवश्यकता मानी जाती है उतनी ही निरामिष विटामिनकी भी है। और निरामिष विटामिन मुख्यतः ताजे फलों और ताजी सब्जियोंसे ही मिल सकते हैं। बिना पकी सब्जियाँ ताजे फलोंके समान उतनी आसानीसे नहीं पचती और किसी वस्तुको पकानेके साथ ही उसके कुछ न कुछ विटामिन नष्ट हो जाते है।

जल चिकित्सा — कटि-स्नान — कैसी चल रही है? मेरी रायमें उससे और जो भोजन मैंने आपको सुझाया है, उससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाना चाहिए। और यदि आप पर्याप्त भोजन और कभी-कभी उपवास करेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ होगा।

आपने जो कुछ बताया है, उसके अनुसार हमें निखिलके विछोहके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं उसे किसी अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सकके इलाजमें रखना चाहूँगा। जमनालालजीने बताया है कि आप कुछ दिन मेरे साथ बिताना चाहते हैं। सो तो आप चाहें जब कर सकते हैं। मैं निखिलको भी अपने पास रखना चाहूँगा और यदि उसकी मृत्यु होनी ही है तो यहाँ हो। परन्तु शायद यहाँका मौसम उसके और आपके लिए बहुत ही कष्टप्रद होगा।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १३२२७) की फोटो-नकलसे।

३७४. पत्र: घनश्यामदास बिड़लाको

१२ मई, १९२८

भाई घनश्यामदासजी,

आपका पत्र मीला है।

जमनालालजी यहां आये है। मैं उनसे व्यायामके बारेमें बातें करुंगा। उनको व्यायामकी आवश्यकता है।

आप कौनसे आसन करते है? मेरा स्वास्थ्य ठीक कहा जाय।

सतीशबाबुको जो सहाय देना शक्य है दी जाय तो अच्छा है। बड़े त्यागी और निर्मल है।

आपका,

मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ६१६७ से।
सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला

३७५. पत्र : भगवानजीको

१२ मई, १९२८

भाईश्री भगवानजी,

मैंने देवचन्द भाईको तो पत्र[1] लिखा ही है।

ईश्वर सम्बन्धी आपका लेख सँभाल कर रख लिया है। यही आशा करता हूँ कि किसी दिन तो उसके विषयमें लिख सकूँगा।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ५८११) की फोटो-नकलसे।

३७६. तपका उद्यापन

एक सज्जन लिखते हैं:[2]

इतनी हिम्मत दिखाने और बुरी रूढ़िका त्याग करनेके लिए मैं इन मित्रको बधाई देता हूँ। इस मिसालकी नकल दूसरे जैन, वैष्णव वगैरा करें, तो देशमें होनेवाले लोकसेवाके कामोंको मदद मिले और धर्मके नामपर जो भोग भोगे जाते हैं वे कुछ कम हों।

हमारा मन भोगोंमें इतना ज्यादा फँसा रहता है कि हम शुद्धसे-शुद्ध चीजको भी भोगका बहाना बना लेते हैं। उपवास वगैराका आध्यात्मिक फल छोड़कर हम उसके जरिये बड़प्पन कमानेमें लग जाते हैं और उसे बादमें कई तरहका भोजन उड़ानेका साधन बना देते हैं।

असलमें तो जो लोग तप वगैरा करते हैं, उनका धर्म है कि उसका ढिंढोरा न पीटें-पिटवायें और उसके लिए घमण्ड न करें। सगे-सम्बन्धी ऐसे तपका अच्छा उपयोग करना चाहें, तो उसके सिलसिलेमें छिपे तौरपर तटस्थ भावसे उपयोगी दान करें।

इन मित्रके पत्रमें एक दूसरी बातका भी जिक्र है। अनाथालय, बाल-आश्रम वगैरा संस्थाएँ ऐसे मौकेपर मिठाई खानेके लिए दानकी आशा रखती हैं। यह शोचनीय है। अनाथोंको आश्रम कायम करके सनाथ बनना चाहिए। और उन्हें सनाथ बनाना हो तो भीखमें मिला खाना उन्हें कभी न खिलाना चाहिए। अनाथालय चलानेके लिए अच्छा दान प्राप्त करना एक बात है; उनमें रहनेवाले अनाथोंको दानी

१. देखिए "पत्र : देवचन्द पारेखको", ११-५-१९२८।

२. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें व्रतके उद्यापनके अवसरपर लोगोंको भोज देने आदिके बजाय गांधीजीको रचनात्मक कामोंमें खर्च करनेके लिए कुछ रकम भेजनेका निश्चय सूचित किया गया था तथा उन्होंने गांधीजीको इस प्रकार बचाकर रु० २०१ भेजे थे।

लोग अपनी मरजीका खाना खिलायें, वह दूसरी बात है। एकमें संस्थाको चलानेकी मंशा है, दूसरीमें अनाथोंका अपमान होता है। फिर, इस तरह भोजन मंजूर करनेवाली संस्था उसमें रहनेवालोकी तन्दुरुस्तीको जोखिममें डालती है और उन्हें चटोरे बनाकर उनकी जिन्दगी बिगाड़ती है। इसलिए अगर इस तरहकी संस्थाएँ भोजनके बजाय दान ही लेनेका आग्रह रखें और दानी लोग भोजनके रूपमें दान न देनेका आग्रह रखें, तो वे प्रजाकी भलाईके भागीदार बनेंगे।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १३-५-१९२८

३७७. बारडोलीका यज्ञ

बारडोलीमें जो यज्ञ चल रहा है, उसके सम्बन्धमें वल्लभभाईने अब तक कोई आर्थिक मदद नहीं माँगी थी। किन्तु अब माँगनेका अवसर आ गया है। श्री रविशंकर और श्री चिनाई जैसे सत्याग्रहके सिपाही कैदमें जा बैठे हैं। दूसरे भी जायेंगे। जाना ही होगा। लोगोंमें अगर जीवट होगा और सरकार अपना हठ अन्त तक न छोड़ेगी तो एक भी सेवक कैदके बाहर न रहेगा और प्रजाका एक भी व्यक्ति माल-मिल्कियतवाला या कैदके बाहर न बच रहेगा। सभी लड़ाइयाँ अमुक हदतक एक सरीखी ही होती हैं, फिर वे चाहे पशुबलकी हों या आत्मबलकी। दोनोंमें कष्ट तो सहना ही होता है। यूरोपके महायुद्धमें दोनों पक्षोंके लोगोंकी दुर्दशा हुई। दोनों पक्षोंके सिपाहियोंने अपनी जान गँवाई। जर्मनीके असंख्य आदमी बेघरबार हो गये। किन्तु सत्याग्रह और पशुबलका साम्य यहीं खत्म हो जाता है। सत्याग्रही आप ही नष्ट होता है। वह विरोधीका सर्वनाश करनेके क्षणिक आनन्दका जानबूझकर त्याग करता है और अपने त्यागमें ही रस लूटता है। इसलिए सत्याग्रहकी लड़ाईको यज्ञ कहेंगे। उसमें आत्मशुद्धि है।

इस यज्ञमें आज तक आर्थिक मदद मुख्यतः बारडोलीसे ही मिलती रही है। बाहरसे जिन्होंने स्वेच्छासे कोई मदद भेजी है, वह स्वीकार की गई है। अब ऐसा करना शक्तिसे बाहर कहा जायेगा। बारडोलीके लोगोंके पास कल न घर, न बार, न खेत होगा और न ढोर ही होंगे। ऐसी स्थितिमें बाहरकी मदद माँगनेका अधिकार वल्लभभाईको है। वल्लभभाईकी भिक्षाकी पुकार सभी कोई सुनें और जिन्हें बारडोलीकी लड़ाई पसन्द है, जो उसमें शुद्धि और वीरता देखते हैं, वे यथाशक्ति अपना भाग चुकायें।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १३-५-१९२८

३७८. प्राथमिक शिक्षा – १

गुजरात विद्यापीठका एक उद्देश्य यह है कि उसका मुख्य काम देहातकी शिक्षाके बारेमें होना चाहिए, और आजकल ज्यादातर देहाती शिक्षाका मतलब प्राथमिक शिक्षा ही होता है। इस विद्यापीठका काम क्लर्क तैयार करना नही, बल्कि ग्रामसेवक तैयार करना है। विद्यापीठको अगर शहरके पास रहना है और शहरका रवैया बदला जा सकता हो, तो उसे बदलनेमें हाथ बँटाना उसका काम है। यानी आज शहर जो गाँवोकी बरबादीपर आबाद होते जा रहे है, उसके बजाय गाँवोकी सेवामें लगें।

ऐसा होना सम्भव हो या न हो, फिर भी विद्यापीठको शहरोमें जितने युवक और युवतियाँ इस खयालके बनाये जा सकते हो, बनाने चाहिए।

इसलिए प्राथमिक शिक्षाका विचार अलग-अलग तरहसे किया जाना जरूरी है।

इस लेखमें तो मै एक ही विचारकी छानबीन कर लेना चाहता हूँ। बहुत बरसोंके मनन और कुछ प्रयोगोंके बाद मै इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि प्राथमिक शिक्षा कमसे-कम एक साल बगैर किताबोके ही दी जानी चाहिए, और उसके बाद भी विद्यार्थियोमें कमसे-कम पुस्तकोका उपयोग होना चाहिए।

बारहखड़ीको सीखते-सीखते और ककहरा रटते-रटते बच्चेकी दूसरी इन्द्रियोका विकास रुक जाता है और उनकी बुद्धि खिलनेके बजाय कुण्ठित हो जाती है। बच्चा पैदा होते ही ज्ञान लेने लगता है, पर ज्यादातर आँखो और कानोसे। बोलना प्रारम्भ करते ही उसे भाषाकी जानकारी होने लगती है। इसीलिए जैसे माँ-बाप होते है, वैसा ही बच्चा हो जाता है। अगर माँ-बाप सस्कारी होते है, बच्चा शुद्ध उच्चारण करता है, और घरमें होनेवाले शुद्ध आचरणकी नकल करता है। यही उसकी सच्ची शिक्षा है। और अगर हमारी सम्यता छिन्न-भिन्न न हो गई होती, तो बच्चे अच्छीसे-अच्छी तालीम अपने घरोमें ही पाते होते।

इस वक्त हमारे लिये यह शुभ अवसर नही है। बच्चोको पाठशाला भेजनेके सिवा कोई चारा नही।

परन्तु बच्चा पाठशाला जाये, तो उसे पाठशाला घर जैसी लगनी चाहिए, और शिक्षक माँ-बापकी तरह मालूम होने चाहिए। शिक्षा भी वैसी होनी चाहिए, जैसी एक सभ्य घरमें दी जानी चाहिए। यानी बच्चोको शुरूका ज्ञान शिक्षकोकी जबानी मिलना चाहिए। और इस तरह शिक्षा पानेवाला बच्चा कानो और आँखोके जरिये जितना ज्ञान एक सालमें पाता है, उतने ही अर्सेमें ककहरेसे मिले हुए ज्ञानसे दस गुना ज्यादा होगा।

मामूली इतिहास-भूगोलकी जानकारी बालक हँसी-हँसीमें और कहानीके रूपमें पहले सालमें पा लेगा। कितनी ही कविताएँ वह शुद्ध उच्चारणके साथ जबानी याद कर लेगा। अंक उसने अपने आप ही कण्ठस्थ कर लिये होंगे। और बालकपर अक्षर

पहचाननेका बोझा न पड़नेके कारण उसका मन मुरझाना बन्द हो जायेगा और उसकी आँखका दुरुपयोग रुक जायेगा।

बच्चेके हाथका उपयोग स्लेटपर आड़े-टेढ़े अक्षर लिखने और अक्षरोंके मुश्किल नाम समझानेके बजाय भूमितिकी रेखाएँ खींचनेमें और चित्र बनानेमें होगा। यह हाथकी सच्ची प्राथमिक शिक्षा है।

अगर हम गुजरातके और हिन्दुस्तानके करोड़ों बच्चोंको शिक्षा देना चाहते हों, तो प्राथमिक शिक्षा और किसी तरह दी ही नहीं जा सकती।

करोड़ो बच्चोंको किताबें दे सकना इस देशके लिए आजकी हालतमें लगभग नामुमकिन चीज है। मैं स्वीकार करता हूँ कि प्राथमिक शिक्षाके लिए अगर बच्चोंको पुस्तकें देना जरूरी ही हो, तो कितना भी खर्च क्यों न हो, पुस्तकें देनेकी कोशिश जरूर होनी चाहिए। लेकिन जब ये किताबें अनावश्यक और नुकसान पहुँचानेवाली समझी जायें, तब इस व्यावहारिक दलीलको काममें लिया जा सकता है। जो चीज नैतिक दृष्टिसे अनावश्यक और नुकसानदेह है, वह व्यावहारिक दृष्टिसे भी न करने लायक है। शुद्ध सभ्यतामें नीति और व्यवहार विरोधी चीजें न हैं, न होनी चाहिए।

यह साफ है कि मौजूदा पाठशालाओंके शिक्षकोंके द्वारा ऐसी शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये शिक्षकगण मारपीट कर बारहखड़ी भले सिखा दें, शायद कुछ अंक भी सिखा दें। पर जिस साधारण ज्ञान, की मैंने बच्चोंको पहले वर्षमें मिलनेकी कल्पना की है वह तो स्वयं बेचारे शिक्षकको ही नहीं होता। वह खुद ही शुद्ध भाषा बोलना नहीं जानता, तो बच्चे क्या सीखेंगे?

इसका विचार हम दूसरे भागमें करेंगे।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १३-५-१९२८

३७९. पत्र : पी० वी० कर्मचन्दानीको

आश्रम
साबरमती
१३ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

आपके कृपा पत्रके लिए धन्यवाद। मैंने रेडियमके इलाजके बारेमें सुना है।[1]

आपके पास जो बोतलें है उन्हें भेजनेके आपके प्रस्तावके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। परन्तु मैं आपके इस प्रस्तावका लाभ नहीं उठाऊँगा, क्योंकि दवाई न

१. पी० वी० कर्मचन्दानीने गांधीजीको रक्तचापके इलाजके लिए रेडियम क्लोराइडके इलाजकी सलाह दी थी।

खानेके अपने निश्चयके अलावा मुझे वैसे भी यह लगता है कि आजकल मैं रक्तचापसे पीडित नही हूँ।

हृदयसे आपका,

कैप्टेन पी० वी० कर्मचन्दानी, आई० एम० एस०
इंडियन मिलिटरी हास्पिटल
पिशिन
बलूचिस्तान

अंग्रेजी (एस० एन० १३२२८) की फोटो-नकलसे।

३८०. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

रविवार, १३ मई, १९२८

चि० शान्तिकुमार,

तुम्हें बिना माँगे ही आशीर्वाद भेज रहा हूँ। तुम खूब जियो और खूब सेवा करो। सुमतिने तुम्हे वर्षगाँठके दिन क्या भेंट दी है? क्या वह रोज कातती है? निरन्तर खादी पहनती है? निरन्तर दरिद्रनारायणका विचार करती है? यदि प्रत्येक वर्षगाँठ पर वह तुम्हें ऐसे ही उपहार दे, तो तुम दोनोका कल्याण हो और दरिद्र-नारायणका बेडा भी पार लग जाये।

तुम्हारे चेकका उपयोग तुम्हारी इच्छानुसार करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७०४)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : शान्तिकुमार मोरारजी

३८१. पत्र : लॉर्ड इर्विनको

साबरमती
१६ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

मेरे दुःखके अवसर पर आपने जो पत्र लिखा है, उसकी मै हृदयसे कद्र करता हूँ। मुझे याद आया कि पिछले साल नडियादमें मगनलाल गाधीसे आपकी भेंट कराई गई थी।

मैं हूँ,
परमश्रेष्ठका विश्वस्त मित्र,
मो० क० गांधी

परमश्रेष्ठ वाइसराय

अंग्रेजी (एस० एन० १३३८६) की फोटो-नकलसे।

३८२. सवाल तो यह है

बारडोली संग्राम मजेमें चल रहा है। जिस तेजीसे जब्तीके नोटिस तामील किये जा रहे हैं, उससे तो कुछ ही दिनोंमें साराका सारा बारडोली ताल्लुका सरकारके हाथोंमें चला जाना चाहिए और तब सरकार अपने बेशकीमती लगानसे हजार गुना अधिक वसूल कर लेगी। बारडोलीके लोग अगर बहादुर हैं तो खेती-बाड़ीकी बेदखलीसे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनकी सम्पत्ति जाती रहेगी मगर उनके पास बच जायेगी उनकी इज्जत, जो हरएक भले स्त्री और पुरुषको प्राणोंसे भी प्यारी होनी चाहिए। जिनके मन दृढ़ है, जिनके हाथोंमें बल है, उन्हें धन-सम्पत्तिकी हानिसे कभी नहीं डरना चाहिए।

मगर जब्तीके नोटिस जब कामयाब न हुए तो सरकारने कार्यकर्त्ताओंको जेलोंमें ठूसना भी शुरू किया है। पंजाब मार्शल लॉ के दिनोंमें जैसे मुकदमे चलानेके मखौल देखनेमें आये थे, आजकल वैसे ही नकली मुकदमे चलाये जा रहे हैं। प्रोसिक्यूटर साहबने सजा देनेकी माँग की और उन्हें खुश करनेमें प्रयत्नशील स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब तुरन्त ही ऐसी सजाएँ दे देते हैं जिससे किसीको फिर वैसा करनेका साहस न हो। सभीको सख्त कैदकी ही सजा दी जाती है। इनसे भी बेदखलीकी तरह स्वेच्छापूर्वक कष्ट सहनेवालोंका भला ही होगा। स्वेच्छापूर्वक कष्ट सहनेवालेको कष्टसे कभी नुकसान नहीं पहुँचता है।

मगर जो बात दिलमें खटकती है वह है अफसरोंकी बेईमानी और उनकी अपमानजनक उद्धतता। गुजरातके उत्तरी खण्डके आयुक्तने एक आदमीको पत्र लिखा है जिसमें अपमानजनक लाछन और झूठी बातें भरी पड़ी हैं।

यह कहना सरासर झूठा लांछन लगाना है कि यह आन्दोलन खेड़ाके आन्दोलन-कारियोंका शुरू किया हुआ है। यह आन्दोलन तो खुद बारडोलीवालोंने ही अपनी प्रेरणासे आप शुरू किया था। उन्होंने केवल एक आदमीकी मदद और सलाह ली थी। और वे थे श्रीयुत वल्लभभाई पटेल, जिनको मेरा खयाल है कि आयुक्त थोड़ा बहुत जानते हैं। यह तो पाठक ही निर्णय करें कि सचमुच उन्हें उसी अर्थमें आन्दोलक कहा जा सकता है या नहीं जिस अर्थमें आयुक्तने कहना चाहा है।

यह कहना झूठ है कि सरकारी अफसरोंके पीछे खुफिया दूत लगे रहते हैं, या वे जहाँ जाते हैं, उनके आसपास हुल्लड़ मच जाता है या अन्य ढंगोंसे उनका अपमान किया जाता है।

कार्यकर्त्ताओंका वर्णन इस प्रकार किया गया है: "यह तो आन्दोलनकारियोंका एक गिरोह है जो बारडोलीवालोंकी मदद पर ही जीता है और जो उनको गलत राहपर ले जाता है।" यह ऐसा अपमान है कि यदि राष्ट्रके दिन अच्छे होते और राष्ट्रको अपनी शक्तिका भान होता, तो आयुक्तको माफी माँगने पर लाचार किया जाता। उनको मालूम होना चाहिए कि गुस्से और शक्तिके मदमें वह जिन्हें "आन्दोलनकारियोंका

गिरोह" कहते हैं, वे राष्ट्रके सम्माननीय सेवक हैं जो काफी त्याग करके बारडोलीकी सेवा मुफ्तमें कर रहे है। इन लोगोंमें वल्लभभाईके अलावा, जो खुद बैरिस्टर है, वयोवृद्ध अब्बास तैयबजी है, वे भी एक बैरिस्टर है और बड़ौदा रियासतके प्रधान न्यायाधीश रह चुके है, इमाम साहब बावजीर हैं, जो तकरीबन एक फकीर ही हैं, और जिन्हें अपनी रोटियोंके लिए बारडोलीसे कुछ लेनेकी जरूरत नहीं है, और है डाक्टर सुमन्त मेहता और उन्हीके समान उनकी सुसंस्कृत पत्नी। डाक्टर सुमन्त मेहता जो पिछले काफी अर्सेसे बीमार रहते हैं, अपने स्वास्थ्यको खतरेमें डालकर बारडोली गये है। इन चारोमें से खेड़ाका कोई नही है। फिर है ढासाके दरबार साहब चन्दूलाल और उनकी बहादुर पत्नी भक्ति बा, जिन्होंने देशके लिए अपनी रियासतका बलिदान किया है। ये लोग बारेडालीके लोगोपर नही जीते। इनके अलावा और लोगोंमें डाक्टर चन्दूलाल और त्रिभुवनदास हैं; वे भी खेड़ाके नही है। फिर फूलचन्द शाह उनकी पत्नी तथा उनके योग्य सहायक शिवानंद (जो जेल भेजे जा चुके है) के नाम जोड़ दीजिए। इनमें भी खेड़ाका कोई नही है और ये कई वर्षोंसे शान्तिपूर्ण सेवामें लगे हुए है। यह तो बारडोलीकी करुण पुकार है, जो इन लोगोको तथा दूसरोको, जिनके नाम मैं गिना सकता हूँ, वहाँ खीच लाई है। अगर आयुक्तको अपनी इज्जतका जरा भी खयाल है तो वह इन महिलाओ और भद्र पुरुषोंसे अपने आप क्षमा माँगेंगे। इतने अधिक कार्यकर्त्ताओंके बीच, सच पूछो तो खेड़ाके कार्यकर्त्ता दालमें नमकके बराबर भी नही है।

आयुक्तने बड़ी शानसे बम्बई कौन्सिलके विरुद्ध मतको प्रकाशित किया है, और बड़ी सफाईसे स्वार्थवश कौंसिलके पहले दो प्रस्तावोका जिक्र किया है। वे प्रस्ताव सरकारके विरुद्ध थे और सरकारने उन्हें इतना हेय माना था कि उनपर विचार करनेकी भी, या उनका जिक्र करनेकी भी जरूरत नही समझी थी।

आयुक्तने कामकी इस महत्वपूर्ण बातको छिपाया है, दबाया है कि सत्याग्रह शुरू करनके पहले, बारडोलीके किसानोने वे सभी उपाय काममें लाकर देख लिये थे, जिन्हें वैध कहते हैं; किन्तु उनसे उनकी शिकायत दूर न हुई बल्कि वे बिल्कुल असफल रहे।

आयुक्तका यह कहना लोगोंकी आँखोमें धूल झोंकना है कि अगर दुखद अनुभवोके बाद बारडोलीके लोग सत्याग्रह बन्द कर दें तो वे उन गाँवोंके मामलेकी जाँच बखुशी करेंगे, जिनके वर्गीकरणमें भूल मालूम पड़ेगी। वह इस सत्यको छिपाते है कि विचारणीय प्रश्न यह नही है कि इस गाँव या उस गाँवके वर्गीकरणमें भूल है या नही, बल्कि बात तो यह है कि लगान निश्चित करनेका सारा तरीका ही स्पष्टतः गलत है। और बारडोलीवाले इस बातपर अडे हुए नही है कि उनका ही दावा सही है, बल्कि वे एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरणकी माँग करते है, जो उनकी शिकायतकी न्यायताकी जाँच करे। न्यायाधिकरणका जो कुछ भी फैसला होगा वे उसे माननेको तैयार है। यहाँ लगान देनेसे जी चुरानेका सवाल ही नही है, व्यक्तिगत शिकायतें दूर करनेका सवाल ही नही है। सवाल तो यहाँ सिद्धान्तका है। बारडोलीवाले तो सरकारके इस हकको माननेसे इनकार करते है कि वह जब

चाहे, बिना यथोचित जाँचके लगानमें कुछ भी बढ़ती कर सकती है। मैं यह भी कह दूँ कि यह आन्दोलन किसी राजनीतिक उद्देश्यके लिए किया गया लगान बंदीका आन्दोलन नहीं है। यह आन्दोलन एक ऐसी स्पष्ट निर्धारित शिकायतके विरुद्ध है, जिसका एक ताल्लुकेके सभी लोगों पर असर पड़ता है।

इसलिए आयुक्तका यह कहना शेखी और झूठकी हद है कि:

> मुझसे अधिक इस बातके लिए कोई और चिन्तित नहीं है कि गरीब किसानोंको, उनपर जोतनेवाले आन्दोलनकारियोंका गिरोह गलत रास्ते ले जाकर उनका सर्वनाश न करा दे।
>
> खेड़ा जिलेमें पाँच ताल्लुके हैं जहाँसे ये आन्दोलनकारी आते हैं। बाढ़के कारण वहाँके लगानमें रद्दोबदल दो वर्षोंके लिए मुल्तवी कर दिया गया है। पिछले ७–८ महीनोंमें सरकारने बाढ़ संकट-निवारणके लिए खेड़ा जिलेमें कोई ५० लाख तकका तकावी कर्ज दिया है। अगर इन आन्दोलनकारियोंको बारडोलीमें सफलता मिल गई तो खेड़ा जिलेमें लगान और तकावीका वसूल होना खतरेमें पड़ जायेगा।

अगर आन्दोलनकारियोंको सफलता मिली तो खेडाका तकावी कर्ज वसूल होना खतरेमें नहीं पड़ेगा। अगर कर्ज लेनेवालोंने उसे लौटानेमें आनाकानी की तो सरकार देखेगी कि आन्दोलनकारियोंके मुखिया वल्लभभाई पटेल उसके अवैतनिक पटवारी बनकर कर्ज वसूल करते फिरेंगे। आन्दोलनकारियोंकी सफलतासे यह अवश्य होगा कि सरकारी अफसरोंको सम्मानित लोक-सेवकोंका अपमान करनेका साहस न होगा, झूठी बातें कहनेकी हिम्मत न होगी, जैसी कि हिम्मत गुजरातके उत्तरी खण्डके आयुक्तने दिखलाई है; और लोग, बारडोलीके बारेमें जिस अत्यन्त अनुचित और अन्यायपूर्ण लगान लगाये जानेकी बात कही जा रही हैं, वैसे लगानसे राहत पा सकेंगे।

जनतासे भी एक बात कहनी है। सरकारने अपनी बुद्धिमानीसे, और इस बातपर जोर देनेके लिए कि शासनकी सफलता प्रजामें फूट डालनेपर निर्भर है, बारडोली जैसे हिन्दू-बहुल प्रदेशमें मुसलमान अफसरों और पठानोंको ला बुलाया है। बतौर सत्याग्रहीके, लोग चाहें तो सहज ही सरकारको मात दे सकते हैं। वे अफसरों और पठानोंके साथ मित्रताका बरताव करें। वे उनपर न तो अविश्वास करें, न उनसे जरा भी डरें और न उन्हें तकलीफ पहुँचायें। अफसर तो हमारे देशबन्धु हैं और पठान पड़ोसी हैं। शीघ्र ही सरकार अपनी भूल देख लेगी और जान जायेगी कि हिन्दुओंकी इज्जत मुसलमानोंको भी वैसी ही प्यारी है जैसी मुसलमानोंकी हिन्दुओंको बारडोलीवालोंको यह बात कार्यरूपमें व्यक्त कर दिखानेका अवसर मिला है। वे सत्याग्रहके उस नियमकी सफलताको सिद्ध करें जो कि प्रेमका नियम है, जो एक स्वेच्छाचारी आयुक्तके पाषाण हृदयको भी पिघला सकता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १७-५-१९२८

३८३. दलित-वर्ग और बाघात रियासत

आखिर गत ५ तारीखको बाघात रियासतके राणा साहबने आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाबकी ओरसे जो शिष्टमण्डल उनसे मिलनेके लिए गया था उससे भेंट की और आर्यसमाज द्वारा शुद्ध किये कोलियोंके यज्ञोपवीत धारण करनेके मामलेमें रियासतके व्यवहारसे पैदा हुई स्थितिपर चर्चा की। इस शिष्ट मण्डलमें राय साहब लाला गंगाराम, पंडित चमूपति, एम० ए०, लुधियानाके दीवान रामशरणदास, पण्डित धर्मवीर वेदालंकार और शिमलाके एडवोकेट लाला शकरनाथ शामिल थे।

शिष्टमण्डलको, भेंटके दौरान जो कुछ हुआ उसके बारेमें निम्नलिखित बयान देनेकी इजाजत मिली है:

> शिष्टमण्डलके सदस्योंने राणा साहबको सौहार्दपूर्ण अतिथिसत्कारके लिए धन्यवाद दिया और प्रस्तुत प्रश्नके सम्बन्धमें शास्त्रोंकी तथा आर्य प्रतिनिधि सभाकी स्थिति स्पष्ट की। राणा साहबने मण्डलकी बात धैर्यसे सुनी तथा उसे यकीन दिलाया कि उनकी रियासतमें सभी सुस्थापित धार्मिक समाजोंको धर्म-प्रचारकी पूरी स्वतन्त्रता है। मण्डलने उनका ज्ञापन शिष्टतासे सुननेके लिए तथा उत्साहवर्धक जवाब देनेके लिए राणा साहबको धन्यवाद दिया और उनसे विदा ली।

इस संयुक्त बयानमें अत्यधिक सतर्कता तथा राज्यकी भीरुताकी झलक दिखलाई पडती है। दलितोंके प्रति किये गये अन्याय तथा एक महान् धार्मिक संस्थाके अपमानको साफ तौरपर स्वीकार करनेसे रियासतकी इज्जत जनताके मनमें बहुत बढ जाती। खैर थोडा-बहुत जो भी हुआ उसीके लिए धन्यवाद देना चाहिए। अगर राणा साहबकी प्रतिज्ञाका पूर्ण पालन हुआ तो अन्याय और अपमानकी बातको लोग भूल जायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १७-५-१९२८

३८४. मगनलाल गांधी स्मारक

अ० भा० च० संघकी कौंसिलने अपनी १२ ता० की बैठकमें यह प्रस्ताव स्वीकार किया है :

> यह कौंसिल निश्चय करती है कि स्व० श्रीयुत मगनलाल गांधीकी स्मृतिमें एक खादी-संग्रहालय बनाया जाये। उसके लिए एक लाख रुपयोंकी अपील की जाये। कौंसिल यह निर्णय करेगी कि स्मारक कहाँ बनाया जाये तथा उसकी व्यवस्था किस तरह की जाये।

मेरे पास भारतवर्षमें दूर-दूरसे तथा, सुदूर दक्षिण आफ्रिकासे जो संवेदना सन्देश आये हैं, उनसे विदित होता है कि मगनलालका लोगोंके हृदयमें क्या स्थान था। उनके जैसे सज्जन, लोकप्रिय और चुपचाप काम करनेवाले कार्यकर्त्ताका स्मारक बनाना उचित ही है। खूब सोच विचारके बाद अ० भा० च० संघकी कौसिलने निश्चय किया कि उनका इससे अच्छा स्मारक कोई दूसरा नहीं हो सकता कि किसी उपयुक्त स्थान पर एक खादी-संग्रहालय खोला जाये। संग्रहालय खोलनेकी कल्पना तो मगनलालकी ही थी और उन्होंने अपने स्वभावके अनुसार सत्याग्रह आश्रमके एक कमरेमें छोटा-सा संग्रहालय बनाया भी था। किन्तु खादीने जो उन्नति की है, उसे देखते हुए हमें उसके लिए एक स्थायी और बड़े मकानकी और वहाँ वस्तुओंका ऐसा संग्रह करनेकी जरूरत है, जो दिवंगतकी प्रतिष्ठाके अनुरूप हो। ऐसा संग्रहालय एक लाख रुपयोंसे कममें बन ही नहीं सकता। इसलिए संघने कमसे-कम एक लाख रुपयोंकी रकम निश्चित की है। गम्भीर अध्ययन और शिक्षणके लिए जो खादी संग्रहालय बनाया जाये, उसके विस्तारकी कोई सीमा नहीं हो सकती। एक लाख रुपयोंसे कौंसिल केवल बहुत मामूली, मगर काफी अच्छी शुरुआत कर सकने तथा स्वर्गीय व्यक्तिकी कल्पनाको स्थायी रूप दे सकने भरकी आशा रखती है। जनता जैसी सहायता दे, उसके अनुसार संग्रहालयमें कपासकी खेती पहले जमानेमें किस तरह होती थी और आजकल किस तरह होती है, इससे सम्बन्धित तमाम किताबें रखी जा सकती हैं, पुराने जमानेकी तथा आजकलकी अच्छीसे-अच्छी, महीनसे-महीन तथा मोटीसे-मोटी खादीके नमूने रखे जा सकते हैं, और धुनकी, ओटनी, चरखे तथा करघेके पुरानेसे-पुराने तथा नएसे-नए नमूने रखे जा सकते हैं। संग्रहालयके साथ ही थोडी जमीन रखी जा सकती है, जिसमें कपासकी खेतीके प्रयोग किये जायें। इन प्रयोगोंमें हमारी दृष्टि कपासकी खेतीसे गरीब गाँववालोंको लाभ पहुँचानेकी होगी; दुनियाके बाजारसे या शोषण-कुशल धनी व्यापारियोंको लाभ पहुँचानेसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। सत्याग्रह आश्रममें स्वर्गीय मगनलाल ऐसे प्रयोग कर रहे थे। आश्रमकी यह कपास कतैयोंके बीच बहुत प्रिय हो गई है। मिलोंके उपयोगमें आनेवाली कपासको बहुत ज्यादा दबा दिया जाता है जिससे वह कमजोर हो जाती है। घरकी खेतीकी कपासमें इस

क्रियाकी जरूरत नहीं होती और उसे सावधानीसे चुना जाता है, अतः उसे धुननेमें कही ज्यादा आराम और वक्तकी बचत होती है तथा कतैया मजबूत सूत कात पाता है। अगर दाताओंने उदारता दिखलाई और कौंसिल द्वारा निश्चित इस न्यूनतम रकमसे ज्यादा रकम जमा हो सकी तो प्रस्तावित संग्रहालयमें ये सब तथा और कई तरहके काम हो सकते हैं।

इस योजनाको अ० भा० च० संघ अमलमें लायेगा, जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़नेवाली संस्था है और जिसमें ऐसे लोग है जो ठोस और रचनात्मक कार्य करनेके लिए कमर कसे हुए हैं।

यह अभी तय नही हो पाया है कि संग्रहालय कहाँ बनाया जायेगा, क्योंकि कौंसिलके सामने कई एक स्थानोंके नाम है। जैसा कि स्वाभाविक है, साबरमतीका नाम सबसे पहले ध्यानमें आता है। और बाकी चीजोको ध्यानमें रखते हुए यदि साबरमती ही सबसे अधिक उपयुक्त स्थान लगा तो बेशक कौंसिल इस स्थानको ही चुनेगी। कौंसिलकी इच्छा है कि स्वर्गीय मगनलाल भाईकी तरह ही उनके स्मारक संग्रहालयमें भी कामकाजकी दृष्टि ही प्रधान हो। इसलिए कौंसिलके सामने स्थानके चुनावमें किसी किस्मकी गलत भावनाका कोई महत्व नही होगा।

सभी दानोकी प्राप्ति-स्वीकृति इस पत्रमें छापी जायेगी। दान श्रीयुत शकरलाल बेंकर, मन्त्री अ० भा० च० संघ, मिर्जापुर, अहमदाबाद या श्रीयुत सेठ जमनालाल बजाज, ३९५ कालबादेवी रोड, बम्बई या व्यवस्थापक सत्याग्रह आश्रम, साबरमतीके नाम भेजे जा सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १७-५-१९२८

३८५. हैदराबाद राज्यमें खादी

यह खुशीकी बात है कि भारतीय राजा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्थामें खादीका स्थान स्वीकार करने लगे हैं। इस पक्तिमें सबसे नया आनेवाला राज्य हैदराबाद है। इस राज्यके उद्योग-विभागने अभी हालमें अपना एक निरीक्षक सत्याग्रह आश्रममें खादीकी कलाका अध्ययन करनेके लिए भेजा है और उसके साथ विभिन्न प्रक्रिया सीखने के लिए दो युवक भी भेजे हैं। आश्रमका जलवायु और सम्भवतः आश्रमका रहन-सहन उनके अनुकूल नही था। इसलिए ये युवक अपने पाठ्यक्रमको समाप्त नही कर सके हैं। मुख्य बात यह है कि काम आरम्भ कर दिया गया है। निरीक्षक मौलवी मुहम्मद अलीमें बहुत उत्साह था और ऐसा लगता था कि चरखेके महत्वको उन्होने अब जितना समझा है उतना पहले कभी नहीं समझा था। मुझे आशा है कि राज्यका उद्योग-विभाग अ० भा० च० संघके तकनीकी विभागसे सम्पर्क बनाये रखेगा और हैदराबादमें मैसूरकी तरह चरखेके कामकी सुनियोजित ढंगसे व्यवस्था करेगा। मैसूरमें उस दिन राज्यके दीवान मिर्जा मुहम्मद इस्माइलने दलित वर्गोमें खादीका जो कार्य

किया जा रहा है उसका स्वयं निरीक्षण किया था। श्री पुजारी, जिन्होंने दीवान साहबके साथ रहकर उन्हें यह सारा कार्य दिखाया था, कहते हैं कि दीवानने कामकी प्रशंसा की और इस बातको महसूस किया कि चरखेसे किसानोंको सहायक धन्धा तो मिलता ही है, इसके अलावा उससे दलित वर्गोंका पर्याप्त उत्थान भी होता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १७-५-१९२८

३८६. भारतके सम्बन्धमें सत्य: कुमारी मेयोको उत्तर

नीचे दिया जा रहा लेख और इसी मालाके जो अन्य लेख यहाँ बादमें दिये जायेंगे, उन्हें इस पत्रमें छापते हुए मुझे खेद ही नहीं, निश्चय ही संकोच भी हो रहा है। मुझे लगता है कि कुमारी मेयोको जरूरतसे ज्यादा जवाब दिये गये हैं, यदि मुझे यह विश्वास होता कि कुमारी मेयोकी इस निन्दापरक पुस्तकके पाठक, इस पुस्तकके खण्डनमें जो-कुछ प्रकाशित हो चुका है और अभी हो रहा है, उसे पढ़ते हैं तो मुझे दीनबन्धु एण्ड्रयूजका उत्तर[1] प्रकाशित करनेमें कम संकोच होता। किन्तु मुझे आशंका है कि ये खण्डन कुमारी मेयोके पाठकों तक नहीं पहुँचते और इसलिए उनका महत्व बहुत कुछ कम हो जाता है। कुमारी मेयो एक दूषित सिद्धान्तका प्रतिनिधित्व करती हैं। कोई भी राष्ट्र समस्त संसारके लिए अभिशाप नहीं हो सकता। भारत निश्चय ही वैसा राष्ट्र नहीं है। किन्तु 'मदर इंडिया' की लेखिका जैसे लेखक संसारके लिए अभिशाप हैं। और मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि केवल खण्डनात्मक लेख लिखकर उनका मुकाबला किया जा सकता है फिर चाहे वे लेख कितनी ही शुद्ध भावनासे और योग्यतापूर्वक क्यों न लिखे जायें। दूसरे शब्दोंमें कहूँ तो जो प्रश्न मुझे व्यथित कर रहा है वह यह है कि भाषण या लेखनमें क्या महज सचाई झूठका प्रतिकार कर सकती है। यदि कुमारी मेयोका दूषित प्रचार सफलतापूर्वक रोकना हो तो क्या कोई इससे सर्वथा भिन्न और अधिक उदात्त कार्य करना आवश्यक नहीं है? किन्तु मेरे पास पहलेसे तैयार और प्रभावकारी ऐसा कोई विकल्प नहीं है, जो दीनबन्धु एन्ड्रयूजके जैसे लेखोंकी जगह ले सके। और चूँकि 'यंग इंडिया' जिस सिद्धान्तका अभिव्यंजक है उसे हम दोनों एक साथ स्वीकार करते हैं और दोबारा विचार करनेपर भी उनका यही खयाल है कि उनके इस खण्डनकी अब भी उपयोगिता है, इसलिए मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यदि उनके इन लेखोंसे कुमारी मेयोके विकृत चित्रणमें विश्वास करनेवाले एक भी स्त्री या पुरुषका भ्रम-निवारण हो जाये तो इससे उनको और मुझे भी निश्चित रूपसे सन्तोष हो जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १७-५-१९२८

१. सी० एफ० एण्ड्रयूजके ये लेख यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं।

३८७. पत्र : अजमल जामिया कोषके कोषाध्यक्षको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१८ मई, १९२८

प्रिय महोदय,

अजमल जामिया कोष

आपका १० मईका पत्र मिला। २१-४-१९२८ को हमें भेजी गई सूचीमें जोडकी गलतीकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपने उसका जोड़ रु० ६९३५–१–० दिया है जब कि सही जोड करनेपर वह कुल ६८८४–९–० आता है। इस प्रकार उसमें रु० ५०–८–० का अन्तर है। कृपया इस सप्ताह 'यंग इंडिया' में छपे आँकड़ोंका मिलान अपनी बहीके आँकडोसे कर लें और गलती ढूँढें और मुझे बतायें, जिससे कि अगले अंकमें इसे सही किया जा सके।

"सप्ताहमें एकत्र हुआ और दान" वाली सूचीमें निम्न नामों उनकी दानकी रकमको नही दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि हमने आश्रमवासियोंके दानको एक मुश्त देना ही उचित समझा। मन्त्री आपको पूरी सूची भेज रहे है जिसमें आप छोडे गये आँकड़े भी भर लें।

जिनकी दानकी रकमें नही दी गई है उनके नाम :[1]

दुर्भाग्यसे इस सप्ताहके 'यंग इंडिया' में छपी सूचीके आँकडोंमें एक गलती हो गई है। जोडमें ८ आने बढ गये हैं। मै प्रेसको भेजी गई मूल सूचीको देख रहा हूँ और गलतीको ढूँढनेकी तथा अगले अंकमें उसे ठीक करनेकी आशा करता हूँ।

नई सूची भेजते समय आप कृपा करके पिछले अंकमें छपनेके लिए भेजी गई सूचीके अर्थात् उस सूचीके साथ जो आपने अपने १० मईके पत्रके बाद भेजी थी, पूरी सूची भेजें। व्यक्तियोंके नाममें छोटी-छोटी रकमें देनेके बजाय आश्रमके नाममें एक मुश्त देना अधिक अच्छा समझा गया।

यदि आप सूचीको छपवाना चाहते है तो वह सोमवारसे पहले पहुँच जानी चाहिये।

आपका विश्वस्त,

कोषाध्यक्ष
अजमल जामिया कोष
३९५, कालबा देवी रोड
बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १४९२३) की फोटो-नकलसे।

१. इसके बाद एक सूची दी गई थी जो यहां नहीं दी जा रही है।

३८८. तार: मुहम्मद अलीको

[१९ मई, १९२८ या उसके पश्चात्][1]

आपका तार पाकर प्रसन्नता हुई। आशा है कि महाराजा साहब खादीकी प्रगति की गारंटी लेंगे।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १३५९९) की माइक्रोफिल्मसे।

३८९. प्राथमिक शिक्षा – २

यह एक बड़ा सवाल है कि जिस शिक्षाका हम पिछले अंकमें विचार कर चुके हैं, वह किस तरह दी जा सकती है या उसे देनेके लिए शिक्षक कहाँसे लाये जायें? शिक्षाके बारेमें यही असली प्रश्न है। सरकारी प्रशिक्षण विद्यालयों (ट्रेनिंग कालेजों) ने इस सवालको हल नहीं किया। जिसे वे 'थ्री आर' यानी लिखना, पढ़ना और गणित कहते हैं, उन्होंने उसको भी हल नहीं किया। इन तीनोंका ज्ञान इतना कम दिया जाता है कि सीखनेवालेको या जनताको उनका बहुत लाभ नहीं मिलता।

इसलिए यह काम राष्ट्रीय विद्यापीठको करना है। राष्ट्रीय विद्यापीठका धर्म और अधिकार ही शिक्षाके क्षेत्रमें राष्ट्रकी पोषक नवीन युक्तियाँ ढूंढ़ निकालना है। और मेरी अल्पबुद्धिके अनुसार ये युक्तियाँ यूरोपसे बहुत कम मात्रामें मिलेंगी; हिन्दुस्तानके मौजूदा हालातमें उससे भी कम मिलेंगी। हर देशकी शिक्षा उसके स्वराज्यकी रक्षाके लिए होती है।

इसलिए हमें अपनी शिक्षामें नये प्रयोग ही करने होंगे। उन्हें करनेमें भले ही हमें यूरोपके अनुभवकी जानकारी भी हो जाये; मगर यह मानकर नहीं कि वहाँका सभी कुछ ठीक है, और न यह मानकर कि वहाँके हालातमें जो-कुछ वहाँ ठीक है, वही यहाँ भी ठीक है। इससे एक चीज तो यह निकली कि सरकारी स्कूलोंमें जो कुछ होता है, उसे हमें शककी नजरसे देखना है। सरकारी शिक्षाके स्वराज्य और हमारी सभ्यताके लिए घातक होनेके कारण बहुत-से मामलोंमें हम सरकारी तरीकेसे उलटे चलेंगे तो हमें सीधा रास्ता मिलना सम्भव है। इसकी मिसाल लें:

१. यह मुहम्मद अली, उद्योग निरीक्षक, औरंगाबादके १९ मईको मिले उस तारके उत्तरमें भेजा गया था जो इस प्रकार था: आपके आशीर्वादसे खादी प्रदर्शनी और कताई प्रदर्शन सफल। महाराजा बहादुरने आपके सूतको चूमा, वे आपको बहुत-बहुत सलाम कहते हैं और कातनेका वायदा करते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए।

वहाँ शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी है; हमें समझना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षामें अंग्रेजी हरगिज माध्यम नही होगी।

वहाँ बड़े खर्चीले मकान बनाकर शिक्षा दी जाती है। हम समझ लें कि यह उचित नही है। हमारी पाठशालाओंके मकान सादे और कम खर्चीले होंगे।

वहाँ अक्षर-ज्ञान और साहित्य पर ही जोर दिया जाता है और हिन्दुस्तानके उद्योगोंके प्रति लापरवाही चलती है। हम देखते हैं कि यह उचित नही है।

वहाँ धर्मकी, यानी साम्प्रदायिक नही, बल्कि साधारण धर्मकी शिक्षाका त्याग किया जाता है। हम जानते हैं कि इस त्यागसे शिक्षा ही निर्मूल हो जाती है।

सरकारी स्कूलोंमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है, वह झूठा नही तो केवल अंग्रेजोंकी दृष्टिसे ही लिखा होता है। उन्ही चीजोका निरूपण जर्मन, फ्रेंच और अमेरिकी इतिहासकार दूसरी तरह करते हैं। हालकी घटनाओंको सरकारी लेखक एक तरहसे पेश करते है और जनताके आदमी दूसरी तरह करते हैं, जैसे पंजाबका हत्याकाण्ड।

सरकारी स्कूलका अर्थ-शास्त्र अग्रेजी पद्धतिका समर्थन करता है, जब कि हम उसे दूसरी ही दृष्टिसे देखते हैं। सरकारी स्कूल शहरी सभ्यताकी हिमायत करते है। राष्ट्रीय सभ्यताके प्राण गाँव हैं।

सरकारी प्राथमिक स्कूलोंमें शिक्षक लोगोका संस्कारवान् विद्वान होना जरूरी नही माना जाता और इसलिए उन्हें वेतन बहुत थोड़ा दिया जाता है, जब कि राष्ट्रीय प्राथमिक पाठशालाओंके शिक्षकोको चारित्र्यवान्, ज्ञानी और त्यागी होनेके कारण (लाचार होनेके कारण नही) कमसे-कम वेतन लेनेवाला होना चाहिए।

इससे हमें इस बातका कुछ अनुमान हो जायेगा कि हमारे शहरी विद्यालयोंमें कैसी शिक्षा होनी चाहिये।

हमारे विद्यार्थी गाँवोमें जाकर गाँवोंकी सभ्यताको स्थिर बनानेवाले, उनकी जरूरतें जाननेवाले, उनमें जहाँ दोष हों उन्हें दूर करनेवाले, उनके बच्चोंको शहरी न बनकर देहाती बने रहनेकी या किसान बनानेकी शिक्षा देनेवाले होने चाहिए। इस तरह जबतक शहरोमें दी जानेवाली हमारी शिक्षाका ढाँचा साहसके साथ जड़से ही नही सुधारा जाता, तबतक हम विद्यापीठके एक बड़े ध्येय तक नहीं पहुँच सकते, उसपर अमल नही कर सकते।

एक ही उदाहरण लें: हम अहमदाबादमें ही महाविद्यालय, नई गुजराती पाठशाला और विनय-मन्दिर चलाते हैं। इन्हें चलानेका अधिकार हमें तभी हो सकता है, जब हम इन विद्यालयोंमें पढ़नेवाले बालकोको देहाती बनानेकी कोशिश करें। उन्हें हम ग्रामजीवनमें रस लेनेवाले — उसे जाननेवाले बनायें, और आखिरमें उनमें से जो विनय मन्दिर या महाविद्यालय छोड़कर निकलें, वे गाँवोमें फैल जायें और देहातियोकी सेवामें लग जायें।

यह कैसे हो, इसका विचार बादमें करेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०-५-१९२८

३९०. पत्र : मणिबहन पटेलको

मौनवार [२१ मई, १९२८][1]

चि० मणि,

चि० कान्तिको लिखे गये पत्रमें शारदा बहनके सम्बन्धमें तुम्हारी टिप्पणी मैंने पढ़ी। जरा खेद हुआ। मैं तो नित्य स्मरण करता हूँ। जो कोई वहाँसे आता है उससे पूछता हूँ। मीरा बहनने तो बहुत कुछ कहा है। वह सब क्या लिखा जा सकता है? परन्तु मैं आशा नहीं छोड़ बैठा हूँ। यह मानकर बैठा हूँ कि सब ठिकाने आ जायेंगे। लिखनेका उत्साह आये तब लिखना। वहाँके तुम्हारे कामसे वल्लभभाई सन्तुष्ट हैं, यह बम्बईमें उन्होंने मुझे खुद बताया, यही सन्तोषकी बात हुई। यों मेरे लिए इतना काफी नहीं। मुझे तो गाम्भीर्य, शान्ति, सन्तोष, विवेक, मर्यादा, निश्चय, सूक्ष्म सत्यपरायणता, तीव्रता, अध्ययन, ध्यान आदि चाहिए। नहीं तो तुम्हारा जीवन कुमारी और सेविकाको शोभा देनेवाला नहीं बनेगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो : मणिबहेन पटेलने

३९१. पत्र : जाकिर हुसैनको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२३ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला, जिसकी नितान्त स्पष्टवादिताके लिए मैं बहुत कद्र करता हूँ।

व्यक्तिगत रूपसे मैं भी प्रबल असहयोगकी घोषणाको ज्यादा पसन्द करता, परन्तु चूँकि आपकी घोषणामें काफी नरमी है मैं आपको संस्था छोड़नेकी सलाह देनेको तैयार नहीं हूँ। आखिरकार जब परीक्षाकी घड़ी आती है, घोषणाका उतना महत्व नहीं होता जितना कि कार्यका। संस्थाका भविष्य अन्ततः न्यासियों पर निर्भर नहीं होगा वरन् उसके प्राध्यापकों पर होगा, जो अपना सब कुछ उसे अर्पित कर रहे हैं।

मैं आपकी आर्थिक कठिनाईको समझता हूँ। मैं असमर्थ हूँ। मैंने बम्बईमें डा० अन्सारीसे इस सम्बन्धमें बातचीत की थी और उन्होंने मुझे बताया कि वे बम्बईसे कुछ

१. साधन-सूत्रके अनुसार।

रुपया आपको भेजनेकी आशा रखते हैं। जबतक सब कुछ व्यवस्थित नहीं हो जाता मैं जमनालालजीसे आपको और रुपया पेशगी भेजनेके लिए नहीं कह सकता था।

मैं किसी बडी संस्थाके पक्षमें बिलकुल नहीं हूँ।

डा० अन्सारीने ईदके तुरन्त बाद साबरमती आनेका वायदा किया है। यदि वे आये तो मैं इस सम्बन्धमें उनसे फिर बातचीत करूँगा।

हृदयसे आपका,

डा० जाकिर हुसैन
जामिया मिलिया
करौल बाग
दिल्ली

अंग्रेजी (एस० एन० १४९२५) की माइक्रोफिल्मसे।

३९२. 'दक्षिण आफ्रिकी सत्याग्रहका इतिहास'

मद्रासके साहसी प्रकाशक श्री एस० गणेशन्‌ने मेरे 'दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहके इतिहास' का[1], यदि इसे इतिहास कहा जा सकता हो तो मूलसे किया गया अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया है। यह अनुवाद श्री वालजी गोविन्दजी देसाईने सावधानीसे तैयार किया है। पुस्तक अच्छी छपी है, उसपर खादीकी जिल्द है और उसमें ५११ पृष्ठ हैं। प्रकाशकने यह पुस्तक स्व० मगनलाल गांधीको समर्पित की है, जो कि उचित ही है। पुस्तकमें ५० अध्याय हैं और उसमें एक प्रकारसे मेरे दक्षिण आफ्रिकाके आवास-कालका पूरा ब्यौरा आ जाता है। वे अनेक पाठक, जो मेरी 'आत्मकथा' पढ रहे हैं, यदि सत्यके गूढार्थोंको, उनके उस रूपमें जिसमें कि मुझे उनकी प्रतीति हुई है, ठीक-ठीक समझना चाहते हैं तो उन्हें यह पुस्तक अवश्य खरीदनी चाहिए। यह पुस्तक उस अति अद्‌भुत और अनुपम शक्तिको समझनेके लिए भी अनिवार्य है, जिसे मैंने अथवा यह कहना चाहिए कि मगनलाल गांधीने 'सत्याग्रह' कहा था, और दूसरे शब्दोंमें जिसे मैं प्रेमबल, आत्मबल या सत्यबल कहता हूँ और जो 'निष्क्रिय प्रतिरोध' शब्दसे भिन्न अर्थका बोधक था। सत्याग्रहकी कल्पना केवल कमजोर लोगोंके शस्त्रके रूपमें नहीं की गई है। यह प्रबलतम शक्ति है, इससे बडी शक्तिकी कल्पना या आकांक्षा सम्भवतः नहीं की जा सकती और यह पशुबलका स्थान भली-भाँति ले सकती है। जो लोग यह समझना चाहते हैं कि सत्याग्रहका प्रयोग सब प्रकारकी कठिनाइयाँ होने पर भी दक्षिण आफ्रिकामें किस प्रकार किया गया था, उनके पास यह पुस्तक होनी चाहिए। पुस्तक इसके प्रकाशक एस० गणेशन, ट्रिप्लीकेन, मद्रास, से साढ़े चार रुपयेमें मिल सकती है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २४-५-१९२८

१. देखिए खण्ड २९।

३९३. एण्ड्रयूजकी श्रद्धांजलि

दीनबन्धु एण्ड्रयूजने श्री मगनलाल गांधी, जिनके वे निकट सम्पर्कमें आये थे, की स्मृतिमें जो श्रद्धांजलि भेजी है, उसमेंसे व्यक्तिगत बातें निकाल कर निम्न अंश दे रहा हूँ।[1]

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २४-५-१९२८

३९४. पुण्यका सौदा

एक पत्रलेखक मेरा ध्यान गोआमें अस्पताल चलानेके लिए 'लाटरियों' से रुपया जमा करनेकी प्रथाकी ओर आकर्षित करते हैं। उनका कहना है कि ब्रिटिश भारतके लोग इस व्यर्थकी आशामें कि वे बिना परिश्रम किये ही धनी हो जायेंगे और साथ ही पुण्य भी कमाएँगे, लाखों रुपये इन 'लाटरियों' में खर्च करते हैं। उस मित्रके भेजे हुए एक विज्ञापनका यह उद्धरण है:

> "जरा बीमारोंकी ओर भी देखिए। जो गरीबोंको देता है, वह पुण्यका सौदा करता है। तब, आप इस लाटरीमें एक रुपयेकी बाजी लगा कर हमारे गरीबोंकी सहायता क्यों नहीं करते? यह दान देनेका सुन्दर तरीका है।"

विज्ञापनमें किसी बूढ़े श्रद्धेय पुरुषका चित्र भी छपा है।

यह जानना दिलचस्प होगा कि इन लाटरियोंसे प्राप्त पैसेसे बने अस्पतालोंकी क्या हालत है। ऐसी धर्मार्थ संस्थाओंकी नैतिकता की जाँच करना उचित होगा जिनकी स्थापना लोगोंको लालचमें डालकर इकट्ठे किये धनसे की जाती है, तथा यदि लाटरीके टिकट खरीदनेवालेको इनाम न मिले, और लाखों लोगोंको इनाम अवश्य ही नहीं मिलता है, तो उन्हें पुण्य-प्राप्तिका सब्जबाग दिखला कर उनका लोभ उत्तेजित किया जाता है।

आज तो वातावरणमें कुछ इस बातकी जल्दी है कि हम बिना काम किये, और खुशीके दिन आनेका इन्तजार किये बिना ही, अचानक धनी हो जायें। हरएक आदमी जो लाटरी या घुड़दौड़पर एक रुपयेकी बाजी लगाता है, वह बहुतसे स्त्रियों और पुरुषोंकी वैसी ही आशाओंकी निष्फलताकी नींवपर अपनी आशाओंका महल खड़ा करता है, और इन स्त्री पुरुषोंको भी इनाम जीतनेका उतना ही हक होता है, जितना कि इनाम जीतनेवाले थोड़ेसे सौभाग्यशाली (?) लोगोंको होता है। जबकि जुएकी भावना उन लोगोंमें भी घर किये है जो समाजके सबसे अधिक सम्मानित

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

पुरुष समझे जाते हैं, तब सिर्फ लाटरी प्रथाको ही अलग चुनकर उसकी आलोचना करना कठिन है। सट्टेका बाजार अगर जुआ खेलना नहीं तो और क्या है? और तो भी जुएके इस ज्वरसे कौन बचा हुआ है? सट्टेके बाजारमें हाथ मार कर जो अपनेको एक ही दिनमें धनी होते हुए पाते है, उनमेंसे हर एक आदमी जानता है कि उसके घरमें लक्ष्मीके एकाएक आनेके मानी हैं कितनी ही विधवाओंके घरोका सत्यानाश हो जाना। उन विधवाओके रिश्तेदारोने भी बेशक उसी तरहकी आशा की होगी, जैसी कि हमारे कल्पनाके चतुर सट्टेबाजने की होगी।

यह बात विचित्र भले ही जान पड़े, मगर दरअसल कपास, चावल और जूट पर ये सट्टे किये जाते है। लाटरीकी पद्धति भी जुए की उसी भावनाका महा विस्तार है। इसमें कोई शक नही कि लाटरीको निरादरकी चीज मानना बहुत अच्छा है, मगर उससे भी अच्छा यह होगा कि सबसे बुरे लक्षणका निदान करनेकी अपेक्षा लाटरी और सट्टा बाजारके भीतर छिपी भावनाको पहचान कर इस रोगकी जड़ ही काट दी जाये। इसलिए आशा ही की जा सकती है कि सबसे बुरे लक्षणके ही जरिए हम रोगकी जड़ तक पहुँच कर उसका समुचित इलाज कर सकेंगे।

मगर यह तो बहुत दूरकी ही आशा है। एक आदमी भी लाटरीमें शामिल होनेका औचित्य यह कहकर साबित न करे कि मैंने यह रोग तो सर्वत्र फैला हुआ बताया है।

जब कि यह लाटरी किसी परोपकारी संस्थाके सम्बन्धमें हो तो सावधानीकी और भी अधिक जरूरत है। योग्यता पैदा किये बिना धनी होनेकी इच्छा करना बेशक बुरा है, मगर परोपकारके साथ जुएका सम्बन्ध जोड़ना तो निश्चित रूपसे ही बुरा है। जो लोग लाटरीमें रुपये फेंके, वे यह कभी न सोचें कि एक अनुचित आकाक्षाकी पूर्ति करनेकी आशा रखते हुए भी वे पुण्य कमायेंगे। हम दोनो काम एक ही साथ नही कर सकते कि परमात्माकी पूजा भी करे और अपने लिए अनुचित ढंगसे टके भी सीधे करे।

और गोआके अस्पतालोंके ईसाई संचालक, मनुष्योकी बुरी प्रवृत्तिका अनुचित लाभ उठाकर धर्मको गढ़ेमें क्यों डालते हैं? क्या वे समझते हैं कि लाखो आदमियोको नैतिक दृष्टिसे बीमार बना कर, अस्पताल चलानेकी कोशिश करके वे परमात्माको प्रसन्न करते है? क्या वे रामको देनेके लिए सोहनके घर डाका नहीं डालते? इने-गिने लोगोंको रोगमुक्त करनेसे क्या लाभ होगा अगर वे साथ ही उससे हजार गुना अधिक आत्माओंको सन्ताप पहुँचाते हैं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २४-५-१९२८

३९५. नगरपालिकाके स्कूलोंमें कताई

जलगाँव खादी बोर्डके मंत्रीने मेरे पास वहाँकी नगरपालिकाकी शालाओंमें चरखा और तकलीपर कताईके बारेमें एक भली-भाँति तैयार की हुई रिपोर्ट आँकड़ों सहित भेजी है। यह रिपोर्ट १५ जून, १९२७ से १५ फरवरी, १९२८ तककी है। १४९ लड़कियाँ और १२६ लड़के तकली या चरखेपर कातते रहे हैं। रोजाना २५ से ५० मिनट तक तकली या चरखा चलानेका समय दिया गया है। कुल ४,४८,००० गज सूत काता गया है। तकलीपर कताईकी रफ्तार अधिकसे-अधिक १२५ गज और चरखेपर ३२५ गज प्रति घंटा थी। यह काम तो प्रशंसाके योग्य है। जो बात जलगाँव नगरपालिका स्कूलोंमें सम्भव हो सकी है, वह सभी नगरपालिका स्कूलोंमें सम्भव है। यह सिद्ध किया जा सकता है कि अगर राष्ट्र चाहे तो पाठशालाओंमें पढ़नेवाले लड़के-लड़कियोंके जरिए ही अपनी जरूरतका सारा सूत कतवा सकता है, और साथ ही उन बच्चोंको स्वाभिमान और स्वावलम्बनका पाठ उनकी पढ़ाईके कालमें ही सिखा सकता है, जिसे कि कुछ लोग गलत ही गैरजिम्मेदारी और मजे उड़ानेका काल समझते हैं। मैंने यह भी गौर किया है कि केवल चरखा चलानेवाले लड़के अपनी रुई आप धुन लेते हैं। इसका अर्थ तो यह होता है कि तकली चलानेवाले रुई आप नहीं धुनते। यह बात दिनोंदिन अधिकाधिक महसूस की जा रही है कि अच्छी कताईका रहस्य महज अच्छी धुनाई नहीं, बल्कि बिलकुल निर्दोष धुनाई है। यह तभी हो सकता है, जब सब अपनी-अपनी रुई स्वयं धुन लें। अगर इसे सीखनेकी सच्ची कोशिश की जाय तो यह आसानीसे सीखी जा सकती है। मैं एक और सुझाव दे दूँ कि इस कते हुए सूतकी खादी बुनवानेमें बिलकुल वक्त न खोया जाये। इस कामके लिए किसी होशियार लड़केको बुनना सिखलाया जाये या कोई शिक्षक बुननेकी कला सीख ले। इनमें से कोई भी बात न हो सके तो स्थानीय बुनकरोंको ऐसा सूत बुननेको राजी किया जाये।

[अंग्रेजी]
यंग इंडिया, २४-५-१९२८।

३९६. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२४ मई, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

आपका पत्र मिला। श्री सेनगुप्तको मैंने जो पत्र[1] लिखा है उसकी नकल साथमें भेज रहा हूँ।

आपका,

सहपत्र – १

अंग्रेजी (एस० एन० १३६४०) की फोटो-नकलसे।

३९७. पत्र : जे० एम० सेनगुप्तको

२४ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

मेरे सुननेमें आया है कि आप कलकत्ताके आगामी कांग्रेस अधिवेशनके समय एक भव्य प्रदर्शनीका आयोजन करने जा रहे हैं। परन्तु मुझे यह भी बताया गया है कि यह प्रदर्शनी केवल पूरी तरह असली स्वदेशी तक ही सीमित नहीं होगी; अपितु इसमें विदेशी और दूसरी किस्मकी सभी वस्तुएँ प्रदर्शित की जायेंगी। क्या यह सच है? मैं तो ऐसी आशा कर सकता था कि आप खादीको प्रदर्शनका केन्द्र बनायेंगे और इसके इर्द-गिर्द उन वस्तुओंको प्रदर्शित करेंगे जो शुरूसे आखिर तक पूरी तरह स्वदेशी होंगी और आप न केवल विदेशी वस्त्र और सभी विदेशी चीजोंको ही प्रदर्शनीसे बाहर रखेंगे, अपितु देशी मिलोंके बने कपड़ेको भी बाहर रखेंगे। अहमदाबाद अधिवेशनसे लेकर आज तक कांग्रेस प्रदर्शनियोंका इतिहास ऐसा ही रहा है। पिछले साल मद्रासमें पहली बार इस परिपाटीसे अलग हटकर काम किया गया, जो दुःखद था। मुझे आशा है कि कलकत्तामें यह भूल नहीं दुहराई जायेगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत सेनगुप्त
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३६०६) की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए अगला शीर्षक।

३९८. पत्र: मुहम्मद हबीबुल्लाको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२४ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

मै आपके उस पत्रके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, जिसके साथ गुप्त रूपसे मेरी सूचनाके लिए श्रीयुत शास्त्रीके समुद्री-तार[1] की प्रति संलग्न है।

हृदयसे आपका,

सर मुहम्मद हबीबुल्ला
वाइसरायकी कौंसिलके सदस्य
शिमला

अंग्रेजी (एस० एन० ११९८७) की फोटो-नकलसे।

३९९. पत्र: टी० प्रकाशम्

२४ मई, १९२८

प्रिय प्रकाशम्,

आपका पत्र मिला। श्री वैंकरने मुझे याद दिलाया है कि जिन दिनों मैं जुहूमें स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, आपको मेरे कहनेपर पैसा दिया गया था। निस्सन्देह आपको यह पैसा खादीके कामके लिए मिला था। परन्तु निश्चय ही आपके ऐसा कहनेका अभिप्राय कहीं यह तो नहीं है कि चूंकि आपको यह पैसा खादीके कामके

१. केपटाउनसे भेजे गये शास्त्रीके समुद्री तारमें लिखा था: अपनी तार सं० २०२ दिनांक २४ अप्रैलके सिलसिलेमें मुझे ट्रान्सवालकी यात्रा रद करनेके लिए बाध्य होना पड़ा है और मैं रियायत योजनाके सम्बन्धमें गृह-मन्त्रीसे भेंट करनेके लिए केपटाउन आ गया हूँ। गांधी और पैट्रिक डंकन १९१४ की जिस तरहकी योजनाका समर्थन करते हैं, उसी जैसी योजनाके लिए मैंने अनुरोध किया है। गृह-विभाग, मेरे तार सं० २१४ दिनांक २७ अप्रैलमें जिनकी सूचना दी गई है, ऐसे हाल ही के निर्णयोंके बावजूद योजनाको कार्यान्वित करनेके लिए उत्सुक है। ट्रान्सवालके भारतीय, विशेषकर गुजराती बड़े उत्तेजित हैं। परन्तु १९१४ की जैसी योजनासे शायद शान्त हो जायें। मन्त्रीने विचार करनेका वायदा किया है परन्तु मुझे शक है।

कृपया इसकी एक प्रति गांधीको गुप्त रूपसे डाक द्वारा भेज दीजिएगा।

लिए मिला था, इसलिए आप निजी तौर पर इसके लिए जवाबदेह नहीं हैं। वास्तवमें पैसा आपको आपकी निजी जिम्मेदारी पर पेशगी दे दिया गया था। यदि आप मेरी इस व्याख्याको सही नही मानते तो क्या आप पंच फैसला स्वीकार करेंगे? अ० भा० च० संघकी परिषद्को [इस मामलेमें] एक कर्त्तव्य निभाना है। इसलिए आप उसकी और मेरी कठिनाईको महसूस करेंगे।[1]

हृदयसे आपका,

श्रीयुत टी० प्रकाशम्
"स्वराज्य"
ब्रॉडवे, मद्रास जी० टी०

अंग्रेजी (एस० एन० १३६०७) की माइक्रोफिल्मसे।

४००. एक पत्र[2]

२४ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

अब आपको श्री रामनाथनका पत्र मिल गया होगा और मुझे विश्वास है कि आपने जो जमानतकी रकम जमा कराई है, उसे रोक रखनेके कारणोंके सम्बन्धमें यदि आपको सन्तोष न हो तो आप पंच-फैसलेको स्वीकार कर लेंगे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३६०८) की माइक्रोफिल्मसे।

१. इस पत्रकी एक प्रति अ० भा० च० संघके सचिवको भेजी गई थी।
२. जिस व्यक्तिको पत्र लिखा गया है उसका नाम नहीं दिया जा रहा है।

४०१. पत्र : एस० रामनाथनको

२४ मई, १९२८

प्रिय रामनाथन,

. . . के बारेमें आपका पत्र मिला। यह बिलकुल ठीक है। मैंने . . को पत्र[1] लिखा है। उसकी नकल संलग्न है।

मै आपको इस पत्रके साथ सम्बन्धित कागजात भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३६०९) की माइक्रोफिल्मसे।

४०२. पत्र : मेहरसिंह रेतको

आश्रम
साबरमती
२४ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं समझता हूँ कि जबतक हमें स्वराज्य नहीं मिल जाता, तबतक हमें उस तरहकी मुसीबतोंको, जिनमें आप पिसे जा रहे हैं, सहन करना ही होगा।[2]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ८०८) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२. मेहरसिंह रेत अमेरिकासे निर्वासित कर दिये गये थे। उनकी अमेरिकी पत्नीकी नागरिकता "हिन्दूसे विवाह कर लेनेके कारण" छिन गई थी।

४०३. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२४ मई, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

रामविनोद बहुत परेशान कर रहा है। उसने अभी संघके प्रति अपना दायित्व नहीं निभाया है। क्या आप उसे समझा सकते हैं?

कृष्णदास क्या कर रहा है?

आपका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है?

सस्नेह

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० १५९२) की फोटो-नकलसे।

४०४. पत्र : एफ० एच० ब्राउनको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२५ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जब मैं दक्षिण आफ्रिकी शिष्ट-मण्डलके साथ लन्दन गया था, उस समयकी अपनी मुलाकातें मुझे अच्छी तरह याद है। जहाँतक "सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा" के अंग्रेजी संस्करणकी इजाजतका सम्बन्ध है, पिछले साल न्यूयॉर्ककी मैकमिलन कम्पनीको इसकी इजाजत दे दी गई थी।

पुस्तकका दूसरा खण्ड अभी प्रकाशित नही होगा। इसे अभी कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे मालूम नही है कि भारतीय अनुभवोंसे सम्बन्धित अध्याय कैसे चलेंगे। मैंने अभी उनकी कोई पक्की योजना नही बनाई है। इसलिए मैं नही कह सकता कि मुझे और कितने अध्याय लिखने पड़ेंगे। यही कारण है कि दूसरे खण्डका प्रकाशन स्थगित कर दिया गया है।

आपकी संवेदनाके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री एफ० एच० ब्राउन
डिलकुशा
फोरेस्ट हिल, लन्दन, द० पू० २३

अंग्रेजी (एस० एन० १४३१७) की नकल तथा सी० डब्ल्यू० ४४० से।
सौजन्य : एफ० एच० ब्राउन

४०५. पत्र : जनकधारीप्रसादको

आश्रम
साबरमती
२५ मई, १९२८

प्रिय जनकधारी बाबू,

आपका पत्र मिला। यदि हमें ईश्वरके निकटतम होकर रहना है तो ईश्वर और हमारे बीच कुछ दुराव नहीं होना चाहिए। पति और पत्नीका प्यार बाधा है, क्योंकि हम जिस रूपमें इस प्यारको समझते है यह अनिवार्यतः एकान्तिक और व्यक्तिगत है।

२. ईश्वरमें विश्वासके लिए तर्क नहीं दिया जा सकता। यह विश्वास मस्तिष्कसे नहीं हृदयसे उपजता है, और हृदयकी चीजें स्वतः प्रेरित और नैसर्गिक होती हैं। हमारी कमजोरी और हमारी सीमाओंको ही हममें उस परिपूर्ण और असीमके प्रति विश्वासका भाव जाग्रत करना चाहिए। और यदि हममें यह विश्वास हो तो हम अवश्य ही तरह-तरहकी कठिनाइयो और दुःखोसे मुक्त रहेंगे।

३. आप ऐसा क्यों कहते है कि चूँकि आप प्रति माह रु० ५० लेते है इसलिए आप जन-हित सम्पादन नही कर रहे हैं। हर आदमी, जो चरखा संघकी सेवा करता है, निस्सन्देह राष्ट्रकी सेवा करता है। इस गरीब देशमें बिना भोजनके काम लेनेकी आशा करना मूर्खता होगी। चूँकि आप समृद्ध वकील नही है, इसलिए दूसरे लोग आपका आदर या आपसे स्नेह नही करते इसमें दुःख मनानेका कोई कारण नहीं है। परन्तु यदि आप सम्पत्ति और अनुकूल लोकमतके बिना भी प्रसन्न रह सकते हैं तो यह खासा बधाईका विषय है।

बाबू विन्देश्वरीप्रसादको आपका संरक्षण क्यों माँगना चाहिए? यदि उन्हें दृढ़ विश्वास है कि वकालत छोड़ देना ठीक रहेगा तो जैसे कि हमारे अन्य लाखों देशवासी कर रहे है उन्हें भी आधे पेट खाने भरकी मजदूरी कमानेमें प्रसन्नताका

अनुभव करना चाहिए। यदि उन्हें वकालत छोड़ देनेका पश्चात्ताप हो तो वकालत फिरसे शुरू कर देनी चाहिए।

जहाँ तक आपके बच्चोंका सम्बन्ध है — आप उन्हें जो सच्ची शिक्षा दे सकते हैं वह यह है कि आप उनका इस तरह पालन-पोषण करें कि वे ईमानदार मजदूर बनें। उस शिक्षासे उन्हें और देशको लाभ होगा और आपके बच्चे आपपर बोझ होनेके बजाय अपने लिये और देशके लिए वरदान सिद्ध होंगे।

मुझे आशा है कि आपकी पत्नी पूरी तरह ठीक हो गई होंगी। मैं यह कह दूँ कि आश्रमके संविधानमें आमूल संशोधन हो रहा है और फिलहाल ऐसी इच्छा है कि कमसे-कम एक साल तक कोई और आदमी न लिये जायें। इसलिए यदि आपकी पत्नीका अगले एक या दो महीनोंके दौरान आनेका विचार हो तो इससे पहले कि आप उन्हें भेजनेकी बात सोचें, कृपया मुझे लिख दीजिएगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ५१) की फोटो-नकलसे।

४०६. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको

आश्रम
साबरमती
२५ मई, १९२८

आपके पत्र मिले। मैंने महादेवको कहा था कि वे आपको समय-समयपर ठीक समाचार देते रहें और मगनलालकी मृत्युके बारेमें आपको पूरा विवरण दें। मेरे पास ज्यादा कुछ बोलकर लिखवानेका वक्त नहीं है। यह केवल इतना बतानेके लिए है कि मैं आपके तार और पत्रोंकी कितनी कद्र करता हूँ।

अब मैं मगनलालके कमरेमें रह रहा हूँ।

महादेवने आपको कारण अवश्य बताया होगा। मगनलाल कामपर कलकत्ता गया। उसके बाद वह गयाके लिए रवाना हुआ। वहाँसे राधाको मिलने उस स्थान पर गया जहाँ राधा एक परिवारमें परदेकी कुप्रथा खत्म करनेके लिए गई हुई थी। रास्तेमें उसे ठण्ड लग गई और निमोनिया हो गया और नौ दिनकी बीमारीके बाद कृपालु मित्रोंके बीच, जिन्होंने उसके लिए मानव द्वारा जो भी सम्भव था किया, शान्तिसे चल बसा।

श्री एच० एस० एल० पोलक
४२, ४७ और ४८ डेन्स इन हाउस
२६५ स्ट्रैण्ड, लन्दन, डब्ल्यू० सी० २

अंग्रेजी (एस० एन० १४३१६) की फोटो-नकलसे।

४०७. पत्र : किशोरलाल मशरूवालाको

शुक्रवार, ज्येष्ठ सुदी ६, १९८४ [२५ मई, १९२८]

चि० किशोरलाल,

मैंने तुम्हारे दोनों पत्र ध्यानपूर्वक पढ़े हैं।

ऐसा लगता है कि मैंने जिस प्रकार जो कहा था वह बिलकुल वैसा ही तुम्हारे सामने नहीं रखा गया है।

जिन परिवर्तनोंका मैंने सुझाव दिया है उनमें कुछ नई बात भी है। हमने आश्रमवासीकी जो व्याख्या की है, उसमें कोई फेरफार नहीं किया है। उससे अभिप्राय तो इतना ही होगा कि जो आदर्श हमारे सामने हमेशा रहा है उसका अनुसरण करनेका और भी अधिक प्रयत्न करें।

जबरदस्ती तो किसीसे न की है और न करनेकी इच्छा ही है। आज दो भाइयोंने अपनी रसोई अलग करनेकी इच्छा प्रकट की थी, उनपर दबाव डालनेसे मैंने इनकार कर दिया। इसलिए मुझे तो कहीं भी दबाव नहीं दिखाई देता। मीठा आग्रह जरूर है। प्रत्येक वस्तु साफ-साफ समझाता रहता हूँ।

जो लोग आश्रममें आये हैं, उन्हें आश्रममें होनेवाले नैतिक विकास या परिवर्तनके अनुसार आचरण करना चाहिए। मेरा यही मत है। जो आये हैं उन्हें यह तो नहीं कहना चाहिए "हम तो अमुक नियमोंका पालन करेंगे और नये नियम बनाये जायेंगे तो उनपर अमल करना हमारे लिए वचनभंग करना होगा।" ऐसी स्थितिमें कोई भी संस्था नही चल सकती। स्थूल वस्तुओं जैसे वेतन अवधि आदिके विषयमें निश्चय हो सकता है। सामान्य तौरपर हमारे यहाँ तो नैतिक बन्धनके सिवा दूसरा कुछ अंकुश ही नही है।

यह सब होनेपर भी, ब्रह्मचर्यकी सबके साथ खूब चर्चा करनेपर ही, सबके द्वारा उसके पालनकी आवश्यकता स्वीकार करनेपर ही उससे सम्बन्धित नियमका पालन करनेका निश्चय किया गया था। इस नियमको पढ़कर सुनाते समय मैंने यह अवश्य कहा था कि जो इस नियमका पालन नही कर सकते या नहीं करना चाहते वे जा सकते हैं।

अभी संयुक्त रसोई ठीक चल रही है।

इस समय तुम्हें और कष्ट नही दूँगा। इतना भी अनिच्छापूर्वक लिखा है। सच तो यह है कि बीमार होते हुए दूर बैठे-बैठे तुम्हें यहाँ किये जा रहे परिवर्तनोंके विषयमें सोचनेका कष्ट ही नहीं उठाना चाहिए। ऐसा करना दोषपूर्ण भी है।

अब तबियत कैसी रहती है? इस बार सान्ताक्रूजमें नही रहूँगा। यहाँ आना चाहो तो आ सकते हो — शरीर इस लायक तो है। इलाज तो यहाँ भी हो सकता

है। जलवायु भी वहाँसे अच्छी है। किन्तु यदि आनेका निर्णय करो तो मैं चाहता हूँ कि वापस न जानेका विचार करके ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ११८०२)की फोटो-नकलसे।

४०८. तार : हरिलाल देसाईको

[२५ मई, १९२८ के पश्चात्][1]

पत्र मिला। बढ़ाये हुए अंशकी अदायगी जाँचसे पहले असम्भव। यदि स्वतन्त्र जाँच कराई जाये, जिसमें सबूत पेश करने और सरकारी गवाहोंसे जिरह करनेका अधिकार दिया जाये, जब्त की हुई जमीनें वापस दे दी जायें [और] सत्याग्रही कैदियोंको रिहा कर दिया जाये तो मूल लगानकी अदायगी की जा सकती है। लोग पंच न्यायालयका निर्णय स्वीकार कर लेंगे। तार द्वारा उत्तर दीजिए: बारडोली वल्लभभाई।

अंग्रेजी (एस० एन० १२७०५) की फोटो-नकलसे।

४०९. पत्र : महादेव देसाईको

२६ मई, १९२८

चि० महादेव,

हर बार तुम मुझे यह अच्छी भेंट भेज देते हो। जो बात स्वप्नमें भी मेरे मनमें न थी, उसकी तुम सबने कैसे कल्पना कर ली? परसो मैंने जो-कुछ कहा था वह किसी एककी जरासी भी टीका करनेके उद्देश्यसे नहीं कहा था। जो-कुछ कहा था वह ८० व्यक्तियोंके लिए कहा था। जो संयुक्त रसोईमें शामिल नही हो सकते उनके लिए मेरे मनमें कोई आक्षेप या निन्दाकी बात न थी और न है। फिर उस सभामें इसकी चर्चा करनेकी बात ही क्या थी? इसलिए मेरे मनमें हिंसा नही थी। इतना कह देना ही काफी है। निन्दा तो मैंने सिर्फ उसी रात की थी। उस समय भी मुझे विरोधका तनिक भी दुख नही हुआ था। दुख तो सबकी ओछी वृत्ति देखकर हुआ था। नरहरिकी निश्छलता तो बहुत ही अच्छी लगी, किन्तु उसकी और

१. यह तार वल्लभभाई पटेल द्वारा हरिलाल देसाईके २५ मईके पत्रके उत्तरमें भेजा गया था। इसका मसविदा गांधीजीने तैयार किया था।

बाकी सबकी बुद्धिका हरण हो जाना अच्छा नहीं लगा। यदि उनकी बुद्धि मैंने हर ली हो तो मैं कैसा निकम्मा व्यक्ति हूँ। ऐसी स्थितिमें मेरा क्या धर्म है यह सोचते-सोचते मैं जाग गया और तुरन्त निश्चिन्त हो गया। तुम्हें मालूम है कि पिछले नौ दिनोंमें मेरा वजन दो रतल बढ़ा है। तो मैं कितना निश्चिन्त रहा होऊँगा?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ११४४८) की फोटो-नकलसे।

४१०. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रचूजको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२६ मई, १९२८

प्रिय चार्ली,

मुझे तुम्हारे पत्र नियमित रूपसे मिलते रहे हैं। मैंने महादेवको तुम्हें भी पत्र लिखनेके लिए कहा था। मुझे आशा है कि उसने वैसे ही किया होगा। उसे वल्लभभाईकी मददके लिए हफ्तेमें दो बार बारडोली जाना होता है। इसलिए वह आज यहाँ नहीं है।

मैं हमेशा तुम्हारे बारेमें सोचता रहता हूँ, परन्तु तुम्हें पत्र लिखनेका समय कभी नहीं मिलता। अलबत्ता, मुझे चिन्ता नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम मुझसे पत्रोंकी अपेक्षा नहीं रखते हो।

मेरा हृदय गुरुदेवके लिए उमड़ा पड़ता है।[1] मेरी कामना है और मुझे विश्वास है कि उनका स्वास्थ्य इस समुद्री यात्राको अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकेगा और यूरोपमें वे अपने-आपको पूरा विश्राम देते रहेंगे तथा नई शक्ति लेकर वापस आयेंगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम अपने थके शरीरको और इससे भी ज्यादा थके हुए मस्तिष्कको विश्राम दोगे। परन्तु मुझे लगता है तुम शायद वैसा नहीं कर सकोगे।

मैं आश्रमको सुधारनेमें और उसे उसके स्वीकृत आदर्शोंके अनुरूप बनानेपर ध्यान दे रहा हूँ। इसलिए हम लोग बड़े पैमाने पर संयुक्त रसोड़ा चला रहे हैं। ८० लोग एक साथ भोजन करने बैठते हैं, जहाँ वे अपने-आपको और अधिक सेवा कार्यके लिए उत्सर्ग करनेका प्रयत्न करते हैं। परन्तु समयकी कमीके कारण मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा।

१. ऑक्सफोर्ड विद्यालयमें हिबर्ट भाषण देनेके लिए जाते हुए रास्तेमें कवि रवीन्द्रनाथ बीमार पड़ गये थे।

क्या महादेवने आपको बताया है कि मैं अब मगनलालके छोटेसे कमरेमें रहने लगा हूँ। इससे मुझे प्रसन्नता होती है और मैं मगनलालकी आत्माके सान्निध्यका अनुभव ज्यादा अच्छी तरह कर पाता हूँ।

सस्नेह,

मोहन

अंग्रेजी (एस० एन० १३३९२) की फोटो-नकल से।

४११. पत्र : सेम्युअल आर० पेरीको

[२६ मई, १९२८ के पश्चात्]

प्रिय मित्र,

२६ मईके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मुझे याद नहीं पड़ता कि "डज़ सिविलाइजेशन नीड रिलिजन"[1] नामकी पुस्तक मुझे मिली है। मुझे इस बातसे हर्ष हुआ है कि सुदूर पश्चिममें मेरे इतने मित्र और सहानुभूति रखनेवाले लोग हैं।

हृदयसे आपका,

सेम्युअल आर० पेरी

अंग्रेजी (एस० एन० १४०४३) की फोटो-नकलसे।

४१२. प्राथमिक शिक्षा — ३

विनय मन्दिर और महाविद्यालयमें हम शिक्षाका क्रम भली-भाँति बदल दें और शिक्षक मेरे द्वारा पेश किये गये दृष्टिकोणको हज्म कर चुके हो, तभी प्राथमिक शिक्षा यानी देहाती शिक्षाका सवाल हल होगा।

आज हम सख्या, लोकलाज या झूठी प्रतिष्ठाके लोभसे कुछ तबदीलियाँ करनेमें हिचकिचाते हैं। अगर न हिचकिचायें तो इन विनय-मन्दिरोसे गाँवोकी सेवा करनेवाला सुन्दर वर्ग पैदा हो और शहरोके पापका कुछ प्रायश्चित्त हो।

इन मन्दिरोमें विद्यार्थी अव्वल दर्जेके धुनिए, कतैये और जुलाहे बनें, पहले दर्जेकी कपासकी खेती जाननेवाले हो; उन्हें देहातके उपयोगकी बढ़ईगिरी आती हो, यानी उन्हें बढ़िया चरखा बनाना आता हो, गाड़ी, हल वगैरा बनाना न आता हो तो भी

१. रेनहोल्डने बुकरकी लिखी पुस्तक।

उनकी मरम्मत करना आता हो; वे गाँवोंके लायक सीना-पिरोना जानते हों; उनके मोतीके दानों जैसे अक्षर हों; वे साधारण लिखनेकी कला जानते हों; उन्हें देशी अंक जबानी याद हों; वे 'रामायण', 'महाभारत' वगैरा पुराने साहित्य और उसके आध्यात्मिक और आधुनिक अर्थोंके जानकार हों; देहाती खेल जानते हों; तन्दुरुस्ती के कानून जानते हों; उन्हें घरेलू चिकित्सा अच्छी तरह आती हो, यानी वे मामूली बीमारियोंकी जाँच कर उनका इलाज जाननेवाले हों; वे गाँवके घूरे, तालाब और कुएँ वगैरा साफ करनेकी कला जाननेवाले हों; वगैरा-वगैरा। गरज यह कि इन विनय-मन्दिरोंमें इस तरहकी शिक्षा दी जाये, जिससे उनमें इतनी योग्यता आ जाये कि वे गाँवोंकी हर तरहसे सेवा करनेके लिए तैयार हो सकें। और इस तरहकी शिक्षा पर जो-कुछ खर्च हो, वह प्राथमिक-शिक्षाके लिए ही किया गया है, ऐसा समझा जाये। हम गाँवोंमें सचमुच प्रवेश करने योग्य, ऐसा करने या कर सकनेपर ही होंगे।

यह शंका हो सकती है कि जहाँ हमने ऐसे परिवर्तन किये और ऐसा आदर्श साफ तौरपर जाहिर किया कि हमारे विनय-मन्दिर खाली हुए। ऐसा ही हो तो मैं सत्यके खातिर इस आपत्तिका स्वागत करनेको तैयार हो जाऊँगा। लेकिन जबतक विद्यापीठका देहाती शिक्षाका ध्येय कायम है, तबतक ऐसा न करना असत्य और द्रोह समझा जायेगा।

मगर मेरा विश्वास और अनुभव यह है कि अगर हम अपने उद्देश्योंके प्रति एकनिष्ठ रहें, तो जनता अन्तमें उन्हें पहचान लेती है और उन्हें प्रोत्साहन देती है। तथाकथित निष्फलताके कारण ढूंढ़नेपर हमें मालूम होगा कि ध्येयको माननेवाले बेवफा, कच्चे या ढीले थे। संशयात्माका तो सदा नाश ही होता है, और उसके नाशको न देखकर लोग उसके आदर्शकी कमी या निष्फलताको देखते हैं।

अगर हमारे विद्या-मन्दिरोंमें श्रद्धावान और त्यागी शिक्षक हों, तो मेरी पक्की राय है कि वे विद्यार्थियोंसे भर जायें। लोग सच्ची चीजको पहचान सकते हैं। बहुत बार ऐसा होनेमें देर होती देखी जाती है। पर वह निरा भ्रम होता है। यह निरपवाद नियम है कि सही रास्तेसे कमसे-कम देर लगती है।

लोगोंकी कमजोरियोंको, उनकी भोगवृत्तिको उत्तेजन देनेवाली संस्था घड़ी-भरमें भर जाये तो इससे क्या? इससे कोई उसकी सफलता साबित नहीं होती।

मेरी दृष्टिको अपनानेका एक यह नतीजा तो हो सकता है कि जो विद्यार्थी सरकारी पाठशालाओंकी-सी शिक्षा पानेकी आशासे आये होंगे, जो सिर्फ शहरी जीवन बितानेकी योग्यता प्राप्त करनेकी उम्मीद रखकर आये होंगे, वे निराश होकर हमारे मन्दिर छोड़ देंगे। मगर ऐसा हो तो अच्छा ही है। हम और वे दोनों गलत स्थितिसे बच जायेंगे और एक-दूसरेकी शुद्ध सेवा करेंगे।

जिस विचारसे मैंने इस लेखमालाको शुरू किया था, उस विचारको जरा और आगे ले जाकर मैं इस मालाको बन्द करनेकी बात सोचता हूँ। और फिर इस बारेमें मेरे पास जो थोड़े-से सवाल हैं, उनकी चर्चा करनेकी आशा रखता हूँ।

प्राथमिक-शिक्षाके पहले सालमें अक्षर-ज्ञान बिलकुल न सिखानेका विचार सही हो, तो उसका कुछ-न-कुछ अच्छा परिणाम विनय-मन्दिरो और महाविद्यालयोमें भी आना चाहिए।

आजकल किताबी ज्ञानका प्रचार बहुत बढ़ गया है। नित नई पुस्तके निकला ही करती है। जिसकी भाषा जरा भी मँजी हुई है, जिसने थोड़ा बहुत भी विचार किया है, वह अपने विचार प्रकट करनेको अधीर बन जाता है और यह समझता है कि उन विचारोको प्रकट करनेसे देशकी सेवा होती है। नतीजा यह होता है कि विद्यार्थियोके दिमागपर और उनके माँ-बापकी जेबोपर असह्य बोझ पड़ता है। विद्यार्थियोकी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। उनके दिमाग तरह-तरहके तथ्योंके संग्रह-स्थान बन जाते है और इससे उनमें मौलिक विचारोंके लिए जगह नही रह जाती। और हकीकतें भी अपनी-अपनी जगहपर ठीक बैठ जानेके बजाय, जैसे एक आलसीके घरमें सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा रहता है, वैसे ही बेचारे इन विद्यार्थियोंके दिमागमें भी बिखरी पड़ी रहती हैं। इनका उपयोग न वे कर सकते है, न जनताको उनसे लाभ होता है।

इसलिए मेरी रायमें तो आज जो बहुतेरी किताबें छपती है, उन्हें मैं विद्यार्थियोके आगे हरगिज नही रखूंगा। लिखना-पढना जाननेवाले विद्यार्थी भी बहुत-सी शिक्षा तो शिक्षकके मुंहसे ही पाते है। वे कमसे-कम पुस्तके पढ़ें, मगर जो पढें उसपर विचार करें और विचार करनेसे जो चीज अपनाने लायक लगे उसपर अमल करने लगें। ऐसा करनेसे विद्यार्थीका जीवन सरस, विचारमय, विवेकमय निश्छल, पवित्र और तेजस्वी होगा। ऐसी पढाई गरीब जनताको शोभा देगी। ऐसी पढाई विद्यार्थी और जनता दोनोको फायदा पहुँचायेगी।

इसलिए विद्यापीठके सामने जो गूढ प्रश्न है, उसके हल होनेका दारोमदार मौजूदा शिक्षकोकी विद्यापीठके ध्येयोको पचानेकी और उनके अनुसार चलनेकी खूब कोशिश करनेकी शक्तिपर है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २७-५-१९२८

४१३. पत्र : कर्नाड सदाशिव रावको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२७ मई, १९२८

प्रिय सदाशिव राव,

आशा है कि अब आप मलेरियाके बादके प्रभावोंसे पूरी तरह मुक्त होंगे। मैं आशा करता हूँ कि एक तरहसे सारे साल आश्रममें ही रहूँगा। परन्तु मुझे कभी पता नहीं होता कि आकस्मिक परिस्थितियोंके कारण कब बाहर जाना पड़े। इसलिए जब आपका अपनी लड़कियोंको यहाँ लानेका विचार हो, तो पहलेसे ही मेरी गति-विधियोंका पता लगा लें।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत सदाशिव राव
कोडाइबेल
मंगलोर

अंग्रेजी (एस० एन० १३२२९) की माइक्रोफिल्मसे।

४१४. पत्र : वाई० अंजप्पाको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२७ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। इस वक्त मैं आपको मात्र यही सुझाव दे सकता हूँ कि आपको अपनी कम्पनीके हिसाब-किताबका विवरण और सारा खद्दर जो आप तैयार कर रहे हैं, उसके नमूने तथा ऐसी अन्य सूचनायें जो आप वहाँसे भेज सकें, जिनसे अखिल भारतीय चरखा संघका विशेषज्ञ आपकी पेढ़ीकी हालतको जाँच सके, भेज देनी चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत वाई० अंजप्पा
द्वारा यादगीर एण्ड कम्पनी
टोबेको बाजार
सिकन्दराबाद (दक्षिण)

अंग्रेजी (एस० एन० १३२३०) की माइक्रोफिल्मसे।

४१५. पत्र : सत्यानन्द बोसको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२७ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

आपने जो सुझाव दिया है वह नया नही है। इसपर कई दृष्टिकोणोसे चर्चा हो चुकी है। परन्तु निजी तौर पर मैंने महसूस किया है कि अभी वह वक्त नही आया है कि हम अगुआ बन जायें। इस बीच कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा इस दिशामें अच्छा काम किया जा रहा है। सारे एशियाकी जागृतिमें योगदान देनेके रूपमें उनके कामका सबसे अधिक महत्व है। हम जैसे जो छोटे लोग है, उनके बारेमें, मैं महसूस करता हूँ कि हमें केवल आन्तरिक शक्तियोका विकास करके अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत सत्यानन्द बोस
७८, बर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३२३१) की फोटो-नकलसे।

४१६. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२७ मई, १९२८

प्रिय च० रा०,

मैंने आपकी पेंसिलसे लिखी टिप्पणियाँ "बिना बिका माल" अभी-अभी पढी है। खादीसे सम्बन्धित विचार नितान्त परिचयात्मक हैं। हिन्दू-मुस्लिम एकताके बारेमें विचार पूरी तरह असामयिक हैं और यदि उनके प्रति रोष नही भी प्रकट किया गया तो उनका उलटा अर्थ लगाया जा सकता है। इसलिए फिलहाल आप उन्हें तालेके अन्दर ही बन्द करके रखिएगा।

हृदयसे आपका,
बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १३२३२) की फोटो-नकलसे।

४१७. पत्र : सी० रंगनाथ रावको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२७ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

जब मैं बंगलोरमें था, आपने सरकारी वर्कशापमें बना हुआ चरखा भेजा था। यदि मुझे ठीक याद है तो आप अच्छे तकुए भी बनाते थे। क्या आप कृपया अपने इंजीनियर फोरमैनसे इस बातका पता लगायेंगे कि क्या कोई ऐसी मशीन है, जो बिलकुल सही तकुए बनाती हो और यह मशीन या कोई दूसरी मशीन क्या झुके हुए या टेढ़े-मेढ़े तकुओंको बिलकुल सही करके सीधा कर दे सकती है। आश्रममें हम यह काम मशीनके बिना ही कर रहे हैं। यह बड़ी कठिन प्रक्रिया है और सिर्फ थोड़ेसे लोग इसमें कुशलता प्राप्त कर सकते हैं और मरम्मत करनेवालेको यदि एक दिनमें बहुतसे तकुए ठीक करने हों, तो उसकी आँखोंपर बहुत जोर पड़ता है। इस मामले में आप जो भी सूचना मुझे दे सकें या मेरे लिये प्राप्त कर सकें उसे मैं बहुत कुछ मानूँगा।

मुझे पता नहीं कि आपके विभागमें चरखा कैसी प्रगति कर रहा है।

हृदयसे आपका,

श्री सी० रंगनाथ राव साहब
डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़
गवर्नमेंट वर्कशाप
बंगलोर

अंग्रेजी (एस० एन० १३२३३) की फोटो-नकलसे।

४१८. पत्र : गंगाप्रसादको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२७ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैंने आपकी पुस्तक पूरी पढ़ी। यद्यपि मैं यह कह सकता हूँ कि आपने इसपर बहुत मेहनत की है, लेकिन आपने मूल स्रोतोंकी प्रामाणिकता प्रस्तुत नहीं की है। परन्तु इस मामलेमें हमारे अधिकतर लेखक दोषी है। हम ऐसे ही प्रमाणोंसे आसानीसे सन्तुष्ट हो जाते है, जिनसे हमारे पहलेसे ही बन चुके विचारों या सिद्धान्तोंको समर्थन मिलता हो।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत गंगाप्रसाद
टिहरी

अंग्रेजी (एस० एन० १३२३४) की माइक्रोफिल्मसे।

४१९. पत्र: भोजराज खुशीरामको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२७ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। यदि आपका हृदय सचमुच पवित्र है और आपको अपने पिताजीके प्रति और जिस लड़कीसे आपका विवाह हुआ है उसके प्रति सच्चा प्यार है तो आप अपनी पवित्रता और प्यारके बलसे सारा विरोध सहकर मिटा डालेंगे और लड़कीको अपने विचारोंके अनुरूप बना लेंगे। और यदि यह केवल लड़की पसन्द न होनेका मामला है और प्रस्तावित ब्रह्मचर्य केवल सुविधाकी बात है, तो यह आपका स्पष्ट कर्त्तव्य है कि आप लड़कीको अपने मतानुकूल बना लें।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत भोजराज खुशीराम
मछली बाजार
रोहड़ी (सिन्ध)

अंग्रेजी (एस० एन० १३२३५) की माइक्रोफिल्मसे।

४२०. पत्र : मणिबहन पटेलको

[२८ मई, १९२८][1]

चि० मणि,

मैंने तुम्हें मूर्ख माना है सो बिना विचारे नहीं, यह तुम सिद्ध कर रही हो। मीराबहन जो कहे वह मेरे लिये कभी वेदवाक्य नहीं हुआ। वह बहन निर्मल है . . .।[2] तुम यहाँ होती तो तुमसे ही कहता। तुम नहीं थी इसलिए लक्ष्मीदास भाईसे कहा। परन्तु किसी दिन तो मूर्ख न रहकर तुम सयानी बनोगी, यह आशा रखता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो : मणिबहेन पटेलने

४२१. हरिलाल देसाईको लिखे पत्रका मसविदा[3]

[२८ मई, १९२८]

प्रिय,

अहमदाबादसे एक विशद तार[4] आपको मेरी अनुमतिसे भेजा गया था। मैं उसकी नकल इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ, जो अपने आपमें स्पष्ट है। चूँकि सम्भवतः हमारे काम और सेवाके तरीके परस्पर विरोधी हैं, मुमकिन है कि मेरी ऐसी माँग भी जिसे अपने सन्तोषका विचार करते हुए मैं अल्पतम मानता हूँ आपके विचारमें हदसे ज्यादा हो।

यदि बढ़े लगानकी अदायगी करनी ही है, तो किसी भी जाँचका क्या लाभ हो सकता है? यदि निर्णय लोगोंके प्रतिकूल हो और बढ़ाये हुए लगानकी अदायगी जल्दी न हो, तो इसकी वसूलीके लिए सरकारने पर्याप्त जमानत ले रखी है।

कृपया ध्यान रखिए कि विचारणीय प्रश्नोंके सम्बन्धमें दोनों पक्षोंकी सहमति आवश्यक होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इस सम्बन्धमें सरकार जो तय कर दे वही ठीक मान लिया जाये।

१ और २. साधन-सूत्रके अनुसार।

३. मसविदा गांधीजीके स्वाक्षरोंमें है। महादेव देसाई इस पत्रको "दि स्टोरी ऑफ बारडोली" में कुछ शाब्दिक परिवर्तनों सहित उद्धृत करते हुए कहते हैं कि यह पत्र वल्लभभाई पटेल द्वारा भेजा गया था।

४. देखिए "तार : हरिलाल देसाईको", २५-५-१९२८ के पश्चात्।

जनताके किसी भी स्वाभिमानी एजेंटके लिए यह एक सम्मानका प्रश्न होगा कि वह कैदियों और जमीनोंके मुक्त किये जानेका आग्रह करे, विशषकर उस हालतमें जबकि उन कैदियोको अवैध रूपसे दण्ड दिया गया है या उन जमीनोकी कुर्की अवैध रूपसे की गई है।

अन्तमें यदि आप मजबूतीसे काम नही कर सकते और लोगोमें कितनी शक्ति है, इस बातको मैं जैसा महसूस करता हूँ वैसा यदि आप नही कर पाते तो फिर आप कोई भी कार्यवाही न करें; इसी तरह आप हमारे उद्देश्यकी पूर्तिमें सबसे ज्यादा सहायक होगे। मै सम्मानपूर्ण समझौतेके लिए कोई भी दरवाजा बन्द नही करना चाहता, किन्तु साथ ही सम्मानपूर्ण समझौतेके अभावमें या लोगोको उस कठिनतम परीक्षामें डाले बिना जिसे वे पूरा कर सकते है, मुझे संघर्षको खत्म करनेकी जल्दी भी नही है। असम्मानपूर्ण समझौतेकी अपेक्षा मै बहादुरीकी पराजयको ज्यादा पसन्द करूंगा।

सम्भवतः अब आप समझ गये होगे कि मै महाबलेश्वर या पूना दौड़े आनेके लिए उत्सुक नही हूँ। इसलिए जबतक आप यह न समझें कि मेरी उपस्थिति अनिवार्य है, कृपया मुझे मत बुला भेजिएगा।

अंग्रेजी (एस० एन० १२७०५) की फोटो-नकलसे।

४२२. तार: दक्षिण आफ्रिकी भारतीय कांग्रेसको[1]

[२९ मई, १९२८ या उसके पश्चात्]

द० आ० भा० स०
जोहानिसबर्ग

समझौता पत्र-व्यवहारमें सम्मिलित है। पूरा मामला शास्त्रीजीके सामने रखने और उनका निर्देशन स्वीकार करनेकी आग्रहपूर्ण सलाह।

मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ११९८९) की फोटो-नकलसे।

१. यह तार द० आ० भा० कांग्रेसके दिनांक २८ मईके निम्न समुद्री तारके उत्तरमें भेजा गया था: अवैध प्रवेश करनेवालोंके सम्बन्धमें माननीय शास्त्रीजीको भेजा गया आपका तार स्पष्ट नहीं। क्या आपसे ट्रान्सवालमें उन सब प्रवेश करनेवालोंके लिए, जिनके पास १९१४ तक, जालसाजीसे प्राप्त किये गये पंजीकरणके प्रमाण पत्र थे, संरक्षण प्राप्त किया था? यदि सरकार निर्णय करनेसे पहले जाली दस्तावेज रखनेवालोंको कुछ रियायत देनेके लिए आगे आनेके लिए कहती है तो क्या कांग्रेसके लिए यह उचित है कि वह सरकारको १९१४ के समझौतेको भंग करनेवाली करार दे? कृपया तत्काल उत्तर दीजिए (एस० एन० ११९८९)।

४२३. पत्र : शंकरन्‌को

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
३० मई, १९२८

प्रिय शंकरन्,

तुम्हारा विचार बिलकुल सही है। हमें बारडोलीके लोगोंके लिए विदेशी अथवा मिलके कपड़ोंके पार्सल हरगिज नहीं लेने चाहिए। और न ही उन्हें उसकी कोई इतनी जरूरत है। वे भूखे नहीं मर रहे हैं। उन्हें खिलाने या उन्हें कपड़ा देनेसे खर्चेका कोई सम्बन्ध नहीं है। जो खर्चा किया जा रहा है वह अधिक संख्यामें स्वयंसेवकोंका भार-वहन करनेके लिए और व्यापक प्रचार चलाये रखनेके लिए हो रहा है।

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजी (एस० एन० १३३९६) की फोटो-नकलसे।

४२४. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
३० मई, १९२८

प्रिय च० रा०,

मैंने आपकी अभय आश्रम सम्बन्धी सराहना[1] प्रकाशित न करनेके कारणोंपर आपसे बहस नहीं की है और मजदूरोंके सम्बन्धमें मेरा खयाल है, मैंने आपको अपने कारण बता दिये हैं। अभय आश्रमके सम्बन्धमें आपकी सराहना बिलकुल उपयुक्त है। परन्तु उन्हें लाभ पहुँचानेके बजाय उस सराहनासे सब तरहके ईर्ष्या-द्वेष बढ़नेकी सम्भावना थी और मुझे लगा कि यदि ईर्ष्या-द्वेषको न बढ़ाया जाये तो ज्यादा अच्छा है।

अंग्रेजी (एस० एन० १३३९७) की फोटो-नकलसे।

१. राजगोपालाचारीने एक लेखमें १९२७ के अन्तमें हुए दंगोंके सिलसिलेमें अभय आश्रम (कोमिल्ला) के कार्यकर्ताओंके प्रयासोंकी सराहना की थी। देखिए "पत्र : च० राजगोपालाचारीको", २७-५-१९२८ भी।

४२५. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
३० मई, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

आपका दिलचस्प पत्र मिला। दुग्धाहारसे निश्चय ही आपको बहुत लाभ होगा। मुझे निश्चय है कि कटि-स्नानसे भी आपको लाभ होगा। यदि निखिल कटि-स्नान सहन नही कर सकता तो उसके पेटपर छः इंच लम्बी और तीन इंच चौड़ी मिट्टीकी पट्टी बाँध कर देखिए। यदि कुछ समयके लिए निखिलको केवल दूध और साफ किये हुए पानी पर रखा जाये, और कब्ज हो तो नियमित रूपसे हर चौबीस घंटे बाद एनीमा दिया जाये तो शायद अच्छा रहेगा। जितना दूध वह आरामसे पी सके पी ले परन्तु उससे ज्यादा नही। यहाँ मैं एक रोगीके मामलेमें, जिसकी बीमारी काफी बिगड़ी हुई कही जा सकती है इस नुस्खेका प्रयोग कर रहा हूँ और इसमें काफी सफलता मिली है। इस इलाजके बारेमें आप किसी डाक्टर मित्रसे सलाह ले सकते हैं।

मुझे आशा है कि श्री बिडलाके साथ आपको सफलता मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि वे आपकी सहायता, आप उन्हें उनके व्यापारमें जो सहायता देंगे उसके बजाय इसी दृष्टिसे करें कि आपके खादी-प्रचारकी बात उन्हे ठीक मालूम होती है। आपका उनकी सहायता करना निस्सन्देह उचित है और आप जितनी सहायता उन्हें दे सकें जरूर दें। परन्तु यदि खादीको सफल होना है, तो वह केवल अपने गुणोंके आधार पर और खादी-संस्थाओंकी व्यापारिक क्षमताके आधार पर ही सफल होगी।

क्या मैंने आपको श्री बिड़लाके एक पत्रमें से एक उद्धरण भेजा था या उसके बारेमें कुछ लिखा था? इस अंशमें श्री बिड़लाने आपके खादी-प्रेम और महान् आत्म-त्यागकी बड़ी प्रशंसा की है, किन्तु प्रतिष्ठानका गठन जिस तरह हुआ है उसके या आपने अपनी खादी-प्रचारकी योजना उन्हें जैसी समझाई हो, उसके अनुसार आपकी प्रचार-योजनाके बारेमें वे आश्वस्त नही हैं। यह एक साल पहलेकी बात है। यह बात मैं आपसे, आपने अपने पत्रके निम्नलिखित वाक्यमें जो कहा है उसीपर जोर डालनेके लिए कह रहा हूँ। आपका वाक्य इस प्रकार है: "यदि उन्हें विश्वास हो जाये कि मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ वह उनके पूर्ण समर्थनके योग्य है तो मुझे पूरी आशा है, कि जैसे वे हजारो खर्च करते है वैसे वह लाखों भी

खर्च करेंगे।" वे ऐसे ही आदमी हैं। यदि उन्हें विश्वास हो जाये तो वह असीम सहायता कर सकते हैं।

सस्नेह,

बापू

श्रीयुत सतीशचन्द्र दासगुप्त
खादी प्रतिष्ठान
सोदपुर

अंग्रेजी (जी० एन० १५९३) की फोटो-नकलसे।

४२६. पत्र: वसुमती पण्डितको

साबरमती
बुधवार [३० मई, १९२८][1]

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला। मुख्याध्यापिकासे गन्दगीके बारेमें शान्तिपूर्वक बात करना और उसे कैसे दूर किया जाये इसकी व्यवस्था करना। यहाँ सब काम ठीक चल रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७५) की फोटो-नकल से।
सौजन्य: वसुमती पण्डित

४२७. बारडोलीकी परीक्षा

उतावलीमें यह खयाल भले ही आ जाये कि इस समय बारडोलीमें सरकारकी परीक्षा हो रही है, मगर यह खयाल गलत होगा। सरकारकी परीक्षा तो बीसों बार हुई है, और वह कच्ची निकली है। जब भी इसके शरीरके किसी मर्म-स्थलपर चोट पहुँचती है तभी इसकी नीति भय-प्रदर्शनकी रहती है। जब कभी इसकी प्रतिष्ठा या राजस्वको खतरा होता है, यह भले-बुरे सभी उपायोंसे दोनोंको बनाये रखनेका प्रयत्न करती है। यह भय-प्रदर्शन करनेमें और उसे बेहयाईसे झूठ बोलकर छिपानेमें संकोच नहीं करती। इस ताजा खबरसे कि अब पठानोंको यह हुक्म देकर गाँवोंमें भेजा गया है कि वे ग्रामीणोंके घरोंको रातदिन घेरे रहें, न तो आश्चर्य होना चाहिए और न क्रोध ही आना चाहिए। ताज्जुब तो यह है कि उन्होंने बारडोलीमें अबतक

१. डाककी मुहरसे।

दाण्डिक पुलिस (प्युनिटिव पुलिस) को तैनात नही किया है और 'सैनिक शासन' घोषित नहीं किया है। हमें अवतक यह जान लेना चाहिए था कि 'दाण्डिक पुलिस' या 'सैनिक शासन' का क्या अर्थ होता है। यह तो स्पष्ट है कि भय प्रदर्शनके इस ताजा तरीकेसे सरकार लोगोको किसी न किसी तरहकी हिंसाके लिए प्रेरित करना चाहती है — फिर चाहे वह हिंसा कितनी ही छोटी क्यो न हो — जिससे उसे सैनिक शासन घोषित करनेका बहाना मिल जाये।

क्या बारडोलीनिवासी इस अन्तिम परीक्षामें खरे निकलेगे? वे अपने व्यवहारसे भारतीय जनताको चकित तो कर ही चुके हैं। अत्यन्त अधिक उत्तेजनाके बावजूद उन्होंने अवतक वीरोंके जैसा धैर्य दिखाया है। क्या वे उस बडीसे-बड़ी उत्तेजनाको भी, जो उन्हे दी जा सके सहन कर सकेगे? अगर वे सहनकर सके, तो फिर उन्होने जग जीत लिया। जो लोग सम्मानको सबसे प्यारी वस्तु मानते हैं, उनके लिए जेल, जब्ती, निर्वासन, मौत वगैरह सभी मामूली चीजें होनी चाहिए। अगर जुल्म असह्य हो जाये तो लोग बारडोलीकी भूमिको, जिसे वे अब तक अपना समझते रहे हैं, छोड़कर दूसरी जगह जा बसे। जिस घरमें प्लेग घुस जाये, उसे खाली कर देनेमें ही बुद्धिमानी है। अत्याचार एक तरहका प्लेग ही है और जब ऐसी आशंका हो कि इससे हमें क्रोध आ जायेगा या हम कमजोर पड जायेंगे तब ऐसे स्थानको छोड देनेमें ही बुद्धिमानी है। इतिहासमें ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, जब कि वीर पुरुषोने जुल्मके आगे सिर झुकानेकी अपेक्षा अपना देश छोड़ देना ही ज्यादा अच्छा समझा है।

खैर, मै आशा करता हूँ कि ऐसा कदम उठानेकी जरूरत नही पड़ेगी। शुभेच्छु मित्रो द्वारा बीच-बचाव करनेकी खबरे सुननेमें आई है। बीच-बचाव करनेका उन्हें हक है, बीच-बचाव करना उनका कर्त्तव्य भी हो सकता है। मगर ये मित्र इस आन्दोलनका महत्व समझें। उन्हे जानना चाहिये कि वे निर्बल लोगोंकी ओरसे नहीं बोल रहे हैं और न किसी कमजोर चीजकी वकालत कर रहे हैं। बारडोलीवालोंके पक्षमें न्याय है। वे दयाकी भीख नही माँगते, वे केवल न्याय माँगते हैं। वे नही चाहते कि कोई उनके दावेको सच्चा माने। वे तो केवल एक स्वतन्त्र, खुली और न्यायिक जाँच कराना चाहते हैं। और वे ऐसी अदालतके फैसलेको माननेके लिए तैयार है। इस जाँचको इनकार करनेके मानी है, न्याय करनेसे इनकार करना और सरकार अबतक यही करती आई है। लोगोंके हाथोंमें इसका इलाज यह है कि वे स्वयंकष्ट उठायें। ऐसे मामलेमें, अधिकसे-अधिक और कमसे-कम दोनोका ही प्रायः एक ही अर्थ होता है। जो लोग कोई शिकायत दूर करानेके लिए आप ही कष्ट सहनेपर भरोसा रखते हैं, वे उस शिकायतको बढ़ाकर नही कहेंगे, इसलिए जो लोग इस आन्दोलनका रहस्य समझे बिना, बीच-बचाव करने जायेंगे, वे इसे नुकसान पहुँचायेंगे। उन्हें जानना चाहिए कि इस आन्दोलनको न तो सहज ही बन्द किया जा सकता है और न उसकी प्रतिष्ठाको बट्टा लगने दिया जा सकता है।

जनताको भी सत्याग्रहियोके प्रति कर्त्तव्यका पालन करना है। धनके लिए वल्लभभाईकी अपीलका लोगोकी ओरसे ठीक उत्तर मिलना शुरू हो गया है। यह भी

याद रखना चाहिए कि जबतक रुका जा सकता था तबतक उन्होंने अपील नहीं की। लोगोंके जेल जानेके कारण अपील किये बिना काम चलना सम्भव नहीं रहा है। मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि आर्थिक सहायता तुरन्त और बड़ी उदारतासे मिलेगी। एक और चीज जो इतनी ही जरूरी है वह है प्रबुद्ध जनमतकी अभिव्यक्ति। प्रजा सारी हकीकत ध्यानसे सोचे, समझे और तब सारे देशमें सार्वजनिक सभाएँ की जायें। श्रीयुत जयरामदासका यह सुझाव मुझे पसन्द आया है कि आगामी १२ जून या कोई दूसरा उपयुक्त दिन बारडोली दिवस घोषित किया जाये और उस दिन सब जगह सभी दलोंके लोगोंकी सभाएँ करके बारडोली-पीड़ितोंकी सहायताके लिए प्रस्ताव पास किये जायें और चन्दा इकट्ठा किया जाये।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३१-५-१९२८

४२८. दक्षिणमें अस्पृश्यता

धुर दक्षिणमें, अर्थात् केरलमें अस्पृश्यताका अत्यन्त निकृष्ट और भौंडा रूप दिखाई देता है; फिर भी दक्षिणके सुधारकोंने इस बुराईको दूर करनेके लिए अधिक, कमसे-कम पर्याप्त कार्य नहीं किया है। वे इस आन्दोलनके लिए उतना धन भी देना नहीं चाहते जितना आवश्यक है और जिसे वे दे सकते हैं। इसीलिए जब मैंने अपनी दक्षिणकी यात्रामें कालीकटमें वहाँके लोगोंसे रुपया इकट्ठा करना आरम्भ किया तो मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि बम्बईकी दक्षिण भारतीय बस्तीके लोगोंने यह विचार व्यक्त किया कि कालीकटमें जितना धन इकट्ठा किया गया है वे उससे बहुत अधिक रकम इकट्ठा कर देंगे और जब मैं बम्बईसे गुजरूँगा, वे वह रकम मुझे दे देंगे। जब मैं हालमें बम्बई गया था तब उनका एक शिष्टमण्डल इसी वादेको पक्का करनेके लिए मुझसे वहाँ मिला था और उसने मुझे विश्वास दिलाया था कि वे लोग उस वादेको भूले नहीं है, और रुपया इकट्ठा करनेके लिए 'अनुकूल समय' की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब शिष्ट-मण्डलके एक सदस्यने लिखा है:

> छोटी-छोटी तनख्वाहें पानेवाले बहुत-से युवक अपना रुपया घुड़-दौड़ोंमें और शहरोंके दूसरे प्रलोभनोंमें खर्च करते रहते हैं। यदि हम उन्हें उनकी इन वर्तमान कुप्रवृत्तियोंसे विरत कर सकें तो उस रकमसे उनके और बम्बई शहरके लाभार्थ कुछ किये जानेकी आशा की जा सकती है।

मुझे आशा है कि दक्षिण भारतीय युवकोंमें यह सुधार आन्दोलन गहरी जड़ पकड़ेगा। मेरी सलाह है कि वे 'अनुकूल समय' की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने या किसी भी अच्छे कामके लिए धन माँगने या धन देनेके लिए सभी समय उपयुक्त होते हैं। 'अस्पृश्य', अनुपगम्य' और 'अदर्शनीय' लोगोंके लिए किये जानेवाले कार्यसे अच्छा कार्य दूसरा नहीं हो सकता। यदि बम्बईमें रहनेवाले

दक्षिणी युवक अपनी कुछ महँगी विलासिताओं, जैसे सिगरेट पीना, घुड़दौड़ोंमें जाना, नाचघरोंमें जाना आदि, को त्याग भर दें, तो उसीसे बहुत बड़ी राशि एकत्र हो जाये। सभी धर्मोंमें यह विधान किया गया है कि लोग अपनी-अपनी आमदनियोंका एक हिस्सा धार्मिक कार्योंके लिए अलग निर्धारित करें। दुर्भाग्यसे आजकलके युवकोंने धर्मको अधिकतर तो तिलांजलि ही दे दी है। किन्तु यदि निरपवाद रूपसे सभीके द्वारा धार्मिक कार्योंके लिए अपनी-अपनी आमदनियोंका एक हिस्सा अलग किये जानेकी प्रथा पुनर्जीवित की जा सके तो अस्पृश्यता जैसे कार्योंके लिए 'अनुकूल समय' की प्रतीक्षा कभी न करनी पड़े।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया ३१-५-१९२८

४२९. पत्र : शचीन्द्रनाथ मित्रको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
३१ मई, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। अपने खयालसे तो मैंने जो सुझाव दिये हैं यदि उन्हें अपनाया जा सके, तो उनके जरिये मैंने आपके प्रश्नको सुलझा दिया है, क्योंकि विद्यार्थी, जब वे विद्याध्ययन कर रहे हों, खुद कताई करने और अपने प्रयोग और पहरावेके लिए खद्दर अपनानेसे ज्यादा या बेहतर कुछ और नहीं कर सकते। और यदि वे इतना भी नहीं कर सकते तो उनके द्वारा किसी ऐसे कामको कर सकनेकी आशा नहीं है, जिससे देशको कोई ठोस लाभ हो।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३६१२) की माइक्रोफिल्मसे।

४३०. पत्र : जी० एन० कानिटकरको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
३१ मई, १९२८

प्रिय कानिटकर,

आपका पत्र मिला। मैं इस बातपर हैरान हूँ कि आपने जमनालालजीकी राय लिये बिना बैठककी तारीख निश्चित कर ली है और उसपर आप उनसे यह आशा करते है कि वह बैठकमें उपस्थित हों। निस्सन्देह उनके अध्यक्ष होनेके नाते आपके लिए इतना करना तो उपयुक्त ही था कि आप बैठककी तारीख और कार्य-सूचीके बारेमें पहले उनसे सलाह-मशविरा कर लेते और तब परिपत्र जारी करते। अब जमनालालजी कोई ऐसी दूसरी तारीख नियत करनेके लिए आपको तार भेज रहे हैं, जब वह निश्चय ही उपस्थित होंगे।

जहाँ तक औषधालयका सम्बन्ध है मैंने आपको जो कुछ कहा वह इतना ही था कि यदि संघ-कौंसिल शर्तों आदिको स्वीकार कर लेगी तो राष्ट्रीय शिक्षण मण्डलको आवास भूमि पट्टेपर देनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब कि स्वावलम्बन पाठशालाके सम्पत्ति सम्बन्धी सारे अधिकार और चरखा संघ बिना शर्त हस्तान्तरित कर दिये जायें।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत जी० एन० कानिटकर
३४१, सदाशिव पेठ
पूना शहर

अंग्रेजी (एस० एन० १३६१३) की फोटो-नकलसे।

४३१. पत्र : अ० टे० गिडवानीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
३१ मई, १९२८

प्रिय गिडवानी,

मैं सोच ही रहा था कि मुझे आपका पत्र कब मिलेगा। इसलिए जब गिरधारीने मुझे आपका पत्र दिया तो मुझे प्रसन्नता हुई।

मै तो इन व्यक्तिगत बातोंको भी जिन्हें आप मामूली कहते है उतना ही विचारणीय मानता हूँ जितना कि बारडोलीको; क्योंकि म सहयोगियोंके बारेमें सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं आपकी सब कुछ त्याग कर एकदम बारडोली चले आनेकी इच्छाको समझता हूँ। परन्तु अभी ऐसा करनेका अवसर नही आया है। जब वह वक्त आयेगा आप देखेंगे कि मैं रत्ती-भर संकोच किये बिना आपको बुला भेजूंगा। और मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छे सिपाहीकी तरह, बुलाये जानेपर तुरन्त आ जायेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो वल्लभभाईके पास काफी कार्यकर्त्ता हैं।

मुझे खुशी है कि आपकी सेहत अब काफी बेहतर है और मुझे मालूम है कि गंगाबहनने अपनी सारी उदासी झाड फेंकी है। परन्तु उससे कहिए कि उसे अपनी गुजराती भूल नही जाना चाहिए। और यदि वह आपके काममें अबतक हाथ नही बँटा रही है तो अब जरूर बँटाए। वह कन्या स्कूलोंमें जाकर उनका संगठन कर एवं उन्हें तकली वगैरह सिखा कर बहुत कुछ कर सकती है।

साम्प्रदायिक समस्या हमेशा और हर जगह ही हमारे साथ है। मुझे आशा है कि इससे निबटना आपकी ताकतसे बाहर नही होगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १४४७५) की फोटो-नकलसे।

४३२. पत्र : इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अहमदाबादके प्रबन्धकको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१ जून, १९२८

प्रबन्धक
इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया
अहमदाबाद

प्रिय महोदय,

कृपया इस पत्रके साथ संलग्न हस्ताक्षरकी हुई रसीदके मुताबिक रु. ६५–१–८ की रकम पत्र-वाहकको दे दें।

आपका विश्वस्त,

संलग्न : १ रसीद

अंग्रेजी (एस० एन० १३४००) की फोटो-नकलसे।

४३३. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

१ जून, १९२८

अच्छा हो यदि तुम मेरे पत्रकी आशा किये बिना मुझे पत्र लिखते रहो।

[गुजरातीसे]
बापुनी प्रसादी

४३४. पत्र : विट्ठलभाई पटेलको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
बी० बी० सी० आई० रेलवे
१ जून, १९२८

भाईश्री विट्ठलभाई,

आपका पत्र मिला। मुझे आपका वह पत्र अभी तक तो नही मिला है; किन्तु उसे मैंने समाचारपत्रोंमें पढ लिया था। उसका बहुत अच्छा असर होगा। हरिलाल देसाईके लिए क्या कहूँ और क्या करूँ? वल्लभभाईके लिखे हुए पत्रकी नकल भेजनेके लिए महादेवने बारडोली पत्र लिखा है। हम तो अपना काम करते जायें। आप तो अपना हिस्सा पूरा अदा कर रहे हैं। कर्ता-हर्ता तो ईश्वर ही है न?

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (एस० एन० १४४३६)की माइक्रोफिल्मसे।

४३५. पत्र : केवलरामको

शनिवार, सुबह चार बजेसे पूर्व २ जून, १९२८

भाईश्री केवलराम,

तुम्हारा पत्र मिला। जवाब तो मैं जल्दी दे देता किन्तु समयके अभावके कारण आजतक ऐसा कर नहीं पाया। तुम्हारी तबीयत अबतक तो ठीक हो गई होगी। उसे बिलकुल ठीक करनेके लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

तुम्हारा स्वभाव जानते हुए मुझे तो यही भय है कि आश्रममें जो परिवर्तन हो चुके हैं या होनेवाले हैं उन्हें तुम सहन नहीं कर सकोगे।

स्त्री हो या पुरुष जवाबदारी लेनेपर दोनोंके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है।

सभी धीरे-धीरे संयुक्त रसोई-घरमें शामिल होते जा रहे हैं। इस समय वहाँ ९० व्यक्ति भोजन करते हैं।

मजदूरोंको धीरे-धीरे कम किया जा रहा है, इससे सबके लिए शारीरिक श्रम बढ़ गया है।

भैंसका दूध और घी त्याग देनेकी बात चल रही है और आश्रममें प्राप्त होनेवाले गायके दूधसे निर्वाह करनेका विचार है।

यदि तुम लौटकर आओ तो तुम्हें बुनाईके कामके लिए तैयार रहना ही है।

नियमावली[1] लगभग तैयार हो गई है, तैयार होनेपर तुम्हें नकल भेजूंगा।

ब्रह्मचर्यके नियमके कारण भाई हरिहर और तारानाथ चले गये हैं।

तुम दोनों खूब गहरा विचार करना। विचार करनेके बाद आश्रमके नियमोंका पूरा पालन करते हुए यहाँ रहनेका निश्चय करोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ११८०३) की माइक्रोफिल्मसे।

४३६. बारडोलीका महात्म्य

बारडोली सत्याग्रहका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। मुझे अभी-अभी विट्ठलभाई पटेलका पत्र मिला है। उसको पढ़कर किसका हृदय प्रसन्नतासे न नाच उठेगा? मैंने इस पत्रका अनुवाद इसी अंकमें दिया है। किन्तु श्री विट्ठलभाई पटेलने जिस आशाको लेकर यह पत्र लिखा है उसे फलवती करना बारडोलीके सत्याग्रहियोंके ही हाथमें है। विट्ठलभाईके पत्रके साथ ही सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। उस विज्ञप्तिका आशय यह है कि सत्याग्रही असत्याग्रही हैं। वे भीरु हैं और भीरु होनेसे चोरी-छुपे लगान दे जाते हैं। विज्ञप्तिमें ऐसी दूसरी बातें भी हैं जो सत्याग्रहियोंके लिए विचार करने योग्य है। सरकारने अपनी आशाओंका किला लोगोंकी दुर्बलता पर बनाकर रखा है। जबकि सत्याग्रहियों और विट्ठलभाई जैसे उनके हितैषियोंकी आशाका हिमालय उनकी वीरता और दृढ़ता पर खड़ा हुआ है। किला मनुष्यकृत होता है इसलिए वह टूट जाता है। हिमालय ईश्वरकी प्रसादी होनेसे अटल रहता है। यदि वह टूटेगा तो प्रलय हो जायेगा। यह सच ही है कि मनुष्य अपनी बेड़ी स्वयं ही बनाता है; और वह स्वयं ही उसको तोड़ भी सकता है। इस बातको सिद्ध करनेके लिए ही बारडोलीमें यह यज्ञ चल रहा है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन ३-६-१९२८

१. देखिए "सत्याग्रह आश्रम," १४-६-१९२८।

४३७. शिक्षा-विषयक प्रश्न–१

प्राथमिक शिक्षापर तीन लेख[1] लिखनेके बाद, अब नीचेके प्रश्नोंके उत्तर देना सहज हो गया है।

प्रश्न — आपने एक बार लिखा था कि अंग्रेजीका भार हलका करें तो वह विद्यार्थी जीवनके कई वर्ष बचानेके बराबर होगा। राष्ट्रीय शिक्षणका अर्थ अगर राष्ट्रव्यापी शिक्षण करें तो आपके विचारानुसार इसका बोझा समाजपर कितना और कितने वर्षका होगा?

उत्तर — पहले तो यह समझाना होगा कि अंग्रेजीका भार हलका करनेके क्या मानी है। मेरा मतलब यह बिलकुल नहीं है कि विद्यार्थीको अंग्रेजीका ज्ञान बिलकुल ही न दिया जाये। किन्तु जिस तरह कि कोई फ्रासीसी अंग्रेजी जानता हो, उसी तरह हम उसका ज्ञान पर-भाषाके रूपमें प्राप्त करें। अगर हम इसी हदतक अंग्रेजी जानें तो अंग्रेजीमें विचार करने, शुद्ध उच्चारणोंमें शुद्ध अंग्रेजी बोलने और शुद्ध अंग्रेजी लिखनेका बोझा न उठाना पड़े। मेरी मान्यता है कि इस बोझके कारण हर-एक विद्यार्थीका कमसे-कम ५ वर्षका समय तो नष्ट होता ही है। इतना ही नहीं, बल्कि उन पाँच वर्षमें होनेवाले परिश्रमसे उसकी विचार-शक्ति मारी जाती है, शरीर निर्बल हो जाता है, और वह किसी स्याहीसोखके समान केवल ऊपरी आकृतिकी नकल करनेवाला बन जाता है। अगर कोई आदमी पाँच वर्ष अपनी भाषाके जरिए ज्ञान लेनेमें खर्च करे तो कितना सीखेगा? कितना बचायेगा? अच्छेसे-अच्छे विचार अपनी भाषाके जरिये जल्दी जान लेगा और पर-भाषाके मुश्किल उच्चारण सीखनेके बोझके बच जायेगा।

प्रश्न — एक ओर बाल-शिक्षा दूसरी ओर महाविद्यालयकी शिक्षा; दोनों ही बहुत खर्चीली हैं। क्या सचमुच राष्ट्रीय शिक्षणमें ये दोनों समाहित की जा सकती है? अथवा कम खर्चमें उतनी ही ठोस शिक्षा देनेकी कोई योजना आपके पास है?

उत्तर — यह बतलानेका प्रयत्न मैंने पिछले तीन लेखोंमें किया है कि बालशिक्षा किस तरह सस्ती और स्वाश्रयी बनाई जा सकती है। अगर हम महाविद्यालयकी शिक्षाको, प्राथमिक-शिक्षाको मदद पहुँचानेवाला रूप दें तो वह शिक्षा भी सस्ती हो जाये, और विद्यार्थी भलीभाँति राष्ट्रके लिए पोषक प्रकारका ज्ञान पाने लगें। 'उतनी ही ठोस शिक्षा' का अर्थ अगर सरकारी शिक्षा जैसी शिक्षा ही हो तो यह अप्रस्तुत प्रश्न है; क्योंकि सरकारी शिक्षाको मैं ठोस गिनता ही नहीं हूँ। राष्ट्रीय महाविद्यालयकी या प्राथमिक शालाओंकी शिक्षा सरकारी शालाओंकी शिक्षासे भिन्न और कितनी बार नई और मौलिक प्रकारकी होगी। इसलिए वह स्वतन्त्र रूपसे ठोस है।

१. देखिए "'प्राथमिक शिक्षा' –१", १३-५-१९२८; –२, २०-५-१९२८; –३, २७-५-१९२८।

प्रश्न — पुरानी परम्पराके हिमायती विद्यार्थियोंमें गुरु-भक्ति उत्पन्न करनेकी कोशिश करते हैं। यह समझानेका प्रयत्न करते हैं कि हमें गुरुकी प्रसन्नतासे ही विद्या प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। गुरुकी भक्ति, सेवा, शुश्रूषा न करें तो गुरु बुरा मानकर विद्या देनेसे जी चुराता है। जिससे वह ऐसी बेईमानी न करे, इसलिए उसकी खुशामद करनी चाहिए। क्या यही गुरुभक्तिकी मीमांसा है?

उत्तर — मैं गुरुभक्तिको योग्य मानता हूँ। किन्तु प्रत्येक शिक्षक गुरु नहीं होता। गुरु-शिष्यका सम्बन्ध आध्यात्मिक और स्वयं स्फुरित होता है; वह कृत्रिम नहीं होता, वह बाहरके दबावसे पैदा नहीं होता। ऐसे गुरु आज भी हिन्दुस्तानमें हैं। (यहाँ मैं मोक्षदायी गुरुका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, यह चेतावनी देनेकी जरूरत नहीं होनी चाहिए।) ऐसे गुरुकी खुशामद सम्भव ही नहीं है। ऐसे गुरुके प्रति आदर स्वाभाविक होता है। गुरुका प्रेम भी स्वाभाविक ही होता है। इसलिए एक देने और दूसरा लेनेको हमेशा तैयार ही रहता है। बाकी सामान्य ज्ञान तो हम हरएकके पाससे ले सकते हैं। किसी बढ़ईके साथ मेरा कोई सम्बन्ध न हो, तो भी उसके पाससे उसके दुर्गुण जानते हुए भी मैं बहुत कुछ ले सकता हूँ, जिस तरह दुकानदारसे सौदा खरीदते हैं, उसी तरह उससे मैं बढ़ईगिरीका ज्ञान खरीद लेता हूँ। हाँ, यहाँ भी एक प्रकारकी श्रद्धा आवश्यक है। जिस बढ़ईसे मैं बढ़ईगिरीका ज्ञान लेना चाहता हूँ, उसके बढ़ईगिरीके ज्ञानमें मुझे श्रद्धा न हो तो मैं वह ज्ञान नहीं पा सकूँगा। गुरु-भक्ति अलग ही विषय है। जहाँ शिक्षाका उद्देश्य चरित्र गढ़ना ही हो, वहाँ गुरु-शिष्यका सम्बन्ध अत्यावश्यक है; और अगर वहाँ शुद्ध गुरु-भक्ति न हो तो चरित्र गढ़ा ही नहीं जा सकता।

[गुजरातीसे]
नवजीवन ३-६-१९२८

४३८. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
३ जून, १९२८

भाईश्री वल्लभभाई,

इसके साथ गवर्नरको लिखे जवाबका मसविदा भेज रहा हूँ। संघर्ष अच्छा चल रहा है। चिरंजीवी होओ। मेरी जरूरत हो तो पत्र लिख देना या तार करना। तुम पकड़े जाओगे, यह अफवाह सुननेमें आती है। पकडे गये तो कुछ आराम मिलेगा और न पकड़े गये तो हमने कभी हार न माननेकी सौगन्ध ली है न?

बापू

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो : सरदार वल्लभभाई पटेलने

४३९. पत्र : वसुमती पण्डितको

साबरमती
मौनवार [४ जून, १९२८][1]

चि० वसुमती,

तुम्हारे पत्र नियमित रूपसे मिलते रहते है। मेरे पत्रकी पहुँच तो लिखा करो। मै तो नियमित रूपसे नही लिख पाता हूँ। यह सुबह चार बजे लिख रहा हूँ। अभी घंटी बजना शुरू हुआ है। अब भी अक्षरोमें सुधारकी गुंजाइश है। तुम्हारा एक पत्र बहनोको पढ़कर सुनाया था। जहाँतक बन सके नौ बजेसे पहले सो जाना और चार बजे उठना। कसरत कर पाती हो? खटमलोंके लिए कोई दवा काममें लाना। पूरी सफाईके बारेमें कोई सुझाव हो तो लिखना। गुजराती लड़कियाँ कितनी है? इस समय रसोईमें ९० व्यक्ति जीमते है। अभी और शामिल होते जा रहे है। किन्तु यह सब तो दूसरे भी लिखते होगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७६) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

१. डाककी मुहरसे।

४४० पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

साबरमती
४ जून, १९२८

प्रिय मित्र और भाई,

आप मुझे अपनी तरफकी घटनाओंकी जानकारी नियमित रूपसे दे रहे हैं। उनसे मुझे बड़ी मदद मिलती है।

मैं उन दो निर्णयोंपर इस सप्ताह बड़ी सावधानीके साथ 'यंग इंडिया' में एक लेख[1] लिख रहा हूँ। यदि हो सका तो मैं आपको उस लेखकी एक अग्रिम प्रति भेज दूंगा।

प्रागजीने मुझे एक लम्बा पत्र लिखा है। वह अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने आपके समुद्री तार पर कार्यवाही की है और वहाँ अपने मित्रोंको समुद्री तार[2] भेज दिया है कि उन्हें निर्देशनके लिए आपपर भरोसा रखना चाहिए।

आशा है कि आप ठीक होंगे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ८८१५) की फोटो-नकलसे।

४४१. बारडोली दिवस

साबरमती
५ जून, १९२८[3]

मैं आशा करता हूँ कि बारडोली दिवस, आगामी १२ जूनको सारे हिन्दुस्तानमें उचित ढंगसे और उत्साहसे मनाया जायेगा। इसे मनानेका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जहाँ-कहीं सम्भव हो काम बन्द रखा जाये और सारा दिन बारडोली पीड़ितोंकी और इस संघर्षके संचालनमें श्रीयुत वल्लभभाई पटेल तथा उनके कार्यकर्त्ताओंकी सहायताके लिए धन जमा करनेमें लगाया जाये; सार्वजनिक सभाएँ की जायें, जिनमें और ज्यादा चन्दा जमा किया जाये और सत्याग्रहियोंकी माँगोंके समर्थनमें और सरकारके जुल्मोंके विरोधमें प्रस्ताव पास किये जायें। स्वयंसेवकोंकी माँग करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीयुत वल्लभभाईके पास उनके काम लायक काफी स्वयंसेवक हैं।

१. देखिए "दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय", ७-६-१९२८।

२. देखिए "तार: दक्षिण आफ्रिकी भारतीय कांग्रेसको", २९-५-१९२८ या उसके पश्चात्।

३. इस शीर्षक सम्बन्धी एक रिपोर्ट बॉम्बे क्रॉनिकल, ६-६-१९२८ में छपी थी। यह तिथि वहींसे ली गई है।

देशके सब भागोंसे स्वयसेवक भेजे जानेके प्रस्ताव आये है। और अगर अधिककी जरूरत हुई तो मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि सारे देशमें स्वयसेवक तैयार बैठे है। महाराष्ट्र, सिन्ध और दूसरे प्रान्तोसे मित्रोंने मुझे सन्देश भेजे है कि वल्लभभाई इस बातका भरोसा रख सकते है कि उन्हे लगभग अनगिनत स्वयसेवक मिल सकते है। इन शब्दोमें जो आशावादिता व्यक्त हुई है, मुमकिन है, वह बहुत ज्यादा हो किन्तु उसमें उचित कमी करनेके बाद भी यह तो बेशक कहा जा सकता है कि अगर जरूरत पड़ी और माँग हुई तो पुरुष और स्त्रियाँ यथेष्ट सख्यामें सामने आयेंगे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ७-६-१९२८

४४२. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

मंगलवार [५ जून, १९२८][1]

चि० शान्तिकुमार,

इसके साथ सुमन्तका पत्र है। अब क्या करूँ यह समझ नही आता। देखता हूँ कि इस आरोपका उत्तर जरूर देना चाहिए। यदि तुम कहो तो उसे यहाँ बुला लूँ। किन्तु अच्छा तो यह होगा कि उसने विवेकको बिलकुल छोड़ न दिया हो तो तुम्ही उसके साथ उसके पत्रके विषयमें बात करो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७०५)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : शान्तिकुमार मोरारजी

४४३. पत्र : विट्ठलभाई पटेलको

आश्रम
बुधवार, ज्येष्ठ वदी ३, [६ जून, १९२८][2]

भाईश्री विट्ठलभाई,

स्वामीका पत्र मुझे मिल गया है। मुझे लगता है कि जो समिति नियुक्त की जायेगी यदि उसका निर्णय किसानोंके विरुद्ध जाता है तो उसके अनुसार उनको जो धन देना पड़ सकता है, उसे आज ही बैंकमें रखनेकी शर्तको हम कबूल नही कर सकते। मै देखता हूँ कि समितिके प्रति वल्लभभाई और किसानोंको अविश्वास है। अभी तो किसान इस बातपर लड़ रहे हैं कि लगानमें अनुचित वृद्धि की गई है। किन्तु जिस समितिके निर्णयसे बँधना उन्होने स्वीकार किया है उसका निर्णय

१. डाककी मुहरसे।
२. साधन सूत्रमें ज्येष्ठ वदी ४ है पर बुधवार ज्येष्ठ वदी ३ को ही था।

उनके विरुद्ध जाये तो भी वह पैसा न भरेंगे या वल्लभभाई उनकी सहायता नहीं करेंगे, ऐसा मान बैठनेके लिए सरकारके पास कोई कारण नही है। अतः अपने स्वाभिमानकी खातिर भी हम पैसा बैंकमें रखनेकी शर्तको कबूल नही कर सकते। लोगोंका पूरा इकरारनामा सार्वजनिक रूपसे होगा। वल्लभभाईका इकरारनामा भी सार्वजनिक रूपसे होगा। बढ़ी हुई रकमको छोड़कर लगान अर्थात् पाँच लाख तो लोग भर ही देंगे। बाकीकी रकमको वसूल करना तो सरकारके लिए बहुत आसान काम होना चाहिए। किसी भी रीतिसे बढ़ी हुई रकमको पहले वसूल करनेकी बातमें मुझे बदनीयतीकी गन्ध आती है। नाममात्रके लिए किसी समितिको नियुक्त कर दिया जाये तो उससे हमें सन्तोष नही होगा। फिर यह समिति निष्पक्ष और खुली होनी चाहिए। लोगोंके इतना साहस दिखानेके बाद हमें ढीला पड़नेका कोई अधिकार नहीं है। अन्तमें यदि लोगोंको हारना ही पड़ा तो हारेंगे, किन्तु हमें तो उनके हारनेमें योग नहीं देना चाहिए।

आप महाबलेश्वर कब और किसके निमन्त्रण पर जायें, इसका विचार आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। अभी तो ऐसा नही लगता कि स्वामीके पत्रमें से कोई बात रह गई हो।

बापू

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी
सौजन्य : नारायण देसाई

४४४. पत्र : बेचर परमारको

आश्रम
बुधवार, ज्येष्ठ वदी ३, [६ जून, १९२८][1]

भाईश्री ५ बेचर,

तुम्हारा पत्र मिला। उसका एक जवाब तो यह है कि जो धन्धा नीतिके विरुद्ध हो वह सदा ही त्याज्य है। दूसरा यह है कि वर्ण सिर्फ चार हैं और उनमें अनीति नही है। और इसलिए अपने वर्णमें रहते हुए, माता-पिताने जो अनीति ग्रहण की हो उसे छोड़ दें, ताकि उसी वर्णमें रहकर दूसरा काम किया जा सके।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (जी० एन० ५५७२) की फोटो-नकलसे।

१. वर्ण-व्यवस्थाके उल्लेखसे लगता है कि यह पत्र १९२८ में ही लिखा होगा। देखिए "पत्र: बेचर परमारको", २३-६-१९२८ तथा पिछले शीर्षककी पाद टिप्पणी।

४४५. पत्र : वसुमती पण्डितको

आश्रम

बुधवार, ज्येष्ठ वदी [३, ६ जून, १९२८][1]

चि० वसुमती,

तुम्हारे पत्र मिलते रहते हैं। इस समय तक मेरा पत्र भी मिल गया होगा। गंगाबहन और मणिबहन बम्बई गई है। संयुक्त रसोईमें अब ९० से भी ज्यादा व्यक्ति जीमते हैं। लीलाबहन भी १५ दिनके लिए आई है। भाई चमनलाल भी वही भोजन करते हैं। काम तो अच्छा चल रहा है। बालकृष्ण आजकल यही है। छगनलाल और प्रभुदास कल आ गये हैं। भैंसका दूध और मुख्य रूपसे भैंसका घी आता है, इसलिए घीका त्याग करनेकी बात आश्रममें हो रही है। वहाँ पाखानोंकी कठिनाई दूर करनेका कोई आसान तरीका सोचकर बताना चाहिए। अन्तत. मिट्टीका उपयोग तो होना ही चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ५७८) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

४४६. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

६ जून, १९२८

भाईश्री घनश्यामदासजी,

आपका पत्र मीला है। आसनोसे फायदा है ऐसा मैं भी मानता हुं। आसनोकी पसंदगीमें ज्ञानकी आवश्यकता है ऐसा मैंने देखा है।

अगस्ट मासमें मैं आश्रममें ही हुगा ऐसा अब तो लगता है। अवश्य आइये।

आपका,
मोहनदास

श्रीयुत घनश्यामदास बिडला
बिड़ला पार्क
बालीगज, कलकत्ता

सी० डब्ल्यू० ६१५९ से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

१. डाककी मुहरसे। साधन सूत्रमें ज्येष्ठ वदी ४ है पर बुधवार ज्येष्ठ वदी ३ को था।

४४७. पत्र : चीमनलाल वोराको

ज्येष्ठ कृष्ण ३ [६ जून, १९२८][1]

भाई चीमनलालजी,

आपका पत्र मीला। पांच वस्तुका मतलब पांच ही है। दवामें भी दो पदार्थ आ जाय तो दो गीना जाय। नमक अलग पदार्थमें नहिं है। आजका मेरा खोराक बकरीका दूध, भाजी, घेउं, लींबु, बादाम है। हलंगी अलग गीनी जाती है। क्वीनीनके साथ कुछ और चीज भी लाई जाय तो दो वस्तु हो जायगी इ०।

मेरा विश्वास है की जहां तक मनुष्य प्रयत्नको स्थान है यहां तक आयु बढ़ाना घटाना संभव है। आखरमें करनेवाला ईश्वर ही है परन्तु किसीको अपना निमित्त बना लेता है।

आपका,
मोहनदास गांधी

श्री चीमनलाल गुलाबचंद वोरा
श्रीमाली मोहल्ला
रतलाम

जी० एन० ६३०० की फोटो-नकलसे।

४४८. दोनों पहलू

अभी उस दिन ही मुझे उत्तरी खण्डके कमिश्नरके जिस पत्रकी आलोचना करनेका दु:खद काम करना पड़ा था, बारडोली सत्याग्रह पर बम्बई सरकारकी विज्ञप्ति भी उसी पत्रकी श्रेणीकी है। इस विज्ञप्तिका आरम्भ इस अपमानजनक कथनको दुहरा-कर किया गया है कि श्रीयुत वल्लभभाई और उनके दूसरे साथी बाहरके लोग हैं। यहाँ उन्हें 'बाहरी' कहनेके बजाय बारडोलीमें न रहनेवाला कहा गया है। इसके बाद विज्ञप्तिमें बहुत बेहयाईसे इस तथ्यका उल्लेख किया गया है कि जब उनकी जब्ती करनेकी कोशिशें बेकार गईं, तब सरकारने 'संगठित रूपसे भैंसें या दूसरी चल सम्पत्तिको जब्त करना शुरू किया।' श्रीयुत वल्लभभाईके प्रचार विभागने यह दिखा दिया है कि भैंसें जब्त करनेके क्या मानी होते हैं। इसके बाद विज्ञप्तिमें बड़े गर्वसे कहा गया है कि जब्तीके काममें तथा जब्त किये गये मवेशियोंकी देखभालमें मामल-तदारों और महालकारियोंकी मददके लिए चालीस पठान बुलाये गये हैं। प्रचार

1. डाककी मुहरसे।

विभागने यह भी बता दिया है कि पठानोंको लानेके क्या मानी हुए हैं। वैसे तो प्रचार विभागकी मददके विना भी हम इसके अर्थका सहज ही अनुमान लगा सकते थे। पठानोंको चाहे सरकार नौकर रखे या सामान्य लोग मगर सब जानते हैं कि ये दोस्त किसलिए रखे जाते हैं। बहरहाल कोई पठानोको यहाँ लानेका कही यही सर्वमान्य अर्थ न लगा ले, इसलिए विज्ञप्ति कहती है, "इन पठानोंपर निराधार आरोप लगाये गये हैं। सरकारको विश्वास है कि उनका बरताव हर तरहसे आदर्श रहा है।" इस कैफियत पर किसे हँसी न आयेगी। जैसा कि सरकारका दावा है, अगर पठानोको वेठियोंकी[1] जगहपर बुलाया गया है, क्योकि उन्हें जाति-च्युत करनेकी धमकी दी गई 'बताई जाती' है, तो फिर यह सवाल पूछना युक्ति-संगत है कि दूसरी जगहोसे वेठियोंको बुलाने या किन्ही दूसरे कुछ नम्र लोगोको लानेके बदले ये पठान ही क्यों चुने गये हैं? सरकार तो इस बातकी हँसी उडाती है और उसे अविश्वसनीय बताती है कि "एक जिम्मेवार सरकारी अधिकारीकी नजरके नीचे पाँच-पाँच पठानोंके पाँच दल, नब्बे हजार मनुष्योकी बस्तीको आतंकित कर सकते है।" फिर भी हिन्दुस्तानके लोगोंको अनुभव है कि अधिकारका बल पाकर एक भी पठान सारे गाँवमें क्या कर सकता है। निस्सन्देह यह हमारे लिये एक अपमानकी बात है कि पठान या ऐसे ही कोई दूसरे आदमी बहुसंख्यक समुदायोको आतंकित कर सकते हैं, मगर दुर्भाग्यसे इस आतंकित और भयाक्रान्त हिन्दुस्तानमें यह रोजमर्राकी बात है। और अगर बारडोलीकी हमारी इस लडाईसे और कुछ भी नहीं हुआ, लोगोने केवल आदमियों और अफसरोका डर छोड़कर पठानोको मित्र बना लिया तो भी मैं समझूंगा कि बारडोलीकी लड़ाई अच्छी तरह लडी गई है।

मगर विज्ञप्तिमें केवल चल सम्पत्तिकी जब्तीके बारेमें जो जोर जबरदस्तीके तरीके अपनाये जा रहे हैं उन्हें ही गिनाकर सन्तोष नही किया गया है। उसमें जमीनकी जब्तीका भी जिक्र किया गया है। सरकारको यह कबूल करते हुए भी शर्म नही आई कि "विज्ञप्ति निकलनेके समय तक १४०० एकड जब्त की गई जमीन बेच दी गई है और अगर उसका बकाया लगान जल्दी ही न चुकाया गया तो वक्त आने पर ऐसी ५००० एकड जमीन और बेच दी जायेगी।" और फिर बिलकुल नाहक उसमें ये शब्द और जोड़े गये है कि "इस तरह बेची हुई जमीन फिर कभी नही लौटाई जायेगी।" विज्ञप्तिमें और भी कई दूसरी बातें है जिनपर टीका की जा सकती है, मगर मैं जब्त करता हूँ।

विज्ञप्तिमें उन लोगोके लिए कुछ अपमानजनक रियायतोकी घोषणा की गई है, जो १९ तारीखके पहले अपना कर भर देंगे। स्वाभिमानी पुरुषोंके लिए इसका एक ही जवाब सम्भव है, और वैसा जवाब देना बारडोलीके लोगोका काम है। जब उन्होने यह लड़ाई छेड़ी तब वे इसके नतीजे जानते थे। मुझे इसमें जरा भी शक नही है कि वे लड़ाईके अन्तिम अंकमें भी वैसी ही वीरता और धीरता दिखलायेंगे, जैसी कि उन्होने शुरूमें दिखाई थी।

१. बेगारमें काम करनेवाले मजदूर।

एक ओर सरकारकी यह विज्ञप्ति है, दूसरी ओर श्रीयुत विट्ठलभाई पटेलने मेरे पास एक खत भेजकर १,०००) रु०की अच्छी खासी रकम, जबतक सत्याग्रह चलता रहे, तबतक मासिक सहायताके रूपमें देते रहनेकी घोषणाकी है। एसेम्बलीके अध्यक्षके रूपमें अपने उज्ज्वल कार्य-कालमें श्रीयुत विट्ठलभाई पटेलने जनताके अधिकारोंकी रक्षाकी है। पद पानेसे उनको थोड़ा भी मद नहीं हुआ है, और ना ही उन्होंने देशकी इज्जतको बट्टा लगाया है। उन्होंने बिलकुल निष्पक्षतासे काम लिया है। और साथ ही जब कभी उन्हें अपने पदपर रहते हुए अवसर मिला है, प्रजाका प्रतिनिधि बनकर काम करनेमें उन्हें न तो झिझक हुई है, और न डर ही लगा है। विदेशी शासकोंने यह गुलामीकी परम्परा स्थापित कर दी है कि जो लोग सरकारसे तनख्वाह पाते हैं, उन्हें किसी भी हालतमें सरकारके विरुद्ध लड़ाईमें प्रजाके पक्षके प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि सरकार अपने ही बनाये नियमोंके भी विरुद्ध चले, तब भी। श्रीयुत विट्ठलभाई पटेलने इस गुलामीकी बुरी परम्पराको तोड़ दिया है। और वे इस परम्पराको इसलिए तोड़ सके हैं कि उन्होंने अपना पद न तो सम्मानके लिए और ना ही इससे मिलनेवाले वेतनके लिए स्वीकार किया है, बल्कि, जैसा कि वे अपने पत्रमें लिखते हैं, निर्वाचकोंकी ओरसे न्यासके रूपमें स्वीकार किया है। यह भी याद रखना चाहिए कि एसेम्बलीका अध्यक्ष बादशाहका सांविधिक नौकर नहीं है। वह तो प्रजाका प्रतिनिधि है और राजनीतिक वाद-विवादोंमें सक्रिय रूपसे शामिल हुए बिना, उसे प्रजाके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करनेका पूरा अधिकार है। अध्यक्ष चुन लिये जानेके बाद विट्ठलभाई किसी दल विशेषके आदमी न रहे, मगर उन सभी संयुक्त दलोंके प्रतिनिधि तो अवश्य ही है, जिन्होंने उनको अपना अध्यक्ष चुना है। इसलिए उन्होंने प्रजाके पक्षमें जो बहादुरीका काम किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। अगर विदेशी सरकारकी बनाई विधान सभाओंमें जाना किसी तरह भी उचित कहा जा सकता है तो उनमें जानेवालों और पद स्वीकार करनेवालोंके लिए श्रीयुत विट्ठलभाईने रास्ता दिखा दिया है कि वे शालीनता और निर्भयतासे कैसे काम कर सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ७-६-१९२८

४४९. नौ नकद न तेरह उधार

अ० भा० चरखा-संघके मन्त्री लिखते है:

> संघकी प्रान्तीय शाखाओंकी कुल उधार-बिक्री रु० १,५४,४८८-१३-८½ तक पहुँची है यानी इन शाखाओंमें कुल जितनी पूँजी लगी है, उसका १५ प्रतिशत तो उधारमें लगा हुआ है। और यह भी उधार-बिक्रीको रोकके लिए कौंसिलके प्रस्तावके बावजूद। इसका मुख्य कारण हमारे कार्यकर्त्ताओंका भय है। उन्हें डर है कि अगर उधार-बिक्री बिलकुल रोक दी जाये तो बिक्री कम हो जायेगी। यह भय निराधार है। तमिलनाडने उधारकी बिक्री बिलकुल बन्द कर दी है, मगर तो भी हिन्दुस्तानभरकी सभी खादी दुकानोंमें सबसे ज्यादा बिक्री यहींकी है। आप हमारी विभिन्न शाखाओं और जनताको समझा दीजिए कि पिछले अनुभवसे यह प्रकट होता है कि उधार बिक्रीसे खादीके काममें नुकसान होता है, क्योंकि ग्राहक उधार चुकानेमें देर करते हैं और हमारी पूँजी जो पहले ही बहुत ज्यादा नहीं, बन्द पड़ी रहती है।

ऊपरके पत्रमें दी गई चेतावनीका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। जबतक खादीका हमारा यह राष्ट्रीय उद्योग अपनी शैशवावस्थामें है, और इसलिए जबतक उसे जनताकी प्रेमपूर्ण शुश्रूषा और संरक्षणकी जरूरत है, तबतक तो खादी भण्डारोंमें उधार-बिक्री होनी ही नही चाहिए। हमें केवल देशभक्त जनता ही के समर्थनका भरोसा रखना चाहिए और अगर हम नकद बिक्री न कर सकें तो हम नकद दाम देनेकी अनिच्छाका यह अर्थ लगा सकते है कि जनता खादीको संरक्षण नही देना चाहती। किन्तु अपनी अनेकानेक यात्राओंमें मेरा तो यही अनुभव रहा है कि जब लोगोंको खादीकी जरूरत होती है तब वे इसके लिए खुशीसे नकद दाम दे देते है, जब कि अपने दूसरे सौदेके लिए उधार करते हैं। जो लोग खादी चाहते है, वे उसके लिए नकद दाम दें। यह तो कमसे-कम संरक्षण है जिसकी कि खादी हकदार है। बिक्री भण्डारोंके व्यवस्थापकोंको यह भय बिलकुल नही होना चाहिए कि उधार बिक्री बन्द कर देनेसे खादी नहीं बिकेगी। खादीकी नकद बिक्री कर सकनेके लिए उन्हें पास-पड़ोसमें प्रचार कर सकनेकी अपनी योग्यतापर ही भरोसा रखना चाहिए। और केन्द्रीय कार्यालय आदेशके विरुद्ध तो उन्हें उधार बिक्री किसी हालतमें करनी ही नही चाहिए। अनुशासनका तकाजा है कि अगर उन्हें उधार दिये बिना खादी भण्डारोंको चलानेकी अपनी योग्यताका विश्वास न हो तो वे प्रधान कार्यालयको इसकी सूचना दें और कामसे छुट्टी पानेके लिए कहें। प्रधान कार्यालयसे यह आशा की जानी चाहिए कि उसे यह मालूम है कि खादीको कमसे-कम समयमें व्यावहारिक रूप किस तरह दिया जा सकता है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ७-६-१९२८

४५०. दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय

दक्षिण आफ्रिकी सर्वोच्च न्यायालयके ट्रान्सवाल प्रान्तीय विभागने अभी हालमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण मामलोंमें निर्णय दिया है। इनमें से एक मामला सुरेन्द्र बापूभाई मेढ बनाम प्रवासी अपील बोर्डका था। यह यद्यपि स्वतः महत्वपूर्ण है, किन्तु इसका प्रभाव भारतीयोंके थोड़ेसे उन विशेष मामलोंपर ही पड़ता है, जिनको शिक्षित भारतीयोंकी हैसियतसे स्मट्स-गांधी समझौतेके अन्तर्गत छूट मिली थी। संघ सरकारका कहना था कि ये छूटें पूरी नहीं थीं। मुझे इसकी इससे अधिक विस्तृत चर्चा करनेकी आवश्यकता नहीं है। अब न्यायालय इस निर्णयपर पहुँचा है कि अपीलकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत दृष्टिसे ये छूटें पूरी थीं।

दूसरा मामला दया पुरुषोत्तम बनाम प्रवासी अपील बोर्डका था। भारतीय प्रवासियोंके लिए इसके परिणाम बहुत दूरगामी हैं। इस मामलेके फैसलेमें कहा गया है कि १९२७ के अधिनियम ३७ का खण्ड ५ पीछेकी तिथिसे लागू नहीं होता। इस कारण जाली तौरपर लिये गये प्रमाणपत्र प्रवासी बोर्ड अथवा प्रवास अधिकारीकी मर्जीके मुताबिक रद नहीं किये जा सकते। यदि यह फैसला कायम रहता है तो वे लोग, जिनके पास ऐसे प्रमाणपत्र हैं, मूलतः दोषी होनेपर भी अप्रभावित रहेंगे। यह प्रवासियोंकी बहुत बड़ी जीत है। मेरी यह इच्छा कदापि नहीं है कि किसी भी तरहकी जालसाजीका समर्थन किया जाये। किन्तु इन प्रवासियोंका मामला मामूली जालसाजीका मामला नहीं है। कई मामलोंमें, कमसे-कम १९१४ तक एशियाई दफ्तर एक रिश्वतखोर महकमा था; इस कारण वैध-प्रवेशकर्त्ताओंके लिए एशियाई दफ्तरके अधिकारियोंकी लोभवृत्तिकी तृप्तिके लिए टेढ़े तरीके अख्तियार किये बिना प्रवेश पाना लगभग असम्भव था। जहाँ सरकारी अधिकारी जालसाजीमें शामिल हों वहाँ सरकारका असहाय पीड़ितोंको दण्ड देना उचित नहीं है।

दक्षिण आफ्रिकी प्रवासियोंसे प्राप्त तारोंसे मुझे पता चला है कि सरकार इन दोनों फैसलोंके खिलाफ अपील कर रही है। मैं संघ सरकारसे नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि वह भारतीयोंको इन दोनों अपीलोंसे प्राप्त लाभोंसे वंचित न करे। ऐसा करना उसकी समझौतेकी वृत्ति और सद्भावकी नई भावनाके अधिक अनुरूप होगा। पहली अपीलके फैसलेसे सिर्फ थोड़ेसे ही व्यक्तियोंका बचाव होता है। उनके मामलोंमें जालसाजीका कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी अपीलके फैसलेसे इस समय संघमें मौजूद काफी लोगोंका बचाव होता है। यदि संघ सरकारने जितने भारतीयोंकी मौजूदगी मानी है, वह उससे कुछ ज्यादा भारतीयोंको खपा लेगी तो इससे उसपर कोई गम्भीर संकट नहीं आ जायेगा। संघ सरकारको यह याद रखना चाहिए कि ये अपीलें खास तौरसे गरीब भारतीयोंके लिए तो बहुत ही खर्चीली पड़ी हैं। एक सुगठित शक्तिशाली सरकारके लिए मुकदमा जीते हुए नागरिकोंको अपील अदालतोंमें घसीटना और उन्हें थका-थका कर उनसे घुटने टिकवाना या उनकी उससे भी खराब

हालत करना मुनासिब नही है। दैत्य जैसी शक्ति प्राप्त कर लेना तो ठीक है; किन्तु उसका उपयोग बौनोंके विरुद्ध करना निस्सन्देह बुरा है।

यदि प्रवासी इन अपीलोमें अपनी जीतपर कोई ज्यादा उम्मीदें न बाँधेंगे तो अच्छा होगा। उन्हें शास्त्री जैसे महान् मित्र और परामर्शदाता मिले है। वे अपना मामला उनके सामने पूरे जोरसे रखें; किन्तु उसके बाद वे जो परामर्श दें उसके अनुसार कार्य करे। वे उनकी ओरसे संघ सरकार पर उनका जितना प्रभाव है उस समस्त प्रभावका उपयोग करेंगे। मै प्रवासियोंके समुद्री तारोका स्वागत करता हूँ। उनका मुझपर जो विश्वास है, मै उसकी भी कद्र करता हूँ। किन्तु मै सन् १९२०में इतनी दूर और बदली हुई स्थितियोमें रहता हुआ सहायता करनेकी अपनी सामर्थ्यको बहुत ही सीमित पाता हूँ। इसलिए उनकी शक्ति पारस्परिक एकता, नरम रुख और उस व्यक्तिमें आस्था रखनेपर निर्भर करती है, जो वहाँ भारत सरकारका एजेंट जनरल ही नही है, बल्कि उनका सच्चा और सशक्त मित्र और मार्गदर्शक भी है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ७-६-१९२८

४५१. पत्र : कृष्णप्रसादको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
७ जून, १९२८

प्रिय मित्र,

बाबू रूपनारायणसे यह सुनकर कि आप खादी आन्दोलनमें अत्यधिक दिलचस्पी ले रहे है और आपने स्वयं भी कातना शुरू कर दिया है, मुझे प्रसन्नता हुई। मैसूर राज्य द्वारा खादी आन्दोलन किस प्रकार चलाया जा रहा है, इस ओर मै आपका ध्यान् आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नही है कि यदि इस आन्दोलनको भली प्रकार चलाया जाये तो निजामकी रियासतके गरीब किसानोंके लिए यह एक वरदान सिद्ध होगा।

बाबू रूपनारायणने बताया है कि मै आपके और आपके बड़े बेटेके सूतका नमूना पानेकी आशा रख सकता हूँ। मै नमूनोको पानेकी बाट जोह रहा हूँ। यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो ये नमूने हमारे सग्रहालयमें रखे जायेंगे, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्तियो द्वारा काते गये सूतके नमूने इकट्ठे किये जाते है।

हृदयसे आपका,

परमश्रेष्ठ महाराजा सर कृष्ण प्रसाद
यामिनस्सल्तनत
सिटी पैलेस, हैदराबाद, दक्षिण

अंग्रेजी (एस० एन० १३६१४) की माइक्रोफिल्मसे।

४५२. लेस्ली विलसनको लिखे गये पत्रका मसविदा

[७ जून, १९२८][1]

मेरे इस माहकी ४ तारीखके पत्रका उत्तर तत्काल देनेके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

आपके पत्रसे यह जाहिर है कि हम विरोधी दिशाओंमें काम कर रहे हैं। मेरी समझमें नहीं आता कि चूँकि मेरा जनतामें महत्वपूर्ण पद है इसलिए समान महत्वपूर्ण पदवाले दूसरे व्यक्तिको ऐसा एक मैत्रीपूर्ण पत्र क्यों न लिखूँ, जिसमें उसका ध्यान उस बातपर आकृष्ट किया गया हो, जिसे मैं उसके अधिकारियों द्वारा कानून या सरकारी कर्त्तव्यका गम्भीर उल्लंघन समझता हूँ। मैं जो बयान देता हूँ, उनके बारेमें अपने पदके कारण मेरी जो स्थिति बन गयी है उसे ध्यानमें रखते हुए मैं प्रमाण नहीं दे सकता, इस तथ्यका यह अभिप्राय नहीं कि मेरे पास ऐसे बयानोंका कोई आधार नहीं है या कि मैं जन-हितको ध्यानमें रखते हुए एक साथी अधिकारीको वे बयान गोपनीय रूपमें भी न दूँ।

यदि आप मेरे ४ तारीखके पत्रको फिरसे पढ़ें तो उससे आपको पता चलेगा कि मैंने यह नहीं कहा है कि मेरे पास प्रमाण नहीं हैं। इसके विपरीत मैंने तो आपको मुझे जो जानकारी मिली है उसके स्रोत बताये हैं। यदि आप उन बयानोंको प्रमाणित करवाना चाहते हैं तो क्या अब यह आपपर ही निर्भर नहीं है कि आप इसका एकमात्र सम्भव तरीका अपनायें अर्थात् जाँच-समिति नियुक्त करें? अन्यथा, आप मुझे बताइये कि मैंने आपको जो बयान दिये हैं, वे सही हैं या गलत; इसके बारेमें आप और किस तरह सन्तुष्ट हो सकते हैं?

आपके पत्रके तीसरे अनुच्छेदके सम्बन्धमें मैं यह कहूँगा कि मेरा आपपर विश्वास न करनेका कोई प्रश्न नहीं है। मैंने आपके पत्रका हवाला यह दिखानेके लिए दिया था कि जिस वक्त आपने मुझे वह पत्र लिखा था उस वक्त आपने कोई जाँच नहीं करवाई थी। स्पष्ट ही आप ऐसा सोचते मालूम होते हैं कि कमिश्नरका पत्र आपत्तिजनक नहीं है, परन्तु मेरी रायमें तो यह पत्र अत्यन्त अपमानजनक है और यह सारे कानूनकी अवज्ञा चाहे न करता हो किन्तु यह सारी व्यवस्था और भद्रताकी अवज्ञा जरूर करता है और सब तरहके शासकीय उत्तरदायित्वसे रहित है। और पिछली १७ तारीखके आपके पत्रके अन्तिम अनुच्छेदसे, जो कि स्पष्ट है, पता चलता है कि उस वक्त जब आपने उसे लिखा था आपने मेरे द्वारा लगाये गये आरोपोंकी कोई जाँच नहीं की थी।

जहाँ तक आपके पत्रके चौथे अनुच्छेदका सम्बन्ध है, मैं आपको विश्वास दिला दूँ कि मेरा पत्र किसी भी तरह शीघ्रतामें नहीं लिखा गया था। मैंने यह बयान पूर्ण उत्तरदायित्वकी भावनाके साथ सोच-विचार कर दिया था।

१. यह अगले शीर्षकके साथ संलग्न था।

अन्तमें मैं आपसे ये दो प्रश्न पूछता हूँ:

क्या आप उत्तरी खण्डके अधिकारीके पत्रपर जिसकी ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था कोई विचार करना चाहते हैं या नहीं?

क्या आप उन आरोपोंकी जाँच कराना चाहेंगे जिनकी ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है?

जिन बयानोंपर मुझे यकीन है और यदि जाँच-समितिकी नियुक्ति की जाये तो जिनकी पुष्टिमें काफी प्रमाण दिये जा सकते हैं, निम्नलिखित हैं:—

१. कुर्कीके बहुतसे मामलोंमें पंचनामे तैयार नहीं किये गये, रसीदें नहीं दी गईं और कुर्क की गई सम्पत्तिका कोई हिसाब-किताब नहीं दिया गया।

२. मालिकोंको पहचाने बिना ही भैंसोंकी कुर्की कर ली गई।

३. सिविल प्रोसीजर कोड (दीवानी प्रक्रिया संहिता)के अधीन कुर्कीसे मुक्त रखी गई सम्पत्ति भी कुर्क कर ली गई है।

४. कुर्की रातके वक्त की गई।

५. बाड़ोंको तोड़कर और दरवाजोंको उखाड़कर घरोंमें जबरदस्ती प्रवेश किया गया।

६. दुधारू पशुओंको यातना पहुँचाई गई और उन्हें बहुत ही मामूली कीमत पर बेच दिया गया। रु० १२००की भैंसे रु० २१६ पर बेच दी गईं।

७. एक पठान चोरी करता हुआ पकड़ा गया।

८. पठानोंने महिलाओंसे छेड़छाड़ की और उनके सामने भद्दी हरकतें कीं।

९. पठानोंने लोगोंकी भावनाओंको और भी कई तरहसे ठेस पहुँचाई।

१०. कलक्टर या जिला अधीक्षक द्वारा मनमानी विज्ञप्तियाँ जारी की गईं।

११. सत्याग्रहियोंके मुकदमोंकी कार्यवाही अनियमित ढंगसे चलाई गई।

मुझे जो बहुतसे दृष्टान्त बताये गये थे मैंने उनमेंसे कुछ एक ही यहाँ दिये हैं।

मुझे यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यद्यपि मेरे पत्र बिलकुल मैत्रीपूर्ण हैं और इसलिए गोपनीय होने चाहिए, तो भी यदि आप समझते हों कि हमारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर दिया जाये तो मेरी ओरसे इस बारेमें किसी तरहकी भी कोई आपत्ति नहीं है।

परमश्रेष्ठ सर लेस्ली विल्सन
बम्बईके राज्यपाल

अंग्रेजी (एस० एन० ११४४७) की फोटो-नकलसे।

४५३. पत्र : विट्ठलभाई पटेलको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
७ जून, १९२८

भाईश्री विट्ठलभाई,

गवर्नरको भेजे जानेवाले जवाबका मसविदा इसके साथ है। उसमें कुछ फेरफार करनेकी जरूरत हो तो जरूर कर लेना। स्वामीने जो तैयार किया हो वह सब भेजनेकी जरूरत नही देखता। उसमें से कई बातें ली हैं। यह तो बहुत चाहता हूँ कि सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित हो जाये। किन्तु यह किस प्रकार हो? गवर्नर अपने प्रत्येक पत्रके साथ अपने आपको अधिकाधिक बाँधते प्रतीत होते हैं।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (एस० एन० १४४४१) की फोटो-नकलसे।

४५४. पत्र : महादेव देसाईको

[७ जून, १९२८ के पश्चात्][1]

चि० महादेव,

तुम्हारा तार मिला। मुझे जितना ठीक लगा उतना भाग मैंने ले लिया है। नम्रताका अभाव है, शेष भाग छोड़नेका यह तो सबसे छोटा कारण है। मुझे तो इस लेखकी शैली बिलकुल पसन्द नहीं आई। तुम जब जाओगे तो तुम्हारे सामने उसका विश्लेषण करूँगा। जिस दोषके कारण स्वामीका लेख रद्द किया था, लगभग वही दोष इस लेखमें भी है। इस लेखके विषयमें तुम्हारी कोई अलग धारणा या आशा हो तो वह मैं नहीं जानता इसलिए यदि मेरे अनुमानमें कुछ भूल हो तो वह हमें सहन करनी पड़ेगी।

रामेश्वर बिड़लाका पत्र देखकर वल्लभभाई प्रसन्न होंगे।

विट्ठलभाईको लिखा गया गवर्नरका पत्र भेज रहा हूँ और उसके साथ जवाब का मसविदा भी।

बापूके आशीर्वाद

१. गवर्नरको भेजे जानेवाले उत्तरके मसविदेके उल्लेखसे स्पष्ट है कि यह पत्र ७ जूनके बाद लिखा गया होगा।

[पुनश्चः]

तुम्हारे जितने पत्र मुझे फाड़ने लायक लगे, उन्हें मैंने फाड़ दिया है। तुम सब-कुछ यही देख लोगे।

गुजराती (एस० एन० ११४४७) की फोटो-नकलसे।

४५५ पत्र : जे० बी० पेनिंग्टनको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
८ जून, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मै जानता हूँ कि हम दोनोमें चाहे कितने ही मतभेद हों, यदि मै कभी इंग्लैंड आ सका तो निश्चय ही आप मेरा हृदयसे स्वागत करेंगे।

एक मित्रने मुझे लिखा है कि यदि सर जॉन साइमन मुझसे मिलनेकी इच्छा प्रकट करे तो मै उसे न ठुकराऊँ, क्योकि वे एक साफ दिलके ईमानदार अंग्रेज है, वे कभी कड़ा रुख नही अपनाते और वे मेरे मनकी बात जान सकेंगे। यदि उन्होने ऐसी इच्छा की होती तो मै आश्रममें निश्चय ही उनका प्रसन्नतासे स्वागत करता। यो मै [भेंट करनेको] इच्छुक नही हूँ, क्योकि मै अभी तक आयोगमें हूँ। इस कारण मै उनसे भेंट करनेकी आवश्यकता नही समझता। फिर आप पश्चिमी भारतका भूगोल जानते हैं। अहमदाबाद एक तरफ कोनेमें है, अतः मुझे सर जॉन साइमन जैसे व्यक्तिके निश्चित मार्गसे हटकर मुझ जैसे व्यक्तिसे, जो उनके कार्यमें किसी प्रकारकी सहायता नही कर सकता, मिलने आनेकी आशा नही करनी चाहिए।

हृदयसे आपका,

जे० बी० पेनिंग्टन

अंग्रेजी (एस० एन० १४३२५) की फोटो-नकलसे।

४५६. पत्र : स्वेन्सका किरकान्सको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
८ जून, १९२८

महाशय,

आपके ८ फरवरीके पत्रके सन्दर्भमें मेरा कहना है कि आप 'आत्मकथा' (स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरीमेंट्स विद ट्रुथ)के पहले खण्डका असंक्षिप्त स्वीडिश अनुवाद छाप सकते हैं।

जो भी पैसा आप मुझे देंगे, वह मेरे सार्वजनिक कार्योंको चलानेमें खर्च होगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १५०३४) की फोटो-नकलसे।

४५७. पत्र : टी० डि मंजीयरलीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
८ जून, १९२८

प्रिय बहन,

आपका पत्र और पत्रिकाएँ मिलीं; धन्यवाद!

मैं आपकी बातपर विश्वास करता हूँ और आपको, यदि आप, इसे ऐसा मान लें तो एक बहुत ही छोटा लेख भेज रहा हूँ।

"बावजूद इसके कि यदि कोई मुझसे मेरे इस विश्वासका कारण पूछे तो मैं उसे कारण बता नहीं सकूँगा, हिन्दू-मुस्लिम एकतामें मेरा विश्वास अटल है।"

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १४३२४)की फोटो-नकलसे।

४५८. पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
८ जून, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

आपका पत्र मिला। हमारा रास्ता साफ है। यदि खादी प्रदर्शनीको मद्रास प्रदर्शनी[1] की नकल मात्र ही होना है तो कांग्रेसके अवसर पर खादी प्रदर्शनी नहीं की जानी चाहिए। श्री सेनगुप्तकी ओरसे अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली है।

मैं निखिलसे सम्बन्धित डाक्टरी रायको जाननेके लिए बहुत उत्सुक हूँ। उसे कटि-स्नान, पूरा आराम और दूधका सेवन करना चाहिए।

सर डेनियल हेमिल्टनके पत्रका एक अंश आपको भेज रहा हूँ। क्या आप सुन्दरवनमें [उनकी] जायदाद[2] के बारेमें कुछ जानते हैं? और यदि आप उसके बारेमें कुछ जानते हैं तो लिखें, वहाँके लोगोंकी क्या दशा है तथा जायदादमें कितने लोग बसते हैं।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ८९१६) की फोटो-नकलसे।

४५९. पत्र: श्रीमती रचेल एम० रटरको[3]

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
८ जून, १९२८

प्रिय बहन,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। कुमारी मेयोके बारेमें आपका जो कुछ कहना है वह ठीक ही है। ऐसे लोग भी हैं जो कुछ करने या कहनेसे कभी नहीं रुकते, फिर चाहे वह असत्य ही क्यों न हो।

१. मद्रास प्रदर्शनीपर गांधीजीके विचारोंके लिए देखिए, खण्ड ३५, पृष्ठ ४५५-५६।

२. १६ मईके अपने पत्रमें सर डेनियलने लिखा था: बंगालके सुन्दरवनमें अपनी जायदादमें मैं हस्तकला और पुस्तक ज्ञानको भी अनिवार्य बनाना चाहता हूँ। मैं बालकोंको कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी और खेतीके सुधरे ढंग सिखाना चाहता हूँ।

३. एक अंग्रेज पादरी बहन जो गांधीजीसे १९२४में उनके जुहूमें स्वास्थ्य लाभ करते समय मिली थीं।

आपके पत्रके कुमारी मेयोसे सम्बन्धित अंशको मैं 'यंग इंडिया'[1] में उद्धृत कर रहा हूँ। आपका नाम उसमें नहीं दे रहा हूँ।

श्री एन्ड्रयूज आजकल कोलम्बोमें हैं और कविकी सेवा कर रहे हैं, जिन्हें अचानक बीमार पड़ जानेसे यूरोप जाते हुए बीचमें रुकना पड़ा।

हृदयसे आपका,

श्रीमती रचेल एम० रटर
आयरसन लेन
विन्केन्टन
समरसेट, इंग्लैंड

अंग्रेजी (एस० एन० १४३२३) की फोटो-नकलसे।

४६०. पत्र: रामेश्वरदास पोद्दारको

आश्रम
साबरमती
८ जून, १९२८

भाई रामेश्वरदास,

तुम्हारा पत्र जमनालालजीने मुझे भेज दिया है। मैं तुम्हें क्या लिखूँ? तुम धीरज न छोड़ो, स्वस्थ रहो और शक्तिसे अधिक कोई भी काम करनेकी इच्छा न करो। शंकरराव देव जैसे साधु पुरुष वहाँ हैं, उनसे पूछकर चलो; या वर्धामें रहो तो जैसा जाजूजी[2] कहें वैसा करो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १९५) की फोटो-नकलसे।

४६१. पत्र: वसुमती पण्डितको

९ जून, १९२८

चि० वसुमती,

तुम्हारे पत्र मिलते रहते हैं। यदि पाखानेका दूसरा कोई प्रबन्ध न हो सके और एनिमा लेनेमें मुश्किल हो तो कमोड रख लो और उसे अपने हाथसे ही साफ कर लिया करो। विलायती कमोड लेनेके बदले, वहींसे ले लेना ज्यादा आसान होगा।

१. देखिए यंग इंडिया, २८-६-१९२८ में प्रकाशित लेख "एन इम्पर्टिनेंस"।
२. श्रीकृष्णदास जाजू।

देहरादूनके बहुतसे घरोंमें कमोड इस्तेमाल करनेका रिवाज है। जो भी सुधार प्रेम-पूर्वक हो सके वह करवाना।

चि० कमलाने तुम्हारा सन्दूक नहीं खोला। तुम्हारा सन्दूक गंगाबहनने किसी कामसे खोला था। उसी समय उसमें थाली है या नही यह देखनेके लिए प्रभावतीसे कहा था। सन्दूक खोलनेका काम गंगाबहनने प्रभावतीको सौंपा था। इसमें दुःख माननेका मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता। कमलाने सन्दूक खोलकर नहीं देखा। उसने यही कहा है और प्रभावतीसे तसदीक करा लेनेको कहा है। मेरा भी विचार प्रभावतीसे पूछ लेनेका है। किन्तु मुझे नहीं लगता कि कमलाने कोई बात छिपाई है। तुम्हारे सन्तोषके लिए प्रभावतीसे भी पूछूंगा।

यहाँका काम जमता जा रहा है। इस समय सवेरेके तीन बजे हैं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:] हिन्दी खूब सुधार लो।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७७) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

४६२. पत्र : तैयब अलीको

आश्रम
साबरमती
९ जून, १९२८

भाईश्री तैयब अली,

आपका पत्र मिला। अपनी टेकपर कायम रहनेके लिए आपने नौकरी छोड़ दी, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

'नवजीवन' में खादीपर समय-समयपर लिखा ही जाता है, किन्तु एक-एक कामको लेकर अलगसे लिखें यह योग्य नही लगता।

सम्बन्धियोंकी निन्दा सहन करें। इस समय आपने कौन-सा धन्धा तलाश किया है?

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७५८) से।
सौजन्य : लालचन्द जयचन्द वोरा

४६३. पत्र : हेमप्रभादेवी दासगुप्तको

आश्रम
९ जून, १९२८

प्रिय भगिनी,

आपका खत मिल गया। निखिल सोदेपुरमें आ गया इससे एक दृष्टिसे मुझे अच्छा लगता है। मेरा कुछ विश्वास है कि दूधसे, कटीस्नानसे और स्वच्छ हवासे और आरामसे उसको ठीक हो जायगा। कैसा भी हो हरगीज चिंता न करें। ईश्वरने दीया है और जब चाहे तब ईश्वर ले जा सकता है। तारिणीके हाल कैसे है। जो दूसरे रोगी है उनको अगर क्षयकी व्याधि है तो और उसके पास ईतना धन है तो पहाड़ पर भेज देना चाहिये।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० १६५७ की फोटो-नकलसे।

४६४. पत्र : केदारनाथ बनर्जीको

[९ जून, १९२८के पश्चात्][1]

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला।

मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि पिताजीको कुछ अस्थायी दुःख हो तो भी आपको उन्हें छोड़कर ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ आप अपने सम्बन्धियोंकी मदद करने योग्य अच्छी आजीविका कमा सकें।

हृदयसे आपका,

केदारनाथ बनर्जी
नया गंज
कानपुर

अंग्रेजी (एस० एन० १४०५६) की माइक्रोफिल्मसे।

१. यह पत्र केदारनाथ बनर्जीके ९-६-१९२८ के पत्रके उत्तरमें लिखा गया था।

४६५. शिक्षा-विषयक प्रश्न — २

प्रश्न : वास्तवमें तो आजके शिक्षकोका काम डाकिये और चौकीदार जैसा है। उनका काम है विद्यार्थियो तक शिक्षा-शास्त्रियोंके लिखे ग्रन्थोको पहुँचाना और फिर यह देखना कि विद्यार्थी उनका उपयोग ठीक-ठीक कर रहे है या नही। इसके उपरान्त आप शिक्षकसे कैसी योग्यताकी आशा रखते है?

अबतक तो शिक्षा-शास्त्रका विकास इसी हदतक किया गया है कि जो कठिन वाक्योंका अर्थ समझा सके, और लम्बे प्रकरणोका सार बतला सके, वही शिक्षक है। इस आदर्शको हम अब क्यो स्वीकार न करे?

उत्तर : पाठ्य-पुस्तके चाहे जितनी सरस क्यों न बना दी जायें मगर तो भी सच्चे शिक्षककी जरूरत तो रहती है। ऐसा मुझे लगता है। सच्चा शिक्षक केवल सार बतलाकर या कठिन वाक्योका अर्थ बतलाकर कभी सन्तोष नही मानेगा। वह तो समय-समयपर पाठ्य-पुस्तकोंसे बाहर जाकर, अपने सिखलानेका विषय विद्यार्थीके आगे चित्रकारके समान जीवन्तरूपमें खड़ा कर सकेगा। श्रेष्ठ पुस्तकका मिलान किसी श्रेष्ठ चित्रसे किया जा सकता है, मगर जिस प्रकार कुछ कम दर्जेकी कलाका होनेपर भी जिस तरह चित्रकारके कलमसे निकला चित्र फोटोग्राफसे बढा हुआ माना जायेगा, उससे उसमें कुछ विशेषता होगी, उसी तरह सच्चे शिक्षकके बारेमें मानना चाहिए। सच्चा शिक्षक अपने विषयमें विद्यार्थीको प्रवेश कराता है। उसमें रस पैदा कराता है, और विद्यार्थीको वह विषय स्वतन्त्र रूपसे समझने लायक बनाता है। मेरी दृष्टिसे तो कठिन वाक्योका अर्थ करनेवालेको और सार बतलानेवालेको शिक्षक माननेकी प्रथा आदर्श कही ही नही जा सकती। हमें तो परोपकारकी दृष्टि रखनेवाले सच्चे शिक्षक तैयार करनेका प्रयत्न करना चाहिए। आज भी ऐसा नही है कि जहाँ-तहाँ ऐसे शिक्षक देखनेमें न आते हो।

प्रश्न : भड़ौच शिक्षा परिषद्के अवसरपर आपने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा मुफ्त भले ही हो किन्तु अनिवार्य नही होनी चाहिए। अच्छी वस्तु भी दवाई हुई प्रजापर जबरदस्ती नही लादी जानी चाहिए। आज देशकी शिक्षाकी व्यवस्था आपके हाथमें आ जाये तो क्या आप अपनी यह शिक्षा जिसमें खादी और दूसरे राष्ट्रीय उद्योगो को प्रधान स्थान होगा, अनिवार्य करेंगे या नही?

उत्तर : मैंने जैसी शिक्षाकी कल्पना की है वह शिक्षा भी अनिवार्य बना देनेकी हिम्मत मुझे अब भी अपने आपमें दिखाई नही देती। मै मानता हूँ कि हमारे देशमें अभी बहुत दिनो तक इसकी बिलकुल जरूरत नही है। क्योकि प्राथमिक शिक्षा आवश्यक हो, तो भी उसे ऐसा करनेसे पहले अभी बहुतसे काम करने बाकी है। मेरी मान्यता तो यह है कि यदि हम इस देशको रुचने लायक, प्रजाकी पोषिका शिक्षा देनेका साधन प्रजाके सामने रखें तो प्रजा उसे बिना प्रयास ही खुशीसे स्वीकार कर लेगी।

प्रश्न : आप क्या मानते हैं कि शिक्षकोंकी धार्मिक शिक्षा, अपनी दृष्टिके अनुसार जैसी पसन्द हो वैसी देनेका हक है?

उत्तर : एक तन्त्रमें रहनेवाले शिक्षकोंको खास अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार धार्मिक शिक्षा देनेका हक हो ही नहीं सकता। दूसरे विषयोंकी तरह जो रूपरेखा संचालकोंने धार्मिक शिक्षाकी बनाई हो, उसीको आधार मानकर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इस रूपरेखाके अनुसार धार्मिक शिक्षा देनेका तरीका प्रत्येक शिक्षकका अपना ही होगा, किन्तु धर्मके विषयमें संचालकोंने जो आदर्श बनाया होगा, शिक्षा उसीके अनुसार दी जा सकती है। इतना सच है कि कुछ विशेष पुस्तकोंको पढ़ लेनेवाला जिस तरह अमुक विषयोंकी शिक्षा दे सकता है, उस तरह धार्मिक शिक्षा पुस्तकके द्वारा दी ही नहीं जाती। इस शिक्षाको देनेकी रीति और दूसरी शिक्षाओंसे भिन्न है। जब दूसरी शिक्षा बुद्धिके द्वारा दी जाती है, तब धार्मिक शिक्षा केवल हृदयके द्वारा ही दी जा सकती है। इसलिए जबतक शिक्षक धर्ममय न हो, तबतक वह धर्मकी शिक्षा न दे। किन्तु यों धार्मिक शिक्षा देनेका वाहन जुदा होनेपर भी उक्त शिक्षा देनेके बारेमें विशेष जानकारी होनेकी आवश्यकता है ही। जैसे कि जहाँपर अहिंसाको परम धर्म माना हो वहाँपर हिंसाका उत्तेजन देनेवाली शिक्षा नहीं दी जा सकती अथवा जहाँ सभी धर्मोंके प्रति प्रेम, उदारता, सहिष्णुता रखनेका आदर्श स्वीकार किया गया हो, वहाँ धर्मोंके विरोधकी शिक्षा नहीं दी जा सकती। थोड़ेमें, जहाँ धार्मिक शिक्षा देनेकी आवश्यकता स्वीकार की गई है, वहाँ उसके बारेमें अराजकताको स्थान नहीं होना चाहिए।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १०-६-१९२८

४६६. बारडोली यज्ञ

बारडोलीमें चलनेवाला सत्याग्रह एक तरहका यज्ञ ही है। पारमार्थिक कार्यमात्र यज्ञ कहलाता है। बारडोलीके किसान व्यक्तिगत स्वार्थके लिए नहीं किन्तु सामाजिक लाभके लिए, स्वाभिमानके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए यह यज्ञ है। आहुति भी उसमें रोज पड़ रही है। अन्तिम आहुतिकी खबर अभी-अभी आई है। वह इस प्रकार है:[1]

सरकारकी विज्ञप्तिका यह करारा जवाब गिना जायेगा। पटेलों और तलाटियोंने इस प्रकार जो वीरता दिखलाई है, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वे इस निश्चयसे डिगेंगे नहीं, और न उसके लिए कभी पछतायेंगे ही।

सरकारी नौकरीका मोह टूटना बहुत जरूरी है। जिसके हाथ-पैर मजबूत हैं और जो उद्यमी हैं, उसके लिए ईमानदारीसे रोटी कमानेमें कहीं मुश्किल नहीं होती।

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसके अनुसार ४० पटेलों और आठ तलाटियोंने सरकारी नीतिकी अराजकताके प्रति विरोध व्यक्त करनेके लिए इस्तीफे दे दिये थे और परिणामस्वरूप सरकारने और भी दमन करनेकी धमकी दी थी।

सरकारी नौकरी करनेवालेको लोगोंको लूटनेका जो अवसर मिलता है, उसे अच्छा मौका समझनेके बदले एक बुरी बात समझकर उससे दूर रहना सीखें, तो सरकारके हाथ-पैर ढीले पड़ जायें। हमारे ही आदमी सरकारके हाथ और पैर हैं। वे हट जायें तो सरकारकी तोप और बन्दूक तथा हवाई जहाज सभी निरर्थक हो जायें।

सरकारकी विज्ञप्तिमें असत्य, अविनय और प्रजा-पक्षका तिरस्कार भरा है। उसमें सरकारने जो लालच दिखलाया है, मैं आशा करता हूँ कि उसमें वारडोलीका कोई किसान नही फँसेगा।

सरकारने साम, दाम, दण्ड और भेदका पूरा उपयोग किया है, और अभी कर रही है। इसमें दण्ड तो कमसे-कम दूषित वस्तु है। दण्डको हम पहचान सकते हैं। उसे सहन कर लें, तो उसके भयसे उबर गये।

साम, दाम और भेद सूक्ष्म वस्तुएँ हैं। उसमें प्रलोभन है। इसलिए जिस तरह मछली काँटेपर लगी आटेकी गोलीको चाटने जाकर उसमें फँस जाती है, उसी तरह इस जहरीली त्रिवेणीमें भोले और भीरु लोग फँस जाते हैं। उन्नीस जूनके पहले लगान भरनेवालेको जिस सुभीतेका लालच दिया गया है, वह दाम-नीति है। उस घूसके मधुमें मक्खीके समान फँसकर एक भी किसान अपनी प्रतिज्ञा न तोडेगा, ऐसी आशा रखनेका प्रजाको अधिकार है। सारे भारतवर्षपर वारडोलीने जिस निडरता और सहन-शीलताकी जो छाप डाली है, उसे वह कभी नष्ट न होने दे। भेदनीति दामनीतिसे भी गई बीती है।

अनेक तरहकी अफवाहें सुननेमें आ रही है। कोई कहता है कि सरकार समझौता करना चाहती है; कोई कहता है लोग कमजोर पड़ गए हैं, कोई कहता है कि लोग चुपचाप जा-जाकर चोरीसे लगान भरने लगे हैं; कोई कहता है कि बहिष्कारका भय न हो तो लोग लगान भरनेको तैयार हैं, कोई कहता है कि बाहर से आये हुए श्री वल्लभभाई और उनके साथियोंके डरके कारण लोग लगान नहीं चुका रहे है, नही तो बेचारे किसान लगान देकर शान्तिसे बैठ जाना चाहते हैं।

यह सब भेदनीति है। मेरे कहनेका यह आशय भी नही है कि ऐसा कहनेकी प्रेरणा कोई खास आदमी देता है, किन्तु जिस शासनमें ऊपर बतलाई चार नीतियोंको स्थान मिला है, वहाँ वह इनके जरिये काम किया करता है। सारा नौकर वर्ग समझता है कि सरकारी नीतिके अनुकूल बननेमें ही हमारे वेतन और ओहदेकी वृद्धि छिपी हुई है। भीष्म द्रोणादिको भी धर्मराजके आगे अपना पेट दिखलाना पडा था।

इसलिए जैसे-जैसे लड़ाई जमती जायेगी, भेदनीतिमें वृद्धि होती जायेगी, इस मोहजालसे सभी सत्याग्रही दूर भागें। एक भी अफवाह न मानें। जो कुछ सुनें, सरदारके पास पेश करके खुद उसे भूल जायें। सत्याग्रहीका समाधान एक ही होता है। जहाँ उसकी प्रतिज्ञाका पालन पूरा हुआ, वहाँ उसका काम समाप्त हो गया। वह अधिक न माँगे और कमसे सन्तोष न करे। उसने तो अपनी प्रतिज्ञाकी वेदीपर प्यारीसे-प्यारी वस्तुको होम करनेका निश्चय कर लिया है। ऐसे आदमीका अफवाहोंसे क्या सम्बन्ध? फिर जो अपने माने हुए सरदारको पराया बनानेका औद्धत्य दिखाये,

उसके वचनोंसे भ्रममें क्या पड़ना और क्या लालचमें पड़ना? समझौता होना होगा तो सरदार चेतावनी देगा ही।

चुपचाप लगान भरनेवालोंकी बातसे भुलावेमें पड़नेकी जरूरत नहीं है। हरएक कौममें कुछ निर्बल व्यक्ति तो होते ही है। मेरा अनुभव यह है कि डरके मारे चुपचाप दबाव मान लेनेवाले कम होते हैं, किन्तु उनकी संख्या ज्यादा बताई जाती है, इसलिए सत्याग्रहीको चोरी-छिपे लगान भरनेकी बात न मानना ही शोभा देगा। वह माने कि मुझमें जो शक्ति है, वह दूसरेमें भी हो सकती है। किन्तु अन्तमें चोरी-छिपे हुक्म मान लेनेवाले निकल भी आयें तो आप निराश न हों। धर्म तो उसका है, जो उसे पालता है।

'हरिनो मारग छे शूरानो, नहि कायरनुं काम जोने।'

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १०-६-१९२८

४६७. बारडोली-दिवस

१२ जूनका दिन बारडोलीके सत्याग्रहियोंसे सहानुभूति प्रकट करनेके लिए और उनको अन्य प्रकारकी सहायता देनेके लिए नियत किया गया है। हम इस दिनको किस तरह मनायें? सत्याग्रहकी सभी लड़ाइयाँ आत्मशुद्धिकी लड़ाइयाँ होती हैं। सत्याग्रही अपने सत्यकी विजय अपनी शुद्धिसे, अपनी तपस्यासे प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है और इसी प्रयत्नमें विश्वास रखता है। इसलिए १२ जूनको हम जितने शुद्ध हो सकें हमें उतना शुद्ध होना चाहिए और हमें ईश्वरसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें, सत्यकी इस जयमें जितने भी दुख आयें उनको सहन करनेकी शक्ति दे। यह सहायता प्रथम कोटिकी सहायता है। बारडोली गुजरातमें है इसलिए बारडोलीके प्रति अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा गुजरातका कर्त्तव्य कुछ अधिक है, गुजरात ऐसा समझकर १२ जूनको आत्मशुद्धिका यज्ञ करे। यदि सम्भव हो तो सभी जगह उस दिन लोग स्वेच्छासे अपना सामान्य कामकाज अथवा आजीविकाका धन्धा बन्द रखें और बारडोलीकी लड़ाईमें सहायता देनेके लिए धन संग्रह करें: वे शामके वक्त बड़ी-बड़ी सभाएँ करें और उनमें इस लड़ाईके प्रति सहानुभूति सूचक और सरकारकी अराजकताके प्रति रोषसूचक प्रस्ताव पास करें और दिनमें जिन लोगोंसे चन्दा लेना रह गया हो वे यदि सभामें आये हों तो उनसे चन्दा लें।

[गुजरातीसे]
नवजीवन १०-६-१९२८

४६८. गोविन्द बड़े या गुरु?

ऊपरके शीर्षकसे एक गृहस्थने यह लेख भेजा है:[1]

लेखकने मारवाडी भक्तके बारेमें जो लिखा है, वह मै नही जानता। लेखकने 'सिद्धान्त रहस्य'[2] नामक पुस्तकमें से जिन तीन श्लोकोका अर्थ भेजा है, वे श्लोक भी मैंने नही देखे है। किन्तु इस लेखमें जो लिखा है, वैसी मान्यता हिन्दू-धर्ममें है इस विषयमें शका नही है। मै स्वयं नित्य प्रात काल नीचेके श्लोकका पाठ करता हूँ:

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरु. साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः॥

और यह भी मानता हूँ कि गुरुके माहात्म्यके बारेमें हिन्दू धर्मकी मान्यताके लिए सबल कारण होंगे, इसीलिए गुरु शब्दका शुद्ध अर्थ ढूँढ रहा हूँ। और जब-तब कहता हूँ कि मै गुरुकी खोजमें हूँ। जिस गुरुमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरका लय हो, और जो साक्षात् परब्रह्म सम हो, वह देहधारी, विकारी और रोगी मनुष्य नही होगा, किन्तु उसमें तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरकी सारी शक्ति होगी, यानी वह आदमी मुख्यतया हमारी कल्पनामें ही होगा। और वह गुरु, इष्टदेव केवल सत्यकी मूर्ति परमात्मा ही होगा। इसलिए गुरुकी खोज परमात्माकी खोजके बराबर हुई। यह विचार करते हुए जो-जो वस्तुएँ लेखकने लिखी हैं, वे सरल हो जाती है। जो गोविन्दको बता सके वह अवश्य ही गुरु होने लायक है और चाहे वह पीछे भले ही गोविन्दसे भी बडा गिना जाये। गोविन्दके बनाये जीवोको अनेकों दु.ख भोगते हुए हम देखते है, किन्तु हमें जो इस फन्देसे छुडा सके वह खुशीसे गोविन्दसे भी बड़ा पद ले सकता है। यही आशय 'रामसे अधिक राम कर दासा'में है। इन सभी महावचनोका अर्थ इतना स्पष्ट है कि अगर हम सरल हृदयसे ढूँढे तो न किसी प्रपचमें पडें न अनर्थमें। हरएक महावचनमें यह अनिवार्य शर्त जुडी हुई होती ही है। जो हमें प्रेमधर्म सिखलाये, जो हमें भयमुक्त करे, सादगी सिखलाये, गरीबसे-गरीबके साथ भी ऐक्य साधनेकी बुद्धि ही नही बल्कि ऐक्यका अनुभव करनेका हृदयबल भी दे, वह हमारे लिए अवश्य ईश्वरसे भी बड़ा है। इसका अर्थ यह नही हुआ कि ईश्वरका ऐसा दास अलग और स्वतन्त्र रूपमें ईश्वरसे बडा है। हम समुद्रमें जा पड़ें तो डूब जायेंगे, मगर इसी समुद्रकी ओर बहनेवाली गंगाके मूलसे एक लोटा जल प्यास लगने पर लेकर पी लें तो उस समय यह गंगाजल हमारे लिए समुद्रसे भी बडा है। किन्तु यही गगाजल वहाँसे लेने जायें जहाँ समुद्रमें गंगा मिलती है तो वह जहरके समान

१. लेख यहाँ नहीं दिया जा रहा है। लेखकने गांधीजीके इस कथनका समर्थन किया था कि जीवित मनुष्योंका पूजन नहीं करना चाहिए। (देखिए "भक्तिके नामपर भोग", ६-५-१९२८)। किन्तु साथ ही उनका ध्यान गुरुके माहात्म्यको ओर खींचा था।

२. वल्लभाचार्य कृत।

हो जाता है। ऐसा ही गुरुके विषयमें समझना चाहिए। जिनमें दंभ है, ईर्ष्या है जो सेवाके भूखे हैं, उन्हें गुरु मान बैठना तो अनेक प्रकारके गन्दे पानीको समुद्रमें ले जा रही गंगा नदीके जहरीले पानीके समान समझना चाहिए।

अभी तो हम धर्मके नामपर अधर्मका आचरण करते हैं। सत्यके नामपर पाखण्डका पोषण करते है और ज्ञानी होनेका ढोंग करके अनेक प्रकारकी पूजा स्वीकार करके आप अधोगतिको प्राप्त होते हैं और साथमें दूसरोंको भी ले डूबते हैं। ऐसे समयमें किसीको गुरु बनानेके बारेमें बिलकुल इनकार करना ही धर्म है। सच्चा गुरु न मिले तो मिट्टीके पुतलेको गुरु बना लेनेमें दुहरा पाप है। किन्तु जबतक सच्चा गुरु न मिले, तबतक 'नेति नेति' कहनेमें पुण्य है। इतना ही नहीं, उससे किसी दिन सच्चे गुरुके मिलनेका भी प्रसंग आ सकता है।

इसके मुझे बहुतसे कड़वे मीठे अनुभव हुए हैं और अब भी हुआ करते हैं कि चलती धाराका विरोध करनेमें बहुत-सी मुसीबतें रहती हैं। किन्तु उनसे मैंने एक बात यह सीखी है कि जिस वस्तुमें अनीति है, जिसका खण्डन होना ही चाहिए उसका विरोध एकाकी होनेपर भी हमें करना ही चाहिए और यदि हमारा यह विरोध सच्चा है तो जरूर सफल होगा। ऐसा विश्वास सदैव रखना उचित है।

जो भक्त स्तुतिका या पूजाका भूखा है, जो मान न मिलनेसे चिढ़ जाता है, वह भक्त नहीं है। भक्तकी सच्ची सेवा स्वयं भक्त बननेमें हैं। इसलिए आजकल चलनेवाली मनुष्य-पूजाका जहाँतक हो सकता है मैं विरोध ही करता हूँ और सबको विरोध करनेके लिए प्रेरित करता हूँ।

[गुजरातीसे]
नवजीवन १०-६-१९२८

४६९. संयमकी आवश्यकता किसे?

विवाद करनेके इच्छुक एक भाई लिखते हैं:[1]

यह मेरा अनुभव है कि जिस संयमको दूसरेकी सहमतिकी आवश्यकता हो वह संयम टिक नहीं सकता। संयमको अन्तर्नादकी ही जरूरत होती है। संयमका आधार हृदयबल है और जो संयम ज्ञानमय और प्रेममय होता है, उसकी छाप आसपासके वातावरणपर पड़े बिना नहीं रह सकती। अन्तमें विरोध करनेवाला भी अनुकूल बन जाता है। पति-पत्नीके बारेमें भी यही बात है। अगर जबतक पत्नी तैयार न हो, तबतक पति रुके और जबतक पति तैयार न हो, तबतक पत्नी, तो बहुत करके दोनों ही भोग-पाशसे नहीं छूट सकेंगे। बहुतसे उदाहरणोंमें देखा गया है कि जहाँ संयमके लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा जाता है, वहाँ अन्तमें वह संयम टूट जाता है। यह

१. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। लेखकने पूछा था कि संयम पालनके लिए क्या पत्नीकी सहमतिकी जरूरत नहीं है।

कच्चापन ही उसका कारण है। और गहरे उतर कर हम देखें तो जान पड़ेगा कि जहाँपर एक दूसरेकी सहमतिकी राह देखी जाती है, वहाँपर तो संयमकी सच्ची तैयारी नहीं है या उसके लिए सच्ची लगन नही है। इसीलिए निष्कुलानन्दनने लिखा है कि, "त्याग न टिके रे वैराग्य विना।" अगर वैराग्यको भी रागके साथकी जरूरत हो तो सयम पालनेकी इच्छा रखनेवालेको भी इच्छा रखनेवालेकी सहमतिकी जरूरत हो सकती है।

इस पत्रके लेखकका मार्ग तो सीधा है। वह अभी अविवाहित है और अगर ब्रह्मचर्य पालन करनेका उसका सच्चा निश्चय हो तो वह विवाहके झगडेमें पड़े ही क्यो? माता-पिता और दूसरे सगे-सम्बन्धी तो अपने अनुभवसे अवश्य ही कहेंगे कि किसी युवकके लिए ब्रह्मचर्य समुद्र-मंथन करनेके समान है; और यो कहकर वे धमकी देकर, क्रोध करके, और दण्ड देकर भी, ब्रह्मचर्यकी शुभेच्छासे डिगानेका प्रयत्न करेंगे। किन्तु जिसके लिए ब्रह्मचर्यका भंग ही बडेसे-बड़ा दण्ड है, और जो साम्राज्य मिलनेके लालचसे भी ब्रह्मचर्य भंग करनेको तैयार न हो, वह किसीकी भी धमकीके वश होकर विवाह क्यों करे? जिसका आग्रह ऐसा तीव्र नही है और जिसने ब्रह्मचर्य आदि संयमोंकी कीमत इतनी बडी नही आँकी है उसके लिए मेरा वह लेख था ही नही, जिसमें से उक्त वाक्यको उद्धृत करके दिया गया है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १०-६-१९२८

४७०. पत्र: ना० र० मलकानीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१० जून, १९२८

प्रिय मलकानी,

तुम्हारा पत्र मिला। अभी तुम्हे मुझसे किसी बडे पत्रकी आशा नही करनी चाहिए।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मथुरादासका काम उतना ठोस है जैसा तुम कहते हो। निर्देशन देनेकी उसकी योग्यताके बारेमें मुझे कोई सन्देह नही है। वह एक अच्छा कार्यकर्त्ता है।

मुझे इस बातसे प्रसन्नता हुई कि तुम खादीकी क्षमताके बारेमें एक दिशाके बजाय अनेक दिशाओंमें खोज रहे हो। पर निश्चय ही तुम्हारा मुख्य कार्य बाढ सहायता कार्यको पूरी तरहसे व्यावसायिक ढंगसे चलाना है। यदि तुम्हें कार्यकर्त्ताओंके रूपमें मददकी आवश्यकता हो तो तुम मुझसे कहनेमें तनिक भी संकोच न करना।

हो सकता है कि मैं तुम्हारी माँग पूरी न कर सकूँ पर कमसे-कम मुझे ना कहनेका मौका तो मिलना ही चाहिए।

हिन्दू-मुस्लिम सवालको भूल जाइए। इसमें विशेषज्ञोंको सिर खपाने दें।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत ना० र० मलकानी
केन्द्रीय बाढ़ सहायता समिति
हैदराबाद, सिन्ध

अंग्रेजी (एस० एन० १३४१०) की माइक्रोफिल्मसे।

४७१. पत्र : जनकधारी प्रसादको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१० जून, १९२८

प्रिय जनकधारी बाबू,

आपका पत्र मिला। 'श्रम' शब्दमें सेवाकार्य, जैसा कि आप कर रहे हैं[1], का समावेश हो जाता है। पर कला, साहित्य तथा आमोद-प्रमोदके कार्य-कलापोंका समावेश इसमें नहीं हो सकता।

मुझे लगता है कि आपका इशारा विन्ध्येश्वरी बाबूके बड़े पुत्रकी ओर है। मुझे गलती हो जानेका दुख है।

निश्चय ही आपकी पत्नीके सम्बन्धमें मैं किसी दिक्कतकी आशंका नहीं करता।[2]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ५२) की फोटो-नकलसे।

१. जनकधारी प्रसादने अपने पत्रमें पूछा था: 'ईमानदार श्रमिक' का क्या अर्थ है। क्या आप इसका प्रयोग शारीरिक श्रम करनेवालोंके लिए करते हैं या विस्तृत अर्थमें। क्या इसमें साहित्यिक, कला सम्बन्धी तथा सौन्दर्य शास्त्रके कार्य-कलापोंको स्थान है?

२. जनकधारी प्रसादने लिखा था: पत्नीको आश्रम भेजनेका विचार करनेसे पहले मैं आपको अवश्य लिखूँगा।

४७२. पत्र : आर्थर मूरको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१० जून, १९२८

प्रिय मित्र,

आपके तारकी[1] प्राप्ति-स्वीकृति न देनेके लिए मुझे आपसे क्षमा माँगनी चाहिए। और इस बीच आपका पत्र आ गया है। जबसे आपका तार मिला है, मैं 'स्टेट्समैन'-की कतरनें ले रहा हूँ, जिन्हें मैं अपने डेस्क पर रखे हुए हूँ। मैंने पहले दो लेख बड़े चावसे पढ़े है। अभी मैं बाकी लेखो तक नही पहुँचा हूँ। बात यह है कि अपने कार्यक्षेत्रसे बाहर दूसरी किसी भी चीजकी ओर ध्यान देनेका मेरे पास वक्त नही रहता।

आपने जो चर्चा आरम्भ की है, उसमें यदि मेरा भाग लेना उपयोगी हो तो अवश्य लूंगा। परन्तु मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि न तो सवैधानिक आयोग (स्टेच्यूटरी कमीशन)में और न ही संविधानके बनानेमें मेरी कोई रुचि है। मैं अपना ध्यान स्वराज्य प्राप्त करनेके साधनों पर केन्द्रित कर रहा हूँ। और स्वराज्यके साधनोंके रूपमें मुझे संवैधानिक आयोग या संविधानके निर्माणका कार्य, दोनोमें कोई आकर्षण महसूस नही होता।

हृदयसे आपका,

श्री आर्थर मूर
सम्पादक
'स्टेट्समैन'
६, चौरंगी
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३४११) की फोटो-नकलसे।

१. आर्थर मूरने लिखा था: क्या यह सम्भव नहीं है कि इन गर्मियोंके दौरान हम मैत्रीपूर्ण चर्चा द्वारा मिल-जुलकर अपने विचारोंको स्पष्ट करें और भावी संविधानकी रूप रेखाके सम्बन्धमें किसी सर्व-सम्मत नतीजेपर पहुँच जायें या उसकी ओर अग्रसर हों? मेरा विचार है कि यह चर्चा संवैधानिक आयोग (स्टेच्यूटरी कमीशन) को ध्यानमें रखते हुए चलनी चाहिए जिससे कि इसमें दोनों तरहके लोग, यानी जो कमीशनसे सहयोग करना चाहते हों और जो सहयोग नहीं करना चाहते, शामिल हो जायें।

४७३. पत्र : सदानन्दको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१० जून, १९२८

प्रिय सदानन्द,

एंग्लो अमेरिकी न्यूज पेपर सर्विसके लिए लिखे गये मेरे तथाकथित लेखकी प्रतिके साथ आपका पत्र मिला।

इस प्रतिमें उल्लिखित विषयपर मैंने इस अथवा अन्य किसी संस्थाको कोई लेख नहीं भेजा। पर आपके द्वारा भेजी गई प्रतिको पढ़कर मुझे पता चला कि यह मेरे लंकाके दौरे[1] में कोलम्बोमें दिये गये मेरे भाषणकी लापरवाहीसे लिखा-गया कोई विवरण है। इस भाषणकी एक अच्छी रिपोर्ट मेरे लंकाके दौरेपर महादेव देसाई द्वारा लिखित पुस्तकमें[2] छपी है। मुझे प्रसन्नता हुई कि आपने इसे नहीं छापा और मेरी अनुमतिके लिए इसकी प्रति मुझे भेजी।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३४१३) की माइक्रोफिल्मसे।

४७४. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१० जून, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

यदि पवना समझौतेका आपने जो अर्थ निकाला वह सही है तो यह कितनी दुःखद बात होगी? पर फिर भी मुझे चुप रहना चाहिए। मैंने सोचा था कि हमने जेलका डर अपने मनसे निकाल दिया है। पर निश्चय ही हमारे मनसे डर नहीं निकला है। निखिल कैसा है? हेमप्रभादेवीको मुझे प्रति सप्ताह पत्र लिखना चाहिए। क्या [मैंने आपको बताया][3] कि मैंने डा० रायको लिखा है?

सस्नेह,

आपका,
बापू

अंग्रेजी (जी० एन० १५९४) की फोटो-नकलसे।

१. गांधीजी लंका नवम्बर १९२७ में गये थे। देखिए खण्ड ३५।
२. विद गांधीजी इन सीलोन।
३. यह अंश पत्रमें मिटा हुआ है।

४७५. भाषण: गुजरात विद्यापीठके विद्यार्थियोंके समक्ष

११ जून, १९२८

इस समय आप विद्यार्थीगण शायद मन ही मन उदास हैं। आपकी यह त्रिशंकु जैसी स्थिति टल जाये इस कारण आपने मुझे यहाँ आकर रहनेको आमन्त्रित किया था। कारण कोई और हो तो भी आपकी यह दशा हलकी करने या टालनेके लिए ही मैंने यह निमन्त्रण स्वीकार किया था। किन्तु यह निमन्त्रण भेजनेवाले सभी या उनमें से अधिकांश कायर निकले। उन्होंने मुझे बुलानेके बाद मुझे बाहर निकाल दिया। बादमें फिर बुलानेपर ऐसी शर्तें रखी जिन्हें मेरे जैसा मानी स्वीकार नहीं कर सकता था। ऐसा करके आपने निकट आनेका सुअवसर हाथसे निकल जाने दिया, किन्तु हम अलग नहीं हुए। विद्यापीठके आदर्शोंके माध्यमसे आपके और मेरे बीच एक सम्बन्ध बना हुआ है। मैं चाहता था कि इन आदर्शोंको आप अच्छी तरह आत्मसात कर लें। किन्तु तब यह काम सिद्ध नहीं हुआ।

इस अवकाशमें आपने विद्यापीठके ध्येय पढ़े होंगे, उनपर विचार किया होगा। यदि आपने उनका मनन किया होगा तो कितनी वस्तुएँ आपकी समझमें आ गई होंगी। *छुट्टीका उपयोग अगर आपने इस तरह न किया हो तो फिर आप जैसे गये थे वैसे ही आये हैं।* मैंने तो महाविद्यालयमें कई बार कहा है कि संख्याबलकी जरा भी परवाह न की जाये। मैं यह कहना नहीं चाहता कि अगर संख्याबल हो तो यह हमें अप्रिय होगा। किन्तु वह न हो तो हम निराश न हों। ऐसा न मान लें कि हमने सब खो दिया, बाजी हाथसे जाती रही। हम संख्यामें कम हों अथवा अधिक, हमारा असली बल तो सिद्धान्तोंको स्वीकार करनेमें और मनुष्यकी शक्तिके अनुसार उनका पालन करनेमें है। ऐसे विद्यार्थी कमसे-कम हों, तो भी हमें विद्यापीठसे जो काम लेना है, और वह काम मुक्ति है — अन्तिम मुक्ति नहीं, स्वराज्य रूपी मुक्ति — विद्यापीठ जिस स्वराज्यके लिए स्थापित हुआ है, वह उसे जरूर प्राप्त हो जायेगा। अगर हम झूठे होंगे तब तो स्वराज्य मिलनेसे रहा। अभी हालमें जो फेरफार हुए हैं और अब आप जिन्हें देखेंगे, वे तो हम इस तरह डरते-डरते कर सके हैं कि वे कहीं आपकी शक्तिके बाहर न हो जायें। यह कैसी दयनीय स्थिति है। इसमें न तो आपकी शोभा है न हमारी। होना तो यह चाहिए कि आप अपने अध्यापकों और संचालकोंको यह अभयदान दे दें कि हम इन सिद्धान्तोंके पालनमें जरा भी कच्चापन न रखेंगे। यह अभयदान नहीं है। मैं उसकी याचना करने आया हूँ। सत्रके आरम्भसे ही आप अध्यापक वर्गको निश्चिन्त कर दें तभी काम चमक उठेगा। आपके काममें असत्यका जरा भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। आप विद्यापीठको तभी शोभित कर सकेंगे जब आप अपने ही मनको, अध्यापकोंको, गुरुजनोंको और भारतवर्षको धोखा नहीं देंगे। आप अध्यापकोंसे हरएक बातका खुलासा माँग सकते हैं। आपकी हरएक

कठिनाईको सुलझाना उनका धर्म है। यह न करके अगर आप जैसे-तैसे यहाँ बैठे रहें तो विद्यापीठकी व्यवस्थामें संगति नही आयेगी। विद्यापीठका काम इतनी अच्छी तरह चलना चाहिए कि वह संगीतके समान लगे। तंबूरेके पीछेका संगीत तो स्थूल है। सच्चा संगीत तो सुजीवन है, जिसका जीवन सुजीवन है, वही सच्चा संगीत जानता है। यह जीवन संगीत बालक भी जानता है, अगर माँ-बापने उसे ठीक रास्ते चलाया हो तो। बालकके पास वाणी केवल रोना ही है; मगर होनहार बालकको वह भी शोभा देता है। विद्यार्थियोंमें बच्चोंके ही समान माधुर्य होना चाहिए। अगर आप सत्यका आचरण करें तो सहज ही यह स्थिति लाई जा सकती है। विद्यार्थी अगर सत्यका आचरण करनेवाले हों तो उनके द्वारा हिन्दुस्तानका स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है। यह बात विद्यापीठके सिद्धान्तमें ही है कि अहिंसा और सत्यके ही रास्ते हमें स्वराज्य लेना है, इसलिए इसे सिद्ध करना भी नही रह जाता है। जिसे इसमें शंका हो, उसके लिए यहाँ स्थान नहीं है। अथवा जिसे इसमें कोई शंका हो, उसे प्रारम्भमें ही उसका निवारण कर लेना चाहिए।

सरकारी शाला और हमारी शालाका भेद समझना चाहिए। हमारे कई विद्यार्थी जेल गये और कई अभी जायेंगे। वे विद्यापीठके भूषण है। क्या सरकारी शालाओंके विद्यार्थियोंकी भी मजाल है कि वे वल्लभभाईकी मदद कर सकें? अथवा मदद करनेके बाद अपने शिक्षकको धोखा दिये बिना कालेजमें रह सकें? पीछे उन्हें चाहे जितना ज्ञान मिलता रहे, मगर वह किस कामका? सत्व हर लेनेके बाद ज्ञान दिया ही तो क्या हुआ? खोटे सिक्केकी क्या कीमत, उसे काममें लानेवाला धोखेबाज तो सजाका पात्र होता है। सरकारी शालाओंके विद्यार्थियोंकी खोटे रुपयेके समान बुरी स्थिति है। हमारे यहाँ सत्व तो कायम है ही, और इतना ही नही बल्कि उसमें वृद्धि होनी है।

एक और भेद ध्यानमें रखना चाहिए। मै कई बार बता चुका हूँ कि सरकारी कालेजकी शिक्षाके साथ तुम्हारी शिक्षाका मुकाबला नहीं हो सकता। इस जंजालमें पड़ोगे तो मारे जाओगे। उसकी हम बराबरी नही कर सकेंगे। अंग्रेजी जिस ढंगसे वहाँ सिखाई जाती है, उस ढंगसे हमें नही सिखानी है। पर साहित्यका जो सूक्ष्म ज्ञान है, वह हमें गुजराती जबानके जरिये देना है। जिससे गुजराती भाषाका विस्तार हो, उसकी शोभा बढ़े, उसमें गहरेसे-गहरे विचार प्रकट हो सकें, वह काम करना है। गुजराती बोलते वक्त बीच-बीचमें अंग्रेजीके शब्द या वाक्य काममें लाने पड़ें, यह खराब और निहायत शर्मकी बात है। दुनियाके और किसी मुल्ककी ऐसी हालत नही है। अंग्रेजी साहित्यकी जितनी जानकारी जरूरी होगी, वह आगे चलकर ऊपरके दर्जेमें दी जायेगी। अभी तो जो ज्ञान लेंगे वह गुजरातीके जरिये ही लेंगे। विज्ञान भी अपनी भाषामें ही सीखेंगे। पारिभाषिक शब्द नये नही बना सकेंगे तो अंग्रेजी शब्द लेंगे, पर उनकी व्याख्या तो गुजरातीमें ही करेंगे। इससे हमारी भाषा जोरदार बनेगी। जो अलंकार हमें इस्तेमाल करने होंगे, वे हमारी जबान और कलमपर चढ़ जायेंगे। अभीकी बेहूदा हालतसे जितनी जल्दी निकला जा सके, उतनी जल्दी निकल जाना चाहिए। इस बारेमें मैंने 'नवजीवन' में जो कुछ लिखा है, उसे वेदवाक्य समझना।

अंग्रेजीके जरिये ज्ञान दिया जाता है, इससे जनताका कितना नुकसान होता है। हमने धर्म छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया, इसका यह एक उदाहरण है।

दूसरा उदाहरण अर्थशास्त्रका है। वहाँ जो अर्थशास्त्र पढाया जाता है, वह गलत है। आप जिज्ञासु होंगे तो देखेंगे कि जर्मन, अमेरिकी या फ्रेंच भाषामें जो अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, वह अलग-अलग होता है। मेरे पास हगरीका एक आदमी आया था। वह जो बात कहता था उससे मुझे लगा कि वहाँका अर्थशास्त्र दूसरा ही होना चाहिए। हर देशकी स्थितिके आधार पर वहाँका अर्थशास्त्र तैयार किया जाता है। यह मानना ठीक नहीं कि एक देशका अर्थशास्त्र सारी दुनियाके लिए सच्चा है। आज जो अर्थशास्त्र पढाया जाता है, वह हिन्दुस्तानको पामाल कर रहा है। हमें हिन्दुस्तानके अर्थशास्त्रका पता ही नही, हमें तो उसकी खोज करनी है।

यही बात इतिहासकी है। अध्यापकोको सोचना चाहिए कि हिन्दुस्तानका इतिहास क्या हो सकता है। कोई फ्रान्सका आदमी हिन्दुस्तानका इतिहास लिखेगा तो एक तरह लिखेगा, अग्रेज दूसरी तरह लिखेगा। हिन्दुस्तानका आदमी मूल लेखोंको ढूंढ कर, हिन्दुस्तानके वातावरणको देखकर लिखेगा, तो जरूर दूसरा इतिहास लिखा जायेगा। फ्रासीसियो और अग्रेजोकी लड़ाईके अग्रेजोके लिखे हुए हालको क्या तुम वेद-वाक्य मानते हो? जिसने लिखा होगा उसने ठीक लिखा होगा? फिर भी उसने अपने दृष्टिकोणसे लिखा है। वह उसी किस्मकी घटनाएँ बयान करेगा जिनमें अग्रेजोकी जीत हुई हो। हम भी ऐसा ही करेगे। फ्रांसीसी भी ऐसा ही करेंगे। हम हिन्दुस्तानका अलग ही इतिहास लिखेंगे। महाभारतका अर्थ भी अंग्रेज विद्वान एक तरह करेगा, हिन्दुस्तानी विद्वान दूसरी तरह करेगा और अगर वह दिलमें गहराईसे सोचकर करे, तो उससे भी दूसरे ही ढगसे करेगा। विन्सेट स्मिथकी शैली बढ़िया और विद्वत्तापूर्ण है, इसलिए उसका लिखा अच्छा लगता है। पर यह ठीक नही। अंग्रेज विद्वान ही बताते है कि उसमें बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ रह गया है। विलियम विल्सन हंटरकी भी यही बात है। यहाँ इन पुस्तकोसे इतिहास नही पढ़ाया जायेगा। अध्यापकने हिन्दुस्तानका खूब अध्ययन किया होगा, निरीक्षण किया होगा और वह हिन्दुस्तानका भक्त होगा, तो इतिहास एक ढगसे पढ़ायेगा। और अगर उसने अग्रेजी इतिहासोसे ही अपना दिमाग भर रखा होगा, तो न आपको लाभ होगा और न शिक्षकको; उसे तो शनिकी दशा लगी ही है।

हमारे यहाँ हर चीज सरकारी स्कूलसे उलटी ही तरह सिखाई जायेगी। गणित-शास्त्रके उदाहरण भी हमारा शिक्षक दूसरी ही तरह बतायेगा। ग्रेग जिन हिन्दुस्तानी बच्चोको पढ़ाते है, उनके लिए वे नया गणितशास्त्र बना रहे है। हमारा शिक्षक मैन्चेस्टरसे लिवरपूलकी दूरी नही पढ़ायेगा। वह यहाँके हालात पर से उदाहरण तैयार करेगा, ताकि गणितशास्त्रसे ही इतिहास और भूगोलकी भी शिक्षा मिल जाये। गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल सब हमें नये तैयार करने है। इसमें आप विद्यार्थी मदद न देंगे तो अध्यापक क्या करेंगे और अध्यापक ही अगर कच्चे होंगे, तो यह साफ है कि सिद्धान्त टूट जायेंगे।

आपको अपना विश्वास, धीरज और उद्यम नहीं खोना चाहिए। अध्यापकों और सिद्धान्तों पर भरोसा होगा तो आप नहीं डरेंगे। तादाद थोड़ी होगी, तो भी नहीं डरेंगे और विद्यापीठकी शोभा बढ़ायेंगे। अध्यापकोंको पूरा-पूरा देनेके लिए मजबूर करेंगे। आप पढ़नेवाले होंगे तो मैंने जो-कुछ कहा है, उसमें से भी सवाल पूछ-पूछ कर अध्यापकोंको तंग कर सकेंगे। पूरी दिलचस्पीके साथ काम करेंगे, तो रसके घूंट तो यही मिलेंगे। आपके शरीर तेजस्वी होंगे, मन तेजस्वी होगा और आत्मा भी तेजस्वी होगी।

यहाँ जो आप आते हैं, तो आत्माको तेजस्वी बनानेके लिए ही। इसलिए जिस उद्योगकी शिक्षा रखी गई है उसमें दिलचस्पी लेकर काम करेंगे, तो आपमें उद्योग-बुद्धि न होने पर भी वह जाग उठेगी। लेकिन अगर जड़की तरह रहकर रंदा लगायेंगे, तो यह नहीं हो सकेगा। दिलचस्पी लेंगे तो देखेंगे कि यह भी एक शास्त्र है। जाग्रत रहकर उद्योग करेंगे तो देखेंगे कि इसमें बहुत रस है और यह साबित कर सकेंगे कि इसका भी शास्त्र है। यह निश्चय करना है कि मुझे जुलाहा बनना है, बढ़ई बनना है और हिन्दुस्तानको स्वराज्य दिलाना है; नौकरी नहीं करनी है, मुंशी नहीं बनना है। यह निश्चय रखना है कि मजदूरी करके, खादी बुनकर, खादी-सेवक बनकर गुजारा करना है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १७-६-१९२८

४७६. पत्र: प्रेमलीला ठाकरसीको

११ जून, १९२८

प्रिय बहन,

तुम्हारी तरफसे रु० १०० तो दो दिन पहले मिल गये थे। पत्र आज ही मिला है। तुम्हारा नाम प्रकट न हो अगर ऐसा अब भी हो सका तो करेंगे। यह तभी सम्भव है यदि वह अभी तक छपा न हो।

मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। फिर कब आओगी?

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४८१२) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: प्रेमलीला ठाकरसी

४७७. पत्र : एस० मुराटोरीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१३ जून, १९२८

प्रिय मित्र,

आपके १५ मईके पत्रके सम्बन्धमें मेरा यह कहना है कि आपके 'आत्मकथा' (दि स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरीमेंट्स विद ट्रुथ)के प्रथम खण्डका असक्षिप्त इतालवी अनुवाद छापने पर मुझे कोई आपत्ति नही है।

मैं कोई विशेष शर्तें नही रखता हूँ पर आप जो कुछ भी देंगे वह मेरी सार्वजनिक गतिविधियोको आगे बढानेके काममें ही इस्तेमाल किया जायेगा।

हृदयसे आपका,

श्री एस० मुराटोरी
द्वारा इतालवी वाणिज्यालय
बेलियार्ड एस्टेट
बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १४७४७) की माइक्रोफिल्मसे।

४७८. सत्याग्रह आश्रम

सत्याग्रह आश्रमकी स्थापनाको १३ साल हो गये। इसकी स्थापना २५ मई, १९१५को हुई थी। आश्रमके प्रति लोगोका अनुराग बढता गया है। अगर इसके बढ़नेका कोई कारण है तो वह आश्रममें विद्यमान सत्यका आग्रह ही है। आश्रमके बारेमें 'नवजीवन'में प्राय· कुछ भी लिखनेकी इच्छा नही रहती। इच्छा हमेशा यह रही है कि उसमें जो कुछ है, उसकी परीक्षा केवल उसके कामोसे ही हो। छः साल हुए आश्रमकी नियमावलीकी छपी प्रतियाँ चुक गई हैं और तबसे अबतक नियमावली फिरसे छपाई ही नही गई। इसका एक कारण समयका अभाव भी था। नियमावली फिरसे तैयार कर देनेका बोझ मुझपर था। यह काम कठिन होनेसे, जाने-अनजाने मनसे इसे हमेशा टालता रहा। किन्तु साथी मुझसे हमेशा ही उसका तकाजा करते ही रहे।[1] यह नियमावली अब तैयार हो गई है और नीचे छापी जा रही है। पहला मसविदा होनेको मेरा ही था, मगर जिस रूपमें वह प्रस्तुत हो रही है, उसमें बहुतसे

१. यंग इंडियाके अंग्रेजी पाठमें यहाँ इतना और है, "मगनलालके देहान्तके कारण इसे और अधिक जल्दी पूरा करना जरूरी हो गया।"

साथियोंका हाथ है। इसमें कोई फेरफ़ार होने तक फिलहाल इसे स्वीकृत नियमावली माननेका प्रस्ताव कार्यवाहक मण्डलने स्वीकार कर लिया है। किन्तु अभी तो यह नियमावली कच्चे मसविदेके तौर पर ही छापी जा रही है। आश्रमका हित चाहनेवाले, और नैतिक दृष्टिसे आश्रमको बढ़ते हुए देखना चाहनेवाले बहुत लोग हैं। नियमावलीके बारेमें उनका भी मत जानना, इसे छापनेका उद्देश्य है। इसलिए आश्रमके साथ सम्बन्ध रखनेवाले, न रखनेवाले, मित्रों और टीकाकार आलोचकों, सबसे इसमें सुधार करनेके बारेमें अपनी सलाह भेजनेकी प्रार्थना मैं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आश्रमका प्रयोग शास्त्रीय पद्धतिसे चलता है। यानी जो नियम बनाये गये हैं उनसे आजका आश्रम-जीवन सूचित होता है। उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि उनमें दिये गये व्रतोंका सर्वांशमें पालन करनेवाला एक भी आश्रमवासी है, मगर उसका अर्थ यह अवश्य है कि प्रत्येक आश्रमवासी इन नियमोंका पालन करनेका सतत् प्रयत्न किया ही करता है और १३ वर्षोंके अनुभवके बाद उनका पालन आवश्यक लगा है और इनका थोड़े-बहुत अंशोंमें पालन हो भी सका है।

स्थापना

कोचरब (अहमदाबाद)में वैशाख सुदी ११, सं० १९७१ तदनुसार २५वीं मई सन् १९१५; अब साबरमतीमें।

उद्देश्य

जगतके हितसे अविरोध रखनेवाली देशसेवा करनेकी शिक्षा लेना और ऐसी देशसेवा करनेका सतत् प्रयत्न करना इस आश्रमके उद्देश्य हैं।

नियम

नियम : इन उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए नीचेके नियमोंका पालन आवश्यक है :

१. सत्य

सामान्य व्यवहारमें असत्य न बोलना या उसका आचरण न करना ही सत्यका अर्थ नहीं है। किन्तु सत्य ही परमेश्वर है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरे सभी नियमोंकी आवश्यकता इस सत्यकी खोज और साधनाके लिए ही पड़ती है और उसीमें से उसकी उत्पत्ति है। इस सत्यका उपासक अपने कल्पित देशहितके लिए भी असत्य नहीं बोलता, असत्यका आचरण नहीं करता। सत्यके लिए प्रह्लादके समान माता-पितादि गुरुजनोंकी आज्ञाका भी विनयपूर्वक भंग करनेमें धर्म समझता है।

२. अहिंसा

प्राणियोंका वध न करना ही इस व्रतके पालनके लिए बस नहीं है। अहिंसा अर्थात् सूक्ष्म जीवोंसे लेकर मनुष्य तक सभी प्राणियोंके प्रति समभाव रखना। इस व्रतका पालक घोर अन्याय करनेवालेके प्रति भी क्रोध नहीं करता किन्तु उसके प्रति प्रेमभाव रखता है, उसका हित चाहता और करता है। किन्तु प्रेम करते हुए भी अन्यायीके अन्यायका अंकुश नहीं मानता, बल्कि अन्यायका विरोध करता है, और वैसा करनेमें जो कष्ट हों, उन्हें धैर्यपूर्वक और द्वेष किये बिना अन्यायको सहता है।

३. ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्यका पालन किये बिना ऊपरके व्रतोंका पालन करना असम्भव है। ब्रह्मचारी किसी स्त्री या पुरुष पर कुदृष्टि न डाले, केवल इतना ही बस नहीं, किन्तु वह मनसे भी विषयोका चिन्तन या सेवन न करे। और यदि वह विवाहित हो तो अपनी पत्नी या अपने पतिके साथ भी विषयभोग न करे, किन्तु उसे मित्र समझकर उसके साथ निर्मल सम्बन्ध रखे। अपनी पत्नी या दूसरी स्त्रीका अथवा अपने पति या दूसरे पुरुषका विकारमय स्पर्श या उसके साथ विकारमय भाषण या अन्य विकार-मय चेष्टा भी स्थूल ब्रह्मचर्यका भंग है।

४. अस्वाद

ऐसा अनुभव होनेसे कि मनुष्य जबतक जीभके रसोको नही जीतता, तबतक ब्रह्मचर्यका पालन अति कठिन है, अस्वादको अलग व्रत गिना गया है। भोजन केवल शरीरयात्राके लिए ही हो, भोगके लिए कभी नही। इसलिए उसे औषध समझकर संयमपूर्वक भोजन करनेकी जरूरत है। इस व्रतका पालन करनेवाला ऐसे मसालों वगैराका त्याग करेगा जो विकार उत्पन्न करते हैं। मासाहार, मद्यपान, तम्बाकू, भाँग इत्यादिका सेवन करना आश्रममें निषिद्ध है। इस व्रतमें स्वादके लिए उत्सव या भोजनके आग्रहका निषेध है।

५. अस्तेय

इस व्रतके पालनके लिए यही काफी नही है कि दूसरेकी वस्तु उसकी अनुमतिके बिना न ली जाये। जो वस्तु जिस उपयोगके लिए हमें मिली हो, उसके अलावा उसका अन्य किसी प्रकारसे उपयोग करना या जितने समयके लिए मिली हो उससे अधिक समय तक उसका उपयोग करना भी चोरी है। इस व्रतके मूलमें सूक्ष्म सत्य तो यह छिपा हुआ है कि परमात्मा प्राणियोंकी नित्यकी आवश्यक वस्तुएँ ही नित्य उत्पन्न करता और देता है। उससे तनिक भी अधिक पैदा नही करता। इसलिए अपनी कमसे-कम आवश्यकतासे अधिक जो-कुछ भी मनुष्य लेता है वह चोरी करता है।

६. अपरिग्रह

अपरिग्रह अस्तेयके अन्तर्गत ही है। जिस तरह अनावश्यक वस्तु नही ली जा सकती, उसी तरह उसका संग्रह भी नही किया जा सकता। इसलिए जिस खूराक या साज-सामानकी जरूरत न हो, उसका संग्रह करना इस व्रतका भंग है। जिसका काम कुर्सीके बिना चल जाये वह कुर्सी न रखे, अपरिग्रही दिनोदिन अपने जीवनको और भी सादा बनाता जाये।

७. शारीरिक श्रम

अस्तेय और अपरिग्रहके पालनके लिए स्वयं काम करनेका नियम जरूरी है। फिर मनुष्य-मात्र शारीरिक श्रमसे शरीर-निर्वाह करें तभी वे सामाजिक और आत्म-द्रोहसे बच सकते हैं। जिनका शरीर चल सकता है और जिन्हें समझ आ गई है,

उन स्त्री-पुरुषोंको अपने नित्यका सारा काम, जो वे आप कर सकते हों, कर लेना चाहिए और बिना कारण दूसरेकी सेवा नहीं लेनी चाहिए। किन्तु बालकों, अन्य अपंग लोगों और वृद्ध स्त्री-पुरुषोंकी सेवा करनेका अवसर मिले तो उनकी सेवा करना सामाजिक जिम्मेदारीको समझनेवाले प्रत्येक मनुष्यका धर्म है।

इस आदर्शका अवलम्बन करके आश्रममें मजदूर नहीं रखे जाते हैं, जहाँ वे अनिवार्य हों, और उनके साथ मालिक-नौकरका व्यवहार नहीं किया जाता।

८. स्वदेशी

मनुष्य सर्वशक्तिमान् प्राणी नहीं है। इसलिए वह अपने पड़ोसीकी सेवा करके जगतकी सेवा करता है। इस भावनाका नाम स्वदेशी है। जो अपने नजदीकके लोगोंकी सेवा छोड़कर दूरवालोंकी सेवा करने या लेनेको दौड़ता है, वह स्वदेशीका भंग करता है। इस भावनाके पोषणसे संसार सुव्यवस्थित रह सकता है। उसके भंगसे अव्यवस्था होगी। इस नियमके आधार पर, जहाँतक बने, हम अपने पड़ोसकी दुकानसे व्यवहार रखें, देशमें जो वस्तु बनती हो या सहज ही बन सकती हो, वह विदेशसे न मँगायें। स्वदेशीमें स्वार्थके लिए स्थान नहीं है। कुटुम्बके लिए अपने-आपको, शहरके लिए कुटुम्बको, देशके लिए शहरको, और जगत्के कल्याणार्थ देशको होम कर दिया जाये।

९. अभय

सत्य, अहिंसा आदि व्रतोंका पालन निर्भयताके बिना असम्भव है। और फिलहाल जहाँ सर्वत्र भय व्याप रहा है, वहाँ निर्भयताका चिन्तन और उसकी शिक्षा अत्यन्त आवश्यक होनेसे, उसे व्रतोंमें स्थान दिया गया है। जो सत्यपरायण रहना चाहता है, वह न जात-बिरादरीसे डरता है, न सरकारसे डरता है, न चोरसे डरता है, न गरीबीसे डरता है और न मौतसे डरता है।

१०. अस्पृश्यता-निवारण

हिन्दू-धर्ममें अस्पृश्यताकी रूढ़िने जड़ जमा ली है। यह धर्म नहीं, अधर्म है। हमारी ऐसी मान्यता होनेके कारण अस्पृश्यता-निवारणको नियमावलीमें स्थान दिया गया है। आश्रममें अस्पृश्य माने जानेवाले लोगोंके लिए दूसरी जातियोंके बराबर ही स्थान है।

आश्रम जाति-भेद नहीं मानता। वह ऐसा मानता है कि जाति-भेदसे हिन्दू-धर्मको नुकसान हुआ है। उसमें छिपी हुई ऊँच-नीच और छुआछूतकी भावना अहिंसा-धर्मकी घातक है। आश्रम वर्णाश्रम-धर्मको मानता है। वर्णाश्रम-धर्मकी वर्ण-व्यवस्था केवल धन्धोंके आधारपर जान पड़ती है। इसलिए वर्ण नीतिका पालन करनेवाला ऐसे धन्धेसे, जो माँ-बापके धन्धेका अविरोधी हो, अपनी आजीविका पैदा करे और बाकी समय शुद्ध ज्ञान लेनेमें और बढ़ानेमें लगाये। स्मृतियोंमें दी गई वर्ण-व्यवस्था जगतका हित करनेवाली है, किन्तु वर्णाश्रम-धर्म मान्य होने पर भी आश्रम-जीवन 'गीता' मान्य व्यापक और भावना-प्रधान संन्यासको आगे रखकर रचा गया है, इसलिए आश्रममें वर्णभेदको अवकाश नहीं है।

११. सहिष्णुता

आश्रमकी ऐसी मान्यता है कि जगतमें प्रचलित प्रख्यात धर्म सत्यको व्यक्त करनेवाले है। किन्तु वे सब अपूर्ण मनुष्यके द्वारा व्यक्त किये गये है, इसलिए सभीमें अपूर्णता अथवा असत्यका मिश्रण हो गया है। इसलिए हमारे मनमें अपने धर्मके लिए जैसा मान हो, वैसा ही हमें प्रत्येक धर्मके लिए रखना चाहिए। जहाँ ऐसी सहिष्णुता हो, वहाँ एक-दूसरेके धर्मका विरोध सम्भव नही होता और न परधर्मीको अपने धर्ममें लानेका ही प्रयत्न सम्भव होता है। किन्तु नित्य यही प्रार्थना और यही भावना रखी जानी चाहिए कि सभी धर्मोंके दोष दूर हो।

काम

ऊपर बताये हुए नियमोका पालन करते हुए और उनका पालन किया जा सके इस उद्देश्यसे निम्नलिखित काम आश्रममें किये जाते है।

१. उपासना

आश्रमकी सामाजिक प्रवृत्तियोका आरम्भ सवेरे ४-१५ बजेकी सामाजिक प्रार्थनासे होता है और साँझके सात बजेसे ७.३० बजे तक होनेवाली प्रार्थनाके साथ समाप्त होता है। सुबह-शामकी यह उपासना सभी आश्रमवासियोंके लिए अनिवार्य है; इसका हेतु चित्त-शुद्धि करना और ईश्वरको समर्पित होना है।

२. शौच-सुधार

यह काम अत्यन्त आवश्यक और पवित्र होने पर भी अपवित्र गिना जाता है, और उसके प्रति समाजमें बहुत अरुचि है, और इसलिए सामान्यतः सफाई करनेके काममें आरोग्य और सफाईकी दृष्टिसे सुधार करनेकी बहुत गुंजाइश होनेके कारण भी, इसमें मजदूरी देकर दूसरोंके जरिए काम न लेनेका खास आग्रह रखा जाता है। पाखाना इत्यादिकी सफाई आश्रमके व्यक्ति ही बारी-बारीसे करते है। सामान्य नियम नये आगन्तुकको पहले यही काम सिखानेका है। मलको हमेशा नौ इंचका गढा खोद कर, जो गढ्ढेमें से निकलती है उस तथा दूसरी सूखी मिट्टीसे ढँक दिया जाता है और उसका खाद बनाया जाता है। निश्चित स्थानो पर ही लोग पाखाने या पेशाबके लिए जाते है। रास्तेमें न थूकने या किसी दूसरी तरहसे आश्रमके रास्ते न बिगाड़नेका खयाल रखा जाता है।

३. कातनेका यज्ञ

भारतवर्षका महादुःख उसके करोडो लोगोकी भुखमरी है। इस भुखमरीका मुख्य कारण उसके मुख्य धन्धे सूत-कताईका विदेशी राज्य द्वारा जानबूझकर किया गया नाश है। इसलिए इस क्रियाका पुनरुद्धार करनेके लिए कताईको केन्द्र बनाया गया है और वह राष्ट्रयज्ञके रूपमे आश्रमवासीके लिए अनिवार्य है। उसके सम्बन्धमें आश्रममें निम्नलिखित काम होते है:

१. जुदा-जुदा जातिकी कपासकी खेती,

२. चरखा, तकुवा, धुनकी वगैरा बनानेके लिए लोहार और बढ़ई विभाग।
३. कपास लोढ़ना या चुनना।
४. धुनना।
५. डोरी, निवाड़ या बिस्तरकी पट्टी, खादी बुनना।
६. रंगना तथा छापना।

४. खेती

आश्रमके निर्वाहके सम्बन्धमें तथा उसे यथासम्भव स्वाश्रयी बनानेके लिए उसमें कपासके अलावा शाक-भाजी, फल वगैराकी खेती की जाती है।

५. दुग्धालय

आश्रमकी दूधकी आवश्यकता पूरी करनेके लिए दुग्धालय चलाया जाता है और उसे आदर्श बनानेका प्रयत्न किया जा रहा है। गत वर्षसे यह दुग्धालय अखिल भारतीय गोरक्षा मण्डलकी सहायतासे, किन्तु आश्रमकी एक स्वतन्त्र प्रवृत्तिके रूपमें चलता है। उसमें २७ गायें, १० बैल, ४७ बछड़े-बछड़ियाँ और ८ साँड़ हैं। इसमें रोज ५ मन दूध होता है।

६. चर्मालय

दुग्धालयकी प्रवृत्तिके सम्बन्धमें चर्मालय स्थापित किया गया है। इसमें केवल मरे हुए ढोरका ही चमड़ा लिया जाता है और उसे कमाया जाता है। साथ ही मोचीका काम भी चलता है।

यदि इस देशमें गोपालनका यथेष्ट सुधार न हो तो गायकी दूध देनेकी शक्ति में वृद्धि नहीं होगी, और मरे हुए ढोरके चमड़ेका सदुपयोग इसी देशमें न हो तो गोरक्षाका दावा करनेवाले इस अहिंसा-प्रधान देशमें मवेशी बिना मौत ही मरेंगे और फलस्वरूप मनुष्य भी। इन दो (५ और ६) कामोंके पीछे यही मान्यता है।

७. राष्ट्रीय शिक्षा

आश्रममें राष्ट्रके लिए पोषक शिक्षा देनेका प्रयत्न किया जाता है। उसमें नीचेके सिद्धान्तों पर अमल करनेका प्रयत्न किया जाता है। शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक विकासको साथ ही साथ चलानेके लिए औद्योगिक वातावरणका निर्माण किया जाता है। अक्षरज्ञान पर जितना जरूरी हो, उतना ही जोर दिया जाता है और चरित्र दृढ़ करनेकी दृष्टिसे हरएक सूक्ष्मसे-सूक्ष्म कार्यमें भी उसकी आवश्यकता पर जोर दिया जाता है।

अन्त्यज बालकोंको दाखिल करनेकी पूरी छूट है।

स्त्रियोंकी स्थिति सुधारनेके हेतुसे उनपर खास ध्यान दिया जाता है और उन्हें अपने विकासके लिए पुरुषोंके बराबर ही स्वतन्त्रता दी जाती है।

विद्यापीठके नीचे लिखे सिद्धान्तोंको आश्रम स्वीकार करता है:

१. विद्यापीठका मुख्य काम स्वराज्य प्राप्तिके लिए चलनेवाले आन्दोलनोंके लिए चरित्रवान्, शक्तिसम्पन्न, संस्कारी और कर्त्तव्यनिष्ठ कार्यकर्त्ता तैयार करना है।

२. विद्यापीठकी ओरसे चलनेवाली और उनसे सम्बद्ध सभी संस्थाओका पूर्ण रूपसे असहयोगी होना आवश्यक है; इसलिए वे किसी किस्मका सरकारी आश्रय नही ले सकेंगी।

३. विद्यापीठ, स्वराज्य और स्वराज्य-प्राप्तिके साधन अहिंसामय असहयोगके सम्बन्धमें खुला था, इसलिए उसके शिक्षक और संचालक ऐसे ही होने चाहिए जो स्वराज्य प्राप्तिके लिए अहिंसा और सत्यके अविरोधी साधन ही स्वीकार करे और उन्हें अमलमें लानेके लिए प्रयत्नशील हों।

४. विद्यापीठ तथा विद्यापीठसे सम्बद्ध संस्थाओंके संचालक और शिक्षक अस्पृश्यताको कलंक रूप माननेवाले और उसे दूर करनेको प्रयत्नशील होने चाहिए और उन्हें किसी लड़के या लड़कीको अस्पृश्य होनेके कारण न तो बाहर रखना चाहिए और न उसे दाखिल कर लेनेके बाद उसके साथ किसी प्रकारका अलग व्यवहार ही करना चाहिए।

५. विद्यापीठके सम्बन्धमें काम करनेवाले शिक्षको, सचालको तथा सम्बद्ध संस्थाओंको चरखा आन्दोलनमें विश्वास करना, कोई अनिवार्य कारण उपस्थित हो जानेके सिवाय नियमित रूपसे कातना और सदा खादी पहनना चाहिए।

६. विद्यापीठसे सम्बन्धित सभी संस्थाओमें सभी धर्मोंके प्रति आदरभाव रखनेकी शिक्षा दी जाये और विद्यार्थियोंके आत्मविकासके लिए अहिंसा और सत्यको दृष्टिमें रखते हुए धर्मकी शिक्षा दी जाये।

७. विद्यापीठमें प्रान्तीय भाषाको प्रधान पद दिया जायेगा और सारी शिक्षा उसीके जरिए दी जायेगी।

स्पष्टीकरण — दूसरी भाषाएँ पढाते समय उन्ही भाषाओंके उपयोगमें इस नियमसे वाधा नही आती।

८. विद्यापीठके पाठ्यक्रममें राष्ट्रभाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानीका आवश्यक स्थान होगा।

स्पष्टीकरण — हिन्दी-हिन्दुस्तानी वह भाषा है जिसे उत्तरमें आम हिन्दू-मुस्लिम जनता वोलती है और जो देवनागरी तथा फारसी लिपियोमें लिखी जाती है।

९. विद्यापीठमें औद्योगिक शिक्षाको भी वौद्धिक शिक्षाके वरावर ही महत्व दिया जायेगा; इसमें जो उद्योग राष्ट्रके पोषक होंगे, केवल उन्हीको स्थान दिया जायेगा, दूसरोंको नही।

१०. भारतवर्षका उत्कर्ष शहरो पर नही, किन्तु गाँवो पर अवलम्बित है, इसलिए विद्यापीठके शिक्षकोका मुख्य उपयोग गाँवोमें राष्ट्रको पोषण देनेवाली शिक्षाका प्रचार करनेमें होगा।

११. शिक्षा-क्रम वनाते समय गाँववालोकी जरूरतोको प्रधानता दी जायेगी।

१२. लोगोंके शारीरिक विकासके लिए व्यायाम और शारीरिक श्रमकी तालीम विद्यापीठमें आवश्यक गिनी जायेगी।

इस शालामें अब तक १५ विद्यार्थी और २ विद्यार्थिनियाँ तैयार हुई है।

टिप्पणी: आश्रमके सभी विभागोंमें महत्वपूर्ण फेरफार होते रहनेके कारण फिलहाल एक वर्ष (सन् १९२९ के जून तक) कार्यवाहक मण्डलका आग्रह विद्यार्थी भरती न करनेका है।

८. खादी-सेवक शाला

अखिल भारतीय चरखा संघकी ओरसे आश्रम खादी-सेवक तैयार करनेके लिए अलग ही उद्योगशाला चलाता है, जिसमें अभी जुदा-जुदा प्रान्तोंके ३३ विद्यार्थी हैं। आजतक उससे २०५ विद्यार्थियोंने लाभ उठाया है। शालाका पाठ्य-क्रम इस प्रकार है:

खादी विद्यालय पाठ्य-क्रम

कातना (२१ सप्ताह)

१. केवल हाथकी उँगलियोंके सहारे कातना।

२. सूतकी मजबूतीके सिद्धान्तोंको जानना।

३. सूतमें जुदा-जुदा अंकोंकी आवश्यक मजबूती, समानता और गति इस प्रकार होनी चाहिए:

समय	अंक	गज	मजबूती	समानता	रुईकी किस्म
१ घंटा	६	२५०	५०	८०	हलकी
१ "	९	२५०	५०	८०	हलकी
१ "	१२	३००	६०	९०	मध्यम
१ "	१६	३००	७०	९०	अच्छी
१ "	२०	३००	७०	९०	अच्छी

कातनेका क्रम:

१ सप्ताह तक शुरूमें कातनेका अभ्यास करना।

४ सप्ताह	६ अंकका	५ रतल सूत कातना
३ "	९ "	२॥ " " "
४ "	१२ "	४॥ " " "
४ "	१६ "	२॥। " " "
४ "	२० "	२॥। " " "
१ "	सामान्य	
कुल २१ सप्ताह		

४. तकुवेकी परीक्षा करनी और उसे सुधारना।

५. तकली पर कातना।

६. मोटे तौर पर सूतका अंक पहचान सकना।

७. जाँच कर सूतका अंक निकालना।

८. सूतको अच्छी तरह उतारना।

९. चरखेके हरएक भागको पहचानना और हरएकका नाम जानना।

१०. अपने काते सूतकी माल बनाना।
११. रुईकी परीक्षा करनेके मुद्दे जानना।
१२. 'बुनाई-शास्त्र' और 'तकली-शिक्षक' का अभ्यास करना।
१३. अपने प्रान्तके चरखे पर कातना।

धुनना (७ सप्ताह)

(क) धुनकी तैयार करना।
(ख) उसमें गद्दी बैठाना।
(ग) धुनाईके लिए चटाई बनाना।
(घ) जुदा-जुदा किस्मकी ताँत पहचानना।
(च) धुनाई क्रम :[1]

२ सप्ताहमें बडी धुनकी पर १८ सेर रुई धुननी
३ „ मध्यम धुनकी पर २२½ सेर रुई धुननी
२ „ बारडोली कामटी पर ८ सेर रुई धुननी

---

७ सप्ताहमें निम्नानुसार धुनाई तथा पूनी तैयार करना सीखना।
८ घंटेमें बड़े पिंजनसे ३ रतल
८ घंटेमें मध्यम पिंजनसे २ रतल
८ घंटेमें बारडोली कामटी पिंजनसे १। रतल

कपास चुननी (२ सप्ताह)

क्रम: १०० रतल कपास साफ करके ओटना।[2]
पाँवसे ओटना सिखाना।
आंध्र-पद्धति सिखाना।
अस्पृश्य बुनकरों की पद्धति।
वेग: ८ घंटेमें ३२ रतल कपास ओटना।

बुनाई

१. सांध करनी (सूत जोडना) समय २ दिन
२ तानेके लिए सूत भिगोकर और बानेके लिए कुकड़ी या डोटा भरकर
(अ) २० गज साड़ी बनानी समय १० दिन
(आ) पलंगके लिए ७५ गज पट्टी या निवाड़ १५ „
(इ) शतरंजी या दरीके प्रकारोमें समय १० दिन
२४"–२४"के तीन सादे आसन
२४"–२४"के तीन नक्काशीदार आसन
२ गज–३०" पन्हेकी २ हाथ करघेकी दरियाँ } ४५ „

१. यंग इंडियामें यहाँ सेरकी जगह पौंड लिखा गया है।
२. इसके बाद की तीन पंक्तियाँ 'यंग इंडिया'से ली है।

पिट-लूम

३. सूत भिगोकर, सुखाकर, कुकड़ी भरकर, ताना डालकर, माँडी लगाकर, टूटे धागे जोड़कर, निम्न परिमाणमें खादी बुननी :

	अंक	किस्म	गज	पन्हा	१" तानेमें सूत-संख्या	दिन
(क)	६	मोटी	२०	३०"	५ घरकी दो सूती	२०
(ख)	६	गाढी	१०	"	८, ९ " "	२०
(ग)	९	"	"	"	१२ " "	१०
(घ)	६	"	"	"	१८, १९ एक सूती	१२
(ङ)	९	"	"	"	" " "	१२
(च)	१२	"	"	"	२१ " "	१२
(छ)	१६	"	"	"	२४ " "	१५

झटका-करघा

	अंक	किस्म	गज	पन्हा	१" तानेमें सूत-संख्या	दिन
(ज)	१२	सादी	"	४२"	१७ " "	
(झ)	१६	"	"	४५"	२० " "	७२
(ञ)	२०	"	"	५०"	२२ " "	

नक्काशीदार कपड़ेकी बनावट

	अंक	किस्म	गज	पन्हा	१" तानेमें सूत-संख्या	दिन
(ट)	१से ६	जीन	१०	३०"	१६ " "	८
(ठ)	"	हनीकोम्ब	"	"	१२ " "	८
(ड)		टवील	"	"	१६ " "	८

४. राछके लिए ४ रतल सूत भिगोना। शुरूआतकी सभी क्रियाएँ करके राछ बाँधना और फणी सुधारनी २३

रंगाई

डा० प्र० च० राय और श्रीयुत वंशीधर जैनकी पुस्तकोंके अनुसार रँगना और छापना। छापने और रँगनेमें मुख्य विलायती रंगोंको उपयोग करके जान लेना २४

बढ़ईगिरीकी शिक्षा

१. तीन तरहके अटेरन बनाना और औजार घिसना आदि जानना। ३०

२. तकली पेटी और चरखेका मोढिया या चमरखका मोहरा बनाना। ३०

३. मध्यम पिंजन, बारडोली पिंजन, कामटी पिंजन, तकुवा और तकली बनानी। ३०

विशेष ऊपरके क्रमके साथ (क) हिन्दी, हिसाबके वर्ग, (ख) खादी निबन्ध, खादी-पत्रिका, व्याख्यान और (ग) चरखा संघके कार्यवाहक मण्डलके सदस्यों और दूसरे नेताओंके व्याख्यान।

आश्रममें प्रति विद्यार्थी मासिक भोजन-खर्च लगभग १२ रुपया आता है।

कार्यवाहक मण्डल

आश्रमकी व्यवस्था १९८२ के आषाढ़ सुदी १४, शनिवार २४-७-१९२६ से कार्यवाहक मण्डलके अधीन चलती है। इस समय उसके निम्नलिखित सदस्य!

श्री महादेव हरिभाई देसाई (प्रमुख)
श्री इमाम अब्दुल कादिर बावजीर (उप-प्रमुख)

सदस्य

श्री विनोबा भावे
श्री खुशालचन्द गांधी
श्री नरहरि द्वारिकादास परीख
श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम आसर
श्री रमणीकलाल मगनलाल मोदी
श्री चिमनलाल नरसिंहदास शाह
श्री छगनलाल नथुभाई जोशी
श्री नारणदास खुशालचन्द गांधी
श्री सुरेन्द्रजी

इस मण्डलमें से किसीकी मृत्यु हो जाने, अथवा किसी दूसरी तरहसे किसीकी जगह खाली हो जाने पर उसे भरनेका अधिकार मण्डलको है।

कार्यवाहकका चुनाव, यह मण्डल कमसे-कम तीन चौथाईके बहुमतसे करे।

इस मण्डलको दो और कार्यवाहक चुननेका अधिकार है।

इस मण्डलमें कमसे-कम तीन कार्यवाहक होने चाहिए।

आश्रमकी कुल व्यवस्थाका अधिकार कार्यवाहक मण्डलको है।

विशेष : गांधीजी और काकासाहब कालेलकर स्वेच्छासे ही कार्यवाहक मण्डलमें नहीं है।

आश्रमवासी

आश्रमवासी वह है जो आश्रमके उद्देश्य और नियमोंको माने, और आश्रममें या आश्रमकी सम्मतिसे बाहर रहकर नियमोंका पालन करनेका सतत प्रयत्न करे और कार्यवाहक मण्डल या उसके चुने हुए व्यवस्थापक जो भी काम बताये, उस काममें एक-निष्ठासे लगा रहे।

कार्यवाहक

इक्कीस वर्षके या उससे बडे वे ही आश्रमवासी स्त्रियाँ या पुरुष कार्यवाहक मण्डलके सदस्य बन सकते है जिन्होंने कमसे-कम ५ वर्ष आश्रममें विताये हों, और जिन्होंने आश्रममें या आश्रमकी ओरसे चलनेवाले किसी काममें आजन्म रहनेकी प्रतिज्ञा की हो।

महत्वपूर्ण प्रस्ताव

कार्यवाहक मण्डलने नीचे लिखे महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किये हैं:

१. आश्रममें जिम्मेदारीका हरएक काम करनेवाले तथा आश्रममें सदाके लिए या थोड़े समयके लिए आकर रहनेवाले हरएक आदमीके लिए ब्रह्मचर्यका पालन आवश्यक रहेगा।

२. आश्रममें दाखिल होनेके लिए इच्छुक व्यक्तिको अपने स्थान पर ही रहकर १ वर्ष तक आश्रमके नियमोंका पालन करना चाहिए।

अपवाद: खास परिस्थितियोंमें प्रमुखको इस विषयमें अपवाद करनेका अधिकार होगा।

३. आश्रममें किसी अलग रसोईघरका जुड़ना इष्ट नहीं है, इसलिए आश्रममें नए दाखिल होनेवालोंके लिए — चाहे वे कुटुम्बी हों या एकाकी — खाने-पीनेकी व्यवस्था आश्रममें चलनेवाले संयुक्त रसोईघरमें ही होगी।

मेहमानोंसे विनती

आश्रम देखने आनेवाले और रहनेवाले मेहमानोंकी संख्या बहुत बढ़ गई है। देखने आनेवालेको आश्रमके काम दिखलानेका यथासाध्य प्रबन्ध किया जाता है। किसी विशेष अवधिके लिए आनेवालोंसे प्रार्थना है कि वे मन्त्रीको लिखकर अनुमति मँगाये बिना न आयें, आनेवालोंसे नीचे लिखे नियमोंका पालन करनेकी प्रार्थना की जाती है:

१. उपासनाके समय भरसक उसमें हाजिर रहना।

२. खाने-पीनेके समयोंका, जो कि दिनचर्यामें बतलाये गये हैं भरसक पालन करना।

३. आश्रमके पास बर्तन और बिस्तरका संग्रह कम ही है। इसलिए हरएक मेहमानको अपना बिछौना, मसहरीकी आदत हो तो वह भी और तौलिया, थाली, कटोरा और लोटा साथ लाना चाहिए।

४. पश्चिमके (यूरोपीय) मेहमानोंके लिए खास सुविधा नहीं की गई है। फिर भी जिन्हें जमीन पर बैठकर खाना अनुकूल न आये, उनके लिए ऊँची बैठककी सुविधा कर देनेका प्रयत्न किया जाता है और उनके लिए हमेशा यूरोपीय ढंगके पाखानेकी सुविधा कर दी जाती है।

शाखा

आश्रमकी एक ही शाखा है और वह वर्धामें श्री विनोबाके अधीन है। वहाँ लगभग ऊपरके ही नियमोंका पालन किया जाता है। किन्तु उसकी व्यवस्था और खर्च मूल आश्रमसे स्वतन्त्र है।

वार्षिक खर्च

साबरमती आश्रमका औसत मासिक खर्च ३,०००) रु० का है और वह मित्र-वर्गकी ओरसे मिलता है।

आश्रमकी मिल्कियत

जमीन १३२ एकड़ २८ गुठा कीमत रु० २६,९७२–५–६
मकान रु० २,९५,१२१–१५–६
यह सम्पत्ति निम्नलिखित ट्रस्टियोंके नाम पर है:

१. श्री जमनालाल बजाज
२. श्री रेवाशंकर जगजीवन झवेरी
३. श्री महादेव हरिभाई देसाई
४. श्री इमाम साहब अब्दुल कादिर बावजीर
५. श्री छगनलाल खुशालचन्द गांधी

आश्रममें हालमें इतने आदमी हैं:

पुरुष	स्त्री	बालक
५५ आश्रममें काम करनेवाले	४९ आश्रमकी बहनें	३५ कुमार
४३ चरखा-संघके विद्यार्थी तथा शिक्षक	१० मजदूर	३६ बालिकाएँ
५ बुनकर	७ बुनकर	७ छोटे बच्चे
३० खेतीका काम करनेवाले मजदूर		
१३३	६६	७८

कुल २७७ आदमी

दिनचर्या

४ बजे सवेरे	उठनेका घंटा
४–१५ से ४–४५	सवेरेकी उपासना
५ से ६	शौच, स्नान, व्यायाम, स्वाध्याय
६–१० से ६–३०	नाश्ता
६–३० से ७	स्त्रियोंका वर्ग
७ से १०–३०	उद्योग, शिक्षा, सफाई
१०–४५ से ११–१५	भोजन
११–१५ से १२–०	आराम
१२ से ४–३०	उद्योग
४–३० से ५–३०	आराम इत्यादि
५–३० से ६	भोजन
६ से ७	व्यायाम इत्यादि
७ से ७–३०	साँझकी उपासना
७–३० से ९	स्वाध्याय
९ बजे रात	शयनका घंटा

विशेष कारणोंसे इस दिनचर्यामें फेरफार हो सकेगा।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १०-६-१९२८

४७९. बारडोलीकी बलि

बारडोली स्वेच्छासे स्वीकार किये हुए कष्ट और बम्बई सरकारकी निरंकुशतासे पीड़ित है। इन दोनों बातोंके उदाहरण महादेव देसाईकी बारडोली सम्बन्धी टिप्पणियोंमें मिलेंगे। सरकार मानो मक्खी मारने जैसी बातके लिए एड़ी-चोटीका पसीना एक कर रही है। बढ़ाए गए लगानके १,००,००० रुपयेके लिए, जो सरकारके लिए छोटीसी रकम है, वह शक्ति, असत्य, खुशामद और घूसका सहारा ले रही है। ये शब्द कठोर हैं; किन्तु सरकारकी कार्रवाइयोंको देखते हुए कदापि कठोर नहीं हैं। सरकार द्वारा किया जा रहा शक्ति-प्रयोग इतना प्रत्यक्ष है कि उसे कोई भी देख सकता है। यों तो जब सत्ता शक्तिका प्रयोग करनेमें असमर्थ होती है तब भी वह उसका दिखावा करती है; किन्तु इस मामलेमें तो वह अपर्याप्त शक्तिका प्रयोग कर रही है। शक्ति-प्रयोग दिखाई दे रहा है इसलिए वह अन्य तरीकोंसे कम खतरनाक है। दूसरे तीन तरीके शरारतसे भरे हुए हैं; क्योंकि वे अदृश्य हैं। आयुक्त का अशिष्ट पत्र और सरकारकी छल-पूर्ण विज्ञप्ति उस असत्यके उदाहरण हैं जिसका आचरण अकर्त्तव्योंके रूपमें और कर्त्तव्योंकी उपेक्षाके रूपमें किया गया है। जब यह काण्ड समाप्त हो चुकेगा, खुशामद और घूसके उदाहरणोंका पता तो हमें तब चलेगा। हमें मालूम है कि पंजाबके मार्शल लॉके शासनमें उन लोगोंको जो मनुष्यत्वसे गिर गये थे उपाधियाँ दी गई थीं और उनकी पदोन्नति की गई थी। यहाँ बारडोलीमें जो अभी छोटा पंजाब जैसा है, उन्ही घटनाओंकी पुनरावृत्ति होगी। सरकार जब किसीसे अपने लिए कोई आपत्तिजनक कार्य कराना चाहती है, तब वह लोभ आदिके जिन सूक्ष्म रूपोंका सहारा लेती है मैं उनका वर्णन यहाँ नही करूँगा। ज्यादातर सरकारें (साम, दाम, दण्ड, भेद) चारों तरीकोंका सहारा लेती हैं, किन्तु सबसे ज्यादा दुख इस बातसे है कि बम्बई सरकार इन सारी शक्तियोंका प्रयोग उन लोगोंकी गर्वीली भावनाको कुचलनेके लिए खुलकर कर रही है, जो अपने सीधेपन और भोलेपनके लिए प्रसिद्ध हैं। यह कहना कि वे कानून तोड़नेवाले हैं, एक घृणित झूठा आरोप है। यदि कोई मनुष्य जिस दायित्वको स्वीकार नहीं करता, उसका कानून द्वारा प्रतिवाद कर सकता है, तो लोग जिस लगानको शासन द्वारा अपने ऊपर अन्यायपूर्वक थोपा गया मानते हैं, उसका कानून द्वारा प्रतिवाद क्यों न करें? और सरकार जिस लगानको वाजिब समझती है उसकी वसूलीके लिए उन्हीं दीवानी कानूनोंको काममें लाकर सन्तुष्ट क्यों नहीं हो सकती, जो अन्य व्यक्तियोंके लिए खुले हैं?

किन्तु बारडोलीके लोगोंको मनमाने तौर पर जो कष्ट दिये जा रहे हैं उससे वे ऊँचे उठे है, क्योंकि वे उसके लिए तैयार थे। सीधे सादे किसानोंने जो बहादुरीका रुख अपनाया है उससे सरकारकी वह इज्जत, जिसको बनाये रखनेके लिए सरकार जी-जानसे कोशिशें कर रही है और जिनकी चर्चा इन पृष्ठोंमें सप्ताह प्रति सप्ताह की जाती है, अप्रत्यक्ष रूपसे ही सही, बहुत कम हो गई है।

किन्तु एक पापी और क्रूर सत्ता द्वारा दिये गये कष्टसे अधिक आत्मशुद्धि करनेवाला कष्ट तो वह है जिसे वे स्वय अपने ऊपर ले रहे है। मेरा संकेत बारडोली और वालोडके तिरेसठ पटेलो और ग्यारह तलाटियोंके त्यागपत्रोकी ओर है। इन लोगोंके लिए अपने पदोको छोड़ना कोई छोटी बात नही है। उन्होने अब तक अकसर इन पदोका उपयोग अपने साधारण वेतनोमें गैरकानूनी वृद्धि करनेमें किया है। इन जैसे लोगोंके लिए अपनी नौकरियाँ छोड़ना बड़े सरकारी अधिकारियोकी अपेक्षा अधिक कठिन है। किन्तु कष्ट सहन और वीरता तो विनीत लोगोकी निशानी है। मैं इन पटेलों और तलाटियोको सादर बधाई देता हूँ। उनको यह ज्ञात होना चाहिए कि समस्त भारतने उनके बलिदानकी सराहना की है। जैसा बलिदान उन्होने किया है वैसा बलिदान करनेसे ही हमें स्वतन्त्रता मिलेगी। हम सरकारी पदोका लालच नहीं छोड़ सकते। सरकार हमारी इस कमजोरीको जानती है और इसका उपयोग अपनी ताकतको मजबूत करनेके लिए करती है। किन्तु यदि हमें विश्वास हो कि जिसने हमें पैदा किया है वह हमारा पालन-पोषण भी अवश्य करेगा; यदि हम केवल उसकी इच्छाके अनुसार आचरण करे, अर्थात् ईमानदारीसे अपने हाथो और पैरोंसे काम करें तो हम कभी भूखे नही रहेंगे और सत्ताके सम्मुख कभी दीनता नहीं दिखायेंगे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १४-६-१९२८

४८०. बारडोलीका मामला क्या है?

बहुतसे लोगो द्वारा यह माँग किये जाने पर कि व्यस्त पाठकके लिए मामलेका न्यूनतम संक्षेप दिया जाना चाहिए, निम्नांकित सारांश तैयार किया गया है।[1] यद्यपि इस मामलेका ब्यौरेवार उल्लेख इन पृष्ठोमें किया जा चुका है, तो भी उन लोगोंके लिए जो सत्याग्रहियोंकी मदद करना चाहते हैं परन्तु जिन्हें यह मालूम न हो कि वास्तवमें मामला क्या है और जिनके पास कागजोकी फाइलें पढ़नेका वक्त न हो; निम्नांकित संक्षेप सहायक सिद्ध होगा। सक्षेप इसलिए आवश्यक है क्योंकि बारडोलीके लोगोंने कष्टोंका जिस बहादुरीसे सामना किया है, उससे इस मामलेमें लोगोकी रुचि निरन्तर बढ़ती रही है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १४-६-१९२८

१. महादेव द्वारा लिखित लेखके लिए देखिए, परिशिष्ट ३।

४८१. अ० भा० चरखा संघकी सदस्यता

अ० भा० चरखा संघके तकनीकी विभागके निदेशकने मुझे निम्नलिखित तुलनात्मक तालिका भेजी है।[1]

इस तालिकाका अध्ययन करने पर बहुत-सी बातें मालूम होती हैं। जहाँ खादीका व्यावसायिक विभाग धीरे ही सही, मगर निश्चित रूपसे खादीकी किस्म, मिकदार और कीमतमें दिनों-दिन उन्नति करता जा रहा है, और वैतनिक कतैयोंकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, वहाँ बिहार और अजमेरको छोड़कर और सब जगह यज्ञार्थ सूतका कातना बराबर घटता ही जा रहा है। इससे या तो यह पता चलता है कि हमें यह पक्का विश्वास ही नहीं रहा कि हाथकताईमें हमारे करोड़ों लोगोंकी दशा सुधारने और मध्यम वर्गके लोगोंका सामान्य जनताके साथ लाभकारक सम्बन्ध जोड़नेकी शक्ति है या फिर मध्यम श्रेणीके लोगोंमें यह विश्वास तो है, मगर वे इतने आलसी या लापरवाह हो गये हैं कि उनसे जिस स्वल्प, किन्तु सतत त्यागकी अपेक्षा है, वे उतना त्याग नहीं कर सकते। ताज्जुब तो यह है कि राष्ट्रीय संस्थाओंसे भी, जैसे कि गुजरातमें, स्वेच्छासे कातनेवाले पूरी संख्यामें नहीं मिल रहे हैं। जो कार्यकर्ता खादी-सेवामें हैं वे भी इस यज्ञार्थ कताईका, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, कष्ट नहीं करना चाहते। तब अगर खादी राष्ट्रकी जरूरतके मुताबिक उन्नति नहीं कर रही है तो उसमें भला आश्चर्य ही क्या है। खादी-कार्यकर्त्ता और खादी-प्रेमी सज्जन इस बातको जान लें।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १४-६-१९२८

४८२. पत्र : रामदेवको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१५ जून, १९२८

प्रिय रामदेवजी,

मैं बा को देहरादून जानेके लिए मना सकूँगा इस आशामें मैं आपके पत्रके उत्तरमें देरी करता रहा। परन्तु वे राजी नहीं हुईं। ऐसा लगता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नही रह गई है। मुझे आशंका है कि अभी हालमें आश्रममें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं, उनका भी उनके दिमाग

१. यहाँ नहीं दी जा रही है।

पर अच्छा असर नही पड़ा है। उनका स्वास्थ्य भी आजकल बहुत अच्छा नही है। उनमें मानसिक और शारीरिक थकावट आ गई है। इस सबके बावजूद मैंने भरसक कोशिश की, परन्तु असफल रहा। खेद है कि मुझे आपको निराश करना पड़ रहा है। परन्तु आप यह स्वीकार करेंगे कि मै कितना मजबूर हूँ। आखिरकार वे स्वतन्त्र है और उन्हें हमेशा स्वतन्त्रता दी गई है।

मुझे खुशी है कि अब आप बिलकुल ठीक है।

हृदयसे आपका,
बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १३४१६) की फोटो-नकलसे।

४८३. पत्र : आर० बी० ग्रेगको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१५ जून, १९२८

प्रिय गोविन्द,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी दलील ठीक है। और चूंकि तुम्हारी अन्तरात्मा भी यह कहती है कि हमारे समान उद्देश्यकी पूर्तिके लिए इस वक्त तुम्हारा स्थान भारतकी अपेक्षा अमेरिकामें है, इसलिए मुझे कुछ कहनेके लिए रह नहीं जाता। मैं तुम्हारे लिये अमेरिकामें हर तरहकी सफलताकी कामना करता हूँ। और चूंकि मुझे तुम्हारा निर्णय स्वीकार है, मुझे और कुछ कहनेकी जरूरत नही है।

आशा है कि मैं दिसम्बरको छोड़कर सारे साल आश्रममें रहूँगा। कुछ ऐसी सम्भावना है कि मैं अक्तूबरमें बर्मा जाऊँ। परन्तु यदि ऐसा हुआ तो यह उस महीनेके अन्त तक ही होगा। ऐसा कार्यक्रम बना तो तुम्हें काफी पहले पता चल जायेगा। तुम किसी भी हालतमें बिना मिले न चले जाना।

मै तुम्हारा विज्ञान-प्रवेशिका देखनेकी प्रतीक्षामें हूँ।

काश, आश्रममें जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये है, मेरे पास उनका वर्णन करनेके लिए समय होता। यदि मुझे वक्त मिला तो मै तुम्हें उन परिवर्तनोका विवरण दूँगा, नही तो तुम स्वयं उन्हें पूरी तरह कार्यान्वित होते हुए देख लेना।

मुझे आशा है कि अब तुम पूरी तरह स्वस्थ और अच्छे होगे।

तुम सबको सस्नेह,

रिचर्ड बी० ग्रेग
कोटगढ़
शिमला हिल्स

अंग्रेजी (एस० एन० १३४१७) की फोटो-नकलसे।

४८४. पत्र : वसुमती पण्डितको

शुक्रवार [१५ जून, १९२८][1]

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने गुरुकुलकी स्थितिके बारेमें पण्डित अभयजीको खत लिखा है। मुझे लगता है कि वहाँ किसी पुरुषके रहने पर ही यह सुधार हो सकते हैं। यहाँ चोरी हो गई थी। चोरोंने सुरेन्द्रको मारा और थोड़ी-सी मार शंकरभाईको भी पड़ी। भण्डारसे २०० रुपये चोरी गये। आश्रममें कई सुधार हो रहे हैं। अधिक लिखनेका समय नहीं है। सुरेन्द्रकी तबीयत अच्छी है। महादेव कुएँ परसे गिर पड़ा था। काफी चोट लगी है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७८) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

४८५. पत्र : एस० रामनाथन्को

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१६ जून, १९२८

प्रिय रामनाथन्,

मुझे आपका हृदय-स्पर्शी पत्र मिला। मैं आपसे जितना स्नेह करता हूँ यदि उससे भी ज्यादा स्नेह सम्भव है तो इस पत्रकी सचाईसे आप मेरे और भी प्रिय हो गये हैं।

आपने जिन विचारोंको प्रकट किया है, मैं उनमें से कुछ-एकके बारेमें सहमत नहीं हूँ। परन्तु इस वक्त यह सब प्रासंगिक नहीं है। महत्व इस बातका है कि आप जो-कुछ कहते हैं उसपर आपका निश्चित विश्वास है। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं यह जरूर महसूस करता हूँ कि हमें अब आपको अपनी बात मनवानेके लिए और प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको पूरी सद्भावना सहित अलग हो जाने देना चाहिए। परन्तु मैं आपका पत्र राजगोपालाचारीको भेज रहा हूँ।[2] मुझे विश्वास है कि आप

१. डाककी मुहरसे।
२. देखिए "पत्र : च० राजगोपालाचारीको", १७-६-१९२८।

इस बातको बुरा नही मानेंगे। मै इस मामले पर राजगोपालाचारीसे विचार-विमर्श भी कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३६२०) की माइक्रोफिल्मसे।

४८६. पत्र : जी० रामचन्द्रन्को

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१६ जून, १९२८

प्रिय रामचन्द्रन्,

तिरुपुरसे आपका पत्र पाकर मुझे प्रसन्नता हुई।

हाँ, आपको हर चीजका यानी कि छोटेसे-छोटे ब्यौरेका भी पूर्ण ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्योकि खादी-शिक्षणका अर्थ ही यह है कि छोटेसे छोटे रेशेका भी ध्यान रखा जाये। चाहे कताई हो या बुनाई या पूनियाँ बनानेका काम हो, हमारे कामका आरम्भ रेशेसे ही होता है। यही बात खादीसे सम्बन्धित हिसाब-किताबके बारेमें भी है।

आप मुझे पत्र नियमित रूपसे अवश्य भेजिए, और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मुझे बता दें कि आप मुझे कितनी बार पत्र लिखेंगे — हफ्तेमें एक बार या पखवाड़ेमें एक बार, जिससे कि मुझे पता चल जाये कि दक्षिण आफ्रिकाकी डाककी तरह आपका पत्र किसी विशेष दिन आना ही है।

आप आश्रमका सविधान[1] ध्यानसे अवश्य पढ़िये और अपने सुझाव भेज दीजिए। जैसा कि आप जानते है सविधान 'यंग इंडिया'के इस सप्ताहके अंकमें छप रहा है।

महादेवको आश्रमके कुएँसे पानी लाते हुए भारी चोट लग गई। उसका पैर फिसल गया और वह पीठके बल गिर गया। अब वह पहलेसे बेहतर है।

आश्रममें बहुतसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है जिनमेंसे एक यह है कि अब आश्रममें मजदूरी करनेवाले मजदूर नही हैं। गोशाला, खेत और इस तरहकी हर चीजकी देखभाल आश्रमवासियोको ही करनी होती है। संयुक्त रसोईघरकी संख्या बढकर ९४ हो गई है। हमारे यहाँ दो बार चोरीकी गम्भीर घटनाएँ हुईं। एकमें ५० चोरोंने चर्मालयको घेर लिया और कुछ पानेकी आशामें प्रत्येक पुरुष आश्रमवासीको

१. देखिए, "सत्याग्रह आश्रम", २४-६-१९२८।

पीटा। परन्तु वहाँ मिलनेके लिए कुछ था ही नहीं। बेचारे सुरेन्द्रको बड़ी मार पड़ी। परन्तु अब वह ठीक है।

श्रीयुत रामचन्द्रन्
अ० भा० च० संघ, तिरुपुर

अंग्रेजी (एस० एन० १३६२१) की माइक्रोफिल्मसे।

४८७. छुट्टियोंमें खादी-सेवा

बम्बई राष्ट्रीय विद्यालयके तकली-मण्डलके संचालकोंने आचार्य श्री गोकुलभाईकी साक्षीके साथ नीचेका लेख[1] भेजा है। उसमें जरा भी काटछाँट किए बिना मैं सारा दे रहा हूँ। मैं हरएक शालाके अध्यापकोंका ध्यान इस ओर खींचता हूँ। छुट्टीका ऐसा अच्छा उपयोग करनेके लिए मैं तकली-मण्डलको धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय शालामें पढ़नेवाले सभी विद्यार्थियोंको तकली-मण्डलमें शामिल होना चाहिए। उसमें और अधिक दिलचस्पी लेनेसे अधिक काम होना सम्भव है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १७-६-१९२८

४८८. टिप्पणियाँ

लुटेरे पत्रकार

कितने ही समाचारपत्रोंके सम्पादक और मालिक लुटेरोंका ही व्यवसाय करते हुए जान पड़ते हैं। वे चाहे जो बहाना खोज कर, निर्दोष व्यक्तियोंकी झूठी आलोचना करके और उन्हें धमकियाँ देकर पैसा लूटते हैं। कई तो रुपये लेकर कालेको उजला साबित करनेका बीड़ा उठाते हैं और इस तरह भोली जनताको भ्रममें डालते हैं। ऐसा एक उदाहरण कलकत्तेसे एक मित्रने मेरे पास भेजा है। वहाँका एक समाचारपत्र गोविन्द भवनके बारेमें प्रकाशित अनीतिका लाभ उठाकर, बहुतसे कुटुम्बोंकी निन्दा कर रहा है और मारवाड़ी जातिके सीधे-सादे लोगोंको दुःख पहुँचा रहा है। जो कभी घटित नहीं हुई, ऐसी ही अश्लील बातें खोज कर वह बहुतसे कुटुम्बोंके साथ जोड़ देता है। इस गन्दे अखबारको मेरे पास भेजनेवाले मित्रका अनुरोध है कि मैं ऐसे अखबारोंके बारेमें कुछ लिखूं, जिससे वे अपना रवैया सुधारें। मुझे अपने लेखोंसे

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। लेखमें तकली मण्डलके सर्व-सामान्य कार्यके अलावा चुने हुए चौदह विद्यार्थियों द्वारा गर्मीकी छुट्टियोंमें घर-घर जाकर खादी बेचनेका विवरण और उसके आँकड़े दिए गये थे। उसी अवकाशमें दो खादी बाजार और खादी प्रदर्शनी खोलनेका उत्साह-वर्धक अनुभव भी वर्णित था।

यह आशा तो नही है, इसलिए उक्त समाचारपत्रोंके प्रति न लिखकर उन कुटुम्बोंके प्रति लिख रहा हूँ, जिनकी झूठी निन्दा करके ये अखबार लूटनेका धन्धा करते है।

अंग्रेजीमें कहावत है कि, 'जहाँ भोले आदमी रहते है, वहाँ लुच्चोंकी वन आती है।' यह कहावत अनुभवके आधार पर वनी है। लाख निन्दा करने पर भी जो घबराते नही, अन्तमें थककर निन्दक उनकी निन्दा करना वन्द कर देता है। हममें झूठी शर्म, झूठी लोक-लज्जाने गहरा घर कर लिया है। इसलिए जो चाहे वही हमें डरा और लूट सकता है। अगर कोई हमारी झूठी निन्दा करता है या हम पर झूठा इल्जाम लगाता है तो हम इस तरह डर जाते है कि मानो सचमुच ही हम उस निन्दा और इल्जामके पात्र हों। जब कि योग्य व्यवहार तो यह है कि चाहे जितनी टीका होती रहे, मगर जबतक वह सच्ची न हो, हम बिलकुल न दवें और ऐसी टीकाकी फिक्र न करें।

सत्यादि व्रतोंके बारेमें

आश्रम नियमावलीमें जिन नियमोंका पालन आवश्यक माना गया है, उनके बारेमें एक आश्रमवासीने कुछ सहायक सूत्र सुझाये है। वे रहस्यवाले और उन व्रतोंके पालनमें मदद देनेवाले है। इसलिए उनका सार नीचे देता हूँ।

प्रत्येक व्रतके अन्तमें हिन्दू शास्त्रमेंसे आधार दिये गये है। ये आधार नियमावलीमें-से जानबूझकर छोड दिये गये है। क्योकि आश्रमकी मान्यता है कि ये व्रत केवल हिन्दूधर्मके इजारे नही है बल्कि सब धर्मोमें समान है। किन्तु जो आधार यहाँ दिये गये हैं वे सुन्दर है, और इसलिए उन्हें पाठकोंकी जानकारीके लिए देता हूँ।

सत्य

'मितभाषण सत्यका कवच है और इसलिए सत्यमें ही उसका समावेश होता है।' सत्यमेव जयते नानृतम्। सत्यकी ही जय होती है, असत्यकी नही।

अहिंसा

'अहिंसा सभी धर्मोंकी मर्यादा है।' न पापे प्रति पापः स्यात्। पापका जवाब पापसे नही हो सकता।

ब्रह्मचर्य व्रत

'सभी इन्द्रियोका सम्पूर्ण संयम इस व्रतमें गृहीत है।' यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। परमात्माको पानेकी इच्छा करनेवाले ब्रह्मचर्यका पालन करते है।

अस्तेय

तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। जो ईश्वरका दिया ईश्वरको अर्पण किये बिना भोगता है, वह चोर है।

अपरिग्रह

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा.। परिग्रहका त्याग करके विचरण करना।

अभय व्रत

'भीति और नीति परस्पर विरोधी कल्पनाएँ हैं।' अभयवृत्ति दैवी सम्पत्तिका आधार है। अभयं सर्वभूतेभ्यः। जो सबको अभय-दान देगा, वही निर्भय बन सकता है।

अस्वाद

'आहारका स्वादपूर्वक सेवन करना अहिंसा है।' आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थानां विप्रमोक्षः। आहार शुद्धिसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरणके शुद्ध होनेसे आत्मस्मरण दृढ़ होता है तथा स्मरण-प्राप्तिसे सभी बन्धनोंका या ग्रन्थियोंका नाश होता है।

स्वदेशी

'अहिंसा जिस प्रकार धर्मकी मर्यादा है, उसी प्रकार स्वदेशी व्यवहारकी मर्यादा है।' स्वधर्मे निधनं श्रेयः। स्वधर्ममें मृत्यु भी श्रेयस्कर है।

शारीरिक श्रम

शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। केवल शारीरिक काम निष्काम भावसे करनेसे पाप नहीं होता है।

अस्पृश्यता-निवारण

नमः पूर्वजाय च अपरजाय च। ऊँच-नीच सबको नमस्कार।

सहिष्णुता

सहनं सर्वधर्माणां तितिक्षा सा शुभा मता। सभी धर्मोंको सहन करनेमें ही तितिक्षा है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १७-६-१९२८

४८९. गवर्नर और बारडोली

माननीय गवर्नर साहबका श्री मुन्शीसे जो पत्र-व्यवहार हुआ है उससे वर्तमान राज्यतन्त्रका यथार्थ चित्र प्राप्त होता है। एक तरफ सरकार, श्री मुन्शी लोकमतकी तरफ न ढल जायें, इस हेतुसे उन्हें प्रसन्न करनेके लिए लम्बे-लम्बे तर्कोंसे भरे पत्र लिखती है और दूसरी ओर ऐसे असत्यको, जो कागजोंमें सिद्ध हो सके, चित्रित करती है और लोगोंको झूठा सिद्ध करनेका प्रयत्न करती है। वह अभी तक उन बातोंका खण्डन करती है जिन्हें जनताने अनेक बार स्पष्ट रूपसे प्रमाणित कर दिया है। मानो असत्य बार-बार कहनेसे सत्य बन जाता हो।

इस समूचे पत्रमें एक बात ही निथर कर स्पष्ट होती है। सरकार अपनी लगान-सम्बन्धी नीति बदलनेके लिए तैयार नहीं है। यदि उसकी लगान-सम्बन्धी नीति

बदल जाय तो संसारकी यह सबसे अधिक खर्चीली राज्य-व्यवस्था ठप हो जाये अथवा उसका खर्च लोगोंके सामर्थ्यके अनुसार सीमित हो जाये।

गवर्नर साहबका कहना है राज्य और प्रजाके बीच स्वतन्त्र जाँच की ही नही जा सकती। ये महानुभाव ऐसा कहकर लोगोकी आँखोमें धूल झोंकते हैं। स्वतन्त्र जाँच भी सरकारी जाँच ही होगी। न्याय-विभाग शासन-विभागसे स्वतन्त्र होने पर भी एक सरकारी विभाग ही है। समितिकी नियुक्ति लोग करें, यह माँग किसीने नही की है। किन्तु लोगोंकी माँग यह है कि बारडोलीके लगानके मामलेकी छानबीनके लिए तटस्थ लोगोकी नियुक्ति की जाये और जैसी जाँच अदालतमें की जाती है वैसी की जाये। इसमें सरकार राज्यकी बागडोर छोड़ दे, यह बात नही आती, किन्तु वह अपनी निरंकुश नादिरशाहीको छोड़ दे यह बात अवश्य आती है, और यदि लोगोको स्वराज्य मिलना है और उनको वह प्राप्त करना है तो इस नादिरशाहीका सर्वथा नाश होना ही है।

इस दृष्टिसे बारडोलीकी लड़ाईने अब व्यापक रूप ले लिया है। अथवा यह कहना चाहिए, हमारे सौभाग्यसे सरकारने उसको व्यापक रूप दे दिया है।

सत्याग्रहका शस्त्र गैरकानूनी है, श्री मुन्शीकी यह युक्ति अथवा मान्यता दुःखद है। अब तो शस्त्र प्रतिष्ठित हो चुका है। जब इसका प्रयोग दक्षिण आफ्रिकामें किया गया था तब लॉर्ड हॉर्डिंगने इसका समर्थन किया था। चम्पारनमें बिहार सरकारने उसको स्वीकार करके जाँच समिति नियुक्त की थी। श्री वल्लभभाईने बोरसदमें इसी शस्त्रका प्रयोग किया था और हाल ही में गवर्नर साहबने उसको मान्यता देकर लोगोंके साथ न्याय किया था। अब इस शस्त्रको क्यो गैरकानूनी माना जाये यह बात समझमें नही आ सकती।

किन्तु प्रस्तुत प्रश्न यह नही है कि सत्याग्रह गैरकानूनी है या कानूनी। यदि लोगोकी माँग उचित हो तो, उनकी माँग करनेकी रीति चाहे कुछ भी हो, उससे उस माँगका औचित्य कम नही हो सकता है।

इस प्रश्नका निर्णय करना केवल बारडोलीके सत्याग्रहियोंके हाथमें है। यदि उनका त्याग और साहस सच्चा होगा, तो इसका निर्णय एक ही रूपमें होगा। यदि लोग लगान नहीं देंगे तो सरकारको या तो वह माफ कर देना पड़ेगा या जाँच समिति नियुक्त करनी पड़ेगी। लोगोका मान उनके अपने हाथमें ही है। यह बात इस पत्र-व्यवहारसे स्पष्ट झलकती जाती है।

इस १२ तारीखको देशमें स्थान-स्थान पर बारडोलीके लोगोंकी प्रशंसा की गई है। बारडोलीसे बाहरके लोग फिलहाल एक ही काम कर सकते है, वह है रुपयेकी सहायता और सहानुभूति-प्रदर्शन। रुपयेकी सहायता सभी जगहसे खुल कर मिल रही है। अब तक यहाँ एक लाख रुपये प्राप्त हो चुके है। सारे हिन्दुस्तानमें बारडोलीकी माँगका एक मतसे स्वागत किया गया है। किन्तु निरंकुश सरकार तो [पशु] बलसे ही डरती है। लोगोने पशुबलका त्याग सोच-समझकर किया है। बारडोली सत्याग्रह-रूपी आत्मबलका प्रयोग कर रहा है। इसके मुकाबलेमें सरकारका बल तुच्छ है। क्या बारडोली अपनी प्रतिज्ञाका पालन करेगा?

सरकारी पत्रमें और प्रचार विभागकी विज्ञप्तियोंमें जो गन्ध आती है, हमें उसको परख लेनेकी जरूरत है। माननीय गवर्नरने अपने पत्रमें बारडोलीसे पठानोंको हटानेका कारण लोकमतका सम्मान बताया है, किन्तु सरकारी प्रचार विभाग कहता है कि अब बरसातका मौसम शुरू होनेसे पठानोंकी जरूरत कदाचित ही रहेगी। दो तरहके कारण बतानेके पीछे बात क्या है, यह गवर्नर साहब ही जानें। किन्तु हम तो प्रचार-विभागके कारणका भेद ही समझ लें। बरसातके मौसममें जब्तियाँ आदि करनेके बजाय अर्थात् खुली दमन-नीतिका प्रयोग करनेके बजाय सरकार साम-नीतिका प्रयोग करेगी, ऐसी सम्भावना और शंका है। सम्भव है कि वह लोगोंको बुलाकर, गुप्त रूपसे गुप्तचर भेजकर, प्रलोभन देकर और धमकियाँ देकर उन्हें फोड़नेका उपाय करे। मैं आशा करता हूँ कि लोग इस छल प्रपंचसे चेत जायेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन १७-६-१९२८

४९०. शिक्षा विषयक प्रश्न – ३

प्रश्न: जैसे कि हरएक विद्यार्थीके लिए तीन-चार भाषाओंका ज्ञान आवश्यक गिना जाता है, उसी प्रकार क्या प्रचलित धर्मोके सिद्धान्तों, विधियों, आग्रहों और वहमोंका भी ज्ञान देना आवश्यक नहीं है?

उत्तर: अगर हरएक धर्मके प्रति, जो धर्म है, अधर्म नहीं, हम विद्यार्थियोंके मनमें आदर, उदारता और प्रेम उत्पन्न कराना चाहते हैं तो उसके सिद्धान्तोंका ज्ञान अवश्य देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनमें प्रचलित अंधविश्वासों और कर्मकाण्डकी विधियोंको जाननेकी आवश्यकता है। हिन्दुस्तान जैसे देशमें तो अपनी आँखें और कान खुले रखकर चलनेवाला वहमों और विधियोंको समझ ही सकता है। अगर हम गुण-ग्राही बनना चाहते हैं तो हरएक धर्मकी विधियों और वहमोंको जाननेका आग्रह ही न रखें। अपने ही धर्ममें अगर कोई वहम और विधियाँ हों तो उन्हें सूक्ष्मतासे जानकर उनमें जो सुधार आवश्यक हों, उन्हें करनेका आग्रह विद्यार्थियोंसे करें। सम्भव है उनका उसीमें पूरा समय लग जाये।

प्रश्न: आप वर्ण-व्यवस्था मानते हैं तो आप यह भी स्वीकार करते हैं या कि भिन्न-भिन्न वर्णोंकी शिक्षा भिन्न-भिन्न होनी चाहिए?

उत्तर: मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हरएक वर्णके लिए अलग शिक्षा होनी चाहिए। सभी वर्णोंमें काफी समानता है, और हमारी शिक्षा सामान्य होनी चाहिए और अभी है ही। शिक्षाका एक उद्देश्य है, विद्यार्थीको मनुष्य बनाना और जो मनुष्य बनेगा वह मनुष्य पर लागू और उसके लिए शोभायमान नियम सहज ही जान लेगा। वर्णकी मेरी कल्पनामें तो यह है कि, उसके धन्धे पर आधारित होनेके कारण, और चारों

वर्णोंको अपने-अपने धन्धेके जरिए ही आजीविका पैदा करनी है इसलिए, वर्णोंकी विशेषता तो वंश-परम्परामें उतरनी चाहिए। किन्तु वर्ण-धर्मका यह अर्थ मैं कभी नही करता कि एकमें दूसरे तीन वर्णोंके गुण कभी होंगे ही नहीं। शूद्रके समान परिचर्या करके ब्राह्मण पेट न भरे, किन्तु उसे अगर परिचर्या करनी ही न आये या करनेमें उसे शर्म आये तो वह ब्राह्मण ही नही है। निःस्वार्थ सेवाके बिना शुद्ध ज्ञान सम्भव ही नही है। और चाहे शूद्र वेदादि पढ़कर मिक्षापात्रमें मिले अन्न पर उदर-निर्वाह न करे, मगर तो भी सुव्यवस्थित समाजमें तो उसे वेदादिका ज्ञान पाना ही होगा।

प्रश्न: क्या यह बात सच है, जैसा कि आप कहते है कि उद्योगकी शिक्षामें ही सारी शिक्षा आ जाती है और बौद्धिक शिक्षा तो केवल शिक्षाकी शृंगार-भर है। अगर यह सच है तो आप महाविद्यालयकी शिक्षाको किस लिए पसन्द करते है?

उत्तर: यह बात जितनी सच है, उतनी ही झूठ भी है। जहाँ बौद्धिक शिक्षाकी मूर्तिपूजा की जाती है, वहाँ मैं जरूर कहूँगा कि उद्योगकी शिक्षामें सभी कुछ आ जाता है। शिक्षाकी मेरी व्याख्यामें बुद्धि और उद्योगके बीच ईंट-पत्थरकी कोई दीवार नही है; यानी मेरे लेखे दोनो बिलकुल भिन्न वस्तुएँ नही हैं। उद्योगकी शिक्षामें बुद्धिकी शिक्षा यानी बुद्धिका विकास छिपा ही हुआ है। मैं तो यह भी कहनेकी धृष्टता करूँगा कि उद्योगकी शिक्षाके बिना बुद्धिका सच्चा विकास सम्भव ही नही है। दीवार चिननेवाले राजको केवल आजीविका पैदा कर लेने लायक जो ज्ञान होता है, मेरी दृष्टिमें वह शिक्षा नही है। समाजमें इस उद्योगका क्या स्थान है, ईंट क्या है, घरकी क्या आवश्यकता है, घर कैसे होने चाहिए, घरका सभ्यताके साथ कैसा निकट सम्बन्ध है, इत्यादि सभी विषय राजकी शिक्षाके अन्तर्गत आ जाते है। कितनी ही बार हम बौद्धिक शिक्षाका यह गलत अर्थ मान लिया करते हैं कि वह समाचारों और तथ्योंके सामान्य ज्ञानका नाम है। ऐसा सामान्य ज्ञान न पाने पर भी बुद्धिका सम्पूर्ण विकास होना सम्भव है। जो शिक्षक विद्यार्थियोंके दिमागको अनगिनत तथ्योसे भर देनेकी संदूकची बना डालता है, उसने स्वय शिक्षाका पहला पाठ भी नही सीखा है। अब समझमें आ गया होगा कि प्रश्नमें पूछी हुई बात किस तरह जितनी सच है, उतनी ही झूठ भी है। उद्योगकी और बौद्धिक शिक्षाकी मेरी कल्पना स्वीकार करें तो यह बात गलत है। इन दोनो शिक्षाओंको अलग रख कर, इनके बारेमें जो भ्रम रहा है, उस भ्रमपूर्ण शिक्षाको ध्यानमें रखकर प्रश्न पूछा गया हो तो बात सच है। और अब यह समझमें आ गया होगा कि मैं महाविद्यालयकी शिक्षाको क्यो और किस शर्त पर पसन्द करता हूँ। मेरी कल्पनाके महाविद्यालयमें राज, बढई, बुनकर सच्चे बुद्धिमान समाजसेवक होंगे; वे महज आजीविका पैदा करने लायक ज्ञान पाये हुए राज, बढई या बुनकर नही होगे। महाविद्यालयके बुनकरोमें से मैं कबीरकी, मोचियोमें से भोजा भगतकी, सुनारोमें से अखाकी, किसानोमें से गुरु गोविन्दकी आशा रखता हूँ। इन चारोंको मैं बौद्धिक शिक्षा पाया हुआ गिनता हूँ।

प्रश्न: औद्योगिक शिक्षा ही अगर शिक्षाका सर्वस्व हो तो बढ़ई, लुहार, बुनकरकी समितिको आप विद्यापीठ क्यों नही सौंप देते? पीछे वे भले ही बौद्धिक शिक्षाके अध्यापकोंको नौकरके रूपमें रखें।

उत्तर: इस प्रश्नका जवाब इससे पहले प्रश्नके उत्तरमें आ गया है, तो भी अपना अर्थ और अधिक स्पष्ट करनेके लिए मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर मेरे पास कबीर जैसे जुलाहे हों तो मै अवश्य विद्यापीठकी लगाम उनके हाथों सौंप दूँ और उनके नीचे "बौद्धिक शिक्षाके अध्यापक" नौकरके रूपमें काम करनेमें लज्जा नही किन्तु मान समझेंगे। हमने उद्योगोंको शिक्षाका विषय नहीं माना और इसीसे आज उद्योग करनेवालेका स्थान हलका गिना गया है, और उद्योग करनेवालोंकी मदद समाज-सेवाके लिए जरूरी प्रमाणमें अथवा किसी प्रमाणमें नहीं मिल रही है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १७-६-१९२८

४९१. पत्र: रामानन्द चटर्जीको

१७ जून, १९२८

प्रिय रामानन्द बाबू,

रजिस्टरी की हुई पुस्तके[1] सहित आपके पत्रकी प्राप्ति की स्वीकृति न देनेका एकमात्र बहाना यह है कि कामकी वजहसे मेरी नाकमें दम आ गया है और मेरा बहुत-सा पत्र-व्यवहार निबटानेको बकाया है। महादेव देसाई, जो पत्र-व्यवहारका कुछ हिस्सा निबटानेमें आम तौर पर मेरा साथ देते हैं, बारडोली और अहमदाबादके बीच आते-जाते रहते हैं और इसलिए इसपर नजर तक नहीं डाल सकते। कामकी भरमारके सिवा और भी कई कारण हैं। जिनसे मैं ऐसा पिछड़ गया हूँ।

इस आशामें कि पहला मौका मिलते ही इसे पढ़ सकूँगा, मै पाण्डुलिपिको अपने सामने रखे हुए हूँ। परन्तु वह मौका कब आयेगा, यह मैं नही कह सकता।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत रामानन्द चटर्जी
प्रवासी प्रेस
९१, अपर सर्कुलर रोड
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३४१९) की फोटो-नकलसे।

१. डा० जे० टी० संडरलैंड कृत इंडिया इन बांडेज: हर राइट टु फ्रीडमकी पाण्डुलिपि गांधीजीको मत प्रकट करनेके लिए भेजी गई थी।

४९२. पत्र : सुरेन्द्रनाथ विश्वासको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१७ जून, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र[1] मिला। आपके साथ मेरी सहानुभूति तो है परन्तु मेरी वुद्धि आपकी बातका समर्थन नही कर सकती। जैसा कि आप जानते है मैं इस चीजके हमेशा खिलाफ रहा हूँ कि कार्यकर्त्ता आमदनीसे ज्यादा खर्च करके कर्जदार हो जायें और परेशानीमें पड़ें। मै इसे एक भयकर आदत मानता हूँ। मै आपकी मदद किस तरह कर सकता हूँ? या यह कहना और भी बेहतर होगा कि मैं आपकी इतनी ही सहायता कर सकता हूँ, कि आपको दिवालिया करार देनेवाली कचहरीमें चले जानेकी सलाह दूँ या कहूँ कि आप अपने ऋणदाताओंके पास जाकर अपना सब-कुछ उनके हवाले कर दें और फिर बिलकुल एक मजदूर का-सा जीवन बितायें। यदि हमें ईमानदारीसे भारतकी सेवा करनी है, तो हम पढे-लिखे लोगोंके लिए मुझे और कोई रास्ता दिखाई नही देता।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ विश्वास
पी १४ ए, न्यू पार्क स्ट्रीट
कलकत्ता

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १३४२१) की फोटो-नकलसे।

१. सुरेन्द्रनाथ विश्वासने लिखा था कि मैं जब १९२५ में फरीदपुरमें हुए बंगाल प्रान्तीय सम्मेलनकी स्वागत समितिका प्रधान था, उस वक्त मुझपर कुछ कर्ज हो गया था। कुछ कर्ज मुझपर निजी तौरपर भी हो गया था। मेरे खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं और कुछ वक्त मैं हिरासतमें भी रह चुका हूँ। गांधीजीसे अपील करते हुए उन्होंने लिखा था : क्या मैं आपसे परिचय-पत्र प्राप्त करनेकी प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप केवल यह लिख दें कि आप सम्मेलनमें उपस्थित थे और आपने यह सुना था कि खर्च पूरा करनेके लिए स्वागत-समितिने कुछ कर्ज लिया था और यह कि मैं स्वागत समितिका प्रधान था तथा आपका परिचित हूँ। यह भी लिख दें कि प्रधानकी हैसियतसे मेरे कर्जकी अदायगी करनेके लिए मुझे कृपालु जनताकी मदद चाहिए।

४९३. पत्र : फ्लोरेंस के० क्रेब्सको[1]

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१७ जून, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आप जब भी आश्रममें आ पायेंगे, मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता होगी। इस सालके दौरान मेरे आश्रमसे बाहर जानेकी सम्भावना नहीं है। यदि आप बहुत ही सादे शाकाहारी भोजन और अपेक्षाकृत साधारण रहन-सहनसे काम चला सकें, तो आप यहाँ आने पर आश्रममें ही ठहरेंगे भी।

हृदयसे आपका,

फ्लोरेंस के० क्रेब्स
द्वारा पोस्ट मास्टर
श्रीनगर
कश्मीर

अंग्रेजी (एस० एन० १३४२२) की फोटो-नकलसे।

४९४. पत्र : एन० सी० बारदोलाईको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१७ जून, १९२८

प्रिय मित्र,

श्री बैंकरने मुझे आपका पत्र दिया है। मुझे इससे दुख हुआ। आपको राजेन्द्र बाबूके कहने पर निश्चित उद्देश्यके लिए कर्ज दिया गया था। और फिर आप अनुशासनको आदेश क्यों समझते हैं? यदि हर आदमी कार्यकर्त्ताओंको कर्ज देनेवाले मुख्यालयके हस्तक्षेपके बिना काम करना चाहे तो क्या कोई भी संगठन सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है? निश्चय ही किसी स्वयंसेवी संगठन और उसके स्वयंसेवी कार्यकर्त्ताओंके बीचके सम्बन्धोंको नियमित करनेवाले नियम-विधानको लाभके लिए चलाये जानेवाले किसी सरासर व्यापारिक संगठन और उसके कर्मचारियोंके सम्बन्धको नियमित करनेवाले नियम-विधानसे श्रेष्ठतर होना ही चाहिए।

१. एक अमेरिकी यात्री जो पूर्वी धर्मोंका अध्ययन कर रहा था और पत्रिकाओंके लिए लेख लिख रहा था।

परन्तु आपके अन्तिम वाक्यने तो मुझे आश्चर्यमें ही डाल दिया। आप कहते हैं कि आप कोई जिम्मेदारी नही लेंगे; जब कि कर्ज लेनेके वक्त जिन शर्तोंके अधीन कर्ज दिया गया था उनको अच्छी तरह जानते हुए आपने जिम्मेदारी ली थी। आप यह क्यो चाहते हैं कि अ० भा० च० संघका एक एजेंट आपकी सहायताके लिए रहे? मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि यह कर्ज निश्चित रूपसे कानूनी कर्ज तो है ही, किन्तु वह एक नैतिक कर्ज भी है और आपको सौजन्यतापूर्वक इसकी अदायगी कर देनी चाहिए।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत एन० सी० बारदोलाई
शान्ति भवन
गोहाटी (असम)

अंग्रेजी (एस० एन० १३६२३) की माइक्रोफिल्मसे।

४९५. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१७ जून, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

आपका पत्र मिला। मै निखिलके बारेमें चिन्ता नही कर रहा हूँ। स्वयं तो मैं समझ गया हूँ कि उसकी मृत्यु आसन्न है और मैंने अपनेको इसके लिए तैयार कर लिया है। मुझे तो इस बातकी चिन्ता है कि इससे हेमप्रभादेवीको कितना आघात पहुँचेगा। यद्यपि वह मुझे बहादुरीसे लिखती रही हैं, मुझे मालूम है कि वास्तविक घटनासे उनपर क्या गुजरेगी और आप पर भी क्या बीतेगी। परन्तु मगनलालकी मृत्युकी दुःखकी आँचमें से गुजरकर परिशुद्ध होनेके बाद मुझे आपको यह कहनेका साहस है कि आप अपने हृदयको कड़ा कर लें और शोकातुर न होने दें। जो देता है, उसे वापस ले लेनेका अधिकार भी अवश्य होना चाहिए। और फिर वापस ले लेने जैसी बात वस्तुतः तो कुछ है नही। "मृत्यु केवल निद्रा और विस्मरण है।" मगनलाल अपनी जीवितावस्थाकी अपेक्षा अब और अधिक जीवित है। आश्रममें इन दिनो मगनलालके साथी कार्यकर्त्ता उन सारे परिवर्तनोको जिन्हें मगनलाल स्वयं करना चाहते परन्तु सम्भवतः कार्यान्वित नही कर सकते थे बडे उत्साहसे और स्वेच्छापूर्वक कर रहे है।

१. पत्रकी एक प्रति सचिव, अ० भा० च० संघको भेजी गई थी।

काश! मुझे यह सारा विवरण देनेका वक्त होता!

कांग्रेस प्रदर्शनीके साथ-साथ अपनी प्रदर्शनी अलगसे लगानेमें सक्रिय विरोधकी गंध आयेगी। मेरा खयाल है कि हमारा ऐसा करना उचित न होगा। यदि [कांग्रेस] प्रदर्शनीमें मिलका बना कपड़ा शामिल किया गया तो यह मेरा पूरा निश्चय है कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। परन्तु कांग्रेस प्रदर्शनीके विरोधमें प्रदर्शनी लगानेके औचित्य अथवा उपयोगिताके बारेमें मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ। क्योंकि हमारी प्रदर्शनी कांग्रेस प्रदर्शनीके विरोधमें ही मानी जायेगी, उसका कोई दूसरा अर्थ निकाला भी नही जा सकता। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस पर गम्भीरतासे विचार कर लें।

कलकत्ता निगमसे आर्डर प्राप्त करना बढ़िया रहा।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ८९१७) की फोटो-नकलसे।

४९६. पत्र: जवाहरलाल नेहरूको

१७ जून, १९२८

प्रिय जवाहर,

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले। कमला और इन्दुके समाचारोंसे चिन्ता होती है। आशा है कि मुझे तुमसे और अधिक निश्चित जानकारी मिलेगी। मैं तो दोनोंके लिए, कमसे-कम कमलाके लिए तो निश्चय ही 'गरीब आदमीका इलाज' सुझाना चाहता हूँ। वह यह है कि कूनेकी पद्धतिके अनुसार कटि-स्नान और घर्षण-स्नान (सिट्ज-बाथ) किया जाये और सूर्य-स्नानके साथ पथ्य आहारका प्रयोग किया जाये। परन्तु मैं जानता हूँ यह व्यवहार्य नहीं है और उसे साधारण इलाज ही करवाना पड़ेगा।

मुझे आशा है कि समिति संविधानका सर्व-सम्मत और सम्पूर्ण मसविदा तैयार कर सकेगी।

महादेव आश्रमके कुएँ परसे गिर गया था, बहुत चोट आई, चारपाई पर पड़ा है पर अब पहलेसे ठीक है।

अंग्रेजी (एस० एन० १३४२०) की फोटो-नकलसे।

४९७. पत्र : सी० विजयराघवाचारियरको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
१७ जून, १९२८

प्रिय मित्र,

मुझे आपका स्नेहपूर्ण पत्र और कृपापूर्ण चेक भी मिला। मुझे मालूम है कि वल्लभभाई इसकी बड़ी सराहना करेंगे।

मैं आपके इस कथनसे सहमत हूँ कि यदि सर्वदलीय समिति एक सुसम्पूर्ण संविधान प्रस्तुत नहीं कर पाती, तो यह बड़े दुःखकी बात होगी। मुझे मालूम है कि मोतीलालजी इसके लिए बहुत उत्सुक हैं और इसलिए मुझे आशा है कि समिति इस कामको अवश्य पूरा कर देगी।

मुझे 'हिन्दू' के कार्यालयसे वह कतरन जरूर मिली थी जिसमें आपकी भेंट-वार्ताका विवरण था। मैंने इसे बड़े चावसे पढ़ा, परन्तु मैं श्री दासके बारेमें आपके मन्तव्यसे सहमत नहीं हूँ। बहरहाल अब मेरे लिए अपनी असहमतिके कारणोंकी चर्चा करना अनावश्यक है। मेरे प्रति आपका स्नेह जो मुझे उस भेंटमें छलकता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसको मैंने सदा अपनी एक बड़ी प्राप्ति माना है, मेरे लिए कोई नया आविष्कार नहीं था।

मैं 'यंग इंडिया' के प्रबन्धकको आपको अपेक्षित जानकारी भेजनेके लिए कह रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३४२४) की फोटो-नकलसे।

४९८. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

१७ जून, १९२८

रामचन्द्रन्का पत्र भेज रहा हूँ; मुझे लगा आप उसे पढ़ना चाहेंगे और वह आपको पसन्द भी आयेगा।

'नवजीवन' का ट्रस्ट बना दिया गया है। मैंने आपका नाम ट्रस्टियोंमें शामिल कर लिया है। आशा है कि आप इसमें आपत्ति नहीं करेंगे। दूसरे ट्रस्टी इस प्रकार हैं :—

श्रीयुत दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर
श्रीयुत शंकरलाल घेलाभाई बैंकर
श्रीयुत जमनालालजी बजाज
श्रीयुत महादेव हरिभाई देसाई
श्रीयुत वल्लभभाई झवेरभाई पटेल
श्रीयुत छगनलाल खुशालचन्द गांधी
श्रीयुत चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
श्रीयुत मोहनलाल मगनलाल भट्ट

आश्रममें बहुतसे परिवर्तन कर दिये गये हैं। दो चोरियाँ भी हो चुकी हैं। उनमेंसे एक बड़ी गम्भीर किस्म की थी। मैंने भी सुब्बैयासे कहा है कि इन सबका विवरण आपको दे।

इसके साथ रामनाथन्का पत्र और अपना उत्तर[1] भेज रहा हूँ।

संलग्न पत्र : ३ (५ पन्ने)

अंग्रेजी (एस० एन० १३६२२) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र : एस० रामनाथनको", १६-६-१९२८।

४९९. पत्र : वसुमती पण्डितको

आश्रम
साबरमती
१७ जून, १९२८

चि० वसुमती,

तुम सहस्रधारा देख पाई, यह तो बहुत अच्छा हुआ। शब्द 'सहस्त्र' नही 'सहस्र' है। भैंसके दूध और घीका त्याग सिर्फ आश्रममें ही किया जायेगा। यदि आश्रमके बाहर जायें तो वहाँ यह नियम लागू नही होगा। हालाँकि जिसने गाय और भैंसका भेद अच्छी तरह समझ लिया हो वह चाहे जहाँ हो, उसका त्याग कर सकता है। इस समय आश्रममें गायका दूध काफी मिल रहा है। एक जगहसे गायका घी मिलनेका भी बन्दोबस्त हो गया है।

यह पत्र सुबह चार बजेसे पहले लिखवाया था। दिनमें तुम्हारा दूसरा पत्र भी मिला। कमलाको माफी वाला भाग पढवा दिया था। काम निपट नही पाता था, इसलिए आजकल सुबह तीन बजे उठ जाता हूँ। चि० कुसुम भी उसी समय उठनेका हठ करती है, इसका मैं विरोध नही करता।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४८०) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

५००. पत्र : विट्ठलभाई पटेलको

१७ जून, १९२८

भाईश्री विट्ठलभाई,

वल्लभभाई, स्वामी और जमनालालजी आ गये हैं। मसविदा इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ब्यौरेमें जानेकी कोई जरूरत नही है। इस समय तो वह जो चाहे सो कर लें। यदि सत्याग्रही सच्चे है तो जीतेंगे ही। यदि अन्तमें वे निर्बल पड़ जायें तो जब जागेंगे, हम तभी सुबह समझेंगे।

निर्बल मित्र भी दुश्मनकी तरह स्वार्थी होते हैं, इस समय तो यह कहावत सिद्ध हो रही है।

आपके कामसे तो इस समय सभी बहुत खुश हो रहे है। खूब जियें और खूब काम करे।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (एस० एन० १४४४५) की माइक्रोफिल्मसे।

५०१. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

१८ जून, १९२८

सुज्ञ भाईश्री,

आपके कुशल-क्षेमसे पहुँचनेकी खबर मैंने पढ़ ली थी। यह तो भिक्षा पत्र है। मेरे पास कितने ही दुर्बल ढोर, सूखी हुई गायें और बछड़े हैं। इन सबको आश्रममें पालना खर्चीला काम है। यदि आप उन्हें अपनी जमीनमें रख लें तो खर्च कम हो जाये। आप कहें तो खर्च भेज दूंगा। यदि ऐसा लगे कि यह काम हो सकता है तो भाई जोशीको यहाँ भेज दें। वह वहाँ हैं इसीसे मुझे यह बात सूझी है। वह आकर देख जायें और आपको पूरा हाल बता दें, तथा यदि आपको ठीक लगे तो आश्रमके ढोरोंको आप आश्रय दें। यह प्रयोग गोरक्षा मण्डलके लिए कर रहा हूँ। क्या लेडी रमाबाईको चरखेकी बात याद है?

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ५९०८) की फोटो-नकलसे तथा सी० डब्ल्यू० ३२२२ से।
सौजन्य : महेश पट्टणी

५०२. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

आश्रम
१८ जून, १९२८

भाई घनश्यामदासजी,

इस पत्रके साथ दो पत्र आस्ट्रीयाके मित्रोंका[1] भेजता हूँ। दोनों बहोत अच्छे हैं। उनका हिंदुस्थानमें बुलाना और हिंदुस्थानका परिचय दिलाना आवश्यक समझता हुं। ऐसी बातोंमें आपके दानका उपयोग मैं नहिं करना चाहता हुं। ऐसे कार्यमें भाई जुगलकिशोरजी रस लेते हैं। यदि आप उचित समझें तो उनको सब पत्र भेज दें। उनके लिये २०० पाउंड भेजना चाहिये। यदि वे इस दान देना चाहते हैं तो शीघ्रतासे पैसे भेजने होंगे।

आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आश्रम नियमावली[2] घ्यानसे पढ़ें और कुछ सूचना देना उचित समझें तो अवश्य भेजें।

आपका,
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ६१६० से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

१. श्री और श्रीमती स्टैंडेनथ।
२. देखिए "सत्याग्रह आश्रम", १४-६-१९२८।

५०३. पत्र : मणिलाल गांधी और सुशीला गांधीको

आश्रम
साबरमती
१९ जून, १९२८

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम्हारे पत्र तो मिलते रहते है, किन्तु यह नही कह सकता कि उनसे सन्तोष होता है। तुम दोनो हमेशा जल्दीमें रहते हो। तुम्हें इतना ज्यादा काम रहता है, मै इसकी कल्पना नही कर पाता। किन्तु 'मामा नहीं है, इससे किसीको भी मामा कह ले,' वाली कहावतका विचार करके हम दोनो सन्तोष कर लेते हैं। सुशीलासे मैंने कुछ ज्यादा आशा की थी। सोचता था उसमें मणिलालका-सा शरीरबल नही आया तो भी अक्ल तो आ ही गई होगी, किन्तु तुम दोनों एक दूसरेसे दोष ही ग्रहण करते हो, गुण क्यो ग्रहण नही करते? यह जबर्दस्त आलस्य त्याग दो तो मुझे अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी भला होगा। आफ्रिकासे जो दूसरे पत्र आते हैं उनमें हमेशा तुम्हारे पत्रोंसे ज्यादा समाचार रहते है। पिछले पत्रोमें मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि तुम्हें आश्रमके पैसे देने हैं। इसका उत्तर मुझे मिलना ही चाहिए। यह ऋण बट्टे खाते डाल दिया जाये, यदि तुम यह बात सहना चाहो तो सुखसे सहन करो किन्तु मुझसे तो यह नही सहा जायेगा। आश्रममें आजकल महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। उनका विवरण देनेका फिलहाल समय नही है। आजकल बहुतसे पत्र सुबह चार बजे ही प्रार्थनासे पूर्व उठकर लिखाता हूँ, तभी कुछ निपट पाता है। इतना लिखवाते-लिखवाते चार बजेका घंटा बज गया है, इसलिए समाप्त करता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७३९) की फोटो-नकल से।

५०४. पत्र : प्यारेलाल नैयरको

आश्रम
साबरमती
१९ जून, १९२८

प्रिय प्यारेलाल,

मैं यह पत्र बोलकर लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैं कात रहा हूँ और गुजरातीमें पत्र लिखनेमें जो-कुछ मिनट लग सकते हैं, उन्हें बचा लेना चाहता हूँ।

मैं तुम्हें एकदम यह लिखकर बतानेके लिए आतुर हूँ कि तुम्हारा लेख अत्युत्तम है। चाहे जल्दीमें ही सही, मैंने इसे पूरा पढ़ा है। इसमें मुझे कोई भी खटकनेवाली बात नहीं मिली; यह ठीक वैसी चीज है जो बाहरके लोगोंके लिए — सरकारी अर्थमें नहीं परन्तु हमारे अपने अर्थमें जरूरी थी। मुझे यकीन है कि यह लेख और कोई नहीं लिख सकता था, क्योंकि किसी दूसरेमें तुम्हारे जैसी कुशाग्रता नहीं है। तुमने दिखाया है कि संघर्ष सम्भव कैसे हुआ और यह शानदार संगठन अस्तित्वमें कैसे आया। मैं यही आशा करता हूँ कि भारतीय अखबार देशमें सभी जगह इस लेखको उद्धृत करेंगे। इस लेखसे पता चलता है कि तुममें जबर्दस्त क्षमता है; किन्तु तुम्हारे मनमें आत्मविश्वास होना चाहिए। मुझे तो 'यंग इंडिया' में तुम्हारा निबन्ध पढ़नेके बाद इसमें कोई सन्देह ही नहीं रहा। महादेव और तुम्हारे हाथमें सौंपकर मैं 'यंग इंडिया' की ओरसे बिलकुल निश्चिन्त हो सकता हूँ। इसकी आशा और प्रतीक्षा तो मैं करूँगा ही।

महादेव अब ठीक है। वह एक या दो दिनमें उठ खड़ा होगा और काम करने लगेगा। वह काम अब भी कर रहा है। तुम्हें सबब तो मालूम होगा। वह कुएँ परसे पानी भरते हुए गिर गया। आश्रममें हमारे पास मजदूर नहीं हैं। तुम जानते हो कि हमारे यहाँ एक बार डकैती हो चुकी है और एक बार सेंध लग चुकी है। डाकू ५० के लगभग थे। चर्मालयमें कार्यकर्त्ताओंके साथ सुरेन्द्र और शंकरभाईको खूब मार पड़ी। जो लोग पिटे उनमें ये दोनों थे, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। डकैतीके दो दिन बाद भण्डारमें सेंध लगाई गई। वैसे मैं इन दोनोंमें परस्पर सम्बन्ध नहीं मानता।

चकित कर देनेवाले और भी बहुत-से परिवर्तन हुए हैं। संयुक्त रसोई घरमें खानेवालोंकी संख्या बढ़कर सौ हो गई है। और जहाँ मैं रह रहा था वह जगह महिलाओंका आवास बना दी गई है। मेरा कार्यालय मगनलालके कमरेमें है। रसोई-घर छात्रालयसे संलग्न रसोईघरमें चला गया है। मैं वहीं बाकी लोगोंके साथ खाना खाता हूँ। यदि तुम्हें किसीसे कभी बात करनी ही हो तो दूसरी चीजोंके बारेमें इमाम साहबसे ही जान लेना।

आशा है कि तुम अपने शरीरको बिलकुल ठीक बनाये हुए हो। देवदास वापस अलमोड़ा चला गया है।

अंग्रेजी (एस० एन० १३४२७) की फोटो-नकल से।

५०५. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

आश्रम
साबरमती
१९ जून, १९२८

प्रिय मोतीलालजी,

सेनगुप्तने पत्रमें मुझे लिखा है कि मैं गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीको आगामी कांग्रेसके अध्यक्ष पदके लिए आपके पक्षमें मत देनेके लिए कहूँ। मुझे तो यह विचार पसन्द आया। परन्तु कोई प्रयत्न करनेके पहले मैं इस बारेमें आपकी राय जानना चाहूँगा। शायद अभी जवाहरके गद्दी पर बैठनेका वक्त नही आया है। और यदि वह कमेटी, जिसका आप प्रबन्ध कर रहे हैं, कुछ ठोस काम आगे बढा सके तो आपका ताज पहनना ठीक रहेगा। सेनगुप्तने मालवीयजीका नाम विकल्पके रूपमें सुझाया है। सेनगुप्तको लिखनेसे[1] पहले मैं आपके उत्तरकी प्रतीक्षा करूँगा।

कमलाके स्वास्थ्यके सम्बन्धमें तो मैं उद्विग्न था ही। जवाहरने बुरी खबर यह दी है कि डाक्टरोका विचार है कि इन्दुका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। डाक्टरोसे मुझे स्वयं कभी भय नही लगता। परन्तु मैं यह चाहता हूँ कि कमलाको कुछ भी नही हुआ है; और इन्दुको भी कोई रोग नहीं है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३६२४) की फोटो-नकलसे।

५०६. पत्र : के० एस० सुब्रह्मण्यम्को

आश्रम
साबरमती
१९ जून, १९२८

प्रिय सुब्रह्मण्यम,

मैंने सुब्बैयाकी आवश्यकताओं पर सोच-विचार किया है और मैं महसूस करता हूँ कि उसे पूरे सौ रुपये मिलने चाहिए और यदि किरायेके मकानमें रहना हो तो बीस रुपये तक किरायेके लिए अलग। यह व्यवस्था पिछली तारीख यानी कि १५ मईसे होनी चाहिए। इसलिए उन्हें रु० १५ और मिलने चाहिए; आवेकी अदायगी

१. देखिए, "पत्र : जे० एम० सेनगुप्तको", २१-६-१९२८।

संघ द्वारा और आधेकी 'यंग इंडिया' के कार्यालय द्वारा की जानी चाहिए। इसके लिए मैं मोहनलालको लिख रहा हूँ। आपको जमनालालजी और श्री बैंकरकी मंजूरी चाहिए होगी। कृपया वह मंजूरी ले लें और रकमकी अदायगी कर दें। अब मुझे इस बारेमें और ज्यादा चिन्ता करनेकी या श्री बैंकरको लिखने या जमनालालजीसे बात करनेकी जरूरत नहीं है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत के० एस० सुब्रह्मण्यम
अ० भा० च० संघ, मिर्जापुर
अहमदाबाद

अंग्रेजी (एस० एन० १३४२८) की माइक्रोफिल्मसे।

५०७. पत्र : शंकरन्को

आश्रम
साबरमती
२० जून, १९२८

प्रिय शंकरन्,

तुम्हारा पत्र मिला। सूची मेरे ही पास बनी रही। बिना मुझसे वह सूची लिये प्राप्ति-स्वीकृति 'नवजीवन' में छप गई थी। 'नवजीवन' में प्राप्ति-स्वीकृतिके छप जानेका मुझे केवल तुम्हारे पत्रसे पता चला। 'यंग इंडिया' के बारेमें मैं स्वयं इस सम्बन्धमें देख रहा था और इसलिए मैंने कल गलती ठीक कर दी और पूरी सूची छपवा दी है, जिसे तुम इस सप्ताहके 'यंग इंडिया' में देखोगे। यह सब तुम्हारा पत्र आनेसे पहले हो गया था। बहरहाल मुझे आशा है कि सारे नाम 'नवजीवन' में प्रकाशित मिलेंगे। मैंने कहा, मुझे आशा है, क्योंकि मुझ पर इस वक्त कामका इतना बोझ है कि मैं यह भूल भी सकता हूँ।

महादेव कुएँ पर वहाँसे पानी भरते हुए बड़ी बुरी तरह गिर पड़ा था। वह ५ दिन बिस्तरपर पड़ा रहा। अब पहलेसे बेहतर है और दो तीन दिनोंमें बिलकुल ठीक हो जायेगा।

अब तुम्हारे प्रश्नोंके बारेमें: यद्यपि वह काम जिसके लिए चन्दा दिया गया था पूरा हो गया हो, तो भी बाकी बचा पैसा दान लेनेवालेकी इच्छाके किसी काम पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्योंकि हो सकता है, जिसे दान लेनेवाला बेहतर काम समझता हो, दान देनेवालेकी नजरमें वह बुरा काम हो। अभी उसी किस्मका एक उदाहरण मेरे सामने आया और जिसका मुझे कल ही निर्णय करना पड़ा। एक सज्जनने जमनालालजीको राष्ट्रीय पाठशालाओंके सम्बन्धमें रु० १०,००० दिये। वह धन-राशि अभी बिना इस्तेमाल किये पड़ी है। जमनालालजी उस धनका उपयोग राष्ट्रीय शिक्षाके लिए करना चाहते हैं और राष्ट्रीय शिक्षामें अछूत भी शामिल

हैं। तुम, जमनालालजी और मैं तो यही समझेंगे कि यह अच्छा काम है। परन्तु मैंने सलाह दी है कि यह देखते हुए कि पैसा अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, दान देनेवालेकी अनुमतिके बिना यह पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह निश्चित है कि दान देनेवाला इसकी अनुमति नहीं देगा; क्योंकि तथाकथित अछूतोंके बारेमें लोग ठीक तरहसे नहीं जानते। यदि जमनालालजी उस पैसेको ऐसे उद्देश्यके लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि दान देनेवालेके मनमें कभी खयाल ही नहीं था, तो वह गलती होगी और वे अस्तेयकी प्रतिज्ञाभगके दोषी होंगे।

दूसरे प्रश्नके सम्बन्धमें: मैं तुम्हारा ही मसला लेता हूँ। तुम अपनी नौकरीको तिलांजलि देकर अपने आपको अपेक्षतः निर्धनताकी स्थितिमें ले आये हो। निस्सन्देह इस कारण तुम अधिक समृद्धिशाली हो और यदि तुम्हारी निजी जरूरतें आगे और कम हो जायें तो तुम फिर और भी अधिक समृद्ध हो जाओगे। यह ज्यादा अच्छा है कि आदमी अपना सर्वस्व दे दे, इसकी अपेक्षा कि वह एक भाग अपने लिए और एक भाग समाजके लिए रखे ही। जब आदमीकी आवश्यकताएँ शून्य हो जाती हैं, वह अपना सर्वस्व दे देता है।

आशा है कि अब बात साफ हो गई है। मैं ठीक हूँ।

अंग्रेजी (एस० एन० १३४२९) की माइक्रोफिल्मसे।

५०८. मुलजिम न्यायाधीश बन बैठा

महादेव देसाईने इन पृष्ठोंमें पठानोंके व्यवहारके सम्बन्धमें जो आरोप[1] लगाए हैं, सूचना निदेशकने उनका जिस तरह खण्डन किया है वह ध्यान देने योग्य है। महादेव देसाईको कुएँसे पानी निकालनेके वक्त गिर जानेसे गहरी चोट आ गई है, इसलिए वे बिस्तर पर पड़े हैं और इस कारण वे साप्ताहिक टिप्पणियाँ लिखने और इस खण्डनकी आलोचना करनेमें असमर्थ हैं। किन्तु निदेशकने जो खण्डन किया है, उसके विवेचनके लिए किसी विशेषज्ञकी जरूरत नहीं है। इस खण्डनमें उन्होंने जो बातें स्वीकार की हैं वे उनके पक्षके लिए अर्थात् सरकारके लिए अति प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करनेवाली हैं। उनका खण्डन बिलकुल निरर्थक है; जहाँ उसमें थोड़ा-बहुत अर्थ है भी वहाँ वह असमाधानकारक है।

किन्तु निदेशककी विज्ञप्तियोंकी जाँच करनेसे पहले मैं इस बातको स्पष्ट कर दूँ। निदेशककी मार्फत इन विज्ञप्तियोंकी सूचना प्रकाशित करनेमें सरकारका हेतु क्या है? क्या वह अपने अधिकारियोंके विरुद्ध अभियोगोंमें अदालतोंकी जगह लेना और स्वयं निर्णायक बनना चाहती है? मैं बिना किसी झिझकके स्वीकार करता हूँ कि जहाँ तक जनताका सम्बन्ध है; सत्याग्रह प्रचार-कार्यालयके आरोप एक पक्षीय असिद्ध वक्तव्य है। किन्तु इस प्रचार-कार्यालयके सम्मुख तो दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है।

१. ये यंग इंडियाके मई और जूनके अंकोंमें प्रकाशित हुए थे।

यद्यपि सत्याग्रहियोंको अदालतोंमें जानेमें कोई झिझक नहीं है; किन्तु वे बारडोलीकी अदालतोंमें नहीं जा सकते। वे जानते हैं कि वहाँ उनको न्याय मिलना तो दूर रहा, उनकी सुनवाई भी न होगी; क्योंकि उनकी शिकायत निजी लोगोंके विरुद्ध नहीं है, बल्कि सरकारी अधिकारियोंके विरुद्ध और ऐसे शासनके विरुद्ध है जो लगभग मार्शल लॉ जैसा है। इसलिए सत्याग्रहियोंके सम्मुख कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा है। उनके सम्मुख एक ही मार्ग है कि वह जनताको सरकार द्वारा अपनाई गई असाधारण दमनकारी कार्रवाइयोंसे परिचित करायें। किन्तु निदेशकके प्रत्यारोपोंका क्या अर्थ हो सकता है? उसके खण्डनका क्या मूल्य हो सकता है? उसकी स्थिति वैसी बुरी नहीं है जैसी सत्याग्रहियोंकी है। सरकारके हाथोंमें पूरी सत्ता है। यदि सत्याग्रह कार्यालयके आरोप असत्य हैं तो सरकारके पास इसका उपाय है। इस सरकारको इस बातका कोई भान ही नही है कि उसकी साख बिलकुल उठ गई है और उसकी ओरसे कही गई बात सत्य हो तो भी लोग उसके असत्य होनेका सन्देह करते हैं। उसके कारनामोंका लेखा उतना ही बुरा है। इसलिए यदि सरकारके पास इन आरोपोंको असत्य सिद्ध करनेके लिए प्रमाण हों तो वह एक खुली जाँच-समिति नियुक्त कर दे। तब सत्याग्रह-कार्यालय अपने प्रत्येक कथनकी सत्यता सिद्ध करनेका जिम्मा लेगा और यदि वहाँ वह उनको सत्य सिद्ध न कर सकेगा तो माफी माँगेगा, अन्यथा दण्ड भोगेगा। किन्तु गवर्नरने लोक-सेवकोंको जो लम्बे-लम्बे पत्र भेजे हैं उनको देखते हुए ऐसी आशाकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए श्री मुन्शीने त्यागपत्र देते हुए गवर्नरको भेजी गई अपनी जोरदार चिट्ठीमें अपने जिस निश्चयकी ओर इशारा किया है, उसका स्वागत करता हूँ। मैं श्री मुन्शीके त्यागपत्र देने पर और उससे भी अधिक ऐसी साहसपूर्ण चिट्ठी लिखने पर बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि वे अपनी जाँच-समिति संगठित करनेके निश्चयको कार्य-रूप देंगे। वे खरेसे-खरे लोगोंको ढूँढ़ें और यदि वे मेरा सुझाव मान सकें तो वे सरकारका ही अनुकरण करें और अपने साथी विभिन्न जातियोंमें से चुनें। वे समितिमें, एक पारसी, एक मुसलमान, और एक ईसाई, चाहें वह अंग्रेज हो या भारतीय लें और इस स्वयं नियोजित समितिका एक उचित विचार-क्षेत्र निर्धारित करें, जिसके भीतर रहती हुई वह कार्य करे; और यदि वे थोड़ा-सा कष्ट और करें तो मेरा सुझाव है कि वे अपनी जाँच दमनकारी कार्रवाइयों तक ही सीमित न रखें; बल्कि उसमें बढ़ाए हुए लगानके सम्बन्धमें सत्याग्रहियोंके मामलेको भी शामिल कर लें। मैं यह आशा करता हूँ कि समिति सरकारको भी अपना मामला सामने रखनेके लिए गवाह भेजनेके लिए निमन्त्रित करेगी। यह बहुत सम्भव है कि सरकार इस समितिके सम्मुख अपने गवाह न भेजे। यदि वह न भेजेगी तो वह उसकी निन्दाका एक और कारण होगा।

अब निदेशककी विज्ञप्तियोंको लें। गवर्नर कहते हैं कि कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर करनेके लिए पठान हटा लिये जायेंगे। किन्तु निदेशक कहते हैं कि वर्षा पास आ जानेसे पठानोंकी सेवाकी जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए वे अब हटाए जा रहे हैं। लोग किस बात पर विश्वास करें? और यदि वर्षा पास आ जानेसे पठानोंकी

जरूरत नही रही है तो एक विशेष अधिकारीके साथ और विशेष मजिस्ट्रेटोकी अधीनतामें कारंवाई करनेके लिए अच्छे बहादुर पठानोकी इस सशस्त्र पुलिसकी क्यो जरूरत है? यदि लोगोको पठानोंके हटाए जानेके पीछे किसी ऐसी कुटिल योजनाका सन्देह हो, जिसका उद्देश्य सत्याग्रहियोको और भी अधिक फँसाना और आतंकित करके वशमें करना हो, तो ऐसी आशंका क्षन्तव्य होगी।

एक और विज्ञप्तिमें एक दिन एक पठानके चोरी करते रंगे हाथो पकड़े जानेकी घटनाका खण्डन किया गया है। यह खण्डन एक न्यायाधीश-जैसी भाषा और निश्चित परिणाम निकालते हुए इस तरह दिया गया है मानो निदेशकके सामने वादी और प्रतिवादी दोनो मौजूद थे। जिस पठान चौकीदारने उस मनुष्यको रंगे हाथों छुरा और चोरीका नमक लिए हुए बारडोली स्टेशन पर पकड़ा था, उसने श्रीयुत वल्लभभाई पटेलके सम्मुख रेलवे यूनियनके अध्यक्षके रूपमें एक बयान पेश किया था। यह बयान इस समय मेरे सामने मौजूद है। उसने इसमें कहा है कि "पुलिस अधिकारी गवाहीको कमजोर बनानेकी कोशिश कर रहे है और मुझे शिकायत वापस ले लेनेके लिए डरा-धमका रहे हैं।" किन्तु निदेशकने यह निर्दोष परिणाम निकाला है; "पुलिसने इस मामलेको झूठे मामलोंके वर्गमें रखने लायक समझा है।" इसमें आश्चर्यकी बात कुछ नही है; क्योकि रेलवेका पठान कर्मचारी पुलिसके हाथोकी कठपुतली बननेके लिए तैयार नही है। यह बयान भी कि "डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस निश्चित रूपसे कह सकते है कि असहयोगियोने जो चित्र लिए है वे कथित चोरी करनेके वक्तके नही है" उसी दर्जेका है। किन्तु इस बातको स्वीकार करना कि अभियुक्त पठान रेलवे प्लेटफार्म पर था और उसने एक मुट्ठी, वल्कि दो मुट्ठी नमक चुराया था, सरकारी पक्षको काफी धक्का पहुँचाता था। कौन नही जानता कि जब अपराध करते हुए पकड़े गए लोगोंको बचाना होता है तब भ्रष्ट पुलिस आँखो देखे तथ्योंको भी हल्का बनाकर पेंश करती है? इस मामलेमें नमक खराब हो गया था और वह जमीन परसे उठाया गया था। चूँकि पठानके पास छुरा पाया जाना एक प्रतिकूल बात है, इसलिए उसके पास छुरा होनेकी बातका खण्डन कर दिया गया है। सौभाग्यसे मै दक्षिण आफ्रिकामें पठानोंसे परिचित था और मैं यहाँ भी कितनों ही को जानता हूँ। जबतक उन्हें बिगाड़ा नही जाता, उनकी वीरता असन्दिग्ध होती है। किन्तु मुझे याद नही आता कि मैंने किसी पठानको बिना छुरेके देखा हो। फिर भी कथित असहयोगी यह दावा नही करते कि उन्होंने जो आरोप लगाए है, उनकी सत्यतामें उनका पूरा विश्वास है। उनकी माँग यह है कि इस विषयमें निष्पक्ष जाँच की जाये। सूचना निदेशक ऐसा नहीं कहते। वे अपनी ही कही बातोको फैसलेकी तरह प्रामाणिक मानते हैं।

निदेशककी दूसरी बातका खण्डन भी पहली बातके खण्डनकी तरह ही परेशानीमें डालनेवाला है। पठानने कल्याणजीको धमकी दी, इस बातसे इनकार नही किया गया है; बल्कि इस बातसे इनकार किया गया है कि उसने उनको छुरा भोंकनेकी धमकी दी। कहा जाता है कि पठानको चित्र खिचवानेमें आपत्ति थी, इसलिए उसने धमकी

दी थी। निदेशक अकारण ही यह मान लेते हैं कि पठान चित्र खिचवानेमें आपत्ति करते हैं। इस बातको असहयोगी भली-भाँति जानते हैं। मैं असहयोगी हूँ; किन्तु मुझे अभी तक किसी पठान द्वारा ऐसी आपत्ति किये जानेकी कोई जानकारी नही है। मैं जानता हूँ कि बहुतसे पठानोंने चित्र खिचवाए हैं और मैं ऐसे कुछ पठानोंको भी जानता हूँ जो चित्र खिचवानेके लिए उत्सुक रहते हैं। मुझे श्री वल्लभभाईसे पता चला है कि यह बात मालूम होनेसे पहले कि कैमरा उनको बदनाम करनेके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, पठान चित्र खिचवानेके लिए लालायित रहते थे। उन्होंने मुझे यह विश्वास भी दिया है कि यदि मौका मिलेगा तो वे यह बताना चाहते हैं और यह सिद्ध भी कर सकेंगे कि यह आपत्ति कैसे और कहाँ गढ़ी थी। और हम सभी जानते हैं कि पठानोंके शाह महाविभव अमानुल्ला फोटोग्राफरोंसे होनेवाली परेशानियोंको स्वेच्छासे सहते हैं। किन्तु निदेशकने अपने बचावके लिए जो शब्दजाल रचा है, उसमें एक बात स्पष्ट उभर कर आती है, और वह यह है कि कल्याणजीको धमकी दी गई थी। मैं इस प्रसंगमें यह भी स्पष्ट कर दूँ कि बारडोलीके सत्याग्रही इस समय असहयोग नही कर रहे हैं। प्रत्युत सरकारसे लगानकी दर निश्चित करनेके बारेमें वास्तविक स्थिति पता लगानेमें सहयोग करना चाहते है। वे असहयोगीकी हैसियतसे तो समितिकी माँग नहीं कर सकते थे। उस हैसियतसे तो वे केवल सरकारकी सत्ताको ही अस्वीकार कर सकते हैं। किन्तु उन्होंने यह नहीं किया है। उनका सत्याग्रह वर्तमान सरकारसे न्याय प्राप्त करने तक ही सीमित है।

तीसरा खण्डन एक पठान द्वारा एक स्त्रीको उसके घरमेंसे घसीट ले जानेके सम्बन्धमें है। पठान खुले हुए दरवाजेके भीतर खड़ा था, यह बात स्वीकार की गई है। यह नही बताया गया है कि वह किसीके घरके दरवाजेके भीतर क्यों खड़ा था। यह बात भी स्वीकार कर ली गई है कि एक स्त्रीने हिम्मतके साथ आगे बढ़ कर यह कहा कि एक पठान घरमें घुसनेकी कोशिश कर रहा था और उसने मुझे खींचा और धक्का दिया। इसके बाद लोगोंको यह बहुमूल्य जानकारी दी गई है कि इस स्त्रीने कुछ दिन बाद श्री बेंजामिनसे माफी माँग ली थी। श्री बेंजामिनने जब उसपर झूठ बोलनेका आरोप लगाया था तो उसने कहा, "मैं क्या करती।" निश्चय ही श्री बेंजामिनके कथनको कोई महत्व देनेके पहले उस स्त्रीसे जिरह की जानी चाहिए।

चौथा खण्डन एक पठानके अभद्र व्यवहारके सम्बन्धमें है। यहाँ भी पठानके नंगे होनेकी बातका खण्डन नहीं किया गया है। किन्तु केवल यही कहा गया है कि इस अभद्र दर्शनके पीछे हेतु अभद्र नहीं था। और हेतु अभद्र न होनेका निष्कर्ष निकालनेकी कोशिश इस आधार पर की गई है कि ग्रामीण गाँवमें चाहे जहाँ पाखानेके लिए बैठ जाते हैं। समझदार लोग स्वयं इस प्रकारके खण्डनका निष्कर्ष आसानीसे निकाल सकते है।

उसी प्रकारका खण्डन दो लड़कियोंके सामने एक पठानके नंगे खड़े हो जानेकी बातका किया गया है।

छठा खण्डन एक स्त्री पर किए गए अशिष्ट आक्रमणका है। यह आक्रमण झिझकते-झिझकते स्वीकार किया गया है। किन्तु निदेशक इस सम्बन्धमें भोलेपनसे कहते है, सम्भव है जैसा रहमत कहती है, वैसा किसीने किया हो; किन्तु इस बातका कोई प्रमाण नही है कि वह मनुष्य (यदि कोई था तो) पठान था, मानो रहमतकी यह गवाही निरर्थक है कि आक्रमण करनेवाला मनुष्य पठान था। सत्याग्रह कार्यालयमें रहमतको बचानेवाले गाड़ीवानका यह बयान भी मौजूद है कि आक्रमण करनेवाला सरकार द्वारा नियुक्त पठान था।

मैंने विज्ञप्तियोमें से ये कुछ ही नमूने लिए है और 'यंग इंडिया' से विशेष रूपसे सम्बन्धित उदाहरणका विशेष विश्लेषण किया है, क्योकि मै यह दावा करता हूँ कि यह पत्र पूर्णत: निष्पक्ष रहता है और मनुष्यसे चूक तो हो ही सकती है। फिर भी जहाँतक सम्भव है, वहाँतक सत्य बातें छापनेका ही आग्रह रखता है। 'यग इंडिया' में जो लोग लिखते है उन्हें लेखोपर अपने नामका सक्षिप्त हस्ताक्षर देना ही होता है। श्रीयुत महादेव देसाई स्वयं वकील है। वे दस सालसे ज्यादा अर्सेसे पत्रकारिताके धन्धेसे सम्बद्ध है, अत: उन्हे एक पर्याप्त प्रशिक्षित पत्रकार माना जा सकता है। इस कारण अन्य कई योग्यताओंके साथ-साथ उनमें झूठ और सचको अलग-अलग छाँट सकनेकी योग्यता भी अवश्य है। वे तथ्योको अपनी आँखोसे देखने और अपने कानोंसे सुननेके लिए थोड़े-थोडे दिन बाद बारडोली स्वयं जाते है। यह कहा जा सकता है कि उनकी एक प्रतिष्ठा है, और ऐसे में उसपर आँच आ सकती है। इसलिए वे जब चारपाईमें पड़े है, मै उनकी उन टिप्पणियोको, जिनका खण्डन किया गया है और निदेशकके खण्डनोको पढनेके लिए बाध्य था। मुझे उनमें कोई ऐसी बात नही मिली, जिससे महादेवने बारडोलीमें स्वय देखकर जिन तथ्योंका निर्धारण किया था उनपर कोई आँच आती हो। और मैंने यह भी देख लिया कि निदेशकका खण्डन उनकी बातको झूठ सिद्ध नही कर पाता।

पठानोने भैंसोको जिस निर्दयतासे पीटा है और जिसके फलस्वरूप बेचारी एक भैंस तो मर भी गई, उसके सम्बन्धमें निदेशक मौन ही रह गए है, क्योकि उसके लिए यही सुविधाजनक था। क्या उनको मालूम है कि उनके इस कथनके बावजूद तलाटियो और पटेलोने इस्तीफे दबावमें आकर दिये है, स्वय तलाटियो और पटेलोने उनके इस बदनामी-भरे आरोपको दृढ़तापूर्वक गलत बताया है।

इन विज्ञप्तियोमें और गवर्नरके पत्रोमें भी इस एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि बारडोलीके बनिये भी पठानोको चौकीदार रखते हैं; इसलिए सरकार पर पठानोंको लानेका दोष नही लगाया जा सकता। शायद गवर्नर और निदेशक महोदय नही जानते कि पठानोको चौकीदारो आदिके रूपमें नौकर रखनेकी बात गुजरातमें भी कोई पसन्द नही करता। ऐसा नही कि गुजरातके लोगोको पठानोंसे कोई द्वेष हो, किन्तु पठानोंको नौकर रखनेके पीछे एक दूषित हेतु है और जो लोग उनकी सेवाएँ लेते है वे पठानोमें से भले लोगोंको रखनेकी बात नही सोचते; बल्कि ऐसे ही पठानोको ठोक बजाकर नौकर रखते है जो ज्यादासे-ज्यादा धूर्तता कर सकते

हों। और यदि स्वार्थी बनिए और अन्य लोग अपना रवैया न सुधारेंगे तो उन्हें और गुजरातके शेष लोगोंको भी स्वार्थकी दृष्टिसे बदमाशोंको हाथमें करके उनका उपयोग करनेकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी; फिर वे बदमाश चाहे पठान हों, चाहे दूसरे कोई और, किन्तु जिस प्रथाके तत्वतः बुरे होनेका सरकारको ज्ञान है और जो सामान्य जनोंको कुरुचिपूर्ण लगती है, यदि सरकार किसी ऐसी प्रथाका अनुकरण करे तो यह तो एक गलतीके बाद दूसरी गलती करना कहलाएगा; और यदि तब उसपर अतिरिक्त दोष लगाया जाये तो उसे आश्चर्य नही मानना चाहिए। सामान्य लोगोंका पठानोंको नौकर रखनेसे जो आशय होता है वही आशय बारडोलीमें सरकार द्वारा पठानोंको भेजनेका भी हो सकता है। और गवर्नर या निदेशक इस कथनका कि कुछ पठान विदेशी नही हैं, लोगोंसे क्या निष्कर्ष निकालनेकी अपेक्षा रखते हैं। निश्चय ही दोनोंमें इतना जानने योग्य समझ तो होनी ही चाहिए कि बारडोलीमें पठानोंके विरुद्ध जो आपत्ति उठाई गई है वह उनके पठान होनेके कारण नहीं उठाई गई है। यहाँ 'पठान' शब्दका अर्थ अलग है। बारडोलीके लोगोंने इसका प्रयोग मुख्यतः 'बदमाश या गुण्डे' के अर्थमें किया है। बारडोलीके लोग अच्छे पठानोंका स्वागत करेंगे, फिर चाहे वे कहींसे क्यों न आयें। और फिर जिसने उनका पक्ष लिया और एक पठानके सम्बन्धमें वल्लभभाईको वक्तव्य दिया वह भी तो आखिर रेलवे द्वारा नियुक्त एक पठान ही था। इस तरह जो आपत्ति है वह किसी जाति-विशेषके सम्बन्धमें न होकर, उन जैसे लोगोंको लेकर है जो बारडोलीमें रखे जाते हैं। इसलिए सरकार द्वारा पठानोंको हटाए जानेसे और उसकी जगह सशस्त्र पुलिस भेजनेसे स्थिति तनिक भी नही बदलती। सरकारके बारेमें यह न कहा जाये कि यदि बारडोलीके लोग अभी तक पठान रूपी चाबुकोंकी शिकायत करते थे, तो अब उनकी जगह सरकारने उनको विशेष मजिस्ट्रेटों द्वारा समर्थित सशस्त्र पुलिस रूपी बिच्छू बख्श दिए हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-६-१९२८

५०९. बारडोलीका घपला

सरकार बारडोलीके मामलेमें जितना ही अपना बचाव करना चाहती है, वह अपना अपराध उतना ही बढ़ाती जाती है। श्रीयुत मुन्शीको लिखे गये गवर्नरके लम्बे पत्र तो इस गुत्थीको और भी उलझा देते हैं और श्रीयुत मुन्शी जैसे संविधानज्ञकी दृष्टिमें भी उनकी स्थिति सुधरती नही है।

गवर्नरके पत्र तो मामलेको साफ टाल जाते हैं। गवर्नर साहब कहते हैं एक और जाँच की जा चुकी है और अपने पत्र-लेखकको आश्वासन देते हैं कि सरकारकी कार्यकारी परिषद्का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है, जो सरकारी कार्रवाईके औचित्यके बारेमें, बल्कि जिसे दरअसल उसकी उदारता कहना चाहिए, पूरी तरह सन्तुष्ट न हो।

यह तो सरकार अपनी पुरानी दलील दुहरा रही है, जिससे कोई परिणाम नही निकलता। अगर सरकार, पत्र-व्यवहारमें जिनका जिक्र किया गया है वैसी पचासो जाँच कर ले, तो भी उससे स्थिति नही सुधरेगी। बल्कि उल्टे इन जाँचोसे यही बात सिद्ध होगी कि सरकार इस बात पर तुली हुई है कि जब-जब बारडोलीवाले रोटी माँगें, सरकार उन्हें पत्थर मारे। वे कोई ऐसी गुप्त जाँच नही चाहते, जिसमें उनके अपने आदमी न हो और उनका स्थान वहाँ ऐसा न हो कि वे उसमें उपयोगी और प्रभावकारी कार्य कर सकें। वे तो खुली और स्वतन्त्र जाँच चाहते है। उनका दावा है कि सरकार जिसे न्याय बल्कि उदारता कहती है, वह उन लोगोकी समझमें अन्याय और जुल्म है। उनका दावा है, और इस पत्रमें भी यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया गया है कि श्री जयकर और श्री एन्डर्सनकी रिपोर्टोंकी कोई कीमत नही है और वे गलत बयानियों और हिसाब जोड़नेकी भूलोंसे भी भरी पड़ी है।[1] वे कहते है कि हम किसी भी खुली, निष्पक्ष और स्वतन्त्र जाँच समितिके आगे अपने इल्जाम साबित कर सकेंगे।

सरकार गर्वसे और बार-बार वही बात कहकर कान पका रही है कि उसने न तो श्री जयकरकी ३० फीसदीकी और न श्री एन्डर्सनकी २९ फीसदीकी (सच-मुच बहुत बड़ी उदारता है!) बढ़ोतरी करनेकी ही सलाह मानी है, बल्कि उसने तो उसे घटाकर २० फीसदी रखा है। और अब गवर्नर साहब यह भी फरमाते है कि इतनी कमी न सिर्फ न्यायसंगत ही है, बल्कि उदारतापूर्ण भी है! मगर जनता तो उदारताकी भीख नही माँगती। वह तो सीधा साफ इन्साफ माँगती है और दावा करती है कि २० फीसदीकी बढ़ती भी, वहाँकी हकीकतको देखते हुऐ, वहाँके किसानोकी स्थितिको देखते हुए नही होनी चाहिए थी। दूसरी ओर गवर्नर साहब फिर भी यही कहते जा रहे है कि अगर कोई जाँच-समिति बैठाई जाती तो लगानमें इससे अधिक बढती होती। अगर सरकार सच्चे दिलसे यही विश्वास करती है तो फिर वह प्रजाकी जाँच-समिति बैठानेकी अत्यन्त वाजिब प्रार्थनाको क्यो नही मान लेती? प्रजा उसका फैसला माननेको तो तैयार ही है।

जब लोग सरकारी अधिकारियोकी रिपोर्टोंको ही गलत बताते है, तब तो यह घोर अन्याय और अपमान है कि सरकार उनके सामने उन दूसरे अधिकारियोकी रिपोर्टें ला फेंकती है, जो अपने निर्णयोंका आधार उन दस्तावेजोको बनाते है जिनमें अक्सर गलतियाँ छिपाई गई होती है और इससे भी ज्यादा बार जो केवल सतही होती है। गवर्नर साहब अगर सचमुच जैसा कि वे कहते है न्याय करना चाहते है तो वे बारडोलीके जिन लोगोंके लिए अपने पत्रमें सहानुभूति और चिन्ताका इजहार करते है, उन लोगोंके कष्टोंसे पावनीकृत उनकी इस सम्मानजनक माँगको स्वीकार कर ले।

मगर गवर्नर साहब यह घोषित करते है कि उनकी सहानुभूतिकी धारा, 'बाहरी लोगों' के बीचमें आ पड़नेसे, जिन्हें गालियाँ दे-देकर गुजरातके कमिश्नरने प्रसिद्ध कर दिया है, पूरी-पूरी नही बहने पाती! अगर इन किसानोंके रास्तेमें, जिनके बारेमें

१. देखिए: 'बारडोलीका मामला क्या है?", १४-६-१९२८।

गवर्नर साहब कहते हैं, वे बखूबी "जानते हैं कि अगर उन्हें लगान भरने दिया जाये तो दूसरे किसानोंके समान वे भी अपना लगान भर देंगे" वे ही खड़े हुए हैं तो सरकार इन बाहरसे अनधिकार प्रवेश करनेवालोंको एक ही बार वहाँसे हटा क्यों नहीं देती? अबतक तो सरकारके रास्तेमें जिसने भी सिर उठाया, उसे हटा देनेका उपाय सरकारको मिल जाता था! तब फिर वह (गुजरातके कमिश्नरकी सुन्दर भाषामें) "खेड़ाके इन आन्दोलनकारियोंके गिरोहको जो गरीब बारडोलीवालों पर ही जीते हैं" अछूता क्यों छोड़ती है और निर्दोष किसानोंको एक साथ ही इन आन्दोलनकारियों और पठानोंका या उनके बदले बुलाई गई पुलिसका शिकार क्यों होने देती है?

गवर्नर अपनी "संवैधानिक" स्थितिका औचित्य बताने और श्रीयुत वल्लभभाई और उनके वफादार साथियोंको बदनाम करनेकी जल्दीमें अपना यह बयान भी भूल गये कि एक पत्रमें उन्होंने कहा था कि ४० पठान हैं और दूसरेमें वह कहते हैं केवल २५ ही हैं। परन्तु पठानोंके बारेमें मैं ज्यादा एक दूसरे लेखमें बहुत कुछ कहूँगा।

गवर्नर बारडोलीमें कर वृद्धिका औचित्य यह कहकर सिद्ध करना चाहते हैं कि ऐसी ही बढ़तीका विरोध चौरासी ताल्लुकावालोंने नहीं किया है। मैं चौरासीके बारेमें कुछ भी नहीं जानता। मगर मैं यह जानता हूँ कि हिन्दुस्तानके लोगोंने इससे पहले बहुतसे अन्याय सहे हैं और इसलिए हिन्दुओंने अपने लिये 'नम्र हिन्दू' का निन्दापूर्ण खिताब पाया है। सम्भव है कि चौरासीवाले इतने निर्बल हों कि सरकार द्वारा लगाये गये लगानका विरोध नहीं कर सकते, जब कि पिछले छः साल स्वस्थ प्रभावमें रहकर बारडोलीवालोंने इतनी ताकत और इच्छा-शक्ति पैदा कर ली है कि वे ऐसी सरकारका विरोध करनेके कष्टोंको सह सकें, जो कि अपने अविवेक और आतंक-प्रियताके लिए बदनाम हो गई है।

शेरका नंगा पंजा अब देखिए। गवर्नर साहब फर्माते हैं:

> **सरकार शासन करनेके अपने निर्विवाद हकको छोड़कर, जैसा कि आप सलाह देते हैं, उसे किसी स्वतन्त्र समितिको क्यों दे दे? मैं तो हर सम्भव उपायसे इस स्थितिको सुधारनेके लिए उत्सुक हूँ, मगर जो सरकार ऐसी बात होने दे, वह सरकार ही किस कामकी?**

यह "शासन करनेका निर्विवाद हक" है। हिन्दुस्तानका खून बेरोक-टोक निचोड़कर उसे भूखों मार डालनेका हक! अगर सरकारी अधिकारियों और प्रजाके बीच झगड़ेका फैसला करनेके लिए कोई स्वतन्त्र समिति नियुक्त की जाये तो उसकी इस स्वच्छन्दता पर कुछ अंकुश लगेगा। यहाँ खयाल रहे कि स्वतन्त्र समितिके मानी सरकारसे बिलकुल स्वतन्त्र कोई गैर-सरकारी समिति नहीं है। इसके मानी हैं कि सरकार ऐसे लोगोंकी एक समिति बनाये जिसके बारेमें यह विदित हो कि उन पर सरकारी अधिकारियोंका दबाव नहीं पड़ेगा और उसे खुले आम जाँच करने तथा पीड़ित लोगोंकी उचित और कारगर ढंगसे सुनाई करनेका अधिकार हो। मगर ऐसी खुली जाँचके मानी होंगे सरकारकी छिपी और स्वच्छन्द लगान-नीतिका "रामनाम सत्य बोल जाना।" लोगोंकी इस सरल माँगमें "सरकारके कामोंको हथियानेकी बात

कहाँ है?" मगर सरकारके अधिकारियोंकी स्वच्छन्दता पर जरा भी लगाम लगानेसे सरकारका पारा बहुत ऊँचा चढ़ जाता है। और जब ब्रिटिश सिंह भारतमें क्रुद्ध हो उठें, तब 'नम्र हिन्दुओं' का रक्षक तो राम ही है। मगर हाँ, ईश्वर असहायोंकी सहायता अवश्य करता है, परन्तु वह तभी करता है जब मनुष्य पूरी तरह असहाय हो जाये। परमात्माने भारतके लोगोंको सत्याग्रहके रूपमें आप ही कष्ट सहनेका 'गाण्डीव' दिया है। उसके प्रभावसे लोग युग-युगका आलस्य छोड़कर उठ रहे हैं। बारडोलीके किसान हिन्दुस्तानियोंको दिखा रहे हैं कि वे निर्बल भले ही हों, मगर उनमें अपने विश्वासोंके लिए कष्ट सहन करनेका साहस है।

अब इतने दिनों बाद तो सत्याग्रहको अवैध कहनेका अवसर नहीं रह जाता। यह तो तभी अवैध होगा, जब सत्य और उससे सम्बद्ध आत्म-त्याग अवैध बन जायेंगे। लॉर्ड हार्डिंगने दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहको आशीर्वाद दिया था और उसके आगे वहाँकी सर्वशक्तिमान संघ सरकारको भी झुकना ही पड़ा था। उस समयके वाइसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड तथा बिहारके गवर्नर सर एडवर्ड गेटने इसकी वैधता और इसकी कार्य-साधकताको स्वीकार किया था और चम्पारनकी रैयतकी शिकायतोंकी जाँचके लिए एक स्वतन्त्र समिति बैठाई गई थी, जिसके फलस्वरूप सरकारकी प्रतिष्ठा बढ़ी और सौ वर्ष पुराना अन्याय दूर हुआ। फिर यह खेड़ामें भी स्वीकार किया गया और चाहे बेदिलीसे ही सही और चाहे यह अधूरा ही था, मगर खेड़ाके सरकारी अधिकारियों और आन्दोलन चलानेवालों तथा प्रजाके नेताओंके बीच समझौता हुआ था। मध्य-प्रान्तके तात्कालिक गवर्नरने नागपुर झंडा सत्याग्रहियोंसे समझौता करना ही ठीक समझा था, कैदियोंको छोड़ दिया था और सत्याग्रहियोंके हकको स्वीकार किया था। अन्तमें, और तो और बम्बईके गवर्नर लेस्ली विल्सनने भी, जब वह शुरू-शुरूमें "संसारके सबसे अधिक योग्य शासनाधिकारियोंके संसर्ग" से अछूते थे, स्वयं बोरसदमें सत्याग्रहके बलको स्वीकार किया था और बोरसदवालोंको राहत दी थी।

मैं चाहता हूँ कि गवर्नर साहब और श्री मुंशी, दोनों ही पिछले चौदह वर्षोंकी इन घटनाओंको गाँठ बाँध लें। बारडोलीका सत्याग्रह अब अचानक अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। हकीकत तो यह है कि सरकारके पास कोई दलील नहीं है। वह नहीं चाहती कि खुली जाँचमें उसकी लगान-नीतिको चुनौती दी जाये। अगर बारडोलीवाले आखिरी आँच सह गये तो या तो खुली जाँच होगी या इजाफा लगान मंसूख होगा। यह उनका निर्विवाद हक है कि वे अपनी शिकायतके लिए निष्पक्ष अदालतके सामने सुनवाईका दावा करें।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २१-६-१९२८

५१०. टिप्पणियाँ

स्वर्गीय गोपबन्धु बाबू

मैं 'यंग इंडिया' के लिए लिखने बैठा हूँ और इसी बीचमें मुझे नीलकण्ठ बाबूका यह तार मिला है कि साखी गोपालमें पण्डित गोपबन्धुदासका देहान्त हो गया है। पं० गोपबन्धुदास दुःख और विपत्तिसे मारे उड़ीसाके सर्वश्रेष्ठ सुपुत्रोंमें से एक थे। गोपबन्धु बाबूने उड़ीसाको अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था। मैंने गोपबन्धु बाबूके बारेमें और उनके निष्कलंक चरित्र तथा दृढ़ताके बारेमें सन् १९१६ में जब अकाल-पीड़ितोंको सहायता पहुँचानेके लिए श्री अमृतलाल ठक्कर उड़ीसा भेजे गये थे, तब सुना था। श्री ठक्कर मुझे लिखा करते थे कि किस भाँति असहायोंकी सहायता करनेके लिए गोपबन्धु बाबूने कष्टों और रोगोंका बहादुरीसे सामना किया। असहयोगके जमानेमें उन्होंने अपनी वकालत और कौंसिलकी मेम्बरी छोड़ दी और फिर वे कभी डिगे नहीं। मगर उनके लिए जो इससे भी बड़ा त्याग था, वह यह कि उन्होंने अपनी प्रियतम कृति सत्यवादी स्कूलको भी खतरेमें डाल दिया। इसके लिए उन्होंने अपने कुछ निकटतम मित्रोंके ताने सहे, किन्तु वे अपने मार्गसे, जिसे उनके ये मित्र उनकी मूर्खता समझते थे, विचलित नहीं हुए। यह एक ऐसी बात है जो उनकी कीर्तिको चिरकाल तक जीवित रखेगी। उनके जीवनकी एक अभिलाषा यह थी कि वह टुकड़ोंमें विभक्त उत्कलको संयुक्त और सुखी देखना चाहते थे। अभी हालमें वे लाला लाजपतरायकी समितिमें शामिल हो गये थे। वे गरीबी तथा बाढ़से पीड़ित उत्कलको आर्थिक सहायता पहुँचानेके लिए खादीको उपयोगी साधन बनानेकी योजना बना रहे थे। पण्डित गोपबन्धु दासके अवसानसे देश और भी गरीब हो गया है। यद्यपि आज वे सशरीर हम लोगोंके बीच नहीं हैं मगर उनकी आत्मा तो है ही। तब वही पुण्यात्मा उड़ीसाके कार्यकर्ताओंका पथ-प्रदर्शन करे। उनकी मृत्युसे हमारे इधर-उधर बिखरे कार्यकर्त्ताओंको, जिनकी संख्या राष्ट्रीय आवश्यकताओंके अनुपातमें बहुत ही कम है, इस बातकी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वे अपने सेवा-कार्यमें और अधिक जुट जायें, पहलेसे अधिक प्रयत्न और अधिक आत्मत्याग करें और उनमें और अधिक एकता हो। मैं इस स्वर्गीय देशभक्तके कुटुम्बियों तथा शिष्योंके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ।

युवकोंके लिए लज्जास्पद

एक संवाददाताने मुझे एक अखबारकी कतरन भेजी है। इससे मालूम होता है कि कुछ समयसे हैदराबाद, सिन्धमें वरोंकी दहेजकी माँग भयंकर रूपसे बढ़ती जा रही है। इम्पीरियल टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सेवाके एक कर्मचारीने सगाईके वक्त ही २०,००० रुपये नकद वसूल किये हैं और उसके बाद विवाहमें और दूसरे खास मौकों पर भारी रकमें दिये जानेका वादा करा लिया है। यदि कोई युवक दहेजको विवाहकी

शर्तें बनाता है तो वह अपनी शिक्षा और अपने देशको बदनाम करता है और स्त्री-जातिकी तौहीन करता है। देशमें कई युवक आन्दोलन चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये आन्दोलन ऐसे प्रश्नोंको हाथमें ले। ऐसी संस्थाएँ प्रायः आत्म-श्लाघी संस्थाएँ बन जाती है, जब कि उनको बनना चाहिए अन्दरसे ठोस सुधार करनेवाली सस्थाएँ। यद्यपि ये संस्थाएँ सार्वजनिक आन्दोलनोंमें सहायता पहुँचाकर कभी-कभी काफी अच्छा काम करती हैं तथापि यह स्मरण रखना चाहिए कि जनता उनके इस कार्यकी जो सराहना करती है उससे देशके युवकोंको पर्याप्त पुरस्कार मिल जाता है। यदि ऐसे कार्यके पीछे आन्तरिक सुधार न हो तो इससे युवकोंमें आत्म-तुष्टिकी अवाछनीय भावना पैदा हो जायेगी और उससे उनका नैतिक पतन होनेकी सम्भावना है। दहेजकी पतन-कारी प्रथाकी निन्दा की जानी चाहिए और उसके विरुद्ध प्रबल लोकमत बनाया जाना चाहिए और जो युवक इस प्रकार बुरे तरीकेसे लिए हुए धनसे अपने हाथोंको मलिन करते हैं उनको समाजसे बहिष्कृत किया जाना चाहिए। कन्याओंके पिताओंको अंग्रेजी उपाधियोंसे चकाचौंधमें न आ जाना चाहिए और अपनी छोटी जातियोंके घेरेसे और अपने प्रान्तोंसे बाहर जाकर अपनी लड़कियोंके लिए सच्चे वीर युवक वर-रूपमें प्राप्त करने चाहिए।

एक प्रशस्ति

श्री एच० एस० एल० पोलकने श्री महादेव देसाईको प्रेषित एक पत्रमें श्री मगनलाल गांधीके सम्बन्धमें यह लिखा है:[1]

लेखकने अपने पत्रके अन्तमें जो कुछ लिखा है उसकी सत्यता हम बहुतसे आश्रम-वासी अनुभव करते हैं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया २१-६-१९२८

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें उन्होंने यह बताया था कि श्री मगनलाल आश्रमके लिए कितने उपयोगी थे और अन्तमें कहा था कि उनका शरीर न रहनेपर भी उनकी आत्मा आपके बीच कदाचित अधिक वास्तविक रूपसे गतिशील रहेगी।

५११. पत्र : जे० एम० सेनगुप्तको

आश्रम
साबरमती
२१ जून, १९२८

प्रिय सेनगुप्त,

आगामी कांग्रेसके अध्यक्षके बारेमें आपका पत्र मिला। मुझे आपका सुझाव पसन्द है। परन्तु अन्तिम रूपमें निर्णय करनेसे पहले मैं पण्डितजी के विचार जानना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उन्हें इस मामलेमें पत्र[1] लिखा है। जैसे ही उनका उत्तर आयेगा, मुझे आशा है कि मैं आपको और आगे और अधिक निश्चित रूपमें लिखूंगा।

प्रदर्शनीके बारेमें आपका पत्र मिला था। इससे मुझे सन्तोष नहीं है। लेकिन जाहिर है कि हमें इस मामलेमें असहमत होने पर ही राजी होना होगा। आपको मालूम है कि स्वदेशीके सम्बन्धमें मेरे विचार बड़े पक्के हैं। परन्तु यदि वे बंगालको पसन्द नहीं हैं तो मुझे तबतक प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए जबतक बंगाल बदल न जाये या मैं धीरज न खो दूं। बहरहाल मैं आपसे तर्क नहीं करूँगा। मैं वहाँकी गतिविधियों पर ध्यान रखूंगा। आपने मुझे जो-कुछ लिखा है और जो जानकारी मुझे मिली थी उन दोनोंमें मुझे कोई अन्तर नहीं दिखाई देता। अन्तमें संक्षेपमें इतना ही कहूँगा कि वैसे मैं मशीनोंके खिलाफ नहीं हूँ परन्तु मैं ऐसी मशीनोंके खिलाफ हूँ जो जन-समुदायसे उसका काम छीन लें और एवजमें उन्हें कोई दूसरा काफी और सन्तोषप्रद काम न दें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३६२६) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र: मोतीलाल नेहरूको", १९-६-१९२८।

५१२. पत्र : ईथल एंगसको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२२ जून, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला, धन्यवाद। यदि मैं अगले साल यूरोप जानेमें सफल हुआ और तब यदि यह किसी तरह भी सम्भव हुआ तो मैं निश्चय ही आपका कृपापूर्ण आतिथ्य स्वीकार करूँगा। इस बारेमें मुझे कोई सन्देह नहीं कि यूरोपके अन्य भागोंकी तरह इंग्लैंडमें भी मेरे बहुतसे मित्र हैं।

श्री राजगोपालाचारी दक्षिणमें अपने आश्रमकी बराबर उन्नति कर रहे हैं। मैं आपका पत्र उन्हें भेजनेकी धृष्टता कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि वह इस पत्रको बड़े चावसे और प्रसन्नतापूर्वक पढ़ेंगे।

मैं आपको और रेवरेड जॉन टॉड फेरियरको उनकी पुस्तकोंके लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे मित्र जो कई एक पुस्तकें मुझे भेजते हैं, मैं उन्हें पढ़ना तो बहुत चाहता हूँ, परन्तु उसके लिए वक्त नहीं मिलता। परन्तु आपने जो पुस्तकें भेजी है, उनमेंसे कुछको मैं सरसरी नजरसे देख गया हूँ। भोजनकी शुद्धतासे सम्बन्धित तर्क मुझे, जैसा कि स्वाभाविक है, बहुत अच्छे लगे हैं।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १४३३४) की फोटो-नकलसे।

५१३. पत्र: रामलाल बलराम वाजपेयीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२२ जून, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपने कु० मेयोका जो लेख मुझे भेजा था, उसे पढ़ गया हूँ। उस निन्दात्मक लेखका उत्तर देनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। यदि ऐसे लोग है, जिन्हें कु० मेयो द्वारा गढ़ी हुई कहानी पर विश्वास है तो ऐसे लोगोको मेरी ओरसे प्रतिवाद किये जाने पर भी कोई सन्तोष नहीं हो सकता।

मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्धमें आपकी पूछताछके लिए आपको धन्यवाद। मेरी तबीयत काफी ठीक है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत रामलाल बलराम वाजपेयी
२०९, सुलिवन प्लेस
ब्रुकलिन
न्यूयार्क
सं० रा० अ०

अंग्रेजी (एस० एन० १४३३७) की फोटो-नकलसे।

५१४. पत्र: के० श्रीनिवासनको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२२ जून, १९२८

प्रिय श्रीनिवासन,

आपका पत्र और रु० ११ का चेक मिला। आपने अपने लिए जो पैसा लिया, यदि उसकी आपको जरूरत नहीं थी तो निश्चय ही आप भर्त्सनाके पात्र हैं।

यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप अपनी प्रतिज्ञा निभा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने मित्रोंके सामने कताई करनेमें शर्म नहीं लगेगी। यदि आपका विश्वास है कि यह काम अच्छा है तो आप क्या कर रहे हैं, यह उन्हें देखने दें।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत के० श्रीनिवासन
मार्कोनी वायरलेस कालेज
चेम्सफोर्ड
एसेक्स

अंग्रेजी (एस० एन० १४३३८) की फोटो-नकलसे।

५१५. पत्र : देवी वेस्टको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२२ जून, १९२८

आपका पत्र मिला और इसके साथ आया सुन्दर फोटोग्राफ[1] भी मिल गया। मैं इसे 'सुन्दर' इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि चित्र बहुत जीवन्त बन पड़ा है।

आप मगनलालके बारेमें जो कहती है वह बहुत सही है।

हमने आश्रममें जो परिवर्तन किये हैं, काश! उनका वर्णन करनेका मेरे पास वक्त होता। प्रभुदास पहाड़से, जहाँ वह स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, अभी अभी आया है। कृष्णदास और छगनलाल तथा उसकी पत्नी यहाँ हैं। फिलहाल उसके माता-पिता भी यहाँ हैं। देवदास पहाड़पर है। मैं तकरीबन ठीक हूँ। यह सम्भव है कि हम अगले साल मिलें। यदि सब-कुछ ठीक रहा तो शायद मैं अगले साल यूरोप आऊँ।

अंग्रेजी (एस० एन० १४३३९) की फोटो-नकलसे।

५१६. पत्र : होरेस जी० अलेक्जेंडरको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२२ जून, १९२८

प्रिय मित्र,

मुझे आशा थी कि मैं आपको काफी लम्बा जवाब भेजूंगा, इसलिए मैंने आपके पत्रका उत्तर देनेमें बड़ी देर कर दी। परन्तु मुझे लगता है कि पूरा उत्तर देनेका प्रयास करनेके लिए मुझे निकट भविष्यमें पर्याप्त अवकाश मिलनेकी सम्भावना नहीं है।

मौन प्रार्थना और सामूहिक मौनके सम्बन्धमें आप जो कुछ कहते हैं, उसे मैं समझता हूँ और सिद्धान्त रूपमें उसे पसन्द भी करता हूँ।[2] जब मैं दक्षिण आफ्रिकामें था तब मैं इस तरहकी कई सभाओंमें सम्मिलित हुआ था। परन्तु वे लोग कार्य-रूपमें जिस तरह इसका निर्वाह करते थे, उससे मैं बहुत प्रभावित नहीं हो सका। भारतमें

१. देवी वेस्टका।

२. होरेस जी० अलेक्जेंडरने, जो पहले कभी आश्रममें आये थे, क्वेकरोंके तरीकेका सामूहिक मौन रखनेकी सलाह दी थी।

तो यह बिलकुल निष्फल सिद्ध होगा। पूजाकी कई पद्धतियाँ हैं और यदि पुरानी पद्धतियोंसे काम चल जाये तो नई पद्धतियोंका प्रयोग आवश्यक नहीं है। हम आश्रममें जो कुछ कर सके है, उससे मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूँ। मैं एकदम या किसी कृत्रिम रीतिसे भक्ति-भावना जाग्रत नहीं कर सकता। यदि आश्रममें प्रार्थनाके समय हममें से कुछ एक लोगोंकी वास्तवमें वैसी भावना हो तो यथासमय उसका असर जरूर होगा। आश्रममें कुछ निष्ठावान् साधक हैं, जो प्रार्थनाके वक्त वहाँ उचित भक्ति-भावसे आते हैं — इस विश्वासके कारण ही मैं बाधाओं एवं कभी-कभी गम्भीर निराशाओंके बावजूद सामूहिक प्रार्थनाको बनाये रखनेका आग्रह करता रहा हूँ। यह अपने प्रति मेरा पक्षपात हो सकता है, परन्तु मेरा अपना अनुभव है कि हमारी प्रार्थना-सभाओंमें शक्ति बहुत धीरे-धीरे, परन्तु निश्चित रूपसे ज्यादा गहराई पाती जा रही है और उनकी प्रभाव-शक्ति बढ़ रही है। परन्तु मुझे इस तथ्यका ज्ञान है और मुझे उसका खेद है कि हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उससे हम बहुत दूर हैं। तो भी मैं आपके सुझाव ध्यानमें रखूँगा। मैंने उनके बारेमें पहलेसे ही मित्रोंसे चर्चा कर रखी है।

ऐसा लगता है कि सफाईके मामलोंके सम्बन्धमें मेरे सुझाव माँगनेकी बातको आप ज्यादा महत्वकी नही मानते। मेरे विचारमें हम अकारण ही जीवनको धार्मिक और दूसरे अलग-अलग भागोंमें विभाजित करते हैं, जब कि यदि आदमीमें सच्ची धार्मिक भावना हो, तो यह भावना जीवनके क्षुद्रतम अंशमें भी प्रकट होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे-जैसे समाजमें तो सफाईका सवाल सामूहिक आध्यात्मिक प्रयत्नसे जुड़ा हुआ है। सामाजिक और राजनीतिक जीवनकी तरह ही सफाईके मामलेमें थोड़ी-सी भी अनियमितता आध्यात्मिक दरिद्रताकी निशानी है। यह लापरवाही और कर्त्तव्यकी अवहेलनाकी निशानी है। कुछ भी हो, आश्रमका जीवन — जीवनकी मूलभूत एकताकी इस धारणा पर ही आधारित है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री होरेस जी० अलेक्जेंडर
वुडब्रुक
सेलीऑक
बरमिंघम

अंग्रेजी (जी० एन० १४०५) की फोटो-नकलसे।

५१७. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

आश्रम
साबरमती
२२ जून, १९२८

मैने जमानतके तौर पर उनके इन चार प्रकाशनोको लेकर गणेशनको कर्जके रूपमें रु० ८,५०० तककी सहायता देनेका निश्चय किया है : १. 'सत्याग्रह इन साउथ आफ्रिका,' २. 'गाधीजी इन सीलोन,' ३. 'सेवन मंथ्स विद गाधीजी,'[1] ४. 'इकोनोमिक्स ऑफ खद्दर।' परन्तु मैं चाहूँगा कि आप उनकी सहायता करें और उनका मार्ग-निर्देशन करे। उनकी तो यह इच्छा थी कि हार मान ले और प्रकाशन-व्यापारको छोडकर बैठ जायें। परन्तु मैंने सोचा कि यह कायरता होगी और मैंने उन्हें सलाह दी है कि वह सारी कठिनाइयोका बहादुरीसे सामना करें और मुसीबतोंसे बच निकले। मैंने उन्हे आपका निर्देशन प्राप्त करनेकी सलाह दी है। मैंने उन्हें यह भी सुझाव दिया कि वह नटेसनकी मदद भी ले सकते है। परन्तु यह सब मै आप पर छोड़ देता हूँ। यदि आप समझें कि उन्हे वैसा करना चाहिए तो आप उनका नटेसनसे, जिन्हे आप अच्छी तरह जानते है, परिचय करा दें।

वे पुस्तकें हरिलाल शर्माके पास इकट्ठी करके रखनी है। यदि आपको इस मामले पर कोई और सलाह देनी हो, तो मुझे बता दीजिएगा।

अंग्रेजी (एस० एन० १३४३३) की माइक्रोफिल्मसे।

५१८. पत्र : एस्थर मेननको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२२ जून, १९२८

तुम्हारे दो पत्र मिले। मगनलालकी मृत्युसे सारी योजनाएँ ही अस्त-व्यस्त नही हो गई है, उसके कारण मै आश्रममें क्रान्तिकारी प्रतीत होनेवाले परिवर्तन करनेके लिए भी प्रेरित हुआ हूँ। इसलिए मै तुम्हें लम्बा स्नेह-पत्र तो नही लिख सकूंगा।

यदि सब कुछ ठीक रहा और यूरोपके मित्रोंकी मुझे वहाँ बुलानेकी इच्छा तब भी कायम रही तो मुझे आशा है कि मैं अगले साल जानेके लिए तैयार रहूँगा।

१. कृष्णदासकी लिखी इस पुस्तकका नाम सेवन मंथ्स विद् महात्मा गांधी था।

मैं तुम्हारा भारतमें बीमार रहना तो समझ सकता था, परन्तु तुम वहाँ क्यों बीमार हो? मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी पहले जैसी ताजगी और शक्ति सहित वापस आओगी।

तुम दोनों कब तक बाहर रहोगे? मेनन कहाँ पढ़ रहा है?

श्रीमती एस्थर मेनन
हेव, एसनेस
डेन्मार्क

अंग्रेजी (एस० एन० १४३३६) की फोटो-नकलसे।

५१९. पत्र: बेन एम० चेरिंग्टनको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२२ जून, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आप अपनी मदद करनेकी मेरी योग्यताको सीमासे ज्यादा कूत रहे हैं। बहरहाल मैं अपनी योग्यतानुसार भरसक आपके प्रश्नोंका[1] उत्तर[2] देनेकी कोशिश करता हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री बेन एम० चेरिंग्टन
कार्यकारी सचिव
डेन्वर विश्वविद्यालय
कोलोरेडो
स० रा० अ०

अंग्रेजी (एस० एन० १४३३५) की फोटो-नकलसे।

[संलग्न पत्र]

पश्चिमकी [दान द्वारा स्थापित विद्या-] संस्थाओंके निर्माणके इतिहासका अध्ययन करनेका मुझे कभी अवसर नहीं मिला। उनके सम्बन्धमें मेरा ज्ञान बहुत ही सरसरी किस्मका है और इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है।

१. प्रश्न उपलब्ध नहीं हैं।
२. संलग्न पत्रमें।

मेरी रायमें वक्तकी बढती हुई माँग यह है कि हृदयसे सम्बन्धित चीजोंको अर्थात् नैतिक कल्याणको, जीवनमें उसका प्राप्य स्थान दिलाया जाये। इसलिए मेरे विचारमें सामाजिक विज्ञानको नैतिक दृष्टिसे देखना चाहिए। पैवन्द लगानेसे काम नही चलेगा। इसलिए यदि आपके काममें ईमानदारी है, तो इसका उपयोग उस पद्धतिको समूल उखाड फेंकनेमें होना चाहिए, जिसके अधीन अमेरिकामें धनका अतुल संग्रह सम्भव हो सका है। इसलिए यदि आप मेरा सुझाव मान ले तो ऐसा मालूम होगा कि इसमें आर्थिक सहायताकी ज्यादा जरूरत नही रह जाती।

पहले प्रश्नका जो उत्तर मैंने यहाँ दिया है, उसके बाद मुझे दूसरेका उत्तर देनेकी कोई आवश्यकता नही है। परन्तु उक्त उत्तरको छोड़ भी दें तब भी मै यह कहूँगा कि परम्परागत शैक्षणिक विभागोंकी अपेक्षा यह कही ज्यादा अच्छा होगा कि आपकी यह संस्था औद्योगिक, जातीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोके इर्द-गिर्द सगठित की जाये। यदि पहले प्रश्नके मेरे उत्तरमें अन्तर्निहित विचारको स्वीकार कर लिया जाये तो आपको मौलिक शोध कार्यकरना पडेगा।

पिछलेको देखते हुए इसका उत्तर अनावश्यक है। निश्चय ही बुद्धिमत्ता इसमें होगी कि सभी राष्ट्रों, जातियो और वर्गोंका प्रतिनिधित्व इसमें हो। यदि आप युवकोंका ध्यान रखें तो नागरिक अपने आपको स्वयं सुधार लेगे।

यदि आप मुझसे इस बातमें सहमत हों कि वर्तमान स्थिति असह्य है, तो मै जिनमें काफी जगह हो, परन्तु जो बहुत ज्यादा आरामदेह न हो, ऐसे कमरोमें कुछ प्राध्यापको और विद्यार्थियोंको ताला लगाकर बन्द कर दूं और उनसे आग्रह करूँ कि वे वर्तमान असह्य स्थितिसे बच निकलनेका मार्ग ढूंढ निकालें।

इसका उत्तर मैं नही दे सकता।

विचार अच्छा है। सम्भवतः [अध्यापकों आदिके] समुचित विनिमयका या उत्तम कोटिके अतिथि सदस्य प्राप्त करनेका सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय यह होगा कि जिन देशोंसे आप उन्हें अपने यहाँ बुलाना चाहते है उन देशोमें अपना प्रतिनिधि भेजें। इस तरह आपका प्रतिनिधि सम्बन्धित देश या देशोकी जीवन्त सस्थाओंके सीधे सम्पर्कमें आयेगा।

अंग्रेजी (एस० एन० १४२६२) की फोटो-नकलसे।

५२०. पत्र : वसुमती पण्डितको

आश्रम
साबरमती
२३ जून, १९२८

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला। यह लिखाते समय अभी चारका पहला घंटा बजा है। जयदेवजीने नीति दोष किया था इसलिए मैंने प्रायश्चित्त स्वरूप तीन दिनका उपवास किया है। आज दूसरा दिन है। उपवास सोमवारके सवेरे पूरा होगा। मुझे थोड़ी दुर्बलताके सिवा और कुछ नही लगता। इसलिए तनिक भी चिन्ता करनेका कारण नही है। वहाँकी जलवायु माफिक आ गई है न? कन्या गुरुकुलकी सुव्यवस्थाके लिए गुरुकुल काँगड़ीके साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७९)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

५२१. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

आश्रम
साबरमती
२३ जून, १९२८

चि० शान्तिकुमार,

तुम्हें यह पत्र सवेरे चार बजे लिखवा रहा हूँ। इससे कल्पना कर सकोगे कि मुझे कितना काम है। महादेव चोटोंके कारण अभी तक खाट पर है। सुमन्तके विषयके कागजात मेजपर रख दिये गये हैं, किन्तु उन्हें पढ़ नहीं सका हूँ। पढ़ना तो है ही। तुमपर मुझे इतना विश्वास है कि यदि किसीके सम्बन्धमें तुम्हें सन्तोष हो गया हो तो मुझे भी होगा; यह मैं मानता हूँ। भाई सुमन्तके पत्रका मुझपर अच्छा प्रभाव नही पड़ा। क्योंकि मुझे उसमें क्रोध और आवेश दिखाई दिये है। किन्तु पत्र पढ़ने पर मुझे जैसा लगेगा वैसा लिखूंगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस विषयमें मैं भाई सुमन्तकी मार्फत या किसी दूसरे तरीकेसे तुरन्त कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दूसरे कामोंको छोड़कर तुम्हारे भेजे हुए कागजातका निबटारा नहीं किया। ऐसा नहीं लगता कि अभी पूना जाना हो सकेगा। गया भी तो तुम्हारी झोंपड़ीमें रहनेकी

इच्छा तो है ही। किन्तु प्रेमलीलाबहनने मुझसे अपनी झोपड़ीमें रहनेका वचन[1] कबसे ले रखा है। मैंने यही अपवाद रखा है कि यदि कामके प्रसंगमें और कही न जाना पड़ा तो उसके यहाँ रहूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७८७)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : शान्तिकुमार मोरारजी

५२२. पत्र : बेचर परमारको

आश्रम
साबरमती
२३ जून, १९२८

भाईश्री बेचर,

बढ़ईके लड़केका व्यापार करना ठीक नही माना जायेगा। शूद्र वर्णमें केवल मजदूरोंका ही समावेश होगा। मेरी दृष्टिसे बढई, नाई आदि वैश्य माने जायेंगे। चौथे प्रश्नका जवाब देना अभी कठिन है। क्योंकि वर्णोंका संकर हुआ है किन्तु सामान्य रीतिसे यह कहा जा सकता है कि जो धन्धा नीतिके विरुद्ध न हो और पीढ़ियोंसे चलता आ रहा हो उसमें लगे रहना चाहिए। जिसे सत्याग्रह आश्रममें दाखिल होनेके लायक माना जायेगा, यदि उसके पास और कोई साधन न होगा तो उसके खाने-पीनेका प्रबन्ध आश्रम ही करेगा। इस समय आश्रममें बहुत-से परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं, इसलिए कार्यवाहक मण्डलका आग्रह है कि किसी विशेष परिस्थितिके अतिरिक्त एक वर्षके लिए किसीको भी आश्रममें दाखिल न किया जाये। आपको नियम पसन्द हों तो आपको पहले एक वर्ष तक बाहर रहते हुए उनका पालन करना होगा। यह आप नियमावलीमें देख सकते हैं। यदि वर्षके अन्तमें आप दाखिल होना चाहते हैं तो आपको आजसे आश्रम जीवनका ज्ञान और पालन करना होगा। यदि किसी भी समय आपका आश्रममें रहनेका इरादा हो तो पहले दो-तीन दिन आश्रममें रह जाना चाहिए।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ५५७१) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र : प्रेमलीला ठाकरसीको", ९-३-१९२८।

५२३ शिक्षा-विषयक प्रश्न — ४

प्रश्न : गुजरात विद्यापीठके ध्येयोंमें लिखा है कि भारतवर्षका उत्कर्ष गाँवों पर निर्भर है, शहरों पर नही। अगर बात ऐसी हो तो शहरके हमारे लड़कोंको आप किसलिए बरबाद करते हैं? गाँवके लड़कोंको आप भले ही गाँवकी शिक्षा दें। शहरके लड़के शहरी जीवन बिताना चाहते हैं। उन्हें इसके योग्य शिक्षा आप क्यों नहीं देते? फिर विद्यापीठके लिए धन तो शहरोमें से ही मिलता है न? विद्यापीठको आप किसी आदर्श गाँवमें ही ले जायें और गाँवोमेंसे ही धन या अनाज और कपास माँगें तो हमें कुछ नही कहना है।

उत्तर : सौभाग्यसे ऐसा प्रश्न बहुत-से शहरियों या शहरमें रहनेवाले विद्यार्थियोंके दिल में नही उठता। गाँवोंके विद्यार्थियोंको उनके खर्चसे शिक्षा दो, यह बात प्रायश्चित्त करनेके लिए तैयार शहरी मण्डलके मुँहसे कैसे निकलेगी? विद्यापीठकी तो उत्पत्ति ही इससे हुई कि शहरियोंका ध्यान गाँवोंकी ओर गया। शहरी लोग ही अपनी आँख खुलनेके बाद विद्यापीठको चलाने लगे। अगर वह मुख्यत: गाँवोंकी सेवाके लिए ही चले तो उसे चलानेका खर्च गाँववाले ही क्यों दें? गाँवोमें चलनेवाली शिक्षाकी व्यवस्था भी तो अभी शहरियोंको ही चलानी है। जो इलजाम शहरी लोग सरकारके विरुद्ध लगाते हैं, वही गाँववाले शहरी लोगों पर भी लगा सकते हैं, "तुम शहरवालोंने हमें लूटा है और अब भी लूट रहे हो। महज लूटना ही बन्द कर दो, तो तुम्हारी कृपा होगी। हम गई गुजरी बिसार देंगे।" हममें से कई शहरी इस वस्तुस्थितिको समझ गये और इसलिए हम चेते। हमने गाँववालोंके प्रति किया हुआ अपना भारी अन्याय समझा और इसलिए प्रायश्चित्त करनेका निश्चय किया। उसमें पहला भाग तो था, उस सरकारसे असहयोग करना, जिसकी सहायता तथा बलसे गाँवोंका सत्व हरण करनेका काम सम्भव हो सका था, और अभी हो सकता है। और दूसरा यह था कि असहयोगका गूढ़ार्थ हम ज्यों-ज्यों समझते गये त्यों-त्यों सहयोगके परिणामोंसे बचनेका रास्ता सीखते गये। अगर हम असहयोग करनेके बाद हाथपर-हाथ रखकर ही बैठे रहते तो कहा जाता कि हमने असहयोगका अर्थ ही नही समझा है। अगर कोई हमारे घरमें से माल लूट ले जाता हो तो सिर्फ उसकी मदद न करना ही काफी नही होता बल्कि उसकी लूटका विरोध करना पड़ता है, उससे होनेवाले परिणामोंको त्यागना भी पड़ता है। तभी लुटेरेके साथ सच्चा असहयोग किया गया माना जायेगा। यह असहयोग हिंसक या अहिंसक, शान्त या अशान्त, पशुबलवाला या आत्मबलवाला हो सकता है। हमने अहिंसक, शान्त और आत्मबलवाला असहयोग पसन्द किया है और उससे सीखा है कि कितने ही हम शहरी गाँवोंमें से जो द्रव्य चूस कर जीते हैं और मजे उड़ाते हैं, उसके लिए प्रायश्चित्तके रूपमें हमें गाँवोंकी कुछ सेवा करनी चाहिए, उनका कुछ बदला देना चाहिए। इसी विचार श्रेणीमें से विद्यापीठकी उत्पत्ति

हुई और चूँकि हममें से कुछ लोग जाग्रत हैं, सत्यके पुजारी हैं, इसलिए दिनो-दिन असहयोगका भेद समझते जाते है और उस हद तक विद्यापीठका स्वरूप शुद्ध करते जाते है। अब यह बात समझमें आ सकेगी कि शहरियोके दिये हुए धनका मुख्य भाग गाँवोको शिक्षा देनेमें ही क्यो खर्च होना चाहिए। और वह शिक्षा अभी तो विद्यापीठके तैयार किये हुए शहरी स्नातकोंके ही जरिये दी जा सकती है।

मेरी मान्यता तो यहाँ तक है कि हम अगर विद्यापीठके लिए मिले धनका कोई दूसरा उपयोग करे तो यह लोगोंके दिये हुए विश्वासका घात होगा। धन देने-वालोने इस मान्यतासे धन दिया है कि उसका उपयोग चालू प्रथासे दूसरे प्रकारकी, और जैसी कि मैंने वर्णन की है वैसी शिक्षाके देनेमें होगा।

प्रश्न: विद्यापीठने आठ वर्षसे अस्पृश्यता निवारणका आग्रह रखा है। इसके फलस्वरूप अबतक कितने अछूत स्नातक या विनीत तैयार हुए हैं?

उत्तर: मुझे यह प्रश्न विचित्र और अज्ञानमूलक जान पडता है, क्योकि अस्पृश्यता-निवारणका यह अर्थ कभी नही है और न होना चाहिए कि हम अस्पृश्य कहे जानेवाले युवकोको स्नातक अथवा विनीत बनायें। यह सम्भव है, योग्य है कि समय पाकर उनमें से कितने ही स्नातक अथवा विनीत बनें। यह भी योग्य है कि ऐसेकी मदद करनेके लिए विद्यापीठ हमेशा तैयार रहे। किन्तु अन्त्यज स्नातक बनाना अस्पृश्यता-निवारणका अंग किसी तरह नही है। विद्यापीठने अपने अस्तित्वको ही जोखिममें डालकर, लाखो नही तो हजारो रुपयोकी सहायतासे हाथ धोकर, और दूसरी सभी तरहसे सहायता करनेके लायक कितने सज्जनोकी सेवाका लाभ त्यागकर अस्पृश्यता-निवारणका अपना आग्रह और पक्षपात निबाहा है।

प्रश्न: अब्रह्मचर्यसे राष्ट्रमे शारीरिक और मानसिक दुर्बलता आ गई है और सतत् उद्योग तथा पराक्रम करनेका उत्साह नहीं बचा है। यह हम स्पष्ट देखते हैं। तो भी आपने विद्यापीठके ध्येयोंके अन्तिम अनुच्छेदमें ब्रह्मचर्य शब्द क्यो नही आने दिया?

उत्तर: यह प्रश्न ठीक पूछा गया है। यह सिद्ध नही किया जा सकता है कि राष्ट्रमें अब्रह्मचर्यसे ही शारीरिक और मानसिक दुर्बलता आ गई है और उसीसे सतत उद्योग तथा पराक्रम करनेका उत्साह ढीला पड़ गया है। यह भी नही सिद्ध किया जा सकता कि ब्रह्मचर्यसे शारीरिक दुर्बलताका नाश हो ही जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य जैसी अलौकिक वस्तुको व्यायामके साथ, जो चाहे जितनी अच्छी होते हुए भी क्षणिक है, जोड़कर, हलकी चीज क्यो बनायें; उसे नीचे क्यो गिरायें? पश्चिमके लोग ब्रह्मचारी नही हैं, किन्तु वे इसलिए मनसे या शरीरसे दुर्बल नही हैं। उनका सतत उद्योग और उनका पराक्रम अनुकरणीय है। गुरखे, पठान, सिख, डोगरा और अंग्रेजी सिपाही शरीरसे मजबूत और हट्टे-कट्टे होते हैं, पर वे ब्रह्मचारी नही कहे जा सकते। वे व्यायाममें हमारी व्यायामशालाओके विद्यार्थियोको हरा देंगे। ऐसे अनेक दृष्टान्त देकर हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह बात सच नही है कि शरीरबल, एक प्रकारका मानसिक बल, सतत् उद्योग और पराक्रम, ये चारो वस्तुएँ ब्रह्मचर्यके बिना प्राप्त हो ही नहीं सकतीं। मेरी कल्पनाका ब्रह्मचर्य ब्रह्मको दिलानेवाला, ऊपरकी

वस्तुओंसे परे है। यह अपने आपमें ही साधन और साध्य दोनों है, इसलिए उसके पालनके लिए मैं शरीरका होम कर देनेको तैयार हो जाऊँगा। जिसे शरीरका मोह है, वह अविच्छिन्न ब्रह्मचर्यका पालन शायद ही कर सके। यहाँ भीष्मादिके ब्रह्मचर्यके उदाहरण लेना भूलमें पड़नेके समान है। 'महाभारत', 'रामायण' आदिमें वर्णित वस्तुओंके अक्षरको पकड़े रहनेसे हम असत्यके रास्ते चलेंगे और खाईमें गिरेंगे। उनके मर्मको समझकर, उनका पालन करनेसे और उसके अनुभवमें उतरनेसे हम अवश्य ही ऊँचे बढ़ेंगे।

शरीर फेंक देने लायक वस्तु नहीं है, संग्रह करने लायक है। यह अगर रावणके रहनेका स्थान बना है, तो रामकी अयोध्या भी बना है। वह कुरुक्षेत्र भी है। इसलिए हमें उसकी अवगणना नही करनी है। उसे आरोग्यवान, बलवान रखनेकी जरूरत है। इसलिए यह कहनेमें व्यायामकी प्रतिष्ठा कहाँ कम होती है कि शरीरको कसरतकी पूरी जरूरत है। और इतना कहनेमें सत्यका पालन होता है तथा विद्यार्थीको व्यायाम-प्रिय बनानेके लिए इतना कहना काफी है और होता रहा है। इससे उलटे, व्यायाम और ब्रह्मचर्यके बीच अनिवार्य सम्बन्ध जोड़ने जाकर हम न सिर्फ अतिशयताके ही दोषमें पड़ेंगे, किन्तु इस बातका भी पूरा भय है कि ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाला विद्यार्थी व्यायाममें पीछे रहा तो भूलमें पड़कर अपना विचारदोष सुधारनेके बदले, ब्रह्मचर्यकी निन्दा करके, उसे ही न त्याग दे।

ब्रह्मचर्यको शरीरबलके आश्रय या ओटकी जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्यकी आवश्यकता दूसरे तरीकेसे और बहुत अधिक अच्छी तरहसे सिद्ध की जा सकती है। पश्चिमके पास शारीरिक बल, मानसिक-बल इत्यादि सम्पत्ति भले ही हो, मगर उसके पास आत्मबल कहाँ है? जो घड़ी-घड़ीमें विकारके वश हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति हम देख सकते हैं। जो अपना विरोध जरा भी नही सह सकता, जिसका मनोबल, उद्योग और पराक्रम दूसरी प्रजाको लूटनेमें, उसका नाश करनेमें इस्तेमाल होता है, उसकी शरीर सम्पत्तिसे ईर्ष्या ही कैसी? उसका अनुकरण ही किसलिए? उसका सारा बल अब्रह्मचर्यके साथ सम्बन्ध रखनेवाला है, इसलिए वह जगतकी शुद्ध उन्नतिका घातक सिद्ध हुआ है और इसीलिए मैंने उसे राक्षसी कहा है। यहाँ मैं पश्चिमकी अवगणना करना नहीं चाहता। पश्चिममें नीतिकी, सत्यकी पूजा करनेवाले बहुत लोग पड़े हुए हैं। बहुतसे ब्रह्मचारी भी पड़े ही हुए हैं। मैं जिस दुःखद वेगका वर्णन कर रहा हूँ, उसे वे समझते है। इसलिए पश्चिमकी समग्र प्रवृत्तिका, परिणामोंका वर्णन हम जानबूझ कर, उनके प्रति मान और प्रेम रखकर भी कर सकते हैं। पश्चिमकी सभ्यता अगर ब्रह्मचर्यके आदर्श पर रची गई होती तो आज जगतकी स्थिति दूसरी ही प्रकारकी और दयाजनक होनेके बदले सुन्दर होती।

यों जगत्के अन्दर अब्रह्मचर्यके दुःसह परिणामोंको पहचान कर, हमें ब्रह्मचर्यका आदर्श स्वतन्त्र रूपसे प्रजाके आगे रखना चाहिए। ब्रह्मचर्यके विना आत्माका पूर्ण विकास असम्भव है। ब्रह्मचर्यके बिना मनुष्य बेलगाम हृष्ट-पुष्ट किन्तु जंगली घोड़ेके समान भले ही रहे, मगर वह सभ्य नहीं बन सकता। ब्रह्मचर्यके विना सात्विक सतत्

उद्योग और सात्विक पराक्रम असम्भव है। ब्रह्मचर्यके विना मन बलवान्-सा भले ही लगे, मगर वह हजारो तरहके विकारो और प्रलोभनोका गुलाम हो कर चलेगा। और ब्रह्मचर्यके विना शरीर भले ही पुष्ट हो जाये, किन्तु वह वैद्यककी दृष्टिसे पूर्ण आरोग्य तो कभी पा ही नही सकता। शरीरकी चर्बी बढ़ाना, उसकी मास-पेशियाँ मजबूत करना आवश्यक नही है। जो शरीर सूखी लकड़ी-सा होनेपर भी सर्दी, गर्मी वर्षा सभी सहन कर सकता है और जो सम्पूर्णतासे नीरोग रह सकता है, ऐसा आरोग्यवान् शरीर ब्रह्मचर्यके विना असम्भव है। यह मेरा थोड़े दिनोका अनुभव नही है, किन्तु दीर्घकालका अनुभव है। मै इसके असख्य दृष्टान्त अपने जीवनमें से, अपने साथियोंके जीवनमेंसे दे सकता हूँ कि किस तरह एक-एक मनोविकारसे मनुष्य-शक्तिका, उसकी आत्माका हनन होता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि शरीर क्षीण हो तो हो जाये, तब भी आत्मार्थीको ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिए।

हमारे विद्यार्थियोंके शरीरकी और मनकी दुर्बलताके कारण जुदा ही है। इनमें बाल-विवाह, हम सबके दुखका कारण बाल-विवाहसे उत्पन्न सन्तान कुटुम्ब-जालका बोझा, गरीबीके कारण सात्विक खुराककी अपूर्णता या अभाव वगैरा आते है। बाल-विवाहको अब्रह्मचर्यमें गिनकर निकाल डालनेकी भूलमें पाठक न पड़ें। विद्यार्थियोमें बचपनसे जो कुटेवें घर कर गई हैं, उन कुटेवोको निकालनेके लिए जबर्दस्त प्रयत्नकी जरूरत है। समाजके घातक रिवाज सुधारे जाने चाहिए, शिक्षाका कृत्रिम बोझ कम किया जाना चाहिए। किन्तु यह विषय ही दूसरा है। इसलिए इसकी चर्चा यहाँ नही करूँगा। इतना ही कह दूँगा कि केवल व्यायामसे ही हमारे विद्यार्थियोका शरीर नही बन सकता। सभी दिशाओमें एक-सा प्रयत्न जब हो तभी हम यथेच्छ परिणाम पैदा कर सकते हैं।

[गुजरातीसे]
नवजीवन २४-६-१९२८

५२४. विनाश-काले

सरकार बारडोलीके सम्बन्धमें जिस नीतिका आश्रय ले रही है वह कही उसके विनाशकालकी सूचक न हो। गवर्नर साहबने श्री मुन्शीको जो पत्र लिखा है वह दुःखजनक, दयाजनक और हास्यजनक है। यदि कोई बड़ा अधिकारी ऐसे गोममोल और लम्बे-लम्बे पत्र अपने बचावमें लिखता है तो उसके इस कामका विचार करके दुःख होता है, फिर उसपर दया आती है और अन्तमें वह दयाके योग्य तो हो नही सकता, इसलिए उसपर हँसी आती है।

माननीय गवर्नरने इस पत्रको लिखनेमें और युक्तियाँ देनेमें अपने पूर्वगामी गवर्नरोंको मात कर दिया है और वे ज्यों-ज्यों युक्तियाँ देते गये है, त्यों-त्यों फँसते गये है। अथवा यह कहना चाहिए कि उनके जिन सचिवोने उस पत्रका मसविदा तैयार किया, वे उनको उत्तरोत्तर फँसाते गये है। ये महोदय लगान बढ़ानेका समर्थन

करते हैं। इसके बजाय यदि वे लोगोंकी माँगके अनुसार जाँच-समितिकी नियुक्ति कर दें तो उससे लोगोंका और उनके समर्थकोंका भ्रम दूर होगा। यदि कोई मनुष्य अपने पास किसी वस्तुके होनेका दावा करे और उसमें उसको दिखानेकी शक्ति हो, फिर भी वह दिखानेसे इन्कार करे, किन्तु साथ ही आग्रहपूर्वक यह भी कहता जाये कि उसके पास यह वस्तु अवश्य है तो सब लोग उसे ढोंगी कहकर उसकी हँसी उड़ायेंगे। गवर्नर साहबके सम्बन्धमें भी ऐसा ही हो रहा है।

गवर्नर साहबके समर्थक उनके प्रचार विभागके अधिकारीने तो और भी हद कर दी है। उन्होंने महादेव देसाईकी बताई हुई पठानोंकी अनुचित कार्रवाइयोंका ब्यौरेवार खण्डन करनेका प्रयत्न किया है। यदि लोगों पर अन्याय होता है, तो वे उसके विरुद्ध पुकार करते हैं यह सनातन पद्धति है। किन्तु राज्य इस पुकारकी तटस्थ होकर स्वतन्त्र जाँच करनेके बजाय अपराधियोंको अपने सामने बुलाता है, और उनका एकतर्फा जवाब सुनकर आरोप-कर्त्ताओंको भगा देता है और ऐसा करके अपने आपको कृतार्थ मानता है। इस समय इस राज्यका तरीका यही दिखाई देता है। लोगोंकी शिकायत सच्ची है या झूठी है वे इसकी जाँचके लिए स्वतन्त्र पंचकी माँग करते हैं। सरकार उनकी इस माँगको कैसे माने? अपराधी शासक ऐसे पंचकी नियुक्ति कैसे होने दें? कैसे इस माँगको मंजूर करने दें?

सरकार कहती है कि बारडोलीके कुछ बनिए पठानोंको चौकीदारी आदिके लिए नौकर रखते हैं। उनके विरुद्ध तो कोई शिकायत नहीं करता। तब यदि सरकार उनको नौकर रखती है तो उसमें क्या दोष है? मानो एक अपराध दूसरे अपराधको ढक सकता है। फिर बनिए या कोई दूसरे लोग पठानोंको नौकर रखते हैं तो यह बात लोगोंको नहीं चुभती, यह सरकारने कैसे जाना? तथ्य यह है कि गुजरातमें पठानोंको चौकीदारी आदि कामोंके लिए नौकर रखनेकी लोगोंकी आदत बढ़ती जाती है। इससे लोग त्रस्त हैं। इसका दण्ड अन्तमें उनको नौकर रखनेवाले लोगों और अन्योंको अवश्य भोगना होगा। सरकार यह कहती है कि सभी पठान विदेशी नहीं हैं, यह कथन तो उसका निरा भोलापन बताता है। लोगोंको पठान शब्द नही चुभता। उनको पठान जातिसे कोई विरोध नही है। लोगोंको विदेशियोंके विरुद्ध विदेशी होनेके कारण आपत्ति नहीं हो सकती। पठानोंमें बहुत-से लोग वीर और सज्जन हैं। उनका स्वागत लोग सदा करेंगे। किन्तु यहाँ पठानका अर्थ गुण्डा और हत्यारा है। दुर्भाग्यसे पठानोंमें ऐसे दुष्कर्मी लोग मौजूद हैं। वे अपने पहाड़ी प्रदेशसे धनकी खोजमें हिन्दुस्तानमें आते हैं। हिन्दुस्तानके लोग और उनमें विशेषतः गुजरातके निःशस्त्र, भीरु और शान्तिप्रिय लोग ऐसे पठानोंसे डरते हैं। अच्छे, वीर और सज्जन पठान दरबान या चौकीदारकी नौकरीकी खोजमें हिन्दुस्तानमें नही आते। बनिए और दूसरे लोग पठान नौकर ढूँढ़ते और रखते हैं तो उनकी आतंककारी शक्तिके कारण ही। गुजराती गुजरातीका मुकाबला कर सकता है। इसलिए गुजरातीको नौकर रखनेसे डरपोक बनिएको सन्तोष नहीं होता। वह अपने आपको सुरक्षित नहीं मानता। इससे जो नुकसान होता है वह उसको अपनी संकुचित दृष्टिके कारण नहीं देख सकता। किन्तु

ब्रिटिश सरकार जैसी शक्तिशाली सरकार मीरु लोगोका अनुकरण करके पठानोंको लोगोके सिर पर खड़ा कर दे, इसका क्या अर्थ होता है? यह कही 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि' का उदाहरण तो नही है? इस सरकारने कभी ऐसा किया हो यह तो स्मरण नही आता।

गवर्नर साहबकी चिट्ठी और प्रचार विभागके अधिकारीकी विज्ञप्तिसे भी बढ़कर है कलक्टर साहबकी "किसानोसे शुभ सलाह।" इस "शुभ सलाह" पत्रिकामें किसानोसे कहा गया है कि वे "सावधान रहें" और "फँस न जायें।" इसमें मुझे आरम्भसे लेकर अन्त तक असत्य ही भरा दिखाई देता है। इससे मुझे दुःख हुआ है। कलक्टर साहब सत्याग्रहको दुराग्रह रूप मानते हैं। वल्लभभाई आदि नेताओंके लिए इस शासकने शब्दोका नया प्रयोग किया है। वल्लभभाई और उनके साथियोंके लिए उन्होने कहा है "उनके पास खेतीकी कोई जमीन नही है, जिसके जानेका उन्हें डर हो।" कलक्टर साहब अपने पदके गर्वमें यह नही देख सकते कि इन नेताओको जमीनसे हजार गुनी ज्यादा प्यारी अपनी इज्जत है और अपनी इज्जतसे भी ज्यादा प्यारी किसानोकी भलाई है। कलक्टर साहबने नेताओंको झूठा बतानेका प्रयत्न किया है और जो बात उन्होंने नही कही है उसको कहनेका दोष उनपर लगाया है और उनका जितना हो सके उतना अपमान करनेके बाद बारडोली और वालोडके किसानोंको यह अशुभ सीख दी है कि वे तुरन्त लगान दे दें और उन्होने जिस प्रतिज्ञाकी पुष्टि कई बार की है उसको भंग कर दें। बारडोली और वालोडके किसानोको जो ऐसा अनीतिमय और पतनकारी दण्ड दिया गया है उसका कमसे-कम जवाब यह है कि वे जबतक उनकी माँग स्वीकार नही की जाती तबतक लगान कदापि न दें। जमीन, घरबार, और ढोर-डंगर बहुत बार आते हैं और चले जाते है, किन्तु जो प्रतिज्ञा एक बार टूट जायेगी वह फिर नही सघ सकती, जैसे थूका हुआ फिर नही निगला जा सकता।

सरकारकी विपरीत बुद्धिका सच्चा दर्शन हमें गवर्नर साहबके श्री मुन्शीके साथ किये हुए पत्र-व्यवहारमें हुआ है। उसके परिणामस्वरूप श्री मुन्शी बारडोली गये, वहाँ उन्होने लोगोंकी स्थिति अपनी आँखोसे देखी और गवर्नरको प्रभावकारी और सप्रमाण पत्र लिखा। वे इसके लिए धन्यवादके पात्र हैं। उन्होंने यह विचार प्रकट किया है कि यदि सरकार जाँच-समिति नियुक्त न करेगी तो वे स्वयं ही एक समिति बनाकर जाँच करेंगे। उनका यह कदम बहुत अच्छा है। यदि समितिमें सभी मुख्य जातियोंके नेताओंको लेकर तुरन्त जाँच की जायेगी तो सत्याग्रहियोको अपना मामला लोगोंके सम्मुख रखनेका एक उत्तम अवसर मिलेगा। यह वांछनीय है कि यह समिति सरकारकी दमन-नीतिके सम्बन्धमें जाँच करके ही सन्तुष्ट न हो जाये; बल्कि लोगोंकी लगान सम्बन्धी शिकायतके बारेमें भी जाँच करे। इसमें कोई शक नही कि इस प्रकारकी समितिकी जाँचसे इस प्रश्नके निर्णयमें बहुत सहायता मिलेगी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २४-६-१९२८

५२५. पशु-सुधार

आश्रममें एक दुग्धालय है और उसके अन्तर्गत पशु-सुधारका प्रयोग चल रहा है, पाठक इस बातको जानते हैं। इस प्रयोगका पूरा वर्णन प्रस्तुत करनेका समय अभी नहीं आया है। किन्तु इस प्रयोगका एक उद्देश्य अच्छे साँड़ तैयार करना भी है। ऐसे दो साँड़ इस समय आश्रममें तैयार हो चुके हैं। जिन्हें गो-सेवामें रुचि है अथवा जो अपनी गायोंकी नस्ल सुधारना चाहते हैं उनको मेरी सलाह है कि वे इन साँड़ोंको देखें और यदि उनको उनकी जरूरत हो तो मन्त्रीसे मिलकर उनकी कीमत वगैरा जानें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २४-६-१९२८

५२६. शब्द-कोश

एक आश्रमवासी, आश्रम नियमावली पढ़कर व्रतोंकी नीचे लिखी टीका करते हैं और फिर खुद 'शब्द-कोष' शीर्षक देकर अपनी बनाई व्याख्या देते हैं:

> आश्रमके व्रतोंकी व्याख्या सम्पूर्ण होनेपर भी वे सहज ही समझमें नहीं आते हैं। यह साफ दिखलाई नहीं पड़ता कि करना क्या है, इसलिए मैंने अपनी समझके अनुसार उनके अर्थ लिखे हैं या यों कहिए कि शब्द-कोष बनाया है।
>
> सत्य — चाहे जहाँ हो, कृत्रिमताका त्याग करना। अपने मूल स्वभावकी खोज करनी।
>
> अहिंसा — क्या मनुष्य, और क्या पशु, किसीको कष्ट नहीं पहुँचाना। जब-जब झगड़ोंसे क्लेश पैदा हो, तब क्लेशमें दूसरोंको शामिल करनेका प्रयत्न न करते हुए, अपने आप ही सारा क्लेश झेल लेना।
>
> ब्रह्मचर्य — स्थूल और सूक्ष्म सभी आवेगोंको उभरते ही जला डालना, दबा लेना। सदैव प्रसन्न रहना। पवित्र वस्तुओंमें चौबीसों घंटे एकाग्र रहना।
>
> अस्वाद — कड़कती हुई भूख लगनेपर खाने बैठना और आधे पेट ही उठ जाना। जिस खूराकको तैयार करनेमें बहुतोंकी मेहनत लगी हो, ऐसे भोजनके पास फटकना भी नहीं।
>
> अस्तेय — अपनी जरूरतें दिनों-दिन कमसे-कम करते जाना। कलसे आजकी जरूरतें कम होनी चाहिए।

अपरिग्रह — हर होली या दिवालीको रु० २५ से अधिक जितने रुपये हों, वे सब अपने पाससे निकाल देना। एक सालसे अधिकका खर्च किसीके पास न रहना चाहिए। (एक सालका भी खर्च किस लिए? मो० क० गांधी)

शारीरिक परिश्रम — कामचोरी न करना।

स्वदेशी — पड़ोसियोंके प्रति बेवफा न बनना।

अभय — यस्मान्नोद्विजते लोको, लोकान्नोद्विजते च यः।

अस्पृश्यता निवारण — पामर, हीन-दीन जैसा लगने और गिने जानेवाला आदमी भी मुझसे अधिक हीन-दीन और पामर नहीं है — ऐसी तीव्र भावना।

सहिष्णुता — इस अभिमानका त्याग कि जिसे मैं नहीं देखता वह हो ही नहीं सकता।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २४-६-१९२८

५२७. पत्र : सदानन्दको

आश्रम
साबरमती
२४ जून, १९२८

प्रिय सदानन्द,

संलग्न पत्र सहित आपका पत्र मिला।

मुझे असमके बागान-मालिकोंसे मिलनेका सौभाग्य तो अवश्य प्राप्त हुआ था। लेकिन मैंने उन्हें यह कहा हो कि मैं उनके मजदूरोंकी स्थितिसे सन्तुष्ट हूँ — यह तो मुझे बिलकुल याद नही आता। उलटे, मुझे याद है कि मैंने उन्हें कहा था कि यह यात्रा मैं जल्दीमें कर रहा हूँ, अतः मैं यहाँ बागानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंकी स्थितिके बारेमें कोई सुनिश्चित राय देनेकी स्थितिमें नही हूँ और मैंने उन्हें यह बताया था कि मजदूरोंकी समुचित स्थितिका मेरा माप-दण्ड क्या है।

मैं इस बात पर कभी सहमत नही हुआ और न ऐसी सहमतिका कभी कोई अवसर ही आया कि मैं मजदूरोंके बीच राजनीतिक आन्दोलनसे दूर रहूँ। कारण, मैंने हमेशा यह माना है कि मजदूरोंके बीच राजनीतिक आन्दोलन नही चलाना चाहिए। मजदूरोंके सम्बन्धमें मैं अपने-आपको उनकी निजी विशिष्ट शिकायतों तक ही सीमित रखता हूँ। चम्पारनमें और उसके बाद भारतके दूसरे भागोंमें जहाँ-कहीं भी मुझे उनसे सम्बन्धित काम करनेका मौका आया है मैंने यही किया है।

आप इस पत्रका जैसा चाहें उपयोग कर लें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३४३०) की फोटो-नकलसे।

५२८. पत्र : लिली मुथुकृष्णाको

आश्रम
साबरमती
२४ जून, १९२८

प्रिय बहन,

इसके साथ मुथुकृष्णाकी पत्नी और बच्चोंके पते[1] दे रहा हूँ। उनके बहनोई श्री पिल्लैने यह पते दिये थे। श्री पिल्लै डर्बन मजिस्ट्रेटकी कचहरीमें भारतीय दुभाषिया है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३४३५) की माइक्रोफिल्मसे।

५२९. पत्र : नीलकण्ठको

आश्रम
साबरमती
२४ जून, १९२८

प्रिय नीलकण्ठ बाबू,

छगनलालको शुक्रवारके दिन भेजनेका पूरा इन्तजाम कर लिया गया था। परन्तु उसी दिन एक आकस्मिक घटनाके कारण मैं उसे आपके पास न भेज सका। अब मैं उसे रोके हुए हूँ, परन्तु आशा है कि अनिश्चित काल तक नहीं रोक रखूंगा।

ऐसी उम्मीद है कि घबराये हुए कार्यकर्त्ताओंको सान्त्वना देनेके लिए श्रीयुत अमृतलाल ठक्कर थोड़े समय तक आपके पास रहेंगे। परन्तु यदि मैं छगनलालको न भेज सकूं, तो ऐसे दूसरे आदमीकी तलाश कर रहा हूँ जो उसकी जगह ले सके। परन्तु इस बीच आप मुझे बता दीजिए कि क्या आपको बरसातके मौसममें सचमुच ही किसीकी जरूरत होगी? क्या आप इस मौसममें चरखेका कुछ ज्यादा काम कर सकते हैं? कृपया तारसे उत्तर दीजिये कि क्या आप किसीको शीघ्र ही चाहते हैं और क्या आप छगनलाल गांधीकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति ले सकते हैं?

मुझे आशा है कि उस बड़ी विपत्तिकी चोटसे व्याकुल आप सब लोगोंका मन अब कुछ शान्त हुआ होगा और आप सब गोपबन्धुबाबूका काम और अधिक उत्साहसे कर रहे होंगे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३४३६) की माइक्रोफिल्मसे।

१. पते उपलब्ध नहीं हैं।

५३०. पत्र : के० नटराजनको

आश्रम
साबरमती
२४ जून, १९२८

प्रिय श्री नटराजन,

. . . 'इंडियन डेली मेल' में आपकी सम्पादकीय टिप्पणीके सम्बन्धमें मात्र इतना कहना चाहूँगा : आपने कृपापूर्वक बारडोली-निधिके लिए चन्दा दिया उस वक्त हमारी आपसी बातचीतकी आपके मन पर जो भी छाप रह गई हो मैं आपको कभी यह सूचित नहीं करना चाहता था कि मैं केवल बारडोली-पीडितोके लिए धन-संग्रह कर रहा हूँ। हाँ, मै उनमें बारडोली-पीडितोकी भी गिनती अवश्य कर रहा था। परन्तु श्री वल्लभभाईने मुझे बताया है कि अभी तक जिन्हें पीड़ित कहा जा सके ऐसे कोई बारडोली-पीडित हैं ही नही। उन्होंने कहा है कि बारडोलीके किसान इतने स्वाभिमानी है कि जबतक वे काम चला सके तबतक सहायता स्वीकार नही करेंगे। निस्सन्देह संघर्षकी प्रारम्भिक दशामें उन्होने ही उन असख्य कार्यकर्त्ताओका बोझ सँभाला है, जो श्री स्मार्टकी भाषामें "बारडोलीके गरीब लोगोंपर आश्रित आन्दोलनकारियोंके जमघट" से ज्यादा कुछ नही थे। परन्तु जब संघर्षने जोर पकडा और जब्तियाँ प्रतिदिनकी बात हो गईं और जब भैसें भी, जो किसानोंका वास्तविक धन और उनकी खेतीका प्रधान आधार थी, जब्ती अधिकारियोकी शिकार होने लगीं, तब बारडोली और वालोड ताल्लुकोंके लोगोंके लिए यह रोज-रोज बढ़ता हुआ खर्च उठाना असम्भव हो गया। यही कारण था कि श्री वल्लभभाईने आर्थिक सहायताके लिए जनतासे अपील की, जिसका हमारे देशवासियोने तत्काल और इतना उदार उत्तर दिया है। परन्तु श्री वल्लभभाई चाहते है कि उन लोगोंसे, जिनकी संघर्षके साथ कोई सहानुभूति नही है और जो अपने दानको पीड़ितों तक ही सीमित रखना चाहते है, चन्दा न लिया जाये। क्योकि उनका यह दृढ मत है कि उस दशामें ऐसी सहायता लेना गलत होगा जब कि चन्देका अधिकतम भाग प्रचार कार्यालयका काम चलानेके लिए और उन बहुतसे स्वयसेवकोंके पालन-पोषणके लिए इस्तेमाल किया जाना है, जिन्हें कोई तनख्वाह नही मिलती और जो कोई तनख्वाह नहीं माँगते, परन्तु जिनका पेट अवश्य भरना है। इसलिए मुझे इच्छा न रहते हुए भी आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि जबतक आपने अपनी सहायताकी जो सीमा बाँधी है उसे हटानेकी बात आप नही सोचते और संघर्षका उसके गुणोंके आधार पर समर्थन नही करते, मैं आपका चन्दा स्वीकार नही कर सकता। मै यह भी कह दूँ कि आपका लेख पढ़नेके बाद मैं निजी तौरपर चन्दा देनेवाले अधिकाश मुख्य दाताओंसे मिल चुका हूँ और उन्होने मुझसे कहा है कि उनकी ऐसी कोई धारणा नही है कि उनके चन्देके उपयोगपर इस

तरहकी रोक लगाई जायेगी और उन्होंने मेरे इस विचारका समर्थन किया है कि वे जानते थे कि चन्देका उपयोग उपर्युक्त उद्देश्यके लिए ही किया जाना है और उन्होंने चन्दा इसीलिए दिया है, क्योंकि उन्हें संघर्षके साथ पूरी सहानुभूति है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत के० नटराजन
सम्पादक
'इंडियन डेली मेल'
बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १४४४६) की माइक्रोफिल्मसे।

५३१. पत्र : विट्ठलभाई पटेलको

२५ जून, १९२८

भाईश्री विट्ठलभाई,

आपका पत्र मिला। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पत्र एक दिन देरसे मिलते हैं। छोटा पत्र शनिवारको और बड़ा कल रविवारको मिलना चाहिए था, किन्तु दोनों देरसे मिले। डाक यहाँ [पोस्ट] आफिसमें खोली तो नहीं जाती, लेकिन यदि ऐसा होता हो तो यह जानना जरूरी ही है कि वहाँ से पत्र डाकमें देरीसे तो नहीं डाले गये थे?

आपने बड़े पत्रमें जो लिखा है वह मुझे बहुत अच्छा लगा है। सरदारकी आबरू योग्य रीतिसे रखी जा सके तो जरूर रखें, पर लोकहित खोकर नहीं। आपकी तरह मैं भी मानता हूँ कि अब समझौता किये बिना सरकारका निस्तार नहीं है। 'स्टेट्समैन' का लेख आपने देखा है? उसमें सरकारके पक्षकी निर्बलता कबूल की गई है।

आप स्पीकर रहते हुए जो करें, अभी वही काफी है। मुझे नहीं लगता कि इस समय इस पदको छोड़ना ठीक होगा।

आपके पत्र देरसे आनेका कारण मालूम हो गया है। आप ठिकाना अहमदाबाद लिखते हैं, होना चाहिए साबरमती।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (एस० एन० १४४४७) की माइक्रोफिल्मसे।

५३२. पत्र : रामनाथको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२७ जून, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। दुर्भाग्यसे यह सही है। परन्तु अभी हम ऐसी स्थिति पर नहीं पहुँच सके है कि हम खादीका धागा बना सके। इसमें कुछ वक्त लगेगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत रामनाथ
ओवरसियर
डा० शेखवाहन
बहावलपुर रियासत

अंग्रेजी (एस० एन० १३४३२) की माइक्रोफिल्मसे।

५३३. पत्र : गोवर्धनभाई आई० पटेलको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२७ जून, १९२८

प्रिय गोवर्धनभाई,

आपका पत्र[1] मिला। इसमें आपके और मेरे बीच और उसके बाद सेठ मंगलदास और मेरे बीच हुई बातचीतका सार तो आ जाता है किन्तु इस सम्बन्धमें मैं अपने विचार इस भाषामें रखना चाहूँगा :

१. गोवर्धनभाई आई० पटेलने अपने पत्रमें दूसरी बातोंके साथ यह लिखा था : आपके साथ हुई निजी चर्चाओंसे मैंने और सेठ मंगलदासने यह समझा है कि आपको संयुक्त प्रशासनके सम्बन्धमें कुछ सैद्धान्तिक आपत्तियाँ हैं. . . साथ ही मैं यह समझा हूँ कि आप हमें यह सलाह देते हैं कि हम अपनी समिति बनायें, जिसका नाम निरीक्षण समिति रखा जाये और उसे यह अधिकार हो कि वह मजदूर-संघके स्कूलोंकी कार्य-विधि और खर्चकी छानबीन और निरीक्षण करे। यह समिति समय-समयपर जो शर्तें रखे और सुझाव दे वे मजदूर संघ द्वारा कार्यान्वित किये जायेंगे और यदि मजदूर संघ उनका पालन नहीं करेगा तो उक्त स्कूलोंको अनुदान मिलना अपने-आप बन्द हो जायेगा।

दान देनेवालोंको इस बातकी छूट है और मजदूर संघ स्वयं भी उन्हें इसके लिए आमन्त्रित करता है कि वे एक निरीक्षण समिति नियुक्त करें, जिसे संघ द्वारा चलाये गये स्कूलोंकी कार्य-विधि और खर्चकी छानबीन करने और निरीक्षण करनेका अधिकार होगा। और समितिसे निरीक्षणकी रिपोर्ट मिलनेपर दान देनेवालोंको स्कूलोंके सम्बन्धमें शर्तें लगाने या सुझाव देनेका और यदि मजदूर संघ इन शर्तों और सुझावोंको कार्यान्वित न करे, तो स्कूलोंको दिये जानेवाले अनुदानको स्थगित कर देनेका भी अधिकार होगा। परन्तु इसमें शर्त यह होगी कि दान देनेवाले इस तरहके अनुदानको रोकनेसे पहले, यदि मजदूर संघ उन शर्तों और सुझावोंको कार्यान्वित न कर सके और उसके सम्बन्धमें कोई स्पष्टीकरण देना चाहे, तो उसे सुन लें।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत गोवर्धनभाई आई० पटेल
सदस्य, अहमदाबाद मिल तिलक स्वराज्य-कोष समिति
लालावासाकी गली
साँकड़ीसेरी, अहमदाबाद

अंग्रेजी (एस० एन० १३४३९) की माइक्रोफिल्मसे।

५३४. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२७ जून, १९२८

प्रिय सतीशबाबू,

आपका पत्र मिला। गांधीवाद विरोधी भावनाको रोकनेकी आपकी आतुरताको मैं समझता हूँ, परन्तु आपको इसका विरोध गांधीवादी भावनासे ही करना होगा और वह यह है कि आप विरोधी शक्तिको बिना प्रतिरोधके अपने आप चुक जाने दीजिए। मेरा अभिप्राय क्या है, यह मैं पत्र-व्यवहार द्वारा नहीं समझा सकूँगा। मुझे निश्चय है कि आपका काम यह नहीं है कि आप अपनी शक्ति प्रतिरोधमें नष्ट हो जाने दें, बल्कि यह है कि इसे अपने रचनात्मक कार्यको सँजोनेमें लगायें। आपने जो प्रश्न उठाया है यह नया नहीं है। जब मैंने बेलगाँवमें अध्यक्षता की थी, यह उस वक्त भी उठा था और श्यामबाबू तथा कुछ-एक दूसरे लोगोंके विरोधके बावजूद मैंने असहयोगियोंसे कहा था कि वे बिलकुल प्रतिरोध न करें। मुझे तबसे कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दी, जिससे कि मेरा विचार बदल जाता। परन्तु हमें इस सवाल पर, जब हम मिलें, तब चर्चा करनी चाहिए। जब मुझे महसूस होगा कि वक्त आ गया है, तब मैं इसपर निश्चय ही लिखूँगा।

मुझे क्षितीशबाबूका पत्र बहुत पसन्द आया। उसमें एक भी अनावश्यक शब्द नही है। मैंने जिस अप्रतिरोधका सुझाव दिया है, उसमें सर्व-साधारण जनताके लिए इस तरहके अनुदेश शामिल नही हैं।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ८९१८) की फोटो-नकलसे।

५३५. पत्र : आर० बी० ग्रेगको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२७ जून, १९२८

प्रिय गोविन्द,

तुम्हारा पत्र मिला। संविधानके[1] विषयमें तुम्हारे सुझावके सम्बन्धमें मैं तुम्हारा पत्र नारायणदासके पास भेज रहा हूँ और उसकी एक प्रति शंकरलालको भी भेज रहा हूँ।

महादेव अभी रोगशय्या पर पड़ा हुआ है। और अभी कुछ वक्त वैसा ही रहेगा। उसे तकलीफवाले हिस्सेमें रह-रहकर उठनेवाला तीव्र दर्द होता है।

कमसे-कम अक्तूबरसे पहले मेरे आश्रमसे बाहर जानेकी सम्भावना नही है। और तब भी अगर जा सका तो।

हृदयसे तुम्हारा,

[पुनश्च :]

तुम्हारी महान् कृतिमें[2] मुझे सांकेतिकाका अभाव खटकता है। पता नही तुम्हारे पास उसके लिए समय है या नही। मैं समझता हूँ कि मुझे यह काम तुमपर नहीं थोपना चाहिए। परन्तु जबतक मैं वरदाचारी या महादेवसे, जो फिलहाल कामके बोझसे लदे हैं, न कहूँ, मेरी समझमें नही आता कि मैं और किसके पास जाऊँ। हर बार जब मैं पुस्तककी तरफ देखता हूँ, मुझे सांकेतिकाका अभाव खटकता है।

अंग्रेजी (एस० एन० १३४३४) की फोटो-नकलसे।

१. आश्रमका।

२. इकोनोमिक्स ऑफ खद्दर।

५३६. एक संशोधन

कुमारी श्लेसिन, जिनका उल्लेख मैंने अपनी 'आत्मकथा'के अध्यायोंमें[1] किया है, किसी कन्या महाविद्यालयकी आचार्या नहीं है, बल्कि एक विद्यालयमें शिक्षिका है, मैंने उन्हें आचार्या बताया है। इस भूलसे उन्हें दुःख हुआ है। इसका मुझे खेद है। मैं निस्संकोच कह सकता हूँ कि इस भूलके लिए वे किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २८-६-१९२८

५३७. पर्दा दूर हुआ समझो

बिहारके कई एक अत्यन्त प्रभावशाली पुरुषों और करीब उतनी ही महिलाओंके हस्ताक्षरसे युक्त एक तर्कसंगत अपील अभी हाल ही में बिहारमें निकली है जिसमें पर्दा पूरी तरह हटा देनेकी सलाह दी गई है। उसपर कोई पचाससे भी अधिक महिलाओंने हस्ताक्षर किये हैं, इस तथ्यसे यह जाहिर है कि अगर जोरोंसे काम चलता रहा तो बिहारमें पर्दा एक पुरानी कहानीके रूपमें ही रह जायेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि हस्ताक्षर करनेवाली महिलाएँ अंग्रेजियतके रंगमें रंगी हुई नहीं, बल्कि धर्मपरायण हिन्दू महिलाएँ हैं। इस अपीलमें निश्चयपूर्वक कहा गया है कि:

> हम यह चाहते हैं कि हमारे प्रान्तकी महिलाएँ घूमने-फिरने और सामाजिक जीवनमें सब तरहसे न्यायोचित भाग लेनेमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और मद्रासकी बहनोंकी तरह स्वतन्त्र हों। परन्तु उनका यह रहन-सहन पूरी तरहसे भारतीय ढंगका होना चाहिए और उसे अंग्रेजीयत लानेकी सब कोशिशोंसे बचना चाहिए। क्योंकि जहाँ हम यह महसूस करते है कि महिलाओंपर लादे गये एकान्तवासको पूरी तरह अंग्रेजी रहन-सहनमें बदलनेका अर्थ होगा — खजूरसे गिरा झाड़में अटका वहाँ हम भी महसूस करते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएँ भारतीय आदर्शोंके अनुरूप उन्नति करें, तो पर्दा अवश्य हट जाना चाहिए। यदि हम यह चाहते हैं कि वे हमारे सामाजिक जीवनमें शोभा और सौन्दर्य लायें और इसके नैतिक स्तरको ऊँचा उठायें, यदि हम चाहते हैं कि वे घरकी कुशल प्रबन्धक हों, अपने पतियोंकी सहायक सहचरियाँ हों और समाजकी उपयोगी सदस्य हों, तो पर्दा जैसा कि यह इस वक्त मौजूद है अवश्य हट जाना चाहिए। वास्तवमें उनके कल्याणके लिए तबतक और कोई गम्भीर कदम नहीं उठाया जा

१. भाग ४, अध्याय १२।

सकता जबतक घूँघट फाड़ कर फेंक न दिया जाये। और यह हमारा विश्वास है कि यदि हमारी आधी जनसंख्याकी शक्तिको, जो बनावटी तरीकेसे बन्द करके रखी गई है, मुक्त कर दी जाये तो इससे वह शक्ति पैदा होगी जो, यदि उसे सही निर्देशन दिया जाये, तो हमारे प्रान्तके लिए असीम हितकर होगी।

मै विहारमें पर्देके बुरे परिणामोको जानता हूँ। इस आन्दोलनको शुरू करनेमें जरा भी जल्दबाजी नही की गई है।

इस आन्दोलनकी शुरूआत जरा विचित्र ढंगसे हुई। श्री रामनन्दन मिश्र खादी कार्यकर्त्ता है। वे अपनी पत्नीको पर्देके कैदखानेसे छुड़ाना चाहते थे। चूँकि उनके सम्बन्धी उनकी पत्नीको आश्रममें नही आने देते थे, वे आश्रमसे दो लड़कियोको उसके साथ रहनेके लिए ले गये। उनमेंसे एक, स्व० मगनलाल गांधीकी लड़की राधा बहनको उसे शिक्षा देनेका काम करना था। उसके साथ स्व० श्री दलबहादुर गिरिकी लड़की दुर्गादेवी गई थी। आश्रमकी लडकियोकी, श्रीमती मिश्रसे पर्दा छुडवानेकी कोशिश इस बालिका-पत्नीके माता-पिताको बुरी लगी। इन लड़कियोने सभी कठिनाइयोंका सामना बड़ी बहादुरीसे किया। इसी बीच मगनलाल गाधी अपनी पुत्रीसे भेंट करने और सारी कठिनाइयोंके बावजूद अपनी कोशिश जारी रखनेके लिए उसका दिल मजबूत करनेके लिए वहाँ गये। जिस गाँवमें राधाबहन काम करती थी, वही वे बीमार पड़े और पटनामें आकर उनका देहान्त हो गया। इसलिए बिहारके मित्रोने पर्देके विरुद्ध युद्ध ठानना अपनी आनका मामला बना लिया। राधाबहन अपनी शिष्याको यहाँ आश्रममें ले आई। उसके आश्रममें आनेसे और भी हलचल मची और उसके पतिके लिए, जो पहलेसे ही तैयार थे, इस आन्दोलनमें और भी उत्साहसे भाग लेना लाजिमी हो गया। इस तरह आशा है कि यह आन्दोलन जिसमें थोड़ा-सा व्यक्तिगत रंग है, जोरोंसे चल निकलेगा। इसके नेता बिहारके पुराने मजे हुए सैनिक, बहुतसे संघर्षोंके नायक बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद है। मुझे याद नही कि उन्होने कभी किसी आन्दोलनमें नेतृत्व किया हो, और फिर वह आन्दोलन बन्द हो गया हो।

अपीलमें इस पर्दा-प्रथाके विरुद्ध जो कि आज बिहारकी आधी मानव-जाति पर समाज-सेवा न करनेका क्रूर अंकुश लगाये हुए है और कई मामलोमें इसे स्वतन्त्रतासे तथा प्रकाश और स्वच्छ वायुके सेवनसे भी वंचित रखती है, जोरोसे आन्दोलन शुरू करनेके लिए अगली ८ जुलाईका दिन निश्चित किया गया है। जितनी जल्दी हम समझ ले कि हमारी बहुत-सी सामाजिक कुरीतियाँ हमारे स्वराज्यका रास्ता रोक रही है, उतनी ही तेजीसे हम अपने प्रिय ध्येयकी ओर आगे बढ़ेंगे। स्वराज्य-प्राप्ति तक समाज-सुधारको स्थगित रखनेका अर्थ है कि हम स्वराज्यका मतलब ही नही जानते। यदि हम अपनी अर्द्धांगिनियोको निष्क्रिय और निष्प्राण-सी रहने दें तो हम न तो अपनी रक्षा ही कर सकेंगे और न दूसरे देशोके साथ स्वस्थ प्रतियोगिता ही कर सकेंगे।

इसलिए मैं बिहारके नेताओंको, सच्ची लगनके साथ पर्देके विरुद्ध संघर्ष शुरू करनेके लिए बधाई देता हूँ। सामान्यतः सभी सुधारोंकी सफलता कार्यकर्त्ताओंके चरित्रकी पवित्रता पर निर्भर होती है। यह बात इस सुधारके बारेमें तो विशेष रूपसे लागू होती है। अतः इस अपीलपर हस्ताक्षर करनेवाली महिलाओंपर बहुत कुछ निर्भर है। अगर वे पर्दा छोड़ देने पर भी भारतीय स्त्रीत्वका असली शील और विनय बनाये रखें, और बड़ी-बड़ी कठिनाइयोंके सामने भी साहस और दृढ़ निश्चय दिखायें तो उन्हें सफलता शीघ्र ही मिलेगी। पर्देके विरुद्ध आन्दोलन अगर ठीक-ठीक चलाया जाये तो यह बिहारकी स्त्रियों और पुरुषों, दोनोंके लिए सही किस्मकी सार्वजनिक शिक्षाका साधन बन जायेगा।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-६-१९२८

५३८. पत्र : पार्वतीको

आश्रम
साबरमती
३० जून, १९२८

चि० पार्वती,

दक्षिण आफ्रिकासे तार मिला है कि प्रागजी केस जीत गये है। तुम्हारी तबीयत अच्छी रहती होगी। कभी-कभी खत लिखा करो। सुख-दुःखमें भाग नहीं ले सकता तब भी तुम्हारा हाल मालूम हो यह इच्छा तो होती ही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५०३२) की फोटो-नकलसे।

५३९. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

आश्रम

[३० जून, १९२८][1]

मुझे लगता है कि बारडोलीके बारेमें अब सरकार समझौता करके ही छूट सकती है। मुझे . . .[2] मिल गया है। उसने यह वचन तो दिया था कि हमारी माँगको कम करनेके लिए वह कोई कदम नहीं लेगा। इस समय क्या हो रहा है इसकी खबर नहीं है। किन्तु सत्याग्रहके मूलमें ही लोगोंकी हिम्मत, दृढता और शान्तिकी कसौटी है न?

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी

५४०. पत्र : ताराबहन जसवानीको

३० जून, १९२८

चि० ताराबहन,

तुमने रंगून पहुँचनेके बाद बिलकुल पत्र नहीं लिखा। तुम्हें पेटीवाला चरखा भेजनेके लिए दीवालीने लिखा है, वह भेजनेके लिए कह दिया है। वहाँ एक चरखा तो होना ही चाहिए। तबीयत ठीक रहती है न? खूब परिश्रम करते रहनेकी जरूरत है। इन दिनों यहाँ आश्रममें बहुतसे फेरफार हो गये हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ८७८२) की फोटो-नकलसे।

१. साधन-सूत्रके अनुसार।

२. नाम यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

५४१. पत्र : कुवलयानन्दको

३ फरवरी, १९२८[1]

प्रिय भाई,

आपका कृपा पत्र मिला। मैंने यौगिक क्रियाएं कतई नहीं छोड़ी है। शायद शवासन मैं योग्य प्रकारसे नही कर पाता। मै श्वास तो उसी प्रकार लेता हूँ जैसा कि आपने बताया है लेकिन मैंने अपनी खूराकमें आमूल परिवर्तन कर दिया है। धार्मिक कारणोंसे दूधके प्रति मेरी नापसन्दगी आप जानते हैं। यात्रा आदिकी बात न होनेसे मै आहारमें मेवों और फलोंका प्रयोग करके देख रहा हूँ। इसे लगभग एक महीना हो गया है। मै दिनमें तीन बार एक तोला दूध जैसा बारीक पिसा हुआ बादाम, अधसिके सन्तरों या मुनक्कोंके साथ लेता हूँ। दो बार आधा आधा नारियल पीसकर और निचोड़कर उसका दूध निकालकर अधसिके कच्चे पपीते या कच्चे केलेके साथ लेता हूँ। कच्चा केला मैंने आज ही शुरू किया है। इस परिवर्तनके बादसे मैंने कोई सारक दवा नहीं ली है और कोठा पहलेसे कहीं अच्छा है। शायद आप यह परिवर्तन पसन्द नही करते। लेकिन यदि आप मुझे बर्दाश्त करके मेरा मार्गदर्शन कर सकें तो कृपया अवश्य करें। यदि आप कोई और आसन सुझाना चाहते हों तो कृपया सूचित करें। डा० मुथुकी सलाह पर मैंने एक महीनेसे रक्तचापकी जाँच बिलकुल करवाई ही नहीं है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ५०५४) की फोटो-नकलसे।

१. साधन-सूत्रमें "३-१-१९२८" दिया है। लगता है कि गलतीसे ३-२-१९२८के बजाय यह तारीख दे दी गई है। गांधीजीने ३१ दिसम्बर १९२७को आश्रम लौटनेके बाद खूराक सम्बन्धी प्रयोग शुरू किया होगा। एक महीनेसे चल रहे प्रयोगके उल्लेखसे लगता है कि यह पत्र ३ फरवरी, १९२८को लिखा गया था।

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

विदेशोंमें प्रचार

असहयोग आन्दोलनसे पूर्व भारतकी राजनैतिक गतिविधि अधिकतर ब्रिटेनमें प्रचार-कार्य तक ही सीमित थी। अपेक्षाकृत काफी धन इस काम पर खर्च होता था और उसे अच्छे ढंगसे खर्च किया गया समझा जाता था। जब गाधीजीने हमारे राष्ट्रीय कार्योका निर्देशन अपने हाथोमें लिया तब दृष्टिकोणमें परिवर्तन आ गया। उनके कार्यक्रमका पहला फल यह हुआ कि राष्ट्रीय शक्तिके लिए आवश्यक बातें समझमें आईं और इससे हमारी सारी राजनैतिक विचारधारा उस समय प्रभावित हुई। राष्ट्रीय माँगोको अहिंसात्मक ढंगसे लागू करनेके लिए जरूरी बातोका नियमन करनेवाले प्राकृतिक नियमोको हमने समझा। हमने उन प्राकृतिक नियमोको समझा जिनका राष्ट्रीय माँगोको लागू करनेके लिए अपेक्षित सिद्धान्तोपर असर पडता है और इससे स्वाभाविक परिणाम-स्वरूप लगभग पूर्ण आत्मनिर्भरताकी भावनाका उदय हुआ। ग्रेट ब्रिटेन सहित विदेशोमें अनुकूल जनमत तैयार करनेका सही मूल्य आँका गया और उसके लिए अलगसे किये जानेवाले विशेष प्रयत्न लगभग त्याग दिये गये और जब कभी यह प्रश्न उठाया गया, उसका जोर-शोरसे विरोध किया गया। भारतमें कार्य इतने जोरसे हुआ और उसके परिणाम भी इतने स्पष्ट दिखाई दिये कि शीघ्र ही स्थिति विपरीत हो गई और बजाय इसके कि भारतीय ब्रिटेनमें और विदेशोमें प्रचार करनेके लिए जाते, अनगिनत विदेशी यात्री भारतके प्रति आकृष्ट हुए और ब्रिटिश सरकारको मजबूरन विदेशोमें जवाबी प्रचार करना पड़ा। भारतमें भी सरकार आत्म-विश्वास खो बैठी और सरकारने राष्ट्रीय जागृतिको रोकने या कमसे-कम कुछ मुलतवी करनेके उद्देश्यसे लोगोमें स्वय प्रचार-कार्यका संगठन किया।

किन्तु आक्रामक असहयोग बन्द होनेके साथ भारतीय विचारधारामें फिरसे परिवर्तन आ गया है। विदेशोमें प्रचारके लिए धीरे-धीरे लेकिन फिरसे आवाज़ बराबर बढती जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अर्थात् राष्ट्रकी सगठित और संयुक्त कार्यवाहीकी कठिनाइयोके कारण स्वभावत. लोग विदेशोमें कार्य करनेके लिए आसान तरीके अपनाने लगे हैं। उन लोगोंके लिए जो असहयोगके सिद्धान्तपर अब भी अटल है और केवल देशके भीतरसे ही मुक्तिकी आशा करते है, राष्ट्र द्वारा पूर्व और पश्चिमके देशोका मुँह देखना शक्तिका अपव्यय, बढ़ती हुई निर्बलताका लक्षण और चिन्ताका कारण है। दिशा विकर्षकी इस प्रवृत्तिसे दृष्टि धूमिल पड़ जायेगी और रचनात्मक प्रयत्नोंपर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इससे न केवल ध्यान ही बँटेगा बल्कि

कुछ सर्वोत्तम कार्यकर्ता इस अपेक्षाकृत अधिक रोचक परन्तु व्यर्थके काममें तन [मन] से लग जायेंगे।

असहयोगसे पहलेका विदेशोंमें प्रचारकार्य मुख्य रूपसे ब्रिटेन तक ही सीमित था। लेकिन इन आठ वर्षोके प्रयत्नोका एक स्थायी परिणाम यह हुआ है कि ब्रिटेन भी विश्वास खो बैठा है। जो-कुछ रहा सहा विश्वास ब्रिटिश मजदूर दलको था, वह भी खत्म हो गया है। इसलिए विदेशोंमें प्रचारकी मागका वर्तमान स्वर इग्लैडमें प्रचारके लिए नही बल्कि अन्य विदेशी राष्ट्रोसे सम्पर्क और मैत्री बढ़ानेके लिए है। हमें बताया जाता है कि जर्मन और रूसी लोगोसे घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करना नितान्त वांछनीय है। हमे बताया जाता है कि यूरोपकी लैटिन जातियोंमें प्रचारके लिए अनुकूल क्षेत्र है। फ्रास, इटली, स्पेन और पुर्तगालका उल्लेख किया जाता है। महत्व-पूर्ण निष्पक्ष क्षेत्र होनेके कारण स्केन्डिनेवियाको भी नही भुलाया जाता। फिर हमें यह भी बताया जाता है कि यह आजकी मांग है कि भारतका उन देशोंसे नाता जोड़ा जाये जो इसी तरहके साम्राज्यवादी शोषणसे कष्ट भोग रहे है। हमें आश्वासन दिया जाता है कि भारतकी आशा ऐसे संघ-वद्ध एशियामें निहित है जो पश्चिमी आधिपत्यके विरुद्ध सिर उठाये। विदेशोंमें प्रचार सम्बन्धी रुखमें हुई इस तबदीलीकी प्रतिध्वनिका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी कार्यवाहियोमें सुनाई देना स्वाभाविक था, जहाँ वातावरणमें विदेशी मामलोंकी प्रधानता थी। वहाँ कई ऐसे प्रस्ताव स्वीकार किये गये जो अन्तर्राष्ट्रीय मैत्रीकी नीव डालनेके उद्देश्यसे प्रस्तुत किये गये थे।

यदि हमारे हालात बेहतर हो और हम अन्य राष्ट्रोंसे मेलजोल रखनेसे इनकार कर दें तो वास्तवमें यह हमारी संकुचित मनोवृत्ति होगी। इससे यह व्यक्त होगा कि हममें, संस्कृति और भाई चारेकी भावनाकी कमी है। लेकिन अनुकूल परिस्थितियोमें जो चीज सभ्यता और संस्कृति तथा उदार मनोवृत्तिकी द्योतक होगी वही मौजूदा हालातोंमें केवल विवशताको प्रकट करेगी और उससे कुछ लाभ नही होगा। अन्य राष्ट्रोसे मैत्री केवल तभी बढ सकती है और लाभप्रद हो सकती है, जब जैसा कि व्यक्तिगत मैत्रीमें भी होता है, एक ही पक्ष द्वारा सारे लाभ पानेकी आशा उसका आधार न हो। यदि हम अन्य लोगोंसे सम्मानजनक मैत्री चाहते है तो जहां हम उनसे कुछ पाना चाहते है वहां उन्हें देनेके लिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए। यदि हम वास्तवमें दूसरोकी मदद नही कर सकते और केवल उनसे ही कुछ पाना चाहते हैं तो पारस्परिक आदरभाव नही बढेगा और न स्वस्थ मैत्री ही पनप सकती है। यदि हम सचमुच दूसरोकी मदद कर सकते है तो वह केवल राष्ट्रीय अधिकारो की दृढ़तापूर्वक मांग करनेके लिए महान प्रयत्नके बाद ही सम्भव है। और यदि सही दिग्दर्शन कराया जाये तो इससे स्वदेशमें प्रभावशाली परिणाम निकल सकते है और अवश्य निकलेंगे। जिन राष्ट्रोसे हम मैत्री चाहते है उन्हें हमारे निकट सम्बन्धसे सीख सकने लायक कुछ दिखाई देना चाहिए या कुछ लाभकी सम्भावना होनी चाहिए। यदि हमारे बीच कोई बहुत बडे महत्वका आन्दोलन चल रहा हो या कोई क्रान्तिकारी प्रयत्न हो रहा हो या कोई ऐसा बड़ा रचनात्मक काम हो रहा हो

जिससे दूसरा कुछ सीख सके या जिसका अध्ययन कर सके तो यदि हम बराबरीके दर्जेकी नही तो सम्मानजनक शर्तोपर मैत्रीकी अपेक्षा कर सकते है। लेकिन हम सदैव अपनी पुरातन सस्कृति या गाधीवादी आन्दोलनके इतिहासपर ही आश्रित नही रह सकते।

केवल दासताके सूत्र पर मैत्रीके सच्ची या लाभप्रद होनेकी सम्भावना नही है। हम रूस, चीन या तुर्कीकी तरफ क्यो झुकते है? केवल इन राष्ट्रोके विगत इतिहासकी महानता ही हमें आकर्षित नही करती। यदि उनकी केवल यही देन हो तो उनमें हमारी दिलचस्पी नही बचेगी। लेकिन, चूँकि हमारा यह विश्वास है कि उन देशोमें आजकल महान आन्दोलन चल रहे हैं जिनमें हमें उपयोगी अध्ययनकी सामग्री मिलती है। या उनकी किन्ही चीजोपर गौर करे तो हम उनपर मुग्ध हो सकते हैं, इसलिए हमारे कुछ लोग उन देशोको जाते है। इसी तरह यदि हम ऐसे राष्ट्रोसे अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री चाहते है तो हमारे पास उन्हे देनेको कुछ मूल्यवान वस्तु होनी चाहिए। अन्यथा हम केवल भिखारी होगे और हमें अपने साथ किसी भिखारीसे किये जानेवाले बर्तावसे बेहतर बर्तावकी आशा नही करनी चाहिए।

लेकिन फिर यह कहा जा सकता है कि यह तो विश्व-राजनीतिकी उपेक्षा करना है। युद्ध हो रहे हैं। विश्वके राष्ट्र बराबर एक दूसरेकी योजनाओको निष्फल बनानेको तत्पर है और इस फलकपर भारत एक महत्वपूर्ण मोहरा है। हम अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिसे उतने लाचार नही है जितने आन्तरिक दृष्टिसे अपने खुदके मामलोमें है। इसके लिए आवश्यकता उलझनें मिटाने और सीधी-सच्ची बातचीत करनेकी है। क्या हम युद्ध करना चाहते हैं और क्या हम उन लोगोसे मैत्री करना चाहते हैं जो इग्लैंडसे युद्ध कर सकते है या क्या हम अन्य राष्ट्रोसे आशा करते है कि वे हमारी खातिर युद्ध करेगे। यदि विदेशी शक्तियाँ युद्ध करती है तो वे उसमें गोला-बारूद तथा जहाजोका भी उपयोग करेगी। क्या कभी ऐसे युद्धमें एक राष्ट्रके रूपमें उपयोगी ढगसे हमारे भाग लेनेकी सम्भावना है? क्या ऐसी कोई कल्पना की गई है कि भारत तथा पूर्वके अन्य गुलाम राष्ट्र भविष्यमें किसी भी समय ऐसी सधि कर सकते है जिसके द्वारा एक दूसरेकी सहायता करते हुए वे सबके समान शत्रुके प्रति विद्रोह कर दें? क्या भारत ऐसी आशा कर सकता है कि यदि विश्व-युद्धमें ऐसी कोई जरूरत पडे तो वह इग्लैंडके विरुद्ध युद्ध करनेवाली किसी शक्तिको सक्रिय सहायता देगा? और क्या एक ही दलील दें तो हमारे इस तरहकी कोई बात हासिल कर पानेकी गुजाइश है? इस स्थितिमें जब कि हम निशस्त्र हैं, क्या इसे थोड़ी-सी भी व्यावहारिक राजनीति कह सकते है?

शायद इस पर यह कहा जाये कि हम शस्त्र नही चाहते; हम निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा बहुत कुछ कर सकते है। युद्ध अथवा शान्ति कालमें ब्रिटिश सरकारसे असहयोग करना ही हमारे हाथमें एक मात्र अस्त्र है। तब फिर हम अपनी पुरानी स्थितिपर वापस आ जाते हैं। इग्लैंडके विरुद्ध भारतका युद्ध यदि अहिंसात्मक उपायोंसे ही होना है तो इसका अर्थ यह है कि वह पूर्णतया देशकी अपनी ताकत पर निर्भर

करता है और इसे अन्तर्राष्ट्रीय मामला कभी नहीं बनाया जा सकता। अहिंसात्मक संघर्षमें विदेशोंसे कोई ठोस मदद पाना कदाचित् सम्भव भी हो, किन्तु वह आसान नहीं है। उस संघर्षकी कल्पना संगठन और कार्यान्वयन सर्वथा आत्मनिर्भरताके आधार पर किये जाने चाहिए।

ऊपरी नैतिक मदद हमें विदेशोंसे मिल सकती है। यह हमें विदेशोंमें या स्वदेशमें किये गए प्रचारसे नही मिलेगी। यह मदद उसी हद तक मिलेगी जिस हदतक हम ठोस रचनात्मक कार्य करेंगे और अपनी आन्तरिक शक्ति बढ़ायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-३-१९२८

परिशिष्ट २

वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीका समुद्री तार

मेरित्जबर्ग

२४ अप्रैल १९२८

गांधी,

साबरमती।

गोपनीय

जोहानिसबर्गसे द० आ० भा० स०[1] के समुद्री तारसे आप बेकार चिन्तित हो गये। नैटाल कांग्रेस नेता इसका अनुमोदन नहीं करते। उनकी मन्शा निश्चित प्रश्न पूछना ही था। क्या स्मट्ससे हुए आपके समझोतेका यह भी अंग था कि उस समय प्रमाणपत्र रखनेवालो पर, चाहे उन्होंने प्रमाणपत्र चालबाजीसे हासिल किये हों, आपत्ति नही उठाई जानी चाहिए? यदि ऐसा हो तो, मैं नहीं समझ सकता कि सरकारने १९१५ में माफी योजना क्यों प्रकाशितकी और पहली अगस्त १९१० के पहलेसे प्रवेश पाये लोगोंको संरक्षणके कागजात देते हुए उसे १९१६ तक क्यों जारी रखा। ऐसा लगता है कि पोलकने सच्चे दिलसे सलाह दी थी कि प्रस्तावका पूरा लाभ उठाया जाये; लेकिन केवल कुछ ही लोगोंने वैसा किया। विभाग इस बातके लिए राजी है कि एक बार माफ कर दिये गये लोगोंको अब फिर माफीकी अर्जी देनेकी जरूरत नही है। लेकिन ट्रान्सवाल कांग्रेसके नेता मांग करते हैं कि १९१४ के समझोतेके वक्तके छलपूर्ण प्रमाण-पत्रोंपर कोई आंच नही आनी चाहिए चाहे उनके रखनेवालोंने १९१५ की विज्ञप्तिके अधीन माफी हासिल की हो या नही। यदि आपके साथ हुए समझोतेका यह अंग था तो कृपया तुरन्त वैसा तार दीजिए। मलान, श्मिट, वेन और प्रिंगको जहांतक मैं निजी तौरपर जानता हूं, मैं पूरे विश्वाससे कह सकता हूं कि इस समय उनके इरादे नेक हैं। वे जानबूझकर पहले वायदेसे मुंह नहीं मोड़ेंगे।

१. दक्षिण आफ्रीकी भारतीय समिति।

जहातक परिवारोंके प्रवेशका सम्बन्ध है, १९१४ से पहले परिवारोंके बिना प्रवेश करनेवालोकी संख्या अब भी कम ही होगी। इस बातके लिए भी कोई एक दलील नही है कि यदि १९१४ के बाद चालबाजीसे प्रवेश करनेवाले बिना परिवारोके रहते है तो १९१४ से पहलेवालोको उस अपात्रतासे क्यो बरी कर दिया जाना चाहिये। विभाग पूछता है कि १९१४ से पहले नेटाल और केपमें छलसे प्रवेश करनेवालोंके साथ ट्रान्सवालमें उसी प्रकारके लोगोकी अपेक्षा बुरा वर्ताव क्यो किया जाना चाहिए। उन्हे यह भी आशका है कि इन प्रान्तोमें कोई पजीयन प्रमाणपत्र न होनेसे किसी भी व्यक्तिके लिए यह कहना आसान है कि वह १९१४ से पहले आया है। स्मरण रहे कि इससे पहले कि धारा ५ किसीके विरुद्ध लगाई जा सके, जालसाजी प्रमाणित करनेका भार सरकार पर होगा। यह सच नही है कि संरक्षण प्रमाणपत्रोंके बदलेमें पजीयनके तथा अन्य प्रमाणपत्र दे दिये जाने चाहिए। स्पष्ट व्यवस्था द्वारा सम्बद्ध पक्षोंको ये दस्तावेज रखनेकी अनुमति दी गई है। यह सच है कि सरक्षण प्रमाणपत्र १९१३ के उस प्रवास कानूनकी धारा २५ के अधीन उस विनियममें आ जायेंगे जो अस्थायी परमिटोंके लिए अनुमति प्रदान करता है। विभागोको कानून अधिकारियो द्वारा सलाह दी जाती है कि धारा २५ के अधीन स्थायी परवानो पर मत्री प्रतिबन्धात्मक शर्ते नही लगा सकते; लेकिन यदि परवाने अस्थायी हो तो वैसा कर सकते है। प्रस्तावित सरक्षण प्रमाण-पत्रोमें एक वायदा है कि जबतक प्रमाण-पत्र रखने वालों पर निर्वासन योग्य अपराध करनेका जुर्म न हो तबतक मत्री उन्हे रद नही करेंगे। विभाग का तर्क है कि यह व्यवस्था वास्तवमें प्रमाण-पत्रोंको स्थायी बना देती है। प्रमाणपत्रके स्वरूपका प्रश्न अब भी विचाराधीन है और यदि मौजूदा स्वरूप पर कानूनी राय विपरीत हो तो उस दशामें मुझे विभागसे सन्तोषप्रद व्यवहारकी आशा है। मैंने डाकसे लम्बा स्मरण-पत्र भेजा है। जबतक आप उसे पढ न लें तबतकके लिए कोई निष्कर्ष न निकालें। मै यह नही समझ पा रहा हू कि यह माफी योजना निष्क्रिय प्रतिरोध सघर्षके परिणामोको किस प्रकार विफल बनाये दे रही है। कृपया इस समुद्री तार तथा द० आ० भा० स० के समुद्री तारकी प्रति तथा आपके और मेरे बीच जिस तारका आदान प्रदान हुआ है उसकी प्रति भी सर मुहम्मद हबीबुल्लाको डाकसे भेज दीजिए।

शास्त्री

अंग्रेजी (एस० एन० ११९७४)की फोटो-नकलसे।

परिशिष्ट ३

बारडोलीका मामला क्या है?

हालके वर्षोंमें लगान संशोधन समझौतोंके मामलेमें आम रायकी और विधान परिषदके प्रस्तावोंकी जानबूझ कर उपेक्षा की गई है। संयुक्त संसदीय समितिकी यह सलाह मानते हुए कि "भूमिकरके निर्धारणमें संशोधन करनेकी प्रक्रिया अधिनियम द्वारा विनियमके और करीब लाई जानी चाहिए, बम्बईकी विधान परिषदने मार्च १९२४में भारी बहुमतसे इस आशयका एक प्रस्ताव पास किया है कि भूमिकरका संशोधन विधान द्वारा विनियमित करनेके प्रश्न पर गौर करनेके लिए एक समिति नियुक्त की जाए और जबतक उक्त कानून अमलमें नही लाया जाता तबतक नये सिरेसे कोई तखमीना न बनाया जाये और संशोधित समझौता भी लागू न किया जाये।" सरकारने प्रस्तावका पहला भाग भूमिकर तखमीना समिति नियुक्त करके कार्यान्वित कर दिया, परन्तु दूसरे हिस्सेकी उपेक्षा कर दी गई और प्रस्तावका विरोध करते हुए एकके बाद एक ताल्लुकेका फिरसे तखमीना बनाया जाने लगा। इसी बीच भूमि कर समितिकी बैठक हो चुकी थी और उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी थी। बम्बई विधान परिषदने मार्च, १९२७ में भारी बहुमतसे एक और प्रस्ताव पास किया जिसमें सपरिषद गवर्नरसे सिफारिश की गई थी कि भूमिकर तखमीना समितिकी रिपोर्टको ध्यानमें रखते हुए जरूरी कानून बनाकर मार्च १९२४ के प्रस्तावको तत्काल अमलमें लाया जाए और जबतक ऐसा कानून न बने सम्बद्ध भूमिकर अधिकारियोंको आदेश जारी किये जायें कि १५ मार्च १९२४ के बाद बढ़े हुए करकी उगाही न करें। भूमिकर तखमीना समिति द्वारा सुझाया गया कानून इस समय विधान परिषदके सामने है लेकिन अन्ततोगत्वा कानून बन जाने पर उसका उद्देश्य ही विफल हो जाये – इस उद्देश्यसे लगभग जानबूझकर संशोधनकी व्यवस्था की जाती रही है। बारडोली ऐसे कई ताल्लुकोंमेंसे केवल एक है, जहाँ इन प्रस्तावोंके अनुसार करोमें कोई संशोधन नही होना चाहिए था और करोंके कोई नए दर लागू नही किये जाने चाहिए थे। इस मामलेके गुणदोष पर ध्यान न दिया जाए तो भी यह आपत्ति बारडोलीमें भूमिकर संशोधन व्यवस्था पर सैद्धान्तिक मूल आपत्ति है।

मैं इस मामलेके गुण-दोषोंकी चर्चा संक्षेपमें करूंगा। बारडोलीकी नई भूमिकर संशोधन व्यवस्था श्री जयकर द्वारा तैयार की गई थी, जिन्होने नवम्बर, १९२५ में अपनी सिफारिशें पेश कर दी थीं। उन्होंने ३० प्रतिशत बढोतरीकी सिफारिश की थी। बन्दोबस्त आयुक्त श्री ऐन्डरसन उस आधारसे असहमत थे जिस पर श्री जयकरने अपनी सिफारिश पेश की थी; और उन्होने एक नया आधार अपनाकर २९ प्रतिशतकी बढोतरीकी सिफारिश की। सरकार दोनों ही व्यक्तियोंकी सिफारिशोसे असहमत थी और उसने लगानकी २२ प्रतिशत बढ़ोतरी तय की। ताल्लुकेका पहलेका लगान जो ५,१४,७६२ रु० था वह नये कर निर्धारणके अन्तर्गत ६,२०,००० रु० से कुछ ऊपर है।

इसके विरोधमे बारडोलीके किसानोका कहना है कि ताल्लुकेका पूरी हदतक कर निर्धारण हो चुका है तथा उसमें और बढोतरीकी कतई कोई बात नही है। ताल्लुकेके किसान अपनी भूमिके मानके अनुसार इस प्रकार विभाजित है:

१ से ५	एकड तक	१०,३७९
६ से २५	एकड तक	५,९३६
२६ से १००	एकड तक	८२९
१०१ से ५००	एकड तक	४०

निरापद रूपसे ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि वे सभी किसान, जिनके पास २५ एकडसे ज्यादा जमीन नही है, खुद काश्त करते है और जिनके पास ज्यादा जमीन है वे अपनी जमीन बटाई पर किसानोको दे देते है। इसका मतलव यह हुआ कि १६,३१५ किसान वास्तवमें कुल १,२७,०४५ एकडके क्षेत्रमें खुद काश्त करते है। यानें कि हर किसान औसतन लगभग आठ एकड भूमिमें खेती करता है। यह न्यायसगत नही है कि निर्णय किरायोंके आधार पर हो—चाहे वे लाभकर या अलाभकर हो—और जिनका उपभोग केवल वहुत कम लोग अर्थात ८६९ वडे जमीदार ही करते है। १६,३१५ किसानोके पास जो जमीन है उसके मूल्य तथा भूमिकर कानूनकी धारा १०७ के अधीन मुनाफोका जो लाभ वे उठा रहे है उसे ध्यानमें रखते हुए भूमिकर निर्धारण किया जाना चाहिए था। बारडोलीके किसान दलील देते है कि फी एकडकी औसत उपजको ध्यानमें रखते हुए और भूमिकर अधिकारी द्वारा स्वीकृत वहुत ऊचे दर्जेके मूल्योको सही मानकर (यद्यपि रिपोर्टके वादसे मूल्य काफी गिर गये है) ८ एकड जमीनमें खेती करनेवाले किसानको इतना मुनाफा नही होता कि सरकार मौजूदा कर-निर्धारणकी दरमें बढोतरी कर सके। वे इस कथनको सिद्ध करनेको तैयार है और उनका कहना है कि यदि मुनाफोके ५० प्रतिशतको भी आधार माना जाये तो भी किसी बढोतरीकी जरूरत नही है और यदि मुनाफोके २५ प्रतिशतको आधार माना जाये तो लगानकी मौजूदा दरोमें काफी कटौती करना जरूरी होगा।

इस प्रकार वे अपनी दलीलके लिए ताल्लुकेकी वास्तविक परिस्थितियो पर निर्भर करते है; लेकिन उनकी इस दलीलका आधार सरकारी रिपोर्टोके महत्व और यथार्थताका सदेहास्पद माना जाना भी है। अस्तु उनका कहना है कि भूमिकर अधिकारी श्री जयकरने कोई खास पडताल नही की। उन्होने कुछ एक गाँवोका दौरा किया, गाँववालोको लगान बढानेके प्रश्नके वारेमें कोई अभ्यावेदन देनेके मौके नही दिये, और सरसरी तौर पर एक सर्वेक्षण तैयार किया। उन्होने नितान्त आवश्यक आँकड़े बिना जरा भी जाँच किये अपने कार्यालयमें तैयार किये और अपनी ३० प्रतिशतकी सिफारिशोके लिए वह कुल पैदावारके मूल्यमें बढोतरी पर निर्भर रहे। श्री जयकरकी जाँच पडताल यदि उसे जाँच पडताल कहा जा सकता है, जिस लापरवाहीसे तैयार की गई है, वह उसे निरर्थक बनानेके लिए काफी है। लेकिन श्री एन्डरसनने एक अन्य वहुत ठोस आधार पर श्री जयकरकी रिपोर्ट पर शंका व्यक्त की जिसकी ओर जनताके प्रतिनिधियोने भी ध्यान दिलाया था। उन्होने

श्री जयकरकी रिपोर्टके सबसे महत्वपूर्ण अंशको ही, अर्थात् जिसपर वे कुल उपजके मूल्य पर अपनी सिफारिशें आधारित करते हैं, 'निरर्थक' और 'सर्वथा खतरनाक' कहकर रद कर दिया, 'क्योंकि उन सिफारिशोंमें उनके सुझावोंका कोई औचित्य नहीं मिलता, बल्कि उनसे विरुद्ध तर्कोंका आभास मिलता है। इन हालातमें श्री एन्डरसनका स्पष्ट कर्तव्य था कि सरकारको नये सिरेसे जाँच पड़ताल करनेका सुझाव देते। लेकिन उन्होने लक्ष्यका अतिक्रमण कर दिया और उन्होंने दरोंके आंकडोंके आधार पर अपनी सिफारिशें दे दी। यह एक ऐसा आधार है जिसके औचित्यपर कई उच्च पदासीन सरकारी अफसरोंने भारी आपत्ति की है और प्रस्तुत मामलेमें आंकड़ोंपर भी इस आधार पर कि उनकी जांच नही की गई है, भारी आपत्ति की है। यदि श्री जयकरने कोई वास्तविक जाँच-पड़ताल न करके सैटलमेंट मैनुअलका मजाक उड़ाया है तो श्री एन्डरसन एक कदम आगे बढ़ गये हैं। उन्होंने सैटलमेंट मैनुअलका उल्लंघन किया है। सैटलमेंट मैनुअलमें लिखा है कि विचारणीय मुद्दोंमें किरायोंको आधार मानना अनेकमें से एक मुद्दा है और 'उनके आधार पर विचार करें भी तो जबतक उनका परिणाम काफी न हो और जबतक उनकी विश्वसनीयता प्रमाणित न हो जाये उन्हें निश्चित निर्णयोंका आधार नही बनाया जा सकता।' किरायेके आंकड़ों पर पूरी तरह भरोसा रखकर और (२) यह मानकर कि उनके महत्वपूर्ण होनेके लिए अपेक्षित दोनों शर्तें पूरी हो गई है श्री एन्डरसनने भारी गलती की। श्री एन्डरसन एक जगह श्री जयकर पर यह दोष लगाते हैं कि उन्होंने किराये पर उठाये क्षेत्र और खुद मालिकों द्वारा जोते गये क्षेत्रोके आँकड़े इकट्ठा करनेका कोई प्रयत्न नहीं किया और फिर भी वह परिशिष्ट 'एच' पर गलतीसे इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि 'कुल क्षेत्रका कमसे-कम आधा भाग उन जमींदारोंके पास है जो स्वयं खेती नही करते। उनकी भूलका आधार यह है कि जो उन्होंने जल्दबाजीमें सात सालके आँकड़े, ४२९२३ एकड़, एक सालके आँकड़े मान लिये और २३९९५ एकड़ अर्थात् कुल क्षेत्रकी लगभग १८ प्रतिशत जमीन जो किसानोके अपने पास है, उसके बारेमें श्री जयकरके अनुमानकी नितान्त उपेक्षा कर दी। श्री जयकरका अनुमान भी यद्यपि ऊपरसे सही दिखता है तथापि बिलकुल सही नही है, क्योंकि यह मौके पर की गई जाँचपर आधारित नहीं है।

इन कारणोसे श्री जयकर और श्री एन्डरसन दोनोंकी रिपोर्टें बेकार हैं और सरकार द्वारा २२ प्रतिशतकी दर सर्वथा मनमाने तौर पर नियत की गई है क्योंकि वह किन्हीं नये या सही आँकड़ों पर आधारित नही है।

इसलिए बारडोलीके सत्याग्रहियोंने तबतक कोई लगान न देनेकी शपथ ली है जबतक या तो

१. बढ़ोतरी रद नहीं कर दी जाती, या

२. पूरे मामलेकी जाँच करनेके लिए स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायाधिकरणकी नियुक्ति नही की जाती।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १४-६-१९२८

सामग्रीके साधन-सूत्र

गांधी स्मारक सग्रहालय, नई दिल्ली, गांधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका केन्द्रीय सग्रहालय तथा पुस्तकालय। देखिए खण्ड १ (पृ० ३६९)

साबरमती सग्रहालय · पुस्तकालय तथा आलेख सग्रहालय : जहां गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकी काल और १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित है। देखिए खण्ड १ (पृ० ३४९-५०)

प्रजाबन्धु : अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक 'नवजीवन' (१९१९-१९३१) : गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

'यंग इडिया' (१९१८-१९३२) अहमदाबादसे प्रकाशित अग्रेजी साप्ताहिक, सम्पादक : मो० क० गांधी, प्रकाशक – मोहनलाल मगनलाल भट्ट।

हिन्दू : मद्रासमे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक, १८७८ में साप्ताहिक रूपमें आरम्भ हुआ, १८८३ में सप्ताहमें तीन बार निकलने लगा, और १८८९ से दैनिक बन गया।

पांचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद (हिन्दी) : काका कालेलकर द्वारा सम्पादित, जमनालाल बजाज ट्रस्ट, वर्धा १९५३।

बापू (हिन्दी) : रामनारायण चौधरी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद १९५४।

बापूना पत्रो – मणिबहेन पटेलने (गुजराती) ; मणिबहेन द्वारा सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद १९५७।

बापूना पत्रो – सरदार वल्लभभाईने (गुजराती) : मणिबहेन द्वारा सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७।

बापुनी प्रसादी (गुजराती) : मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४८।

महादेवभाईकी हस्तलिखित डायरी : स्वराज्य आश्रम, बारडोलीमें सुरक्षित।

(द) स्टोरी आफ बारडोली : महादेव देसाई, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९२९।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(फरवरी १९२८ से जून, १९२८ तक)

१ फरवरी : गुजरात विद्यापीठके विद्यार्थियोके समक्ष प्रार्थना सभामें भाषण दिया।

३ फरवरी : सर जॉह्न साइमनके अधीन नियुक्त 'स्टेच्युटरी कमीशन' बम्बई उतरा। विरोधमें प्रदर्शन और सभाएं की गईं। गांधीजीने बहिष्कारकी सफलताके लिए अहमदाबाद और बम्बईमें सन्देश भेजे।

५ फरवरी : कातते हुए बेहोश हो गये; डाक्टरोंने पूर्ण विश्रामकी सलाह दी।

७ फरवरी : आचार्य कृपलानीको विदाई देनेके लिए आयोजित गुजरात विद्यापीठ सभाके लिए सन्देश भेजा।

१२ फरवरीसे पूर्व : बारडोली तालुकाके प्रतिनिधियों और वल्लभभाई पटेलसे बारडोली सत्याग्रहके बारेमें बातचीत की।

१७ फरवरी : डा० मु० अ० अन्सारीने गांधीजीकी परीक्षा की।

२० मार्च : गांधीजी अहमदाबादमें मेहतरोंकी सभामें बोले। एसोसिएटेड प्रेस आफ इंडियाके प्रतिनिधिसे भेंटमें कहा कि उनकी यूरोपकी यात्रा अनिश्चित है।

३१ मार्च : अहमदाबाद मजदूर संघ द्वारा चलाये गये स्कूलोंके विद्यार्थियो और अध्यापकोंके समक्ष भाषण दिया।

४ अप्रैल : न्यू इंडियाको सन्देश भेजा।
हनुमान जयन्तीके अवसरपर आश्रमकी प्रार्थना सभामें बोले।

७ अप्रैल : 'न्यूज शीट'को बन्धुत्व भावनाका सन्देश भेजा।

१३ अप्रैलसे पूर्व : खादी विद्यालयके विद्यार्थियोंके सर्मक्ष भाषण दिया।

१८ अप्रैल : लंकाकी विद्यार्थी परिषदको सन्देश भेजा।

२३ अप्रैल : मगनलाल गांधीकी पटनामें मृत्यु हो गई।

१ मई : गांधीजीने अहमदाबादमें बाल-भवनके उद्घाटनपर भाषण दिया।

७ मई : साबरमती आश्रमपर सुभाषचन्द्र बोससे सलाह की।

११ जून : गुजरात विद्यापीठमें विद्यार्थियोंके समक्ष भाषण दिया।

१२ जून : बारडोली दिवस मनाया गया।

शीर्षक-सांकेतिका

विविध

सांकेतिका

उ

ए

क

ख

घ

च

ढ

त

थ

द

फ

ब

भ

य